सप्तम माला खंड 1

मंगलवार 15 सितम्बर 1981

24 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 22, मंगलवार, 15 सितम्बर, 1981/24 भाद्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या	436 से 439.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21-208
*तारांकित प्रश्न संख्या	441 से 451 और 453 से 455	
अतारांकित प्रश्न संख्या	4201 से 4221, 4223 से 4356 और 4358 से 4400.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1386 दिनांक 25 अगस्त, 1981 और अ० प्र० सं० 121 दिनांक 17 फरवरी, 1981 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण		208
विशेषाधिकार के मामले, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के बारे में		209-215
सभा पटल पर रखे गए पत्र		216
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति : कार्यवाही-सारांश		217
राज्य सभा से सन्देश :		217
असम राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में		
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति		217
नियम 377 के अधीन मामले :		218-224
(एक) केरल में बीड़ी उद्योग की रक्षा के उपाय		
श्री वी. एस. विजयराघवन		218
(दो) मुर्तिजापुर-यवतमाल छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता		
श्री उत्तमराव पाटिल		218-219
(तीन) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति		
श्री भीकू राम जैन		219

किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) खाड़ी के देशों के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती को विनियमित करने की आवश्यकता	
श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम	219-220
(पांच) युवकों और छात्रों की शिक्षा तथा रोजगार की मांग	
प्रो० रूपचन्द पाल	220-221
(छः) अपंग और विकलांग लोगों की दशा को सुधारने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार यादव	221-222
(सात) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भटिंडा के चिकित्सा अधिकारियों की कथित लापरवाही	
श्री एन. के. शेजवलकर	222
(आठ) दिल्ली में हस्तनिर्मित दियासलाइयों पर पुनः बिक्री-कर लगाए जाने के निर्णय का समाचार	
श्री एन. सुन्दरराजन	222-224
आवश्यक सेवा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत	
तथा	
आवश्यक सेवा विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव	224-264, 268-434
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	224-229
श्री अटल विहारी वाजपेयी	229-235
श्री सी० एम० स्टीफन	235-249
श्री जार्ज फर्नान्डीस	249-260
श्री फ्रेंक एन्थनी	260-266
श्री चन्द्रजीत गुप्त	269-276
श्री सी० टी० दण्डपाणि	276-281
श्री हरिकेश बहादुर	281-284
श्री ए० के० राय	284-286
श्री त्रिदिव चौधरी	286-287
श्री चन्द्रजीत यादव	287-289
श्री चित्त बसु	289-291
श्री जैल सिंह	292-302
श्री सोमनाथ चटर्जी	302-310

विषय	पृष्ठ
सदस्यों की गिरफ्तारी	267, 435, 485
सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	267-268
सदस्यों की दोषसिद्धि	435
आवश्यक सेवा विधेयक-जारी	436--595
खंड 2 से 14 और 1	
पास करने का प्रस्ताव	579
श्री योगेन्द्र मकवाना	579
श्री नीरेन घोष	579-581
श्री रामावतार शास्त्री	581-582
श्री सुनील मैत्रा	582-583
श्री नगीना राय	583
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	583-585
श्रीमती गीता मुखर्जी	585-586
श्री सत्यनारायण जटिया	586-587
श्री अमर राय प्रधान	587-588
श्री जैल सिंह	588-595

लोक सभा

मंगलवार, 15 सितम्बर, 1981/24 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*436. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला बालासोर (उड़ीसा) में शाखा डाक घरों को सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा वाले उप डाक घरों में बदले जाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) इन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस जिले में सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधाओं सहित शाखा डाक घरों का उप-डाकघरों में दर्जा बढ़ाने हेतु जनता से प्राप्त दो आवेदन विचाराधीन हैं।

(ख) जगई और पादौन।

(ग) उड़ीसा सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल ने संबंधित डाक घर अधीक्षक को दोनों मामलों में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।

श्री अर्जुन सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से ससम्मान निवेदन करता हूं कि उनका उत्तर अधूरा है। अतः क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार राज्य विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों जैसे स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए इस सुझाव पर विचार करेगी कि इन शाखा डाक घरों को उप डाक घरों में परिवर्तित किया जाए जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। जहाँ तक मुझे ज्ञात है मैंने माननीय मंत्री तथा उड़ीसा क्षेत्र के महा डाकपाल को 15 से अधिक

सुझाव दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित किए गए प्रस्तावों के साथ-साथ इन सुझावों पर भी विचार किया गया है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर पूरा नहीं है। वस्तुतः कुछ भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे उत्तर कितना भी बड़ा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उड़ीसा के सम्बन्ध में।

श्री कार्तिक उरांव : जहां तक उड़ीसा में डाक घरों का सम्बन्ध है वहां डाक घरों का बहुत विस्तृत जाल बिछा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उड़ीसा के सम्बन्ध में।

श्री कार्तिक उरांव : हां, केवल उड़ीसा के सम्बन्ध में। जैसा कि माननीय सदस्य ने अनुरोध किया था, किसी माननीय सदस्य द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव पर उचित ध्यान दिया जाता है और उस पर विचार किया जाता है। परन्तु कुछ ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं जिनके परे हम नहीं जा सकते।

जहां तक डाक घरों के दर्जे को बढ़ाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जगई शाखा डाक घर में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जा रही है, फिलहाल वहां पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं है। पादौन में पहले से ही सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास काफी प्रस्ताव हाथ में हैं जिन पर हमें विचार करना है।

उड़ीसा के महा डाकपाल के भुवनेश्वर दूर संचार मण्डल से सूचना मिली है कि बालासोर जिले में निम्नलिखित 13 डाक घरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे अधिक उनको क्या चाहिए ?

1. इरटाल
2. जयदा के साडे
3. गाड्
4. हरिगाँव
5. खरसापुर
6. विष्णुपुर
7. चौमुखे
8. जामीडीह
9. पारिखी
10. जाम कुन्डा
11. बांसड़ा

12. जयरामपुर
13. मिस्मति कृष्णपुर

एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा गांव रामसाही (सीधे गाँव तक) के लिए भी स्वीकृत की गई है जहां पर अभी तक डाक घर नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय मन्त्री ने अभी-अभी कहा है कि सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधाएं तथा उप डाक घर कुछ निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर खोले जाते हैं। इस संदर्भ में क्या मैं माननीय मन्त्री का ध्यान संचार मन्त्रालय पर प्राक्कलन समिति, 1980-81 के ग्यारहवें प्रतिवेदन की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? उसमें यह सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप डाक घर के भी खोलते समय केवल राजस्व के दृष्टिकोण को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए । उनको मानवीय पहलू के साथ साथ क्षेत्र विशेष की दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा देश के दुर्गम्य क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए । क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या वह इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को हटाएंगे। उन्होंने कुछ मापदण्ड निर्धारित किए हैं—इन गाँवों में जिनकी जनसंख्या 2,000 से अधिक है सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी प्रकार से उप डाक घरों के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। क्या माननीय मन्त्री, सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा तथा शाखा कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित किए गए माप दण्डों को हटायेंगे, विशेष रूप से उड़ीसा में पिछड़ेपन को तथा दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि इस समिति ने बताई हैं ?

श्री कार्तिक उरांव : जहाँ तक मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है वे पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। समिति की सिफारिशों पर हम अमल नहीं कर सके.....

(व्यवधान)

मार्गदर्शक सिद्धान्त है। (**व्यवधान**) मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए।

स्थानों की श्रेणियां हैं। राजस्व की हानि तथा जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना छः प्रकार के स्थान हैं।

जिला मुख्यालय, उपप्रभागीय मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, उपतहसील मुख्यालय और साधारण क्षेत्रों में 5,000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले और पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 2,000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले खण्ड मुख्यालय।

ऐसे पुलिस स्टेशन जहाँ पर प्रभारी अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक या उससे ऊंचे दर्जे का अधिकारी हो वहाँ पर साधारण क्षेत्रों में अनुमानित राजस्व वार्षिक अनुवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत तथा पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रो में वार्षिक राजस्व व्यय का क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होना चाहिए। बाहरी क्षेत्रों के लिए दूरी वर्तमान केन्द्र से 40 किलो मीटर से ज्यादा होनी चाहिए तथा साधारण क्षेत्रों में अनुमानित राजस्व वार्षिक

व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए तथा पिछड़े क्षेत्रों में राजस्व वार्षिक व्यय का 15 प्रतिशत तथा पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व वार्षिक व्यय का 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : उड़ीसा में गत वर्ष खोले गए तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा उप सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या क्या है ? क्या पिछले वर्ष का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि आबंटित की गई है ?

श्री कार्तिक उरांव : माननीय सदस्य इसमें जो रुचि ले रहे हैं उसकी मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं, परन्तु हमें इसके लिए अलग से पूर्व सूचना दिए जाने की आवश्यकता है । (व्यवधान)

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय मन्त्री ने यह कहकर कि उन्हें इसके लिए पृथक सूचना चाहिए माननीय सदस्या श्रीमती पटनायक के प्रश्न का उत्तर टाल दिया है । जब उड़ीसा के विषय में प्रश्न पूछा गया है तो मन्त्री महोदय के पास सभी सूचनाएं होनी चाहिए थी । निश्चित रूप से संचार विभाग का रुख उड़ीसा की तरफ असुहानुभूतिपूर्ण है । हम प्रश्न पूछते रहे हैं, परन्तु पिछले एक वर्ष से एक ही उत्तर मिल रहा है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भविष्य में जब भी कभी प्रश्न पूछा जाए उनके पास उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के विषय में सभी आंकड़े तथा सांख्यिकीय सूचनाएं होनी चाहिए । उन्होंने अपने विभाग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित किया है ।

इस सब को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से बालासोर जिले में अगले वर्ष कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप डाक घर खोले जा रहे हैं, जो कि मेरे साथी ने पूछा है, और माननीय संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा उनके मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार क्या-क्या प्रस्ताव दिए गए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : मुझे खेद है कि पूछी गई सूचना ऐसी नहीं है जिसे मैं तुरन्त अपने टोप से निकालकर प्रस्तुत कर दूं । प्रश्न बहुत ही प्रतिबन्धित है, क्या मुझे इस जिले विशेष में उप डाक घर खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यह एक सीमित प्रश्न है । इसके परे मैं कोई सूचना एकत्र नहीं कर सका । यह एक बहुत ही सीमित प्रश्न है और उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

जहां तक डाक घरों सम्बन्धी सूचना का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सेवा उपलब्ध है । उदाहरणार्थ उस क्षेत्र में 284 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 232 ग्राम पंचायतों को डाक घर की सेवा उपलब्ध है । इस क्षेत्र में बहुत ही उचित मात्रा में सेवाएं उपलब्ध हैं । दूसरे अनेक राज्यों में इसकी तुलना में आपको अच्छी सेवाएं नहीं मिलेंगी । जहां तक

नए डाक घरों का सम्बन्ध है, हमें काफी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रश्न सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाओं युक्त डाक घर का है। हमें उप डाक घरों के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे 18 या 20 प्रस्ताव हमारे पास हैं। यह किसी क्षेत्र में डाक घर सेवा उपलब्ध न होने का प्रश्न नहीं है। वहां पर पहले से ही शाखा डाक घर है जो बात पूछी गई है वह उप डाक घर के स्तर को ऊंचा करने के बारे में है। यदि स्तर को उन्नत किया जाना है तो वहां पर किए जाने वाले कार्य की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। यदि वहाँ पर उतना कार्य है तो उसका स्तर बढ़ाया जा सकता है। स्तर को उन्नत करने का तात्पर्य है अतिरिक्त खर्च। यह प्रश्न एक क्षेत्र विशेष में सेवा उपलब्ध होने का नहीं है। क्षेत्र में डाक घर की सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न इसको उन्नत करने का पूछा गया है। इसका तात्पर्य होगा वहां के कर्मचारियों पर थोड़ा और अधिक व्यय। सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई और विशेष सेवा नहीं दी जानी है। जहां तक लोगों का सम्बन्ध है इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सेवाएं उपलब्ध हैं।

हमारे सामने जो प्रस्ताव हैं उनमें से प्रत्येक पर गौर किया जा रहा है और यथा-सम्भव उन्हें पूरा किया जाएगा। जहां तक माननीया महिला सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सूचना एकत्र करके उनको दे दूंगा।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निगमों को हुई हानि

*437. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निगमों को रिकार्ड हानि हुई है,

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है और उसके क्या कारण हैं,

(ग) उर्वरक संयंत्रों के काम में बेहतरी लाने तथा उनकी क्षमता को पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की 7 उर्वरक कम्पनियों में से 4 को लगभग 198.29 करोड़ रुपए की हानि हुई। अन्य 3 कम्पनियों ने कर पश्चात 27.06 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। अत: शुद्ध हानि 171.23 करोड़ रुपए की है। हानियों का मुख्य कारण असम आन्दोलन के परिणामस्वरूप फीडस्टाक की अनुपलब्धता के कारण क्षमता का कम उपयोग, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विद्युत कटौती, और कोयले जैसे अन्य निवेशों की अनुपलब्धता तथा उपकरण समस्या व डिजाईन की कठिनाई है।

(ग) और (घ) अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा विद्युत कटौती समाप्त कर दी गई है। उर्वरक संयंत्रों को फीडस्टाक और निवेशों की सप्लाई में अपेक्षित स्तर तक वृद्धि कर दी गई है। संयंत्र संचालन सुधार कार्यक्रमों कठिनाई दूर करने की योजनाओं और कैप्टिव पावर प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से निर्माण सम्बन्धी बाधाओं को दूर करके क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी समय के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों को कितनी हानि हुई और यदि वे कारखाने लाभ पर या थोड़ी-सी हानि पर चल रहे हैं तो क्या मन्त्री महोदय समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक निगमों को, उनके उर्वरक संयंत्रों में व्याप्त प्रशासनिक अकुशलता के कारण हानि उठानी पडी ?

एक माननीय सदस्य : यह तो स्पष्ट ही है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ऐसी बात नहीं है। उर्वरक संयंत्रों की अकुशलता या उनके प्रबन्धकों की अकुशलता के कारण ऐसा नहीं हो रहा है।

तथ्य तो यह है कि कुछ संयंत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। उदाहरणार्थ सिंदरी उर्वरक कारखाना। यद्यपि हमने सिंदरी कारखाने का आधुनिकीकरण कर दिया है, तथापि इसके उत्पादन में स्थिरता नहीं आई है। इसी प्रकार से दुर्गापुर संयंत्र भी निरन्तर रुग्ण रहता है। इसके बाद केरल स्थित उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर संयंत्र का नाम आता है और वह भी पुराना ही है। ये कठिनाइयां हैं और इसलिए यह समस्याएं हो रही हैं। जहाँ तक तालचर तथा रामागुंडम संयंत्र का सम्बन्ध है, ये दो कोयले पर आधारित संयंत्र हैं और इन संयंत्रों को हाल ही में आरम्भ किया गया है। इनमें से एक ने, जिसे कि कुछ ही महीने पहले आरम्भ किया गया था, अपनी 27 प्रतिशत की निर्धारित क्षमता से उत्पादन आरम्भ कर दिया है। परन्तु तालचर केवल 7 प्रतिशत की क्षमता दे रहा है। ये कठिनाइयाँ हैं। वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थिति काफी अच्छी है। हमारे यहां लगभग 20 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 30 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होने की हमें आशा है।

श्री एस० बी० सिदनाल : संयंत्रों को जो हानि होती है, क्या उसके परिणामस्वरूप उत्पादन मूल्यों में वृद्धि नहीं होती है जिसका प्रभाव किसान पर पड़ता है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नहीं श्रीमान जी, हानि सभी ही संयंत्रों द्वारा ही उठाई जाती है। मूल्यों को बनाए रखने का एक फार्मूला होता है। इन हानियों के कारण उर्वरक के उत्पादन मूल्यों में वृद्धि नहीं की जाती।

श्री एस० एम० कृष्ण : माननीय मन्त्री द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, वे काफी

परेशान करने वाले हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान कुल 171 करोड़ रुपये की हानि हुई। यह किसी प्रकार से कम हानि नहीं कही जा सकती। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इसी प्रकार से हानियां होती रहीं, तो क्या लोगों का विश्वास सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था से उठ नहीं जाएगा ?

मन्त्री महोदय ने कहा कि क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि कच्चा-माल उपलब्ध नहीं था और उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई बिजली की कटौती का उल्लेख भी किया। बिजली की कटौती तो अब होती ही रहती है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई बिजली की कटौती को समाप्त करने के उद्देश्य से :

(क) क्या इन उर्वरक कारखानों द्वारा अपने ही जैनरेटर सैट लगाने के लिए किसी प्रकार का प्रयास किया गया है ताकि ये उर्वरक कारखाने स्वयं ही अपने लिए बिजली पैदा कर सकें जिससे उन्हें राज्य बिजली बोर्डों पर निर्भर न रहना पड़े जिनमें कि अब अक्सर गड़बड़ रहने लगी है; और

(ख) जहां तक सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का सम्बन्ध है, क्या मन्त्री महोदय ने इन उद्योगों के उच्चतम प्रबन्धकों को व्यवसायिक बनाने के बारे में कोई विचार किया है जिससे कि ये उद्योग केवल नौकरशाही पर ही निर्भर न रहें जो उत्तरदायी नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें कालावधि की सुरक्षा प्राप्त होती है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक संयंत्रों की कार्य-कुशलता तथा प्रबन्ध का सम्बन्ध है मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनसे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

गोरखपुर में, वर्ष 1980-81 के दौरान नेप्था की सप्लाई पर प्रतिबन्ध होने के कारण उत्पादन केवल 30.8 प्रतिशत था। अब सप्लाई के बढ़ जाने पर, अप्रैल-जुलाई 1981-82 में आकर स्थिति में सुधार हो गया है और उत्पादन बढ़कर निर्धारित क्षमता का लगभग 57.3 प्रतिशत हो गया है।

बरौनी, जिसे कि आसाम समस्या के कारण बन्द कर दिया गया था, अप्रैल-जुलाई 1980-81 में उसकी 4.5 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया था। अब अप्रैल-जुलाई 1981-82 में यह 46.5 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इसी प्रकार अप्रैल 1980-81 में नांगल दो में 20.5 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा था। अब सप्लाई की स्थिति में सुधार होने पर तथा बिजली की स्थिति में सुधार होने के बाद, इसकी 79.5 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यद्यपि उनके समक्ष मशीनरी की कठिनाई बनी

रही है, फिर भी क्षमता के अधिकतम उपयोग के फलस्वरूप सभी संयंत्रों की स्थिति पिछले वर्ष से अच्छी रही है।

पानीपत में 0 प्रतिशत उत्पादन था। यह अब 66.6 प्रतिशत हो गया है।

सदस्य महोदय ने जो दूसरा प्रश्न पूछा, प्रबन्धकीय कार्मिकों का चयन सार्वजनिक उद्यमों ब्यूरो द्वारा किया जाता है और इसलिए उनके लिए केवल नौकरशाहों को भेजने का प्रश्न नहीं उठता परन्तु जिन लोगों को अनुभव होता है, उनका चयन तो बाहर से भी कर लिया जाता है।

जहां तक जनरेटरों को लगाने का सवाल है, हमने इस मामले में कार्यवाही की है। उदाहरणार्थ, हमने दुर्गापुर में एक बिजली उत्पादन संयंत्र लगा दिया है और पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थित संयंत्रों के लिए हमें आरम्भ में पश्चिम बंगाल से बिजली नहीं मिल सकी। हमने बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित कर ली है और हम इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि ऐसे स्थानों पर बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर लगाए जाएं जहां बिजली के कम हो जाने की आशंका निरन्तर बनी रहती है।

श्री ए० के० राय : भारतीय उर्वरक निगम का एक रुग्ण एकक सिंदरी, मेरे चुनाव क्षेत्र में है। भारतीय उर्वरक निगम को हानि केवल कच्चे माल से ही नहीं अपितु उचित आयोजन के कारण भी होती है। सिंदरी तथा दुर्गापुर दोनों ही कोयला क्षेत्र में आते हैं परन्तु उनका कच्चा माल पेट्रोलियम पर आधारित है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि रामागुंडम स्थित कोयला गैसीकरण संयंत्र अब पहले से अच्छे परिणाम दे रहा है; मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोयला गैसीकरण संयंत्र भी सिंदरी तथा दुर्गापुर के वर्तमान संयंत्रों के साथ-साथ आरम्भ करने या लगाने के बारे में पुनः विचार करेंगे ताकि जब कभी भी आपको पेट्रोलियम ईंधन उपलब्ध न हो तो आप अपना रुग्ण संयंत्र कोयला गैसीकरण संयंत्र से चला सकें ?

दूसरे, आपने बताया कि पिछले वर्ष आपको 171 करोड रुपये की हानि हुई और आपने उसके कुछ कारण भी बताए। क्या आप उन कारणों को अलग-अलग से बता सकते हैं जिनके कारण यह हानि हुई; कितनी हानि ईंधन के उपलब्ध न होने पर हुई; कितनी हानि बिजली उपलब्ध न होने के कारण हुई; कितनी हानि औद्योगिक असन्तोष के कारण हुई तथा कितनी हानि आयोजन आदि के अभाव के कारण हुई। क्या आप इसका अलग-अलग ब्यौरा दे सकते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि उदाहरणार्थ आसाम की स्थिति के कारण नाम रूप एक के कार्य को हानि हुई और नाम रूप दो भी बन्द रहा। सिंदरी आधुनिकीकरण जनवरी 1980 और सितम्बर 1980 के बीच बन्द रहा। बरौनी भी बन्द रहा। गोरखपुर पूरी गति से कार्य न कर सका। पानीपत तथा भटिन्डा के विस्तार कार्य पर भी फीड-स्टाक के अभाव के

कारण कुप्रभाव पड़ा। जहाँ तक बिजली की समस्या का सम्बन्ध है। इसके कारण तलचर रामागुंडम, गोरखपुर तथा बरौनी को हानि उठानी पड़ी। जहां तक उपकरण की समस्याओं का सम्बन्ध है, इसके कारण तलचर तथा रामागुंडम के संयंत्रों, जो कि उनकी तुलना में नए संयंत्र हैं, हानि उठानी पड़ी। दुर्गापुर के उत्पादन में निरन्तर क्षति होती रही क्योंकि आरम्भ से ही वहां के उपकरण में गड़बड़ रही, यद्यपि विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा उपकरण के हर भाग की जांच की जा चुकी है, परन्तु अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। दुर्गापुर में संघ सम्बन्धी कुछ समस्याएं भी हैं। परन्तु इसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं, वास्तव में इसके रास्ते में आने वाले अन्य प्रश्न थे।

जहां तक कोयले पर आधारित गैसीकरण संयंत्र का सम्बन्ध है; तलचर तथा रामागुंडम को स्थापित किया जा चका है और हमें इन दोनों ही संयंत्रों के परिणाम अभी मिलने हैं।

दुर्भाग्यवश रामागुंडम की उपयोग क्षमता 27 प्रतिशत हो गई है। इसलिए कोयले पर आधारित और संयंत्र लगाने के प्रश्न पर इनके परिणाम प्राप्त हो जाने पर ही विचार किया जाएगा क्योंकि कोयले का ईंधन गैस की तुलना में मंहगा पड़ता है और चूंकि गैस उपलब्ध भी है, इसलिए सरकार की नीति गैस पर आधारित नए संयंत्र लगाने की ही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने बताया कि सात में से चार कम्पनियाँ ऐसी हैं जिनमें हानि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को कितनी हानि या लाभ हुआ है। मैं दुर्गापुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने बताया कि दुर्गापुर संयंत्र भी रुग्ण संयंत्र है। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के संघ जो कि एक मान्यता प्राप्त संघ है का अध्यक्ष होने के नाते, मैंने उन्हे एक पत्र लिखकर उनसे रुग्णता दूर करने का आग्रह किया है परन्तु अभी तक उन्होंने इस सम्बन्ध में अपेक्षित कदम नहीं उठाए हैं। हमारे संघ केवल श्रमिकों के हितों के लिए ही संघर्ष नहीं करता, अपितु वह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी संघर्ष करता रहता है। इसके द्वारा कब उत्पादन आरम्भ कर दिया जाएगा ?

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम में दुर्गापुर, हल्दिया, बरौनी तथा नामरूप के संयंत्र आते हैं और उनका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार...

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्रीमान जी, मैं प्रश्न ही पूछने जा रहा हूं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यालय तथा क्वाटरों के लिए साल्ट लेक में स्थान उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दुर्गापुर के एन०पी०के० संयंत्र तथा हल्दिया संयंत्र द्वारा कब तक उत्पादन आरम्भ कर दिया जाएगा

और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को कब तक कलकत्ता बदल दिया जाएगा। मैं इनके बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हू।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न ही स्पष्ट नहीं था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को होने वाली हानि का सम्बन्ध है, उसे वर्ष 1978-79 के दौरान 22.52 करोड़ रुपए की हानि हुई, वर्ष 1979-80 के दौरान 36.23 करोड़ रुपए की हानि हुई और 1980-81 के दौरान 54.06 करोड़ रुपए की हानि हुई। जहां तक दुर्गापुर में किए गए आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है···

एक माननीय सदस्य : विस्तार के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : विस्तार नहीं किया जा रहा है। आधुनिकीकरण कर दिया गया है और संयंत्र को शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है।

जहां तक हल्दिया संयंत्र का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार इस संयंत्र के लिए बिजली देने के लिए 1979 से ही बचबद्ध थी। परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक वह हमें बिजली उपलब्ध नहीं करवा पाई है जिसके फलस्वरूप हमने टरबाइन पर आधारित 20 मेगावाट का जनरेटर सैट लगाने की मंजूरी दे दी है। बाद में हम वहाँ पूर्णरूपेण तापीय बिजली घर बनाना चाहते हैं जिसमें 3-4 वर्ष का समय लग जाएगा। इस टरबाईन से सम्बद्ध सम्पूर्ण मशीनरी तथा उपकरण ब्रिटेन से मंगवाया गया है तथा इसे लगाया जा रहा है और हमें आशा है कि हम फरवरी, 1982 तक इस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने में सफल हो जायेंगे।

जहां तक मुख्यालय को बदलने का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इसकी अनेक पेचिदगियाँ हैं, इसलिए यह प्रश्न अभी तक अनिर्णीत पड़ा है।

श्री सन्तोष मोहन देव : इसे बदल कर आसाम क्यों नहीं ले जाते ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक एन० पी० के० प्लाट का सम्बन्ध है, इसे शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है।

श्री जेवियर अराकल : प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की हानि होती है और उसके लिए कुछ कारण दर्शाये जाते हैं। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इन हानियों का मुख्य कारण समन्वय का अभाव है। उदाहरणार्थ, भारत का सबसे पुराना उर्वरक कारखाना उद्योग मंडल का 'पैक्ट' है। यह 35 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका उपकरण तथा मशीनरी उतने ही पुराने हैं जितना कि यह कारखाना और इसमें 5000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यदि इसके आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण कारखाना ठप्प हो जाएगा और उससे देश को काफी हानि उठानी

पड़ेगी । वहाँ पर विभिन्न प्रकार का उत्पादन करने का भी प्रस्ताव है परन्तु उससे हमारे क्षेत्र की उर्वरक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा ।

इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार उद्योग मण्डल के ट्रावनकौर स्थित उर्वरक तथा रसायन कारखाने का आधुनिकीकरण करने का है ?

(2) वहाँ जो केप्रोवेक्टम परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव था, उसका क्या हुआ ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सिन्दरी प्रशासन में अपने अनुभव से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि एफ० ए० सी० टी० के आधुनिकीकरण का निर्णय एक अच्छा निर्णय है क्योंकि संयंत्र पुराना है तथा उसे फिर से चालू करने के लिए उस पर धन लगाना व्यर्थ है । निःसंदेह हमें वहां पर कार्यरत 2500 से 3000 कार्मिकों की समस्या से अवगत है । इसी लिए हमने एफ० ए० सी० टी० के उत्पादनों में विविधता लाने का निर्णय लिया है । हम उन्हें एक कैपरोलेकटुम संयंत्र तथा अन्य पेट्रो-रसायनिक कम्पलैक्स दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या सरकार यह सुनिश्चित व्यवस्था करेगी कि सरकारी क्षेत्र के जो इनके कारखाने हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी है, उसकी पूर्ति वे करें और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे बिहार में बरौनी और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जो उर्वरकों के कारखाने हैं वे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं और क्या सरकार उनके बारे में कुछ करना चाहती है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमान् जहाँ तक वर्तमान संयंत्र की क्षमता का प्रश्न है, वर्तमान संयंत्रों के अलावा, हम छठी पंचवर्षीय योजना में नाइट्रोजन पर आधारित आठ और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार रखते हैं । इनमें से छः संयंत्र गैस पर, एक फालतू नेपथा पर, जो मथुरा रिफाइनेरी से उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा एक कोयले पर आधारित बेकार पड़े 24 करोड़ रुपए के कोरबा संयंत्र के पुनः चालू किए जाने से स्थापित किए जाएंगे । इन आठ संयंत्रों के अलावा फोस्फेटिक क्षेत्र में 11 नए फोस्फेटिक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं । इस प्रकार हम मांग तथा पूर्ति की स्थिति तथा उत्पादन की स्थिति पर भी ध्यान दे रहे हैं । इस वर्ष हानियों में कमी आएगी । पिछले वर्ष क्षमता का उपयोग इतना ही हो सका—अर्थात् हम केवल 30 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पान कर पाए --इस वर्ष हम 31 लाख टन उत्पादन कर पाएंगे ।

जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा वर्णित भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है । यदि सरकार को उनके तथ्यों की जानकारी दी जाती है तो हम निश्चय ही उस पर ध्यान देंगे ।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या यह सच है कि सिन्दरी में स्थित भारतीय उर्वरक निगम की हानि आसाम में तेल की सप्लाई बन्द किए जाने के कारण हुई है ? क्या यह सच

नहीं है कि मुख्य रूप से इसी कारण से भारतीय उर्वरक निगम को हानि हुई है। यदि हाँ, तो भारतीय उर्वरक निगम को इन हानियों से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिन्दरी में हानि आसाम में उपद्रव के कारण हुई। भारतीय उर्वरक निगम को बहुत ही घाटा हुआ है। वास्तव में निगम को 1978-79 में 15.24 करोड़ रुपए का घाटा हुआ किन्तु 1980-81 में निगम को लगभग 99.69 करोड़ रुपए की हानि हुई। इसलिए भारतीय उर्वरक निगम की हानियों का अध्ययन हम संयंत्रवार कर रहे हैं। जहां तक सिन्दरी का सम्बन्ध है, हमने उसका आधुनिकीकरण किया है तथा हमें उम्मीद है कि आधुनिकीकरण तथा माल की स्थिति में सुधार के बाद वहां स्थिति में सुधार आएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, तथ्यों से पता चलता है कि कोई एक उर्वरक संयंत्र ही खराब नहीं है अपितु सभी संयंत्र रोगग्रस्त हैं। क्षमता का उपयोग बहुत कम अर्थात् 7 प्रतिशत हुआ है। यह दुःखद स्थिति है।

क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि देश को अभी भी भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ता है और इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है ? उर्वरकों का आयात बहुत अधिक है। इसके अलावा मांग भी बहुत बढ़ रही है। समस्या का कहीं अन्त नहीं है। आसाम ने विशेष स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसके अलावा बिजली उपकरणों तथा आधुनिकीकरण के अभाव की समस्या है। बहुत सी और बातें हैं जिनसे पता चलता है कि समुचित आयोजना तथा समन्वय के अभाव के कारण यह देश तथा देश के किसान कष्ट उठा रहे हैं।

क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि योजना आयोग तथा उनका मंत्रालय अध्ययन करके यह पता लगाएगा कि आगामी दो योजना अवधियों के दौरान देश में कितने उर्वरकों की आवश्यकता होगी और क्या देश उर्वरकों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा ? आज हम कितना उर्वरक विदेशों से आयात कर रहे हैं ? क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए सरकार कोई समन्वित कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हीं प्रयत्नों के कारण देश में उर्वरक संयंत्रों की स्थिति सुधरी है। यह बात नहीं है कि सभी संयंत्र रोग ग्रस्त हों। उदाहरण के तौर पर मद्रास संयंत्र की क्षमता 86.9 प्रतिशत थी जो कि बढ़कर 98.6 प्रतिशत हो गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रत्येक संयंत्र के उत्पादन में सुधार हुआ है तथा हम 10 लाख टन अधिक नाइट्रोजन का उत्पादन करने जा रहे हैं। तब भी कमी बनी हुई है। मैं यह नहीं बता सकता कि इस वर्ष कितना आयात करना पड़ेगा। जहाँ तक पिछले वर्ष आयातित माल के आंकड़ों का सम्बन्ध है, उन्हें मैं सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि आगामी दो पंचवर्षीय योजनाओं में देश की आवश्यकता क्या है तथा सरकार देश को उर्वरकों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक नाइट्रोजनी उर्वरकों का सम्बन्ध है, उसकी वर्तमान क्षमता 45.6 लाख टन है जिसमें से हमें 30 लाख टन उत्पादन प्राप्त होने की सम्भावना है। इस बारे में योजना आयोग तथा मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श करके कार्यवाही की है तथा योजनाएं स्वीकृत की हैं और अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना के अन्त तक अर्थात् 1984-85 तक हमें 65 लाख टन की आवश्यकता होगी और हमारी स्थापित क्षमता भी 65 लाख टन होगी फिर भी कमी रहेगी क्योंकि सभी संयंत्र पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अतः कुछ आयात करना ही पड़ेगा।

कोयले का उत्पादन

*438. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में (जनवरी) कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) आग से नष्ट होने वाले कोयले को मिलाकर कोयले की नष्ट होने वाली प्रत्याशित मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) देश में वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान कोयले का उत्पादन क्रमशः 103.95 मिलियन टन और 114.0 मिलियन टन रहा। राज्य-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ख) भविष्य में कोयला उत्पादन में कितनी प्रत्याशित हानि होगी इसका पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण

कम्पनी	पश्चिम बंगाल		बिहार		मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र		उड़ीसा		उत्तर प्रदेश		आसाम		आंध्र प्रदेश		कुल	
	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81	79-80	80-81
ई० को० लि०	17.78	19.35	2.74	3.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.52	22.70
भा० को० को०लि०	0.49	0.49	19.59	20.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.08	21.43
से०को०लि०	—	—	17.45	19.53	4.00	4.14	—	—	1.50	2.05	1.20	1.75	—	—	—	—	24.15	27.47
वे० को० लि०	—	—	—	—	20.30	21.79	4.76	5.77	1.07	1.19	—	—	—	—	—	—	26.13	28.75
ना० ई० को०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	0.61	—	—	0.56	0.61
कुल को०ई०लि०	18.27	19.84	39.78	43.82	24.30	25.93	4.76	5.77	2.57	3 24	1.20	1.75	0.56	0.61	—	—	91.44	100.96
सि०को० कं० लि०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.40	10.10	9.40	10.10
अन्य (टिस्को), इस्को और दा०घा०नि०)	0.24	0.18	2.67	2.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.11	2.95
कुल	18.51	20.02	42.65	46.59	24.30	25.93	4.76	5.77	2.57	3.24	1.20	1.75	0.56	0.61	9.4	10.10	103.95	114.01

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमान, मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण से पता चलता है कि देश में कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है तथा निश्चय ही यह सरकार इसके लिए प्रशंसा की पात्र है। परन्तु श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि किस ग्रेड के कोयले का उत्पादन बढ़ा है। कोयले के बहुत से ग्रेड हैं, जैसे कोकिंग कोल, गैर-कोकिंग कोल, स्लैक कोल इत्यादि। किस ग्रेड के कोयले का उत्पादन बढ़ा है क्योंकि कोयले के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद हम देखते हैं कि देश में कोयले की भारी कमी है यहां तक कि हमारे इस्पात संयंत्रों को कोयला आयात करना पड़ता है।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : श्रीमान्, जहां तक कोकिंग कोल का सम्बन्ध है, उसकी देश में कमी है। वास्तव में स्थिति यह है। 1981-82 के दौरान कोकिंग कोल की अनुमानित आवश्यकता 170 लाख टन होगी। अनुमानित उपलब्धता 160 लाख टन होगी। अब चालू वर्ष के दौरान 10 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। कोकिंग कोल के लिए नई खानें खोलने तथा नई धोवनशालाएं स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस किस्म के कोयले को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के कोयले की देश में कमी नहीं हैं यद्यपि कभी-कभी कोयले की किस्म के बारे में कुछ शिकायत की जाती है और हम उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। परन्तु कमी मुख्यत: कोकिंग कोल की है।

श्री मनोरंजन भक्त : मै जानना चाहता हूं कि किस किस्म के कोयले का उत्पादन बढ़ा है। मैं यही बात जानना चाहता हूं।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : सभी तरह के कोयले का।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री मनोरंजन भक्त : उन्होंने क्या कहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी तरह के कोयले का। किसी प्रकार के कोयले के लिए वह पक्ष क्या लें। उन्होंने कहा सभी तरह के कोयले का।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा दूसरा प्रश्न है। प्रति वर्ष भारी मात्रा में कोयला नष्ट हो जाता है। इसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया है। मैंने उनसे आग से नष्ट होने वाले कोयले को मिलाकर कोयले की नष्ट होने वाली प्रत्याशित मात्रा का ब्यौरा पूछा था और उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, "भविष्य में कोयले के उत्पादन में कितनी प्रत्याशित हानि होगी इसका पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं है।" परन्तु भूत काल जो कि व्यतीत हो गया है, की स्थिति क्या है। वह उस अवधि के लिए निहित रूप से आंकड़े दे सकते हैं। मेरी दूसरी बात यह है। कोयले की भारी मात्रा भूमिगत आग की लपेट में आ जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितना क्षेत्र तथा कितनी मात्रा इसकी लपेट में आ जाती है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विशेष कोयला खानों में कोयले के उत्पादन के अनुमान कच्चे तौर पर लगाए गए हैं। वे जानते हैं कि कितना कोयला उपलब्ध होगा। इस कारण

मैं जानना चाहता हूं कि आग के कारण कितना कोयला नष्ट होता है। ऐसी आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस समय झारिया कोयला क्षेत्रों में 70 स्थानों पर आग लगी हुई है। यह आग की घटनाएं राष्ट्रीयकरण से पूर्व हानिप्रद तथा अवैज्ञानिक खनन व्यवहारों के कारण बनी हुई है। आग की इन घटनाओं में कोकिंग कोल की भारी मात्रा नष्ट हुई। अब तक भगरिया क्षेत्र में 3 करोड़ टन कोयला इन अग्निकांडों की लपेट में आ गया है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि कोयला खानों में आग की घटनाएं केवल भारत में ही नहीं होतीं। अन्य देशों को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निःसन्देह अन्य देश ऐसे अग्निकाण्डों पर काबू पाने के लिए अधिक सक्षम हैं। हमारे देश में भी उन पर काबू पाने के लिए उपकरण हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हम विदेशी परामर्श प्राप्त करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कोल इण्डिया द्वारा ऐसी आग की घटनाओं से निपटने के लिए कई अन्य मूल भूत तरीके भी अपनाए गए हैं जैसे 'डोजरो' द्वारा रेत और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाना। ऐसे बहुत से उपाय हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनका विवरण पढ़ दूंगा, परन्तु इस पर अधिक समय लगेगा।

श्री रेणुपद दास : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि बढ़िया किस्म के कोयले की कम सप्लाई अथवा अनुपलब्धता के कारण बिजली घरों की बिजली पैदा करने वाली मशीनों, इस्पात संयंत्रों और रेल इंजनों आदि की कार्यक्षमता पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयले की भारी मात्रा का आयात किया जाता है और घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यकता के अनुसार देश में बढ़िया किस्म के कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मैंने कहा है कि हम कोकिंग कोल के अलावा सब तरह के कोयले में आत्म-निर्भर हैं। इस वर्ष हम लगभग 10 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं। बिजली घरों के लि कोयले की कोई कमी नहीं है, केवल कोयले की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें हैं। इस मामले पर बिजली घरों तथा कोल इण्डिया ने विचार किया है और तदनुसार हम कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा कोयले धोने, कोयला इकट्ठा करने आदि के संयंत्र लगाने की योजना है, और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इन संयंत्रों और मशीनों के लग जाने पर ये शिकायतें दूर हो जाएंगी। रेलों के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है। परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयले की कमी प्रतीत होती है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : कुछ दिन पहले इसी सदन में रेल मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि रेलों में जलने वाले कोयले की भारी कमी है और इस कारण से हमने कई रेलें स्थगित कर दी हैं। आप सभी प्रकार के कोयले की भारी वृद्धि की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टीम में जलने वाला जो कोयला है उसकी क्या पोजीशन है और क्या कारण

है कि रेल मन्त्रालय ने कुछ रेलें बन्द कर दी हैं जबकि आप कहते हैं कि कोयले के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है ?

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : वहां समन्वय है और वास्तव में रेलवे ने कोयले के परिवहन सम्बन्धी स्थिति में काफी हद तक सुधार किया है; परन्तु रेलवे हमें आवश्यक मात्रा में माल डिब्बे देने में समर्थ नहीं रही है । फिलहाल वे लगभग 9,000 डिब्बे दे रहे हैं, परन्तु हमें 10,000 डिब्बों की प्रतिदिन आवश्यकता है और यदि हम कोयले के सड़क परिवहन को बिल्कुल बन्द कर दें तो हमें प्रतिदिन 12,000 माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री गुलाम नबी आजाद : क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि नई खानों पर निवेश स्वीकृतियां न मिलने के कारण नहीं हो पा रहा है ? और क्या यह सत्य है कि नई खानों पर निवेश की कमी के कारण कोयले का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित है ? नई खानों पर पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक नई खानों को स्वीकृति देने का सम्बन्ध है, संसाधनों का आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है । और योजना आयोग और कोयला संगठन के निर्देश के अनुसार हम नई खानों की वृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं । कठिनाई, भूमि के अर्जन की है । भूमि अर्जन पश्चिमी बंगाल और बिहार जैसे राज्यों के लिए एक समस्या बनी हुई है । जहां तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दूसरे सभी राज्यों का सम्बन्ध है वहां पर कोई समस्या नहीं है ।

आयात के कारण रसायन-उत्पादों की भरमार

*439. **श्री भीकू राम जैन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ओपन जनरल लाइसेंस" के अन्तर्गत भारी मात्रा में किए जाने वाले आयात से रसायन-उत्पादों की प्रचुर वृद्धि देश में रसायन निर्माण उद्योग के लिए चिन्ता का विषय बन रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विकसित देश अपने मूल और परवर्ती रसायन भारी मात्रा में भारत भेज रहे हैं जिससे देश के निजी उत्पादों में बाधा उत्पन्न हो रही है, और

(ग) देश में रसायन उद्योग को पुन: सक्षम बनाने में उसकी मदद करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) सोडा ऐश

केनिर्माताओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बड़े पैमाने पर आयात के कारण उनके पास भंडार संचित हो गए हैं ।

(ख) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ग) आयात नीति की निरन्तर देख-रेख की जा रही है । मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात की व्यवस्था की जाती है ।

श्री भीकू राम जैन : मन्त्री ने अपने उत्तर के भाग (क) में कहा है कि सरकार को सोडा ऐश के निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और भारी मात्रा में भंडार संचित हो गए हैं । और साथ ही भाग (ख) में वह कहते हैं इन वस्तुओं के अन्धाधुन्ध आयात से सम्बन्धित ऐसी कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है ।" क्या उन्होंने अपने उत्तर के (क) भाग को ध्यान में रखते हुए सोडा ऐश तथा अन्य रसायनों के आयात को रोकने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : प्रश्न व्यापक है । यह सभी रसायनों के आयात से सम्बन्धित है ।

श्री भीकू राम जैन : क्योंकि मन्त्री ने विशेष रूप से सोडा ऐश का उल्लेख किया है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर के भाग (क) के संदर्भ में उन्होंने सोडा ऐश के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वस्तुतः 1978 और 1979 में तथा 1980 से पहले भी सोडा ऐश का मूल्य 3,600 रु० प्रति टन था, और इसका अभाव था । उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी । अतः सरकार ने 'ओपन जनरल लाईसेंस' के अन्तर्गत आयात की अनुमति देने का निर्णय किया जिसके अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में लगभग 65,000 टन से 70,000 टन तक सोडा ऐश का आयात किया गया ।

अब धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि होने के पश्चात् तथा इन आयातों के कारण सोड़ा ऐश का मूल्य 3600 रु० प्रति टन से गिरकर 3,000 रु० तक आ गया और अब यह 2200 रु० तक गिर गया है जो कि उनकी उत्पादन लागत के अनुसार उचित मूल्य है । अतः अब प्रश्न यह है कि यहां पर एक उलझन हो गई है । निर्माता कहते हैं कि उत्पादन का आधिक्य है जबकि उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन कहते हैं कि 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अतर्गत आयात की नीति जारी रहनी चाहिए । सोडा ऐश के सम्बन्ध में यह स्थिति है । वस्तुतः हम उत्पादन की स्थिति की जाँच कर रहे हैं । इस वर्ष 6,780,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है, और डी०जी०टी०डी० की अनुमानित मांग के अनुसार 6,80,000 टन के उपयोग की सम्भावना है । अतः वस्तुतः होने वाले वास्तविक उत्पादन और मांग के बीच एक अंतर रहेगा ।

श्री भीकू राम जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने सुझाव दिया था

कि सोडा ऐश की पूर्ति पर्याप्त है। मन्त्री कहते हैं कि कुछ हजार टनों की कमी है। उन्होंने कहा है कि मूल्य 3600 रु० प्रति टन से गिरकर 2200 रु० प्रति टन तक आ गया है। स्पष्ट है कि इसका कोई अभाव नहीं है क्योंकि मूल्य तभी गिरते हैं जब भण्डार अधिक हों। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय का विचार देश में सोड़ा ऐश के निर्माताओं को संरक्षण देने का है ? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? जबकि भण्डार संचित होते जा रहे हैं, जैसाकि मन्त्री ने अपने उत्तर के भाग (क) में कहा है। यह मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पिछले वर्ष से केवल 54,000 टन के भंडार हैं। जहाँ तक माँग का प्रश्न है, लघु स्तरीय उपभोक्ताओं के अतिरिक्त स्वयं डी०जी०टी०डी० के अनुमान के अनुसार सम्भावित मांग 6,80,000 टन की है, और लगभग 6,78,000 टन के उत्पादन की सम्भावना है। अतः वास्तविक उत्पादन और मांग के बीच अभी भी अन्तर रहेगा। अतः हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और यदि स्थिति हमें बाध्य करती है कि 'ओपन जनरल लाईसेंस' के अन्तर्गत आयात की नीति कायम रहनी चाहिए तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। स्थिति को सन्तुलित रखने के लिए हाल ही में सोड़ा ऐश पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।

श्री भीकू राम जैन : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि मांग और पूर्ति के आधार पर आयात नीति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। जो कुछ उन्होंने रसायन उद्योग के विषय में कहा है उसको ध्यान में रखते हुए वह रसायन उद्योग से सम्बन्धित आयात नीति की पुनरीक्षा कब तक करने में समर्थ होंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वस्तुतः माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि कुछ देश, विशेषकर चीन, अपने रंजक पदार्थ तथा अन्य रसायन भारी मात्रा में भारत भेज रहे हैं और इसीलिए बाजार की स्थिति भिन्न है। इन आयातों की अनुमति आर०ई०पी० के अन्तर्गत दी जाती है जिससे देश में 'एनीबीन' तथा दूसरे रंजक उत्पादों की बिक्री प्रभावित हो रही है। अतः हमने इस प्रश्न पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ बात की है और हमने उनसे आर०ई०पी० के अधीन रसायनों के आयात के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या यह सच नहीं है कि देश में जितने सोडा ऐश की आवश्यकता है, उतना उत्पादन नहीं होता है, इसी वजह से जो सोडा ऐश बनाने वाले हैं उन्होंने एक्सपेंशन का प्रोग्राम तो हाथ में लिया है, लेकिन अभी तक एक्सपेंशन पूरी तरह नहीं हुआ है, इससे काफी मात्रा में इसकी कमी रहती है ?

विदेशों से जो सोडा ऐश आता है उसकी कीमत एक्साइज ड्यूटी व और सब मिलाकर यहाँ तैयार होने वाले सोडा ऐश से कम होती है जब तक सोडा ऐश की कमी

पूरी न हो जाए, एक्सपेंशन का प्रोग्राम पूरा न हो जाए तब तक क्या यह आयात करने का काम जारी रखा जाएगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस सदन के दो माननीय सदस्यों की परस्पर-विरोधी राय हैं ; एक आयात को रोकने के लिए कह रहे हैं जबकि दूसरे उसे जारी रखने के लिए ।

श्री मोती भाई आंर० चौधरी : यह राय का सवाल नहीं है, मैं एक्सपेंशन के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक विस्तार का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को स्थिति ज्ञात है क्योंकि वह मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। चार कम्पनियों में से इन दो कम्पनियों का विस्तार कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रहा है । हाँ टाटा कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम में कुछ देरी हो गयी है । यह देरी रेलवे लूप लाइन के कारण से हुई है जो कि छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिवर्तित की जा रही है । जहां तक विस्तार के लिए कुल पूंजी निवेश का सम्बन्ध है उन्होंने अपेक्षित धनराशि का लगभग 95 प्रतिशत खर्च कर दिया है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कुछ थोड़ी सी इकाईयाँ ही सोड़ा ऐश का उत्पादन कर रही हैं और वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहीं । दूसरे उनको जिस विस्तार की अनुमति दी गयी है वे उसका भी उपयोग नहीं कर रही हैं । परिणाम यह हुआ है कि मूल्य बढ़ गये हैं और सरकार ने धोबी तथा अन्य गरीब उपभोक्ताओं को सोड़ा ऐश उपलब्ध कराने के लिए सोड़ा ऐश का आयात किया है । अब मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जब तक ये निर्माता अपनी पूरी क्षमता के अनुरुप उत्पादन आरम्भ करें और उन्हें स्वीकृत किये गये विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें तब तक क्या सरकार उपभोक्ताओं को यह आश्वासन देंगी कि वे गरीब लोगों को या तो आयात करके या इन निर्माताओं को इनकी पूरी क्षमता के अनुरुप उत्पादन करने के लिए बाध्य करके सोड़ा ऐश की पूर्ति करेंगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक सोड़ा ऐश उद्योग के निर्माताओं की क्षमता के उपयोग का सम्बन्ध है, वह लगभग 86 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक है । अतः जहां तक वर्तमान क्षमता का प्रश्न है, यह नहीं कहा जा सकता कि वे कम उत्पादन कर रहे हैं । विस्तार के सम्बन्ध में हम स्थिति पर निकट से निगरानी रखे हुए हैं और प्रत्येक लाइसेंस-धारी को लगभग उतने विस्तार की ही स्वीकृति दी गयी है जो कि वह कर रहे हैं । हम माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकते हैं कि जहां तक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है कुल उपलब्ध सोड़ा ऐश का 86.4 प्रतिशत उपभोक्ताओं को सीधा दिया जा रहा है । शेष धोबी तथा अन्य ऐसे उपभोक्ताओं को जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है सहकारी

संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। हम स्थिति पर निकट से निगरानी रखे हुए हैं हम जब तक आयात को नहीं रोकेंगे जब तक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देतीं कि आयात रोका जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना की स्थापना किया जाना

*441 **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव' लिमिटेड (आई० एफ० एफ० सी०) का विचार छठी योजना में बम्बई-हाई गैस पर आधारित एक और अन्य उर्वरक परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में यूरिया का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) देश में उर्वरक की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) और (घ) छठी परियोजनावधि में स्थापित किए जाने के लिए गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 अतिरिक्त परियोजनाओं के स्वामित्व के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं० इण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० ने गैस पर आधारित एक परियोजना की स्थापना करने में रुचि दर्शाई है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान यूरिया का क्षेत्रवार कुल अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(000 मी० टन)

क्र० सं०	क्षेत्र	अनुमानित उत्पादन
1.	सरकारी	2946
2.	गैर-सरकारी	2040
3.	सहकारी	685
	कुल	5671

(घ) इस समय कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 8 नए नाइट्रोजनयुक्त और 11 नए फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके आलावा विद्यमान संयंत्रों के क्षमता उपयोग को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

औषध मूल्य समकारी लेखा

*442 **श्री दलबीर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औषध मूल्य समकारी लेखे की राशि कितनी है, जो जुलाई, 1981 के अन्त तक सरकार की ओर से सारणीकरण एजेन्सी रासायनिक तथा फार्मास्यूटिकल निगम के पास पड़ी हुई थी; और

(ख) सरकार को रासायनिक तथा फार्मास्यूटिकल निगम से इस धनराशि पर कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ है जो सरकार ने रासायनिक तथा फार्मास्यूटिकल निगम को अपनी अन्य गतिविधियों पर ब्याज बचाने के उद्देश्य से दे रखी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन (सी० पी० सी०) के अन्तिम खातों के आधार पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े वर्ष 1980-81 के लिए हैं। इनके अनुसार सी० पी० सी० के पास औषध मूल्य समीकरण खाते में वर्ष के अन्त में 2,54,99,241.65 रु० की धनराशि उपलब्ध थी। सी० पी० सी० ने वर्ष 1979-80 के अन्त में इस खाते में 75,78,615.40 रु० की कमी की सूचना दी है। दिनांक 21.8.81 को निदेशक मण्डल की बैठक में सी० पी० सी० के वर्ष 1980-81 के खाते पारित किए गए थे। अब इनकी जांच नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जा रही है। इन आकड़ों के आधार पर अब सी० पी० सी० द्वारा औषध मूल्य समीकरण खाते में अदायगी किए जाने की आशा है। सरकार सी० पी० सी० से न तो कोई ब्याज लेती है और न ही इन खातों के संदर्भ में कोई ब्याज देती है।

बिना लाईसेंस के रेडियो सेटों का पता लगाया जाना

*443 **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान बिना लाइसेंस के कितने रेडियो सेटों का पता लगाया गया है और जिन लोगों के पास ये सेट पाए गए, उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ख) बिना लाइसेंस के रेडियो-सेटों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या ये उपाय पूर्णत: प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और यदि नहीं, तो कोई अन्य उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1.7.1980 से 30.6.1981 तक की अवधि के दौरान पता लगाए गए बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों की संख्या 2,86,763 थी तथा बिना लाइसेंस के रेडियो धारकों से 82,80,758.50 रुपये वसूल किए गए।

(ख) डाक तार विभाग का अपवंचन-रोधी तंत्र समूचे देश में फैला हुआ है। नियमित निरीक्षकों के अतिरिक्त बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों का पता लगाने के लिए समय समय पर अवैध रेडियो पर रोक लगाने का विशेष आयोजन संचालित किया गया।

(ग) ये उपाय काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

बम्बई हाई से तेल उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

*444. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1980 तक (वर्षवार) बम्बई हाई से तेल उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उक्त अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन कितना था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किन कारणों से तेल के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका; और

(ग) देश में खनिज तेल की आवश्यकता को देखते हुए बम्बई हाई से इसका और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) वर्ष 1977 से 1980 तक (वर्षवार) बम्बई हाई से तेल उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और उक्त अवधि के दौरान किया गया वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित रूप में हैं :—

(मिलियन मी० टनों में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
1977-78	2.00	2.074
1978-79	3.40	3.31
1979-80	4.40	4.421
1980-81	5.20	5.00

(ख) वर्ष 1978-79 तथा 1980-81 के दौरान उत्पादन में हुई थोड़ी कमी मुख्य

रूप से इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंचों (प्लेटफार्मों) को विलम्ब से आरम्भ किए जाने के कारण हुई ।

(ग) बम्बई हाई तथा उपग्रह क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए ओ० एन० जी० सी० द्वारा तैयार की गई योजना की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

*445. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, जिसमें बहुत विलम्ब हो चुका है, इस समय किस चरण में है,

(ख) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अब तक कितनी राशि व्यय की गई है, और

(ग) नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० के कर्मचारियों को चर्चा करने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कितनी बार वाशिंगटन जाने को कहा गया है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) परियोजना में जुआरी एग्रो कैमिकल्स की सहभागिता के बारे में कम्पनी की उन्नायक, आंध्र प्रदेश सरकार और मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स के बीच चर्चा हो रही है ।

(ख) 31.8.1981 तक लगभग 7.15 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं ।

(ग) कम्पनी ने सूचित किया है कि कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंटरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन, वाशिंटन से चर्चा के लिए तीन बार वाशिंटन का भ्रमण किया है ।

टेलिकाम कारखानों का आधुनिकीकरण और उपयोग

*446. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि टेकनालाजी में हुई उन्नति के परिणामस्वरूप डाक तार विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में टेलीकाम कारखानों में जो सामान बनाया जा रहा है वह प्रायः पुराना पड़ गया है तथा अप्रचलित हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो टेलीकाम कारखानों की अधिकतम उत्कृतनी क्षमता का उपयोग करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) विभाग की दूर-संचार फैक्ट्रियों, डाक तार विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप लाइन-सामग्री माइक्रोवेव टावर, विविध

प्रकार के मैनुअल स्विच बोर्डों जैसी मदों का उत्पादन करती हैं। ये मदें अभी अप्रचलित नहीं हैं और देश के दूर-संचार जालकार्य के विकास एवं अनुरक्षण हेतु इनका प्रयोग किया जा रहा है। अत्यन्त अल्प मदें ही पुरानी पड़ी हैं तथा जब कभी आवश्यक समझा गया, उनका उत्पादन रोक दिया गया।

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा विभिन्न मदों हेतु उत्पादन क्षमता के विस्तार हेतु जहां डाक तार विभाग की आवश्यकताएं मौजूदा उत्पादन क्षमता की अपेक्षाकृत अधिक हैं, दूरसंचार फैक्ट्रियों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुरानी मशीनों को उत्तरोत्तर बदला जा रहा है। विभिन्न मदों के डिजाइनों को अद्यतन बनाना और उनमें सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और डाक तार दूरसंचार फैक्ट्रियां डाक तार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र अथवा किसी अन्य निकाय के सहयोग से डिजाइनों में सुधार कार्य को कार्यान्वित कर रही हैं। हाल ही में, बम्बई और कलकत्ता स्थित दूरसंचार फैक्ट्रियों हेतु नई आर एण्ड डी यूनिट मंजूर की गई है।

केरल में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का क्षत्रीय कार्यालय

*447. **श्री ए०ए० रहीम :**

श्री बी०एस० विजयराघवन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयाली फिल्मों के निर्माण में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर त्रिवेन्द्रम, केरल में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय कार्यालय कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ, त्रिवेन्द्रम में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव को संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथा समय कार्यान्वित किया जाएगा।

तेल शोधक कारखानों द्वारा जलाई गई खाना पकाने की गैस

*448. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के पम्पों की अपर्याप्त भण्डारण क्षमता और बिजली सप्लाई की कमी के कारण, देश में तेल शोधक कारखानों द्वारा प्रतिवर्ष 60 करोड़ रु० मूल्य की 2,00,000 से 3,00,000 टन गैस जलाई जातीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी बरबादी को रोकने और इसका उपयोग खाना पकाने की

गैस के रूप में करने के उद्देश्य से इसके परिरक्षण और भण्डारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन के वितरण का मानदण्ड

*449. **श्री काजी सलीम :**

श्री रामजी भाई मावणि : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापनों के वितरण के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) 1.4.1977 से 31.12.1979 और 1.2.1980 से 31.7.1981 तक की अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से कितने मूल्य के विज्ञापन गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न बड़े, मझौले और छोटे समाचार पत्रों को दिए गए;

(ग) वर्ष 1981 और 1982 के दौरान कितने विज्ञापन दिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या छोटे समाचार पत्रों विशेषकर 1000 से 10000 तक की परिचालन संख्या वाले समाचार पत्रों को विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापनों के वितरण की मुख्य कसौटी सरकार की विज्ञापन नीति, जो सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है, में दी गई है ।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय राज्यों के समाचार पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा के बारे में राज्य-वार सूची नहीं रखता । तथापि, गुजराती और मराठी, जो इन राज्यों की मुख्य भाषाएं हैं, के दैनिक समाचार पत्रों को रिलीज किए गए विज्ञापनों की राशि इस प्रकार है :—

रिलीज किए गए विज्ञापनों की राशि

वर्ष	बड़े	मझोले	छोटे	कुल
1977-78				
गुजराती	437710	338790	214471	990971
मराठी	439388	300445	263310	1003143
1978-79				
गुजराती	922621	406643	225658	1554922
मराठी	988193	333020	300910	1622123
1979-80				
गुजराती	877693	372735	163141	1413569
मराठी	1051386	317988	259137	1628511
1980-81				
गुजराती	1016437	431915	350470	1798732
मराठी	1088069	614719	476036	2178824

चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(ग) विज्ञापनों के भावी वितरण की मात्रा और उसके ढांच का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। इसका विशेषकर कारण यह है कि समाचार पत्रों का चयन, अन्य बातों के साथ साथ, समय समय पर प्रचार आवश्यकताओं, लक्ष्य व्यक्तियों, धनराशि की उपलब्धता, इत्यादि द्वारा विनियमित होता है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, छोटे समाचार पत्रों को (15000 प्रतियों तक की प्रसार सख्या वाले) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रचार आवश्यकताओं, इत्यादि पर निर्भर करते हुए उपयुक्त उपलक्ष्य धन (वेटेज) दिया जाता है।

भुज (कच्छ) तथा राजकोट (सौराष्ट्र) को भारतीय दूरदर्शन कार्यक्रमों की परिधि के भीतर लाना

*450. **श्री हीरालाल आर० परमार :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुज (कच्छ) और राजकोट (सौराष्ट्र) के लोग पाकिस्तान तथा आबुधाबी से प्रसारित होने वाले दूरदर्शन कार्यक्रम देखते हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों के लोगों को भारतीय दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखने का अवसर कब तक मिल सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ऐसी रिपोर्टें रही हैं कि कुछ विदेशी टेलीविजन स्टेशनों के सिगनल पश्चिमी तट के कतिपय क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं

(ख) "इनसेट" योजना के अन्तर्गत राजकोट में पुनर्प्रसारण ट्रांसमीटर सहित एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना को छठी योजना में शामिल किया गया हो । भविष्य में कभी भुज में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना संसाधनों की उपलब्धता तथा इस क्षेत्र में टी०वी० सुविधाओं के साथ माइक्रोवेव सर्किटों के लिए डाक-तार विभाग की योजनाओं पर निर्भर करेगी ।

राजगीर (बिहार) में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

*451. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिहार राज्य में राजगीर में एक नया दूरदर्शन केन्द्र खोल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी नहीं । राजगीर (बिहार) में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अचल तथा चल रेडियो सेटों के लिए लायसेंस

*453. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिक्-मार्गी संचार व्यवस्था के लिए अचल तथा चल रेडियो सेटों के लिए लायसेंस देने की प्रक्रिया को उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाइसेंस सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) से (ग) संचार मन्त्रालय के वेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा व्यक्तियों सहित कई संस्थानों और संगठनों को दुतर्फा रेडियो संचार सम्पर्क के स्थिर और सचल केन्द्रों के लिए अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं । इस प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच, विदेश कार्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय आदि सम्बन्धित मंत्रालयों/

विभागों के परामर्श से की जाती है । प्रयुक्त वेतार संचार सम्पर्क का स्वरूप, वेतार सुविधा की जरूरत, मौजूदा प्रणालियों के साथ अन्तराय की सम्भाव्यता तथा भारतीय तार अधिनियम 1885 के अधीन बनाए नियमों के अनुरूप आवृत्ति आवंटन सहित अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

पिछले वर्ष इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों के निपटान की प्रक्रिया को कारगर बना दिया गया है जिससे ज्यादा संख्या में अनुज्ञप्तियां जारी की जा सकी हैं । दिनांक 1.9.1980 से 31.8.1981 की अवधि में सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 1995 वेतार केन्द्रों तथा निजी कम्पनियों और व्यक्तियों के 447 केन्द्रों के लिए अनुज्ञप्तियां जारी की गई जबकि वर्ष 1979-80 की इसी अवधि में क्रमशः 1161 और 49 केन्द्रों की अनुज्ञप्तियाँ जारी की गई थीं ।

भावनगर तथा अमरेली (गुजरात) की माइक्रोवेव परियोजना में काम की धीमी गति

*454. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर तथा अमरेली की माइक्रोवेव परियोजनाएं काफी पहले शुरू की गई थीं परन्तु काम की गति धीमी होने के कारण पूरी नहीं की जा सकीं;

(ख) यदि हाँ, तो वे सम्भवतः कितने वर्षों में पूरी हो जाएंगी तथा कार्य करना शुरू कर देंगी;

(ग) उनके कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) नियत समय पर उनके पूरा होने में इतने अधिक विलम्ब होने के क्या कारण रहे;

(ङ) इनमें से प्रत्येक पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(च) उपरोक्त माइक्रोवेव परियोजनाओं द्वारा सेवित होने वाली टेलीफोन लाइनें बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(छ) उनके लिए विदेशी उपकरण सम्भवतः किस तारीख तक प्राप्त हो जाएंगे ?

संचार मन्त्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) भावनगर, अमरेली और कुछ अन्य शहरों को अहमदाबाद के साथ जोड़ने वाली सूक्ष्मतरंग परियोजना 1975 में आरम्भ हुई थी यह परियोजना सूक्ष्मतरंग रेडियो उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण पूरी नहीं की जा सकी ।

(ख) चालू होने का संभावित वर्ष 1983 है ।

(ग) रेडियो उपस्कर को छोड़कर अन्य कार्य प्रगति पर हैं ।

(घ) इस परियोजना में विलम्ब स्वदेशी सूक्ष्म तरंग रेडियो उपस्कर के उत्पादन और उसको विकसित करने में अप्रत्याशित विलम्ब के कारण हुआ । अब यह निर्णय आयात द्वारा उपस्कर प्राप्त किए जाएं ।

(ङ) अहमदाबाद, भावनगर, अमरेली राजकोट/भावनगर, बरौच, सूरत सूक्ष्म तरंग परियोजना पर अब तक किया गया व्यय लगभग 506 लाख रुपये है ।

(च) भावनगर और अमरेली स्थित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है ।

(छ) रेडियो उपस्कर के आयात द्वारा 1982 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

सिंगरेनी में परामर्श सम्बन्धी संविदा का एक विदेशी परामर्शदाता को दिया जाना

*455. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगरेनी में ओपन कास्ट कोयला खानों के लिए परामर्श सम्बन्धी संविदा एक विदेशी परामर्शदाता को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संविदा की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल माइनिंग प्लानिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो के पास इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो विदेशी विशेषज्ञ की सेवाओं के लेने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोल और डीजल पर व्यय

4201. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल पर होने वाली खर्च जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक निरन्तर बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिकतम खर्चा किस महीने में हुआ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल पर व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) यह माना गया है कि यह प्रश्न सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर किए गए व्यय से सम्बन्धित है। विभिन्न सरकारी विभागों में डीजल से चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। ईंधन की खरीद के लिए प्रति वर्ष की गई बजट बद्ध व्यवस्थाओं द्वारा इन विभागों में पेट्रोल की खपत नियंत्रित की जाती है। इच्छित दिशा में माह-वार सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय एवं श्रम लगेगा जिससे प्राप्त किया जाने वाला प्रस्तावित उद्देश्य अनुपातिक नहीं हो सकेगा।

(ग) पेट्रोल तथा डीजल पर व्यय की एक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित की गई पेट्रोलियम उत्पादों की लागत पर यह निर्भर करेगा। परन्तु स्टाफ कारों आदि द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कम करने के लिए पहले से ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

ऐतिहासिक घटनाओं की वीडियो रिकार्डिंग

4202. **श्री आर० के० महालगी :**

श्री सूरज भान : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक घटनाओं की वीडियो रिकार्डिंग के बारे में सरकार को श्री अण्णा देशमुख सांसद तथा अन्य व्यक्तियों की ओर से दिनांक 18 जून, 1981 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव यह है कि 'शिव कथा माला" जो शिवाजी के जीवन पर गाथागीत व प्रवचन माला है, जिसको एक व्यक्ति के शो के रूप में बाबा साहेब पुरणदारा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, की पूरी कथा को टेलीकास्ट करने और उसको संग्रहालय में रखने के लिए वीडियो पर रिकार्ड किया जाए।

(ग) सुझाव को नोट कर लिया गया है। कथा के उपयोग पर विचार करते समय दूरदर्शन माध्यम की सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। तथापि, बम्बई केन्द्र विषय पर 'शिव कल्याण राजा" नामक एक कार्यक्रम पहले ही टेलीकास्ट कर चुका है जिसकी बाबा साहेब पुरणदारा ने कल्पना की थी और उसको प्रस्तुत किया था।

मंत्रालय में पिछले 10-15 वर्षों से एक ही सीट पर काम कर रहे कर्मचारी

4203. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय एवं उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कुछ कर्मचारी पिछले पाँच वर्षों से अधिक और कुछ मामलों में 10-15 वर्षों से अधिक समय से एक ही सीट पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अधिकारियों ने अपने कुछ वरिष्ठ उत्तरदायी अधिकारियों की सांठ-गांठ के साथ उन्हीं सीटों पर बने रहने के लिए अपनी पदोन्नति भी स्वीकार नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं कि ऐसी अनियमितताओं की ओर ठीक समय पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"खदान दुर्घटनाओं में एक मजदूर की मृत्यु" शीर्षक समाचार

4204. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 7 अप्रैल, 1981 को धनबाद के एक साप्ताहिक पत्र "हीरावल" में "खदान दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह दुर्घटना छत गिर जाने से हुई । प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक और खनन सरदार को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है । खान सुरक्षा महानिदेशक ने प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी है । खनन सरदार को प्रबन्ध मण्डल ने दस दिनों के लिए निलम्बित कर दिया था ।

भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कम्पनी ने, ताजी बनी छतों के मामलों में सफारी सहारे लगाने की व्यवस्था दृढ़ता से लागू कर दी है और निगरानी को भी और कड़ा कर दिया है ।

गोविन्द सागर झील, पोंग बांध झील तथा आनन्दपुर साहब नहरों से पानी लेने की अनुमति

4205. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने (एक) गोविन्द सागर झील (दो) पोंग बांध झील तथा (तीन) आनन्दपुर साहब नहर से सिंचाई कार्यों हेतु पानी लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी अनुमति किस तारीख तक दे दिए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड ने उन्हें सिंचाई कार्यों के लिए गोविन्द सागर झील से पानी लेने की अनुमति दे दी है। पोंग बाँध झील या आनन्दपुर साहब नहर से पानी लेने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान रसोई गैस के कनैक्शन देना

4206. **आचार्य भगवान देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान रसोई-गैस के कितने कनैक्शन दिए जाएंगे और रसोई-गैस के कनैक्शन के लिए पंजीकृत कितने आवेदकों को छोड़ दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : तेल उद्योग द्वारा तैयार की गई नाम दर्ज करने की योजना के अनुसार ऐसी आशा की जाती है कि प्रतीक्षा सूची में लगभग 4 लाख आवेदन कर्ताओं की कुल संख्या में से दिल्ली में वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 54,000 खाना पकाने की गैस (एल०पी०जी०) कनैक्सन जारी किए जाएंगे।

चिनोरा, महाराष्ट्र में भारत पेट्रोलियम द्वारा पट्टे पर लिया गया स्थान

4207. **श्री दया राम शाक्य** :

श्री आर० के० महालगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम ने 20 वर्ष की अवधि के लिए 1965

में पेट्रोल पम्प के लिए जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के चिनोरा, तालुक वरोरा में एक स्थान पट्टे पर लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में किराया और उसके आनुषंगिक मामलों से सम्बन्धित कोई विवाद है; और

(ग) क्या ऐसा विवाद पिछले पांच वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है; और यदि हां, तो उसके शीघ्र निपटारे में देरी होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ । भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी० पी० सी० एल०) ने श्रीमती मृणालिनी एन० देश पाण्डे से 1-4-65 से प्रतिमास 110 रुपए के किराए पर तथा 20 वर्षों की आगामी अवधि के लिए प्रतिमास 125 रुपए के संशोधित किराए पर पुनर्नवीकरण के विकल्प सहित यह स्थल पट्टे पर लिया था ।

(ख) किराए और इससे सम्बन्धित मामलों के बारे में कोई झगड़ा नहीं है । किराया त्रैमासिक आधार पर अग्रिम अदा किया जाता है और बी० पी० सी० एल० द्वारा सितम्बर 1981 तक यह पहले से ही अदा किया गया है । पहले 1975 में, पट्टादाता ने बी० पी० सी० एल० को किराया बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था । पट्टादाता को बताया गया था कि उन्हें 20 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी और उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि किराए में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए राजी नहीं हो सकते हैं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा-निवृत अधिकारियों का मंत्रालय में आना

4208. **श्री सनत कुमार मण्डले** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री सेवानिवृत अधिकारियों के मन्त्रालय में आने के बारे में 5 मई, 1981 अतारांकित प्रश्न संख्या 9702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सेवा निवृत अधिकारियों का औषधि तथा सिन्थेटिक फाईबर उद्योग से सम्बद्ध अनुमान शाखाओं में निर्बाध रूप से आना जारी है और अपने पिछले प्रभाव तथा सम्पर्कों के कारण वे उनके कमरों तक पहुंचने में समर्थ जाते हैं,

(ख) क्या उनके निहित स्वार्थों को विकसित होने तथा औद्योगिक ग्रहों के यहां लाभ कर सेवा-निवृति पूर्व नौकरी की तलाश को रोकने के लिए किसी अनुभाग अधिकारी/डैस्क अधिकारी के अनुभाग/शाखा में कोई रोक लगाई गई है,

(ग) इन शाखाओं/अनुभागों में वर्तमान अधिकारी कब से कार्य कर रहे हैं और उन्हें न बदले जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ अधिकारी उन सेवा-निवृत अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके निवास स्थानों पर अपना सरकारी कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कचादार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आगन्तुकों को मन्त्रालय में अवर सचिव के ओहदे से नीचे के अधिकारियों को मिलना या जहां डेस्क/अनुभाग अधिकारी बैठते हैं वहाँ जाना वर्जित है।

(ख) और (ग) सामान्यतया जहां तक सम्भव हो, 3 वर्ष की अवधि के बाद क्रमवार स्थानान्तरण किया जाना अपेक्षित है। सिर्फ एक ही डैस्क अधिकारी सिन्थेटिक फाइबर उद्योग का काम देखते हैं और वे इस डेस्क में 1-4-1980 से है। औषध प्रभाग में दो अधिकारी तीन वर्ष से अधिक से उसी स्थान पर हैं। छोटा मन्त्रालय होने के कारण इन अधिकारियों के परिवर्तन की गुंजाइश सीमित है क्योंकि यदि किसी अधिकारी ने एक स्थान पर तीन साल पूरे कर लिए हैं तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे ने भी 3 वर्ष पूरे कर लिए हों। एक अधिकारी के स्थानान्तरण का अर्थ है कि दूसरे अधिकारी का भी स्थानान्तरण किया जाय जिन्होंने एक स्थान पर तीन साल पूरे नहीं किए हों।

(घ) इस मन्त्रालय को ऐसी कोई जानकारी नही है।

झालरापाटन (झालावाड़) में टैलीफोन प्रणाली को दुरुस्त रखना

4209. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें टेलीफोन प्रणाली को दुरुस्त रखने के बारे में झालरापटन (झालावाड़) के व्यापार-मण्डल से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) व्यापार संघ झालरा पाटन से टेलीफोन प्रणाली के सम्बन्ध में तारीख 18-8-1981 का एक आभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी जा रही है :- (1) एक तकनीशियन की नियुक्ति कर दी गई है; (2) 100 लाइनों के एम० ए० एक्स०-111 टाइप स्वचल एक्सचेंज को 100 लाइनों के सी०डी० स्वचल एक्सचेंज में बदलने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता निकाली जा रही है; (3) मौजूदा शुल्क दर के अनुसार झालर पाटन तथा झालावाड़ा के बीच एक यूनिट ट्रंक काल के लिए 1 रुपए का प्रभार न्यायोचित है; (4) चार टूटे हुए टेलीफोन उप यंत्रों को बदल दिया है। (5) लाइनों की अस्थायी फिटिंग को स्थायी बना दिया है (6) त्रुटिपूर्ण बिल तैयार करने का कोई स्पष्ट मामला नहीं दिया गया है जिसकी छान-बीन की जा सके, (7) झालरा पाटन से झालावाड़ के बीच ट्रंक काल मिलाने की औसत देरी आधे घंटे से कम है।

उड़ीसा में कोयले का विकास

4210. **श्री चिन्तामणी जैना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड ने उड़ीसा में कोयले के विकास के लिए उचित ध्यान नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के दो कोयला-क्षेत्रों को भुवनेश्वर या तालचेर या ब्रजराज नगर में मुख्यालय सहित कोल इण्डिया लि० की पृथक सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की है तथा यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। इस समय कोल इण्डिया लि० की एक अलग सहायक कम्पनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक राज्य में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या

4211. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक राज्य में प्रति वर्ष कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया; और

(ख) चालू वर्ष तथा भावी वर्ष के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या कार्यक्रम है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में विद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	ग्राम विद्युतीकरण निगम परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1978—79	407
1979—80	505
1980—81	243
	जोड़ : 1155

(ख) 1981—82 वर्ष के लिए 870 गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 680 गाँवों का विद्युतीकरण, कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है। अगले वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 1982—83 के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत 550 गांवों को बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव उक्त निगम का है।

प्रीतमपुरा में स्ट्रीट लाइट

4212. **श्री भीखा भाई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्हें मालूम है कि हालांकि पिछली विकास प्राधिकरण वर्ष 1979 में एक नई कालोनी उत्तर प्रीतमपुरा (प्रीतमपुरा आवासीय योजना) का विकास कर रहा है तथापि उसके ब्लाक बी, सी, डी, एच, के, एल और एम में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है तथा और वहां के निवासियों को बिजली के केवल अस्थाई कनेक्शन दिए गए हैं जिन्हें हर तीन महीने बाद स्वीकृत कराना पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मुख्य सड़कों तथा अन्दरूनी गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कब की जाएगी तथा इन ब्लाकों के निवासियों को बिजली के स्थाई कनेक्शन कब दिए जाएंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित की गई उत्तरी पीतमपुरा के विभिन्न पाकेटों में (न कि ब्लाकों में) स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सहित विभिन्न सामान्य विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :—

पाकेट—"बी" : घरेलू बिजली के कनेक्शन देने के लिए एल० वी० मेन लाइनों सम्बन्धी कार्य तथा स्ट्रीट लाइट सम्बन्धी कार्य सितम्बर, 1981 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

पाकेट—"सी", "डी", "एच", "के", "एल" और "एम"

यद्यपि बिजली की मेन लाइनें बिछाने का कार्य डेसू द्वारा हाथ में ले लिया गया है तथापि इसका पूरा होना मुख्यतः इन पाकेटों में भवन निर्माण की गतिविधियों पर निर्भर करता है ।

चूंकि भवन निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन पाकेटों में सामान्य विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्य अभी किया जाना है, बिजली के स्थाई कनेक्शन देना फिलहाल व्यवहार्य नहीं है । तथापि डेसू ने इस क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए बिजली के अस्थाई कनेक्शन दिए हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की उत्तरी पीतमपुरा आवासीय स्कीम को किसी पाकेट विशेष में बिजली के स्थाई कनेक्शन, उक्त पाकेट में सामान्य विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य पूरा हो जाने पर दिए जा सकेंगे ।

पुनर्वास बन्दोबस्त आयुक्त के पास विस्थापित व्यक्तियों के विचाराधीन मामलों की संख्या

4213. **श्री निहाल सिंह :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पुनर्वास बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय में विस्थापित व्यक्तियों के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा की जाती है और मूलत: ये मामले विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन मुआवजे के भुगतान से सम्बन्धित हैं। ऐसे सभी मामलों का पहले ही निपटान किया जा चुका है लेकिन 31.8.1981 तक मुआवजे के ऐसे मामलों की संख्या 928 थी जिन पर न्यायिक आदेशों/अभ्यावेदनों आदि के परिणामस्वरूप फिर से कार्यवाही की जानी है।

उन राज्यों के नाम जिन्होंने बिजली के उपकरणों का आयात करने की अनुमति माँगी है।

4214. **श्री डी०पी० जदेजा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने बिजली उत्पादन कार्यक्रम के लिए बिजली के उपकरणों का आयात करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति माँगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों ने विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए आयात सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव केन्द्र को प्रस्तुत किए हैं तथा जिन पर ऊर्जा मंत्रालय में विचार किया जा रहा है, उनमें असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

(ग) और (घ) इन प्रस्तावों की जांच विभिन्न दृष्टिकोणों से की जा रही है। इनमें, स्वदेशी निर्माण क्षमता की उपलब्धता, आयात किए जाने वाले उपस्करों के कार्य क्षेत्र आदि शामिल हैं। चूंकि ऊपर बताए गए कुछ प्रस्ताव केवल पूछताछ के रूप में ही हैं तथा ये ठोस प्रस्ताव नहीं हैं तथा प्राप्त हुए विभिन्न अन्य प्रस्तावों में आयात के कार्य-क्षेत्र को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अत: इनसे सम्बद्ध राशि आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा इन प्रस्तावों पर औपचारिक निर्णय ले लिए जाने के पश्चात ही उपलब्ध होगा।

क्योंझर स्थित चम्पुरा डाक घर इमारत का निर्माण

4215. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्योंझर जिले में स्थित चम्पुरा डाक घर इमारत की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था ?

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त चम्पुरा डाक घर इमारत का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त डाक घर इमारत के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 2,42,520/- रु०

(ख) 5.5.1979

(ग) जी हां ।

(घ) ठेकेदार ने महीनों काम रोके रखा ।

(ङ) 31.12.1981

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों पर सिन्धी भाषा के कार्यक्रम

4216. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेडियो तथा दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों में सिन्धी भाषा को कितने घंटे दिए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसे कार्यक्रमों के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) **आकाशवाणी** :

सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के निम्नलिखित केन्द्रों से उनके आगे दर्शाई गई अवधि के लिए प्रसारित किए जाते हैं :

बम्बई	60 मिनट प्रति सप्ताह
जयपुर	60 मिनट प्रति सप्ताह (अब 7.6.81 से बढ़ाकर 90 मिनट कर दिया गया है ।)
भुज	115 मिनट प्रति सप्ताह
भोपाल/इंदौर	30 मिनट प्रति सप्ताह
अहमदाबाद	30 मिनट प्रति दिन

उपरोक्त के अलावा, आकाशवाणी सिंधी में तीन समाचार बुलेटिन दिल्ली से प्रसारित करता है। इनमें से, दो बुलेटिन गृह सेवा के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं तथा एक विदेश सेवा के अन्तर्गत, गृह सेवा के अन्तर्गत बुलेटिन 10-10 मिनट की अवधि के लिए प्रातः 8.40 बजे और सायं 6.15 बजे प्रसारित किए जाते हैं और इनको अहमदाबाद, बड़ौदा, जयपुर, भुज और बम्बई केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है। विदेश सेवा के अन्तर्गत बुलेटिन सांय 5.35 बजे प्रसारित किया जाता है तथा इसकी अवधि 10 मिनट की है। यह पाकिस्तान के श्रोताओं के लिए प्रसारित किया जाता है।

दूरदर्शन :

जहाँ तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, दूरदर्शन केन्द्र इस समय एकल चैनल सेवा है। सिंधी भाषा में अलग चंक शुरू करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र अब भी "चेती चांद" जैसे विशेष कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं और प्रादेशिक फिल्म/चित्रहार चैक में सिंधी फिल्में और सिंधी फिल्मों के गीत भी टेलीकास्ट करते हैं।

(ख) आकाशवाणी, भुज से सिंधी कार्यक्रमों की अवधि में संभाव्य वृद्धि करने के अलावा, सिंधी भाषा को नाटकों और लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल करना आकाशवाणी की योजनाओं में से है।

एल०पी०जी० का आयात

4217. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल०पी०जी० का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान किस देश से किस दर पर कितनी एल०पी०जी० आयात की गई;

(ग) चालू वर्ष में कितनी एल०पी०जी० का आयात किया जाएगा और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या देश में एल०पी०जी० के भारी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार अगले वर्ष एल०पी०जी० आयात न करने पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ।

(ख) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान वास्तविक रूप में आयात की गई एल०पी०जी० की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा मि० मी० टनों में
1978-79	शून्य
1979-80	17040
1980-81	44844

एल०पी०जी० बुटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, 1979-80 और 1980-81 के दौरान जिनके मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

1979-80		(डालर्स/मि०मी० टन)
फरवरी 80 से	बूटेन	410 एफ०ओ०बी०
मार्च, 80	प्रोपेन	310 एफ०ओ०बी०
1980-81		
अप्रैल, 80 से	बूटेन	365 एफ०ओ०बी०
मई, 80	बूटेन	390 सी०एण्ड एफ०
नवम्बर, 80	बूटेन	350 सी० एण्ड एफ०
से जनवरी, 81		
फरवरी, 81	बूटेन	380 सी०एण्ड एफ०

जिन देशों से एल०पी०जी० का आयात किया गया था, उनके नाम बताना जन-हित में नहीं होगा।

(ग) अप्रैल 1981 के दौरान, हम पहले ही 5882 मि० मी० टन ब्रटेन का आयात कर चुके हैं, दिसम्बर 1981-फरवरी 1982 के दौरान हमें एल०पी०जी० का भी 10 से 15,000 मि० मी० टन और आयात करना पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा राशि का बाहर भेजा जाना उस समय प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करेगा।

(घ) देश में एल०पी०जी० के बढ़े हुए उत्पादन के साथ, 1982-83 के दौरान, एल०पी०जी० का आयात करना जरूरी नहीं होगा।

अंतरिक्ष अभियान के मामले में भारत की सफलता के बावजूद दोषी संचार व्यवस्था

4218. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एपल" की अंतरिक्ष यात्रा के मामले में हमारे वैज्ञानिकों को भारी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस सफलता के बावजूद हमारी संचार व्यवस्था के पर्याप्त हिस्से के खराब होने अथवा इसमें व्यवधान पड़ने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। एप्पल उपग्रह की भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापना अन्तरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है।

(ख) हमारे देश में संचार व्यवस्था मुख्यत: भौमिक माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जिसमें सूक्ष्म तरंग तथा भूमिगत केबुल, दोनों शामिल हैं। इन माध्यमों पर विषम

मौसम तथा मानवकृत गड़बड़ियों से प्रभाव पड़ सकता है। 'एपल' की स्थापना से यह सम्बद्ध नहीं है।

दूरदर्शन के लिए तैयार किए गए वृत्त-चित्रों में नई प्रतिभा का उपयोग

4219. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों की नितांत अवहेलना करके दूरदर्शन के लिए वृत्त-चित्र तैयार करने के ठेके दूसरों के साथ-साथ मशीन टूल व्यापारियों को दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्क्रिप्ट और निदेशक चयन की प्रणाली के अभाव में दूरदर्शन के लिए छोटी फिल्म बनाने के लिए प्रतिभा को कोई मान्यता नहीं दी जाती है; और

(ग) कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के सम्बन्ध में और नई प्रतिभा की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) कार्यक्रम के स्तर में सुधार लाने और उनमें उपयुक्त परिवर्तन करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। यह प्रयास बराबर चलता रहता है। कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम संक्षेप में इस प्रकार है :—

(1) "आप के लिए", "लोक मंच" जैसे नए कार्यक्रम रूपों को विकसित किया गया है।

(2) "परिक्रमा" में एक नई श्रृंखला शुरू की जा रही है जिसमें जन सुख-सुविधाओं और लोगों द्वारा उनके विवेकपूर्ण उपयोग पर बल होगा।

(3) 2 अक्तूबर से "वन्य जीवन श्रृंखला" दिखाई जाएगी।

(4) तुलनात्मक धर्मों, बच्चों के लिए विज्ञान, पुलिस और लोगों पर विशेष श्रृंखलाएं तैयार की जा रही हैं।

(5) दूरदर्शन के लिए लम्बे नाटक, प्रख्यात निर्माताओं द्वारा दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण, राज्यों पर दूरदर्शनों फीचरों का निर्माण, हल्का फुलका मनोरंजन श्रृंखला का निर्माण जैसी विशेष योजनाओं के अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों को समृद्ध बनाने के लिए बाहरी प्रतिभा का उपयोग किया जा रहा है।

(6) दूरदर्शन पर वार्षिक सुगम संगीत प्रतियोगिता करने की एक नई योजना तैयार की गई है।

(7) कार्यक्रमों के निर्माण में रत दूरदर्शन के अपने कर्मचारियों की निपुणता को आधुनिक बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

जहां तक नई प्रतिभा की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का सम्बन्ध है, नई प्रतिभा की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए व्यापक स्वर परिक्षण प्रक्रियाएं हैं। दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रत्येक केन्द्र पर छानबीन की जाती है और जिनको दूरदर्शन माध्यम के लिए उपयुक्त समझा जाता है, उनको स्वर/स्क्रीन परीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार, दूरदर्शन फिल्मों, फीचरों, शृंखलाओं, डाकुमेंट्रियों के निर्माण पर विचार करने के लिए विस्तृत निर्देश हैं जिनके अंतर्गत इस प्रकार के अनुरोधों की विभिन्न अवस्थाओं पर पहले केन्द्रों पर एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा छानबीन की जाती है और तत्पश्चात् उनको महानिदेशालय के विचारार्थ और मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

"बम्बई हाई" से अशोधित तेल के उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश का प्रावधान

4220. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "बम्बई हाई" और इसके आस पास के तेल वाले क्षेत्र से अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के कार्यक्रम को गति देने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और अतिरिक्त पूंजी निवेश की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और तेल खोज कार्यक्रम में इस अतिरिक्त पूंजी निवेश सहित कुल कितना परिव्यय होगा; और

(ग) हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई तथा उपग्रह क्षेत्रों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

राजस्थान में एल० पी० जी० एजेंसियां खोलना

4221. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने 1980-81 में राजस्थान में एल० पी० जी० कुकिंग गैस की एजेंसियां कहां कहां खोली; और

(ख) वर्ष 1981-82 में नई एजेंसियां किन स्थानों के लिए स्वीकृत हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, कोई नहीं। तथापि तेल कम्पनियों ने अपने वर्ष 1980-81 के कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान में 15 खाना पकाने की गैस एजेंसियां नियुक्त करने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ख)

जयपुर	भिलवाड़ा	सवाई माधोपुर
अलवर	बीकानेर	उदयपुर
पाली	बारमेड़	टोंक
गंगानगर	व्यापर	कोटा
सिरोही	भरतपुर	डूंगरपुर
माउंट आबू	बांसवाड़ा	चित्तौड़गढ़
जोधपुर	बुंदी	नागपुर
अजमेर	सिकार	जैसलमेर
जल्लौर	चुरू	

उपकरण मशीन आदि खरीदने के लिए आदेश

4223. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपकरण मशीन आदि खरीदने से सम्बन्धित कितने आदेश भारत सरकार के पास अद्यतन विचाराधीन हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांग पत्र कब कब प्राप्त हुए थे;

(ख) इस पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चार बसों की डिलीवरी दी गई थी, लेकिन सहायक निदेशक, नौवहन, कलकत्ता ने इस बसों को वहां भेजने के लिए अब तक जहाज पर नहीं चढ़ाया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है, और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त मांगपत्रों पर दिए गए

आदेशों की सप्लाई की प्रगति पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में समय-समय पर एक निश्चित अवधि के बाद आयोजित विशेष बैठकों के माध्यम से विचार किया जाता है, जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

(ग) जी, हां। कलकत्ता के रेलवे प्राधिकारियों से उन बसों की निकासी लेते समय कलकत्ता के सहायक निदेशक, नौवहन ने यह देखा कि वे बसें क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। फर्म को उन बसों की आवश्यक मरम्मत करने के लिए राजी किया गया है, और इस कार्य को पूरा करने में एक मास का समय लग जाने की संभावना है।

उड़ीसा की लोक संस्कृति पर फिल्में बनाना

4224. **श्री के० प्रधानी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की लोक संस्कृति पर फिल्में बनाने के लिए फिल्म्स डिवीजन को सलाह देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) उड़ीसा की लोक संस्कृति पर फिल्मों की शूटिंग करने के लिए फिल्म प्रभाग को सलाह देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिल्म प्रभाग ने अपनी सामान्य गतिविधियों के अंग के रूप में भूतकाल में उड़ीसा की लोक संस्कृति, नृत्यों, कला, शिल्प, पुरातत्वीय स्मारकों तथा भूमि और लोगों पर फिल्में बनाई हैं। भारत के लोक नृत्यों, जिनमें पूर्वी क्षेत्र के लोक नृत्य भी शामिल हैं, पर फिल्में भी निर्माणाधीन हैं। फिल्म प्रभाग की कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्र को कवर करने के लिए) तथा बंगलौर (दक्षिण क्षेत्र को कवर करने के लिए) में 16 मि० मि० की दो फिल्म निर्माण यूनिटें स्थापित करने की योजनागत स्कीम भी है। पूर्वी क्षेत्र का निर्माण केन्द्र, अन्य फिल्मों के साथ-साथ, उड़िया में भी फिल्में बनाएगा जिनमें उड़ीसा की लोक संस्कृति भी शामिल हो सकती है।

भारतीय पोस्टल इम्प्लाईज यूनियन महाराष्ट्र सर्किल बम्बई का अभ्यावेदन

4225. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या संचार मंत्री भारतीय पोस्टल इम्प्लाइज यूनियन महाराष्ट्रसर्किल के अभ्यावेदन के बारे में 16 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग इस बीच समय में पुनरीक्षण करने की मांग पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) निर्णय शीघ्र लेने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र से, डी० जी० एस० एंड डी० रेट कंट्रोल के अधीन, सूची में शामिल करने के लिए आवेदन-पत्र

4226. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की फर्मों, कम्पनियों तथा लोगों को अपने उत्पाद डी० जी० एस० एण्ड डी० रेट कंट्रोल के अधीन सूचीबद्ध कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने आवेदकों ने गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए आवेदन किया और इनके आवेदनों के आवेदनों के आधार पर कितने उत्पाद अनुमोदित किए गए ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, छः फर्मों ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जिनमें से पाँच को पंजीकृत कर लिया गया है । एक विवरण संलग्न है, जिसमें ये ब्यौरे दिए गए हैं – फर्मों के नाम, वे उत्पाद जिनके लिए वे पंजीकृत हैं, तथा वे फर्में जिन्हें पंजीकृत नही किया जा सका है ।

विवरण

क्र० सं०	फर्म का नाम	उत्पादों के नाम, जिनके लिए पंजीकृत है ।
1	2	3
1.	मैसर्स विल्डवर्थ लिमिटेड, स्टील वर्थ बिल्डिंग' जी० एस० रोड, दीसपुर, गोहाटी	(1) ट्यूवलर स्ट्रक्चर, (2) जीप ट्रेलर्स, (3) स्टील ट्यूवलर पोल्स
2.	मैसर्स फर्न्टियर टिम्बर प्रोडक्ट्स, पोस्ट बाक्स नं० 29, डिगवोई, आसाम	इमारती लकड़ी

1	2	3
3.	मैसर्स वुडलैन्ड्स एन्टरप्राइज, टिंगराई, हूजरिंजन रोड, स्युपुर, तिनसुखिया	इमारती लकड़ी
4.	मैसर्स महावीर राइस एण्ड स्टील सा मिल, डाकघर टंगला, दरंग, आसाम	—वही—
5.	मैसर्स गोयल सा मिल, अनन्दपाड़ा, डाकघर डिगबोई, आसाम	—वही—
6.	मैसर्स आसाम फ्रन्टियर फोरेस्ट्स प्रोडक्ट्स, 16/2, कैनाल ईस्ट रोड, कलकत्ता (कारखाना-लुपविंग, आसाम)	इस फर्म को पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि यह फर्म आयकर शोधन-पत्र, बैंकर का नाम वेलेन्सशीट, साझा-पत्र तथा अन्य दूसरे दस्तावेज प्रस्तुत न कर सकी। फर्म की क्षमता रिपोर्ट भी अनुकूल नहीं थी।

एशियाई खेलों के दौरान कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर टावर-कम-रिवोलविंग रेस्टोरेंट की स्थापना

4227. **बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1982 वर्ष के दौरान एशियाई खेलों में कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए एक नया उच्च शक्ति ट्रांसमीटर टावर-कम-रिवोलविंग रेस्टोरेंट स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कितनी लागत आएगी;

(घ) इसका कार्य कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा; और

(ङ) इस उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे): (क) से (ङ) दिल्ली में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के अंग के रूप में, दिल्ली टी० वी० ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 कि० वा० से बढ़ा कर 20 कि० वा० करने और एंटीना की सहायता के लिए एक दर्शक दीर्घा के साथ 235 मीटर का एक आर० सी० सी० टावर बनाने का प्रस्ताव है। इससे दूरदर्शन की सेवा परिधि 90 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी जिसमें 25,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आएगा। प्रारम्भिक प्राक्कलनों से यह पता चलता है कि लागत लगभग 251 लाख रुपए होगी। टावर को एशियाई खेलों के शुरू होने से पहले लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह कार्य सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध द्वारा किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में ब्रांच पोस्ट आफिसों, पब्लिक काल आफिसों और तारघर खोलना

4228. **श्री मति लाल हंसदा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने ब्रांच पोस्ट आफिस, पब्लिक काल आफिस और तार घर खोले जाएंगे; और

(ख) तत्सम्बन्धी जिला वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) शाखा डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा तार घर वर्ष प्रतिवर्ष एक निरन्तर प्रक्रिया के वतौर तथा वार्षिक योजना लक्ष्यों के अन्तर्गत खोले जाते हैं। छठी योजना की समस्त अवधि के दौरान प० बंगाल में खोले जाने वाले कुल डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन घरों और तार घरों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान प० बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 74 शाखा डाकघर खोले गए हैं। 1981-82 के दौरान 97 नए शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

1980-81 के दौरान खोले गए तथा 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों का जिला वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना अवधि के दौरान 500 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं संयुक्त डाकघर खोले जाएंगे।

विवरण

प० बंगाल में 1980-81 के दौरान खोले गए शाखा अनुबंध डाकघरों तथा 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले शाखा डाकघरों के जिला वार ब्यौरे

	जिला	1980-81	1981-82
1.	बाँकुरा	5	2
2.	बर्दवान	1	4

	जिला	1980-81	1981-82
3.	बीरभूम	1	6
4.	कूचबिहार	6	3
5.	दार्जिलिंग	3	4
6.	हावड़ा	1	3
7.	हुगली	2	4
8.	जलपाईगुड़ी	1	3
9.	मालदा	2	3
10.	मुर्शीदाबाद	5	3
11.	मिदनापुर	8	9
12.	नादियाद	2	5
13.	पुरुलिया	13	7
14.	पश्चिम दीनाजपुर	2	16
15.	24 परगना	22	14
		74	97

राज्य में सिनेमाघरों का निर्माण

4229. **श्री अनादि चरण दास :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न राज्यों में और अधिक संख्या में सिनेमाघरों को बनाने के लिए प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और राज्य फिल्म विकास निगम के माध्यम से ऋण दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उड़ीसा में राज्य फिल्म विकास निगम और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से कुल कितने सिनेमाघरों के लिए ऋण स्वीकृत हुआ है;

(घ) उड़ीसा के किन स्थानों पर इन सिनेमाघरों का निर्माण कार्य चल रहा है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सिनेमाघरों का निर्माण निजी क्षेत्र में है और यह विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह निजी उद्यमियों को सिनेमाघरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सीमित ऋण उपलब्ध कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा फिल्म विकास निगम के साथ एक समझौते के अन्तर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने उड़ीसा फिल्म विकास निगम की गारन्टी पर 7 ऋण मंजूर किए हैं। उड़ीसा फिल्म विकास निगम द्वारा अपनी ओर से प्रदान किए गए ऋणों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से भुवनेश्वर तलचर, जैपोर, कटक और बालासोर में सिनेमघर बन रहे हैं।

(ङ) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	स्थान	ठिकाना	(लाख रुपयों में) मंजूर की गई राशि	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	राशि का हिस्सा बैंक
1	2	3	4	5	6	7
1.	केसरी टाकीज प्रा० लि०	भुवनेश्वर	शहरी	7.50	3.75	3.75
2.	बसन्त मंजरी प्रधान	तलचर	अर्ध शहरी	3.00	1.50	1.50
3.	आशुतोष महापात्र	भुवनेश्वर	शहरी	7.30	3.65	3.65
4.	इन्दुमती नायक	जैपोर	अर्ध शहरी	3.00	1.50	1.50
5.	भिखारी चरणदास	कटक	शहरी	7.50	3.75	3.75
6.	अन्नपूर्णा चित्र मंदिर	बालासोर	शहरी	4.66	2.33	2.33
7.	भूयान काम्पलैक्स	बालासोर	शहरी	7.50	3.75	3.75
8.	बैलारनी प्रा० लि०	भुवनेश्वर	शहरी	7.50	3.75	3.75
			कुल :	47.69	23.98	23.98

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति

4230. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों) में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी काउंसेलों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े समुदायों के सरकारी काउंसेलों की संख्या क्या है; और

(ग) इस समय इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी काउंसेलों में महिलाओं की संख्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उच्चतम न्यायालय में मेरे मन्त्रालय के तीन विधि अधिकारी अर्थात् महान्यायवादी, महासालिसिटर और अपर महासालिसिटर और प्रारूपण कार्य आय-कर मामलों के लिए काउंसेलों का पैनल, बहस करने वाले वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता हैं। मुम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में मेरे मंत्रालय के पास काउंसेलों के पैनल हैं जो कई प्रवर्गों में विभाजित हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए हमारे पास वरिष्ठ काउंसेल का एक पैनल, केन्द्रीय सरकार के दो स्थाई काउंसेल और सरकारी प्लीडरों का एक पैनल है। मद्रास उच्च न्यायालय के लिए हमारे पास वरिष्ठ काउंसेलों का एक पैनल, एक वरिष्ठ स्थाई काउंसेल और अपर स्थाई काउंसेलों का एक पैनल है। अन्य उच्च न्यायालयों में मेरे मंत्रालय ने स्थाई काउंसेल और अपर स्थाई काउंसेल नियुक्त किए हैं जिनकी संख्या उच्च न्यायालय विशेष में मुकदमा सम्बन्धी कार्य की मात्रा पर आधारित होती है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं तथा उनमें से महिला अधिवक्ताओं की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जाएगी। जहाँ तक पिछड़े समुदायों के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की तैयार की गई किसी मान्यता प्राप्त और सामान्यतया स्वीकृत सूची के अभाव में, मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों पर आधारित जानकारी जहाँ तक उपलब्ध है इकट्ठी की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि स्थाई काउंसेलों/पैनल काउंसेलों की नियुक्तियां उनकी सत्यनिष्ठा, क्षमता और बार में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर की जाती हैं न कि समुदाय के आधार पर। काउंसेलों से उनके समुदाय की बाबत कोई बात नहीं पूछी जाती और तदनुसार इसका कोई अभिलेख नहीं रखा जाता कि काउंसेल किस समुदाय के हैं।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का चेयरमैन

4231. **श्री के०ए० राजन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री डी० आर० सिक्का, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का सेवा काल 30 जून, 1981 को पूरा हो गया था और औपचारिक रूप से सेवा अवधि बढ़ाए गए बिना वे अब भी नौकरी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें अब तक कार्यमुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड को उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमति

4232. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड को उसका औषधियों का उत्पादन बढ़ाने तथा 30 और औषधियों का उत्पादन करने की अनुमति दी है, और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक उत्पादक एकक में किन-किन औषधियों के उत्पादन के लिए अनुमति दी गई है और उनकी कितनी मात्रा है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) सरकार ने बल्क औषधों और कई फार्मूलेशनों के निर्माण हेतु क्षमताओं में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए हैं ।

(ख) बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के लिए हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेन्सों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

उत्पाद	लाइसेंस संख्या और मंजूरी की तिथि	लाइसेंसीकृत क्षमता प्रतिवर्ष
(क) **बल्क औषधें :**		
1. पेनिसिलिन	सी०आई०एल० 156(78) दि० 4 अगस्त, 1978	80 से 160 एम०एम०यू०
2. स्ट्रेप्टोमाइसिन	सी०आई०एल० 14(79) दि० 29 जनवरी, 1979	85 से 170 टन
3. एम्पिसिलिन सहित अर्ध सिंथेटिक पेनिसिलिन	सी०आई०एल० 271(79) दि० 14 दिस० 1979	5 से 35 टन
4. जेण्टामाइसिन सल्फेट	सी०आई०एल० 63(80) दि० 6 मार्च, 1980	1000 कि० ग्रा०
(ख) **फार्मूलेसन्स**		
जेण्टामाइसिन सल्फेट	सी०आई०एल० 136(78) दि० 11.7.78	200 किलो
रिफामपिसिन और सेफलिस्पेरिन्स		
कैप्स्यूल्स	सी०आई०एल० 86(79)	183 लाख स० *
वियल्स	28 अप्रैल, 1979	60 ,, ,, *
गोलियां		46 ,, ,, *
सिरप		2 ,, ,, *

		अतिरिक्त	विस्तार के पश्चात
वियल्स —	सी०आई०एल० 220(79) 27 सितम्बर, 1979	1208 लाख सं०	1740 लाख सं०
केपस्यूल्स	-वही-	1591.64 ,,	1771.64 ,,
गोलियाँ	-वही-	9095.00 ,,	9275.00 ,,
अम्पूल्स	-वही-	488.00 ,,	488.00 ,,
ओयंटमेंट ट्यूब	-वही-	1013.00 ,,	1013.00 ,,
पेय शर्बत की बोतलें	-वही-	4805.00 ,,	4805.00 ,,

*600 कि० ग्राम रिफाम्पिसिन और 3000 कि० ग्रा० सेकालोस्पोरिन्स तथा सेफालोक्सिन, सेफालोथिन और सेफालोरिडाइन जैसे इसके डेरिवेटिव्ज के बराबर ।

औद्योगिक लाइसेंस (जारी)

†उपरोक्त निम्नलिखित एन्टीबायोटिक्स औषधों पर आधारित है।

उत्पाद	लाइसेंस संख्या और तिथि	अपेक्षित क्षमता प्रति वर्ष
1	2	3
1. पेनिसिलिन		60 एम०एम०यू०
2. एरिथरोमाइसिन		19 टन
3. स्ट्रेप्टोमाइसिन		60 टन
4. एम्पीसिलिन और अर्ध सिंथेटिक पेनिसिलिन		12 टन
5. क्लोरमफेनीकोल		25 टन
6. विटामिन सी		62.5 टन
7. नियोमाइसिन, केनामाइसिन और जेण्टामाइसिन जैसे एमिनोग्लाइको साइडिक एण्टीबायोटिक्स		18.0 टन
वियल्स और अम्पूल्स		
एड्रिमाइसिन वियल्स 10 मि०ग्रा०	सी०आई०एल० 137(79) 7 जुलाई, 79	50,000 संख्या
क्लोमाइसिन वियल्स 10 मि०ग्राम	-वही-	50,000 संख्या
मिट्रोमाइसिन वियल्स 2 मि०ग्रा०	-वही-	2.5 लाख सं०
केप्स्यूल्स		
डिआक्सीसाइक्लीन कैपस्यूल्स 100 मि०ग्रा०	-वही-	100 लाख सं०
क्लोरमफेनीकल कैपस्यूल्स 250 मि० ग्रा०	-वही-	600 लाख सं०
टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड कैपस्यूल्स 250 मि० ग्रा०	-वही-	1000 लाख सं०
क्लोरमफेनीकोल+स्ट्रेप्टोमाइसीन कैपस्यूल्स 125 मि०ग्रा० प्रत्येक	-वही-	600 लाख सं०

1	2	3
गोलियां		
एरिथरोमाइसिन स्टीरेट गोलियां 250 मि०ग्रा०	-वही-	600 लाख सं०
क्लोरोक्वीन फास्फेट गोलियाँ 250 मि०ग्रा०	-वही-	600 लाख सं०
ट्राइमेथोक्रिम+सल्फामेथाक्साजोल गोलियाँ सहित 80 मि०ग्रा० ट्राइमेथोप्रिम और 400 मि० ग्रा० सल्फामेथाक्साजोल	-वही-	100 लाख सं०
160 मि०ग्रा० ट्राइमेथोप्रिम और 800 मि० ग्रा० सल्फा-मेथोक्सागोल वाली ट्राइमेथो-प्रिम+सल्फामेथाक्साजोल गोलियाँ	-वही-	50 लाख सं०
अमेडियाक्वीन एच०सी०एल० गोलियाँ	-वही-	1001 लाख सं०
सस्पेंसन		
क्लोरमफेनीकोल-स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रत्येक 4 मि०ली० तैयार सिरप को जिसमें 125 मि० ग्रा० क्लोरमफेनिकोल और स्ट्रेप्टो-माइसिन 125 मि०ग्रा० है	-वही-	100 लाख सं०
एरिथरोमाइसिन सस्पेंसन— प्रत्येक 5 मि० लि० एरिथरो-माइसिन 100 मि०ग्रा० दर्शाता है। (एरिथरोमाइसिन इथाइल सक्सीनेट के रूप में)	-वही-	100 लाख सं०
क्लोरमफेनीकोल पामीटेट सस्पेंशन प्रत्येक 4 मि० लि० क्लोरमफेनीकोल 125 मि०ग्रा० रखता है।	-वही-	100 लाख सं०

1	2	3
डोक्सीसाइक्लीन सस्पेंशन—प्रत्येक मि०लि० डाइक्सीसाइक्लीन का 50 मि० ग्रा० रखता है ।	-वही-	100000 बोतलें
इन्सुलिन प्लेन इंजेक्शन 40 यूनिट प्रति मि० लि०	आई०एल० 49/79 20 सितम्बर, 79	10 लाख वायल्स 10 मि०लि० प्रत्येक
सिपराइजीन एडीपेट गोलियां 300 मि० ग्रा०	सी०आई०एल० 279(79) दि० 21 दिसम्बर, 79	13 लाख संख्या
क्लोरोप्रोमाइजीन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ 25 मि० ग्रा०	-वही-	9 लाख संख्या
एमीनोफाइलिन गोलियां 100 मि०ग्रा०	-वही-	1 लाख संख्या
मिबिन्डाजोल गोलियां--100 मि०गाम	-वही-	30 लाख संख्या
फोलिक एसिड गोलियाँ--5 मि०ग्राम	-वही-	360 लाख सं०
पी०ए०एस० सोडियम गोलियाँ— 500 मि०ग्राम	-वही-	38 लाख स०
आई०एन०एच० गोलियां— 50 मि०ग्राम	-वही-	190 लाख स०
आई०एन०एच० गोलियां — 100 मि०ग्राम	-वही-	85 लाख सं०
एनलजीन गोलियां —500 मि०ग्राम	-वही-	100 लाख सं०
सल्फामिडीन गोलियां 500 मि०ग्राम	-वही-	1 लाख सं०
इथाम्बटोल गोलियां—200 मि०ग्राम	-वही-	45 लाख सं०
मिट्रोनिडाजोल गोलियाँ— 100 मि०ग्राम	-वही-	41 लाख सं०
मिट्रोनिडाजोल गोलियां— 200 मि०ग्राम	-वही-	2 लाख सं०
एमोक्सीलिन कैपस्यूल्स— 200 मि०ग्राम	-वही-	8 लाख सं०
क्लोक्सासिलिन कैपस्यूल्स— 250 मि०ग्राम	-वही-	30 लाख सं०
सल्फासेटामाइड 300 मि०ग्राम/ मि०लि० 10 मि०लि० बोतलें	-वही-	2.5 लाख बोतलें

1	2	3
सल्फासीटामाइड 100 मि०ग्राम/ मि०लि० 10 मि०लि० बोतलें	-वही-	25 लाख बोतलें
पिपराजाइन साइट्रेट सिरप— 450 मि०लि० बोतलें	-वही-	25 लाख बोतलें
थियोफाइलिन सिरप 110 मि०लि० बोतलें	-वही-	5 लाख बोतलें
ओक्सीटेट्रासाइक्लीन एनमिल फार्मूला 25 मि०ग्रा० पाकेट	सी०आई०एल० 278(79) दि० 21 दिसम्बर, 79	2.00 लाख
आक्सीटेट्रासाइक्लीन इंजी० फार्मूला 40 मि०ग्रा० पाकेट	-वही-	2.00 लाख
स्ट्रेप्टोमाइसिन विटा इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोकेन पेनिसिलिन सोडियम रेनिसिलिन	-वही-	2.00 लाख
पेनिसिलिन वेटरनरी इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन सोडियम पेनिसिलिन	-वही-	2.00 लाख
सल्फाडिमिडाइन गोलियां 5 ग्राम	-वही-	3.50 लाख
आक्सीटेट्रासाइक्लीन गोलियां 0.5 ग्रा०	-वही-	72.00 लाख
एन्टीबायोटिक्स इन्फ्यूजन 10 मि०लि० मेस्ट्रीक ट्यूब के लिए, एरिथरोमाइसिन प्रीडीवीलोन, नियोमाइसिन	-वही-	2.40 लाख
पिपराजाइन हेक्सा हाइड्रेट तरल 100 मि०लि० से	-वही-	0.8 लाख
पिपराजाइन हेक्सा हाइड्रेट तरल 500 मि०लि० से	-वही-	0.8 लाख
पिपराजाइन हेक्सा हाइड्रेट तरल 4.5 लिटर से	-वही-	0.4 लाख
फिनोथिजिन पाउडर आधा कि०ग्रा०/ एक कि०ग्रा०	-वही-	2.0 लाख
क्वीनेपाइरेमाइन 2.5 ग्रा०	-वही-	2.0 लाख
डिक्लोरफेन गोलियां 0.5 ग्राम	-वही-	2.0 लाख

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों के पैनल में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध अधिकारियों के नामों को सम्मिलित न किया जाना।

4233. **श्री आर० आर० भोले :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अवर सचिव/उप-सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा के 16 अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया था और उन सभी अधिकारियों को उस रूप में खपा लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी अधिकारी को न तो पैनल में शामिल किया गया था और न ही उसे अवर सचिव/उप-सचिव के रूप में खपाया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रेड तीन के 150 अधिकारियों को ग्रेड एक में पदोन्नत किया गया था और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक भी अधिकारी शामिल नहीं था;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा में पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी रोस्टरों का नियमानुसार रख रखाव किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) कार्मिक विभाग ने उप सचिव स्तर के पदों के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा के 16 अधिकारियों का पैनल बनाया है जिनमें से केवल एक अधिकारी को ही उप सचिव के रूप में खपाया गया है। कार्मिक विभाग ने अवर सचिव स्तर के पदों के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा के 15 अधिकारियों का पैनल बनाया है और उनमें से किसी को भी अभी तक खपाया नहीं गया हैं।

(ख) जी, नहीं। उप सचिव स्तर के पदों के पैनल में अनुसूचित जाति के 4 और अनुसूचित जनजाति के 2 अधिकारी शामिल हैं। अवर सचिव स्तर के पदों के पैनल में अनुसूचित जाति के 2 अधिकारी शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नियमों में केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड 3 से ग्रेड 1 में पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है। तथापि अनुसूचित जाति के 16 अधिकारियों तथा अनुसूचित जनजाति के 7 अधिकारियों सहित ग्रेड-3 के 102 अधिकारियों को हाल ही में केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-2 मे पदोन्नत किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जहां केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति की जाती है, आरक्षण नियमों का विधिवत् पालन किया जाता है।

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए सरकारी विज्ञापनों की दरें

4234. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए जनवरी, 1981 से लागू सरकारी विज्ञापनों की दरों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान सरकार द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) इस राशि में से छोटे, मध्य और बड़े समाचार पत्रों को कितनी-कितनी राशि दी गई ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी के ऐसे समाचार पत्रों की भाषावार संख्या का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की चालू विज्ञापन दरें समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था के गहन अध्ययन के बाद किए गए मानकीकृत दर ढांचे पर आधारित हैं।

(ख) सरकार द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से 1980-81 के दौरान विज्ञापनों पर खर्च की गई कुल राशि 3,50,55,546/- रुपए थी।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्गीकृत और सजावटी विज्ञापन (संयुक्त)

1980-81 (1.4.80 से 31.3.81 तक)

भाषा	बड़े				मझोले				छोटे			
	समाचार पत्रों की संख्या	निवेशनों की संख्या	स्थान कालम से०मी० में	राशि	समाचार पत्रों की संख्या	निवेशनों की संख्या	स्थान कालम से०मी० में	राशि	समाचार पत्रों की संख्या	निवेशनों की संख्या	स्थान कालम से०मी० में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंग्रेजी	31	13,676	330148	7713493	47	13931	349965	2587030	253	11239	403674	1638685
हिन्दी	38	7,714	250609	3783204	77	7027	316344	2185433	631	16196	829759	2918095
उर्दू	4	243	12145	90298	13	2649	97166	561122	287	10016	487221	1542095
पजाबी	1	391	14965	121745	7	642	33822	202719	95	2761	126973	473138
सिंधी	—	—	—	—	1	29	1582	8888	16	603	35904	125823
गुजराती	14	1,887	84286	1016347	23	1197	71896	431915	59	2108	103362	350470
मराठी	14	2,017	86990	1088069	19	2516	104731	614719	122	2429	142124	476036
बंगला	5	584	20826	778086	9	1932	69745	392525	145	2464	146873	488777
मणिपुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	3	240	16200	45573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असमिया	—	—	—	—	5	665	28861	193406	16	453	37325	141128
उड़िया	1	378	16871	158018	1	309	18856	119950	25	695	37058	149342
तमिल	12	800	33893	632387	33	1686	59836	412825	54	979	41860	120554
तेलगू	16	857	41095	512012	19	672	27465	199866	56	1272	64766	229718
मलालम	15	1206	65916	1261697	23	1000	57049	332753	39	790	37317	136883
कन्नड़	7	1350	62766	612738	6	67	2948	18740	38	894	49041	142064
मिरे और खारे	—	—	—	—	—	—	—	—	12	309	18665	44874
कौणी	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	1917	6037
संस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	6	57	3670	11269
कुल	158	31103	1020510	17768094	283	34322	1240266	8246891	1859	53530	2583709	904056

बी० सी ० सी० एल० द्वारा वितरित किया गया कोयला

4235. **श्री रणजीत सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० सी० सी० एल० की कोयला वितरण सम्बन्धी नीति ऐसी है कि वितरित किए जाने वाले कोयले में आधा कोयला धुलाई वाला होता है और शेष आधे में ग्रेड सी० (आर० ओ० एम०) स्लैक ग्रेड डी० का कोयला होता है;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि लोहा पट्टी कोयला खान, धनबाद से कुछ लोगों को ग्रेड सी० (आर० ओ० एम०) का कोयला दिया गया है; और

(ग) ऐसा कोयला किन किन लोगों को और किन-किन कारणों से दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) भा० को० को० लि० में इस समय जो स्टाक है उसका बहुत बड़ा भाग घटिया वाशरी किस्म का है। इन घटिया किस्म के कोयलों के विपणन की दृष्टि से भा० को० को० लि० और को० ई० लि० के केन्द्रीय विपणन संगठन ने उन उपभोक्ताओं को इसे देने के लिए एक नीति विषयक निर्णय लिया है जो खुली बिक्री वाली खानों से बिना किसी रोक के कोयला लेते हैं। इस निर्णय के आधार पर घटिया किस्म का वाशरी ग्रेड का कोयला और सी० तथा डी० ग्रेड के अच्छे किस्म के कोयले इन्हें बराबर-बराबर मात्रा में दिए जाएंगे।

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी में सहायक निदेशक के रिक्त पदों को भरे जाने में विलम्ब

4236. **श्री राम लाल राही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में सहायक निदेशकों के कुछ रिक्त पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने वाले चयन में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) और (ख) पदों को पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से 3:1 के अनुपात में भरा जाना होता है। पदोन्नति के कोटे के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशासित पैनल को प्रभावी बनाए जाने से पहले उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है, और सीधी भर्ती के कोटे के लिए, संघ लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया है जिसमें आवेदन-पत्र मांगे गए हैं।

मृत ग्राहकों के टेलीफोनों का उत्तराधिकारियों के नाम स्थानान्तरण

4237. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मृत ग्राहकों के टेलीफोन उनके उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित नहीं किए जाते हैं जो कुछ संगठनों के पदाधिकारी हैं और ये टेलीफोन 30 से 40 वर्ष पूर्व उन संगठनों के पदाधिकारी होने के कारण स्वीकृत हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) पिछले कई दसाब्दियों से जिनके नाम टेलीफोन हैं ऐसे मृत ग्राहकों के उत्तराधिकारियों के नाम टेलीफोन बनाए रखने के लिए क्या सरकार इस नियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) और (ख) कोई टेलीफोन जो मूलतः किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर स्वीकृत हुआ है जो किसी संगठन या पदधारक है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी वारिस को अंतरित किया जा सकता है । परन्तु अगर टेलीफोन संगठन के नाम में स्वीकृत हुआ था और उस व्यक्ति के परिसर में स्थापित किया गया था तो नियमों के अंतर्गत कानूनी वारिस को उसका अंतरण करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(ग) उपयुक्त (क) और (ख) को दृष्टिगत करते हुए जी नहीं ।

दूरदर्शन कैमरा मैनों और दूरदर्शन प्रोड्यूसरों को प्रशिक्षण दिया जाना ।

4238. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कैमरामैनों और "दूरदर्शन प्रोड्यूसरों" को "एशिया 82" से पहले प्रशिक्षण के लिए विदेशों को भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रशिक्षण किन स्थानों पर और कब दिया जाना प्रस्तावित हुआ है;

(ग) क्या प्रशिक्षण के लिए जाने वाले कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) और (ख) जी, हां । इस प्रयोजन के लिए जुलाई/अगस्त, 1981 में पश्चिम जर्मनी में भेजे गए 24 अधिकारियों के एक दल के अलावा, निम्नलिखित में प्रशिक्षण के लिए इस समय दो प्रस्ताव हैं :—

(1) एशियन पैसेफिक इन्स्टीट्यूट फार ब्राडकास्टिंग डिवेलैपमेंट, कुआलालम्पुर (5 से 30 अक्तूबर, 1981 तक); और

(2) नोर्ड ड्यूस्चर रूंडफंक, हमबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य (तारीखें अभी निश्चित की जानी हैं)।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपरिउल्लिखित दो प्रशिक्षणपा ठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों का चयन अभी नहीं किया गया है।

तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य सूची में रखी गई दिल्ली की पश्चिम क्षेत्र की बस्तियां

4239. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पश्चिम क्षेत्र में ऐसी कौन सी बस्तियां हैं जो टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य सूची में हैं;

(ख) इन बस्तियों को तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य सूची में रखने के क्या कारण हैं;

(ग) जनवरी, 1981 से पश्चिम क्षेत्र में कितने कनेक्शन स्वीकृत किए गए लेकिन तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य के कारण नहीं लगाए गये; और

(घ) ये कनेक्शन किस तिथि तक लगेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) ब्यौरा कृपया विवरण में देखें।

(ख) भूमिगत केबल युग्मों में क्षमता की कमी के कारण।

(ग) 1012.

(घ) 1981 के अन्त तक संस्थापित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि आवश्यक भंडार उपलब्ध हो सके।

विवरण

पश्चिम क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं।

एक) शक्ति नगर

1. मगोलपुरी-सरस्वती विहार
2. त्री नगर
3. लारेंस रोड

4. अशोक विहार फेस-I
5. अशोक विहार फेस-II
6. अशोक विहार फेस-III
7. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
8. बुरेरी गांव
8. जहांगीरपुरी, अशोक विहार
10. मुखर्जी नगर
11. गुजरांवाला टाउन

दो) राजौरी गार्डन

1. अजय इन्क्लेव, तिहाड ब्लाक 4,6,7,15,17,१,16,8,
सुभाष नगर, डी० डी०ए० एम० आई० जी० राजौरी गार्डन, बी० ई० ब्लाक हरि नगर,
एफ० एण्ड बी० ब्लाक, हरी नगर, बी० एल० ब्लाक हरि नगर,
2. बी० ब्लाक जनकपुरी, शिव नगर, जी० ब्लाक हरि नगर,
3. ब्लाक जे०-3, जे०-5, जे०-7, जे०-12, राजौरी गार्डन,
4. एल० आई० जी०, एम० आई० जी० डी० डी० ए० मायापुरी, ब्लाक डब्ल्यू० एण्ड डब्ल्यू० एस०
मायापुरी, डी०-1, डी०-2 ब्लाक मायापुरी,
5. विष्णु गार्डन, ख्याला, चाँद नगर, विकासपुरी,
6. शिवाजी पार्क,
7. न्यू मुल्तान नगर,
8. रिजर्व बैंक कालोनी पश्चिम विहार
9. पंजाबी बाग रोड नं० 61 व 62 (पश्चिम)
10. भगवान दास नगर,
11. रोड नं० 14, पंजाबी बाग,
12. रोड नं० 32, पंजाबी बाग
13. बी० ब्लाक, राजौरी गार्डन, सी० ब्लाक मानसरोवर गार्डन, डब्लू० एच० एस० कीर्ति नगर, रमेश नगर,
14. डी० ई० ब्लाक टैगोर गार्डन, बी० ब्लाक रघुवीर नगर, एफ० बी० और सी० ए० ब्लाक टैगोर गार्डन,

15. ब्लाक सी० एवं एफ०, कीर्ति नगर,

16. डब्ल्यू० जेड० 81/ए० कीर्ति नगर, ब्लाक 4 कीर्ति नगर, इंडस्ट्रियल एरिया

17. 69 एन० जी० रोड नं० 24, 62, एन० जी० रोड 39,

18. डी० ई० एफ० जी० नरैना,
सी० बी० एरिया नरैना
डब्ल्यू० जैड० एरिया नरैना,

तीन) करौल बाग

1. आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, टैंक रोड, करोल बाग, रामजस रोड, न्यू रोहतक रोड, रहगड़पुरा और सत नगर, अपर आनन्द पर्वत, इन्द्रपुरी, नरैना और एस० तथा वाई० ब्लाक लोहा मण्डी, रणजीत नगर, शादीपुर, खामपुर, बल्जीत नगर, डी० एफ० एच०, ब्लाक पश्चिम पेटेल नगर,

चार) दिल्ली छावनी तथा जनकपुरी सहित बाह्य एक्सचेंज

दिल्ली कैंट : सैनिक अस्पताल, सामालखी, राजोकरी, टापस खेड़ा, गुड़गांव रोड, मही पालपुर और पालम कालोनी उत्तम नगर, रामदत्त पार्क, जीवन पार्क, अशोक मार्किट, राज रानी मार्किट आदि

जनकपुरी : बादली, कोपीपुरा, खेड़ाकलां, सामपुर आदि,
और

बाह्य एक्सचेंज : नांगलोई, पीरा गढ़ी, डी० एस० आई०, इंडस्ट्रीयल काम्लेक्स,
मीरा बाग, सुन्दर विहार, नजफगढ़ मण्डी, गाँव आदि बाजार,

परम्परागत टेलीफोन उपकरणों के स्थान पर पुश 6 बटन टेलीफोनों को लागू करना

4240. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परम्परागत टेलीफोन उपकरणों के स्थान पर चुनींदा स्थानों पर पुश-बटन टेलीफोन लागू करने के लिए निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो परम्परागत टेलीफोन उपकरणों की तुलना में पुश-बटन टेलीफोनों के लाभ क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि लघु उद्योगों के लिए विकास-आयुक्त द्वारा लाइसेंस दिए गए कुछ एक 'इलेक्ट्रानिक्स डायलर्स' बना रहे हैं, जिन्हे पुश-बटन टेलीफोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पुश-बटन टेलीफोनों में प्रयोग के लिए अपने ही देश में निर्मित 'इलेक्ट्रानिक डायलर्स' को उपयोग में लाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी पत्रिका समूह के उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान नहीं है।

4241. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी पत्रिका समूह में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान नहीं है;

(ख) उन लिपिकों/टाइपिस्टों की संख्या क्या है, जिन्होंने हिन्टी में टाइप की परीक्षा पास कर ली है; और

(ग) यदि सभी ने टाइप की परीक्षा पास नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) बाइस।

(ख) दस।

(ग) 24 लिपिकों में से 10 हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित हैं। "नभोवाणी" "वनोली", "वाणी", "आकाशी" और "बेतार जगत" हिन्दीतर पत्रिकाएं हैं और इन पत्रिकाओं से सम्बद्ध 9 लिपिकों से हिन्दी में टाइप करने या पत्र-व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती। हिन्दी पत्रिकाओं से सम्बद्ध 5 लिपिकों को हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इंगलिश और हिन्दी की साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के नाम ।

4242. **श्रीमती प्रमिला बंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी तथा हिन्दी की विभिन्न साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और उनमें औसतन कितने पृष्ठ होते हैं;

(ख) प्रत्येक पत्रिका के लिए अलग-अलग कितने सम्पादकीय कर्मचारी मंजूर किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक पत्रिका के सम्पादन कार्य की सहायता के लिए कितने क्लर्क और टाइपिस्ट नियुक्त हैं; और

(घ) क्या हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्रिकाओं के कर्मचारियों के मामले में परस्पर कोई भेदभाव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

मंजूर और कार्यरत सम्पादकीय कर्मचारी सहायक लिपिकीय कर्मचारी

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	आवधिकता	औसत पृष्ठ	मुख्य संपादक	संपादक	संवाददाता	सहायक संपादक	उपसंपादक	वैयक्तिक सहायक	कनिष्ट आशुलिपिक	लिपिक ग्रेड-2/अवर श्रेणी लिपिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अंग्रेजी											
1.	इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू	पाक्षिक	28+ कवर	1	—	—	2	1	2	—	1
2.	कुरुक्षेत्र	-तथैव-	-तथैव-	—	1	—	2	1	—	1	—
3.	योजना	-तथैव-	32+ कवर	1*	1	1	2	1	2	1	1

* मुख्य सम्पादक "योजना" के सभी संस्करणों का प्रमुख है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	एम्पलायमेंट न्यूज	साप्ताहिक	24	1** 1 (महाप्रबन्धक-व-मुख्य संपादक)		—	—	—	2	2	)))	दोनों के लिए साझे
हिन्दी												
5.	एम्पलायमेंट न्यूज ***(रोजगार समाचार)	साप्ताहिक	24	—	—	—	1	1	—	—	4))	
6.	बाल भारती	मासिक	56+ कवर	—	1	—	—	2	—	—	1	
7.	कुरुक्षेत्र	मासिक	32+ कवर	—	—	—	1	1	—	1	1	
8.	आजकल	मासिक	48+ कवर	—	1	—	1	1	1	—	1	
9.	योजना	पाक्षिक	32+ कवर	—	1	—	1	1	1	1	1	

*** रोजगार समाचार "हिन्दी" एम्पलायमेंट न्यूज (अंग्रेजी) का अनुवाद मात्र है।

** महाप्रबन्धक-व-मुख्य सम्पादक एम्पलायमेंट न्यूज के सभी संस्करणों का प्रमुख है।

[लोक सभा के 15.9.81 के अतारांकित प्रश्न सं० 4243]

आदिवासी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव

4.43. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालयों को राज्यों से आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की कौन सी योजनाएं राज्यवार मंजूर की गई हैं तथा वर्ष 1981-82 में कौन सी योजनाएं मंजूर की जाएंगी;

(ग) देश में कुल कितने आदिवासी खंडों को अब तक, राज्यवार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है, और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे अब तक की स्वीकृत विद्युतीकरण योजनाओं को समय पर पूरा करें तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में 36.53 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 72 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतिकरण निगम ने स्वीकृत की हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान (अगस्त, 1981 के अन्त तक) आदिवासी क्षेत्रों में 9.76 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 19 और ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें निगम ने स्वीकृत की हैं। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त 31 जुलाई, 1981 की स्थिति के अनुसार 33 स्कीमों की या तो निगम में जांच की जा रही थी अथवा संशोधन हेतु राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के पास लम्बित पड़ी थी। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण दो में दिया गया है।

(ग) स्वीकृत की गई आदिवासी स्कीमों के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण तीन में दी गई है। सामान्यत: प्रत्येक स्कीम में एक अथवा एक से अधिक ब्लाक आते हैं।

(घ) अभी तक अगस्त, 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई स्कीमों के पूरा हो जाने पर 36,973 गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना है। ये स्कीमें पाँच वर्ष तक की अवधि में कार्यान्वित की जानी होती है। मार्च, 1981 के अन्त तक इन स्कीमों के अन्तर्गत 11,804 गांव विद्युतिकृत हो गए हैं। ये स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग ग्राम विद्युतिकरण निगम द्वारा की जा रही है और ऊर्जा मन्त्रालय समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करता है। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि वे इन परियोजनाओं को पूरा करने में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाएं।

विवरण-1

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1980-81 और 1981-82 (31-8-1981 तक) के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	1980-81			1981-82 (31-8-81 तक)		
		स्कीमों की संख्या	ऋण राशि (लाख रु० में)	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि (लाख रु० में)	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3	202	212	—	—	—
2.	असम	4	314	302	—	—	—
3.	बिहार	9	462	657	—	—	—
4.	गुजरात	6	343	564	1	39	43
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
6.	कर्नाटक	1	14	19	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	10	571	892	7	423	798
8.	महाराष्ट्र	5	159	191	1	32	54
9.	मणिपुर	1	66	94	2	136	53

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मेघालय	5	160	180	—	—	—
11.	नागालैण्ड	2	152	53	—	—	—
12.	उड़ीसा	2	118	251	2	101	63
13.	राजस्थान	4	330	386	—	—	—
14.	त्रिपुरा	8	208	111	1	10	22
15.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	12	534	829	5	235	328
	जोड़	72	3633	4741	19	976	1361

विवरण-2

31-7-1981 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतिकरण निगम में जांच की जा रही/राज्य बिजली बोर्ड के पास संशोधन के लिए लम्बित पड़ी आदिवासी क्षेत्रों की स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तालुका)	जिला
1	2	3
	बिहार	
1.	इर्की ब्लाक	रांची
2.	गारु और माहदानर ब्लाक	पालामाऊ
3.	कामदारे ब्लाक	रांची
4.	रायडिह और चांदपुर	राँची
5.	मोहनपुर और गोयलकेरे	सिंहभुम
6.	नामकुप (खिरजरी)	राँची
7.	पाउकुरिया	संथाल परगना
8.	काथीकुण्ड	संथाल परगना
9.	बुरमु ब्लाक	राँची
	मध्य प्रदेश	
10.	मालखाराडा ब्लाक	बिलासपुर
11.	मुंगेली और आयरमी ब्लाक	बिलासपुर
12.	देवसर ब्लाक	सीधी
	राजस्थान	
13.	आसपुर विद्युत केन्द्र	डुंगरपुर
14.	डुंगरपुर विद्युत केन्द्र	डुंगरपुर
	असम	
15.	हागलौंग ब्लाक	एन०सी० हिल्स
16.	नवगांव-9	नवगाँव
17.	सिलचर	कछार
18.	बैथलांगी	कारबी आँगलोंग

1	2	3
19.	गोसाइगांव	गोयल
20.	मनकानार-1	गोयल
	उड़ीसा	
21.	बिशरा	सुन्दरगढ़
22.	कोरकुंडा	कोरापुर
23.	गोलपुण्डा	कालाहान्डी
24.	रोरुअन	मयुरभंज
25.	नवगांव	सब्बलपुर
26.	सुन्दरगढ़ टांगारपल्ली	कोरापुर सुन्दरगढ़
27.	चन्द्रपुर	कोरापुर
28.	जूनागढ़	कालाहाण्डी
29.	गुनपुर	कोरापुर
30.	पटना	क्योंझर
31.	सीमीलीगुडा	कोरापुर
32.	नवगांव	फुलबानी
33.	खाजूरीपाडा	फुलबानी

विवरण-3

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में 31.8.1981 तक) स्वीकृत की गई स्कीमों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या 31.8.1981 की स्थिति के अनुसार
1	2	3.
1.	आंध्र प्रदेश	34
2.	असम	15
3.	बिहार	44
4.	गुजरात	23
5.	हिमाचल प्रदेश	8

1	2	3
6.	कर्नाटक	2
7.	मध्य प्रदेश	117
8.	महाराष्ट्र	27
9.	मणिपुर	6
10.	मेघालय	38
11.	नागालैण्ड	10
12.	उड़ीसा	82
13.	राजस्थान	22
14.	त्रिपुरा	19
15.	उत्तर प्रदेश	2
16.	पश्चिम बंगाल	45
	जोड़	494

टिप्पणी : प्रत्येक स्कीम में एक अथवा एक से अधिक ब्लाक आते हैं।

एक टेलीफोन को काटने और फिर से जोड़ने के बीच की अवधि के लिए किराया प्रभार

4244. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक टेलीफोन काटने और पुनः जोड़ने की अवधि के लिए किराया प्रभार प्रयोक्ता से वसूल किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के प्रभार का क्या आधार है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रयोक्ता से उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है, लिया गया किराया फालतू होता है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ, यदि टेलीफोन देय रकम की गैर-अदायगी के कारण कटा है।

(ख) एवं (ग) संदर्भित टेलीफोन से सम्बद्ध उपस्कर के लिए प्रतिकर देना है अन्यथा उक्त उपस्कर को किसी अन्य टेलीफोन कनेक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता था।

गुजरात में मेहसाना और पालनपुर मंडलो में टेलीफोन कनेक्शन

4245. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मेहसाना और पालनपुर मण्डलों में कितने ऐसे मामले हैं जिनमें गत एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्षों से कनेक्शन नहीं दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं और ये कनेक्शन्स कब तक दे दिए जायेंगे;

(ख) उक्त दोनों मण्डलों में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें ओ०वाई०टी० योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करवाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को भी टेलीफोन कनेक्शन्स समय पर नहीं दिए गए हैं जिन्होंने निर्धारित समयावधि के दौरान धन राशि जमा करवा दी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उन मामलों की संख्या जिनमें पिछले एक, दो या तीन वर्षों से कनेक्शन नहीं दिए गए :

(1) मेहसाना डिवीजन	: एक वर्ष	—	267
(तार)	दो वर्ष	—	100
	तीन वर्ष	—	शून्य
(2) पालनपुर डिवीजन	एक वर्ष	—	371
(तार)	दो वर्ष	—	232 एवं
	तीन वर्ष	—	102

मेहसाना, पाटन, वलोल, ऊझा, विस्नगर एवं दीसा जैसे बड़े एक्सचेंजों में क्षमता की कमी तथा कुछ अन्य एक्सचेंजों में लाइन भण्डारों तथा सामग्री की कमी के कारण टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके। मौजूदा प्रतीक्षा सूची के कनेक्शन 1984-85 तक उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने की आशा है।

(ख) मेहसाना डिवीजन : 25
(तार)
पालनपुर डिवीजन : 14
(तार)

(ग) जी नहीं। जमा राशि की अदायगी के पश्चात् कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिवों और स्टाफ कलाकारों को पदोन्नति के अवसर

4246. **श्री छांगुर राम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अंतर्गत आकाशवाणी के ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिवों को कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव से महानिदेशक तक के पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टाफ कलाकारों को भी सामान्य सहायक से चीफ प्रोड्यूसर तक के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध है;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में दिए गए वर्ग के लिए पदोन्नति के नियम अभी भी लागू हैं जबकि उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए वर्ग से सम्बन्धित नियम रद्द कर दिए गए हैं जिनके परिणाम स्वरूप अधिकांश आर्टिस्ट और प्रोडक्शन सहायक एक ही पद पर गत 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और रिक्तयां विज्ञापनों के माध्यम से भरी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हाँ । स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं । पदोन्नति के अवसर हैं अर्थात प्रोड्यूसर से उप मुख्य प्रोड्यूसर/मुख्य प्रोड्यूसर तक ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित श्रेणी के पदोन्नति के बारे में नियम अभी लागू हैं और इनको वापस नहीं लिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कैमरामैनों का बारी-बारी से भेजा जाना

4247. **श्री किस्टोफर एक्का :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन निदेशालय ने वर्ष 1981 में इलैक्ट्रानिक कैमरा यूनिट और फिल्म कैमरा यूनिट में कैमरा-मैनों को बारी बारी से एक दूसरे में भेजने से सम्बन्धित कोई आदेश जारी किए थे;

(ख) उक्त आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आदेश को कार्यान्वित किया गया है और उस पर अब तक अमल हो रहा है; और

(घ) क्या कैमरा मैनों को वरिष्ठता के आधार पर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में

भेजा जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1981 और अप्रैल, 1981 में जारी किए गए क्रमावर्तन आदेशों का मोटा ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) संबन्धित क्षेत्रों के दूरदर्शन केन्द्रों के निदेशकों द्वारा तैयार किए जाने वाले रोस्टरों के अनुसार फिल्म कैमरामैनों और इलैक्ट्रोनिक कैमरामैनों के बीच बारी-बारी आधार पर नियमित विनिमय होना चाहिए ।

(2) निदेशकों को अधिक से अधिक दो या तीन उन कैमरामैनों, जिनकी फिल्मिंग में विशिष्टता प्राप्त हो तथा जो अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कवर करने का कार्य दिए जाने हेतु काफी वरिष्ठ हो, को निश्चित करना चाहिए । इस प्रकार निश्चित किए गए कैमरामैन रोस्टर में इस विनियम में नही होंगे ।

(3) फिल्म कैमरामैनों को, उनको छोड़ कर जिन्हें अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कवर करने के लिए निश्चित किया गया है, रोस्टर के क्रम में चार वर्गों में बांटा जाना चाहिए । प्रत्येक वर्ग का हर 6 महीने में इलैक्ट्रोनिक कैमरामैनों की समान संख्या के साथ विनिमय किया जाना चाहिए ।

(4) जो कैमरामैन दूरदर्शन में आने से पहले फिल्म कैमरामेन नहीं थे किन्तु किसी अन्य विभाग में थे और जिन्होंने इलैक्ट्रोनिक कैमरों को संचालित करने की निपुणता हासिल कर ली है, ऐसे इलैक्ट्रोनिक कैमरामैनों को क्रमावर्तन से बाहर रखा जाना चाहिए ।

(5) विनिमय की पूरी श्रृखला लगभग 2 वर्ष लेगी । तत्पश्चात रोस्टर को दोबारा दोहराया जाएगा ।

(6) पहला विनिमय 1.3.1981 को होना होना चाहिए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस प्रकार के मामलों में व्यक्तियों की अभिरुचि और योग्यता तथा कार्य के स्वरूप को मुख्य प्राथमिकता दी जानी होती है ।

देश में उत्पादित क्लोरमफैनिकोल के मूल्य का अनुमोदन

4248. **श्री चन्द्रपाल सिंह :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यहीं उत्पादित क्लोरमफैनिकोल का और प्रारम्भिक अवस्थाओं से प्राप्त ईस्टरों का कितना मूल्य अनुमोदित किया गया है,

(ख) उपरोक्त रसायन को बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले पायरिडाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य रसायनों का बाजार में क्या भाव है,

(ग) क्या यह सच कि ऐसे कच्चे माल के मूल्य, जिनके आधार पर देश में उत्पादित क्लोरमफैनिकोल और इसके ईस्टरों के मूल्य अनुमोदित किए गए हैं, बढ़ गए हैं, और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि मूल्य अनुमोदन से पहले बाजार के वास्तविक मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) सरकार ने क्लोरमफेनीकल पाउडर, भूतपूर्व बेन्जलडिहाइड का मूल्य 7 अक्टूबर, 1980 से रु० 644 प्रति किलोग्राम नियत किया है। क्लोरमफेनिकल पाउडर पर आधारित क्लोरमफेनिकल पालमिटेड और क्लोरमफेनीकल सोडियम सक्सीनेट का मूल्य क्रमशः 679.50 प्रति किलोग्राम और रु० 1024.45 प्रति किलोग्राम नियत किया गया है।

(ख) से (घ) बल्क औषधों के मूल्य अपनाने से पूर्व सम्बद्ध मदों के लिए क्रय सूची की जांच करके औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो कच्चे मालों के मूल्यों की जांच करती है। इस उद्देश्य के लिए सप्लाई के सामान्य स्रोत से काफी मात्रा में खरीदे गए कच्चे माल की मात्रा को मान्यता दी जाती है और इसके बल्क औषधों के लिए उचित मूल्य तय करने में कच्चे मालों को उचित बाजार मूल्य एक आधार बनता है। क्लोरमफेनीकल और इसके ईस्टरों के निर्माण के लिए अनेक कच्चे मालों/रसायनों की आवश्यकता होती है। क्लोरमफेनीकलप ालमिटेड के निर्माण में पाइरीडीन का प्रयोग होता है और क्लोरमफेनीकल पालमिटेड का वर्तमान मूल्य पाइरीडीन के रु० 79.29 प्रति किलोग्राम के प्रेषित मूल्य पर आधारित है। पाइरीडीन ग्रेड I के निर्माता मैसर्स बार्नर हिन्दुस्तान लि० ने इस मद का मूल्य 24 अगस्त, 1981 से प्रभावी रु० 80.00 प्रति किलोग्राम सूचित किया है जो बिक्री कर, अन्य स्थानीय करों और परिवहन लागत आदि के अतिरिक्त है। क्लोरमफेनीकल और इसके ईस्टरों का मूल्य तैयार करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए रु० 1.85 प्रति किलोग्राम की दर अपनायी गई है। क्लोरमफेनीकल और इसके इस्टरों के निर्माण में अन्य अनेक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों की वर्तमान बाजार दर तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी प्लीडरों के लिए नियत फीस

4249. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र के लिए, राज्यवार सरकारी प्लीडरों के लिए नियमों और विनियमों तथा नियत फीस का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मेरे मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ और कनिष्ठ पैनल काउंसेल, दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ काउंसेल, मुंबई और कलकत्ता उच्च न्यायलयों में पैनल काउंसेल, अन्य उच्च न्यायालयों में जिनमें गोवा में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय भी है, स्थायी काउंसेल और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और सिकंदराबाद के नगर सिविल न्यायालयों में और दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के प्लीडरों के निबंधन इसके साथ संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2832 81] विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए राज्य सरकार के प्लीडरों को सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार की ओर से उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उन्हें वही फीस दी जाती है जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विहित नियमों के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है।

आगरा के विक्रेताओं द्वारा मथुरा को एल० पी० जी० की सप्लाई

4250. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री दिगम्बर सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** मथुरा में एल० पी० जी० वितरण एजेंसियां खोलने के बारे में 25 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मथुरा में गैस एजेंसी न होने के कारण गैस कनैक्शन धारी आगरा से एल०पी० गैस सिलेण्डर प्राप्त कर रहे हैं जिससे उन्हें अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता है और गैस सिलेण्डर आने में बहुत समय लग जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम का आगरा एजेंट सशस्त्र सेना के ऐसे कर्मचारियों और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो स्थानान्तरण पर मथुरा में तैनात होते हैं यह सुविधा नहीं देता है और यदि हाँ, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वे भारतीय तेल निगम के आगरा स्थित एजेंन्ट को ऐसे अनुदेश जारी करेंगे कि वह स्थानान्तरण पर मथुरा में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस स्थान से उस समय तक एल० पी० जी० की सप्लाई लेने की अनुमति दें जब तक कि मथुरा की एजेंसी कार्य करना शुरू नहीं कर देती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आगरा के इण्डेन गैस वितरकों द्वारा मथुरा के ग्राहकों को कोई गैस कनैक्शन नहीं दिये जाते हैं। यह सम्भव है कि कुछ ग्राहक आगरा में कनेक्शन लेने के पश्चात उसे अपने जोखिम और लागत पर वितरकों की जानकारी के बिना ही मथुरा ले गये हों।

(ख) जी, हां। ऐसा इसलिए है कि आगरा के वितरकों को अपनी श्रेणियों के भेद भाव बिना मथुरा के ग्राहकों का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

(ग) विपणन क्षेत्र से बाहर जहां वितरक ग्राहकों के स्थानों में भरा हुआ सिलेण्डर लगाने और खाली सिलेण्डर हटाने की स्थिति में नहीं है, कनैक्शन देना प्रचलित नीति के अनुरूप नहीं होगा।

भारत कोकिंग कोल द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध चार्ज-शीट को विज्ञापित कराने पर खर्च की गई धनराशि

4251. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 1 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान, महीने-वार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने श्रमिकों के विरुद्ध चार्ज-शीट को विभिन्न समाचार पत्रों, दैनिक पत्रों और साप्ताहिक पत्रों में विज्ञापित कराने के लिए कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) इसी अवधि में चार्ज-शीट को विज्ञापित करने के लिए किन समाचार पत्रों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में चार्ज-शीट विज्ञापित करने का यह खर्च आवश्यक था; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में जाँच कराने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा-शर्तें सम्बन्धी नियम

4252. **श्री मनोहर लाल सैनी :**
श्री वीरभद्र सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री के० लकप्पा :
श्री एच० एन० नन्जेगौडा :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित कोई भर्ती नियम, 1935 से ही नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त भर्ती नियमों के न होने के कारण दिल्ली न्यायालयों के कर्मचारी "चयन ग्रेड" की सुविधा से वंचित है; और

(ग) उक्त भर्ती नियमों को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है और दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को कब तक "चयन ग्रेड" दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) (ख) और (ग) उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि दिल्ली के अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित कोई भर्ती नियम 1935 से नहीं हैं। इस समय दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को वे नियम लागू होते हैं जो पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खण्ड I के अध्याय 18-क में दिये गए हैं और जो दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 द्वारा उन पर लागू किए गए हैं। बहरहाल दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए नियमों का प्रस्ताव किया है और उसने उन नियमों का एक प्रारूप भी भेजा है। किन्तु प्रारूप नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के प्रश्न के अलावा दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" काडरों में चयन ग्रेड के पदों के सृजन के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली प्रशासन के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

वैशाली जिले के अन्तर्गत रघुपुर प्रखण्ड का विद्युतीकरण

4253. **श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के वैशाली जिले का रघुपुर प्रखंड गंगा नदी के क्षेत्र में आता है।

(ख) क्या उक्त प्रखंड में अब तक बिजली नहीं लगाई गई है;

(ग) क्या उक्त प्रखंड के गाँवों और मुख्याल। में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगाई जायेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि उक्त (क) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उक्त प्रखंड में कुल कितने गांव हैं और उनमें से कितने गांवों में अब तक बिजली लगाई गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राघोपुर ब्लाक में 41 गाँव हैं। 41 गांवों में से अब तक विद्युतीकृत हुए गाँवों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने बिहार में वैशाली जिले के विभिन्न ब्लाकों में 481 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 2.67 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 10 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में से एक स्कीम में 82 गांव आते हैं, जिसमें मुख्यत: कृषि पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए हाजीपुर, देसरी, लालगंज, राघोपुर, महुआ और गोरौल ब्लाकों के 18 गैर विद्युतीकृत गांव तथा 64 विद्युतीकृत गांव आते हैं। उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत आए राघोपुर ब्लाक में एक गाँव विद्युतीकृत किए जाने का तथा 30 पम्पसेटों को ऊर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।

स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राधोपुर ब्लाक को शामिल करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें जैसे ही बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी, ग्राम विद्युतीकरण निगम उनके लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने पर विचार करेगा।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के विरुद्ध अभ्यावेदन

4254. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया नेशनल, प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लि० एम्पलाइज फेडरेशन द्वारा प्रधान मन्त्री के नाम दिनांक 20 जुलाई, 1981 का कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अभ्यावेदन में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कुछ शीर्षस्थ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) आल इण्डिया नेशनल प्रोडक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि० एम्पलाईज फेडरेशन से दिनांक 20 जुलाई, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस अभ्यावेदन में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। अभ्यावेदन में उठाए गए मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।

स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तें

4255. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए गत दो वर्षों से क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या प्रोड्यूसरों तथा संगीतज्ञों जैसे विशेषज्ञों की विभागाध्यक्षों के रूप में नियुक्ति की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट इस समय संविदा कर्मचारी हैं तथा उन्हें लगभग वही सुविधाएं प्राप्त हैं जो

नियमित सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हैं। इनको नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने तथा इन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, पेंशन के लाभों के लिए पात्र बनाने तथा सीनियर प्रोड्यूसरों के अतिरिक्त पदों का सृजन करके प्रोड्यूसरों की श्रेणी के लिए पदोन्नति के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के बारे में सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा, विद्यमान असंगतियों, प्रगतिरोध, यदि कोई हो, शुल्कों के युक्तिकरण की गुंजाइश, आदि की जांच करने के लिए एक अन्त: विभागीय संवर्ग पुनरीक्षण समिति का भी गठन किया गया है यह समिति कई बैठकें कर के सभी श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के प्रतिनिधियों को अपनी मांगों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने के लिये अवसर प्रदान कर चुकी है।

(ख) और (ग) प्रोड्यूसर तथा संगीतकार संविदा कर्मचारी हैं। जब कि प्रोड्यूसरों को मुख्य रूप से कार्यक्रमों की आयोजना बनाने तथा उनको तैयार करने लिए रखा जाता है, संगीतकार कुल मिलाकर परफारमिंग आर्टिस्ट होते हैं। संविदा कर्मचारी होने के कारण इनको "कार्यालय प्रमुखों" के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता।

ग्राम स्यालना, पट्टी डबरालसुई पो०ओ० देवलीखेत, जिला पौड़ी गढ़वाल में ब्रांच पोस्ट आफिस का खोलना

4256. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979 में ग्राम स्यालना पट्टी डबरालसुई पो० ओ० देवलीखेत, जिला पौढ़ी गढ़वाल में ब्रांच पोस्ट आफिस स्वीकृत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सुदूर क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए डाक तार विभाग द्वारा की गई उपेक्षा का क्या कारण है; और

(ग) वहां पर कब तक पोस्ट आफिस खुलेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि वर्ष 1979 मे स्यालना गांव के लिए एक शाखा डाक घर मंजूर किया गया था। इस गांव हेतु डाक घर की मंजूरी 10 9.80 को दे दी गई थी।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान डाक घर नहीं खोला जा सका क्योंकि उच्च प्राथमिकता के अन्य स्वीकृत प्रस्ताव भी थे जिन्हें उक्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत रखा जाना था।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष, 1981-82 के दौरान उक्त गांव में डाक घर के खोले जाने की संभावना है।

त्रिपुरा में बारमुरा के स्थान पर छिद्रण कार्य

4257. **श्री अजय विश्वास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के एक वर्ग में त्रिपुरा में बारमुरा स्थित चार कूपों में 5000 मीटर की लक्षित गहराई को पूरा करने के कार्य में फिर से टाल-मटोल करनी शुरू कर दी है और विभिन्न बहाने बनाकर छिद्रण कार्य भी रोक दिया है;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि बारमुरा में जब ऐसी बातें हो रही हैं तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का एक दल सोवियत संघ की सहायता से सफलतापूर्वक 5000 मीटर की लक्षित गहराई तक छिद्रण कर रहे हैं और वे रूखिया में एक विशाल गैस संयंत्र पहले ही प्राप्त कर चुके हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार लक्षित गहराई तक छिद्रण करने में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की बार-बार असफलता के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) त्रिपुरा में बारामूरा संरचना में ओ०एन०जी०सी० ने अब तक पांच कुओं के व्यधन कार्य को पूरा कर लिया है। इन कुओं में से किसी भी कुएं की प्रायोजित गहराई 5,000 मीटर नहीं थी। ये कूए ओ०एन०जी०सी० द्वारा जान बूझकर प्रायोजित गहराइयों के पहुंचने से पूर्व व्यधन संचालनों को रोकने के कारण नहीं बल्कि डाउनहोल जटिलताओं तथा कठिन व्यधन परिस्थितियों के कारणों से प्रोयोजित गहराइयों तक नहीं खोदे जा सके थे।

(ख) त्रिपुरा में अधिकांश समस्त कुओं में सामने आई व्यधन समस्याओं के कारण, कुछ चुने हुए क्षेत्रों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, त्रिपुरा में रोखिया संरचना में स्थित कुआं संयुक्त रूसी-भारतीय दल द्वारा खोदा जा रहा है। इस कुएं की प्रायोजित गहराई 5 000 मीटर है। जब तक कुआ पूरा नहीं कर लिया जाता और विस्तृत रूप से उत्पादन परीक्षणों को नहीं किया जाता, कुएं में हाईड्रोकार्बन्स को प्राप्त करने की संभावनाओं के बारे में कुछ कहना इस समय संभव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

मणिपुर में बिजली की कमी से प्रभावित उद्योग

4258. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्युत उत्पादन में भारी कमी के कारण

मणिपुर में छोटे और मध्यम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उत्पादन आदि में रुकावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) मणिपुर की ऊर्जा की वर्तमान आवश्यकता 3.6 मिलियन प्रति मास है जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता 3.55 मिलियन यूनिट प्रति मास है। राज्य में विद्युत की यह कमी बहुत ही नगण्य है। मणिपुर में विद्युत की कोई अधिसूचित कटौती/प्रतिबन्ध नहीं है और डीजल जनरेटरों से कम उत्पादन होने या असम/मेघालय प्रणालियों से कम सप्लाई होने के कारण जब भी विद्युत की कमी होती है तब फीडरों को बन्द करके यह कमी पूरी कर ली जाती है।

(घ) नोंगईगाँव ताप विद्युत केन्द्र से और हाल ही में चालू किए गए मोबाइल गैस टर्बाइनों से मणिपुर को अतिरिक्त विद्युत की सप्लाई करने के लिए असम सहमत हो गया है। 132 के०वी० दीमापुर इम्फाल लाइन, जिसके जरिए 12 जून, 1981 से विद्युत का स्थानान्तरण हो रहा है जब सुस्थिर हो जाएगी तथा इम्फाल उप-केन्द्र चालू हो जाएगा तब मणिपुर लगभग 5 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत लेने की स्थिति में हो जाएगा। यह व्यवस्था हो जाने पर मणिपुर अपनी सारी आवश्यकता पूरी कर सकेगा इसके अतिरिक्त 1982 में लोकताक परियोजना के पूरा हो जाने पर मणिपुर में फालतू बिजली हो जाएगी।

नेशनल हेरल्ड को दिए गए विज्ञापन के लिए सरकार/सरकारी उपक्रमों द्वारा दी गई राशि

4259. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में नेशनल ग्रुप न्यूजपेपर्स को दिए गए विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा सामान्य रूप से कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और दिल्ली तथा लखनऊ के नेशनल हेरल्ड को विशेष रूप से कितना भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार पत्र को विशेष महत्व दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) वैयक्तिक समाचार

पत्रों को रिलीज किए जाने वाले विज्ञापनों और उनको भुगतान की जाने वाली राशि का ब्यौरा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा वैयक्तिक प्रकाशक के बीच गोपनीय समझा जाता है ।

तेल शोधक और अन्य कारखानों में ऊर्जा की बचत

4260. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेल शोधक और अन्य उर्वरक कारखानों में ऊर्जा बचाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का किस प्रकार ऊर्जा बचाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ शोधन शालाओं की भट्टियों की ताप कुशलता बढ़ाने के अतिरिक्त, प्रत्येक तेल शोधनशाला को, समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जहां इस सम्बन्ध में सुधार लाए जा सकते हैं, अध्ययन दलों की स्थापना करने के निदेश दिए गए हैं ।

अन्य उद्योगों में, पुराने तथा अकुशल बॉयलरों के स्थान पर अधिक कुशल बॉयलरों की प्रतिस्थापना के लिए एक योजना आरम्भ की गई है । भट्टी के तेल के प्रयोग के स्थान पर कोयले का प्रयोग, जहां यह प्रौद्योगिकीय रूप से संभव हो, करने के लिए, इन उद्योगों को परामर्श तथा सहायता भी प्रदान की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की स्वीकृति

4261. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संसद सदस्यों द्वारा अनुशासित खाना पकाने की गैस कनैक्शनों की स्वीकृति के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) 1 जनवरी, 1980 से लेकर अब तक संसद सदस्यों की अनुशंसा से कितने गैस कनैक्शन स्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी आवेदकों को गैस-कनैक्शन देने का है

जिनकी सिफारिश संसद सदस्यों द्वारा 1980 और 1981 में की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) राजनयिक, विकलांग व्यक्तियों जैसे और सहानुभति आधार पर भी कुछ श्रेणियों के प्रत्याशियों को तेल कम्पनियों द्वारा कुछ कनैक्शन प्राथमिकता पर दिए जाते हैं। कुकिंग गैस के लिए संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन पत्रों को अन्य आवेदन पत्रों के साथ इन प्रावधानों के अधीन गुणों के आधार पर जाँच पड़ताल की जाती है और कुछ मामलों में अनुरोध स्वीकार किए गए हैं। ऐसे अनुरोधों पर दिए गए एल०पी०जी० के कनैक्शन के सम्बन्ध में आवेदन पत्रों की कुल संख्या की जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसे मामलों जिन पर विचार नहीं किया गया है, के आवेदक जिन्होंने कि अपने नाम एल०पी०जी० वितरकों के पास दर्ज कराए हुए हैं प्रतीक्षा सूची में दर्ज नामों के अनुसार वारी आने पर कुकिंग गैस कनैक्शन प्राप्त करेंगे।

कोयले के उत्पादन में सुधार का दावा

4262. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा मन्त्रालय और कोल इंण्डया लिमिटेड ने यह दावा किया है कि कोयले के उत्पादन में मार्च से मई, 1981 के तीन महीनों के दौरान थोड़ा सा सुधार हुआ है और इस वर्ष मार्च में उत्पादन 12.89 मिलियन टन का हुआ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रैल से मई, 1981 का औसत उत्पादन 90 लाख टन रहा जो कि तेजी से गिरावट दर्शाता है;

(ग) क्या जून में और भी कमी आई; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे और उत्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मार्च-मई, 1981 के महीनों में देश में कोयले का उत्पादन 31.21 मि० टन रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है। मार्च, 1981 में कोयला उत्पादन 12.89 मि० टन था।

(ख) अप्रैल-मई, 1981 का औसत मासिक उत्पादन 9.16 मि० टन था।

(ग) जी, नहीं। जून, 1981 में 9.17 मि० टन उत्पादन हुआ। यह उत्पादन मई, 1981 के 9.14 मि० टन के उत्पादन की तुलना में 0.03 मि० टन अधिक रहा।

(घ) अक्टूबर-मार्च का समय परम्परागत रूप से कोयला उत्पादन के लिए अच्छा

समय होता है और इस अवधि में अधिकतम कोयला उत्पादन अवश्य हो जाता है। अप्रैल से लेकर सितम्बर तक, आम तौर पर उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में यह बातें शामिल हैं...ई०को०लि० में अनुपस्थिति पर नियंत्रण, खानों को उपकरणों के वितरण की सुपुर्दगी के कार्यक्रम में सुधार, उपकरणों का बेहतर उपयोग, खानों को बिजली की सप्लाई में सुधार, कोयला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में और सुधार तथा खानों के विकास के लिए जो भूमि चाहिए उसके अधिग्रहण की कार्रवाई में शीघ्रता।

कोल माइन्स अथारिटिज लि० द्वारा कर्मचारियों को तंग किया जाना

4263. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 11 मार्च, 1981 को सांकेतिक हड़ताल करने के कारण कोल माइन्स अथारिटिड लि० के अधिकारियों ने इसकी कलकत्ता यूनिट के कर्मचारियों का दमन करना तथा तंग करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार तंग किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी कुछ ऐसे कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर जो कि कार्यालय आना चाहते थे, को०ई०लि० के वरिष्ठ लिपिक श्री चंचल चौसपल, जो सी०एम०ए०एल० यूनियन के महासचिव भी हैं, और वरिष्ठ ड्राफ्टसमैन श्री नितोश रंजन सेन गुप्ता को तथाकथित कर्मचारियों को रोकने, धमकाने और उन पर आक्रमण की कथित शिकायतों के लिए "कारण बताओ नोटिस" जारी किए गए। उनसे "कारण बताओ नोटिसों" के उत्तर प्राप्त हो गए हैं। उनसे प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

जोधपुर का मुख्य डाक घर

4264. **श्री अशोक गहलोत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मई, 1981 के दैनिक "प्रतिनिधि" में "जोधपुर का मुख्य डाक घर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मुख्य डाक घर के कार्यकरण के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त मुख्य डाक घर के कार्यकरण

में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जोधपुर मुख्य डाक घर के कार्यकरण के बारे में 20.5.1981 (न कि 16.5.81) को उक्त दैनिक में एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) से (ङ) समाचार उत्कीर्ण लिफाफों का उपलब्ध न होना, स्टाफ का बर्ताव तथा काउन्टर पर लम्बी लाइनों के सम्बन्ध में था । जाँच से यह पता चला है कि अप्रैल और मई के दौरान कुछ दिनों तक उत्कीर्ण लिफाफे इस कारण उपलब्ध नहीं थे कि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक से सप्लाई प्राप्त नहीं हुई थी । बाजार से सादे लिफाफे खरीदने और डाक टिकट लगाने के बाद उन्हें बेचने के लिए प्रबन्ध किया गया था । पर्यवेक्षण कार्य को कड़ा बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जनता की सेवा तत्काल तथा समुचित ढंग से की जाती है, कदम उठाए गए हैं । समाचार में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था ।

औषध उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता

4265. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधों के वर्तमान उत्पादन से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है;

(ख) देश में औषध-उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहां एक ओर देश में आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों की अत्यधिक कमी है, वहीं दूसरी ओर औषध उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किया गया है अथवा यह अप्रयुक्त पड़ी हुई है, क्योंकि निर्माताओं को दिए गए बहुत से लाइसेंस और आशय पत्र वगैरह कार्यान्वित हुए रह जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, वर्ष 1980-81 के दौरान औषधों के उत्पादन के कुल मूल्य और कुल जनसंख्या के आधार पर औषधों का उपभोग लगभग 18/- रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आएगा ।

(ख) कोई आकलन उपलब्ध नहीं है । संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र में क्रमशः लगभग 119 और 3,000 औषध निर्माता यूनिटें हैं । संगठित क्षेत्र की 62 यूनिटों ने दिनांक 4.9 1980 को स्थापित अधिक क्षमता की मंजूरी के लिए आवेदन किया है ।

(ग) और (घ) आवश्यक और जीवन-रक्षक औषधों की उपलब्धता की देख-रेख साप्ताहिक आधार पर की जाती है और जब कमी उत्पादों के कुछ ब्राडों की कमी की शिकायत प्राप्त होती है तो उस उत्पाद/उसी के समान अन्य उत्पाद की सप्लाई पहुंचाने के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। औषधों के मूल्यों का विनियमन औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के अन्तर्गत किया जाता है।

जहाँ तक औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है उनकी प्रगति पर इस विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। जहां आवश्यक समझा जाता है ऐसे लाइसेन्सों को निरस्त/रद्द करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। दिनांक 4.9.1980 को स्थापित क्षमता को मंजूरी देने हेतु लिया गया निर्णय बेकार क्षमताओं का उपयोग करने और सप्लाई में वृद्धि करने का एक प्रयास है।

आई०डी०पी०एल० ऋषिकेश का कार्यनिष्पादन

4266. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंगाए जाने के बावजूद आई०डी०पी०एल० के कार्यनिष्पादन में किसी सुधार का कोई संकेत नजर नहीं आया है;

(ख) क्या यह सच है कि नवीनतम प्रोद्योगिकी के स्थानान्तरण के बाद ऋषिकेश संयंत्र के क्षमता उपयोग की दर लगभग 30 प्रतिशत है जबकि सोवियत संयंत्र से इसकी क्षमता 85 से 90 प्रतिशत तक उपयोग करना सम्बन्ध और;

(ग) इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई०डी०पी०एल०) का ऋषिकेश प्लांट विस्तार की प्रक्रिया के अंतर्गत है और 1980-81 के अधिकतर भाग में विस्तृत क्षमता उपलब्ध नहीं थी। 1980-81 के लिए आई०डी०पी०एल० द्वारा औषधवार क्षमता उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है। 1977-78 में विस्तार प्रारम्भ होने से पूर्व समग्र क्षमता उपयोग 67.6 प्रतिशत था।

(ग) कुछ एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए नवीनतम प्रोद्योगिकी और स्ट्रैनों के प्रयोग के अतिरिक्त सरकार ने बिजली और जल की नियमित सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की है। कम्पनी ने कठिनाइयों को दूर करने और बाजार को बढ़ावा देने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। आई०डी०पी०एल० द्वारा औषधो की वर्तमान प्रोद्योगिकी में सुधार करने और दक्षता में सुधार करके सदक्षता खपत को कम करने के लिए निरन्तर अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं। उत्पादन और अन्य समस्याओं की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	तैयार औषध/मध्यवर्ती	इकाई	स्थापित क्षमता			उत्पादन 80-81	प्रतिशत क्षमता उपयोग		पूर्ण दर क्षमता पर
			पुराना	चौथी तिमाही में विस्तार	पूर्ण विस्तार		पुराना	चौथी तिमाही में प्राप्त	
1.	सोडियम पेनिसिलिन	एम०एम०यू०	53	53	53	38.8	72	72	72
2.	प्रोकेन पेनिसिलिन	,,	52	52	52	22.8	44	44	44
3	स्ट्रेप्टोमाइसीन साल्फेट	टन (वेत)	85	85	85	34.3	40	40	40
4.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	टन	56	56	56	68.3	122	122	122
5.	टेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	टन	186	130	200	91.3	86	70	45
6.	इरीथ्रोमाइसीन	टन	—	9	36	3.6	—	40	10
7.	सेमीसिन्थेटिक पेनिसिलिन	टन	—	8.75	35	6.1	—	68.6	17
8.	पोट० पेनिसिलिन	एम०एम०यू०*	130	155	230	69.3	53	45	30

*सिर्फ सो०डि० प्रोकेन और एस०एस०पी० उत्पाद के लिए मध्यवर्ती का उपयोग

उच्चतम न्यायालय में आर्थिक उपायों से सम्बन्धित लंबित मामले

4267. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के आर्थिक उपायों सम्बन्धी कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) ये मामले कब से लम्बित हैं; (ब्यौरा दें) ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने जानकारी दी है कि रजिस्ट्री में ऐसे रजिस्टर रखने की कोई परिपाटी नहीं है जिनमें मामलों की विषय-वस्तु दर्शित की जाती हो। वित्त मन्त्रालय से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

"पुनर्वास पर 1500 करोड़ रुपए, फिर भी वे विस्थापित" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4268. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उनके मन्त्रालय का ध्यान 16-22 अगस्त, 1981 के साप्ताहिक दिनमान (हिन्दी) के पृष्ठ 18 पर "पुनर्वास पर 1500 करोड़ रुपए, फिर भी वे विस्थापित" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय की उस पर प्रतिक्रिया क्या है, और इस प्रतिवेदन में वह कौन से तथ्य हैं जो सही नहीं हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : जी, हां।

लगभग 1.08 करोड़ शरणार्थियों/प्रत्यावासियों, (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए 52.31 लाख, भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आए 47.93 लाख), बर्मा से आए 2.08 लाख, श्रीलंका से आए 3.66 लाख, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से आए 1.35 लाख, मोजाम्बिक, उगान्डा, वियतनाम तथा जैरे से आए 10,637 व्यक्तियों और 64.562 तिब्बती शरणार्थी अब तक आए हैं, इनमें से 88 लाख व्यक्ति बसाए जा चुके हैं। 31-3-1991 तक इन व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर लगभग 1463.50 करोड़ रुपए (जिनमें बंगला देश के शरणार्थियों पर 291.11 करोड़ रुपए शामिल हैं) व्यय किए गए हैं। अतः यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि 1500 करोड़ रुपए के व्यय के बाद भी शरणार्थी/प्रत्यावासी विस्थापित हैं।

सेवा भंग द्वारा मध्य प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को दण्डित किया जाना

4269. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के 150 से अधिक कर्मचारियो को, अपने उचित अधिकार के अन्तर्गत हड़ताल करने पर, सेवा भंग द्वारा दण्डित किया गया था :

(ख) क्या मध्य प्रदेश के दूर संचार महा प्रबन्धक की इस कार्यवाही से टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों की वरिष्ठता पदोन्नतियों तथा अन्य सुअवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने यह आश्व सन दिया था कि यह कार्यवाही उनकी पदोन्नतियों तथा वरिष्ठता को पुन. बहाली में बाधक नहीं होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश के दूर संचार महा प्रबन्धक ने शोषण के मामलों की समीक्षा की है; और यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ । भोपाल तार मंडल के 176 कर्मचारियों को जिन्होंने अगस्त, 1980 में अनधिकृत एवं गैर कानूनी हड़ताल की थी, के मामले में सेवा भंग के आदेश दिए गए थे ।

(ख) अनधिकृत हड़ताल करना गम्भीर भ्रष्टाचार है और इस मामले में सेवा भंगा का आदेश पूर्णतया औचित्यपूर्ण था । जिन कर्मचारियो ने अवैध हड़ताल में भाग लिया थ उनकी वरिष्ठता एवं पदोन्नति के अवसरों पर नियमानुसार प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) महाप्रबन्धक अथवा विभाग द्वारा किसी प्रकार का अश्वासन नहीं दिया गया था

(घ) सरकार द्वारा मामले पर पुन: विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि अनाधिकृत एवं अवैध हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के लिए ऐसी परिस्थितियों में सेवा भंग ही न्यूनतम कार्रवाई थी । किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ है ।

स्विस कम्पनी के घोटाले से डी०वी०सी० के पन्चेट हिल जल विद्युत केन्द्र के निर्माण कार्य में विलम्ब

4270. **श्री एम० नागेश्वर राव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विस कम्पनी द्वारा किए जा रहे घोटाले से डी०वी०सी० के पन्चेट हिल जल विद्युत केन्द्र के दूसरे एकक के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब इस जल विद्युत केन्द्र हेतु 'टरबाइन' की सप्लाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेन्डर आमन्त्रित किए गए थे तो इस सम्बन्ध में भेजा गया कोई भी प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो स्विस फर्म को 'टरबाइन' की सप्लाई के लिए किन आधारों पर ठेका दिया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा जून, 1978 में आमन्त्रित किए गए टेंडरों के उत्तर में मैसर्स वोइस्ट एलपाइन (आस्ट्रिया) से ही एकमात्र प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पम्प टाइप टर्बाइन यूनिट, एक अत्यधिक विशिष्ट प्रकार का उपकरण है। लम्बी बातचीत के बाद आस्ट्रियन फर्म को दिसम्बर, 1979 में आर्डर दे दिया गया था बशर्ते कि नमूना परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। दामोदर घाटी निगम ने मैसर्स हारजा इन्जीनियरिंग कम्पनी इन्टरनेशनल, यू०एस०ए० को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो कि परीक्षण की भी देखभाल करेगा। पहला माडल परीक्षण सफल नहीं हुआ था। दूसरा माडल परीक्षण पूरा हो चुका है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

हिन्दी अधिकारी का रिक्त पद

4271. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग ने हाल ही में एक हिन्दी अधिकारी का पद विज्ञापित किया था जिसके लिए अर्हता बी०ए० और वरिष्ठ अनुवादक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव रखा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त विभाग ने इस पद से सम्बन्धित नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया क्योंकि राजभाषा विभाग के नियमों के अनुसार इस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता एम०ए० है;

(ग) यदि हां, तो राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित उपरोक्त पद से सम्बन्धित नियमों का मंत्रालय के अन्य कितने विभागों ने उल्लंघन किया है और क्यों; और

(घ) क्या इस पद के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर प्रकाशन विभाग द्वारा कोई चयन किया गया है; यदि नहीं, तो क्या सुस्थापित नियमों की अवहेलना करके उपरोक्त पद के लिए इस बीच कोई उम्मीदवार नियुक्त किया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) (ग) और (घ) राजभाषा विभाग ने प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के गठन के संदर्भ में सीधी भर्ती के मामले में शैक्षणिक अर्हता के रूप में एम०ए० सुझाया है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा बनाए गए नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित की व्यवस्था है :

विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में हिन्दी के कार्य की देख-रेख करने वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए

एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक की "डिग्री", और हिन्दी में पारिभाषिक कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव,

इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता एम० ए० है ।

प्रकाशन विभाग के पद को तदनुसार परिचालित किया गया है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि प्रकाशन विभाग में भर्ती नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक एक उम्मीदवार को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया है ।

टाटा कैमिकल्स का "ब्लाक केपिटल"

4272. **श्री नीरेन घोष** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सात सालों में टाटा केमिकल ने "ग्रीस ब्लाक केपिटल" के कारण कितना धन व्यय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने अपनी क्रियागत परिसम्पत्तियों और कार्य प्रगतिगत पूंजी में अतिरिक्त राशि के लेखे 51.06 करोड़ रु० अर्थात् विगत 7 वर्षों (30 जून, 1974 को समाप्त वर्ष से 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष तक) की अवधि में अपने ग्रीस ब्लाक को बढ़ाने पर व्यय किए थे । इस राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

30 जून को समाप्त वर्ष	ग्रीस ब्लाक पर व्यय की गई राशि
1974	4.64
1975	7.01
1976	6.83
1977	10.78
1978	5.85
1979	6.65
1980	9.30
योग	51.06

बम्बई हाई अशोधित तेल के विनिमय व्यापार का प्रस्ताव

4273. **श्री डी०पी० यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई हाई अशोधित तेल को पश्चिम एशियाई अशोधित तेल से बदलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस विनिमय के लिए पूरे विश्व से निविदाएं आमंत्रित की हैं; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) विनिमय की शर्तों को अभी तक तय नहीं किया गया है ।

(ग) अरब में बन्दरगाहों पर अरब के हल्के खनिज तेल से बम्बई हाई खनिज तेल का अक्तूबर, 1981 से एक वर्ष की अवधि तक लगभग 20/30000 बैरल/दिन की दर से अदला बदली करने के लिए चुनी हुई अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से आई०ओ०सी० द्वारा दिनांक 14.8.1981 को एक टेंडर पूछताछ जारी की गई है । बोलियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 3.9.1981 निर्धारित की गई है और प्रस्तावों को दिनांक 15.9.1981 को 2200 घण्टे आई०एस०आई० तक स्वीकार करने के लिए वैध रखा जाना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में और आगे विवरण प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के "टेलीफोन उपभोक्ता परिषद्" के महामन्त्री द्वारा आन्दोलन की धमकी

4274. **श्री पी०जे० कुरियन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "टेलीफोन उपभोक्ता परिषद्" के महामन्त्री द्वारा टेलीफोन विभाग में व्याप्त अनियमितताओं, अकार्यकुशलता में कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) टेलीफोन उपभोक्ता परिषद् के महासचिव से आंदोलन की धमकी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । हालांकि दिनांक 14.8.81 के टाइम्स आफ इण्डिया में ऐसा समाचार छपा था ।

(ख) मेरठ टेलीफोन प्रणाली का कार्यनिष्पादन सामान्यतः सन्तोषजनक है । फिर

भी कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार करने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :

(क) आन्तरिक उपस्कर

एक) अनुरक्षण दिनचर्या में तेजी लाई गई है;

दो) घिसे हुए पुर्जो को निरन्तर बदला जा रहा है तथा स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज के स्विचों की नियमित सफाई की जाती है,

तीन) बेहतर पर्यवेक्षण हेतु आन्तरिक उपस्कर के अनुरक्षण के लिए अलग से एक सहायक इन्जीनियर की नियुक्ति की गई है।

(ख) बाह्य संयंत्र

एक) कुछ ऊपरी लाइनों के बदले भूमिगत केबल बिछाए जा रहे हैं।

दो) घर की वायरिंग में जहाँ कहीं एल्यूम्यूनियम तारों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें उत्तरोत्तर बदला जा रहा है।

तीन) फीटिंग में पाए जाने वाले दोषों को उत्तरोत्तर ठीक किया जा रहा है।

चार) जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है वितरण केन्द्रों की पुनः वायरिंग की जा रही है।

(ग) विस्तार योजनाएं

एक) 1984-85 के दौरान 4000 लाइनों का एक नया स्वचल एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।

दो) मौजूदा 600 लाइनों वाले प्रतापपुर एक्सचेंज का 900 लाइनों में विस्तार कार्य सितम्बर, 1982 के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के लिए देश-प्रत्यावर्तन कार्यक्रम पर पुनर्विचार

4275. **श्री रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार रिसर्च आन न्यू इंटरनेशनल इकोनोमिक आडर, मद्रास ने श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार देश-प्रत्यावर्तन कार्यक्रम पर केन्द्र सरकार से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) 'सेन्टर फार रिसर्च आन न्यू इन्टरनेशनल इकोनोमिक आडर' मद्रास द्वारा श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के बारे में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाल ही में पुनर्वास विभाग में प्राप्त हुई है। जैसाकि कहा गया है, रिपोर्ट में प्रत्यावासन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में एक सिफारिश की गई है जो निम्न प्रकार है :—

> "यह सिफारिश की गई है कि प्रत्यावासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में पुनर्वास के सम्पूर्ण प्रश्न, प्रक्रिया क्षेत्र तथा पद्धति आदि की पूर्णतया समीक्षा की जानी चाहिए।"

पुनर्वास कार्यक्रम में पहले से ही इन सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है। अच्छे पढ़े लिखे प्रत्यावासियों को रोजगार दिलाने के प्रयत्न किए जाते हैं। इस प्रकार, जिन जरूरतमन्द परिवारों की चल सम्पत्ति 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है उन्हें पुनर्वास सहायता मंजूर की जाती है। जहां तक, उन्हें, उनकी पसन्द के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में पुनर्वास दिए जाने का सम्बन्ध है, अधिकांश प्रत्यावासी तमिल मूल के हैं और उन्हें तमिलनाडु में ठहराया गया है। तथापि, समस्या की व्यापकता को देखते हुए केवल तमिलनाडु सरकार के लिए सम्पूर्ण भार वहन करना संभव नहीं होगा और इसलिए अन्य दक्षिणी राज्य योजनाओं में प्रत्यावासियों को भेजना ही पड़ेगा।

ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए राज्यों को वर्ष 1980-81 के दौरान मंजूर की गई राशि

4276. **डा० कृपा सिंधु बोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान प्रत्येक राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) क्या सभी राज्य मंजूरशुदा पूरी राशि का उपयोग कर सके; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो पूरी राशि का उपयोग नहीं कर सके और राशि का उपयोग न करने के लिए क्या कारण बताए गए ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण के कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान किए गए आबंटन का स्रोत-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा राज्य बिजली बोर्डों से अभी प्राप्त होना है। तथापि यह देखा गया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्प सेटों के ऊर्जन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में इन लक्ष्यों की प्राप्ति का स्तर क्रमशः लगभग 86 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत है।

विवरण

वार्षिक योजना 1980-81

ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत आबंटन

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनडीपी	आर ईसी	आर एमएनपी	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	1038.00	512.00	150.00	1700.00
2.	असम	100.00	293.00	862.00	755.00
3.	बिहार	200.00	725.00	600.00	1525.00
4.	गुजरात	582.00	468.00	50.00	1100.00
5.	हरियाणा	800.00	232.00	—	1032.00
6.	हिमाचल प्रदेश	80.00	308.00	60.00	448.00
7.	जम्मू और कश्मीर	100.00	363.00	—	463.00
8.	कर्नाटक	607.00	300.00	50.00	957.00
9.	केरल	100.00	143.00	—	243.00
10.	मध्य प्रदेश	600 00	1174.00	900.00	2674.00
11.	महाराष्ट्र	2030.00	641.00	—	2671.00
12.	मणीपुर	8.00	12.00	100.00	120.00
13.	मेघालय	—	179.00	150.00	329.00
14.	नागालैण्ड	70 00	25 00	5.00	100.00
15.	उड़ीसा	330.00	380.00	250.00	960.00
16.	पंजाब	790.00	517.00	—	1307.00
17.	राजस्थान	500.00	732 00	400.00	1632.00
18.	सिक्किम	—	—	25.00	25 00
19.	तमिलनाडु	1350.00	303.00	—	1653.00
20.	त्रिपुरा	—	60.00	130.00	190.00
21.	उत्तर प्रदेश	1090.00	1054.00	1056.00	3200.00
22.	पश्चिम बंगाल	50.00	1034.00	235.00	1319,00
	जोड़ (राज्य)	10,425.00	9,455.00	4,523.00	24,403.00

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनडीपी	आरईसी	आरएमएनपी	जोड़
1.	अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह	4.00	—	14.00	18.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	150.00	150.00
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
4.	दादर और नागर हवेली	20.00	—	—	20.00
5.	दिल्ली	150.00	—	—	150.00
6.	गोआ, दमन और दीव	6.00	—	—	6.00
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
8.	मिजोरम	50.00	—	50.00	100.00
9.	पांडिचेरी	25.00	—	—	25.00
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	225.00	—	214.00	469.00
	जोड़ (अखिल भारत)	10,680.00	9,455.00	4,737.00	24,872.00
	आर० ई० सी० को एक मुश्त आवंटन				
क)	विशेष कृषि परियोजना (एस पी ए)	—	3000.00	—	3000.00*
ख)	ग्रामीण सहकारिताएं	—	500.00	—	500.00
ग)	हरिजन बस्तियां	—	150.00	—	150.00
	उप जोड़ (आरईसी)	—	3650.00	—	3650.00
	कुल जोड़	10,680.00	13,105.00	4,737.00	28,522.00 अर्थात 285.22 करोड़ रु०

(*) इसमें लगभग 6,000.00 लाख रु० तक की अनुपूर्ति कृषि पुनर्निर्माण तथा विकास निगम/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाएगी।

नई औषधियों के प्रयोग में गिरावट

4277. **श्री रतन सिंह राजदा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में औषधियों की खपत में पिछले वर्ष की तुलना में गत वर्ष 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है,

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही की अवधि में नई औषधियों के प्रयोग में काफी गिरावट आई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण है और देश में नई औषधियों का निरन्तर आगमन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) इस मद पर आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) गत चार वर्षों के दौरान भारत में प्रारम्भ की जा रही कई नई औषधों को औषध नियन्त्रण (भारत) ने निम्न प्रकार मंजूरी दी है :—

	मजूरी दी गई नई औषधों की संख्या
1977-78	11
1978-79	19
1979-80	14
1980-81	13

वर्ष 1978-79 के अलावा प्रत्येक वर्ष मंजूरी दी गई नई औषधों की संख्या व्यवहार्य रूप से स्थिर रही ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देशी नावों को स्वचालित बनाने के लिए केरल को मिट्टी के तेल का अतिरिक्त कोटा

4278. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल सरकार से देशी नावों को स्वचालित बनाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में केरल फिशरमैंस वेल्फेयर कारपोरेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 500 किलोलीटर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त कोटा देने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वर्ष, 1981 के अगस्त और सितम्बर महीनों के लिए आवंटन में 500 किलो लीटर की तदर्थ वृद्धि की स्वीकृति पहले से ही प्रदान की जा चुकी है ।

नया प्रसारण केन्द्र

4279. **श्री जेवियर अराक्कल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किन्हीं प्रसारण केन्द्रों को बन्द किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को कोचीन में प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिए किसी प्राधिकारी अथवा असैनिक निकाय अथवा ऐसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अनुमोदित छटी योजना में शामिल प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां । तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण छटी योजना में में कोचीन में रेडियो स्टेशन की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हुआ है ।

विवरण

(क) नए रेडियो स्टेशन

	स्थान	प्रस्तावित स्टेशन की क्षमता	राज्य का नाम
1.	तुरा	20 किलोवाट मी० वे०	मेघालय
2.	गंगटोक	20 किलोवाट मी० वे०	सिक्किम
3.	मदुरै	10 किलोवाट मी० वे०	तमिलनाडु
4.	आगरा	10 किलोवाट मी० वे०	उत्तर प्रदेश
5.	जमशेदपुर	1 किलोवाट मी० वे०	बिहार
6.	इटा नगर	100 किलोवाट मी० वे०	अरुणाचल प्रदेश

(ख) प्रत्येक केन्द्र में एक एक कि० वा० मे० वा० ट्रांसमीटर के साथ स्थानीय रेडियो प्रसारण सेवा

1.	कोटा	राजस्थान
2.	डिफू	असम
3.	क्योंझर	उड़ीसा

4.	शोलापुर		महाराष्ट्र
5.	आदिलाबाद		आंध्र प्रदेश
6.	नागरकोइल		तमिलनाडु

(ग) **समर्पित राष्ट्रीय प्रसारण सेवा**

1.	नागपुर	1000 कि०वा०मी०वे०	महाराष्ट्र

छठी योजना में प्रत्येक ग्राम सभा में एक रेडियो सेट

4280. **श्री के० मलन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटी पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम एक रेडियो सैट की सुविधा मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सुविधा कर्नाटक राज्य की ग्राम सभाओं को भी मुहैया कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राज्य विद्युत बोर्ड को हानि

4281. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक विद्युत बोर्ड को कुल कितनी हानि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता को क्रेडिट में ले लेने के पश्चात् 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए 5 वर्षों में (जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है) आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्डों को, कुल मिलाकर हानियां नहीं हुई हैं। निम्नलिखित बिजली बोर्डों को 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए 5 वर्षों में (1) सरकारी ऋणों पर ब्याज, (2) मूल्य ह्रास; तथा (3) राजस्व सम्बन्धी अन्य घाटों के लिए, यदि कोई हों, प्रावधान करने के पश्चात समग्र रूप में, हानियां हुई हैं :

	राज्य बिजली बोर्ड	हानियां (करोड़ रुपयों में)
1.	उत्तर प्रदेश	327
2.	हरियाणा	43
3.	पंजाब	41
4.	उड़ीसा	40
5.	गुजरात	29
6.	हिमाचल प्रदेश	18
7.	पश्चिम बंगाल	9
8.	केरल	1

शेष रहे, असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर—इन तीनों बोर्डों से वर्ष 1978-79 के परीक्षित लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

4282. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र विशेषकर बांदा जिले को दूरदर्शन की परिधि में लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) संसाधनों की कमी के कारण बांदा जिले में दूरदर्शन केन्द्र की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश को दिल्ली तथा लखनऊ के दूरदर्शन केन्द्रों तथा मंसूरी और कानपुर के रिले ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा पहले ही प्राप्त हो रही है। वाराणसी में रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी छठी योजना में शामिल है। इसके अलावा "इन्सेट" योजना के अन्तर्गत, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती जिलों को दूरदर्शन सेवा उपग्रह के माध्यम से सीधे संग्रहण सेटों, जिन्हें इन जिलों में छठी योजना में लगाया जाएगा, पर उपलब्ध होगी।

शिमोगा जिले में डाक का मार्ग में पड़ा जाना

4283. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक के योजना और आवास मन्त्री जो शिमोगा की एक मिड-वाइफ के साथ बलात्कार करने, उसका अपहरण करने और गलत ढंग से कैद करने की पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के कारण प्रकाश में आए थे, के

विरुद्ध हाल के जनाक्रोश को देखते हुए शिमोगा जिले के 35 नागरिकों की डाक को मार्ग में पढ़ने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ ।

(ख) शिमोगा जिले के 35 नागरिकों के नाम से आने वाली तथा उनके यहां से भेजी जाने वाली डाक के अन्तरावरोधन के आदेश पुलिस के उप महानिरीक्षक ने अपने दिनांक 16.3.1981 के पत्र संख्या एस०वी/एल० डब्ल्यू० सी०/14/75 में किए थे । इसके पश्चात् अन्तरावरोधन का आदेश जारी नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल के मण्डलीय टेलीफोन एक्सचेंजों का स्व-चालित टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तन

4284. **श्री रेणु पद दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के सभी मण्डलीय एक्सचेंजों की करचल प्रणाली को स्व-चालित प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या कर-चल प्रणाली के विरुद्ध स्थानीय-कालों के बारे में शिकायतें बढ़ रही हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । राज्यों में सभी जिला मुख्यालयों को स्वचालित बनाने की सरकार की योजना है ।

(ख) जी नहीं । परन्तु स्वचालित कार्यकरण के लिए सुस्पष्ट वरीयता है ।

राजस्थान के जिलों में और अधिक पी०सी०ओ० खोले जाना

4285. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाढ़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों और पी०सी०ओ० की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार वहाँ की जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर और पी०सी०ओ० खोलने के लिए कदम उठाएगी;

(ग) क्या माल की कमी के कारण वहां पर स्वीकृत पी०सी०ओ० नहीं खोले गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस समस्या का समाधान कब तक कर लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) जिला	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
बाड़मेर	10	19
जैसलमेर	2	11
जोधपुर	17	27

(ख) जी हां।

(ग) सामान की कमी के कारण कभी-कभी स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन घरों को खोलने में विलम्ब होता है।

(घ) सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। परन्तु कच्चे माल तथा भण्डार की व्यापक कमी के कारण समस्या को पूर्ण रूप से निपटने में कुछ समय लगेगा।

बिहार कोयला खानों में भ्रष्टाचार

4286. श्री के०पी० सिंह देव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस कर्मचारियों, कोयला-ठेकेदारों और ट्रेड यूनियनिस्टो के रूप में काम करने वाले भूमिगत नेताओं का शक्तिशाली गठबंधन बिहार की कोयला खानों में ऐसी प्रमुख भूमिका निभा रहा है कि वहाँ भ्रष्टाचार न केवल व्याप्त हो गया है, बल्कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों की भी प्राय: उपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या उन्होंने भी धनबाद को "माफिया टाउन" से कहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को जिन्होंने देश की प्रगति में रोड़ा अटका रखा है निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करने में क्यों हिचक रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) सरकार को पुलिस अधिकारियों, कोयला-ठेकेदारों और भूमिगत नेताओं की उस साँठ-गाँठ के विषय में कोई जानकारी नहीं है जिसका इस प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारें करती हैं।

गैस एजेंसियों की मंजूरी

4287. श्री मौहम्मद असरार अहमद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1 जनवरी 1981 से आज तक कितनी गैस एजेंसियां मंजूर की गईं, वे कहां-कहां पर स्थित हैं और कितनी अनारक्षित अथवा अनुसूचित जातियों अथवा विकलांगों के लिए आरक्षित थीं;

(ख) उपरोक्त एजेंसियों में से कितनी एजेंसियों ने राज्य एवं जिलावार गैस की सप्लाई आरम्भ की है;

(ग) कितनी एजेंसियों (राज्य-वार) तथा (जिला-वार) सभी शर्तें पूरी करती हैं और गैस सप्लाई करने को तैयार हैं परन्तु गैस की सप्लाई करने को तैयार हैं परन्तु गैस की सप्लाई करने के लिए उनको उपभोक्ताओं के नाम पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी गई है और उसके क्या कारण है;

(घ) कितनी एजेंसियों को (राज्य-वार) आगामी 6 महीनों/। वर्ष में (31 मार्च 1982 तक) मंजूरी दी जानी है और वे कहाँ कहाँ पर हैं; और

(ङ) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितनी गैस एजेंसियों को (राज्य-वार) मंजूरी दी जानी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यह सूचित किया गया है कि अभी तक तेल कम्पनियों द्वारा कुल 59 खाना पकाने की गैस एजेंसियाँ, जिनमें से 48, 1980-81 तथा 11, 1981-82 के कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित की गई है। राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 4 एजेंसियाँ निम्नलिखित रूप में आरम्भ की गई हैं :

आंध्र प्रदेश	...	हैदराबाद
हरियाणा	...	अम्बाला
महाराष्ट्र	...	नांदेड तथा नासिक

(ग) जी, कोई नहीं।

(घ) वर्तमान संकेतों के अनुसार ऐसी आशा की जाती है कि 31.3.1982 तक लगभग 510 खाना पकाने की गैस एजेंसियां आबंटित की जाएगी। राज्य-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में एल०पी०जी० कनेक्शन का आबंटन

4288. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 31 जुलाई, 1981 तक उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० के कुल कितने गैस कनैक्शन दिए गए हैं;

(ख) 31 जुलाई, 1981 तक नए एल०पी०जी० गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं; और

(ग) नए एल०पी०जी० गैस कनैक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 30.9.1981 की यथा स्थिति के अनुसार इस वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस (एल०पी०जी०) के लगभग 8000 कनैक्शन जारी किए गए हैं।

(ख) देश में 37 लाख।

(ग) तेल कम्पनियों ने इस वर्ष मार्च के महीने से देश में एक लाख एल०पी०जी० कनैक्शन प्रतिमाह की दर से जारी करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1981 की प्रथम तिमाही तथा मार्च, 1982 के बीच की अवधि के दौरान कुल लगभग 12 लाख ग्राहकों का नामांकन किए जाने की आशा है। बाद के दो वर्षों में 8 लाख ग्राहक प्रति वर्ष नामांकन किए जाने की योजना बनाई गई है।

कन्याकुमारी में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना

4289. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्या कुमारी जिले में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : अनुमोदित छटी योजना में नागरकोइल (कन्याकुमारी जिले में) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर और स्टूडियो के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल है।

विद्युत उत्पादन तथा वितरण यूनिटों को अलग किया जाना

4290. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश विद्युत बोर्डों ने विद्युत उत्पादन यूनिटों तथा वितरण यूनिटों को अलग-अलग कर दिया है; और

(ख) क्या बिजली की कमी का एक कारण यह भी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) केवल कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने ही बिजली बोर्डों में उत्पादन और वितरण को अलग-अलग करने के लिए संगठन बनाए हैं। अभी तक कर्नाटक का मैसूर विद्युत निगम ही ऐसा अलग संगठन है जो विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य करने के लिए बनाया गया है, जबकि पारेषण और और वितरण के कार्य कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अलग उत्पादन कम्पनी (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम) बनाई है। तथापि, निगम को कारगर तौर पर कार्य अभी शुरू करना है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने इंजीनियरी संवर्ग को दो मुख्य भागों में नामशः उत्पादन और वितरण, में बांटने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पादन को पारेषण और वितरण से अलग किए जाने के परिणामस्वरूप अलग संगठन नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि कर्नाटक में अथवा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में बनाए गए हैं। तथापि, उत्पादन सर्किल में और पारेषण तथा वितरण सर्किलों में नियुक्त इंजीनियरों का संवर्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत वरिष्ठ स्तर तक इन्हीं क्षेत्रों में रहता है तथा अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने में यह उपयोगी पाया गया है।

भारत सरकार का विचार है कि प्रचालन में अधिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों में विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए विशेष संवर्ग होने चाहिए। भारत सरकार इस सुझाव पर विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न मंचों पर समय-समय पर जोर देती आ रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिजली बोर्डों में उत्पादन और वितरण को अलग-अलग करने के लिए राज्य सरकारें पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

श्रीलंका से आये विस्थापितों के पुनर्वास में ठेकेदारों द्वारा रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में शिकायतें

4291. **श्री सूरज भान :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 मई; 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' के मद्रास संस्करण में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्हें श्रीलंका से विस्थापितों के पुनर्वास में ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों में किन मुद्दों को उठाया गया है और विस्थापितों को ठेकेदारों तथा अन्य लोगों के चंगुल से बचाने के लिए तथा उनकी स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री-पी० के० थुंगन) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) हाल ही में इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि श्रीलंका प्रत्यावासियों को दिए जाने वाले आवास ऋण मदुराम के कलक्टरेट द्वारा प्रत्यावासियों के लिए गृह निर्माण हेतु कुछ ठेकेदारों को दे दिए गए थे लेकिन अधिकांश मामलों में मकानों का निर्माण नहीं किया गया।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि प्रत्यावासियों को दी जाने वाली समस्त सहायता, अर्थात् कारोबार ऋण, गृह-निर्माण ऋण इत्यादि प्रत्येक प्रत्यावासी को सीधे दी जाती है और यह ठेकेदारों या बिचोलियों के माध्यम से नहीं दी जाती है और इसलिए ऋण मंजूर करने में भ्रष्टाचार का आरोप निराधार है। तथापि, जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो प्रत्यावासियों को सभी संभव सहायता देने के लिए कार्रवाई की जाती है।

कोयला संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन हेतु कोयला कम्पनियों को राज-सहायता

4292. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला संरक्षण उपायों के कार्यान्वय हेतु कोयला कंपनियों को राज-सहायता देने का है;

(ख) कोयला संरक्षण उपायों का काम शुरू करने के लिए कोयला-उत्पादकों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि वितरित की जानी है;

(ग) जमीन के भीतर आग न लगने देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए तथा आसपास के क्षेत्रों में आग को आगे फैलने से रोकने हेतु खाइयां बनाने के लिए क्या कार्रवाही करने का विचार है; और

(घ) कोयले के संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए तथा नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) सरकार इस प्रकार की राज-सहायता कोयला खान (संरक्षण एवं विकास), अधिनियम, 1974 की व्यवस्थाओं के अधीन पहले से ही दे रही है।

(ख) कोयला कंपनियों को सुरक्षात्मक निर्माण, रेत भराई और रज्जु-मार्ग जैसे संरक्षण कार्यों के लिए राज-सहायता देने की दृष्टि से 1981-82 के बजट अनुमानों में 15 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) कोयला खानों में भूमिगत आग पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) खाई काटना।

(2) ऊपरी मलवे और मिट्टी से ढक कर सतह को सील करना।

(3) पलाई ऐश डालना।

(4) आग को ठंडा करना और खोद कर निकाल देना।

(5) रेत भरना।

(6) पानी के पोखरों से धरातल को सील करना।

(7) निष्क्रिय गैसों को अन्दर भरना।

(8) आग के क्षेत्र को पानी में डुबाना।

भा० को० को० लि० ने आग पर काबू पाने के लिए लोडना; जोगता, रांजापुर और बरारी में 4 परियोजनाएं चालू की हैं। भा० को० को० लि० की इन्डस्ट्री, कुसुन्डा, सुदामडीह, पाथरडीह, फुलारीटांड और तिसरा कोलियरियों में चरणबद्ध ढंग से आग पर काबू पाने के लिए परियोजना रिपोर्टें भी तैयार हो गई हैं।

टिस्को ने भी अपनी जामादोबा और सिजुआ कोलियरियों में आग बुझाने के लिए कदम उठाए हैं।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ स्थानों की आग पर पहले ही काबू पा लिया गया है।

(घ) चूंकि बोर्ड और पिलर प्रणाली द्वारा खनन की भूमिगत प्रक्रिया में भंडारों के 60 प्रतिशत से अधिक भाग को नहीं निकाला जा सकता, अतः जहां साध्य है वहां ओपनकास्ट खनन पद्धति लागू की जा रही है जिससे भंडारों का 90-95 प्रतिशत भाग तक निकालने की सुविधा हो जाती है। भूमिगत खानों में धीरे धीरे खनन की लांगवाल प्रणाली पद्धति लागू की जा रही है जिससे कोयला भी ज्यादा निकलता है।

भराई के लिए रेत की कमी पूरी करने की दृष्टि से, पत्थरों के चूरे से प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे भूमिगत खानों से अधिक प्रतिशत कोयला निकालना सुनिश्चित हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल में डाक टिकटों, पोस्टकार्डों अन्तर्देशीय पत्रों और लिफाफों की कमी

4293. **प्रो० सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न डाकघरों में टिकटों, पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों और लिफाफों की बहुत कमी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) से (ग) समय-समय पर डाक टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की कमी हुई है क्योंकि इन मदों का उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सदा असमर्थ रहा है।

कमी दूर करने के किए उठाए गए/प्रस्तावित अनेक कदम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डाक-टिकट एवं डाक लेखन सामग्री की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. डाक टिकट एवं डाक सामग्री के उत्पादन का पर्यवेक्षण करने एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय तथा डाक तार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

2. डाक टिकट एवं डाक लेखन सामग्री के उत्पादन करने हेतु भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक की मशीन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

3. डाक लेखन सामग्री की मदों की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु हैदराबाद में एक और प्रतिभूति मुद्रणालय स्थापित किया जा रहा है।

4. डाक टिकटों के शीघ्र वितरण हेतु भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, रेलवे तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखने के लिए नासिक में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

5. उपलब्ध भंडार के बेहतर वितरण हेतु विभाग भंडारण एवं वितरण कार्यों को राजकीय खजानों से उत्तरोउत्तर अपने हाथ में ले रहा है।

6. उच्च मूल्यवर्ग के नियत डाक टिकटों की संख्या प्रतिशीट 50 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है ताकि उतने ही प्रयासों से अधिक संख्या में डाक टिकट छापे जा सकें।

7. मशीनों के प्रयोगकर्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान कर जिनमें कुल फेंक मूल्य की 1.5 प्रतिशत छूट भी शामिल है। फ्रैंकिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है

8. आवश्यकता पड़ने पर जनता की मांग को पूरा करने के लिए पोस्टमास्टर

जनरल द्वारा सादा अन्तर्देशीय पत्रों एवं लिफाफों का स्थानीय उत्पादन किया जा सकता है।

9. अनैतिक कार्य को रोकने के लिए दूरवर्ती, पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर लाईसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से टिकटों की बिक्री अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है।

ताप और सुपर ताप संयंत्रों का जीवन काल

4294. **श्री कालीचरण शर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप और सुपर ताप बिजली घरों का जीवन काल कितना-कितना है;

(ख) इन परियोजनाओं के प्रतिवर्ष प्रतिस्थापन के लिए कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है और आज तक यह धनराशि कुल कितनी रही है; और

(ग) आज तक इन परियोजनाओं को कर से कितनी छूट दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) एक तापीय बिजली घर का मान्य जीवन काल 25 वर्ष है किन्तु उसके अलग-अलग संघटकों का जीवन काल भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम में मूल्यह्रास की व्यवस्था है - मूल्यह्रास के सिद्धांतों के ब्यौरे भी इस अधिनियम में दिए गए हैं। विद्युत योजनाएं बनाते समय, वर्तमान यूनिटों के जीवन-काल को और उनसे होने वाले कम उत्पादन की पूर्ति करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश के ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमत में 38147 मेगावाट का अवनिर्धारण स्वीकार कर दिया है।

बम्बई हाई गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन संकुल की स्थापना में हुई प्रगति

4295. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई हाई गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन संकुल की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महाराष्ट्र गैस क्रैकर प्रायोजना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है। गुजरात गैस क्रैकर प्रायोजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

स्टाफ आर्टिस्टों में से प्रोड्यूसरों की नियुक्ति

4296. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** सहायक केन्द्र निदेशक की पदोन्नति के बारे में 7 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोड्यूसरों की नियुक्ति प्रसारण कार्यक्रमों की योजना तैयार करने और उन्हें बनाने के लिए की जाती है अथवा उनसे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की अपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या अनाउन्सर, गायक, प्रोडक्शन असिसटेन्ट जैसे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों से भी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की अपेक्षा की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के अन्य स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी में से ही प्रोड्यूसर नियुक्त करने तथा बेहतर कार्यक्रम तैयार करने के लिए उन्हें अधिक शक्ति प्रदान करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) प्रोड्यूसरों और कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों दोनों को केन्द्र निदेशकों की समग्र देख-रेख में उनकी अपनी-अपनी विधाओं में उनकी उपयुक्तता और विशेषज्ञता के आधार पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनको तैयार करने का काम सौंपा जाता है ।

(ख) प्रोडक्शन सहायक, उदघोषक और संगीतज्ञ, टीम के रूप में, कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा नियोजित और निर्मित कार्यक्रमों के बनाने और प्रस्तुतीकरण में सहायता करते हैं । ये अपने कार्य क्षेत्र में अपेक्षित दक्षता और विशेषज्ञता रखते हैं ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उपमंत्री और अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन की बैठक

4297. **श्री चिंगवांग कोनयक** ;

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन का एक प्रतिनिधि मण्डल नई दिल्ली में उपमन्त्री से मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधि मंडल ने अखबारी कागज के वितरण, अधिक धीमी गति वाले समाचार बुलेटिन की आवश्यकता, अखबारी कागज पर से बिक्री कर की समाप्ति और विज्ञापन के वितरण में कई अनियमितताओं को दूर करने आदि की मांगें उनके समक्ष रखी थीं; यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सम्मेलन की माँगों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कु० कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मांगों की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों के लिए सलाहकार समिति

4298. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आकाशवाणी" और "दूरदर्शन" के विभिन्न केन्द्रों के लिए कोई सलाहकार समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के चार केन्द्रों अर्थात बंगलौर, जलगांव, रायपुर और सिलचर में कार्यक्रम सलाहकार समितियाँ बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा, आकाशवाणी के 23 केन्द्रों के लिए सलाहकार समितियाँ सम्बन्धित केन्द्रों को सूचित कर दी गई हैं। शेष केन्द्रों के लिए समितियों के गठन की कार्रवाई चल रही है।

कर्नाटक में कोयले की सप्लाई

4299. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री डी०एम० पुत्ते गौडा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सोप एण्ड डेटर्जेन्ट्स लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल्स तथा कर्नाटक लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के निगमों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) कर्नाटक के इन एककों को कोयला देने का प्राथमिक स्रोत सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० है। इस कम्पनी के कामगारों द्वारा अप्रैल-जून, 1981 में अनेक बार हड़ताल करने के कारण इस कम्पनी के उत्पादन में कमी आ गई थी। इसके फलस्वरूप इस स्रोत से उक्त एककों को कोयला देने में बाधा पड़ी। दिनांक 12.6.1981 से सिंगरेनी की हड़ताल वापस ले ली

गई और उसके बाद सिंगरेनी में उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हो रहा है और इससे संयुजित उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकताओं को काफी बड़ी हद तक पूरा किया जा रहा है। मैसूर पेपर मिल्स की आवश्यकता का कुछ भाग वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की अधीनस्थ चांदा कोलफील्ड्स से भी पूरा किया जाता है। रेलवे ने परिचालन सम्बन्धी कारणों से जून जौलाई, 1981 में लगभग 3 से 4 सप्ताह तक यहां से दक्षिण को कोयला नहीं भेजा। अब कोयला भेजना पुनः आरम्भ हो गया है और इस स्रोत से कोयले का प्रेषण, वैगनों की उपलब्धि ठीक रही तो कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आशा है कि आने वाले महीनों में इन सभी एककों को कोयले की सप्लाई में और भी सुधार हो जाएगा। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में हड़ताल के दौरान दक्षिण के कोयला उपभोक्ताओं की परेशानी को कम करने के लिए, बिहार, बंगाल कोयला क्षेत्रों से एक अस्थाई उपाय के रूप में कोयला पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए थे।

श्री गंगानगर में टेलीफोन कनेक्शन

4300. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री गंगानगर में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं तथा कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) ऐसे स्वचल एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जिनमें न्यूनतम टेलीफोन कनेक्शन हैं और उनमें टैलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे दस करचल टेलीफोन एक्सचेंज जिनमें अधिकतम टेलीफोन कनेक्शन हैं और उनमें टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) श्री गंगानगर में चालू कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नलिखित प्रकार है :—

चालू कनेक्शनों की संख्या	4672
प्रतीक्षा सूची :	
ओ०वाई०टी०	20
विशेष	18
सामान्य	427

(ख) श्री गंगानगर जिले में न्यूनतम टेलीफोन कनेक्शन वाले 10 स्वचल एक्सचेंजों के नाम तथा उनके चालू कनेक्शन संलग्न विवरण-1 में दिए गए है।

(ग) अधिकतम संख्या में टेलीफोन कनेक्शन वाले 10 हस्तचल एक्सचेंजों के नाम तथा उनमें चालू कनेक्शन संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

श्री गंगानगर जिले में न्यूनतम संख्या में टेलीफोन कनेक्शनों वाले 10 स्वचल एक्सचेंजों के नाम तथा उनके चालू कनेक्शन

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	चालू कनेक्शन
1.	जैतसर फार्म	12
2.	गंगूवाला	13
3.	मिर्जावाला	16
4.	सी०पी० हैड	19
5.	चक 30	23
6.	गणेश गढ़	10
7.	खिनियालसर	14
8.	तलवारा	18
9.	टिबी	9
10.	डाबली	10

विवरण 2

श्री गंगानगर में अधिकतम चालू कनेक्शनों वाले हस्तचल एक्सचेन्जों के नाम

1.	श्री गंगानगर	1810
2.	हनुमानगढ़ जंकशन	280
3.	सूरतगढ़	234
4.	संगारिया	196
5.	निहार	194
6.	पीली बंगा	154
7.	श्री कर्णपुर	140
8.	पद्मपुर	128
9.	रायसिंह नगर	251
10.	श्री बिजय नगर	108

अतिरिक्त एल०पी० जी० सिलेण्डरों का आबंटन

4301. **श्री सोमजी भाई दामोर :**

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० का अतिरिक्त सिलेण्डर (डी० बी० सी०) आबंटित करने का मानदण्ड क्या है;

(ख) वर्ष 1980 में और 1981 में 31 अगस्त, 1981 तक दिल्ली क्षेत्र में (क) कितने एकाकी एल०पी०जी० सिलेण्डर और (ख) कितने अतिरिक्त एल०पी०जी० सिलेण्डर (डी०बी०सी०) दिए गए थे;

(ग) दिल्ली क्षेत्र में 31 अगस्त, 1981 के दिन (क) एकाकी एल०पी०जी० सिलेण्डर तथा (ख) डी० बी० सी० अतिरिक्त सिलेण्डर के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र दिल्ली क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) उपरोक्त लम्बित आवेदन पत्रों का निपटान सरकार द्वारा कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार की देश में गैस सिलेण्डरों का स्वदेशी निर्माण करने की कोई योजना है; और

(च) देश में 1980 में तथा 1981 में 30 जून, 1981 तक कितने एल० पी० जी० सिलेण्डरों का आयात किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कुकिंग गैस (एल०पी०जी०) के उपभोक्ताओं के दूसरे सिलेण्डर (डी०बी०सी०) के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार पृथक रूप से गुणों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) और (ग) इस समय दिल्ली में नये कुकिंग गैस कनैक्शनों के लिए करीब 4 लाख आवेदक हैं । तथापि, दूसरे सिलेण्डर के लिए आवेदकों अथवा ऐसे स्वीकृत अनुरोधों की संख्या के लिए अलग से सूचियां नहीं रखी जाती हैं। गत में बड़े पैमाने पर नए कनैक्शन जारी करना सम्भव न रहा क्योंकि एल०पी०जी० की अपर्याप्त उपलब्धता थी । दिल्ली में वर्ष के दौरान 30-6-81 को करीब 35,000 नये कनैक्शन दिए गए हैं ।

(घ) तेल कम्पनियां प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज आवेदकों को गैस के नये कनैक्शन चरणबद्ध तरीके से एल०पी०जी० की उपलब्धता के आधार पर देंगी । एल०पी०जी० की और अधिक उपलब्धता हो जाने के साथ, विद्यमान उपभोक्ताओं की डी०बी०सी० के लिए मांग सम्बन्धी अनुरोधों पर विचार करना सम्भव हो जाएगा ।

(ङ) तेल कम्पनियों द्वारा एल०पी०जी० सिलेण्डरों की प्राप्ति पूर्णतया देशी स्रोतों जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उरांन-नगांव स्थित एल० पी० जी० चरण II विस्तार परियोजना

4302. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उरान नगांव महाराष्ट्र स्थित एल०पी०जी० चरण II विस्तार परियोजना की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) क्या प्रति मूल परियोजना की समायावलि के अनुरूप है;

(ग) क्या योजना और समयावलि में कोई अन्तर है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा, कारण तथा परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने (1) योजना एवं उसकी समयावलि में अन्तर के कारणों और परिणामों को दूर करने, और (2) परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन तथा उसकी समयावलि को बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) उरान में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की प्रयोजनाओं के चरण II विस्तार में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है क्योंकि ओ० एन० जी० सी० के वर्तमान उरान स्थल में इसके स्थापित करने के गुणावगुणों के लिए अतिरिक्त 41 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जो एक क्षेत्रीय पार्क के विकास के लिए सी०आई०डी०सी०ओ० के आरक्षित क्षेत्र में हैं, इसको पर्यावरणीय आयोजन आधार पर चुनौती दी गई है। इस सम्बन्ध में अध्ययनों को पूरा किया जा चुका है और ऐसी आशा की जाती है कि निर्णय बहुत शीघ्र ही लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में आटोमैटिक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करना

4303. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उसका मन्त्रालय उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में चौखुटिया, द्वारहट, गरुड़, बागेश्वर, लोहा घाट, गंगोलीहट और मुं-सपारी में आटोमैटिक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका मन्त्रालय इन क्षेत्रों की दुर्गमता और सुदूरता को ध्यान में रख कर ऐसे एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। यदि वित्तीय तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।

विज्ञापनों का निकालना और वितरण

4304. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थानों के साथ साथ सभी सरकारी क्षेत्र के निगमों, उद्यमों तथा उपक्रमों, विज्ञापनों को विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से निकालने और वितरित करने के कोई सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में कहीं से कोई मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(च) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, अनेक सरकारी उपक्रम और स्वायत्तशासी निकाय अपनी मर्जी से अपने विज्ञापनों को रिलीज करने के लिए विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय की सेवाओं का अवश्य उपयोग करते हैं।

(घ) से (च) कुछ समाचार पत्र प्रकाशकों और समाचार पत्र एसोसिएशनों ने यह सुझाव दिया है। तथापि, निर्णय लेना सम्बन्धित संगठनों और प्रशासनिक मंत्रालयों का काम है।

टेलीफोन उपकरणों का आयात

4305. **श्री स्कारिया थामस :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से टेलीफोन उपकरणों का आयात करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर, रेडियो उपस्कर, परिषण उपस्कर आदि जैसे दूर संचार उपस्कर की मदों का आयात उन्हीं मामलों में किया जाता है जहां मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त हो अथवा जहां उपस्करों की ऐसी मदों का स्वदेशी उत्पादन न होता हो, आयात का निर्णय स्वीकृत पंचवर्षीय योजना की व्यवस्थाओं के अनुसार एक अनवरत आधार पर लिया जाता है।

दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम

4306. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अभिरुचि तथा मौलिकता की कमी है और वे इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ये कार्यक्रम मौसम और समय के अनुकूल हैं अथवा नहीं जैसा कि 24 जुलाई, को "फैसला" फिल्म का दिखाया जाना तथा 26 जुलाई को "आप के लिए" कार्यक्रम में कव्वाली, जिसमें लोगों को ऊनी वस्त्रों में दिखाया गया है, पुराने कार्यक्रम दिखाते चले जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या बोरियत पैदा करने की अपेक्षा सामान्य लोक रुचि, शिक्षा प्रदत्ता तथा चारित्रिक दृष्टि से मनोरंजक कार्यक्रमों के नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रम काफी अच्छी तरह देखे जाते हैं तथा उनकी सराहना की जाती है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने और इनमें उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए इनकी आवधिक समीक्षा की जाती है। यह प्रयास बराबर चलता रहता है, तथा नये और मूल शिक्षाप्रद और मनोरंजक कार्यक्रम समय-समय पर चालू किए जाते हैं। "आपके लिए" और "लोक मंच" जैसे नये रूपों को विकसित किया गया है। "परिक्रमा" में एक नई शृंखला विकसित की जा रही है जिसमें जन सुख-सुविधाओं और लोगों द्वारा उनके विवेकपूर्ण उपयोग पर बल होगा। एक वन्य जीवन शृंखला भी चालू की जा रही है। तुलनात्मक धर्म, बच्चों के लिए विज्ञान, पुलिस और लोग पर विशेष शृंखलाएं तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत बाहरी फिल्म निर्माताओं को भी टी० वी० फिल्मों के निर्माण के लिए लगाया जा रहा है।

तथापि, कभी-कभी, दर्शकों के अनुरोधों तथा कार्यक्रमों को दोहराने के महत्व को देखते हुए, कुछ कार्यक्रमों को पुनः टेलीकास्ट किया जाता है। "फैसला" जो मुस्लिम वैयक्तिक कानून पर था, और "आपके लिए" में साबरी ब्रदर्स और साथी द्वारा प्रस्तुत "कव्वाली" दोनों कार्यक्रमों को कार्यक्रमों के दुहराने के महत्व के कारण दुबारा टेलीकास्ट किया गया था।

महानगरों की टेलीफोन व्यवस्था में खराबी

4307. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर विभिन्न महानगरों में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में खराबी है;

(ख) यदि हाँ, तो किन खराबियों का पता लगाया गया है; और

(ग) उनके कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) जी नहीं। तथापि टेलीफोन प्रणालियों की कार्यविधि में और अधिक सुधार लाने हेतु निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। कभी-कभी कमजोर भूमिगत केबुलों के दोष के कारण कार्यनिष्पादन प्रभावित होता है।

(ग) टेलीफोन प्रणाली की कार्य विधि में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. एक्सचेंज उपस्करों, विशेषकर आन्तरिक एक्सचेंज जंक्शनों की, विशेष जांच।
2. उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा शिकायतों की पुनरावृति पर विशेष ध्यान देना।
3. टेलीफोन प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
4. दोष निवारण सेवा, स्वचल करचल और ट्रंक सेवाओं के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।
5. मुख्य भूमिगत केबिलों का गैस दाबीकरण।
6. जहां आवश्यक हो अर्ध नलिकाओं द्वारा केबुलों को सुरक्षा प्रदान करना।
7. भूमिगत केबुल नलिकाओं का निर्माण।
8. केबुल खाईयों को बन्द करने से पूर्व दबाना।
9. वितरण जालकार्य में जेली भरे केबुलों का प्रयोग।
10. उपभोक्ताओं की कठिनाइयों पर तुरन्त ध्यान देने हेतु महानगरीय शहरों में उपभोक्ता सेवा केन्द्रों को खोलना।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश में एल०पी०जी० विक्रेताओं की नियुक्ति

4308. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी ने 1980 में समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में मुख्यालय में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां देने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदनकर्ताओं को उनकी योग्यता के आधार पर पहले भोपाल में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि उनकी योग्यता के आधार पर बताई गई उम्मीदवारों की सूची को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और बिना किसी कारण भोपाल में दूसरे साक्षात्कार का आयोजन किया गया और पहले साक्षात्कार में जो उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाए गए थे उन्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का दूसरा अवसर दिया गया और पहले वाली सूची में बदल दिया गया; और

(घ) दो बार साक्षात्कार करने के बावजूद भी अभी तक किसी भी उम्मीदवार को खाना पकाने की गैस की एजेन्सी न देने का क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त कुल 53 आवेदन-पत्रों में से केवल 42 प्रत्याशियों को प्रथम साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ।

(ग) "सामाजिक उद्देश्य" श्रेणी की एजेंसियों में यह महसूस किया गया था कि उन सभी को, जो पात्र हैं, परन्तु जिन्हें पहले साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए । अतः दिसम्बर, 1980 तक किए गए साक्षातकारों को रद्द कर दिया गया था । दूसरे साक्षात्कार के लिए समानता लाने के लिए, सभी पात्र प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ।

(घ) झाबुआ (मध्य प्रदेश) में "सामाजिक उद्देश्य" श्रेणी के अधीन तरल पेट्रोलियम गैस की वितरक एजेंसियों के चयन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

गैस सिलेण्डर फटने से दुर्घटनाएं

4309. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कुछ प्रमुख दुर्घटनाओं की जांच करने के बाद पता चला है कि स्टोर-रौड, ट्रक अथवा रसोई घरों में इस ज्वलनशील गैस की मौजूदगी का कारण निश्चित रूप से गैस के सिलेण्डर से अथवा उस पर लगे वाल्व से गैस का रिसना था; और

(ख) यदि हां, तो उन तेल कम्पनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं जो इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मुख्य

विस्फोटक नियंत्रक, जो खाना पकाने की गैस (एल०पी०जी०) सिलेण्डरों में होने वाली दुर्घटनाओं की जांच कर रहा है, ने सूचित किया है कि कुछ दुर्घटनाओं का कारण एल०पी०जी० सिलेण्डरों में प्रयोग किए गए वाल्वों का त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य करना है, जबकि अन्य कारण एल०पी०जी० वितरकों द्वारा नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित डिलीवरी मैन/मैकेनिकों द्वारा सिलेण्डरों के रख-रखाव में बरती गई लापरवाही/अज्ञानता है। ग्राहकों द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से एल०पी०जी० सिलेण्डरों के रख-रखाव के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। तथापि एल०पी०जी० सिलेण्डरों की बाडी से गैस के रिसने के कारण हुई दुर्घटनाओं की सूचना नहीं है।

भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत बनाए गए, गैस सिलेण्डर नियम में निर्धारित ढंग से समस्त एल०पी०जी० सिलेण्डरों की जांच की जाती है। केवल विशेष विवरण के अनुरूप सिलेण्डर प्रचलन में होते हैं। भारतीय मानक संस्थान (आई० एस०आई) द्वारा निर्धारित नए किस्म के वाल्वों का प्रयोग आरम्भ करने के लिए, तेल कम्पनियों ने पहले से ही कदम उठा लिए हैं। वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके वितरक केवल भली प्रकार से प्रशिक्षित मैकेनिकों तथा डिलीवरी मैनों की नियुक्ति करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नवादा ग्रिड उप-केन्द्र

4310. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवादा ग्रिड उप केन्द्र (बिहार) का निर्माण कार्य जिसे इस वर्ष मार्च में पूरा होना था के अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, नवादा ग्रिड उप-केन्द्र (चरण-एक) को चालू करने का कार्य अगस्त, 1981 में पूरा हो गया है। विद्युत ट्रांसफार्मर की प्रतिष्ठापना और करेन्ट और पोटेन्शियल ट्रांसफार्मरों की प्रतिष्ठापना से सम्बन्धित कार्य के पूरा होने में विलम्ब होने के कारण इस उप-केन्द्र को चालू करने की निर्धारित तिथि को स्थगित करना पड़ा था।

दल-बदल को रोकना

4311. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री कृष्ण कुमार गोयल :
श्री चिरन्जीलाल शर्मा :
श्री बेगुन सुम्बुई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दल-बदल को रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने दल-बदल को रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। दल-बदल पर रोक लगाने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग से सरकार को कोई औपचारिक सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में आरा में जिला तारघर का नींव का पत्थर रखने में विभागीय कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किया जाना

4312. **प्रो० सत्य देव सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने गत 12 अगस्त को बिहार में आरा में जिला तार घर का नींव का पत्थर रखना था;

(ख) क्या कर्मचारी संघ के कुछ विभागीय कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किए जाने के क ण नींव का पत्थर समारोह नहीं किया जा सका; और

(ग) क्या उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उन विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है जो इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर न हों ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां।

(ख) जी हां। डाक यूनियन के कुछ कर्मचारियों द्वारा कठिनाई उत्पन्न की गई थी।

(ग) विषय पर विभागीय नियमों के अनुरूप सम्बन्धित सर्किल के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी के अन्तर्गत तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों को लाने सम्बन्धी प्रस्ताव

4313. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड की पृथक सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों को लाने के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) छठी योजनावधि के अन्त तक इब घाटी और तालचेर कोयला क्षेत्रों से कोयले का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) छठी योजना की अवधि की समाप्ति पर इब घाटी और तालचर कोयला क्षेत्रों का कोयले का अनुमानित उत्पादन क्रमश: 2.00 मिलियन टन और 3.40 मिलियन टन होगा।

पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली क्षति को कम करने के लिए की गई कार्यवाही

4314. **श्री चक्रधारी सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली क्षति को कम करने के लिए विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों अथवा एन०टी० पी०सी० और सी०ई०ए० द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्राधिकरण और एन०टी०पी०सी० के पारेषण और वितरण सम्बन्धी क्षति की प्रतिशतता क्या थी और आज स्थिति क्या है; और

(ग) गत पाँच वर्षों में प्रत्येक राज्य में "बल्क" वितरण और निम्न वोल्टता वितरण के रूप में पारेषण और वितरण की क्षति क्या है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पारेषण और वितरण

हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं और ये सिद्धान्त राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं ताकि ये उनकी प्रणालियों में अपनाए जाएं। अन्य बातों के साथ-साथ इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :—

(एक) कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रत्येक बिजली बोर्ड में एक विशेष संगठन बनाना।

(दो) वितरण आयोजना के लिए बोर्डों द्वारा पायलट प्रणाली अध्ययन शुरू किए जाने चाहिएं तथा न केवल लघु वितरण और एल०टी० तार-जाल को, बल्कि सम्बद्ध उप-पारेषण और पारेषण प्रणालियों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

(तीन) हानियों को कम करने की स्कीमें तैयार करने हेतु प्रत्येक बिजली बोर्ड में एक विशिष्ट यूनिट स्थापित करना।

(चार) सप्लाई की शर्तों में इस आशय का संशोधन करना कि इन्डक्टिव मोटिव विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अपने-अपने टर्मिनलों में शन्ट केपेसिटर्स लगाना बाध्यकारी हो जाय।

(पांच) अधिक भार वाली लाइनों को राहत पहुंचाने के लिए नई पारेषण लाइनों का तथा उप केन्द्रों का उत्थापन, मौजूदा लाइनों के संवाहकों को बदल-कर उनके स्थान पर बड़े साइज के संवाहक लगाना, उपकेन्द्रों को नए स्थानों पर स्थापित करना तथा मौजूदा निम्नवोल्टता प्रणालियों की नए सिरे से व्यवस्था करना।

(छः) वोल्टेज की परिस्थितियों में और विद्युत गुणांक में सुधार लाने के लिए तथा पारेषण और उप पारेषण लाइनों के भार में कमी करने के लिए विभिन्न ग्रिड उप केन्द्रों और प्राथमिक वितरण उप केन्द्रों में उच्च वोल्टता केपेसिटरों की प्रतिष्ठापना करना।

(सात) ऊर्जा की चोरी रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना जिसमें राज्य के बिजली बोर्डों के/विभागों के इन्जीनियर हों तथा एक पुलिस अधिकारी हो।

पारेषण और वितरण हानियों को यथा संभव न्यूनतम करने के लिए अधिकांश राज्य उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं।

क्षेत्रीय बिजली बोर्डों और राष्ट्रीयताप विद्युत निगम की इस समय कोई पारेषण और वितरण लाइनें नहीं हैं।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्ष (1975-76 से 1979-80 तक) की पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

वर्ष 1980-81 के दौरान हुई पारेषण और वितरण हानियों का वर्तमान स्थिति का तथा बल्क और निम्न वोल्टता वितरण में पारेषण और वितरण हानियों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/विभागों में (वाणिज्यिक हानियों सहित) ट्रांसफार्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड/ विभाग	हिसाब में न आई वाणिज्यिक हानियों (जैसे चोरी आदि) सहित ट्रांसफार्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता				अभ्युक्ति
		1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6	7
1)	उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	23.19	21.54	21.73	21.68	28.35
2.	हिमाचल प्रदेश	19.62	26.41	23.07	19.46	19.62
3.	जम्मू और कश्मीर	23.34	23.77	34.06	41.24	46.01
4.	पंजाब	21.18	23 66	20.08	19.41	19.49
5.	राजस्थान	25.74	24.50	25.00	26.60	28.64
6.	उत्तर प्रदेश	21.69	23.96	20.13	18.63	18.39
7.	चण्डीगढ़	22.43	25.38	29.85	25.09	27.68
8.	डेसू	13.97	13.30	13.96	14.34	15 33
	उत्तरी क्षेत्र	22.76	23.44	21.59	21.30	22.06

1	2	3	4	5	6	7
)	पूर्वी क्षेत्र					
1.	बिहार	23.94	26.02	24.45	23.70	18.27
2.	उड़ीसा	14.29	14.29	13.65	18.26	16.81
3.	सिक्किम			25.59	19.47	20.70
4.	पश्चिम बंगाल	11.69	10.67	12.75	12.97	13.65
5.	अंडमान और निकोबार	9.42	17.33	20.88	24.74	27.98
	पूर्वी क्षेत्र	15 69	16.35	16.06	16.78	16.98
3)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
1.	असम	16.50	19.05	19.96	20.26	18.23
2.	मणिपुर	24.63	25.00	52.56	67.14	55.84
3.	मेघालय	9.03	8.37	8.28	7.07	11.15
4.	नागालैंड	25.26	35.97	38.20	35.79	32.58
5.	त्रिपुरा	16.61	24.28	25.85	35.89	32.17
6.	अरुणाचल प्रदेश	36.30	36.38	32.62	26.29	16.64
7.	मिजोरम		34.02	10.31	9.09	37.22
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	19.35	21.53	22.95	23.33	21.93

1	2	3	4	5	6	7
4)	दक्षिणी क्षेत्र					
1.	आंध्र प्रदेश	24.53	24.12	22.97	20.54	20.88
2.	कर्नाटक	15.92	15.24	15.96	21.94	20.60
3.	केरल	16.13	14.17	11.61	11.39	14.83
4.	तमिलनाडु	18.85	18.72	18.54	18.63	19.49
5.	लक्षद्वीप	10.42	16.98	17.81	21.84	14.81
6.	पांडिचेरी	11.98	13.35	15.68	13.92	15.20
	दक्षिणी क्षेत्र	20.42	19.88	19.85	21.31	19.93
5)	पश्चिमी क्षेत्र					
1.	गुजरात	19.51	19.09	17.92	16.73	18.08
2.	मध्य प्रदेश	18.80	18.75	18.86	20.24	22.68
3.	महाराष्ट्र	17.50	17.37	16.83	17.74	17.35
4.	दादरा और नगर हवेली	35.03	42.65	37.14	29.10	27.20
5.	गोवा, दमन और दीव	20.43	18.26	22.36	26.29	21.94
	पश्चिमी क्षेत्र	17.04	17.58	17.60	18.45	18.29
	अखिल भारत (केवल युटिलिटीज)	19.42	19.79	19.26	20.02	20.45

टिप्पणी : 1979-80 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

उड़ीसा द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

4315. **श्री केयूर भूषण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश सरकार को पाँच मेगावाट बिजली की सप्लाई करने के लिए बचनवद्ध है;

(ख) क्या उड़ीसा ने यह सप्लाई दिनांक 24 सितम्बर, 1979 से रोक दी है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई अब तक पुनः शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए वचन का पालन करे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा, 23 सितम्बर, 1979 तक मध्य प्रदेश को 5 मेगावाट बिजली की सप्लाई कर रहा था ।

(ख) अपने जल विद्युत केन्द्रों से कम उत्पादन होने के कारण उड़ीसा ने यह सप्लाई 24 सितम्बर, 1979 से बन्द कर दी थी । तथापि उड़ीसा में जब बिजली सप्लाई की स्थिति अच्छी हुई तो मध्य प्रदेश को पुनः सप्लाई नहीं दी गई ।

(ग) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को पहले की गई सप्लाई के भुगतान की दर के बारे में उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच कुछ मतभेद हैं ।

(घ) राज्य सरकारों के बीच यह पूर्ण रूप से एक द्विपक्षीय व्यवस्था है तथा इस मामले का समाधान सम्बन्धित राज्य सरकारों को ही करना है तथा केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध इससे नहीं है ।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में हड़ताल

4316. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 13 अप्रैल, 1981 से हड़ताल चल रही है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के प्रतिनिधियो के साथ मामलों का निपटारा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्र) ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 12, जून, 1981 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की थी और दोनों पक्षों से विचार-विमर्श करने के बाद उन्होंने कार्यावृत्त/विचार-बिमर्श का प्रारूप तैयार किया था

तथा उसे प्रबन्ध मण्डल और फैडरेशन के प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तथा हड़ताल को अनिश्चित काल तक चलने के लिए छोड़ दिया; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आल इंडिया नेशनल प्रोजक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड एम्प्लाईज फैडरेशन, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियन है लेकिन नेशनल प्रोजक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन ने इसे अभी तक अधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की कुछ एक परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व यह फैडरेशन करता है । फैडरेशन ने 3 जनवरी, 1981 के अपने पत्र द्वारा एक मांग पत्र तथा हड़ताल का नोटिस दिया है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने इस फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी लेकिन राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्धकों के भरसक प्रयासों के बावजूद, वार्ता असफल रही तथा फैडरेशन ने 31 अप्रैल, 1981 से अपने कामगारों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की घोषणा कर दी। भारत में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के 44 परियोजना स्थलों में से केवल 14 परियोजनाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। प्रबन्धकों द्वारा किए गए वैकल्पिक उपायों के परिणामस्वरूप, 4 स्थानों को छोड़ कर हड़ताल ग्रस्त अधिकांश परियोजनाओं में हड़ताल की अवधि के दौरान काम सामान्य रूप से चलता रहा। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्धकों तथा फैडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक स्तर पर एक लम्बे विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ था तथा अनिश्चित कालीन हड़ताल 2 सितम्बर, 1981 को वापस ले ली गई थी।

(ग) और (घ) श्रम उपायुक्त (केन्द्रीय) ने इस हड़ताल में औपचारिक रूप से समझौते की कार्रवाही नहीं की थी। तथापि उन्होंने दोनों पक्षों को, 12 जून, 1981 को एक संयुक्त बैठक के लिए, आमन्त्रित किया था। चूंकि समझौते के प्रस्तावित प्रारूप की विभिन्न मदों पर प्रबन्धक अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं थे इसलिए इस बैठक के दौरान कोई समझौता नहीं हो सका।

(ङ) बातचीत जारी रही और अब समझौता हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप 2 सितम्बर, 1981 को हड़ताल वापस ले ली गई है।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दिया जाना

4317. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड, को अपनी सोड़ा ऐश की क्षमता में 3,60,000 टन से 5,00,000 टन तक की वृद्धि करने की अनुमति दे गई थी,

(ख) यदि हां, तो मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड, को सोड़ा ऐश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति कब दी गई थी, और

(ग) उन्होंने सोड़ा ऐश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि वस्तुतः कब की और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सोड़ा ऐश की क्षमता में प्रति वर्ष 1,40,000 टन [टीपी०ए०] तक पर्याप्त विस्तार के लिए मै० टाटा कैमिकल्स को दिनांक 4-11-73 को एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था।

(ग) यह लाइसेंस अभी कार्यान्वयनाधीन है।

पर्याप्त विस्तार के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए कम्पनी ने निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी बताया है :—

(1) लवण कारखानों का विस्तार, सोड़ा ऐश क्षमता की विस्तार योजना का एक लम्भिक अंग है। सोड़ा ऐश क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिए यद्यपि दिसम्बर, 1973 में उनको एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था किन्तु लवण कारखानों के विस्तार के लिए एम०आर०टी०पी० अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति मई, 1977 में जारी की गई थी।

(2) वर्ष 1979 और 1980 में अभूतपूर्व वर्ष और बाद में लवण कारखानों के विकास को गम्भीर रूप से प्रभावित किया।

अब कम्पनी ने सूचित किया है कि सोड़ा ऐश संयंत्र का विस्तार बैटरी सीमाओं तक पूर्ण हो गया है और स्थाई किस्म के कुछ उपकरण स्थापित किए जाने हैं तथा विस्तृत क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व इन्फास्टकर सुविधाएं सामग्री नियन्त्रण वार्ड का पुनर्प्रबन्ध एवं बायलर फीड वाटर प्लांट की स्थापना के कार्य पूरे किए जाने हैं। कम्पनी ने यह तर्क भी दिया है कि जब तक हेपा से मिथापुर तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक विस्तृत क्षमता के लिए कच्चे माल का परिवहन असानी से नहीं हो सकता।

संवाददाताओं के प्रचाग्रन सम्बन्धी नियम

4318. **श्रीमती किशेरी सिन्हा**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुख्यालयों में संवाददाताओं के प्रत्यायन सम्बन्धी नियमों में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि संशोधित नियमों के अन्तर्गत समाचार पत्रों के संवाददाताओं को कम से कम 500 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा;

(ग) क्या इस नियम के अन्तर्गत बहुत अधिक संख्या में छोटे तथा मझौले समाचार पत्र व्यक्तिगत तौर पर संवाददाता रखने के वंचित हो गए हैं जब कि पिछले नियम के अन्तर्गत दो या तीन समाचार पत्र मिल कर नई दिल्ली में एक संवाददाता रख लेते थे; और

(घ) क्या इस नियम पर पुनः विचार करने या इसमें संशोधन करने तथा पुरानी पद्धति लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान डाकघरों और मण्डलीय डिवीजनल डाकघरों में काम के घण्टों में असमानता

4319. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान डाकघरों में काम के घण्टे प्रातः दस बजे से सायं छः बजे तक हैं, जब कि मण्डलीय डाकघरों में प्रातः दस बजे से सायं पाँच बजे तक;

(ख) काम करने के घण्टों में असमानता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) मुख्य डाकघर एक प्रचालन कार्यालय है, जबकि डिवीजनल कार्यालय डाकघर अधीक्षक के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। डाकतार विभाग के प्रचालन कार्यालयों में तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य घण्टे समान नहीं हैं। डाकघरों में नियुक्त स्टाफ को 8 घण्टे कार्य करना होता है जबकि प्रशासनिक कार्यालय में नियुक्त स्टाफ को 7 घंटे प्रति दिन कार्य करना होता है। प्रचालन कार्यालयों एवं प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य घंटों में इस प्रकार का अन्तर रेलवे आदि विभागों में भी है। यह अंतर कार्य की किस्म सार्वजनिक सेवाओं की अनिवार्यता आदि को मद्देनजर रखते हुए किया गया है।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का विस्तार

4320. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम के विस्तार का कोई प्रस्ताव लम्बित समय से सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो अब तक विस्तार न किए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या, जैसा कि गोरखपुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम का विस्तार नहीं किया गया है, इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की उर्वरकों की पूरी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई हो रही है, और

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (घ) क्षेत्र की प्रायोजित मांग, क्षेत्र में अन्य प्लांटों से उपलब्ध उत्पादन, फीड स्टाक की उपलब्धता और अन्य उपयुक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस समय सरकार गोरखपुर के उर्वरक प्लांट के विस्तार को न तो आवश्यक और न ही सामयिक ही समझती है ।

(ग) जी नहीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति गोरखपुर और अन्य प्लांटों से आबंटन तथा आयातित उर्वरकों से की जाती है ।

आकाशवाणी, दूरदर्शन में विशेष पद बनाया जाना

4321. **श्री रशीद मसूद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को पदों पर रखने के लिए पदों और आन्तरिक पदोन्नतियों की अपेक्षाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत सिद्धांतों और निर्धारित मानक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए विशेष पद बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ये विशेष पद बनाने में किन बातों को महत्व दिया है; और

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन कर्मचारियों में इसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों के वर्ग ने इसका स्वागत किया है। तथापि, ए० आई० आर० प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन ने इन पदों के स्टाफ आर्टिस्टों के वर्ग में सृजन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव

4322. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को जिसमें राज्य सभा के कई सदस्यों की सदस्यता को इस आशा पर अवैध घोषित किया गया था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का सचिव एक कार्यपालक अधिकारी नहीं था और इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 के अधीन वह राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, देखते हुए सरकार का विचार उक्त अधिनियम में उचित संशोधन करने का है; और

(ख) प्रस्तावित विधान संसद के समक्ष कब तक लाए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध एक अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों गैस एजेंसियों के लाइसेंस जारी करना

4323. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों के कितने लाइसेंस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को जारी किए गए हैं; और

(ख) अगले वर्ष के लिए उसका कितना कोटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ऐसा सूचित किया गया है कि आरक्षण नीति के आरम्भ से अर्थात "ख" स्थल रिटेल आउटलेटों को छोड़कर, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए दिनांक 1.1.1974 से तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की समस्त एजेंसियों के लिए दिनांक 23.9.1977 से 31.3.1981 तक राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को छः रिटेल आउटलेट डीलरशिपें (पेट्रोल/डीजल पम्प) तथा एक खाना पकाने की गैस एजेंसी आबंटित की गई है।

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार 25 प्रतिशत।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा बल्क उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई

4324. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन दक्षिण भारत में किन्हीं उपभोक्ताओं को बल्क-मात्रा में बिजली सप्लाई करते हैं;

(ख) यदि हां, तो बिजली के ऐसे बल्क-उपभोक्ता कौन-कौन हैं;

(ग) क्या ऐसे बल्क-उपभोक्ताओं की ओर नेवेली लिग्नाइट कापेरिशन की कुछ धनराशि बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक की बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है और बकाया की वसूली के लिए नेवेली लिग्नाइट कापोरेशन ने क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु बिजली बोर्ड नेवेली बिजली घर में उत्पादित बिजली का एक मात्र उपभोक्ता है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 7.9.1981 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया रु० 675.64 लाख है। यह राशि, अन्य के साथ-साथ, अप्रैल, 1981 से जुलाई, 1981 तक के पूरक बिल, अगस्त, 1980 से मार्च, 1981 और अगस्त, 1981 के तेल वृद्धि बिल और अन्य दावों से सम्बन्धित है। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड से सम्पर्क बनाए हुए है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत शामिल न किए गए गाजीपुर के गांव

4325. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कितने गांवों को अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) उन गाँवों के नाम क्या हैं जिनमें नियमों के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और औपचारिकताएं किस तारीख को पूरी की गई थीं;

(ग) उपरोक्त (ख) के अन्तर्गत आने वाले गांवों को एक से पांच वर्ष तक बिजली की प्रतीक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जनगणना के अनुसार कुल 2510 आबाद गाँव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर, मार्च, 1981 के अन्त तक 875 गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। इस प्रकार, इस जिले में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, जनगणना के अनुसार 1635 आबाद गाँवों को विद्युतीकृत किया जाना अभी बाकी है।

(ख) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें या तो राज्य सरकार के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अथवा ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। सामान्यतः परियोजना को पूरा करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है। जिन 1635 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना है, उनमें से 541 गाँवों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अभी तक स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जा चुका है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। शेष बचे गांवों को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा या तो राज्य सरकार के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अथवा ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

सरकार गाँवों के विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दे रही है और यह आशा की जाती है कि देश के शत प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 1994-95 तक पूरा कर लिया जाएगा।

राज्यों में तापघर और अन्य परियोजनाओं में हिस्सा नियत करने का आधार

4326. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ताप बिजली घर, सुपर ताप बिजली घर और अन्य परियोजनाओं के लिए हिस्सा नियत करने का क्या आधार है; और

(ख) पिछले छः सालों के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना से प्रत्येक राज्य को कितने प्रतिशत भाग दिया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय सेक्टर की जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन इस समय, आवश्यक तौर से ऐसे सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों में ऊर्जा की वार्षिक खपत को तथा इन राज्यों को दी गई वार्षिक योजना सहायता को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, 15 प्रतिशत उत्पादन क्षमता को बिना आबंटन किए ही रखा जाता है ताकि समय-समय पर विद्युत उपलब्धता की जो स्थिति हो उस पर निर्भर करते हुए क्षेत्र के विभिन्न घटकों में उसका वितरण किया जा सके। जिस राज्य में केन्द्र स्थापित है उस राज्य को ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में अतिरिक्त आबंटन करके और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में रायल्टी देकर विशेष लाभ दिया जाता है। यह सूत्र 1976 से लागू है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की जिन विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन को उपरोक्त सूत्र के आधार पर बांटा जाएगा उनसे विद्युत उत्पादन अभी आरम्भ होना है। तथापि इन परियोजनाओं से विभिन्न लाभ प्राप्त कर्त्ताओं में से प्रत्येक को यथा प्रस्तावित एक हिस्सा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न ताप परियोजनाओं से हिस्सा

1. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 2000 मेगावाट (चरण-1-600 मेगावाट)
(चरण-2-1400 मेगावाट)

भाग राज्य	प्रत्येक का हिस्सा
उत्तर प्रदेश	850
दिल्ली	150
हरियाणा	200
पंजाब	200
राजस्थान	300
आबंटित नहीं	300
	2000

2. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 2100 मेगावाट (चरण-1)

राज्य	प्रत्येक का हिस्सा 2100 मेगावाट के चरण में
गुजरात	360
महाराष्ट्र	610
मध्य प्रदेश	610
गोवा	210
आवंटित नहीं	310
	2100

3. रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 2100 मेगावाट (चरण-1)

राज्य	प्रत्येक का हिस्सा (मेगावाट)	
आंध्र प्रदेश	595	अनन्तिम
तमिलनाडु	485	
कर्नाटक	355	
केरल	255	
गोवा	100	
आवंटित नहीं	310	
	2100	

फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 600 मेगावाट (चरण-1, सोपान-1)

भाग राज्य	प्रत्येक का हिस्सा 600 मेगावाट के चरण में (मेगावाट)
पश्चिमी बंगाल	205
बिहार	135
उड़ीसा	75
दामोदर घाटी निगम	90
सिक्किम	5
आवंटित नहीं	90
	600

4. नेवेली दूसरा माइनर-कट (दक्षिणी क्षेत्र)

स्वीकृत क्षमता 630 मेगावाट

भाग राज्य	प्रत्येक का हिस्सा 630 मेगावाट के चरण में मेगावाट
आंध्र प्रदेश	97
कर्नाटक	85
केरल	63
तमिलनाडु	176
पांडिचेरी	65
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन	50
आबंटित नहीं	95
	630

पेटेन्ट औषधियों की कमी

4327. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों द्वारा "केपटिव" खपत के लिए "बल्क" औषधियों का अधिक उत्पादन और भारतीय फर्मों पर लगाए गए प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप देश में पेटेंट ब्रांड के उत्पादों में कमी हुई है; और

(ख) मध्यम दर्जे की भारतीय कम्पनियों के फर्मवार और मदवार, कितने आवेदन-पत्र नामंजूर किए गए हैं और किन कारणों तथा सांविधिक उपबंधों के अन्तर्गत ये नामंजूर किए गए थे।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) शायद प्रश्न विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक बल्क औषधों के उत्पादन के बारे में है जबकि उनकी लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार उन्हें गैर सम्बद्ध फार्मुलेटरों को सप्लाई करनी है। इसे पहले ही दिनांक 14.4.1981 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 7376 के भाग (ग) और (क) के उत्तर में दर्शाया जा चुका है। यह पाया गया है कि उक्त उत्तर में बताए गए बल्क औषधों पर आधारित पेटेन्ट ब्रांड उत्पादों की अनवरत रूप से कमी नहीं हुई है।

(ख) वर्ष 1980 के दौरान प्राप्त और अब तक रद्द किए गए आवेदन पत्रों के ब्यौरे तथा रद्द करने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	आवेदन की तिथि	उत्पादन की मद	रद्द करने के लिए कारण
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स शोफ एण्ड कैमीकल प्रा० लि०	23.1.1980	मर्करी कम्पाउन्ड	मर्करी पर आधारित दवाइयों की मांग काफी नहीं थी और दवाई के आयात की मात्रा काफी अधिक थी।
2.	मैसर्स प्रेमनाथ आर० खंडलवाल	11.2.1980	इथाम्बुटोल एच०सी०एल०	पर्याप्त क्षमता की स्वीकृति पहले ही दी गई है।
3.	मैसर्स केरल स्टेट एण्ड डेव० कार०	25.2.1980	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रट और इसके फार्मूलेशन	निर्माण भूल स्तर से नहीं था।
4.	मैसर्स कोदारी प्लान्टेशन	7.4.1980	क्लोरफनीकल	I. आयात की मात्रा अधिक है। II. निर्माण मूल नहीं है।
5.	मैसर्स अलबर्ट डैविट लि०	14.4.1980	टिनिडाजोल आदि एक्रिफ्लेविन आदि	स्थल अनुमेय नहीं था।
6.	मैसर्स सेइअमारल (आई) लि०	13.5.1980	नेप्रोक्सेन गोलियां	कम्पनी डी०जी०टी०डी० पंजीकरण की मात्रा थी।

1	2	3	4	5
7.	मैसर्स रैकिट एण्ड कोलमैन आफ इण्डिया लि०	13.5.1980	सोडियम वेलप्रोएट गोलियाँ	कम्पनी का कोई बल्क औषध कार्यकलाप नहीं हैं।
8.	मैसर्स आंध्र सुगर्स	13.6.1980	एस्पिरिन, सोडियम सेलिसाइलेट	कम्पनी ने पहले ही लाइसेंस-शुदा क्षमता का पूर्ण कार्यान्वियन नहीं किया था।
9.	मैसर्स डोलफिन कैमिकल्स	18.6.1980	पेय/टीके और कैप्सुल	अनुपात पैरामीटर संतोषजनक नहीं हैं।
10.	मैसर्स लेबोरेटरीज बिफर (इं) लि०	16.7.1980	फ्लेक्सिवियल	I. कम्पनी बल्क औषध का निर्माण नहीं करती। II. स्थल अनुभव नहीं।
11.	मैसर्स डे-सी केम लि०	18.7.1980	क्लोरमफ़ेनीकल और स्ट्रेप्टोमाइसिन कैपसुल	प्रस्ताव मूल स्तर से बल्क औषधों के निर्माण से नहीं जुड़ा है।
12.	मैसर्स रजनीकान्त प्रभु दास शाह	8.8.1980	विटामिन बी० कीनोनाइट्रेट एच०सी०एल०	मद सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित
13.	मैसर्स गुजरात ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०	14.8.1980	एम्पीसिलिन ट्राइड्राइडैट और उसके फार्मूलेशन	पर्याप्त क्षमता का पहले ही लाइसेंस दिया जा चुका है।
14.	डा० जे०जे० नेसरकर	1.11.1980	डी (—) फिनाइल गमाइसीन आदि	-वही-

1	2	3	4	5
15.	मैसर्स गेलिकप्स प्रा० लि०	14.11.1980	नेटल्स, इर्गोट आदि	मदों के निर्माण के लिए प्रस्ताव अपूर्ण था।
16.	मैसर्स आई०डी०एल० कैमी	16.11.1980	टबुंटासीन सल्फेट और इसके फार्मुलेशन	कम्पनी का प्रस्ताव पहले से डी०जी०टी०डी० यूनिट से पंजीकृत था।
17.	मैसर्स एस्ट्रा आई०डी०एल० लि०	21.11.1980	डैप्सोन बल्क और इसके फार्मुलेशन	-वही-
8.	मैसर्स केरल स्टेट एंड डैवलमेंट कार, लि०	1.12.1980	क्लोरोक्वीन डाई-फास्फेट	1) कम्पनी द्वारा तैयार किया गया लागत अनुमान यथार्थ नहीं था। 2) पहले ही पर्याप्त क्षमता का लाइसेंस/अनुमोदन किया जा चुका है।
19.	मैसर्स एन०के० सोमानी	2.12.1980	एम्पीसिलिन आदि	पहले ही पर्याप्त क्षमता का लाइसेंस/अनुमोदन किया जा चुका है।
20.	मैसर्स इन्डो फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि०	17.12.1980	आइसोप्रोपाइस फेनाजोल बेनोराइलेट	परियोजना का स्थाल एक नीति के अनुरूप नहीं है।
21.	मैसर्स न्यू ड्रग्स (इंडिया) लि०	20.12 1980	ट्राइमेथोप्रिम	पहले ही पर्याप्त क्षमता का लाइसेंस/अनुमोदन किया जा चुका है।

दूर संचार कारखाने

4328. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित दूर संचार कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन स्थानों पर इस तरह के दूरसंचार कारखाने स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या छठी योजना अवधि के दौरान इन कारखानों में से कुछेक का आधुनिकीकरण किए जाने और विस्तार किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा में कुछ नए दूरसंचार कारखाने स्थापित किए जाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर नए दूरसंचार कारखानों की संभावित स्थापना किए जाने पर विचार किया गया है; और

(छ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) चार ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, जबलपुर एवं भिलाई ।

(ग) एवं (घ) जी हां। इन दूरसंचार कारखानों के आधुनिकीकरण एवं बिस्तार के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र का ताप बिजली संयंत्र

4329. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य के बावजूद कि बिजली-उत्पादन का कार्य सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है, गैर-सरकारी क्षेत्र को ताप बिजली संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने को अन्ततः सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो नीति में इस परिवर्तन के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन बिजली-उत्पादन के लिए अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यूटिलिटी के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प, 1956 के द्वारा शासित होती है। इस संकल्प के अन्तर्गत बिजली के उत्पादन और वितरण को अनुसूची "क" में शामिल किया गया है। इसमें उन उद्योगों की सूची दी गई है, जिनमें सभी नई यूनिटें केवल राज्य द्वारा ही स्थापित की जाएंगी। अपवाद केवल उन मामलों में होगा जिनमें नए यूनिटों की स्थापना निजी क्षेत्र में किए जाने का अनुमोदन दिया जा चुका है। निजी स्वामित्व वाले वर्तमान यूनिटों के विस्तार में अथवा जब नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्र हित में अपेक्षित हो, तब राज्य द्वारा इसे प्राप्त करने की संभावना में यह प्रस्ताव बाधक नहीं है। विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी यूटिलिटीज के प्रस्तावों पर विचार, उनके गुण-दोषों के आधार पर, औद्योगिक नीति सम्बन्धी उक्त संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है।

(ग) टाटा के ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र में 1 × 500 मेगावाट तक का विस्तार करने के 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव को अगस्त, 1977 में स्वीकृत किया गया था। मै० कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा कलकत्ता के पास टीटागढ़ में स्थापित किए जाने वाले 4 × 60 मेगावाट के नए ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए जुलाई 1978 में स्वीकृति दी गई थी। जिस उत्पादन क्षमता का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका था, उस क्षमता के स्थान पर नई क्षमता के लिए यह स्वीकृति थी।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के साबरमती ताप विद्युत केन्द्र के (कुल 90 मेगावाट के) मौजूदा पुराने और छोटे यूनिटों को 59.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 110 मेगावाट के बड़े यूनिट के साथ बदलने के प्रस्ताव को, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि स्थाई लिंकेज समिति से कोयला लिंकेज की पुष्टि अन्तिम रूप से हो जाए।

सीकर, राजस्थान को पेट्रोल, डीजल की सप्लाई

4330. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्थान के सीकर जिले में तारीख सहित किन व्यक्तियों ने पेट्रोल अथवा डीजल पम्प अथवा दोनों के लिए आवेदन-पत्र दिए थे;

(ख) तारीखवार किन व्यक्तियों को पेट्रोल अथवा डीजल पम्प अथवा दोनों मंजूर किए गए थे;

(ग) कितने आवेदन-पत्र नामंजूर किए गए थे और किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नामंजूर किए गए थे;

(घ) सम्बन्धित जिला अधिकारी से आपत्ति प्रमाण-पत्र वाले किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नामंजूर किए गए थे;

(ङ) किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं;

(च) बाद में प्रस्तुत किए गए किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र पहले मंजूर किए गए और किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र बाद में मंजूर किए गए; और

(छ) विचाराधीन आवेदन-पत्र किन-किन तारीखों को प्रस्तुत किए गए थे और उनके कब तक अनिर्णीत रहने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) डीलर के चयन के लिए तेल कम्पनियों द्वारा केवल ऐसे आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जाता है जो समाचार-पत्र में दिए गए विशिष्ट विज्ञापन के सन्दर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऐसा सूचित किया गया है कि गत पाँच वर्षों में राजस्थान में सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के स्थान पर केवल एकमात्र रिटेल आउटलेट डीलरशिप (केवल मात्र एच०एस०डी० पम्प) विज्ञापित किया गया है। निम्नलिखित छः व्यक्तियों ने डीलरशिप के लिए आवेदन किया था :—

1. श्री दिलसुख राय चौधरी
2. श्री एस०सी० जैन
3. श्री अब्दुल रशीद खिलजी
4. श्री सुखबीर सिंह बेदी
5. श्री मान सिंह
6. श्री सूबेदार मेहरूराम

(ख) श्री दिलसुखराय चौधरी को उक्त रिटेल आउटलेट डीलरशिप दिनाँक 14.3.1977 को आबंटित की गई थी।

(ग) से (छ) समस्त आवेदन-पत्र विज्ञापन में दी गई निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया था। डीलर के चयन किए जाने के बाद, शेष आवेदन-पत्रों को अनिर्णीत नहीं माना जाता है।

पश्चिम बंगाल द्वारा पैराफिन वैक्स की मांग

4331. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की पैराफीन वैक्स की वार्षिक मांग क्या है ;

(ख) पश्चिम बंगाल को गत चार वर्षों के दौरान आबंटित कोटे में से कितना पैराफीन वैक्स सप्लाई किया गया तथा उसका वर्ष वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित वास्तविक कोटा और सरकार द्वारा की गई पैराफीन वैक्स की सप्लाई कितनी बार बराबर थी तथा पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित कोटे की तुलना में सप्लाई में कमी का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार पैराफिन मोम की राज्य में मांग 38,000 मि०मी०टन प्रतिवर्ष है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	आबंटन	उठान
1977	6316 मि०मी०टन	5812 मि०मी० टन
1978	6638 -वही-	5210 -वही-
1979	7968 -वही-	4924 -वही-
1980	9793 -वही-	5462 -वही-

पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को आबंटन केन्द्रीय सरकार करती है। सम्बन्धित वितरक तेल कम्पनियों से की गई मांग को प्राप्त कराना राज्य प्राधिकारियों का कार्य है।

तट पर तेल कुंओं से तेल उत्पादन के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों से वार्ता

4332. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट पर तेल कुओं से तेल उत्पादन बढ़ाने और इस प्रयोजन के लिए तरीकों तथा जानकारी के सम्बन्ध में फ्रांसीसी तथा अन्य देशों के विशेषज्ञों के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की औपचारिक वार्ता के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या गोदावरी तथा अन्य बड़ी नदियों की घाटियों में तेल कर्षण के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग समझौतों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तटवर्ती तेल कुओं से उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा फ्रांसीसी तथा अन्य किसी विदेशी कम्पनियों के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं की गई हैं। तथापि, रुग्ण कुओं की मरम्मत करने के लिए, ओ०एन०जी०सी० सोवियत संघ की वी० ओ० टैक्नोएक्सपोर्ट नामक कम्पनी के साथ एक समझौते को अन्तिम रूप दे रही है। बंद कुओं को उदीप्त करने के लिए कनाडा की मैसर्स नाअस्को (एन०ओ०डब्ल्यू०एस० सी०ओ०) के साथ किए गए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

(ख) और (ग) इस समय गोदावरी बेसिन में तेल के लिए व्यधन कार्य करने के लिए किसी देश के साथ समझौता करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कुछ क्षेत्रों को विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए दिया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है।

विदेशों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

4333. **श्री चित्त महाटा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो इस देश में सरकारों के बीच आदान-प्रदान के आधार पर कच्चे तेल की सप्लाई बनाए रखने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्ष, 1980 के दौरान, खनिज तेल की सप्लाई के लिए निम्नलिखित देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ करार किए गए थे :—

ईराक
इरान
सोवियत संघ
संयुक्त अरब अमीरात
नाइजीरिया

इसके अतिरिक्त, 1981 में, निम्नलिखित देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ करार किए गए थे :—

कुवैत
सऊदी अरब
अल्जीरिया
वेन्जूएला
मैक्सिको

इस सम्बन्ध में आगे और सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं है।

देश में सभी संसाधनों से विद्युत उत्पादन की अधिकतम क्षमता

4334. **श्री राम सिंह यादव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न संसाधनों से अर्थात जल-विद्युत परियोजनाएं, उच्च तापीय और तापीय संयंत्र, परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं और सौर ऊर्जा तकनीकी से विद्युत उत्पादन की अधिकतम क्षमता कितनी है;

(ख) पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 और पहली जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 की अवधि में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन आवश्यक खपत से कम रहा; और

(घ) यदि हां, तो देश में विद्युत उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्रोतों से युटिलिटीज में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 30271 मेगावाट थी ।

(ख) 1 जनवरी, 1980 से 31 जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान युटिलिटीज में कुल विद्युत उत्पादन 17782 मिलियन यूनिट हुआ था ।

(ग) जनवरी से दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा की कमी 14.70 प्रतिशत थी तथा जनवरी से जुलाई, 1981 के दौरान यह कमी 12 प्रतिशत थी ।

(घ) देश में विद्युत उत्पादन में वास्तव में काफी सुधार हुआ है। तथापि, विद्युत के उत्पादन की तुलना में देश में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक थी और इस कारण बिजली की कमी रही ।

तेल भण्डार का आकलन

4335. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल भण्डार का नवीनतम आकलन कब किया गया था;

(ख) ये सर्वेक्षण कार्य किन-किन स्थानों पर किए गए थे;

(ग) क्या ये सर्वेक्षण कार्य उसी विदेशी फर्म के सहयोग से किए गए हैं;

(घ) इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनके आकलन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) 1.1.1981 की यथा स्थिति के अनुसार ओ०एन०जी०सी०जी० द्वारा तेल भण्डारों का अद्यतन मूल्यांकन किया गया है ।

(ख) अब तक भूवैज्ञानिक/भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा रेखांकित किए गए कुछ आशाजनक [illegible] को खोदा गया है और जब कभी तेल की खोज होती है भंडारों का

मूल्यांकन किया जाता है। पूर्ववर्ती वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति में प्रति वर्ष नित्य-क्रम के रूप में ओ०एन०जी०सी० द्वारा भंडारों का मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) से (ङ) जहां तक ओ०एन०जी०सी० के तेल भंडारों के मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का सम्बन्ध है, मुख्य रूप से कार्य केवल ओ०एन०जी०सी० में किया गया है। तथापि, बम्बई हाई क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने के लिए फ्रांस की सी०एफ०पी० द्वारा भंडारों के आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं।

भूरगिया कोयला खान के पुराने श्रमिकों के साथ हुआ भारी अन्याय

4336. **श्री ए०के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूरगिया परियोजना के रूप में सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूरगिया कोयला खान के पुराने श्रमिकों के साथ हुए भारी भेदभाव तथा अन्याय तथा उन्हें सेवा में नहीं लेने के बारे में 31 मार्च, 1981 के "हीराबल" पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और सरकार ने पुराने श्रमिकों को खपाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई हाई अशोधित तेल का एशियाई अशोधित तेल से बदला जाना

4337. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले 10 से 12 महीनों में बम्बई हाई (बी०पी०) के 10 से प्राप्त 15 लाख टन अशोधित तेल को एशियाई अशोधित तेल से बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अशोधित तेल का किस प्रकार विनिमय किया जाएगा; और

(ग) इस विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इस व्यापार से भारत को क्या लाभ होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) और (ख) अरब पत्तनों पर हल्के अरब कच्चे तेल से अक्तूबर 1981 से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रति दिन करीब 20,000 से 30,000 बेरल बम्बई हाई कच्चे तेल

की अदला-बदली करने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा चुनी हुई अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को 14.8.1981 को एक निविदा पूछताछ जारी की गई है। विनिमय की शर्तें अभी निश्चित की जानी हैं।

(ग) अक्तूबर 1981 से बम्बई हाई कच्चे तेल का अनुमानित उत्पादन देश में इस कच्चे तेल के लिए उपलब्ध शोधन क्षमता, विशेषकर अपेक्षित उत्पाद-मिश्र के रूप में, अधिक होने की आशा है। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आशा है कि कच्चे तेल के प्रस्तावित विनिमय से शोधनशालाओं का उत्पाद मिश्र अनुकूलतम हो जाएगा।

कोल इण्डिया लि० के कार्यकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितताएं

4338. **श्री ए०के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में गंभीर अनियमितता बरती गई है जिसके बारे में असन्तुष्ट कर्मचारियों ने कोल इण्डिया लि० को शिकायत की है;

(ख) यदि हाँ, तो पदोन्नति में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गलत कार्य और अन्याय को समाप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। किसी कार्यकारी की अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति, विभाग द्वारा विधिवत बनाई गई एक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर आधारित होती है।

(ख) और (ग) पदोन्नति न होने के विरोध में अभिवेदन प्रस्तुत करना कर्मचारियों के लिए कोई असाधारण बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इस प्रकार के लगभग 80 अभिवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से 60 को निबटाया जा चुका है। बाकी अभिवेदनों पर इस विषय के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है।

औषध उद्योग में बिरला और सिंघानिया का प्रवेश

4339. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 अगस्त, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "बिरलाज, सिंघानिया टू एंटर ड्रग इन्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) ऐसे बड़े औद्योगिक गृह कौन-कौन से हैं जो अब फार्मास्यूटिकल उद्योग में विविधीकरण लाने हेतु प्रयास कर रहे हैं और क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में उन्हें स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो जीवन रक्षक औषधियों के क्षेत्र में भी इन पूंजीपतियों के हाथों में और सत्ता केन्द्रित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) और (ख) जी हाँ। प्रश्न में उल्लिखित समाचार में यह बताया गया है कि बिरला और जे०के० समूह के सिंघानिया, औषध उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं और यद्यपि उनकी योजनाएं अभी निश्चित नहीं हुई हैं फिर भी ऐसा समझा जाता है कि दोनों ही घराने औषधों के क्षेत्र का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों समूहों के किसी फर्म से अभी तक औषधों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। जब भी उनके आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उन पर लागू नीति के अनुसार गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) अब तक निम्नलिखित एम०आर०टी०पी० कम्पनियों से औषधों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

एक) हिन्दुस्तान लिवर लि०
दो) न्यू कैम प्लास्टिक्स लि०
तीन) लक्मे लिमिटेड
चार) स्टैन्डर्ड अल्कली एण्ड कैमिकल डिविजन

हिन्दुस्तान लिवर और लक्मे लिमिटेड के मामलों में पहले ही आशयपत्र जारी कर दिए गए हैं, मैसर्स न्यूकैम प्लास्टिक के मामले को रद्द कर दिया गया है और मैसर्स स्टैन्डर्ड अल्कली एण्ड कैमिकल डिवीजन का मामले अभी भी विचाराधीन है।

मितव्ययिता के रूप में पोस्ट कार्ड को पुन: उपयोग में लाया जाना

4340. **श्री आर०के० महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरवरी, 1981 में मितव्ययिता के रूप में पोस्ट कार्ड का पुन: प्रयोग करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ था; और

(ख) सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) पोस्टकार्ड को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ था। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

चिंचवाड (पुणे, महाराष्ट्र) में डाक सेवा

4341. श्री आर०के० महालगी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चिंचवाड क्षेत्र (पुणे, महाराष्ट्र) में डाक सेवाओं से अस्त व्यस्त होने के सम्बन्ध में पूना के दिनांक 3 जून, 1981 के "दैनिक तरुण भारत" में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आजकल डाक की प्रतिदिन दोबारा नियमित डिलीवरी नहीं हो रही है और इसमें एक सप्ताह तक का विलम्ब किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि इस औद्योगिक नगरी (टाउन शिप) के द्रुत विस्तार को देखते हुए 70 प्रतिशत डाकियों की आवश्यकता है और वहाँ पर केवल 45 डाकिए हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा है तथा यह सही नहीं है। चिंचवाड क्षेत्र में डाक व्यवस्था अस्त-व्यस्त नहीं है।

(ख) जी नहीं। सभी कार्यालयों में डाक वितरण कार्य नियमित रूप से नित्य दो बार किया जाता है।

(ग) एवं (घ) कार्यभार के आधार पर उचित पाए गए डाकियों के 57 अतिरिक्त पदों हेतु मंजूरी दे दी गई है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या पांच की कोयला-खानों में बदली लोडर्स के रूप में नई नियुक्तियां

4342. श्री ए०के० राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 15 अगस्त, 1981 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या पांच की कोयला खानों में, कोयला खान-वार "बदली लोडर्स" के रूप में कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) क्या उन्हें इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर छद्म नाम में लोगों को काम पर लगाने तथा धोखाधड़ी होने की जानकारी है, जिसके लिए उप-आयुक्त धनबाद को निदेशक (कार्मिक) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से हाल में यह लिखना पड़ा कि ऐसे मामलों में विशेष रूप से दादाओं द्वारा पांच हरिजनों से जबरदस्ती छद्म नाम में काम करने के मामले में आपराधिक मुकदमे चलाए जाएं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समाचार एजेंसियों के लिए वित्तीय सहायता

4343. **आचार्य भगवान देव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचार एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस आशय का कोई विचार है कि उन एजेंसियों की प्रबन्ध समिति/बोर्ड में उनके मंत्रालय का अथवा वित्त मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि जनहित में सम्मिलित कर लिया जाए; और

(ग) क्या किसी समाचार एजेंसी ने यह मांग की है कि उसकी प्रबन्ध समिति/बोर्ड में आकाशवाणी का या दूरदर्शन का अथवा प्रेस सूचना ब्यूरो का कोई प्रतिनिधि शामिल कर दिया जाए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो ताप संयंत्र में एकक बढ़ाया जाना

4344. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम बोकारो ताप संयंत्र में 210 मेगावाट वाले दो एकक बढ़ाएगा;

(ख) यदि हां, तो इन दो एककों पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी दी है;

(घ) क्या इसके लिए किसी विदेशी सहायता की जरूरत पड़ेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि की ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो ताप विद्युत संयंत्र पर 186.93 करोड़ रुपए की लागत से 210—210 मेगावाट के दो ताप विद्युत यूनिट प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा इनका अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें कोई विदेशी सहायता नहीं ली जा रही है।

दण्डकारण्य परियोजना में बसे बंगला देश तथा पाकिस्तान के शरणार्थियों की संख्या

4345. **श्री हरिहर सोरन :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में बंगला देश तथा पाकिस्तान के कुल कितने शरणार्थी बस गए हैं;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए कुल कितनी पुनर्वास कालोनियां बनाई गई हैं;

(ग) 1979-80 तथा 1980-81 में उन्हें कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पो० के० थुंगन) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के 24,846 परिवार बसाए जा चुके हैं और वे दण्डकारण्य परियोजना में रह रहे हैं।

(ख) 420.

(ग) और (घ) दण्डकारण्य परियोजना में बसाए गए इन व्यक्तियों को ऋण और अनुदान के रूप में दी गई कुल केन्द्रीय सहायता 1979-80 के दौरान 88.48 लाख रुपए और 1980-81 के दौरान 110.83 लाख रुपए थी।

पोर्ट ब्लेयर को इण्डेन गैस सिलेण्डरों की सप्लाई

4346. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में खाना पकाने के इण्डेन गैस सिलेण्डरों की सप्लाई करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को इण्डेन गैस सिलेण्डरों की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल कम्पनियों की वर्तमान योजनाओं में एल०पी०जी० (खाना पकाने की गैस) विपणन सुविधाओं को पहले समस्त जिला मुख्यालय, कस्बों और एक लाख की जनसंख्या वाले कस्बों में और उसके बाद 50,000 की जनसंख्या वाले कस्बों में विस्तार करना सम्मिलित है।

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन को पोर्ट ब्लेयर में एक गैस एजेंसी खोलने के लिए परामर्श दिया गया है।

कच्चे तेल का कुल उत्पादन

4347. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्य वार कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा का विदेशों से आयात किया गया और उस पर क्या लागत आई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र नीचे दिया गया है।

1. खनिज तेलों का उत्पादन

मात्रा : मिलियन मी० टनों में

	असम	गुजरात	बम्बई हाई	योग
1978-79	4.08	4.24	3.31	1163
1979-80	3.58	3.77	4.42	11.77
1980-81	1.71	3.81	4.99	10.51

2. खनिज तेल का आयात

	मात्रा (मिलियन मी० टनों में)	सी०आई०एफ० मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1978-79	14.66	1251.17
1979-80*	16.12	2187.73
1980-81*	16.25	3301.68

*अस्थाई

अंडमान और निकोबार के न्यायालयों में लम्बित मामले

4348. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के अधीनस्थ न्यायालयों में जिनमें जिला न्यायालय और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय भी हैं, कितने आपराधिक और सिविल मामले लम्बित हैं और ये कब से लम्बित हैं। एक वर्ष से कम, दो वर्ष से कम, तीन वर्ष से कम,

चार वर्ष से कम और पांच वर्ष से कम और अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या अलग-अलग कितनी है और ये किन-किन न्यायालयों में लम्बित हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में उत्पाद शुल्क, मोटर यान और उनसे सम्बन्धित अन्य छोटे-छोटे मामलों के अलावा कितने मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में निपटाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रांड नामों को समाप्त करने के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

4349. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने ब्रांड नामों को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) से (ग) 1978 की औषध नीति के एक अंग के रूप में यह निर्णय किया गया था कि प्रायोगिक आधार पर पांच औषधों के ब्रांड नामों को समाप्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश में नए लागू एक मात्र अवयव वाले औषधों को सामान्य नामों से बेचा जाए। उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए औषध और प्रसाधन नियमों के सम्बद्ध प्रावधानों को संशोधित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी, 1981 में आवश्यक अधिसूचना जारी की थी। कुछ औषध फर्मों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जनवरी, 81 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है इसलिए फिलहाल मामला न्यायालय के अन्तर्गत है।

कोयले के लिए परमिट प्रणाली

4350. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के लिए परमिट प्रणाली को समाप्त करने तथा कोयले की बिक्री को मुक्त व्यापार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय कोयले के वितरण की प्रणाली क्या है जिसका अनुसरण कोल इण्डिया लिमिटेड तथा अन्य कम्पनियां कर रही हैं; और

(घ) कोयले के वितरण के मामले में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त अथवा अनुदेश क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) केवल धातु-कर्मिय कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले कोककर कोयले के वितरण पर ही नियंत्रण है और उसकी व्यवस्था कोयला नियंत्रक करते हैं। कोयले और कोक की अन्य किस्मों के वितरण पर कोई भी सांविधिक नियंत्रण नहीं है। परन्तु परिवहन क्षमता में कमी आने के कारण, कोयला ले जाने के लिए एक प्रयोजन पद्धति के अधीन रेलवे वैगन आवंटित किए जाते हैं। रेलवे से कोयला भेजने में जो कमी रह जाती है उसके लिए कोल इण्डिया सड़क से भी ले जाने के लिए कोयला देती है। साफ्ट कोक केवल राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर ही दिया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के एककों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रायोजन पद्धति के अधीन कोयला दिया जाता है।

उत्पादन के बढ़ने से कोयले की उपलब्धता में हुए सुधार के कारण बहुत बड़ी मात्रा में घटिया किस्म के कोयले को अनेक निर्धारित कोलियरियों में खुली बिक्री के लिए रखा गया है। कोल इण्डिया ने अभी हाल ही में उन नए उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का कोयला देने के लिए एक पद्धति भी लागू की है जो कोयले की वास्तविक आवश्यकता से सम्बन्धित निर्धारित कागजात प्रस्तुत कर देंगे।

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन

4351. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार-पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन प्राप्त होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे समाचार पत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या जिलों से प्रकाशित होने वाले इन दैनिक समाचार पत्रों को, जिनका परिचालन बहुत अच्छा है, संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के विभिन्न जिला मुख्यालयों से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों (जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं) को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन मिलते हैं।

(ग) प्रचार आवश्यकताओं और धन की कमी के कारण किसी राज्य के सभी जिला समाचार-पत्रों का संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के लिए उपयोग करना संभव नहीं है।

विवरण

महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले उन समाचार पत्रों (दैनिक) के नाम जिन्हें इस समय संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन मिल रहे हैं।

क्रम संख्या	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन स्थान
1	2	3
अंग्रेजी		
1.	इण्डियन एक्सप्रैस	बम्बई
2.	फ्री प्रेस जरनल	बम्बई
3.	नागपुर टाइम्स	नागपुर
हिन्दी		
4.	नवभारत टाइम्स	बम्बई (फिलहाल विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन स्वीकार नहीं कर रहा है।)
5.	नवभारत	नागपुर
मराठी		
6.	लोकसत्ता	बम्बई
7.	महाराष्ट्र टाइम्स	बम्बई (फिलहाल विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन स्वीकार नहीं कर रहा है।)
8.	सकल	पूणे
9.	केसरी	पूणे
10.	तरुण भारत	पूणे

1	2	3
11.	तरुण भारत	नागपुर
12.	लोकमत	नागपुर/जलगांव
13.	पुदहारी	कोल्हापुर
14.	मराठवाड़ा	औरंगाबाद
15.	गवकारी	नासिक
गुजराती		
16.	बम्बई समाचार	बम्बई
17.	जन्मभूमि	बम्बई
18.	जामे-जमशेद	बम्बई
उर्दू		
19.	इन्कलाब	बम्बई
20.	उर्दू टाइम्स	बम्बई
सिंधी		
21.	हिन्दुस्तान	बम्बई

सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

4352. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की वे कौन-सी धाराएं हैं जिनमें तुरन्त संशोधन की जरूरत है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी एवं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियमों पर, उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने साथ-साथ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधनार्थ अनेक सिफारिशें की हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूर्णतर मापदण्ड में,

प्राप्त करने की दृष्टि से इस अधिनियम में, कुछ संशोधन वर्तमान में सक्रिय विचाराधीन हैं। सरकार के, उपरोक्त सिफारिशों पर अपने विचारों को अन्तिम रूप देने के तुरन्त पश्चात, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधनार्थ एक विधेयक संसद में पुरः स्थापित किया जाएगा।

कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आए क्षेत्र

4353. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कर्नाटक राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में कुल 26,826 आबाद गांव हैं। मार्च 1980 के अन्त तक 16,266 गांव विद्युतीकृत हो गए थे। छठी योजना अवधि (1980-85) के लिए समस्त राज्य के लिए 3,090 गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से, छठी योजना के प्रारम्भ से मई 1981 के अन्त तक 575 गाँव इसके अन्तर्गत आ चुके हैं इससे राज्य में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 16,841 हो गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जा रही हैं और उन्हीं के द्वारा या तो सामान्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अथवा ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित स्कीमों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है। जहाँ तक ग्राम विद्युतीकरण निगम का सम्बन्ध है, अगस्त 1981 तक निगम द्वारा स्वीकृत की गई 171 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों में से 170 स्कीमें ऐसी हैं जिनके लिए ऋण की एक अथवा एक से अधिक किस्तें ले ली गई हैं और ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। शेष एक स्कीम का कार्य, कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा ऋण की पहली किस्त 31-3-82 से पहले ले लिए जाने के उपरान्त आरम्भ किया जाना है। इन स्कीमों के अन्तर्गत आए क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिखाया गया है।

उपरोक्त स्कीमों के अलावा, 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई 7.73 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय की 17 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें निगम में जाँच की विभिन्न अवस्थाओं में थीं और/अथवा कर्नाटक बिजली बोर्ड को वापस कर दी गई थीं और संशोधन/स्पष्टीकरण हेतु उनके पास लम्बित पड़ी थी। इन स्कीमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण दो में दिया गया है।

विवरण-एक

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31.8.1981 तक कर्नाटक में स्वीकृत की गई स्कीमों का ब्यौरा

क्रम संख्या	ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के नाम ब्लाक/तालुका	जिला	सम्मिलित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	चिकबल्लापुर तालुक	कोलार	20
2.	इन्दी तालुक	बीजापुर	32
3.	रायबाग तालुक	बेलगाम	27
4.	अथानी तालुक	बेलगाम	18
5.	हुकेरी रूरल इलेक्ट्रिक को-आपरेटिव सोसाइटी		187
6.	सिद्दलाघाटा और बागेपाली	कोलार	126
7.	नानीबेन्नूर	धारवाड़	42
8.	मान्नदारमी तालुक	धारवाड़	27
9.	अल्लांड और अफजलपुर	गुलबरगा	111
10.	रामानगरम और कानकापुरा	बंगलौर	125
11.	गोडाग और रोन तालुक	धारवाड़	46
12.	औराड तालुक	बीदर	89
13.	कारकाला तालुक	एस कानारा	20
14.	हिरियुर और चाल्लापुर तालुक	चितरादुर्गा	32
15.	तिप्तुर तालुक	तुमकुर	65
16.	चिकोडी तालुक	बेलगाम	38
17.	कोप्पाल तालुक	रायचुर	40
18.	गंगावटी तालुक	रायचुर	57
19	सिंदोगी तालुक	बीजापुर	35
20.	बेलूर तालुक	हसन	83
21.	बेल्लारी और सनडुर तालुक	बेल्लारी	41
22.	पावागुडा तालुक	तुमकुर	25
23.	बीदर तालुक	बीदर	34
24.	कुन्डापुर तालुक	एस कानारा	26
25.	बेलगांव तालुक	बेलगाम	46
26.	कोलार तालुक	कोलार	57
27.	हुगगुंड तालुक	बीजापुर	51

1	2	3	4
28.	नागमगला तालुक	मांडया	141
29.	कोल्लेगाल तालुक	मैसूर	87
30.	अंकोला	एन० कनारा	39
31.	बी० बागेवाडा तालुक	बीजापुर	36
32.	बसराकलयान तालुक	बीदर	40
33.	बादामी तालुक	बीजापुर	35
34.	भालकी तालुक	52 बीदर	52
35.	हिरकौरतालुक	धारवाड़	23
36.	रायचूर तालुक	रायपुर	48
37.	मालूर और बालगारपेट	कोलार	—
38.	मेरकारा तालुक	कुरग	45
39.	एच०डी० कोटे तालुक	मैसूर	118
40.	तइकेरा ब्लाक	चिकमंगलूर	33
41.	इन्दी तालुक	बीजापुर	6
42.	यल्लोपुर तालुक	एन०कानारा	32
43.	होसानागारा तालुक	शिमोगा	125
44.	सुपा तालुक	एन० कनारा	41
45.	नूग्घालिन तालुक	हसन	71
46.	सी०आर० पतना तालुक	हसन	142
47.	शिकारीपुर ब्लाक	शिमोगा	73
48.	नीमंगला तालुक	बंगलौर	91
49.	सिंदागी तालुक	बीजापुर	7
50.	चीतापुर ब्लाक	गुलबर्गा	78
51.	सेदम तालुक	गुलबर्गा	65
52.	हंगाल तालुक	धारवाड़	84
53.	कुमता तालुक	एन०कनारा	79
54.	सोमवरपेट तालुक	कोरग	79
55.	सागर तालुक	शिमोगा	18
56.	बैलहेंगल तालुक	बेलगाम	33
57.	सौनदात्ती तालुक	बेलगाम	30
58.	माधुनगीरी तालुक	तुमकुर	—
59.	सीरा तालुक	तुमकुर	—
60.	खानपुर ब्लाक	बेलगाम	136
61.	बेंगारपेट तालुक	कोलार	6

1	2	3	4
62.	कोकाक तालुक	बेलगाम	18
63.	मुदीबीहल तालुक	बीजापुर	101
64.	मादकेरे तालुक	चिरादुर्गा	9
65.	शोरापुर तालुक	गुलबर्गा	148
66.	ब्योज्ञलगी तालुक	एस० कनारा बेलगाम	24
67.	बैंकमपाटी तालुक	एस०कनारा	—
68.	श्रीनिवासपुरा तालुक	कोलार	—
69.	चमराजनगर ब्लाक	मैसूर	—
70.	चाराजनगर (एल०टी०एस० स्कीम)	मैसूर	—
71.	बुंतवाल तालुक	एस० कनारा	8
72.	नरसिंघराजपुरा	चिकमंगलूर	—
73.	बंगलोर (एल०टी०सी०)	बंगलोर	—
74.	हुबली (एल०टी०सी०)	धारवाड़	—
75.	भाटाकल तालुक	उत्तरी कनारा	17
76.	श्रीनिवासपुरा एल०टी०	कोलार	—
77.	मुलबागिर एस०आई०	कोलार	—
78.	चिकबल्लापुर एल०टी०	कोलार	—
79.	कोराटगेरे एल०टी०	कोलार	—
80.	जेवारगी तालुक	गुलबर्गा	51
81.	जेवारगी-2 तालुक	गुलबर्गा	30
82.	धारवाड़ तालुक	धारवाड़	57
83.	बयादगी तालुक	धारवाड़	23
84.	लिंगसुगुर तालुक	रायचुर	7
85.	गुब्बी एस० आई०	तुमकुर	—
86.	कोराटगेरे एस०आई०	तुमकुर	—
87.	कुशतागी तालुक	रायचुर	84
88.	गोकाक-3 तालुक	बेलगाम	5
89.	बेलवाडी तालुक	मैसूर	—
90.	पीनया तालुक	बंगलौर	—
91.	शिराहाट्टी तालुक	धारवाड़	20
92.	नीलमगगाला तालुक	बंगलौर	24
93.	टूमसुर तालुक	मैसूर	76

1	2	3	4
94.	मिगनी तालुक	बेलगाम	9
95.	चिकोडी तालुक	बेलगाम	—
96.	रायबाग	बेलगाम	14
97.	अथानी तालुक	बेलगाम	6
98.	अथानी-2 तालुक	बेलगाम	4
99.	बोमासानद्रा तालुक	बंगलोर	—
100.	मागादी तालुक	बंगलौर	100
101.	कृष्णाराजापेट तालुक	पांडया	40
102.	देवदुर्ग तालुक	रायचुर	87
103.	बेलगाम एस०पी०डी०	बेलगाम	5
104.	गुलबर्गा एस०पी०डी०	गुलबर्गा	12
105.	धारवाड़ एस०पी०डी०	धारवाड़	1
106.	बागेवाडी तालुक	बीजापुर	5
107.	येलबर्गा तालुक	रायचुर	8
108.	बीजापुर तालुक	बीजापुर	11
109.	सिंदागी तालुक	बीजापुर	19
110.	सागर तालुक	शिमोगा	72
111.	सिंबागी-2	बीजापुर	10
112.	बीजापुर तालुक	बीजापुर	13
113.	इन्दी तालुक	बीजापुर	20
114.	यलबर्गा तालुक	रायचुर	16
115.	सुटेगेरा तालुक	चिकमंगलूर	19
116.	रायबाग तालुक	बेलगाम	—
117.	काओगाद तालुक	बीदर	20
118.	हारापनहाल्ली तालुक	बेल्लारी	9
119.	येलबर्गा तालुक	रायचुर	44
120.	मालावेल्ली तालुक	माण्ड्या	14
121.	सीनदात्ती तालुक	बेलगाम	17
122.	इन्दी तालुक	बीजापुर	15
123	पुनदारगी तालुक	धारवाड़	5
124.	चान्नापटना तालुक	बंगलौर	23
125.	सिंधानपुर तालुक	रायचुर	17
126	कालघाटगी तालुक	धारवाड़	33
127	[illegible] ब तालुक	शिमोगा	145
128	[illegible] वेक्केरे तालुक	तुमकुर	68

1	2	3	4
129.	बीजापुर तालुक	बीजापुर	5
130.	शिग्गांव तालुक	धारवाड़	39
131.	यादगीर तालुक	गुलबर्गा	51
132.	विराजपेट तालुक	कुरग	12
133.	रौन तालुक	धारवाड़	—
134.	बिल्लहोंगल तालुक	बेलगाम	8
135.	हादगल्ली ब्लाक	बेल्लारी	—
136.	अनेकाल तालुक	बंगलोर	—
137.	हिरीयूर तालुक	चिरादुर्गा	11
138.	कोलार	कोलार	—
139.	कोपा तालुक	चिकमंगलूर	—
140.	नागमंगला तालुक	माण्डया	27
141.	के०आर० नगर तालुक	मैसूर	31
142.	बीदर तालुक	बीदर	—
143.	अफजलपुर तालुक	गुलबर्गा-2	2
144.	चित्रादुर्ग एच०बी०	चित्रादुर्ग	90
145.	कोलार एच०बी०	कोलार	36
146.	बेल्लारी एच०बी०	36	36
147.	चित्रादुर्ग एच०बी०	चित्रादुर्ग	36
148.	चिकमंगलूर एच०बी०	चिकमंगलूर	73
149.	कोलार एच०बी०	कोलार	92
150.	माण्डया एच०बी०	माण्डया	8
151.	बीजापुर एच०बी०	बीजापुर	3
152.	मैसूर एच०बी०	मैसूर	6
153.	बंगलोर एच०बी०	बंगलोर	43
154.	हसन एच०बी०	हसन	8
155.	गुलबर्गा एच०बी०	गुलबर्गा	25
156.	के०एन०के० उत्तरी कनारा	उत्तरी कनारा	23
157.	चिकमंगलूर एच०बी०	चिकमंगलूर	35
158.	तुमकुर एच०बी०	तुमकुर	85
159.	बेल्लारी एच०बी०	बेल्लारी	52
160.	माड्डुर एच०बी०	माण्डया	64
161.	बंगलोर एच०बी०	बंगलोर	71
162.	चित्रादुर्ग एच०बी०	चित्रादुर्ग	54

1	2	3	4
163.	मानारी एच०बी०	रायचुर	116
164.	तुमकुर एच०बी०	कोलार	48
165.	कोलार एच०बी०	कोलार	114
166.	बांगारपेट एच०बी०	कोलार	106
167.	सिरसी तालुक	उत्तरी कनारा	71
168.	कारवाड़ तालुक	उत्तरी कनारा	40
169.	सिद्दापुर तालुक	उत्तरी कनारा	114
170.	चिकमंगलूर	चिकमंगलूर	153
171.	नागमंगला तालुक	माण्डया	20

विवरण-दो

30.6.81 की स्थिति के अनुसार जो स्कीमें अभी स्वीकृत की जानी हैं उनका तथा उनके अन्तर्गत आए क्षेत्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम (तालुका आदि)	जिला	शामिल किए गए गाँवों की संख्या
1.	कोपाल तालुक	रायचुर	12
2.	गुलबर्गा तालुक	गुलबर्गा	135
3.	बेलगाम तालुक	बेलगाम	37
*4.	नागमंगला तालुक	मांडया	20
5.	हमनाबाद तालुक	बिदार	27
6.	श्री निवासपुर तालुक	कोलार	289
7.	चिन्तामणि तालुक	कोलार	197
8.	सिद्दलघाट तालुक	कोलार	234
9.	चैन्नाकेरी तालुक	चित्रदुर्ग	87
10.	चेलाकेरी तालुक	-वही-	79
11.	अरिसकेरी तालुक-1	हसन	161
12.	अरिसकेरी तालुक-2	हसन	116
13.	अरिसकेरी तालुक-3	हसन	58
14.	हरिहर, देवनगिरी और रनहनेर तालुक	चित्रदुर्ग	—
15.	मुलबगल तालुक (दक्षिण)	कोलार	153
16.	मालूर तालुक (उत्तर)	कोलार	142
17.	बेल्थंगडी तालुक	दक्षिण कनेरा	73

*यह स्कीम अगस्त, 1981 में स्वीकृत कर दी गई है और उपबंध-एक में क्रम सं० 171 पर शामिल है।

बैरा सियूल और लोक टक परियोजनाओं के लिए एक्स-रे मशीनों का उपयोग न किया जाना

4354. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैरा सियूल; सलाल और लोक टक परियोजनाओं के लिए कितनी एक्स-रे मशीनें अधिप्राप्त की गई थीं और इनकी खरीद की तारीख, प्रत्येक मशीन की लागत और इसके कार्यकरण का स्थान क्या है;

(ख) इनकी खरीद से लेकर अब तक प्रत्येक मशीन पर कितने एक्स-रे प्रिंट लिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इनकी खरीद के समय से ही कुछ एक्स-रे मशीनें अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं और वे बन्द कमरों में पड़ी हुई हैं और कर्मचारियों को इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर संकारात्मक है तो सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग न करने के लिए कौन जिम्मेदार है और ये मशीनें जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई थीं, उसके लिए वर्षों तक इनका उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक लिपिकों के वेतनमान

4355. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक लिपिकों के वेतनमान उनकी 40 वर्ष की आयु में ही 480 रुपए की अधिकतम राशि पर पहुंच जाते हैं और उन्हें 18 वर्ष तक बिना वेतन-वृद्धि के सेवा करनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि डाक लिपिक के लिए 18 वर्ष की सेवा के पश्चात कोई प्रोत्साहन नहीं रहता है जिससे उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है;

(ग) क्या इन परिस्थितियों में सरकार उनके वेतनमान को संशोधित करने पर विचार करेगी ताकि उनके पूरे सेवा काल में वेतन वृद्धियां मिलती रहें; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पोस्टल क्लर्क का वेतनमान 22 वर्ष के पश्चात 480/- रुपए पर समाप्त होता है और उस समय सरकारी कर्मचारी की आयु उसके इस ग्रेड में भर्ती होने की आयु पर निर्भर करती है।

(ख) डाक तार विभाग में पोस्टल क्लर्क की बतौर भर्ती होने के बाद उन्हें निम्न चयन पदक्रम में पदोन्नति पाने के अवसर प्राप्त हैं। उच्च चयन पदक्रम-I तथा उच्च चयन पदक्रम-II और पोस्टमास्टर ग्रुप "ख" के पदों पर पदोन्नति के भी अवसर उन्हें प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात वे डाक घर निरीक्षक, सहायक डाक घर अधीक्षक तथा कनिष्ठ लेखाकार और तत्पश्चात् राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं।

(ग) एवं (घ) उनके वेतनमान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाटा शू कम्पनी के शेयर

4356. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 21 अगस्त, 1981 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में 'टाप कम्पनीज बाईंग फोर बाटा शेयर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये तीन ग्रुप कौन-कौन से हैं, जो बाटा की विदेशी शेयर धारिता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं;

(ग) इस शेयरधारिता की राशि क्या है और क्या इसे सम्पूर्ण अथवा इसके किसी हिस्से को वापिस भेजा जाएगा और यदि हां, तो किस मुद्रा में;

(घ) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत इन शेयरों की बिक्री तथा अधिग्रहण एवं मंजूरी के लिए उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा गया है, और यदि हां, तो क्या; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वे इस बात का कि इनमें से किसी असाधारण शक्ति के हाथों में आर्थिक शक्ति और केन्द्रित न हो जाए, ध्यान रखेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी। इस प्रकाशित समाचार के अनुसार, टाटा बिड़ला तथा थापर समूह बाटा की विदेशी हिस्सेधारिता प्राप्त करने के प्रयास में, बताए गए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार को अभी तक मै० बाटा इन्डिया लिमिटेड की विदेशी हिस्से धारिता की बिक्री तथा अवाप्ति के लिए, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस

प्रकृति के हिस्सों की बिक्री तथा अवाप्ति के लिए, सामान्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108क, 108ख तथा 372(4) के अन्तर्गत तथा साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के निर्बाधन की अपेक्षा होगी। सरकार को जैसे व जब इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त होगा, उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

बम्बई हाई एल०पी०जी०, चरण II, उरान का विस्तार कार्यक्रम

4358. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरान की बम्बई हाई, एल०पी०जी० चरण II की विस्तार परियोजना और न्होवा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के "बेस" के तेजी से विकास का भविष्य पर्यावरण सलाहकार समिति, जिसके सदस्यों में विवादास्पद स्थलों के बारे में मतभेद थे, की सिफारिशों पर निर्भर करता है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) परियोजना इस समय किस अवस्था में है और इसे चालू करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) उरान में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की प्रायोजनाओं के चरण-दो विस्तार में थोड़ा-सा विलम्ब हुआ है क्योंकि ओ०एन०जी०सी० के वर्तमान उरान स्थल में इसके स्थापित करने के गुणावगुणों के लिए अतिरिक्त 41 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जो एक क्षेत्रीय पार्क के विकास के लिए सी०आई०डी०सी०ओ० के आरक्षित क्षेत्र में है, इसको पर्यावरणीय आयोजन के आधार पर चुनौती दी गई है। इस सम्बन्ध में अध्ययनों को पूरा किया जा चुका है और ऐसी आशा की जाती है कि निर्णय बहुत शीघ्र ही किया जाएगा।

राज्यों को डीजल, मिट्टी का तेल और उर्वरकों के कोटे का निर्धारण

4359. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों के लिए डीजल, मिट्टी के तेल और उर्वरकों का मासिक कोटा निर्धारित करती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए इन वस्तुओं की अपनी-अपनी मासिक आवश्यकता केन्द्र सरकार को बताई थी;

(ग) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य को की गई इन वस्तुओं की मासिक सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) तेल और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में राज्य/संघ शासित प्रदेशों को मासिक आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, कोई मासिक आवंटन नहीं किया जाता है। प्रत्येक फसल मौसम अर्थात खरीफ और रबी के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है।

(ख), (ग) और (घ) जून-अगस्त 1981 की अवधि की एच०एस०डी० और मिट्टी के तेल की राज्यवार मासिक आवश्यकताएं बताना सम्भव नहीं है। तथापि, एक विवरण-पत्र, जिसमें जून-जुलाई 1981 की अवधि के लिए राज्यों को की गई हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी के तेल की सप्लाई सम्बन्धी ब्यौरे दिखाए गए हैं, संलग्न विवरण-एक है।

खरीफ फसल 1981 (फरवरी-जुलाई 1981) के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों आदि की आवश्यकताओं तथा भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा उठाया गया माल/वास्तविक सप्लाईज के सम्बन्ध में एक विवरण-दो भी संलग्न है।

अगस्त 1981 के लिए एच०एस०डी० और मिट्टी के तेल की बिक्री और उर्वरकों की सप्लाईज के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-1

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जून और जुलाई 1981 के महीनों में हुए हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) तेल और मिट्टी के तेल की बिक्री दिखाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	हाई स्पीड डीजल		आंकड़े मी० टनों में मिट्टी का तेल	
		जून, 81	जुलाई, 81 (अस्थायी)	जून, 81	जुलाई, 81 (अस्थायी)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	61,530	61,416	23,846	26,413
2.	अरुणाचल प्रदेश	351	351	280	241
3.	अंडमान और निकोबार	511	110	72	90
4.	असम	9,949	10,079	8,498	9,705
5.	बिहार	35,994	28,922	20,022	21,378
6.	चंडीगढ़	1,430	1,696	730	729
7.	दादरा और न० हावेली	405*	**दर	139*	**दर
8.	दिल्ली	25,030	25,565	9,040	10,826
9.	गुजरात	56,316	42,822	31,952	33,354
10.	गोवा, दमान और दीऊ	3,443	4,950	1,051	1,250
11.	हरियाणा	26,440	29,176	6,230	7,603
12.	हिमाचल प्रदेश	4,270	4,198	1,110	1,409

1		3	4	5	6
13.	जम्मू और कश्मीर	7,260	6,774	2,370	2,493
14.	कर्नाटक	38,695	39,891	19,934	19,985
15.	केरल	22,435	24,967	11,078	11,023
16.	मध्य प्रदेश	38,670	31,998	16,414	17,237
17.	महाराष्ट्र	1,00,798	92,715	65,882	71,625
18.	मणीपुर	582	611	833	833
19.	मेघालय	885	588	568	541
20.	मिजोरम	273	242	376	396
21.	नागालैंड	783	518	338	331
22.	उड़ीसा	13,108	12,209	6,071	6,826
23.	पंजाब	53,250	53,283	13,950	13,732
24.	पांडीचेरी	2,060	1,000	513	561
25.	राजस्थान	42,580	38,416	9,190	11,126
26.	सिक्कम	317	280	239	333
27.	तामिलनाडु	87,081	77,130	28,857	29,776
28.	त्रिपुरा	715	880	959	1,049
29.	उत्तर प्रदेश	83,720	68,034	34,880	35,921
30.	पश्चिम बंगाल	42,101	45,349	32,948	32,292
31.	लक्षद्वीप	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
	योग	7,60,982	7,04,170	3,48,370	3,69,078

एन०ए० का अर्थ उपलब्ध नहीं है। *दमन और द्विव में की गई बिक्री शामिल है। दर** बिक्री के आंकड़ों में शामिल की गई है।

विवरण-2

खरीफ 1981 के दौरान उर्वरकों की शुद्ध आवश्यकता और सप्लाई दिखाने वाला एक विवरण-पत्र (फरवरी-जुलाई)

(आकड़े मी० टनों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेशों आदि के नाम	शुद्ध आवश्यकताएं (एन०पी०के०)	सप्लाईज (एन०पी०के०)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	282715	311700
2.	तामिलनाडु	229900	185412
3.	कर्नाटक	260700	229041
4.	केरल	59471	61887
5.	पांडीचेरी	6710	6135
6.	महाराष्ट्र	311805	343260
7.	गुजरात	236688	179695
8.	गोवा, दमन और दीऊ	3704	2792
9.	मध्य प्रदेश	111606	123872
10.	राजस्थान	78514	49341
11.	पंजाब	273954	226579
12.	हरियाणा	100446	97276
13.	उत्तर प्रदेश	436949	370492
14.	हिमाचल प्रदेश	12649	7190
15.	जम्मू और कश्मीर	25410	21314
16.	दिल्ली	2232	1194
17.	पश्चिम बंगाल	144650	105118
18.	बिहार	75725	118903
19.	उड़ीसा	44736	30901
20.	असम	12210	10532
21.	मेघालय	2334	1143
22.	त्रिपुरा	2519	2401
23.	मणीपुर	3583	2654
24.	नागालैंड	331	563
25.	मिजोरम	107	—
26.	दादरा और न० हावेली	114	51

1	2	3	4
27.	चंडीगढ़	377	65
28.	ए० और एन० आईलैंड्स	106	—
29.	अरुणाचल प्रदेश	220	39
30.	सिक्कम	610	514
31.	काफी बोर्ड	33000	10872
32.	रबड़ बोर्ड	7150	2402
33.	कार्डमोम बोर्ड	2640	239
34.	टी० बोर्ड (साऊथ)	13200	5316
35.	टी० बोर्ड (नार्थ ईस्ट)	25807	13712
36.	आर०सी०एफ० ट्राम्बे	—	9521
37.	सैन्ट्रल स्टेट फार्मस कारपोरेशन	—	651
	योग	2802902	2532777

कोल्हापुर महाराष्ट्र में इच्छालकरंजी स्थान पर मुख्य डाक घर का खोला जाना

4360. **श्री एन०के० शेजवलकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप संचार मन्त्री को इच्छालकरंजी, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में मुख्य-डाक घर खोलने के बारे में सचिव, भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन, श्रेणी तीन कोल्हापुर शाखा (महाराष्ट्र) से दिनांक 28 दिसम्बर, 1980 का अभ्यावेदन और बाद में एक और अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कार्रवाई कब की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) जी हाँ, भारतीय डाक कर्मचारी संघ श्रेणी-iii, कोल्हापुर शाखा के सचिव द्वारा इच्छलकरंजी में मुख्य डाक घर खोलने के बारे में उप मन्त्री (संचार) को भेजे गए दिनांक 28-12-80 के अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई है।

(ग) एवं (घ) चयन सार्वजनिक टेलीफोन घर सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पर विभागेत्तर शाखा डाकघरों को विभागोतर उप डाक घर में बदलने के संदर्भ में उप डाक

घरों का दर्जा बढ़ाकर नए मुख्य डाक घर खोलने की विभाग की नीति की पुनरीक्षा की जा रही है। उपरोक्त पुनरीक्षा करने तथा उस पर निर्णय लेने के बाद इच्छलकरंजी में मुख्य डाक घर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार के व्यवसाय कर से छूट पाने के लिए डाक कर्मचारियों की मांग

4361. **श्री चतुर्भुज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक कर्मचारी बराबर यह माँग कर रहे हैं कि उन्हें राज्य सरकार के व्यवसाय कर से छूट प्रदान की जाए;

(ख) यदि हाँ, तो कब से यह माँग की जा रही है;

(ग) इस संबंध में डाक प्राधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है और क्या करने का इरादा है; और

(घ) इस प्रस्ताव के संबंध में क्या दिक्कतें हैं और उन्हे हल करने के बारे में क्या विचार किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। पहले कुछ माँगें हुई थीं।

(ख) उक्त मांगें पहले वर्ष 1974-75 के दौरान प्राप्त हुई थीं।

(ग) मांग पर विचार किया गया परन्तु उनका औचित्य नहीं पाया गया।

(घ) चूंकि यह एक राज्य से संबंधित विषय है इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश देने का औचित्य नहीं बनता।

औरंगाबाद में डाक निदेशालय के लिए मांग

4362. **श्री चतुर्भुज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद, महाराष्ट्र में डाक निदेशालय के लिए एक चिरकालिक माँग है;

(ख) यह माँग कब से की जा रही है ;

(ग) इसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क क्या हैं;

(घ) उपरोक्त मांग पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि मराठवाड़ा के लिए उपरोक्त निदेशालय की स्थापना की गई है, और इसे औरंगाबाद से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर में रखा गया है; और

(च) क्या सरकार का विचार पूरी स्थिति पर पुनर्विचार करने का है और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) से (घ) महाराष्ट्र सर्किल में डाक सेवाओं के निदेशकों में से एक का मुख्यालय औरंगाबाद स्थापित करने के संबंध में फरवरी, 1981 में एक माँग रखी गई थी। मामला विचाराधीन है।

(ङ) एवं (च) निदेशक, डाक सेवा के पदों का सृजन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। निदेशकों के मुख्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय सर्किल की प्रचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र को डाक मंडल नागपुर स्थित डाक सेवा निदेशक के नियंत्राणाधीन हैं।

महाराष्ट्र सर्किल में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती

4363. **श्री चतुर्भुज : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 में महाराष्ट्र सर्किल में कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की गई;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों ने वर्ष 1980-81 में विभाग छोड़ा;

(ग) ऐसे कर्मचारियों द्वारा डाक विभाग छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या के हल के लिए क्या उपाय करने का विचार है अथवा सोचे गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डाक कर्मचारियों के लिए औरंगाबाद में क्वार्टरों का निर्माण

4364. **श्री चतुर्भुज : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थान पर 1980-81 में डाक कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) परियोजना के अधीन कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जाना है;

(घ) अब तक उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) अब तक कितना व्यय किया जा चुका है; और

(च) इन सभी प्रस्तावित स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(ख) 34,69,300/- रुपये।

(ग) 61, ये क्वार्टर विभाग की डाक एवं दूरसंचार शाखा के बीच बांटे जाएंगे।

(घ) निविदाएं मांगी गई हैं। ये निविदाएं 16.9.81 को खोली जाएंगी।

(ङ) शून्य।

(च) इन स्टाफक्वार्टरों के 1983-84 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

वर्ष 1979-80, 1980-81 और अप्रेल, 1981 से अगस्त, 1981 के दौरान ऊर्जा में वृद्धि

4365. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और अप्रैल, 1981 से अगस्त, 1981 तक के दौरान ऊर्जा की वृद्धि दर क्या थी; और

(ख) ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा अप्रैल से अगस्त, 1981 तक के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि की दर पिछले वर्षों की इन्हीं अवधियों की तुलना में क्रमशः 2.1 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत तथा 15.8 प्रतिशत है।

(ख) देश में विद्युत उत्पादन में सुधार करने तथा ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं :—

1. 1980-85 की अवधि के दौरान 19666 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करने का कार्य कम है।

2. विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन था अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

   (क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों को समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(ङ) जिन इन्जीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(च) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि तेजी से करना। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की सुनिश्चितता के लिए सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत मानीटरिंग की जाती है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का कालम्बा डाक घर

4366. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कालम्बा डाक घर के सम्बन्ध में संचार मंत्रालय में उप मंत्री को मार्च/अप्रैल, 1981 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें की गई थीं और क्या सुझाव दिए गए थे, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार ने अथवा सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कार्यवाही कब की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

आल इंडिया पोस्टल इम्पलाईज यूनियन क्लास तीन स्टाफ ब्रांच, कोल्हापुर

4367. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उप संचार मन्त्री को अध्यक्ष आल इंडिया पोस्टल इम्पलाईज, यूनियन, क्लास तीन ब्रांच कोल्हापुर, महाराष्ट्र का (विभागेतर कर्मचारियों सहित) दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 का विभिन्न मांगों के बारे में ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ज्ञापन में की गई मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डाक-तार विभाग को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों के लिए टेलीफोन कनेक्शन देने में वरीयता

4368. **श्री आर०के० महालगी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी बैंकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में एक विशेष श्रेणी की वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) महाराष्ट्र में इस विशेष श्रेणी के अधीन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सहकारी बैंकों के कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं;

(घ) उनमें से कितने आवेदन पत्र एक साल से अधिक और कितने छः मास से अधिक अवधि से विचाराधीन पड़े हैं;

(ङ) उक्त आवेदनों पर शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

"विडियो" फिल्मों के निर्माण के लिए एक यूनिट की स्थापना करना

4369. **श्री एस०एम० कृष्ण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विडियो" फिल्मों के निर्माण के लिए एक यूनिट की स्थापना के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए विदेशी सहयोग पर विचार किया गया है; और

(ग) इस यूनिट की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जबकि "वीडियो" फिल्मों के निर्माण के लिए स्वतन्त्र यूनिट स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, बम्बई, जो इस मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, ने फिल्मों को वीडियो कैसेटों पर उतारने के लिए एक यूनिट स्थापित करने की योजना तैयार की है। इस परियोजना पर पूंजीगत लागत 70 लाख रुपए आने की संभावना है। यह योजना सरकार के विचाराधीन है और इसका कार्यान्वयन परियोजना की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करेगा।

"कारपोरेट इन्टर कनैक्शन" की परिभाषा

4370. **श्री एस०एम० कृष्ण :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन "कारपोरेट इन्टरकनैक्शन" की परिभाषा को अधिक प्रतिबधात्मक बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कारपोरेट कानून पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के संशोधन के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। कारपोरेट इन्टर कनैक्शन सम्बन्धित विषय भी उसमें अंकित किया गया है। समग्रतः इस अधिनियम के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की उपलब्धि की दिशा में, उक्त अधिनियम के कतिपय संशोधनों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तथापि, इन विषयों पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

मद्रास पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड में प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन

4371. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पैट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड में प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका विलय किस कम्पनी के साथ किया गया है; और

(ग) प्रस्तावित विलय अथवा अधिग्रहण के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन, आधारभूत रूप से एक कम्पनी का कार्य है । तथापि, मै० मद्रास पैट्रो-कैमीकल्स लिमिटेड, द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र के पास प्रस्तुत की गई सम्बन्धित विवरणी से प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री एम० राम ब्राह्म, जिन्हें 30.11.1981 से अपने पद से अवकाश ग्रहण करना है, 1.9.1981 से छुट्टी पर चले जाएंगे, एवं श्री एस० गोपालन जो आई०डी०बी०आई० के मनोनीत निदेशक हैं, को 1.9.1981 से प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) सरकार ने कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस कम्पनी का, किसी अन्य कम्पनी के साथ संविलियन की बाबत कोई नोटिस निष्पादित नहीं किया है ।

(ग) उपरोक्त (ख) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता ।

देश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और तार घर खोलना

4372. **श्री मतीलाल हसदा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक साल के दौरान देश में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और तार घर खुले, इनका राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष में राज्यवार कितने पी०सी०ओ० और तार घर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) एवं (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष 1980-81 के दौरान खोले गए तथा वर्ष 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा संयुक्त डाक तार (तार) घरों को विवरण दर्शाने वाला अनुबन्ध

क्रम सं०	सर्किल का नाम	वर्ष 1980-81 के दौरान खोले गए		वर्ष 1981-82 का लक्ष्य	
		ल०दू०सा०टे०	स०डाक तार घर	ल०दू०स०ट०	स० डाक तार घर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	627	447	450	450
2.	बिहार	222	222	400	440
3.	गुजरात	6			
	(गुजरात, दादर नागर हवेली, दिऊ, दमन सम्मिलित)	79	102	50	50
4.	जम्मू एवं काश्मीर	6	12	30	30
5.	कर्नाटक	17	37	30	30
6.	केरल (माहे केरल और मिनिकोय लक्षद्वीप, अमीन द्वीप द्वीपों सहित)	7	67	250	250
7.	मध्य प्रदेश	151	161	100	100
8.	महाराष्ट्र (गोवा और महाराष्ट्र सहित)	53	58	200	200
9	उत्तर पूर्व (आसाम, त्रिपुरा मणीपुर मेघालय, मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित)	18	2	50	50
10.	उत्तर पश्चिम (हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चण्डीगढ़ सहित)	106	179	150	150
11.	उड़ीसा	52	52	40	40

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	55	35	100	100
13.	तमिलनाडु (तमिलनाडु पांडिचेरी सहित)	362	402	150	150
14.	उत्तर प्रदेश	439	486	500	500
15.	पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल सिक्कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	57	59	300	300
16.	दिल्ली	—	6		
	—योग	2251	2327	2800	2800

अल्प अवधि में उत्पादन देने वाली नई कोयला खानें

4373. **श्री एन०ई० होरो :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्प अवधि में उत्पादन देने वाली नई कोयला खानों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव करती है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार इन कोयला खानों की स्थापना करना चाहती है; और

(ग) इन कोयला खानों का उत्पादन लक्ष्य क्या होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित सारणी में वह परियोजनाएं दिखाई गई हैं जिनमें वास्तविक उत्पादन शुरू होने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है :—

परियोजना का नाम	राज्य जहां स्थित है	उत्पादन क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)
1	2	3
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०		
1. मन्दमन ओपेनकास्ट	पश्चिम बंगाल	1.50
2. कोटाडीह ओपेनकास्ट	-वही-	3.00
3. कुमारखला ओपेनकास्ट (फ़ेज-II)	-वही-	0.60

1	2	3
भारत कोकिंग कोल लि०		
4. ओपेनकास्ट ब्लाक-II	बिहार	2.50
5. मुरैयडीह ओपेनकास्ट	-वही-	2.50
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०		
6. डी०पी०एल० रामगढ़ ओपेनकास्ट	-वही-	3.00
7. कर्कटा ओपेनकास्ट	-वही-	1.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०		
8. जमुना ओपेनकास्ट (पुनर्गठन)	मध्य प्रदेश	0.60
9. बेलपहार ओपेनकास्ट	उड़ीसा	2.00
10. शिवपुरी ओपेनकास्ट (विस्तार)	मध्य प्रदेश	0.50

टेलीफोन प्रशिक्षण

4374. **श्री एन०ई० होरो** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार टेलीफोन प्रशिक्षण केन्द्र, किदवई भवन, नई दिल्ली के माध्यम से टेलीफोन प्रशिक्षण देती है;

(ख) यदि हां, तो वसूल की जाने वाली फीस, प्रशिक्षण की अवधि और प्रत्याशियों की अर्हता के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन्हें उस समय कोई प्राथमिकता देती है, जब भारत सरकार के विभागों में पद खाली होते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस सीजन के दौरान किसी ऐसे प्रत्याशी को, जिसने किदवई भवन, नई दिल्ली से डिप्लोमा प्राप्त किया हो, खपा लिया गया है अथवा नियमित आधार पर टेलीफोन प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां, यह प्रशिक्षण बाह्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है ।

(ख) प्रति प्रत्याशी प्रशिक्षण शुल्क 245/- रुपए है। प्रशिक्षण अवधि एक महीना है तथा न्यूनतम योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रशिक्षण डाक तार विभाग की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु नहीं दिया जाता बल्कि प्रत्याशियों को पी०एम०बी० एक्स०/पी०ए०बी० एक्स० जो आम तौर पर सार्वजनिक उद्यम अथवा निजी कम्पनियों में उपलब्ध होते हैं, पर काम करने योग्य बनाने के लिए दी जाती है। नियमित रूप से भर्ती किए गए टेलीफोन आपरेटरों को डाक तार आवश्यकता हेतु दिया जाने वाला प्रशिक्षण 3 महीने की अवधि का होता है तथा वह इससे भिन्न होता है।

(ङ) एवं (च) प्रश्न ही नहीं उठता। टेलीफोन आपरेटरों के बतौर नियमित आधार पर नियुक्ति भर्ती नियमों में निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की जाती है जो प्रत्याशियों द्वारा मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक पर आधारित है तथा उच्च शैक्षिक योग्यता को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है बशर्ते कि वे अभिवृति परीक्षा पास कर लें। टेलीफोन आपरेटरों के बतौर नियमित नियुक्ति हेतु प्रत्याशी के कथित चयन में किदवई भवन से प्राप्त प्रमाण पत्र की कोई भूमिका नहीं है।

तापीय संयंत्रों के लिए मांगा गया विदेशी सहयोग

4375. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तापीय बिजली घरों को चलाने तथा उनके रख-रखाव के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों को कोई विशेषज्ञ दल भेजे गए हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दल द्वारा हुई वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत में ताप विद्युत केन्द्रों को चलाने तथा इनके अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसी विदेशी कम्पनी की सहायता नहीं मांगी है। तथापि पतरात, ओवरा तथा हरदुआगंज ताप विद्युत केन्द्रों में रूस द्वारा सप्लाई की गई 50/100 मेगावाट की यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सोवियत सहायता मांगी गई है।

(ख) प्रचालन तथा अनुरक्षण पद्धतियों, तकनीकी सर्विसिंग और मरम्मत करने की संगठनात्मक प्रणाली का अध्ययन करने तथा ताप विद्युत केन्द्रों की प्रशिक्षण सम्बन्धी

आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए भारतीय विशेषज्ञों के एक दल को सोवियत संघ भेजने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता.

"कोल इंडिया में गत पांच वर्षों के दौरान 50 हजार श्रमिकों का रोजगार छूट गया" शीर्षक समाचार

4376. **श्री अजय बिश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अगरतला से प्रकाशित होने वाले दिनांक 21 जून, 1981 के "डेली देशेर कथा" में "कोल इंडिया में गत पांच वर्षों के दौरान 50 हजार श्रमिकों का रोजगार छूट गया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भद्रक में टेलीफोन एक्सचेंज

4377. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के बालासौर जिले में भद्रक स्थित मानव-चालित टेलीफोन एक्सचेंज लोगों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने में बहुत ही अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज को स्व-चालित बनाने तक लोगों की ऐसी मांगें पूरी करने के लिए सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या लोगों के श्रेष्ठ हित में भद्रक में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए विभागीय भवन का निर्माण शीघ्र पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए क्षमता पर्याप्त है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए कोई टिप्पणी नहीं।

(ग) जी हां। उस भवन में जो वर्ष 1982 के दौरान बनकर तैयार हो जाएगा, अन्ततः उसमें स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज ही रखा जाएगा।

बालासौर (उड़ीसा) में डिवीजनल इन्जीनियर टेलीग्राफ आफिस

4378. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर (उड़ीसा) में एक नया डिवीजनल इन्जीनियर टेलीग्राफ आफिस स्वीकृत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या डिवीजनल इन्जीनियर टेलीग्राफ आफिस बालासौर को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राफ सब-डिवीजनलों का पुनर्गठन किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) मंडल इन्जीनियर तार, कटक के कार्यभार का द्विभाजन कर अभी हाल ही में मंडल इन्जीनियर का कार्यालय बालासौर बनाया गया है ।

(ग) तार उप मंडलों का पुनर्गठन भी किया गया है और क्योंझर, बालासौर और बारी पदा के उप मंडलों को तार इन्जीनियर मंडल, बालासोर के अधीन रखा गया है ।

उप डाक घर, वंत जिला बालासौर (उड़ीसा) के विभागीय भवन के लिए स्थान

4379. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप डाक घर, बंत जिला बालासौर (उड़ीसा) के विभागीय भवन के स्थान के चयन में विलम्ब होने के खास कारण क्या हैं; और

(ख) जनता की मांग को पूरा करने के हेतु विभागीय भवन के लिए शीघ्र स्थान के चयन और भवन निर्माण के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) वंट डाक घर के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान के अधिग्रहण का मामला राज्य के राजस्व अधिकारियों के साथ उठाया गया था । राज्य सरकार ने पहले 19 सेंट का भू-खंड देने के लिए सहमति दी थी जो कि डाक घर के लिए विभागीय भवन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी । दिनांक 24.6.81 को 24 डेसीमल भूखंड का चयन कर लिया गया है । वंट उप डाक घर हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कार्रवाई प्रगति पर है ।

आकाशवाणी के अगरतला केन्द्र के विरुद्ध शिकायतें

4380. **श्री अजय विश्वास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के अगरतला केन्द्र के विरुद्ध त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मन्त्री की शिकायत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने त्रिपुरा विधान सभा में हुई चर्चा की ओर ध्यान दिलाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया गया था कि आकाशवाणी, अगरतला राज्य सरकार के रिलीजों को समुचित रूप से कवर नहीं करता।

(ग) इस प्रकार के मामलों को आकाशवाणी, अगरतला की कार्यक्रम सलाहकार समिति जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी और स्थानीय गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल हैं, के माध्यम से भली-भाँति सुलझाया जाता है। यह सुझाव मुख्य मन्त्री को भेज दिया गया है। इस बीच आकाशवाणी, अगरतला राज्य सरकार के वक्तव्यों और रिलीजों को समुचित महत्व और क्वरेज दे रहा है।

उप सूचना और प्रसारण मन्त्री द्वारा सोवियत संघ में की गई बातचीत

4381. **श्री नवीन रवाणी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप सूचना और प्रसारण मन्त्री ने अपनी हाल की सोवियत रूस की यात्रा के दौरान विभिन्न मन्त्रियों, सरकारी अधिकारियों तथा संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले और विशेष रूप से क्या कोई समझौते किए गये;

(घ) भारत को उनसे क्या लाभ प्राप्त होगा; और

(ङ) उनकी एवं कर्मचारियों की यात्राओं, दैनिक भत्तों, यात्रा भत्ते, आवास तथा अन्य बातों पर कितना व्यय हुआ और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना और प्रसारण उप मन्त्री कुमारी कुमुद जोशी मास्को में हुए 12वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए फिल्म समारोह में सरकारी शिष्ट मंडल के नेता के रूप में मास्को गई थीं। सोवियत संघ की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान, सूचना और प्रसारण उप मन्त्री ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ सोवियत के रेडियो और टेली-विजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के बारे में रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों सम्बन्धी सोवियत संघ की राज्य समिति के उपाध्यक्ष श्री ए०एन० मेईमेदोव के साथ बातचीत की थी। उप मन्त्री ने चल चित्र सम्बन्धी सोवियत संघ की राज्य समिति के अध्यक्ष श्री पी०टी० इरमाश से भी मुलाकात की थी और चलचित्र सम्बन्धी करार के अन्तर्गत भारत-रूसी फिल्मों के सह निर्माण पर बातचीत की थी। उप मन्त्री "तास" के महानिदेशक श्री एस०ए० लोसेव से भी मिली थीं और उन्होंने गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल में भारत की भूमिका पर बातचीत की थी।

(ग) सूचना और प्रसारण उप मन्त्री की यात्रा के दौरान सोवियत प्राधिकारियों के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किए गए थे।

(घ) भारत को होने वाले लाभ भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सम्बन्धों, विशेषकर रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में, को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे।

(ङ) उप मन्त्री और उनके निजी सचिव की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान उनको राजकीय अतिथि माना गया था। सूचना और प्रसारण उप मन्त्री और उनके स्टाफ की विमान यात्रा पर 33,184 रुपए खर्च हुए थे। भारत में उपहार खरीदने पर 3,837 रुपए खर्च हुए थे।

जिला सूरत के वेलोड में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की अनियमित सप्लाई

4382. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आजकल जिला सूरत के वेलोड में उपभोक्ताओं को गैस के सिलेण्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सिलिण्डरों के नियमित वितरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) वेलोड में खाना पकाने की गैस के वितरण की एजेंसी की स्वीकृति हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) गैस के वितरण के लिए नई एजेंसियों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन जो सूरत में वेलोड नामक स्थान पर कुकिंग गैस (एल०पी०जी०) का विपणन कर रहा है द्वारा एल०पी०जी० सिलेण्डरों के रिफिलों की सप्लाई में विलम्ब के सम्बन्ध में कुल शिकायतें प्राप्त की गई थीं। मैसर्स सूरत गैस ट्रांसपोर्ट कम्पनी जो उस क्षेत्र में एल०पी०जी० का वितरण कर रही है की सेवाएं समाप्त किए जाने के कारण वेलोड में रिफिलों की सप्लाई में विलम्ब हुआ था। एच०पी०सी०एल० द्वारा एक नया उप-एजेन्ट नियुक्त किए जाने के साथ समस्या का समाधान हो गया है।

(ख) इस समय वेलोड में नए वितरकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस सम्बन्ध में एच०पी०सी०एल० द्वारा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में हुए श्वेत विरोधी जातीय प्रदर्शन का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

4383. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1981 के दूरदर्शन के समाचारों में ब्रिटेन में हुए अवश्वेत-विरोधी जातीय प्रदर्शनों को दिखाया गया था जबकि नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्च आयुक्त के कार्यालय के समक्ष 12 जुलाई, 1981 को जातीयवाद के विरुद्ध किए गए प्रदर्शन को पूर्णतया छिपा लिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जातीय दंगों के बारे में एक समाचार का 17 जुलाई, 1981 के 9.45 बजे के समाचार कार्यक्रम में उपयोग किया गया था। एक पुस्तकालय फिल्म कतरन, जिसमें 1968 से लेकर आज तक के दंगों की पृष्ठभूमि दिखाई गई थी, का भी उसी कार्यक्रम में उपयोग किया गया था। ऐसा चालू दंगों का परिपेक्ष्य देने के लिए किया गया था। इसमें यह दिखाया गया कि ब्रिटेन में श्वेतों के बीच उग्रवादी तत्व, विशेषकर नेशनल फ्रन्ट और अन्य उग्रवादी तत्व, जिनका ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं है, 1968 से आप्रवासी वर्गों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप 1968, 1977, 1979 और इस वर्ष व्यापक दंगे हुए जिनसे ब्रिटेन में भारतीयों और एशिया के अन्य व्यक्तियों को परेशानी हुई।

12 जुलाई, 1981 को नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्च आयुक्त के सामने हुए प्रदर्शन के बारे में दूरदर्शन को पूर्व सूचना नहीं थी। इसलिए उसको समाचार कार्यक्रम में स्थान नहीं मिल सका। किसी भी प्रदर्शन के प्रति भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। दूरदर्शन समाचार घटनाओं की निष्पक्ष और संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करने का सदा प्रयास करता है। उक्त "घटना" को ब्रिटेन के उच्च आयुक्त के सामने किए जा रहे प्रदर्शन की सूचना न मिलने के कारण कवर नहीं किया जा सका था।

तमिलनाडु में द्विवार्षिक चुनाव

4384. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तमिलनाडु विधान परिषद के लिए अप्रैल, 1982 में (1) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों; और (2) स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन कराने के बारे में जो कदम उठाए हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन 1976 में लागू किया गया था । उस वर्ष स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से तमिलनाडु विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन नहीं कराया जा सका । वर्ष 1976में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से जो दो-दो स्थान खाली हुए थे वे 1978 में भरे गए थे । वर्ष 1978 में ऐसे निर्वाचित सदस्यों की छह वर्ष की अवधि 1984 में समाप्त होगी । तमिलनाडु विधान परिषद् के लिए स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कोई द्विवार्षिक निर्वाचन 1982 में नहीं होना है ।

"विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब कैसे होता है" शीर्षक समाचार

4385. **श्री शिबु सोरन :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1981 के "सण्डे" में "विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब कैसे होता है" (हाऊ पावर प्रोजेक्टस आर डिलेड) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और इस विलम्ब के लिए कौन-सी बहु-राष्ट्रीय फर्म जिम्मेदार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया तारीख 25.3.1980 का पत्र, जिसमें इलैक्ट्रोनिक रेंज प्रोसेस कन्ट्रोल इंस्ट्रुमेंट्स का निर्माण करने और उनकी सप्लाई करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कुछ फर्मों के नाम दिए गए थे, तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अपने तारीख 7.10.1980 के पत्र द्वारा वापस ले लिया गया था । जिस बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को उपस्कर की कुछ मदों के लिए पहले औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे, उसके उस प्रतिवेदन की औद्योगिक विकास विभाग में जांच की जा रही है जिसमें उपस्कर की कुछ मदों की समय सूची में परिवर्तन करने के लिए कहा गया है ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में जमा राशियों की सुरक्षा

4386. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में छोटे जमाकर्ताओं की कानूनी रूप से उन लोगों के समान रखने पर विचार किया है जिन्होंने प्रतिभूत जमाराशियां करवाई हुई हैं; और

(ख) ऐसे जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सामाजिक उपाय के रूप में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों में जमाओं, जिनको कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा अनुशासित किया जाता है, वे मुख्यत: अप्रतिभूत हैं तथा जमाओं को आमन्त्रित करते हुए सम्बन्धित विज्ञापन में ऐसी घोषणा करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख करना अपेक्षित है कि वे कम्पनी की अन्य अप्रतिभूत देयताओं के समरूप श्रेणीबद्ध हैं।

उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का भी पुनरीक्षण किया था, ने अपने रिपोर्ट (जिसकी प्रति सदन के पटल पर दिनांक 30.8.1978 को रखी गई थी) में यह मतव्य प्रकट किया है कि जबकि कानून, कम्पनियों के किसी एकल या जमाकर्ताओं के किसी विशेष वर्ग को कुछ सीमा के बाहर सुरक्षा प्रदान करने में सम्भवत: नहीं है तो उसके द्वारा सुझाए गए कतिपय उपायों को सामान्यत: जमाकर्ताओं के हित की आगे सुरक्षा के लिए स्वीकार किए जाएं। ये सुझाव सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

कर्नाटक में डाक को अवरुद्ध किया जाना

4387. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और 1898 के भारतीय डाक घर अधिनियम पर भरोसा करते हुए डी०आई०जी० (सतर्कता) कर्नाटक राज्य ने सरकार को भेजी गई सूची में सूची बद्ध व्यक्तियों की सभी डाक को मार्ग में पढ़ने का गुप्त परिपत्र सभी डाकपालों को जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो डाक को इस प्रकार से मार्ग में पढ़ने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने उन सभी समाचार पत्रों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था जिन्होंने डी०आई०जी० (सतर्कता) कर्नाटक का वह गुप्त परिपत्र प्रकाशित किया था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। कर्नाटक राज्य सरकार ने एक परिपत्र भेजा था जिस आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए भेजी गई डाक पुलिस के प्रतिनिधियों को सौंपने को कहा गया था।

(ख) राज्य सरकार को सार्वजनिक हित में डाक वस्तुओं के अन्तरावरोधन हेतु भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 की धारा 26 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) चूंकि यह सूचना कर्नाटक राज्य सरकार की पुलिस विभाग से सम्बन्धित हैं यह सूचना इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

चन्द्रपुरा तापीय विद्युत केन्द्र में ट्रकों का जल जाना

4388. **श्री रणजीत सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंद्रपुरा तापीय विद्युत केन्द्र में 1977 और 1978 में कुछ ट्रक जल गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रक जल गए थे, और उनके मालिकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ट्रक मालिकों के अलावा कुछ व्यक्तियों को स्टीम साफ्ट तथा स्लक कोयले के रूप में मुआवजा दिया गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि उन ट्रकों का बीमा भी किया हुआ था तथा बीमा कम्पनियों से भी मुआवजा प्राप्त कर लिया गया जिससे उन्होंने दोहरा लाभ उठा लिया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्य सभा और तमिलनाडु विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन

4389. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय कार्य ब्यूरो, मद्रास ने मई-जून, 1981 में निर्वाचन आयोग को लिखा था कि वह निर्धारित समयानुसार मार्च-अप्रैल, 1982 में (1) तमिलनाडु से राज्य सभा और (2) तमिलनाडु विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन कराएं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग को लिखे गए श्री बी०के० बालसुब्रह्मण्यन के जो संसदीय कार्य ब्यूरो, मद्रास के मुख्य कार्यपालक हैं, तारीख 29 मई, 1981 के पत्र से उद्धरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 283 /81]

(ग) निर्वाचन आयोग ने आवेदक को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 156 (1) के अधीन यह व्यवस्था है कि राज्य विधान परिषद् द्विवार्षिक निर्वाचन में, निर्वाचित सदस्य की पदावधि छह वर्ष होगी और धारा 157(1) के अधीन यह व्यवस्था है कि ऐसे सदस्य की पदावधि उस तारीख से आरम्भ होगी जिस तारीख को उसका नाम उक्त अधिनियम की धारा 74 के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है । वर्ष 1976 में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से तमिलनाडु

विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन नहीं कराया जा सका, इसलिए वे दो स्थान जो उस वर्ष के दौरान रिक्त हुए थे, 1978 में भरे गए थे। इसलिए उस वर्ष चुने हुए सदस्यों की पदावधि धारा 157(1) के अधीन तारीख 21.4.1978 से अर्थात् उस तारीख से जिस तारीख को निर्वाचित सदस्यों के नाम उक्त अधिनियम की धारा 74 के अधीन अधिसूचित किए गए थे, प्रारम्भ हुई। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से उन दो स्थानों को जो 1978 में रिक्त हुए थे भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन भी अप्रैल, 1978 में किए गए थे और निर्वाचित सदस्यों के नाम उसी तारीख को अर्थात 21.4.1978 को अधिसूचित किए गए थे। तदनुसार, सभी चारों सदस्यों की छह वर्ष की अवधि 20.4.1984 को समाप्त होगी।

गढ़वाल निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई कार्यवाही

4390. **श्री असफाक हुसैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल में संसदीय उप-निर्वाचन से सम्बद्ध निर्वाचन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने सभी स्तरों पर अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से निर्वाचन आयोग तथा सरकार को निर्वाचन में हुई गड़बड़ी के बारे में रिपोर्ट भेजी है; यदि हां, तो इन रिपोर्टों पर सरकार और आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रिपोर्टों को प्रकाशित करने का है;

(ग) निर्वाचन में हुई गड़बड़ी की जांच कराने के लिए अपने सचिव के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए विशेष दल की रिपोर्ट के अनुसार जो निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति सभी स्तरों पर दोषी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध आयोग ने सरकार से क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसरों ने निर्वाचन क्षेत्र में 14 जून, 1981 को मतदान के संचालन के सम्बन्ध में, निर्वाचन आयोग को विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। रिपोर्टें तथ्यों के सम्बन्ध में हैं और वे निर्वाचन में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में नहीं थी। सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान का आदेश करते समय निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया था।

(ख) आयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट को प्रकाशित करने का विचार इस कारण से नहीं रखता है कि आयोग ने पुनः मतदान कराने के अपने

तारीख 10 जून, 1981 के आदेश में विभिन्न रिपोर्टों के सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली थी।

(ग) किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मतदान के संचालन से सम्बन्धित कोई अधिकारी विनिर्दिष्ट रूप से दोषी नहीं पाया गया।

(घ) जी नहीं।

राज्य सतर्कता विभागों द्वारा रोकी गई मार्ग में पठिता सेंसर किए गए। जांच किए गए प्रेस टेलीग्राम

4391. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य सतर्कता विभागों द्वारा किन-किन तारीखों को प्रेस तारों को रोका गया अथवा मार्ग में पढ़ा गया अथवा सेंसर किया गया था अथवा उनकी जाँच की गई; और

(ख) प्रत्येक मामले में तार का स्वरूप क्या था और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) जबकि सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के भाग-II की धारा 5(2) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए वचनबद्ध है, परन्तु किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने की दिशा में, अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केन्द्रीय सरकार, अथवा कोई भी राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किए प्राधिकृत किया गया कोई भी अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट है कि भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के हित में और राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने अथवा सार्वजनिक आदेश किसी अपराध करने की उत्तेजना को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार प्रत्याशित संवाददाताओं के भारत में छपने वाले प्रेस संदेशों के प्रेषण पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।

इसके आगे विवरण देना जनहित में नहीं है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स का सोलनपुर क्षेत्र

4392. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स के सोलनपुर क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ 72 लाख रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस हानि के कारणों का विस्तृत विवरण क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने का विचार है और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। सोलनपुर क्षेत्र में वर्ष 1980-81 के दौरान केवल लगभग रु० 2.66 करोड़ का नुकसान हुआ है।

(ख) नुकसान का मुख्य कारण था—कोयले की अलाभकारी कीमत और साथ ही उत्पादन सामग्रियों की लागत में और मजदूरी में वृद्धि और विभिन्न बाधाओं के कारण उत्पादन में हुई हानि।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्वयं ही मामले शुरू करती है और कम्पनी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सभी सहायता देती है।

प्रकाशन विभाग के निदेशक, सयुक्त निदेशक, उपनिदेशकों के कार्य और दायित्व

4393. **श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग के निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप-निदेशकों (हिन्दी) के कार्य तथा दायित्व क्या हैं;

(ख) इन पदों पर नियुक्ति/तैनाती की सामान्य प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन पदों पर गलत व्यक्तियों को लगाए जाने के कारण प्रकाशन डिविजन में सामान्य कार्यकरण विशेषकर हिन्दी में प्रकाशन से सम्बन्धित भाग में काफी गिरावट आई है; और

(घ) इन व्यक्तियों को हटाने तथा प्रकाशन विभाग में ढीलेपन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (हिन्दी) के कार्य/उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं :—

निदेशक : विभाग के प्रमुख के रूप में, निदेशक प्रकाशन विभाग के सभी सम्पादकीय और प्रकाशन सम्बन्धी कार्यों तथा प्रशासनिक कार्य के समग्र प्रभारी हैं तथा समूचे विभाग के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी है।

संयुक्त निदेशक : अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के सभी प्रकाशनों के सम्पादकीय कार्य की देख रेख करने में निदेशक की सहायता करना।

उप निदेशक (हिन्दी) : हिन्दी के सभी प्रकाशनों के सम्पादकीय कार्य की देख रेख करने में निदेशक की सहायता करना।

(ख) इन पदों पर नियुक्ति/तैनाती सरकार द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों में से की जाती है जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री द्वारा एकत्र चंदे का टेलीविजन पर दिखाया जाना

4394. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई दूरदर्शन "इंदिरा प्रतिष्ठान" के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री द्वारा एकत्र चंदे को नियमित रूप से टेलीविजन पर दिखा रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के कुछ लाख रुपयों से अधिक राशि के चैक सहित चित्र भी दिखाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो गत दो महीनों में मुख्य मन्त्री तथा चैकों के ऐसे चित्र कितनी बार टेलीविजन पर दिखाए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) बम्बई दूरदर्शन केन्द्र ने 6 जुलाई, 13 जुलाई, 28 जुलाई और 22 अगस्त, 1981 को अपने समाचार बुलेटिनों में महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के फोटो के साथ मुख्य मन्त्री को दान स्वरूप चैक दिए जाने को टेलीकास्ट किया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के "स्पाटलाईट" कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति

4395. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान (एक) आकाशवाणी और (दो) दूरदर्शन के "स्पाट लाईट" और अन्य ऐसे ही कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किन पत्रकारों और राजनीतिक पार्टियों के व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था;

(ख) प्रत्येक अवसर पर उनमें से हर व्यक्ति को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को चयन करने के क्या मानदंड हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, 1980 और 1981 के बारे में अपेक्षित सूचना क्रमशः परिशिष्ट "क" और "ख" में दी गई है।

जहाँ तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि की सूचना परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2834/81]

शेष अवधि अर्थात् फरवरी, 1981 से अगस्त, 1981 तक की सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) रेडियो और टेलीविजन दोनों के लिए व्यक्तियों का चयन क्षेत्र विशेष में उनकी विशेषज्ञता और ख्याती तथा कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में उनकी उपयुक्तता के आधार पर रेडियो और दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगस्त 1980 से जुलाई, 1981 के दौरान बिजली केन्द्रों द्वारा बिजली का उत्पादन

4396. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्येक बिजली घर द्वारा अगस्त 1980 से जुलाई, 1981 तक एम० डब्ल्यू० एच० में बिजली की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) उन बिजली घरों के क्या नाम हैं जिन्होंने मांग के अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता से बिजली का उत्पादन किया और उन बिजली घरों के क्या नाम हैं जो अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर सके और इसके क्या कारण थे; और

(ग) मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली की औसत वार्षिक मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है और मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित विद्युत केन्द्रों की केन्द्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता तथा अगस्त, 1980 से जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान इनसे हुआ वास्तविक विद्युत उत्पादन दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के सतपुड़ा यूनिट सं० 1 से 5, कोरबा यूनिट सं० 3, अमरकंटक और अमरकंटक विस्तार 1 और 2 अपने संभावित कार्यनिष्पादन के अनुरूप ही विद्युत का उत्पादन कर सके हैं। जो केन्द्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सके, उन केन्द्रों का ब्यौरा तथा पूरी क्षमता का उपयोग न कर सकने के कारण संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान राजस्थान की ऊर्जा प्रत्याशित आवश्यकता 4708 मिलियम यूनिट है । इसकी तुलना में ऊर्जा की प्रत्याशित सप्लाई 4610 मिलियन यूनिट है। यह कमी 2.1 प्रतिशत है। वर्ष 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश की प्रत्याशित आवश्यकता 7057 मिलियम यूनिट है। इसकी तुलना में प्रत्याशित उपलब्धता 6566 मिलियन यूनिट है। यह कमी 7 प्रतिशत है। आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने के लिए विद्युत की सप्लाई को नियंत्रित करने हेतु ये राज्य सरकारें विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर विद्युत की कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाती है।

विवरण-एक

राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित विद्युत केन्द्रों की केन्द्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता तथा अगस्त, 1981 से जुलाई, 1980 तक की अवधि के दौरान इनसे हुआ वास्तविक विद्युत उत्पादन दिखाने वाला विवरण

राज्य	केन्द्र	प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)
राजस्थान	आर० ए० पी० एस०	440	1340
	आर० पी० सागर	172	343
	जवाहर सागर	99	254
	जोड़ (जल-विद्युत)	271	597
	जोड़ (राजस्थान)	711	1937
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा—1—5	312.5	1942
	—6	200	685
	—7	210	150
	कोरबा—एक	100	426
	—दो	200	922
	—तीन	120	728
	—चार	120	17
	अमरकंटक	60	385
	अमरकंटक विस्तार 1—2	240	1184
	अन्य	20	—
	जोड़ (ताप विद्युत)	1462.5	6439
	गांधी सागर	115	305
	जोड़ (ताप+जल विद्युत) (मध्य प्रदेश)	1577.5	6744

विवरण दो

जो केन्द्र अपनी पूरी विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर सके उन केन्द्रों का ब्यौरा तथा पूरी क्षमता का उपयोग न कर सकने के कारण दिखाने वाला विवरण

राज्य	केन्द्र	कारण
राजस्थान	आर० ए० पी० एस०	बन्दी की ऊँची दर 1 अप्रैल, 1981 से अगस्त, 1981 तक की अवधि के दौरान केन्द्र की बन्दी की दर 23 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक अलग-अलग थी। इस अवधि के दौरान औसत 34 प्रतिशत रही।
	आर० पी० सागर जवाहर सागर	उपलब्ध जल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा—6 —	नई यूनिट सुस्थिर हो रही है।
	कोरबा—एक	बन्दी की ऊँची दर 1 अप्रैल, 81 से अगस्त,81 तक की अवधि के दौरान केन्द्र की बन्दी की दर 33 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक अलग-अलग थी। इस अवधि के दौरान औसत 46 प्रतिशत रहा।
	कोरबा—दो	अप्रैल, 81 से अगस्त, 81 के दौरान क्षमता समुपयोजन (संयंत्र भार अनुपात प्रतिशत) 38 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक अलग-अलग था। इस अवधि के दौरान औसत केवल 50 प्रतिशत रहा। इसके बावजूद इस अवधि के दौरान प्रचालन उपलब्धता लगभग 75 प्रतिशत रही।
	कोरबा—चार	नई यूनिट सुस्थिर हो रही है।
	गांधी सागर	उपलब्ध जल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है।

इलैक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्टरियों में डिजिटल एक्चेंज प्रणाली के निर्माण में सरीन समिति का समर्थन

4397. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूर संचार पर सरीन समिति ने इलैक्ट्रानिक स्विचिंग कारखानों में डिजिटल एक्सचेंज प्रणाली के निर्माण का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में डाक-तार विभाग से क्या निर्णय लिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार विभाग ने सावधानी के साथ विचार करने के बाद, इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है ।

"ट्रांसपोर्ट-कहलम" का प्रकाशन

4398. **श्री बी० के० नायर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ट्रांसपोर्ट-कहलम" के नाम से त्रिवेन्द्रम से एक मासिक पत्रिका एक साथ दो अलग-अलग मुद्रकों तथा प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा रही है जिससे राज्य परिवहन कर्मचारियों और आम जनता में भारी भ्रान्ति हैं ;

(ख) क्या पी० आर० एक्ट के अन्तर्गत उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रतिद्वन्दी दावेदारों के बीच विवाद का अभियोग कुछ महीने पूर्व समाप्त हो गया था ;

(ग) निर्णय देने में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या आदेश पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए निदेश दिया जाएगा ; और

(ङ) क्या प्राधिकारी के विरूद्ध शक्तियों का दुरूपयोग तथा प्राधिकार की अवहेलना करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां । "ट्रांसपोर्ट-कहलम" के नाम से एक मासिक पत्रिका त्रिवेन्द्रम से दो अलग-अलग मुद्रकों तथा प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा रही थी ।

(ख) से (घ) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकारी ने कुछ महीने पहले पार्टियों को सुना था और उसने अब अपने अन्तिम आदेश पास कर दिए हैं । विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिन्धी साहित्य कला विकास समिति की ओर से ज्ञापन

4399. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिन्धी साहित्य कला विकास समिति की ओर से सितम्बर 1980 में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; और

(ग) उस पर यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) : जी, हां।

(ख) किया गया अनुरोध आकाशवाणी के अलग केन्द्रों या अन्यथा इत्यादि के माध्यम से सिंधी के प्रसारणों/टेलीकास्टों की अवधि बढ़ाने और उनमें विविधता लाने के लिए है।

(ग) आकाशवाणी केन्द्र सामान्यतया अपने सेवा क्षेत्र में मुख्य भाषा (बनाम) अल्पसंख्यक भाषाओं में कार्यक्रमों को तब प्रस्तुत करते हैं जब सम्बन्धित सेवा क्षेत्र में कम से कम 5 प्रतिशत लोग उस भाषा को बोलते हों। आकाशवाणी आवधिक रूप से भाषायी कार्यक्रमों की पर्याप्तता की समीक्षा करता है। जबकि सिंधी के कार्यक्रमों के लिए अलग रेडियो स्टेशन का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, उन क्षेत्रों, जिनमें सिंधी भाषी जनसंख्या का पर्याप्त संकेन्द्रन है, के आकाशवाणी केन्द्र सिंधी के कार्यक्रमों को पहले ही प्रसारित कर रहे हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. बम्बई	60 मिनट प्रति सप्ताह
2. जयपुर	60 मिनट प्रति सप्ताह (अब 7.6.81 से बढ़ाकर 90 मिनट कर दिया गया है)
3. भुज	115 मिनट प्रति सप्ताह
4. अहमदाबाद	30 मिनट प्रतिदिन

इस भाषा को आकाशवाणी की अखिल भारतीय काव्य गोष्ठी में पहले ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उपयुक्त सामग्री की उपलब्धता के आधार पर, आकाशवाणी अखिल भारतीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में सिन्धी में नाटक और लोक संगीत भी प्रसारित करेगा।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है दूरदर्शन इस समय एकल चैनल सेवा में है। सिंधी भाषा में अलग चंक चालू करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र अब भी "चैती चांद" जैसे विशेष कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं और प्रादेशिक फिल्म/चित्रहार चंक में सिंधी फिल्में और फिल्मी गीत भी टेलीकास्ट करते हैं।

भुज जैसे रेडियो स्टेशनों के कतिपय क्षेत्रों में सिंधी जन-संख्या के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरकार सिंधी भाषा के कार्यक्रम का समय बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है।

राजस्थान और पश्चिम बंगाल में आई० डी० एल० द्वारा नये एककों की स्थापना

4400. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आई० डी० एल० केमिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद को राजस्थान और पश्चिम बंगाल में नए एककों की स्थापना की अनुमति दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : एक्सप्लोजिव्ज, डिटोनिटर्स, डिटोनेटिंग फ्यूजिज के निर्माण के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम सहप्रवर्तक के रुप में आई० डी० एल० कैमिकल्स लि० के साथ संयुक्त क्षेत्र में एक संयंत्र की स्थापना कर रहा है। स्लरी एक्सप्लोजिव्ज के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम सह-प्रवर्तक के रुप में आई० डी० एल० कैमिकल्स के साथ सयुक्त क्षेत्र में एक संयंत्र की स्थापना करने का विचार रखता है।

अतारांकित प्रश्न सं० १३८६ दिनाँक २५ अगस्त, १९८१ के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्री इंद्रजीत गुप्त और श्री आर० पी० गायकवाड़ द्वारा पूछे गए गए लोक सभा अतारांकिय प्रश्न सं० 1386 तारीख 25 अगस्त, 1981 के भाग (ख) के उत्तर में यह बताया गया था कि "निर्वाचन आयोग के विभिन्न अवसरों पर जो सिफारिशें की हैं उनके ब्यौरे लोक सभा के तारीख 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 227 और लोक सभा के तारीख 2 दिसम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न सं० 221 के सम्बन्ध में सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं।" आयोग की कुछ सिफारिशें उसकी "लोक सभा एवं विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 1979-80 तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1979 की रिपोर्ट, खण्ड I" में भी दी हुई है। यह रिपोर्ट सदन के पटल पर 23 दिसम्बर, 1981 को पहले ही रखी जा चुकी है।

अनवधानता के कारण यह बात लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1386 के भाग (ख) के उत्तर में सम्मिलित नहीं की जा सकी। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि अनवधानता के कारण हुई इस भूल को उस उत्तर में सुधार दिया गया था जो लोक सभा में तारीख 1 सितम्बर, 1981 के इसी प्रकार के अतारांकित प्रश्न सं० 2259 के सम्बन्ध में दिया गया था।

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१ दिनाँक १७ फरवरी, १९८१ के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में साथ-साथ बताया गया था कि कम्पनी, मै० लिप्टन इण्डिया लिमिटेड ने 30 जून, 1980 को वर्ष समाप्ति में 96.3 लाख रु० का कर पूर्व लाभ कमाया था। अब यह प्रतीत हुआ है कि यह कथित 96.34 लाख रु० की राशि वास्तव में कम्पनी द्वारा उक्त वर्ष में उठाई गई हानि की थी। इस असावधानी की भूल के लिए खेद है। संशोधन पहले इसलिए प्रेषित नहीं किया जा सका था क्योंकि भूल केवल हाल ही में दृष्टिगोचर हुई थी।

विशेषाधिकार के मामले, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक सरस्य को इस पक्ष से तथा एक को उस पक्ष से बुलाऊंगा । (व्यवधान)* मैं बारी-बारी से एक-एक सदस्य को बुलाऊंगा । मैं आप को भी बुलाऊंगा । मैं बारी-बारी से बुलाऊंगा । श्री वाजपेयी, मैं आपको भी बुलाऊंगा । मैं बारी-बारी से बुलाऊंगा । (व्यवधान)* माननीय सदस्यो, आपने जो कुछ भी कहना है, मुझे उसे अवश्य सुनना होगा । यह विशेषाधिकार मुझे नहीं दिया गया है । इन सभी बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)* मैं आपको बारी-बारी से बुलाऊंगा । कृपया बैठ जाइये मैंने श्री वाजपेयी को बुलाया है । मैं आपको बारी-बारी से बुलाऊंगा । कृपया बैठ जाइये । श्री वाजपेयी । (व्यवधान)* मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता । मैं बारी-बारी से आपको बुलाऊंगा । (व्यवधान)* मैं दलों के नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि वे अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखें । सभी दलों के नेता अपने-अपने दलों के सदस्यों पर नियंत्रण रखें । जो कुछ भी आप कहेंगे उसे मुझे अवश्य ही सुनना होगा । आप नहीं चाहते हैं कि आप को यह बताया जाये । (व्यवधान)* मैं आपको बुलाऊंगा । मैं आप को भी बुलाऊंगा । मैं आप में से हर एक को बुलाऊंगा । अब, श्री वाजपेयी बोलेंगे । आप सभी कृपया बैठ जाइये । (व्यवधान) ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय ने वित्त मंत्री के विरुद्ध हमारे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आज विनिर्णय देना था (व्यवधान) ।*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे समझ लिया है । अध्यक्ष महोदय बीमार हैं । वह कल सभा में आयेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय को हमें सुने बिना अपना विनिर्णय नहीं देना चाहिये । यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है । अध्यक्ष की एक बहुत सीमित भूमिका होती है । इस बात का निर्णय तो सभा ने करना है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं । मैं आपका ध्यान कौल और शकधर की पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं । (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि वह आज अपना विनिर्णय दे सकते है । अध्यक्ष महोदय बीमार हैं । कल उनके यहां आने की सम्भावना है और मेरा विचार है कि कल उनका विनिर्णय दिया जा सकता है । (व्यवधान) । आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं । मैं आपके विचार उन तक पहुंचा दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह चाहूंगा कि विनिर्णय दिये जाने से पूर्व अध्यक्ष महोदय कौल और शकधर की पुस्तक और मेट की 'पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस' पढ़ लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि वह विरोधी पक्ष के प्रत्येक नेता का स्वागत करते हैं ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका निर्णय उनके कक्ष में नहीं प्रत्युत सभा पटल पर किया जाना है। (व्यवधान)। मैं चाहता हूं कि हमारे विरोध को नोट किया जाये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह विशेषाधिकार सभा का है। इसका निर्णय सभा पटल पर किया जाना है। (व्यवधान)।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। यह शून्य काल है। चूंकि यह शून्य काल है, इसलिये यदि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो आपको मेरी अनुमति अवश्य लेनी होगी। (व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : 1979 में जमशेदपुर में दंगे हुए थे और तत्कालीन जनता सरकार ने न्यायाधीश जितेन्द्र नारायण की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय समिति गठित की थी···

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है। (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस चर्चा के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है। श्री दडपाणि।

श्री सी० टी० दंडपाणि : अनेक कई करोड़ रुपयों के स्प्रिट के घोटाले के संबंध में तमिलनाडु में उन्मुक्त रूप से आतंक फैला हुआ है।*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लानी) : 4 संसद सदस्यों तथा मेरे नेता श्री करुणानिधि सहित 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उन्हें यंत्रणाएं दी गयी हैं। वहां कोई सरकार नहीं है। मैं सरकार से तमिलनाडु सरकार को बरखास्त करने की प्रार्थना करता हूं और राष्ट्रपति को इसे अपने अधीन ले लेना चाहिए··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गयी है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। (व्यवधान)। अब श्री एच० के० एल० भगत बोलेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : स्वर्ण नीलामी घोटाले के सम्बन्ध में मेरे तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण सूचनाओं का क्या हुआ ? आपने कल कहा था कि ये विचाराधीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी गई है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं कारण जानना चाहता हूं कि मुझे अनुमति क्यों नही दी गई है। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। आपको कोई कारण नहीं बताया जा सकता। (व्यवधान)*। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न कीजिये। (व्यवधान)*। आप कृपया मुझे मेरे कक्ष में मिलिये। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैंने कल भी आप से निवेदन किया था कि जमशेदपुर के रायट्स के बारे में···

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : जमशेदपुर के दंगों सम्बन्धी प्रतिवेदन, स्वर्ण नीलामी घोटाला और पुरी समिति के प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। आपने अभी-अभी बताया है कि कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी गयी है। परन्तु कल आपने वचन दिया था कि आप इस पर आज चर्चा करने की अनुमति देंगे और आपने यह भी कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया है।

श्री के० लकप्पा : आज के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि आर० एस० एस० (व्यवधान)···उस रिपोर्ट पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है। जहां तक पुरी समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी गयी है। (व्यवधान) और कोई वचन नहीं दिया गया था। अब, श्री यादव बोलेंगें। (व्यवधान)* श्री यादव के अतिरिक्त और कोई सदस्य जो कुछ भी कहेगा, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (व्यवधान)। सदस्य का प्रथम गुण तथा कर्तव्य पीठाध्यक्ष की आज्ञा को मानना है। (व्यवधान)* और बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा कही गयी बात को ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, आपने मुझे बुलाकर बड़ी कृपा की है। किन्तु, जब भी आप हमें बोलने के लिए बुलायें, तो आपको हमारी बात भी अवश्य सुननी चाहिए अन्यथा, यदि आप हमारे वाक्य के पूरा होने से पूर्व दूसरे सदस्य को बुला लेते हैं तो कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जब भी आप हमें बुलाते हैं तो आपको हमारी बात सुननी होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे पहले से लागू किया जाना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव : पहली बात यह है कि मैंने आज जमशेदपुर के दंगों के सम्बन्ध में जितेन्द्र नारायण आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कहते हैं कि यह विचाराधीन है।

किन्तु यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के अन्तर्गत चर्चा नहीं की जा सकती। इस गम्भीर समस्या का यह कोई उत्तर नहीं है। मेरा कहना यह है कि जमशेदपुर का मामला एकमात्र मामला नहीं है। साम्प्रदायिक दंगे देश के विभिन्न भागों में हुये हैं·· (व्यवधान)। किन्तु विलम्ब के कारण अपराधियों का पता नहीं लगाया जाता। वर्तमान प्रक्रिया बहुत ही दोषपूर्ण है। जब सैकड़ों लोगों की हत्या होती है तो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, सम्पत्ति को नष्ट कर दिया जाता है, परन्तु फिर भी अपराधियों को दण्ड नहीं दिया जाता। हम यह मांग करते आ रहे हैं कि जो लोग साम्प्रदायिक दंगों के लिए षडयंत्र करते हैं और जो साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेते हैं, उन्हें मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिए। इस राष्ट्रीय अपराध का यही एक उपाय है। कोई भी व्यक्ति इस बात के विरुद्ध नहीं जायेगा। मेरा यह कहना है कि यह एक गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधान मंत्री ने पिछली बार राष्ट्रीय एकता समिति का पुनर्गठन इस मामले के महत्व तथा गम्भीरता को समझते हुए किया था क्योंकि इस देश के अल्प संख्यक अपने आपको पूर्णतः असुरक्षित समझते हैं। इस देश में ऐसी शक्तियां संगठित हैं जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य कर रही हैं · (व्यवधान)। इस देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर पूरी तरह चर्चा की जानी चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) हमने पहले ही सूचना दे रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा दूसरा निवेदन मण्डल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा पटल पर रखा जाने वाला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आप जमशेदपुर के दंगों पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल तीन दिन शेष रह गये हैं। इसका निर्णय अवश्य ही किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचारों को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा । मैं बारी-बारी से प्रत्येक सदस्य को बुलाऊंगा बशर्ते कि आप प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं ।

श्री अब्बदुल समद (वैल्लोर) : महोदय, आप इस सभा के अभिरक्षक हैं । आज प्रातः रामचन्द्रन सरकार द्वारा हमारे सहयोगियों, संसद सदस्यों को अनावश्यक तथा गैर-कानूनी तौर से नजरबन्द किया गया है । अभी तक सभा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है (व्यवधान) । वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी गई है...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दंडपाणि पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं ।

श्री अब्बदुल समद : करुणानिधि और 2,000 लोगों को केवल कालिगनार नगर में ही गिरफ्तार किया गया था । हम चाहते हैं कि इस सभा में इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को श्री दंडपाणि द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर कमीशन ने जितना क्लिअरली लोगों को आइडेन्टिफाई किया है कि किन-किन ने कम्यूनल राएट्स कराये हैं, कौन-कौन मुजरिम हैं, उतनी साफ पिक्चर पहले कभी नहीं आई थी । हम इस पर फुल डिस्कशन चाहते हैं । राज्य सभा में यह डिस्कशन एप्रूव हो चुका है । यहां इस पर कालिंग-एटेन्शन नहीं, बल्कि पूरा डिस्कशन होना चाहिये ।

दूसरी बात—मैंने एक बहुत सीरियस मामले पर कालिंग-एटेन्शन दिया है । श्रीनगर में यू० एन० ओ० के आब्जर्वर हमारे डिफेंस के आफिसर्स से मिल कर पाकिस्तान के लिये जासूसी कर रहे हैं, सामान स्मगल कर रहे हैं । यह मुल्क की सिक्योरिटी के लिये बहुत सीरियस बात है । इस पर मेरा कालिंग-एटेन्शन जरूर मन्जूर होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक के मामले के बारे में, इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । विदेशी मामलों पर चर्चा के समय आप इस मामले को उठा सकते हैं ।

जमशेदपुर के बारे में आपने नियम 184 के अधीन सूचना पहले दे रखी है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : दो दिन हो गये अभी तक अण्डर-कन्सीडेशन है । दो दिन से इस सदन में कोई कालिंग-एटेन्शन नहीं आया, इस सेशन को दो दिन बाकी रह गये हैं, आप क्या कन्सीडर कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने चर्चा के लिए कहा है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : जमशेदपुर में आम मुसलमानों का जो कत्ले-आम हुआ था...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जमशेदपुर के बारे में पहले ही बता दिया है। मैं हर एक को उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : आप मेरी बात सुनिये। जमशेदपुर में मुसलमानों का जो कत्ले-आम हुआ था, उसके लिये एक कमीशन बैठाया गया था जिसने बहुत साफ तरीके से अपनी रिपोर्ट दी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिन्दगी महफूज रहे, इसलिये उस रिपोर्ट पर पूरी बहस हो और जो मुजरिम हैं उनको इबरतनाक सजायें दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। यह ठीक है। ...(व्यवधान) वह ठीक है, यह आपका कहना है। अब श्री कश्यप बोलेंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा नाम जगपाल सिंह कह दिया जाता है, जबकि मेरा नाम जयपाल सिंह कश्यप है और मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का हूं।

कल मैंने एक विशेषाधिकार का हनन का मामला दिया था, जिस पर कल आपने बतलाया था कि अण्डरकन्सीड्रेशन है, लेकिन दोबारा आपने कहा—चूंकि यह प्रधान मंत्री के विरुद्ध है, इसलिये उस मामले को रिजेक्ट कर दिया गया है। आज अखबारों में भी उसके बारे में गलत रिपोर्टिंग हुई है कि वह प्रधान मंत्री के खिलाफ था, इसलिये रिजेक्ट कर दिया गया है। जब आपने पहले रूलिंग दी थी कि अण्डर-कन्सीड्रेशन है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। हां इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : इस पर आपने दो निर्णय कैसे लिये ..

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कारण नहीं बताऊंगा। इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। जी हां, टाईटलर जी।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जब आपने पहले रूलिंग दिया कि अण्डर-कन्सीड्रेशन है तो फिर कैसे कह दिया कि रिजेक्ट कर दिया गया है। एक साथ दो निर्णय कैसे ले सकते हैं?... (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से मिलिए या मुझसे आकर मेरे कक्ष में मिलिए। (व्यवधान) मैंने कहा कि मैं पहले ही इसे अस्वीकृत कर चुका हूं। (व्यवधान) कृपया उनकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न की जाए। (व्यवधान)* इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : यदि आप जमशेदपुर के दंगों से संबंधित प्रतिवेदन पर विचार नहीं करेंगे तो अति शीघ्र आपके साथ-साथ इस सदन के सभी सदस्यों के सिर

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

शर्म से झुक जायेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ से संबंध रखने वाले तत्व बाहर जाकर डूब मरेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : आज सवेरे मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस पर पूर्ण बहस होनी चाहिये, अन्यथा...

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। अब श्री गंगवार जी की बारी है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : महोदय, दो मुद्दों पर मैंने स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं भेजी हैं। ये अविवादास्पद विषय नहीं हैं। एक तो प्रसिद्ध ब्रांडों द्वारा घटिया किस्म के शिशु दुग्धाहार का कथित निर्माण

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सहमति नहीं दी है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चैम्बर में आकर मुझसे मिलें। हम विचार-विमर्श करेंगे। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : जमशेदपुर में हुए दंगों से सम्बन्धित प्रतिवेदन को बिहार विधान-सभा के सभा पटल पर रख दिया गया है और इसे प्रकाशित कर दिया गया है। साम्प्रदायिक दंगे एक राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या हमारे देश की छवि को धूमिल कर रही है और इसने इसको पूर्णतया झकझोर कर रख दिया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर इस सदन में पूर्ण बहस हो।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय ने हमें बताया था कि वह प्रो० मधु दण्डवते द्वारा रखे गये विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय स्वस्थ नहीं हैं। वह शायद कल सदन में उपस्थित हों। तब आप इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : हम इस पर पूर्ण बहस चाहते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, के कल आने की आशा है। (व्यवधान) श्री लारेन्स।

श्री एम० एम० लारेन्स (इडुक्की) : जमशेदपुर के साम्प्रदायिक दंगों के बारे में मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। मैं भी चाहता हूं कि इस मामले पर पूर्ण बहस हो।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। अब मैं अगली मद लेता हूं। इसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)*

——

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, 1981 और मैसर्स स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड गाजियाबाद और मैसर्स बुक बांड इंडिया लिमिटेड कलकत्ता के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : श्री पी० शिवशंकर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 489 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2816/81]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसर्स स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के मामले में गाजियाबाद स्थित इसके विद्यमान कारखाने में पोलियस्टर स्टैपल फाइबर के विनिर्माण की क्षमता के 6100 से 11200 टन प्रति वर्ष के प्रचुर विस्तार सम्बन्धी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 धारा की 21(3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा मैसर्स स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड के नाम सरकार का दिनांक 29 अगस्त, 1981 का पत्र और प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) मैसर्स बुक बांड इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में होसुर, तमिलनाडु में इंस्टैंड कॉफी के विनिर्माण हेतु एक नई यूनिट स्थापित करने संबंधी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 19 अगस्त, 1981 का आदेश तथा प्रतिवेदन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2817/81]

———

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति : कार्यवाही-सारांश

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 10 सितम्बर, 1981 को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

——

राज्य सभा से सन्देश

असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1981 को अपनी बैठक में पारित असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1981 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

——

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नांकित सदस्य को उनके समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :—

श्री शिव प्रसाद साहू —17 अगस्त से 4 सितम्बर, 1981 तक (छठा सत्र)

क्या सभा इस बात की अनुमति देती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्य को तदानुसार सूचित कर दिया जायेगा।

——

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल में बीड़ी उद्योग की रक्षा के उपाय

श्री बी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित व्यक्तव्य दे रहा हूं :—

केरल में बिना लेबल की बीड़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादन ने बीड़ी उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। सरकार द्वारा प्रदत्त छूट सीमा का लाभ उठाते हुए बिना ब्रान्ड की बीड़ी के निर्माता सरकार को करोड़ों रुपये के उत्पादन शुल्क का धोका दे रहे हैं। बाजार बिना ब्रान्ड की बीड़ियों से पटे पड़े हैं जिससे कि सरकारी क्षेत्र में निर्मित ब्रान्ड वाली बीड़ियों का बाजार घटता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और दूसरी ओर वास्तविक बीड़ी उत्पादकों को इससे आघात पहुंचा है। मुद्रणालयों के मालिक जिनके छापेखानों में ये लेबल मुद्रित होते हैं उनके मालिक बीड़ी के पत्तों और तम्बाकू आदि के व्यापारी ही बिना ब्रान्ड की बीड़ी बनाने के उद्योग में लगे हुए हैं।

यदि यही स्थिति निरन्तर चलती रही तो बीड़ी बनाने की असली इकाइयां बुरी तरह प्रभावित होंगी और अनेक कामगार बेरोजगार हो जायेंगे। अतः सरकार को इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। बीड़ी पर लगाये जाने वाले उत्पादन-शुल्क को तम्बाकू पर लगा देना चाहिये। बिना ब्रान्ड की बीड़ी को उत्पादन-शुल्क से छूट दिए जाने की वर्तमान प्रणाली के ही कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है।

अतः या तो सरकार को बीड़ी पर से उत्पादन-शुल्क हटा लेना चाहिये या फिर बिना ब्रान्ड की और ब्रान्ड वाली दोनों प्रकार की बीड़ियों पर एक समान उत्पाद-शुल्क लगाना चाहिये।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस दिशा में तुरन्त कदम उठाये और केरल के बीड़ी उद्योग को बचाए। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 377 के मामले के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा। मैं आपको गांधीवादी ढंग से अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन करता हूं।

(दो) मुर्तिजापुर-यवतमाल छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में मुर्तिजापुर और यवतमाल के बीच रेलगाड़ी नैरोगेज पर पुराने माडल के इन्जन से चलाई जाती है। 250 कि० मी० की दूरी को तय करने के लिए ये गाड़ियां 10 से 12 घन्टे से भी अधिक समय लेती हैं।

इन लाइनों को ब्रान्ड-गेज में बदलने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है। यह भी सच है कि इन रेलगाड़ियों को कोई निजी विदेशी कम्पनी चलाती है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेलवे प्राधिकरण के साथ सहयोग करना यात्रियों की सहनशीलत के बाहर की बात है और 10 अगस्त, 1981 से कुछ युवा संगठनों ने 'रेल रोको' आन्दोलन छेड़ दिया है।

परिस्थतियों की मांग है कि केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके इस नैरो-गेज को ब्राड-गेज में बदलना चाहिये तथा इस आन्दोलन को रोकने के लिए और रेलों की गति को बढ़ाने के लिए यात्रियों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

(तीन) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति

श्री भीखू राम जैन (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ला एंड आर्डर की स्थिति भयंकर हो गयी है, सरे-आम असामाजिक तत्व भले आदमियों को जान से मार देते हैं, लोगों के जान-माल की सुरक्षा नहीं रह गई है। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। यहां तक कि लोगों की एफ० आई० आर० तक दर्ज करने में हिलोहुज्जत की जाती है। अपराधियों का पता लगाने में पुलिस नाकामयाब रहती है।

दिनांक 11-9-81 की रात्रि के 8-30 बजे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भागीरथ प्लेस में होल-सेल बिजली मार्किट के एक आशु नामक 22 वर्षीय युवक की वहीं पर रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई, फलस्वरूप 12-9-81 को तमाम बिजली मार्किट बन्द रही। सारे इलाके में असुरक्षा की भावना व असन्तोष व्याप्त है। वहां के निवासियों का कहना है कि पुलिस की असामाजिक तत्वों से मिलीभगत है, इसीलिए शिकायत करने पर भी पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है। असामाजिक तत्व खुलेआम वहां के दुकानदारों को धमकी दे जाते हैं और युवक की हत्या पुलिस की ढील-ढाल का ही एक कारण है। पुलिस हत्यारे का पता लगाने और गिरफ्तार करने में असफल रही है।

इसी प्रकार उसी दिन 11-9-81 को रात्रि के समय दिल्ली के उपराज्यपाल के निवास के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने से एक सिपाही की तत्काल मृत्यु हो गई और दूसरा सिपाही घायल हो गया। दिल्ली की पुलिस इस अपराध को साधारण अपराध मान रही है जबकि केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियां उसे गम्भीर अपराध मानती हैं। इस कांड में भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रही है।

दिल्ली की इस स्थिति पर तुरन्त ध्यान देने के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें और ऐसी व्यवस्था बनाने की कृपा करें जिससे इस तरह के वाकयात आगे न हों और लोग सुरक्षा से रह सकें।

(चार) खाड़ी के देशों के लिए भारतीय श्रमिकों को भर्ती को विनियमित करने की आवश्यकता

***श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** (तिरुनेलवेली) : आज कल हमारे लोग पारपत्र प्राप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात, अरबिया, ईरान आदि देशों में नौकरी की खोज में

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जाते हैं। उनके लिए पार पत्र तथा वीसा प्राप्त करने में बहुत से कदाचार हो रहे हैं। कुछ लोग उन देशों के लिए नियुक्ति करने वाले एजेंट होने का दावा करते हैं और कुछ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट होने का दावा करते हैं। वे हमारे समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं। यह बताया गया है कि इन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशियों से ये एजेंट 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक वसूल करते हैं। इनमें से कुछ संस्थान धन एकत्र करने के बाद गायब हो जाते हैं। कुछ अन्य आवेदकों को यह वायदा करके झांसा देते हैं कि संबंधित दूतावास से उनके लिए वीसा प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार सामान्य आदमी को धोखा दिया जा रहा है और उनमें से अधिकांश इन धोखेबाज एजेंटों के शिकार हो गए हैं। समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों के विषय में विस्तृत समाचार आते रहते हैं। ऐसे एजेंटों के नाम तक प्रकाशित होते हैं।

इस प्रकार की दूषित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। इस सम्बन्ध में नियुक्तियां करने वाले संस्थान श्रम विभाग के पास पंजीकृत हैं। फिर भी इस प्रकार के कदाचार हो रहे हैं। इसका केवल एक ही हल है कि नियुक्ति करने के लिए एजेंसी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए।

सरकार को सम्बन्धित दूतावासों से सीधा संपर्क बनाए रखना चाहिए तथा उन देशों में कार्मिकों की उनकी आवश्यकता का पता लगाते रहना चाहिए। इस प्रकार के देशों के दूतावासों को इस सम्बन्ध में आंकड़े देने चाहिए और भारत सरकार को सीधी भर्ती करनी चाहिए और उन्हें बाहर भेजना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन एजेंटों से प्राप्त जाली पार-पत्रों तथा वीसा पर इन देशों को जाने वालों को निःसन्देह ही श्री लंका, बंगलादेश आदि से शरणार्थियों की भांति उन देशों द्वारा वापस भेज दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि लंदन में भारतीयों व ब्रिटिशों के बीच झगड़े हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य देशों में ऐसी स्थिति पैदा होने से पूर्व पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिएं।

सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि वहां पर काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजे जा रहे धन का हमारे देश में किस तरह उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस धन का हमारे देश में राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों के लिए उपयोग न किया जाए। सरकार को यह भी पता लगाना चाहिए कि वहां पर गए लोग वही काम कर रहे हैं जिस के लिए उन्हें बाहर ले जाया गया है। संक्षेप में संयुक्त अरब अमीरात जैसे इन देशों में नियुक्ति की प्रणाली को सरकार को व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरे, उन देशों में उनके भविष्य का विश्वास दिलाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शरणार्थी न बनाया जा सके। इस देश में उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन की भी सरकार को नियमित जांच करनी चाहिए।

(पांच) युवकों और छात्रों की शिक्षा तथा रोजगार की मांग

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, आज (15-9-81) को दिल्ली में देश के विभिन्न भागों से हजारों युवक और छात्र अखिल भारतीय युवक और छात्र संघर्ष समिति के तत्वाधान

में एकत्र हुए हैं। जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक युवक महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, भारतीय युवक कांग्रेस, अखिल भारतीय युवक लीग, क्रांतिकारी युवा संगठन तथा लोकतंत्रीय युवक, यूथ फार डेमोक्रेसी-I के प्रतिनिधि, भारत के युवावर्ग तथा छात्रों की कुछ अत्यावश्यक मांगों पर जोर देने के लिए सम्मिलित हुए। उनकी मांगों में मूलभूत अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार, बेकारी राहत-भत्ता, माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा को राज्य सूची में रखना, शिक्षा के लिए बजट का 10% निर्धारित करना, पूरे देश में शिक्षण के माध्यम केरूप में मातृभाषा को लागू करना, मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना, बढ़ती हुई बेरोजगारी के दवाव को कम करने के लिए प्रगितशील भूमि सुधार सम्मिलित हैं।

उपरोक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि देश के कई लाख युवकों तथा छात्रों के हस्ताक्षर युक्त इन मांगों का एक ज्ञापन आज भारत की माननीय प्रधान मंत्री को दे रहे हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से हमारे देश के युवकों और छात्रों की इन मांगों पर अपेक्षित विचार करने तथा उनकी परेशानी दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) अपंग और विकलांग लोगों की दशा को सुधारने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार की मांग लेकर तीन नेत्रहीन व्यक्ति बोट क्लब में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

देश में भारी संख्या में विकलांग हैं जिन्हें समाज तथा सरकार की ओर से घोर उपेक्षा की जा रही है। इन विकलांगों में शिक्षित एवं अशिक्षत दोनों हैं जो देश के विकास और उत्पादन को बढ़ाने के लिये दृढ़ आत्मविश्वास रखते हैं। शारीरिक मजबूरियों के बावजूद इनका इस्तेमाल उपरोक्त उद्देश्यों की आपूर्ति की दिशा में किया जा सकता है।

विकलांगों में महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। इनके सामने रोजी, रोटी एवं आत्म-सम्मान एवं प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई उपाय नहीं रहने के कारण और भी कठिन समस्या है।

विकलांगों में बहुत सारे प्रशिक्षित भी हैं। पर उचित सहायता के अभाव में इन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। इनका जीवन नारकीय बन गया है।

इस विकलांग वर्ष में भी इनकी दशा सुधारने, अन्य नागरिकों की तरह इन्हें भी सम्मानित नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है।

अतः मैं देश के लाखों विकलांगों की दयनीय अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि देश के तमाम उपेक्षित एवं प्रताड़ित विकलांगों की अवस्था में अविलम्ब सुधार लाने के लिये सरकार निम्नलिखित कदम उठावे :—

(क) तमाम विकलांगों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार देने की कालबद्ध योजना बनाये और इसके लिये केन्द्रीय एवं अन्य स्तर के रोजगारों में उचित आरक्षण की व्यवस्था करे।

(ख) विकलांगों के आवास की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ।

(ग) इनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देख-रेख एवं इलाज की निःशुल्क कारगर व्यवस्था की जाय ।

(घ) शारीरिक रूप में अक्षम लोगों को सक्षम बनाने के लिये जितने भी उपकरणों की आवश्यकता पड़े उन्हें निःशुल्क देने की फौरन व्यवस्था की जाय ।

(सात) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भटिंडा के चिकित्सा अधिकारियों की कथित लापरवाही

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भटिंडा के चिकित्सा अधिकारियों की कथित लापरवाही का मामला उठाना चाहता हूं जिसके कारण कर्मचारियों में काफी असन्तोष व्याप्त हो गया है । 11 सितम्बर, 1981 की सुबह फैक्टरी गेट के पास फैक्टरी की बस तथा एक स्कूटर की जबरदस्त टक्कर हो गई । एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गया । यह बताया गया है कि फैक्टरी के चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक और नवयुवक की भी मृत्यु हो गई । समय पर चिकित्सा सुविधा देकर उसको जान बचाई जा सकती थी । पहले भी एक अवसर पर डाक्टरों ने मरीजों के उपचार में लापरवाही बरती थी ।

दुर्भाग्यवश, प्रबन्धक भी चुप हैं और उन्होंने डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें तथा समुचित कार्यवाही करें ।

(आठ) दिल्ली में हस्तनिर्मित दियासलाइयों पर पुनः बिक्री-कर लगाए जाने के निर्णय का समाचार

श्री एन० सुन्दर राजन (शिवकाशी) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले को उठाना चाहता हूं ।

लोक सभा में हाल ही में एक अतिरिक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि दिल्ली प्रशासन संघ शासित क्षेत्र में हस्तनिर्मित दियासलाइयों पर पुनः बिक्री-कर लगाने का विचार कर रहा है ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1975 से 1978 तक की एक छोटी सी अवधि में संघ शासित क्षेत्र में दियासलाइयों पर बिक्री-कर लगाया गया था और इस अवधि के दौरान दिल्ली में हस्तनिर्मित दियासलाइयों की बिक्री कम हो गई थी । कुटीर और लघु क्षेत्र दियासलाई एककों को उत्साहित करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने 1978 में हस्तनिर्मित कुटीर और लघु क्षेत्र में बनाई गई दियासलाइयों पर बिक्री-कर समाप्त कर दिया था । जब हस्तनिर्मित दियासलाइयों पर बिक्री-कर लगा हुआ था तो अनेक कुटीर और लघु क्षेत्र एकक बाजार में प्रतियोगिता न कर पाने के कारण बन्द होने पर मजबूर हो गए थे । दिल्ली में बिक्री-कर समाप्त होने के बाद

हजारों लघु एकक पनप गए जिनसे तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र के कई लाख गरीब लोगों को रोजगार मिला। इन तीन वर्षों में, 80 नयी सहकारी समितियां बनीं जिनमें लगभग 6,000 लघु एकक उनके सदस्य हैं। ये लघु दियासलाई एकक केवल 500 बंडल ही दे पाते हैं जो उनका प्रतिदिन का उत्पादन है। दिल्ली के बाजार में बंडल बिक जाते हैं। परन्तु अन्य पड़ौसी राज्य दियासलाई की वैगन भार की मांग करते हैं। लघु और कुटीर एकक वैगन भर कर माल नहीं दे सकते क्योंकि वे प्रतिदिन अपना उत्पादन बेच कर अगले दिन के उत्पादन के लिए कमाई करते हैं। बिक्री-कर दोबारा लगाए जाने से ये लघु एकक समाप्त हो जाएंगे।

गत्ते की दियासलाइयाँ कुटीर और लघु क्षेत्र में, पूर्णतया हाथ से किसी भी स्तर पर इस प्रक्रिया में मशीन का प्रयोग किए बिना बनाई जाती हैं। इस प्रकार, गत्ते और लकड़ी की हस्तनिर्मित दियासलाइयों को, हजारों लघु कुटीर एककों के हित में, जो लाखों ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, बिक्री-कर से छूट मिलती रहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) नहीं, श्रीमान्। मेरे मित्र का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम सूची में नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिए।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 377 के अन्दर भी नोटिस दिया है, माइनोरिटी का सवाल आता है, उर्दू जबान आती है ..

उपाध्यक्ष महोदय : यह सूची में नहीं हैं। आप कृपया जाकर अध्यक्ष महोदय से मिलिए।

प्रो० रूप चन्द पाल को इसी विषय पर अनुमति दी गई थी। सदस्यों को एक ही विषय पर अनुमति देना संभव नहीं है। इसके लिए, आप अध्यक्ष महोदय से मिलिए। अब, श्री सुखाड़िया।

श्री हरिकेश बहादुर : आप कृपया उन्हें अनुमति दे दें। यदि आप उन्हें अनुमति नहीं देंगे तो मैं सदन त्याग करूंगा।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : उठ खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अगली मद पर आ गए थे। प्रो० रूप चन्द पाल इस विषय को ले चुके हैं। इसका तात्पर्य उसे दोहराना होगा। श्री बालन, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ए० के० बालन : महोदय, 3,000 छात्र संसद भवन की ओर आ रहे हैं। उनकी मांग है सबके लिए शिक्षा। अतः, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनका ज्ञापन स्वीकार करें और वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, उनकी इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । क्या आप कृपा करके उन्हें अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : नहीं श्रीमान् । हम सदन त्याग कर रहे हैं ।

(श्री हरिकेश बहादुर तथा श्री अशफाक हुसैन सदन छोड़कर बाहर चले गए ।)

आवश्यक सेवा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प— अस्वीकृत तथा आवश्यक सेवा विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आवश्यक सेवा अध्यादेश तथा आवश्यक सेवा विधेयक के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर आगे और चर्चा करेगी ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसेन्शियल सर्विसेज के बारे में जो कानून लाया गया है, उसके बारे में जो कल यहां पर भाषण हुए, उनको मैंने गौर से सुना ।

सबसे पहली बात तो यह है कि जो कानून लाया गया है, उसका मतलब यह नहीं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं रहता है । विशेष परिस्थितियों में और वह भी खास एसेन्शियल सर्विसेज के लिये इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी है । अच्छा होता कि हालात इस प्रकार के न होते कि जिसमें इस कानून को लाने की जरूरत होती, लेकिन जबकि देश मुश्किल हालातों में से निकल रहा है, एक तरफ हमारी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे यहां आर्थिक दिक्कतें बढ़ती हुई चली जा रही हैं ।

जिस मंहगाई का जिक्र विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने किया है उसका मुकाबला देश कर रहा है । ऐसे मौके पर अगर आवश्यक सेवाओं के अन्दर किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो वह देश के लिये सबसे ज्यादा खतरे की स्थिति पैदा करने वाली बात होगी ।

हम सभी यह जानते हैं कि आम तौर से स्ट्राइक्स केवल इस वजह से नहीं होती कि मैंजारिटी यूनियन किसी वाजिब मांग को रख रहा हो और उस मांग की पूर्ति न होती हो । हमने देखा है कि रेलवे विभाग के सब कर्मचारी रेलवे को चलाना चाहते हैं, लेकिन कहीं एक लोको वर्कशाप की ब्रांच, कहीं एक वर्कशाप स्ट्राइक पर जा कर सारी व्यवस्था को अपसेट कर सकते हैं और आवागमन में जबर्दस्त मुश्किल पैदा कर सकते हैं । इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी स्टील प्लांट में या किसी प्रोजेक्ट में कभी एक शाखा वाले और कभी दूसरी शाखा वाले स्ट्राइक करते हैं और उसकी वजह से उत्पादन में रुकावट पैदा होती है ।

इतना ही नहीं, यह रात दिन का अनुभव है कि बहुत सी स्ट्राइक्स इन्टर-यूनियन राइवेलरी की वजह से की जाती हैं। कई जगह कोई यूनियन अपनी मांग को बढ़ा-चढ़ा कर इस बात की कोशिश करती है कि वह आर्गनाइजेशन में अपने पांव जमा सके। मैजारिटी काम पर जाना चाहती है, लेकिन एक माइनारिटी ग्रुप असम्भव मांगें पेश करके मिलिटेंट तरीके से मैजारिटी को काम पर जाने से रोक सकता है। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कुछ अरसा पहले, जबकि जनता पार्टी का राज्य था, हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा में जब इन्टक ने 20 परसेंट बोनस का फैसला किया, तो बी. एम. एस. ने कहा कि 60 परसेंट बोनस होना चाहिए, और उस मांग के फलस्वरूप वहां पर 52 दिन तक स्ट्राइक चली। इस स्थिति में क्या हम यह कह सकते हैं कि यह वर्कर्ज की मांग थी या वर्कर्ज के हित में इस बात को उठाया गया? तथ्य यह है कि मजदूरों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तरह की असंभव मांगें रख कर स्ट्राइक करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

आज देश में उत्पादन बढ़ाने की सख्त जरूरत है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि स्ट्राइक हुई, लेकिन कारखानेदारों का मुनाफा बढ़ता गया। यह तो ठीक बात है कि अगर स्ट्राइक होती है और उत्पादन कम होता है, तो मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि स्ट्राइक्स की वजह से पूंजीपतियों को कोई नुक्सान होता है। स्ट्राइक की वजह से उत्पादन कम होने से पूंजीपति ज्यादा कमाएगा और देश के आम गरीब लोगों को नुक्सान होगा। उससे किसी पूंजीपति को नुक्सान नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : तो फिर पूंजीपतियों को इस बिल को ओपोज करना चाहिए।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : कोई भी पूंजीपति सामने आकर यह नहीं कहेगा कि हमको स्ट्राइक की वजह से ज्यादा मुनाफा होता है।

पहले कहा गया था कि इसमें लाक-आउट को नहीं रखा गया है। इस बिल में उसका भी प्रावधान किया गया है। लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि उसका कभी उपयोग नहीं किया जाएगा और यह सारा बिल वर्किन्ग क्लास के एगेंस्ट लाया गया है। मैं समझता हूं कि वर्किन्ग क्लास में एक भ्रांति पैदा करने के लिए जान-बूझ कर इस बात को उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार, वर्किन्ग क्लास को एन्टागोनाइज करना चाहती है, उसका विरोध करना चाहती है और उसकी वाजिब मांगों को दबाना चाहती है। मैं समझता हूं कि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि डेमोक्रेसी में हिन्दुस्तान की वर्किन्ग क्लास को दबाने के लिए, उसके साथ कानफ्रन्टेशन करने के लिए जान-बूझ कर इस कानून को लाया जा रहा है। जान-बूझ कर वर्किन्ग क्लास के साथ कनफ्रन्टेशन करने के लिए और उसे अपना विरोधी बनाने के लिए इस कानून को लाना कोई भी पसन्द नहीं करेगा।

लेकिन अगर कुछ लोग राजनैतिक कारणों से वर्किंग क्लास को एक सप्लायट करके देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, या किसी राजनैतिक कारण से वर्किंग क्लास का उपयोग करके देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बात की जरूरत है कि इस प्रकार का कानून सरकार के हाथ में रहे, ताकि जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, तो इस कानून का उपयोग किया जा सके। यह कानून उसी हालत के अन्दर लागू करने की बात आती है कि जब इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर जो मशीनरी प्रोवाइडेड है कंसीलिएशन की, आर्बिट्रेशन की और ऐडजुडिकेशन की उसके होते हुए भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। उस प्रोसेस को प्राहिबिट नहीं किया जा रहा है। इन प्रोसेसेज के विद्यमान रहते हुए भी अगर कोई असाधारण स्थिति पैदा होती है तभी इस कानून को लागू करने की बात आती है। यह कहा जाए कि इस कानून के लाने से सारे इसके सम्बन्ध में जो कानून मौजूद हैं वे समाप्त हो जाते हैं तो यह कहना गलत है।

एक तरफ हम सभी यह बात कहते हैं कि रेलें टाइम पर नहीं चलतीं, टेलीफोन ठीक नहीं चलते, पोस्ट आफिसेज में काम ठीक नहीं चलते और इन चीजों के बारे में सख्त डिसिप्लिन की आवश्यकता है, दूसरी तरफ अगर डिसिप्लिन के लिये कहीं कार्यवाही की जाए और किसी जगह उसकी वजह से कोई बात खड़ी हो जाए तो क्या उसको उपयुक्त कहा जाएगा ? क्या डिफेंस प्रोडक्शन के अन्दर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके अन्दर भी स्ट्राइक्स और दूसरी चीजें करने के मामले में जो प्रयत्न किये जाते हैं कि वहां भी इन चीजों को करके चलाया जा सके, क्या वह अच्छी बात है ? मैं समझता हूं कि कोई भी देश विशेष तौर से डेवलपिंग कन्ट्री, हिंदुस्तान जैसा देश स्ट्राइक्स भी चलती रहे गैर-वाजिब तरीके से और देश के अन्दर यह भी उम्मीद करके चला जाए कि देश की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं तेजी से उन्नति कर रही है, देश के अन्दर प्राइसेज क्यों नीचे नहीं आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये विरोधाभास की बातें होंगी। आज दुनिया के अन्दर जिन मुल्कों ने तेजी के साथ प्रगति की है कितनी स्ट्राइक्स वहां पर होती हैं ? जो कम्यूनिस्ट कंट्रीज हैं क्या आज वहां पर स्ट्राइक्स होती हैं ? क्या उनको इसका अधिकार है ? एक पोलेंड के अन्दर बात खड़ी हुई तो उसके अन्दर जमीन आसमान की बात खड़ी होने लगी कि नहीं, यह तो वर्किंग क्लास के खिलाफ कोई बगावत मालूम होती है। लेकिन यह कहा जाएगा कि कम्यूनिस्ट कंट्रीज में तो गवर्नमेंट ही उन लोगों की है, यहां तो बुर्जुवा गवर्नमेंट है, एथारिटेरियन गवर्नमेंट है, इसलिए इसको अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या देश के अन्दर अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करना, देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हालत ठीक हो, इस के लिए प्रयत्न करना, क्या इसको बुर्जुवा ऐटीच्यूड कहकर चला जाएगा ? क्या आज पब्लिक सेक्टर जो देश के अन्दर चलते हैं वे नुकसान में चलते चले जायें और फिर भी वहां स्ट्राइक होनी चाहिए ?

अभी कुछ दिन पहले मैं कोटा गया था। राजस्थान आज बुरी तरह से विद्युत की कमी की वजह से परेशान है लेकिन तीन महीने तक जो वहां नया बिजली घर बन रहा है उसके एक कांट्रेक्टर के लेबर ने स्ट्राइक कर दिया और सारा काम रुक गया। क्या हम यह

कह कर चलें कि बिजली घर में स्ट्राइक होने की नौबत होनी चाहिए ? क्या हम यह कह कर चलें कि कहीं रेलवे में स्ट्राइक होनी चाहिए. कहीं कोयले की खानों में स्ट्राइक होनी चाहिए, कहीं पीने के पानी की जो योजनाएं चलती हैं वहां पर रुकावट होनी चाहिए ? कहीं आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हो तो उसको राइट की तरह समझा जाना चाहिए ? आज आप देखें चाहे वेस्ट जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे कम्यूनिस्ट कंट्रीज हों, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहां स्ट्राइक्स भी खूब चलती रहती हैं और तेजी के साथ वे देश विकास भी करते चले जाते हैं ? कुछ चीजें ऐसी स्लोगन बन गई हैं जिन्हें आम तौर पर कह कर चला जाता है कि यह बुर्जुवा गवर्नमेंट है, एथारिटेरियन गवर्नमेंट है या और दूसरे इस तरह के शब्दों को प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर निरर्थक स्ट्राइक जैसी स्थिति पैदा न हो, देश का उत्पादन बढ़े, हमारे इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बढ़े जिनमें हम उन्नति करने लगे हैं जैसा कि यहां वक्त वक्त पर बतलाया गया है कि ट्रांसपोर्ट में उन्नति हुई है, बिजली के उत्पादन में उन्नति हुई है, कोयले के उत्पादन में उन्नति हुई है, और दूसरे क्षेत्रों में उन्नति हुई है और उस रफ्तार को और तेज करने से देश आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग मिल करके अलग-अलग जगह अड़चनें पैदा करें तो क्या उससे लाभ होने वाला है ?

दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर कन्फ्रान्टेशन की एक नीति चलती है। आज देश में आश्यकता इस बात की है कि यह सब कहते हैं कि क्राइसिस का समय है, देश के हालात आर्थिक दृष्टि से खराब हैं, तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं हो जाती है कि सब मिल जुल करके चलें ? मैं एसेंशियल सर्विसेज की ही बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं सभी क्षेत्रों में मिल जुलकर ऐसी स्थिति देश में पैदा की जाय जिसमें कि उत्पादन पर पूरा ध्यान दिया जाय। अगर जरूरत हो तो लांग टर्म एग्रीमेन्ट्स किए जायें लेकिन स्ट्राइक्स को रोककर देश में उत्पादन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि उत्पादन बढ़ सके और देश की आर्थिक शक्ति को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें।

इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह कानून इसलिए लाया गया है कि आई० एम० एफ० वालों ने इस कानून को लाने के लिए भारत सरकार को मजबूर किया है। मैं समझता हूं यह एक गलत हवा बनाने का व्यवस्थित प्रयास है, एक सिस्टेमेटिक प्रोपेगैण्डा है कि यह कहकर चला जाए कि आई० एम० एफ० के टर्म्स हैं जिनकी वजह से यह किया जा रहा है। मेरी तो यह निश्चित मान्यता है और वक्त पर यह चीज सामने आयेगी कि कभी भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे आंतरिक अधिकार हैं उनके मामले में बड़े से बड़े देश से कोई गलत काम्प्रोमाइज नहीं किया है जिससे कि इस देश के सम्मान को कोई धक्का पहुंच सके। आज भी हमको यह मानकर चलना चाहिए कि जो हमारे देश की आर्थिक नीति है, जो हमारी प्लानिंग होती है और जो राजनीतिक व्यवस्था बनाकर हम चलते हैं उसमें किसी से भी किसी प्रकार का कोई काम्प्रोमाइज नहीं किया जायेगा। आई० एम० एफ० की दलील देकर एक गलत बोगी पैदा की जा रही है, एक प्रकार का भ्रम पैदा किया जा रहा है हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि आई० एम० एफ० के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हुआ है। फिर भी रोज आई०एम०एफ० का नाम लेकर कहा जा रहा है कि आई०एम०एफ० की शर्तों

के कारण ही इस बिल को यहां पर लाया गया है। इसलिए आप मेहरबानी करके, इस बिल के ऊपर यहां आप बहस करें तो आई. एम. एफ. के प्रेशर की वजह से यह किया जा रहा है, इस दलील को लेकर न चलें तो बहुत अच्छा होगा।

हमारे समर मुखर्जी साहब ने कहा कि 1975 में जो कानून लाए गए थे उनकी वजह से विरोध पक्ष को एक होने का मौका मिला था और आज यह कानून भी उसी तरह का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कहकर, इस कानून की जो वास्तविकता और आवश्यकता है उसको दरकिनार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जहां तक सन् 1975 में एक होने की बात थी, यह बात सभी लोग जानते हैं कि अगर आपकी तरफ से फैमिली प्लानिंग का गलत प्रचार न किया गया होता तो आप लोग कभी भी चुनाव में कामयाब होने वाले नहीं थे।

मुखर्जी साहब ने चेलेन्ज दिया कि फिर वही समय आ रहा है। लेकिन यह तो समय बतलायेगा कि आगे क्या होने वाला है। परन्तु एक चीज जरूर मालूम हो रही है कि विरोध पक्ष दिन ब दिन टूटता जा रहा है। यह वास्तविकता हमारे सामने आती जा रही है। और अगर इस कानून से आप आपस में जुड़ सकते हैं तब तो आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आपको जुड़ने के लिए एक मौका और दे दिया गया लेकिन आप जुड़ने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि यह कानून बनने के बाद भी आप हर कारखाने में और हर जगह आपस में लड़ने वाले हैं।

आज बंगाल में जो बिजली की कमी हो रही है उसका कारण यह है कि इण्टर यूनियन राइवलरी की वजह से, जितना बिजली का उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। (व्यवधान) आप यह कहते हैं कि हमारी गवर्नमेन्ट एथारिटेरियन है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आज हिन्दुस्तान में अगर सही मायनों में कोई एथारिटेरियन गवर्नमेन्ट है तो वह वेस्ट बंगाल की सरकार ही है। सभी लोग जानते हैं कि आप कितनी आजादी दूसरों को देते हैं। आप अपने को छिपाने के लिए दूसरे को एथारिटेरियन कहते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन आपको पश्चिम बंगाल में नजरबन्द नहीं किया जाएगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो यहां पर लाया गया है वह देश के हित में है और हमें यह मानकर चलना चाहिए कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों के अन्दर इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन साथ-साथ मैं श्री मंत्री जी से अवश्य कहना चाहूंगा कि जो हमारी कन्सिलियरी मशीनरी है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, जब इस प्रकार का कानून बनाते हैं तो कन्सिलियरी मशीनरी और लेबर डिपार्टमेंट को काफी एक्टिव होना चाहिए जिससे कि बहुत सी चीजें उसी मौके पर और उसी जगह पर सोल्व की जा सकें।

इस प्रकार का मौका न मिले कि उनकी बातों को सुने बिना कोई स्ट्राइक की स्थिति पैदा हो।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि श्रम मंत्रालय द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह रहा हूं कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुखाड़िया जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब मैं आपका सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा हुआ वे कलकत्ता नहीं गए, नहीं तो हम उनके भाषणों से वंचित हो जाते, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत उनकी सेवाओं को पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त क्यों नहीं कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के लिए अगर आपकी यह धारणा है कि सबसे ज्यादा अधिनायकवाद शासन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तब तो आपको वहां का राज्यपाल बनाना भी नहीं चाहिए था। शायद आपको राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव इसीलिए आया कि पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में यह आपकी धारणा है। उपाध्यक्ष जी, मुझे ताज्जुब है कि आज गृह मंत्री जी भी सदन में नहीं हैं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : वह राज्य सभा में एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले पर ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे हैं। वह शीघ्र ही यहां आएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रम मंत्री महोदय तो इस मामले में सम्बन्ध रखते ही नहीं हैं। ऐसा दिखायी देता है कि मजदूरों के मामले का, सार्वजनिक उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले का और केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले का सम्बन्ध गृह मंत्रालय से है। गृह मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन मजदूरों को ठीक कैसे किया जाए। गृह मंत्रालय को यह चिन्ता नहीं है कि बढ़ती हुई मंहगाई के कारण जिसके फलस्वरूप दिन-प्रति-दिन उनकी वास्तविक आमदनी कम हो रही है, उनके लिए परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है, उसमें मजदूरों को और कर्मचारियों को राहत कैसे दी जाए। आखिर पिछले 18 महीने का इस सरकार का रिकार्ड क्या है, आर्थिक क्षेत्र में ? जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो होलसेल प्राइस इन्डैक्स 223 था और इस समय प्राइस इन्डैक्स 289 है। हर महीने चार प्वाइन्ट से ज्यादा की वृद्धि हो रही है। लगी-बन्धी तनख्वाह पाने वाले मजदूरों और कर्मचारियों पर इसका क्या असर हो रहा है ? केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की तीन किश्तें मिल जानी चाहिए थी। जनता पार्टी के राज में कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के लिए आन्दोलन

नहीं करना पड़ा था। क्या केन्द्रीय कर्मचारी चुप बैठे रहें ? आप आवाज उठाने का अधिकार भी उनसे छीन लेना चाहते हैं। अब सरकार तैयारी कर रही है कि आधे मंहगाई भत्ते को कम्पाउण्ड किया जाए। केन्द्रीय कर्मचारियों का खर्चा कैसे चलेगा ? मंहगाई भत्ते के लिए केन्द्रीय कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। वे मंहगाई भत्ता नहीं चाहते हैं, बल्कि मूल्यों में स्थिरता चाहते हैं। 1978 में जो कीमतें थीं, यह सरकार उस स्तर पर कीमतों को ले आये, असन्तोष कम हो जायेगा। लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं. यह सरकार उन्हें रोकने में असफल रही है और अब तैयारी कर रही है कि वेज-फ्रीज कर दी जाय, बोनस की मांगों को दबा दिया जाय, केन्द्रीय कर्मचारियों का आधा मंहगाई भत्ता उनकी इच्छा के खिलाफ सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाय, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण जो भी मजदूर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आवाज बुलन्द करे उसको जेल में बन्द कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में परस्पर विरोधी तर्क दिये जा रहे हैं। मैंने गृह मंत्री महोदय का इन्टरव्यू टेलिविजन पर देखा था। उनसे पूछा गया कि पार्लियामेन्ट की बैठक होने वाली थी तो उसी समय अध्यादेश निकालने की क्या जरूरत थी ? बड़े भोलेपन से गृह मंत्री ने कहा—पार्लियामेन्ट की बैठक का समय तय करना पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर का काम है, मैं तो गृह मंत्री हूं, मेरा काम यह देखना है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक चलता है या नहीं चलता है। एक तरफ सरकार कहती है–हमने इस अध्यादेश का, इस काले अध्यादेश का, मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर हमला करने वाले अध्यादेश का, उपयोग नहीं किया, तब फिर इस अध्यादेश को निकालने की क्या जरूरत थी, क्या सरकार पार्लियामेंट के अधिवेशन तक रुक नहीं सकती थी ?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आती है–स्पीकर मावलंकर की। स्पीकर मावलंकर ने एक बार यह फैसला किया कि सदन के अधिवेशन को प्रोरोग नहीं किया जायेगा और चूंकि प्रोरोग नहीं किया जायेगा, इसलिये सरकार अध्यादेश नहीं निकाल सकेगी। अध्यादेश असाधारण परिस्थितियों में निकाला जाना चाहिये, लेकिन अध्यादेश निकाले जाते हैं–इसलिये नहीं कि आवश्यक है–मुद्रास्फीति को रोकने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए, इस आरोप का खण्डन करने के लिये कि जो सरकार इस वायदे पर चुनी गई थी कि कुछ करके दिखलायेगी, वह कुछ नहीं कर रही है, तो घबराहट में, हड़बड़ी में, पैनिक में, भविष्य की आशंकाओं से भयभीत होकर सरकार ने अध्यादेश की तलवार निकाली है। वित्त मंत्री ने वायदा किया था–पैकेज का, एन्टी-इन्फलेशनरी पैकेज का, वह पैकेज कहां है ? उस पैकेज में यह काला अध्यादेश निकाला है।

क्या कीमतों को रोकने के लिये कोई दूसरे कदम उठाये जा रहे हैं, कोई ठोस चीज की जा रही है ? कर्मचारियों के असन्तोष को आप दमन के द्वारा दबा सकते हैं, लेकिन शान्त नहीं कर सकते। समाप्त नहीं कर सकते, मैं नहीं जानता–कौन सी मजबूरी थी इस अध्यादेश को निकालने की ? हम नहीं चाहते मजदूर, कर्मचारी हड़ताल करें। हड़ताल आखरी हथियार होना चाहिए, लेकिन हड़ताल के अधिकार को छीनने के बजाय ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत थी जिसमें हड़ताल

करने की नौबत ही न आये। लेकिन इस सरकार ने कर्मचारियों के साथ जो कुछ किया, रेलवे के लोको कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार कर रही है उससे अगर कर्मचारियों के मन में यह सन्देह पैदा हो कि सरकार उनकी कलैक्टिव-बारगेनिंग के अधिकार को छीनना चाहती है तो कर्मचारियों और मजदूरों को दोष नहीं दिया जा सकता। हम नहीं चाहते कि रेलें रुकें, लेकिन रेल मजदूरों पर सेबोटाज के झूठे आरोप लगा कर, निराधार आरोप लगा कर आप रेलों में औद्योगिक शान्ति नहीं रख सकते। दुर्घटनाओं के लिये रेल मंत्री जिम्मेदार हैं, रेलवे बोर्ड जिम्मेदार है। त्रिपाठी जी को इसलिए हटा दिया था कि रेलें ठीक से चलती नहीं थीं और पांडे जी के जमाने में रेलें नदी में गोता लगा रही हैं। अब पांडे जी को छुआ नहीं जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराये जा रहे हैं और कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। लोको कर्मचारियों को एक रेलवे से दूसरी रेलवे में, देश के एक कोने से दूसरे कोने में स्थानान्त्रित किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि तबादला करना कोई सजा नहीं है मगर दूसरे शहरों में जाकर मकान लेना कितनी बड़ी समस्या है, इसको हममें से बहुत से लोग अनुभव करते हैं। उन्हें परेशान करने का प्रयत्न हो रहा है। अब अगर उनमें असन्तोष बढ़ेगा, तो यह अध्यादेश तैयार है। बिना वारेन्ट के पकड़ा जा सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है. छः महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है। आप समझते हैं कि ये कदम कारगर होने वाले हैं। ये कदम कारगर नहीं होंगे। 1974 में भी नहीं हुए थे, मगर पता नहीं घटनाचक्र धीरे-धीरे 1975 की ओर जा रहा है, आपात-स्थिति की ओर जा रहा है। मैं नहीं जानता, इस देश की क्या नियति होगी। मैं नहीं जानता कि भारत के भविष्य में क्या लिखा हुआ है ? मगर धीरे-धीरे घटनाचक्र उधर जा रहा है और सभी विवेकशील, सभी दूरदर्शी व्यक्ति इस बात को देख सकते हैं। मजदूरों के अधिकारों पर हमला, यह समस्या का बुनियादी हल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः सत्ता प्राप्त कर सकते हैं तब आप विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मुझे आपकी चिन्ता है जब हम सत्ता में आयेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में एक बात नहीं बोल रहे हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप बोलिये, मेरे पास समय सीमित है। वह विषय मैं आपके लिये छोड़ देता हूं।

डा० कृपासिन्धु भोई : 90 परसेन्ट लोगों के लिए नहीं बोलते, 10 परसेन्ट लोगों के लिए इतना बोल रहे हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप भी तो 10 परसेन्ट के लिए यह बिल लाए हैं, तो मैं उसी पर बोल सकता हूं। आप अगर खेतिहर मजदूरों के लिए कानून लाते कि जो न्यूनतम वेतन उनके लिए तय किया गया है, वह उनको नहीं मिलेगा, तो मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की

जाएगी और जो सरकारें अमल नहीं कराएंगी, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, तो हम उसमें आपका साथ देंगे ।

डा० कृपासिन्धु : आपको भी कुछ उनके बारे में कहना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे क्या कहना है, यह इनको बताना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के लिए सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेवार हैं और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार जिम्मेवार है । पंजाब के किसानों से 130 रुपये प्रति क्वींटल गेहूं खरीदा गया और बम्बई में वह गेहूं 3 रुपये 30 पैसे प्रति किलो और 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा है ।

एक माननीय सदस्य : लोक दल जिम्मेवार है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके लिए कोई दल नहीं बल्कि दलदल में फंसी हुई यह सरकार जिम्मेवार है । जिले से जिले में अनाज ले जाने पर रोक है । किसी हड़ताल की वजह से नहीं, कर्मचारियों के आन्दोलन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि आप रोक लगा कर परमिट जारी करने का अधिकार लेना चाहते हैं और परमिट के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महीना हो गया है जबकि मैंने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था लेकिन उस पत्र की पावती भी मुझे नहीं मिली है । वे बहुत व्यस्त हैं । उन्हें सदन में आने का समय भी नहीं है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह जो आप कह रहे हैं यह सही नहीं है, तीन दिन में उनका उत्तर आ जाता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं । अगर आपका अनुभव भिन्न है, तो आप सौभाग्यशाली हैं, मैं आपसे ईर्षा करता हूं ।

मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि जिन परिस्थितियों में कुछ कम्पनियों को एडिबिल आयल इम्पोर्ट करने के लाइसेंस दिये गये, उनकी जांच होनी चाहिए । इन खाद्य तेलों की आयात करने की कीमत 5 हजार रुपये मीट्रिक टन है जबकि उनका बाजार भाव 9 हजार, 10 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन है । एक मीट्रिक टन पर चार या पांच हजार का मुनाफा है । एक कम्पनी है जिसका नाम है प्रभात सालवैंट रिकंस्ट्रकशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड । उसे 9-4-80 को 2 करोड़ 12 लाख 78 हजार 400 रुपये का खाने का तेल आयात करने का लाइसेंस दे दिया गया । पहले इस कम्पनी को लाइसेन्स देने से मना कर दिया गया था । कम्पनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गई । हाई कोर्ट ने रिट को रद्द कर दिया और फैसला दिया कि इस कम्पनी को लाइसेंस पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि लाइसेन्स के लिए दरख्वास्त भेजने की जो अन्तिम तिथि थी उसके बाद कम्पनी ने अपना आवेदन दिया था । रिट रद्द हो गई लेकिन लाइसेन्स जारी कर दिया गया । दो करोड़ के लाइसेन्स का मतलब है चार करोड़ का मुनाफा । यह मुनाफा किस की जेब में गया ? क्या उस कम्पनी के मजदूरों को यह

बात मालूम नहीं है ? क्या मुनाफा केवल कम्पनी के मालिकों के पास गया कि वे उसमें हिस्सा बटाएं ? कौन-कौन हैं हिस्सेदार ?

एक और प्राइवेट कम्पनी है, एसोसिएटिड आयल इंडस्ट्रीज कोइम्बेटोर । लाइसेन्स के लिए उसका आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । 6-2-79 को कंट्रोलर, इम्पोर्ट्स ने उनके आवेदन पर एक नोट लिखा था । मैं नोट पढ़ रहा हूं :—

> "कि आपका आवेदन इस कार्यालय में 23 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ अर्थात् आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 18 दिसम्बर, 1978 के बाद । अतः आपके आवेदन को समयातीत मान कर रद्द किया जाता है ।"

फिर भी इस कंपनी को आयात लाइसेन्स दे दिया गया । 29 करोड़ का लाइसेंस केवल एडीबल आयल इम्पोर्ट करने के लिए दिया गया । मैंने प्रधान मंत्री से कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिये । अगर एडीबल आयल जो इम्पोर्ट किया जाता है वह देश में महंगी कीमत पर बिकेगा और आम आदमी के मन में यह धारणा होगी कि राज नेताओं और उद्योगपतियों के बीच में एक अपवित्र गठबन्धन हो गया है तो फिर आप मजदूरों से, कर्मचारियों से ईमानदारी से काम करने की अपील नहीं कर सकते हैं, उन्हें हड़ताल नहीं करने की अपील भी करेंगे तो उसका असर नहीं होगा । कौन नहीं चाहता कि मजदूर ठीक काम करें ? लेकिन मजदूर ठीक काम करें तो अफसर भी ठीक काम करेंगे या नहीं ? अफसर अगर ठीक काम करेंगे तो राज नेता कैसे काम करेंगे ? जिस तरह से हम संसद चला रहे हैं वह देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आप इसके लिए जिम्मेदार हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, महंगाई के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, जो हड़तालें होने वाली हैं उनके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, लाला जगत नारायण की हत्या हो गई, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं और आप सत्ता में आए तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं । यह सही बात है न ? बात समझ लीजिये कि हमारी वजह से आपको जाना भी होगा । लेकिन आप यह नहीं मानेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है । मैं अपील करना चाहता हूं । मेरे लिए यह अध्यादेश का मामला पाकीजा मामला नहीं है । यह ठीक है कि आज देश में संकट है, भारी संकट है, देश धीरे-धीरे अराजकता की ओर जा रहा है । लेकिन इसको रोकने का तरीका अधिनायकवाद नहीं है । यह प्रहार अब काम नहीं करेगा । एक हथियार एक बार चलता है । धीरे-धीरे वह अपनी धार खोता जाता है । अगर इस देश को चलाना है तो लोगों की सहमति से, सबकी सलाह से चलाना पड़ेगा । लेकिन सरकार जिस तरह से आचरण करती है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । सरकारी विभागों में कैंटीज चलती हैं, टिफिन रूम्ज चलते हैं । 11 दिसम्बर, 1978 को हमने एक एलान कर दिया था गृह मंत्रालय की ओर से कि कैंटीनों में काम करने वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे, उनको वे सब सुविधायें प्राप्त होंगी जो

केन्द्रीय कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। अभी तक उस विज्ञप्ति के अनुसार आचरण नहीं हुआ। कैंटीनों में काम करने वाले कर्मचारी केन्द्रीय दर पर महंगाई-भत्ता नहीं पा रहे हैं। उनके लिए 95 रुपए प्रतिमाह तय कर दिया गया है, ना कम ना ज्यादा। महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उनका भत्ता नहीं बढ़ेगा। कैसे संतुष्ट कर सकते है आप उनको ? उन्होंने वोट-क्लब पर रैली की थी, मैंने उनको हड़ताल पर जाने की सलाह नहीं दी, मगर उनसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों की समस्याएं हल करने के लिए अगर समझौते के द्वारा, बातचीत के द्वारा, आवश्यकता पड़े तो मध्यस्थता के द्वारा और पंच-फैसले के द्वारा अगर निर्णय नहीं होंगे तो समस्याएं बिगड़ेंगी, समस्याएं उग्र होंगी और यह डंडा दिखाकर ज्ञानी जी ।

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : डंडा तो बाद में दिखाएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डंडा बाद में दिखाएगे। ज्ञानी जी आप इरादे छिपाते नही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : पहले विटामिन टेबलेट खाएंगे, बाद में डंडा दिखाएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहता हूं कि आप इस विधेयक पर फिर से विचार करिए और जो राष्ट्रीय संकट घिरता जा रहा है, उसको टुकड़ों में मत देखिए।

सन् 1977 में ऐसी स्थिति आई थी कि हमने विदेशों से अनाज मंगाना बंद कर दिया था। चार साल में ही आपने हिंदुस्तान को वाशिंगटन के बाजार में भीख का कटोरा लेकर फिर से खड़ा कर दिया। इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान में गेहूं कम पैदा हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपकी निकम्मी सरकार गेहूं वसूल नहीं कर सकी है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों से गेहूं वसूल करने के बजाए गढ़वाल में बहुगुणा को हराने में लगे हुए थे, पुलिस लेकर गए थे। किसानों को अधिक कीमत देकर गेहूं नहीं खरीद सकते थे ।

आज मैं पंजाब का दौरा करके आया हूं। वहां पर सूखा पड़ रहा है, धान पीला पड़ रहा है, खड़ी फसल सूख रही है, आसमान धोखा दे गया है, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, डीजल के लिए फिर से लाइनें लगी हुई हैं। किसान भी भड़क सकता है। यह बिल किसान को काबू में नहीं रख सकता। देश ज्वालामुखी के मुख पर बैठा है। इस तरह से बिल लाकर और तनाव पैदा करके आप समस्याएं हल नहीं कर सकते। इससे पहले राष्ट्रीय संकट पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। मगर ऐसा लगता है कि यह सरकार उसमें असमर्थ है, इसकी नीयति है कि इसकी दुर्गति होने वाली है। हम लाख कहें, ये सुनेंगे नहीं, यह हमें भरोसा है ।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैंने अपने दोस्त श्री वाजपेयी का भाषण सुना। मुझे आशा थी कि वह कुछ ऐसा बोलेंगे जिसका उत्तर देना जरूरी होगा। उन्होंने विधेयक को छोड़ कर

अन्य विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने मूल्य वृद्धि, कानून और व्यवस्था और रेल दुर्घटनाओं की चर्चा की। इन विषयों पर यहां पहले ही चर्चा हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल आपके विभाग को छोड़ दिया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह ठीक काम कर रहा है। इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। इन सब बातों पर चर्चा हुई।

उन्होंने कुछ मुद्दे उठाने के लिए प्रधान मंत्री को लिखे गए पत्र को पढ़ा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने उसे पढ़ा नहीं।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए।)

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखे गए पत्र को विषयवस्तु की जानकारी दी। किसी व्यक्ति का नाम भी लिया। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता।

जहा तक खाद्य तेलों के आयात का प्रश्न है आज स्थिति यह है कि अगर कोई प्राइवेट कम्पनी इनका आयात करती है तो उसे सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक आयात शुल्क देना होता है। यह शुल्क लगाने का अभिप्राय प्राइवेट क्षेत्र को खाद्य तेलों के आयात से प्रथक रखना था। यह काम अब राज्य व्यापार निगम कर रहा है। इससे सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्राइवेट क्षेत्र देश में कमी का फायदा न उठा सके और यदि आयात आवश्यक हुआ तो वह राज्य व्यापार निगम की माध्यम से किया जाए ताकि वह आयात किए गए तेल को नियंत्रित मूल्यों पर वितरित कर सके। यह सरकार की ईमानदारी और उद्देश्य का परिचायक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री वाजपेयों ने कहा कि उन्होंने 1978 में कान्टीन कर्मचारियों के विषय में एक आदेश पारित किया था। उनकी शिकायत है कि उसे अमल में नहीं लाया गया है। मैं अपने दोस्त को याद दिलाना चाहता हूं कि उस आदेश के पारित होने के पूरे एक साल तक आप लोग सत्ता में रहे। क्या उसे पास करने के बाद आप सो गए थे ? उसका क्या हुआ ? मुझे वह समय याद आता है जब श्री रवीन्द्र वर्मा औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक यहां लाए थे। श्री वाजपेयी ने उस विधेयक का समर्थन किया था। आज वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं जोकि उसकी अपेक्षा काफी नर्म है। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा।

दो या तीन मुद्दे उठाए गए हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि विरोधी पक्ष में बैठे मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने इस विधेयक के गुण-दोषों का काफी अच्छा विवेचन किया है। इसीलिए परसों मैंने उपाध्यक्ष से यह आग्रह किया था कि श्री वर्मा को अपना भाषण पूरा करने के लिए समय दिया जाए हालांकि उनका भाषण काफी लम्बा था। हम यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः उन्हें इस बारे में क्या कुछ कहना है। उन्होंने दो-तीन बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वह भाषण इस आशा से दे रहे हैं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले लेगी। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मुझे उन्हें अपनी स्थिति के अनुकूल बनाने के लिए अनुनय करने की

जरूरत नहीं है क्योंकि मानसिक रूप से वे हमारी बात से सहमत हैं। फिर भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपनी आत्मा को टटोलें और पूछें कि क्या उन्हें अपना इस विधेयक के प्रति जो विरोध है उसे वापस नहीं लेना चाहिए। संसद में इसी प्रकार का प्रयास होता है। प्रश्न उठाया गया है कि यह अध्यादेश क्यों लाया गया है? जब भी कोई अध्यादेश लाया गया इस तरह की आलोचना होती रही। आलोचना इतनी अधिक होने लगी है कि उसने अपना महत्व ही खो दिया है। जब भी अध्यादेश आता है उसकी आलोचना होती है।

महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम कोई विधेयक पास करना चाहें तो हम उसे तत्काल पास करवा सकते हैं। हमारे पास बहुमत है। हम यह कर सकते हैं। पर प्रश्न यह है कि यह जानते हुए भी हम अध्यादेश क्यों लाए। इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसको लाने के पीछे कुछ कारण अवश्य रहे होंगे। अन्यथा हम अध्यादेश लाने की बजाय सीधे ही विधेयक पास कर सकते थे। (व्यवधान)। हम सभी कारण हर एक को नहीं बताते। (व्यवधान) कुछ कारण थे। हमें पता था कि रेलवे में क्या हो रहा है, डाक-तार विभाग में क्या हो रहा है, बिजली क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम अन्धे नहीं हैं। हमारी आंखें खुली हैं। हमें पता है कि देश में क्या कुछ हो रहा हैं। जो खिचड़ी पक रही है उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम उठाना हमारा कर्तव्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप आतंकित हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : जो भी हो हम आतंक की परिभाषा समझते हैं। कौन आतंकित है सभी जानते हैं। हम इसकी बात नहीं करते। चाहे कुछ भी हो, हमने जो उपाय किए या जो विधेयक हम लाए उनके परिणाम मिल चुके हैं और हमें खुशी है कि हम अध्यादेश लाए। यही मैं कहना चाहता हूं

दूसरी बात उन्होंने कही कि विधेयक श्रम मंत्री ने क्यों नहीं पेश किया। उन्हें पता नहीं है कि किसी विधान विशेष को किस मंत्रालय को लाना चाहिए। क्यों? यह श्रम कानून नहीं है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन नहीं है। इस संशोधन का उद्देश्य दण्डनीय अपराध की परिभाषा करना और उस अपराध से निपटने के लिए उपाय सुनिश्चित करना है। इस कानून द्वारा एक नई दण्डनीय अपराध सम्बन्धी धारा जोड़ी गई है। इसमें दण्ड की परिभाषा की गई है। मुकदमा चलाने की कार्यविधि की व्याख्या की गई है। यह एक विशुद्ध दंडनीय कानून है जिससे अपराध कानून के अन्तर्गत अपराध की परिभाषा की गई है। इसका औद्योगिक विवाद अधिनियम से कोई सरोकार नहीं है। इसे औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में लाया गया है, जनता की भलाई के लिए लाया गया है। यही इस विधान में कहा गया है।

ऐसा कानून बनाने का यह पहला प्रयास नहीं है। 1968 में भी ऐसा ही कानून लाया गया था। यह उसी कानून की कार्बन कापी है। तब उस विधेयक को तत्कालीन गृह मत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण लाए थे। श्रम मंत्री नहीं लाए थे। मेरा कहने का अभिप्राय है कि विधेयक का संचालन मेरे उन कई दोस्तों ने किया था जो सरकार में थे। वे उसका समर्थन कर रहे थे। मैं श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री जगजीवन राम और श्री रवीन्द्र वर्मा से जो उस समय कांग्रेस में थे, कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं का कानून ला रहा हूं। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही विधेयक है जिसे गृह मंत्री ने पेश किया था। इस कानून को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, पर श्रम मंत्री नहीं क्योंकि यह मामला श्रम मन्त्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। विधि मंत्री इसका संचालन कर सकते हैं। यह ऐसा विधेयक है जिसे गृह मत्री को ही पेश करना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य दण्डनीय अपराध की परिभाषा करना है। उस कानून को शासित करने वाला मंत्रालय ही इसे ला सकता हैं। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा 1968 में हुआ था यह विधेयक गृह मंत्री को ही लाना चाहिए था। कानून बहुत ही सरल है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बारे में इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। (व्यवधान) इसमें बड़ी सरलता से कहा गया है कि यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किसी आवश्यक सेवा में हड़तालों पर रोक लगा सकती है और ऐसे आदेश की वैधता केवल छः मास के लिए होगी। यह सरल और छोटा सा कानून लाया गया है। सरकार हड़तालों पर पाबन्दी नहीं लगा रही है। वह शक्ति ग्रहण कर रही है। किसी परिस्थिति विशेष में यदि सरकार सन्तुष्ट है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोक हित में छः मास के लिए हड़ताल गैर-कानूनी घोषित की जाए तो वह कर सकती है। इतनी सी बात है। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या आवश्यक सेवाएं समाज के लिए जरूरी हैं या नहीं? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें समाज के हितों की रक्षा करना आवश्यक हो तो क्या उस दशा में आवश्यक सेवाओं में आने वाले व्यवधान के प्रति संरक्षण प्रदान किया जाए या नहीं। यदि यह जन हित में है तो तीसरा प्रश्न यह उठता है कि उस दशा में हड़तालों और तालाबन्दियों को लोक हित में गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है या नहीं? ये ही साधारण बातें पैदा होती हैं। क्या कोई आवश्यक सेवाएं जैसी चीज है या नहीं? क्या यह कोई नूतन सिद्धान्त है? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि आवश्यक सेवाओं को विशेष संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है? मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा कल बहुत अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने मुझे 1978 के कुछ बुद्धिमतापूर्ण सुझाव दिए थे जब उन्होंने विधेयक का संचालन किया था। उन्होंने हमें बताया कि आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष रूप से उपबन्ध क्यों किया जाए।

> "तब कुछ मामलों में हड़ताल करने के अधिकार के बारे में प्रश्न उठाया गया था..... पेय जल की सप्लाई आवश्यक हो सकती हैं, विद्युत की सप्लाई आवश्यक हो सकती है, अस्पताल आवश्यक हो सकते हैं..... ...कतिपय सेवाएं ऐसी भी हो सकती है जो समाज के लिए कभी भी संवेदनशील नहीं हों। इसे असंगत या श्रमिक वर्ग विरोधी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत की श्रमिक वर्ग को भी उतनी ही आवश्यकता है। पेय जल की भी उन्हें आवश्यकता है। यह समाज की सामूहिक आवश्यकता है। इसीलिए यदि यह कहा जाता है कि अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के अधिकार और समाज अथवा

राष्ट्र का अस्तित्व बने रहने के परमाधिकार के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास हो। यदि उन व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दी जाती है तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें कुछ भी असंगत, आपत्तिजनक और श्रमिक वर्ग विरोधी बात नहीं है। आप इस पर विचार करने से क्यों कतरा रहे हैं? हड़ताल का प्रावधान रहना ही चाहिए। परन्तु यदि हड़ताल का मतलब यह हो कि लोगों का 'आपरेशन टेबल' पर ही मृत्यु हो जाए और लोग कई दिनों तक लिफ्टों में ही बन्द रहें, क्योंकि बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण लिफ्टें कार्य नहीं करेंगी तो निस्सन्देह यह न केवल श्रमिक और नियोक्ता के लिए चिन्ता की बात है अपितु प्रत्येक बालक, युवा और नागरिक के लिए चिन्ता की बात है।"

इसलिए वे इस कानून को लाए हैं। आवश्यक सेवा का प्रभाव और महत्व यही है। आवश्यक सेवा को हमेशा अन्य सेवाओं से भिन्न समझा गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम मौजूद है। मैं श्री रवीन्द्र वर्मा से इस बात पर सहमत हूं कि इस समय कानून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं में हड़ताल एक कानूनी हड़ताल नहीं हो सकती। इसके बारे में उपबन्ध बहुत ही स्पष्ट हैं। इसमें तीन उपबन्ध हैं। एक—बिना नोटिस के कोई हड़ताल नहीं, दो—जिस समय नोटिस दिया जाता है। उस समय यह अवश्य समझ लिया जाना चाहिए कि समझोता वार्ता का प्रयास आरम्भ हो गया है और तीन—जब तक यह वार्ता चल रही है तब तक कोई हड़ताल नहीं होगी। यह केवल आवश्यक सेवा पर लागू होता है। यह अन्य सेवाओं पर लागू नहीं होता। आवश्यक सेवाओं में आप पूर्व सूचना दिए बिना हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकते। जिस समय सूचना प्राप्त होती है उसी समय धारा 20 के अन्तर्गत यह समझा जाता है कि समझौत्ता वार्ता आरम्भ हो गई है और चूंकि यह वार्ता चल रही है इसलिए हड़ताल नहीं होगी और यदि हड़ताल होती है तो यह गैर-कानूनी है, जिसका अर्थ है कि कानून के अन्तर्गत आज भी प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक आवश्यक सेवा के बारे में इस प्रकार से उपबन्ध किया गया है कि हड़ताल करना व्यावहारिक रूप से असम्भव सा हो गया है। परन्तु लोग फिर भी करते हैं। यह एक अलग बात है।

तत्पश्चात् प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी बात है तो इस विधेयक विशेष की क्या आवश्यकता है। एक साधारण सा प्रश्न है :—समाज के अधिकार की तुलना में एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह का अधिकार हम एक व्यक्ति विशेष के अधिकार को नहीं नकारते, हम व्यक्तियों के समूहों के अधिकार को नहीं नकारते। प्रश्न यह है कि समाज के अधिकार की तुलना में एक व्यक्ति विशेष का अथवा व्यक्तियों के समूहों के अधिकार में कौन सा हावी रहेगा। जब एक व्यक्ति और समाज के बीच, व्यक्तियों के एक समूह और समाज के बीच होता है और समाज को खतरा हो जाता है तब दांडिक कानून का अधिकार क्षेत्र आरम्भ होता है, यहां पर औद्योगिक संबंध कानून का प्रभाव क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यह सामान्य कानून का अधिकार क्षेत्र बन जाता है और उस स्थिति में कानून लागू किया जा सकता है। यह औद्योगिक संबंध कानून से

बाहर आ जाता है। क्योंकि औद्योगिक संबंध कानून के अन्तर्गत उस संगठन में समझौता वार्ता को जारी रखना और उसमें सहायक होना गैर-कानूनी है। यह असफल भी हो सकता है और सफल भी परन्तु हम इसके असफल या सफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते और तब तक इसे ताक पर नहीं रख सकते तथा गतिहीन नहीं बना सकते। अतः दांडिक कानून को इसमें हस्तक्षेप करना ही होगा और समाज भी इस पर गौर करे।

व्यावहारिक दृष्टि से यह विधेयक केवल घोषणा मात्र है जिसके अनुसार समाज की सुरक्षा हेतु आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित निहित सिद्धान्त को अवश्य ही स्वीकार किया जाए और बड़ी कठोरता से लागू किया जाए। यह इससे अधिक कुछ नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हड़ताल तो पहले ही गैर-कानूनी है। परन्तु एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमे यह "गैर कानूनी" जिसे औद्योगिक शान्ति बनाए रखने में सहायक कहा गया है, समाज को खतरे की स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकेगी प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब क्या किया जाना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अनिवार्य समझौते या मध्यस्थता को हड़ताल प्रतिषेध के साथ जोड़ने पर आपको क्या आपत्ति है?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत यह नहीं है। मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुखाड़िया इसे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम वहां नहीं है। मैं इसी बात पर आ रहा हूं। मैंने कहा है कि यह दांडिक कानून है, इससे अधिक कुछ नहीं। अन्य बातों का इससे कोई संबंध नहीं है। इस पर हम तब विचार करेंगे जब हम औद्योगिक विवाद अधिनियम पर, जो कि विचाराधीन है, विचार करेंगे। इससे परे नहीं जाना चाहता।

जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तब तीन दृष्टिकोणों की संभावना हो सकती है। एक दृष्टिकोण तो समाज की सहायता करना है। "हम हड़ताल करने और हड़ताल करने के अधिकार के बारे में अधिक चिन्तित हैं और इसलिए हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे और हमें इसमें प्रसन्नता है, क्योंकि हड़ताल से समाज छिन्न भिन्न हो सकता है। हम यही चाहते हैं।" एक दृष्टिकोण तो यह है। जिसका प्रतिनिधित्व श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री समर मुखर्जी करते हैं और मैं नहीं जानता कि इसका श्री इन्द्रजीत गुप्त करते हैं। यह एक दृष्टिकोण है।

दूसरा दृष्टिकोण यह कहना है कि हम यह अधिकार सरकार को देकर राजी नहीं हैं। सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक हड़ताल पर प्रतिबन्ध रहेगा।

"सदा के लिए हड़ताल की घोषणा कर दो" यह दृष्टिकोण जनता पार्टी का था।

हमारा दृष्टिकोण बीच का है। (व्यवधान)

मैं उसी बात पर आ रहा हूं। दस्तावेज मौजूद हैं। हम कहते हैं कि टकराव हो सकता है परन्तु यह टकराव इतना बड़ा नहीं हो सकता जिससे हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया

जाए। इसमें मतभेद हो सकता है। यह हो सकता है कि यह इतना बड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए उन्होंने केरल में 'बन्द' की घोषणा कर दी और आवश्यक सेवाएं उस दिन ठप्प हो गईं। यदि श्री रवीन्द्र वर्मा वाले कानून को पारित कर दिया जाता तो ये हड़तालें सीधे ही गैर कानूनी हो जातीं। परन्तु हमने सोचा और कहा 'यह एक दिन का किस्सा है। हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए।' हमने इसे गैर-कानूनी घोषित नहीं किया था। हम इसे जारी रखेंगे। आखिरकार एक या दो दिन से अन्तर नहीं पड़ता। स्थिति फिर वैसी हो जाएगी। मैं यह कह रहा हूं कि एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें टकराव हो और समाज पर असर पड़े परन्तु इतना गम्भीर असर न पड़े जिससे श्रमिक हड़ताल करने के अपने अधिकार से ही वंचित हो जाएं। उनके हड़ताल करने से यदि स्थिति इतनी गम्भीर हो जाए कि समाज के हितों को इतनी भारी क्षति पहुंचे कि रवीन्द्र वर्मा का मरीज आपरेशन टेबल पर मरने लगे और बिजली कट जाने के कारण ऊपर जाती हुई लिफ्ट में फंसे रहने की नौबत आ जाए। बिजली और पानी की सप्लाई रुक जाने से लोग कष्ट उठाने लगें, तब उस स्थिति में हम देखेंगे कि क्या समाज हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक हित में दांडिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। एक ही स्थिति के संबंध में ये तीन दृष्टिकोण हैं। यहां ये तीनों दृष्टिकोण प्रकट किए गए हैं। केवल विपक्ष की एकता के नाम पर साम्यवादी दल के मेरे मित्रों ने मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा को फंसा लिया है और उनसे उस स्थिति की वकालत कराई गई है जो 1978 में विवादास्पद थी। मैं इसके लिए आपको अवश्य ही बधाई दूंगा। जहां तक भारत का संबंध है आप सदैव ठीक रहे हैं, अन्य जगह के बारे में नहीं। आपका दृष्टिकोण निरन्तर संगत रहा है परन्तु रात भर में क्रान्तिकारी बनने के ख्याल से कोई भी मेरे मित्र से, जो साम्यवादियों के पक्षधर हो गए हैं और टालस्टाय के नारे लगाने लगे हैं तथा 1978 में जो कुछ उन्होंने कहा था उसे वापस लेने लगे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे बहुत खेद है। मैंने जब कल भाषण दिया था तब मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा था। मैंने कहा था कि आवश्यक और अनावश्यक सेवाओं में अन्तर है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हड़ताल प्रतिबन्ध को समझौते आदि से जोड़ा गया है। मैंने कहा था, इसीलिए आप मुझे इस संबंध में काट नहीं सकते और मैं इसे दोहराता हूं। मुझे कोई अचम्भा नहीं है कि आपने ऐसा कहा। आपको काटना नहीं चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने मित्र की बात कभी नहीं काटूंगा। मैं सीधा ही औद्योगिक विवाद अधिनियम पर आता हूं। औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या है ? मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीस यहां मौजूद हैं। सभी क्रान्तिकारी मौजूद हैं। विधेयक मेरे पास है। सभी क्रान्तिकारी यहां हैं। श्री वाजपेयी मंत्रि मंडल के सदस्य थे। श्री जार्ज फर्नान्डीस भी मंत्रि मंडल के सदस्य थे। उन्होंने विधेयक पारित किया और यह सिफारिश की कि सभा इसे स्वीकार करे। खण्ड 90—"किसी भी आवश्यक सेवा का कोई भी कर्मचारी करार भंग करके हड़ताल नहीं करेगा।" यह पूर्णतया एक प्रतिबन्ध है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मध्यस्थता के विषय में क्या कहा गया है ? आपने केवल खण्डों में पढ़ा है। यह कोई अचम्भे की बात नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इसी बात पर आ रहा हूं । यह खण्ड 90 में कहा गया है । मैं केवल यह कह रहा हूं कि आपने पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

सभापति महोदय : इसके पश्चात् श्री जार्ज फर्नान्डीस बोलेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यह श्रम कानून नहीं है, इसका औद्योगिक सम्बन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह केवल एक दण्ड संबंधी कानून है जिसका उद्देश्य संज्ञेय अपराध की परिभाषा करना है । इसका औद्योगिक विवाद अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है । तब आप उन्हें सदन के समय को नष्ट करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

सभापति महोदय : वे चाहते थे कि वह अपने विचार व्यक्त करें ।

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्होंने इसका उल्लेख किया है । मैंने औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का उल्लेख नहीं किया । जब आप आकर यह कहते हैं कि सरकार को स्थिति का मूल्यांकन करने तथा किसी हड़ताल को कानूनी अथवा गैर-कानूनी घोषित करने सम्बन्धी निर्णय करने की शक्ति नहीं लेनी चाहिये और जब किसी हड़ताल को किसी स्थिति विशेष में गैर-कानूनी घोषित करने की शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा उसे क्रूर कह कर उसकी भर्त्सना की जाती है । मुझे उनको यह बताना होगा कि उन्होंने सदन से जिस शक्ति की मांग की है वह स्थिति के मूल्यांकन करने के लिये नहीं बल्कि यह घोषित करने के लिये मांग की है कि आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की हड़ताल हमेशा गैर-कानूनी मानी जायेगी । मुझे उनके लिये स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी ।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि इस सम्बन्ध में स्थिति से निपटने के तीन ढंग हैं । आपका ढंग यह था कि हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जिससे हम कभी भी सहमत नहीं हुए । हमारा दल भी उससे सहमत नहीं था । हमारे दल ने यही बात कही थी । हम इस प्रकार की बातों के विरुद्ध नहीं हैं । 1968 में हम इसे लाये थे । हम इस बात से मुकर नहीं रहे हैं । यह 1979 का रिकार्ड है । यह मेरे मित्रों का रिकार्ड है । श्री वाजपेयी श्रमिक वर्ग और उनके अधिकारों के बड़े हिमायती बन रहे थे । मेरी समझ में नहीं आता कि जब उन्होंने इस विधेयक को सहमति दी और इसे लाया गया तो उस समय उनकी आत्मा कहां सो रही थी । श्री रवीन्द्र वर्मा ने आवश्यक सेवाओं और उनकी गरिमा के बारे में एक अच्छा भाषण दिया था । मैं यहां इसी बात को स्पष्ट करना चाहता था । मेरे मित्र यह कहते हैं कि यदि आप इन सभी प्रकार के विवादों को निपटाने के लिये एक अन्तर्निहित व्यवस्था का प्रबन्ध कर रहे हैं तो अच्छा है । यहां पर मैं आपको पुनः यही बताना चाहता था । जैसाकि श्री सुखाड़िया ने कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम भी उसमें आवश्यक सेवाओं के लिये महत्वपूर्ण उपबन्धों का समावेश किया गया है । जैसाकि मैंने बताया है कि समझौते की प्रक्रिया तभी आरम्भ मान ली जाती है जब हड़ताल करने के बारे में सूचना दी जाती है । धारा 12 में यह व्यवस्था है कि आवश्यक सेवाओं में कार्यवाही तुरन्त आरम्भ हो जायेगी । वहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह

है 'शैल' बाकी मामलों में 'मे' शब्द का प्रयोग किया गया है किंतु आवश्यक सेवाओं के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रयुक्त शब्द 'शैल' है। और इसकी रिपोर्ट समझौता कार्यवाही आरम्भ होने के 14 दिन के अन्दर भेजनी होती है। इस बात की व्यवस्था धारा 12(6) में की गई है। जब आवश्यक सेवाओं में हड़ताल सम्बन्धी नोटिस दिया जाता है तो उस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने की परिकल्पना की गई है। समझौता सम्बन्धी तन्त्र जो शीघ्र ही कार्यवाही प्रारम्भ करनी होती है; 14 दिन के भीतर जांच पूरी होनी चाहिये और रिपोर्ट भेजी जानी चाहिये और तब उस पर सरकार को यह निर्णय करना होता है कि मामले को न्याय निर्णय के लिये भेजा जाये अथवा नहीं। इस बीच, मध्यस्थता करने की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है। सभी प्रकार के अन्तर्निहित तंत्र की वहां व्यवस्था है। अतः मेरे मित्र औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक क्यों लाये थे? उन्होंने कहा है कि आरम्भ में द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिये और यह वार्ता 60 दिन तक चल सकती है। 60 दिन के पश्चात् यदि कोई समझौता न हो सके, तो दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अथवा प्रथक रूप से समझौता अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और यदि यह आवश्यक सेवा हो तो समझौता अधिकारी समझौता सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर देगा; वह इस सम्बन्ध में 60 दिन तक प्रयत्न कर सकता है; 60 दिनों के पश्चात भी यदि वह उसे पूरा न कर सके तो वह सरकार को रिपोर्ट देगा। अतः समूची कार्यवाही में 120 दिन की अवधि लग सकती है। और सरकार उस मामले पर विचार करने के लिये 60 दिन का समय लेगी और 60 दिन के पश्चात या तो मामले को न्याय-निर्णय के लिये भेज देगी अथवा उसे समाप्त कर देगी। हमने यह कहा है कि 14 दिनों के भीतर, इस सबको पूरा करना होगा और उस सम्बन्ध में रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने उसके स्थान पर सभी जगह 60 दिन कर दिये—जो कुल मिलाकर 6 महीने की अवधि बन जाती है। तब तक कर्मकारों को वैसे ही रहना पड़ेगा। उन्हें हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हड़ताल पर पूर्णतया प्रतिबन्ध होगा। अतः यदि कोई हड़ताल होती है तो वह गैर-कानूनी है। हम हड़ताल करने के अधिकार को छीन लेंगे। उसमें इस प्रकार का तन्त्र पहले से ही है। उनकी दलील यह है कि यदि उसमें यह तन्त्र है तो कोई बात नहीं।

महोदय, तन्त्र की व्यवस्था पहले से ही है और गृह मन्त्री महोदय ने यह बताया था कि ज्योंही हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया जाता है, हम यह सुनिश्चित करने का दायित्व ले लेते हैं कि समझौता सम्बन्धी तन्त्र सक्रिय हो जाये और समुचित रूप से शान्ति स्थापित कर दी जाये। वह ऐसा कर सकेगा। जब गृह मन्त्री महोदय के दायित्व की बात आती है तो अन्तिम निर्णय करके शांति स्थापित की जाती है न कि डंडे के जोर से शांति स्थापित की जाती है। तब भी प्रत्येक हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने का प्रश्न नहीं है। इसे इस प्रकार नहीं किया जाता है।

जहां तक वहां मेरे मित्रों का सम्बन्ध है, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि वे इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं उनके साम्यवादी मित्रों की बात समझ सकता हूं—मैं श्री त्रिदिव चौधरी अथवा श्री चित्त वसु की बात समझ सकता हूं कि वे इस विधेयक का विरोध करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर 1978 के विधेयक पर चर्चा हो रही है। मेरे सभी मित्रों ने उस चर्चा में भाग लिया। किंतु

इसमें मजे की बात तो यह है कि किसी ने भी 9-क और 9-ख का विरोध नहीं किया किन्तु खंड 12 और 19 का विरोध किया गया। उन्होंने वैलट के बारे में विरोध किया। मजदूर संघ का विरोध किया गया किन्तु उन्होंने खण्ड 90 के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि वे जानते थे कि आवश्यक सेवा के बारे में जो खंड है, उसके बारे में वैसे ही ध्यान दिया जायेगा। अत: उस समय उन्हें उसे पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं हुई। उनकी आपत्ति दूसरे खण्ड के बारे में थी, इस खण्ड के बारे में नहीं।

अत: मैं अपने उन मित्रों के बारे में, जो 1968 में कांग्रेस में थे और 1979 में जनता पार्टी में थे, यह कहना चाहता हूं कि यदि उनमें जरा-सी भी ईमानदारी और राजनीतिक सौम्यता है तो उन्हें इस आधार पर इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिये कि इस विधेयक का कोई महत्व ही नहीं है। इसके माध्यम से यह अधिकार लिया जा रहा है कि हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया जाये। महोदय, जब रिजर्व बैंक में हड़ताल हुई थी तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था और हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया था। असम में हड़ताल के सम्बन्ध में हमने एक अध्यादेश जारी करके इसे गैर-कानूनी घोषित किया। कुछ बातों के लिये आपने अध्यादेश जारी किये। प्रश्न केवल यही है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई तो आपने उसे गैर-कानूनी घोषित करने के लिये अध्यादेश जारी किया। गैर-कानूनी होने पर ऐसा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। रिजर्व बैंक में जब हड़ताल हुई तो आपने क्या किया ? एक अध्यादेश जारी करके इसे गैर-कानूनी घोषित किया। परिणाम के सम्बन्ध में सभी सहमत हैं। प्रश्न केवल यही है; क्या उसे अध्यादेश जारी करके गैर-कानूनी घोषित किया जाये अथवा एक अधिसूचना के माध्यम से ? वे कहते हैं कि उसे अध्यादेश के द्वारा किया जाये। हम कहते हैं कि एक अधिसूचना जारी करके किया जाये ? संसद के दृष्टिकोण के अनुसार हम यही कह रहे हैं। परिणाम वही होगा चाहे आप अध्यादेश जारी करें अथवा अधिसूचना। प्रत्येक घटना के बारे में वे कहते हैं कि हमारे लिए अध्यादेश कानून है। उनके मतानुसार किसी स्थिति से निपटने के लिये हम अधिसूचना जारी करते हैं तो वह कोई समाधान नहीं है। आप कुछ गैर-कानूनी घोषित करने के लिये शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं समझते। किन्तु आपके इस समाधान को हम स्वीकार नहीं करते। यह कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी के दृष्टिकोण हैं। जनता पार्टी में शेष सभी पार्टियां आती हैं। किन्तु इसका अर्थ आज भी जनता पार्टी से नहीं बल्कि तत्कालीन जनता पार्टी से है। किन्तु उस समय उसमें भारतीय जनता पार्टी, लोकदल पार्टी भी शामिल थी। यदि इन सब दलों को इकट्ठा किया जाये तो इससे हमारे देश का लगभग 90 प्रतिशत राजनीतिक अभिमत इसके पक्ष में आता है। 1968 में हमें यह लगा कि यह आवश्यक है; 1978 में उन्हें लगा कि यह आवश्यक है। और स्पष्ट कहूं तो जब रिजर्व बैंक में हड़ताल हुई तो उन्हें लगा कि यह आवश्यक है अत: आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा की जानी चाहिये। इस स्थिति के बारे में हमारे देश का 90 प्रतिशत से अधिक राजनीतिक अभिमत इस पक्ष में है। हमारे कुछ साम्यवादी मित्र हैं। आप उस बारे में भूल जाते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमें यह बतायें कि उस स्थिति में आपकी क्या स्थिति होती। कल मैंने श्री समर मुखर्जी से एक प्रश्न पूछा था कि संघर्ष, एकता और पोलैंड की सरकार के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है ?

उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बहस करें। मेरे मित्र जो सदैव विमान द्वारा समाजवादी देशों को जाते रहते हैं यहां आकर हमें भाषण दे रहे हैं। किन्तु जब इसकी बात आती है तो वह कहते हैं कि हमें इस बारे में बोलना चाहिए और दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : 'सालीडैरिटी' ने आपको उत्तर दे दिया है। हम समाजवादी पद्धति के ढांचे के अन्तर्गत ही कार्य करने जा रहे हैं और समाजवादी पद्धति में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है। आप नहीं जानते कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का क्या अर्थ है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री मैत्रा, कृपया समय निश्चित कर लीजिये। मैं आपके पास आकर शिक्षा लूगा।

श्री सुनील मैत्रा : अवश्य आइये। (व्यवधान)।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : 'सालीडैरिटि' को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा उकसाया जा रहा है...(व्यवधान)।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : आपको मार्क्सवादियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे पास दो पत्रिकायें हैं। एक "न्यू एज" और दूसरी "पीपल्स् डैमोक्रेसी"। "न्यू एज" भारतीय साम्यवादी दल के अन्तर्गत है और "पीपल्स् डैमोक्रेसी" भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के अन्तर्गत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप उन्हें नियमित रूप से पढ़ते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : जी हां, बहुत ही नियमित रूप से पढ़ता हूं। मैं 'आर्गनाइसर' को भी पढ़ता हूं। इन तीन पत्रिकाओं को मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। महोदय, अब "वार्निंग टू पालिश स्ट्राइक-मेकर्स" इस शीर्षक को देखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वे तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गयी बात को उद्धृत कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : अन्य व्यक्ति कौन है ? क्या आप चाहते हैं कि उसका नाम मैं बताऊं ? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं; अर्थात पूरे लेख को पढ़कर सुनाऊं ?

एक माननीय सदस्य : इसमें गलत क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : कुछ भी गलत नहीं है। यह है मूल्यवान कथन :—

"अब निर्णायक महत्व यह है कि ऐसी गलत धारणा को समाप्त किया जाये कि बिना उत्पादन तथा उत्पादिकता को बढ़ाये मजूरी में वृद्धि करने की मांग करना तथा उसे प्राप्त करना सम्भव है। समझौते के ढंग को संयुक्त श्रम मोर्चे में अवश्य ही समर्थन प्राप्त करना चाहिये। 1981 में पोलैंड की हमारी समस्याओं को हल करने की यही कुन्जी है।"

अतः, एक सिद्धान्त बताया गया है जिसे श्री ब्रेजनेव की स्वीकृति प्राप्त है। हम पोलैंड संबंधी प्रश्न के बारे में आपके दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन करते हैं। जो दृष्टिकोण हम यहां अपनाते

हैं, उसी को आप वहां अपनाते हैं। किन्तु आप यहां दूसरा दृष्टिकोण अपनाते हैं और वहां दूसरा। (व्यवधान)। अब स्थिति यह है। वे कहते हैं :—

> "अब निर्णायक महत्व यह है कि ऐसी हर गलत धारणा को समाप्त किया जाये कि बिना उत्पादन तथा उत्पादिकता को बढ़ाये मजूरी वृद्धि करने की मांग तथा उसे प्राप्त करना सम्भव है।"

यह सिद्धान्त है जिसके अनुसार वे चलते हैं। अब "पीपल्स डैमोक्रेसी" भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की पत्रिका है। वे बहुत ही क्रोधित हैं। "सालीडैरिटी" को रियायतें दी गई हैं। उन्होंने पोलैंड के संकट के सम्बन्ध में पुनः एक सम्पादकीय लिखा है। वे कहते हैं : —

> "पोलैंड में उत्पन्न हो रहे संकट में विलम्ब की गुंजाइश नहीं है; 'सालीडैरिटी' को दिये गये उन्मुक्त अधिकारों तथा इसके दमनकारी नेतृत्व को अब और बर्दाश्त नही किया जाना चाहिये।"

उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : आप चिंतित क्यों हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : पोलैंड सरकार के अनुसार कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिये। इस बारे में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिये। (व्यवधान) यहां दी गई पोलैंड की सरकार की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार "सालीडैरिटी" 90 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह यहां के कई मजदूर संघों जैसी है। 90 प्रतिशत सदस्यता पर विचार किया जाता है। हिंसा के बिना वह लोगों को हड़ताल करने का आह्वान करती है। इसी आधार पर भारतीय साम्यदल (मार्क्सवादी) की क्रान्तिकारी शाखा यह कहती है कि हम पर्याप्त रियायत दे चुके हैं। अब और नहीं। उन्हें यह रियायत मत दीजिये। उन्हें बुलाइये और उन्हें नियंत्रण में रखिये। पर जब हम यहां कहते हैं कि सब उद्योगों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : यही अन्तर है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं उस बारे में भी बोलने जा रहा हूं। प्रश्न यह है कि हम हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव नहीं लाए हैं। न ही यह प्रस्ताव लाए हैं कि सभी उद्योगों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जाना चाहिये। बल्कि हम यह सीमित प्रस्ताव को लेकर यहां आये हैं कि यदि परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना पड़े। तो हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने के लिये एक अध्यादेश उद्घोषित करने की बजाय एक अधिसूचना जारी की जाए। यहां क्रांतिकारी जोश द्वारा इसे क्रूर, निष्ठुर एवं अधिकारवादी कहा जा रहा है। एक बात यहां के लिए और दूसरी वहां के लिए है। मेरे मित्र कहते हैं कि वह समाजवादी है और आप पूंजीपति हैं। (व्यवधान)। आपके अनुसार यह सही है। हमारा मत यह नहीं है। (व्यवधान)। हमारे अनुसार आपका तर्क यह

है "पोलैंड" पद्धति अच्छी है, सोवियत पद्धति अच्छी है, चीनी पद्धति अच्छी है। वहां हड़ताल नहीं होनी चाहिये और उत्पादन में अवश्य ही वृद्धि होनी चाहिये। उत्पादन में वृद्धि के बिना कोई वेतन वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।" वह आपका तर्क है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : एक साम्यवादी देश में शोषण नहीं किया जाता।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमारे लिये भी हमारा देश प्रिय है, हमारी पद्धति प्रिय है। इस बारे में हमारा मतभेद हो सकता है। हमारी पद्धति...

श्री सुनील मैत्रा : एक गधे की चार टांगें होती हैं और बकरी की चार टांगें होती हैं। अतः गधा एक बकरी है। यही उनका तर्क है।

श्री सी० एम० स्टीफन : बहुत अच्छा। यदि वह केवल गधे के बारे सोचते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं ? वह केवल गधे के बारे में ही सोच सकते हैं। वह प्रातः काल दर्पण में देखते हैं और गधे के बारे में सोचते हैं। मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)।

श्री सुनील मैत्रा : कई बार मैं आपके बारे में भी सोचता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह सब ठीक है। उनका तर्क यह है कि पद्धति अच्छी है, परम् पावन है। इसकी अवश्य ही रक्षा की जानी चाहिये और प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। अतः किस मार्ग को अपनाया जाना चाहिये ? यही प्रश्न है। उनके लिए यह पद्धति अच्छी है। अतः एक मार्ग बताया गया है। हमारे अनुसार हमारी पद्धति यहां अच्छी है। यह हमारे लिये है कि उस पद्धति की रक्षा की जाये। यदि हमने उस पद्धति की रक्षा करनी है, तो उत्पादिकता में अवश्य ही वृद्धि की जानी चाहिये और यदि उत्पादिकता में वृद्धि की जानी है, तो अवश्य ही विखण्डनशील गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। हम अपने तरीके से यह उचित ही कह रहे हैं कि हमें भी कुछ उपाय करने चाहिये ताकि यह टुकड़े टुकड़े न हो जाये। हमें भी इसे लागू करने दीजिये। मैं यही कुछ कहना चाहता हूं। इस विशेष ढंग से पाखण्ड मत करिए।

हम जानते हैं कि इस अभियान के पीछे क्या बात है। मुझे यह आशा नहीं है कि मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा अपने संकल्प को वापिस लेने के लिये मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वे कहते हैं आप एक घंटे से अधिक बोल चुके हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं पांच मिनट और बोलूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं बहुत ही विनयपूर्वक एक प्रश्न श्री स्टीफन से पूंछूगा। गुस्से में नहीं। क्या वह पोलैण्ड के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहते हैं ? यदि हां, तो हम यह चर्चा करेंगे। इस समय यह संदर्भ से बाहर की बात है। यदि वह पोलैण्ड पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हमें अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर

देते। मेरा प्रश्न यह है "सालीडैरिटी" ने तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए हड़ताल की। और सरकार इस हड़ताल से किस तरह से निपट रही है और मैं राजनीतिक प्रश्न की बात नहीं करता। किन्तु आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और वे अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ? मुख्य बात यही है।

श्री सी० एम० स्टीफन : वास्तव में यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे अनुसार हम कर्मचारियों के साथ उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं जो आप उनके साथ वहां कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आपको इस बारे में पूरा विश्वास है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : बिल्कुल। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। आपका एक मजदूर संघ है। हमारा 'इंटक' है। 1947 से पूर्व केवल 'आयटक' ही मजदूर संघ था। 'इंटक' 1947 में बना। क्या आप यह दावा करते हैं कि आप इटक के समकक्ष हैं ? क्या आपने यह दावा किया है कि इसकी सदस्य संख्या 'इंटक' की सदस्य संख्या के समान है ? क्या आपने श्रम आयुक्त के समक्ष कोई दावा पेश किया है ?

श्री सुनील मैत्रा : गुप्त मतदान के लिये सहमत हो जाइये। तब आपका भण्डाफोड़ हो जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : दावा समाप्त हो गया है। बात यह है...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : फिर एक सरल प्रश्न...

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आपकी बात नहीं मानता। (व्यवधान) मुझे अपना भाषण समाप्त करना है। मैं पोलैण्ड के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं उन्हें केवल यह बताना चाहता था, मान लीजिये आप सत्ता में हैं, आपका रवैया कैसा रहेगा ? किसी ने कहा कि आप दिल्ली में सत्ता में आने वाले हैं। मान लीजिये कि वह बुरा दिन आ जाता है जो कभी भी नहीं आयेगा। मान लो आप कभी सत्ता में आ जाते हैं, तो इस सम्बन्ध में आपका रवैया कैसा रहेगा ? क्या आप कहीं हड़ताल करने देंगे ? क्या आंपने कहीं करने दी है ? सत्ता में आने के पश्चात क्या आपने कहीं हड़ताल करने दी है ? हम वह लोग हैं जो हड़ताल का कर्मचारियों के मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण कर रहे हैं। परन्तु जब कुछ लोग हड़ताल का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम कर्मचारियों को भी संरक्षण दें।

मजदूर संघ पद्धति क्या है ? मैं डाक और तार के बारे में कहूंगा। मुख्य संघ एन० आई० पी० टी० ई० है, वे ऐसा दावा करते हैं। मैंने उनसे उनकी सदस्य संख्या के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके संघ की सदस्य संख्या 1.90 लाख है। उन्होंने मुझे लिखा था। मेरे विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या 8½ लाख है। वे हड़ताल के बारे में निर्णय मतदान द्वारा करना चाहते थे। उन्होंने हड़ताल के लिये मतदान किया। वे उस निर्णय के परिणाम के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं। मान लीजिये कि यदि 1.90 लोगों के नेतृत्व वाला मजदूर संघ हड़ताल कर देता है, हड़ताल करने की घोषणा कर देता है और हिंसा का

सहारा लेता है, तो क्या मुझे उन कर्मचारियों की रक्षा नहीं करनी चाहिये जो लोगों की सेवा करने हेतु प्रतिष्ठानों को चलाना चाहते हैं अथवा क्या मुझे इस तरह रहना चाहिये? (व्यवधान)। अधिकांश बातें इस तरह की हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है। यह आन्दोलन की प्रवृत्ति है जो गरीब कर्मचारियों के बीच न होकर सफेदपोश कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बीच में बन रही है जो कि ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सबसे अधिक वेतन मिलता है। उनमें हम आन्दोलन की प्रवृत्ति को देख रहे हैं। ये आन्दोलन हिंसा फैला रहे हैं। आंकड़े ये हैं। प्रत्येक आन्दोलन बढ़ता जा रहा है और हिंसा भी हो रही है। 1970 से लेकर हमारे पास आंकड़े हैं। 1977 में यह 11 प्रतिशत था, 1978 में 12 प्रतिशत, 1979 में 15 प्रतिशत, 1980 में 17 प्रतिशत और जून 1981 में यह 18 प्रतिशत था। ये हिंसात्मक आन्दोलन क्यों किये गये, क्योंकि वे कर्मचारियों के बीच अपनी लोकप्रियता को खो रहे हैं और वे इन संवर्ग को हिंसात्मक तरीकों से चलाना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है और हिंसा ही तरीका है जिसकी शरण वे ले रहे हैं, तो कुछ और उपाय भी करने पड़ेंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है। बात यह है कि हमारा देश इस स्थिति को सहन करने में समर्थ नहीं है। हमें बिजली केन्द्रों, टेलीफोन उद्योग आदि की स्थापना करने की कठिनाई पर विचार करना चाहिये। इनकी स्थापना करने में पर्याप्त कठिनाइयां हैं और जब हम इन सभी की स्थापना कर देते हैं, तो इनमें काम करने वाले लोग न्यासी के रूप में काम करते हैं। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे लोगों के हितों से खिलवाड़ करें और मांग करें कि बात अवश्य ही की जानी चाहिए। उन्हें बातचीत करने का पूरा अधिकार है और सरकार और प्रबन्धक इसके लिये तैयार रहेंगे और यथा सम्भव अधिक से अधिक देने के लिए तैयार रहे हैं।

1975 में इन क्षेत्रों के लोगों की आय लगभग 5000 रुपया था। आज इसकी औसत 12000, रुपया हो गयी है। यह औसत स्थिर न रह कर बढ़ता जा रहा है। किन्तु एक ऐसे रवैये की कल्पना की गयी कि हम समस्त लोगों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। हम इन लोगों की शक्ति पर नियंत्रण करेंगे, हम लोगों से सम्बन्धित सेवाओं को अपने हाथ में ले लेंगे। हम लोगों के हितों की अवेहलना करेंगे अथवा हम उन्हें वह देंगे जिसकी वे मांग कर रहे हैं। यदि वही उनकी मांग है तो सरकार उन्हें लोगों के हितों को सौंप कर उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सेवाओं को (व्यवधान)। उस प्रयोजन के लिये बड़ी सावधानी से कदम उठाने होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि क्रूर उपाय कि प्रत्येक आवश्यक सेवा में हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया जाए जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री रवीन्द्र वर्मा चाहते थे। हम उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग जो चाहें करें और हम उसकी अनदेखी कर दें। लेकिन हम उनके लिये सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सारे मामले में गड़बड़ी न हो सके; और हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम हड़ताल करने वालों के आधारभूत अधिकार को स्वीकार करते हैं और हम उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। परन्तु जब आवश्यक सेवाओं की बात आती है, तो भी हम उन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना

चाहते। यदि टकराव के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि लोगों के अधिकार को क्षति होती है, तो फिर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से हमें हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी और बहुत ही कम मामलों में आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। हम 1968 में इसे लाये थे। 1971 से लेकर 1977 तक भारत सुरक्षा अधिनियम, 1977 चलता रहा। इन सभी वर्षों के दौरान हमने किसी भी हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया है। हड़ताल को केवल 1968 में ही गैर-कानूनी घोषित किया गया था जबकि श्री जार्ज फर्नान्डीस सम्पूर्ण रेल व्यवस्था ठप्प करवाना चाहते थे। उस समय अध्यादेश जारी किया गया था। उस समय हड़ताल के बारे में ऐसी घोषणा करनी पड़ी। अन्यथा हड़ताल को कभी भी गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया, और अध्यादेश के लागू किये जाने के बाद भी किसी हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया। हम ऐसा बहुत सावधानी से करते जा रहे हैं जैसे कि किसी पिता को कभी-कभी करना पड़ता है जबकि उसके बच्चे का व्यवहार ठीक न हो। हमने ऐसा रवैया अपनाया है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ओह; ओह;

श्री सी० एम० स्टीफन : इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये हम यह विधेयक लाये हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर ले। मैं श्री रवीन्द्र वर्मा से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसका विरोध न करें और एक बार फिर हमारा उसी तरह साथ दें, जैसा कि उन्होंने 1968 में दिया था··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप द्रोही हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आपकी तरह राष्ट्र के प्रति द्रोही नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपसे केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं कि श्री स्टीफन का अधिक समय दिये जाने के कारण, सदन के इस ओर के सदस्यों का समय कम नहीं कर दिया जाना चाहिये। वह विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री नहीं हैं।

सभापति जहोदय : वह कम नहीं किया जायेगा। श्री जार्ज फर्नान्डीस।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, श्री स्टीफन ने वाक-पटुता के साथ उस विधेयक की वकालत की है, जिसकी वकालत नहीं की जानी चाहिये थी। उनकी सुविज्ञता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आज उनकी सुविज्ञता कुतर्कता से परिपूर्ण थी। उन्होंने अपनी बात यह कहते हुये आरम्भ की कि यह दण्ड विधि कानून है। फिर इसके बाद उन्होंने अपना आधा समय दण्ड विधि तथा औद्योगिक सम्बन्धी कानून के भेद को स्पष्ट करने में लगा दिया। यहीं आकर उनकी सुविज्ञता में कुतर्कता आ गई। फिर उन्होंने संविधान का सहारा लेते हुये, इस कानून को न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न किया तथा फिर 1978 का उल्लेख करने लगे और इसी प्रक्रिया के दौरान श्री स्टीफन इस बात को पूर्णतया भूल गये जिस इंटक पर उन्हें इतना गर्व है, उसी इंटक ने औद्योगिक सम्बन्ध कानून के विरोध में संसद भवन के दरवाजों के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रकार से उनका 90 प्रतिशत तो शून्य के समान हो गया। क्योंकि जनता

पार्टी से सम्बद्ध जो भी मजदूर सघ संगठन था, उनमें से प्रत्येक ने इस विधेयक का विरोध किया था, जो कि उनके ही दल द्वारा लाया गया था। 1968 के कानून के बारे में सभी देश भक्तों ने तथा आज जो सदन में सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, उनमें से बहुत ने जनता पार्टी के साथ मिलकर और देश के लगभग सभी मजदूर संघों ने, चाहे वह साम्यवादी हो या गैर साम्यवादी, औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी उस कानून का विरोध किया। यह ऐसा विधेयक था जिसे अधिनियम नहीं बनाया गया था। और यह फिर एक ऐसा ही मामला है जहां कि सुविज्ञता को कुतर्कता के साथ जोड़ा गया था।

मैं जनता पार्टी के औद्योगिक विधेयक की वकालत नहीं करना चाहता। मैंने उस समय भी उसका विरोध किया था। देश के सभी मजदूर सघों ने भी, जिनके साथ मैं सम्बद्ध हू, भी विधेयक का विरोध किया है। मैं भी विरोध करने वालों के साथ था।

एक माननीय सदस्य : आप उस समय मंत्रिमंडल में थे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ठीक है। मैं उस समय मंत्रिमंडल में था। जब मैं मंत्रिमंडल में था, तो उस समय मेरी सरकार ने जो कुछ भी किया, मैं उसका दायित्व अपने ऊपर लेता हूं। परन्तु देश में मजदूर संघ आंदोलन का सदस्य होने के नाते मैंने विधेयक का विरोध किया था और मैंने उन मजदूरों का समर्थन किया जो विधेयक का विरोध करने के लिए दिल्ली की गलियों में आये थे।

मैं आशा कर रहा था कि श्री स्टीफन इस कानून की वास्तविक आवश्यकता के बारे कुछ प्रकाश डालेंगे। क्योंकि इससे पूर्व हमने समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि वह उन व्यक्तियों में से एक थे, जो इस विधेयक से काफी अप्रसन्न थे; कि वह ···(व्यवधान)···

श्री सी० एम० स्टीफन : ···मैं इससे इन्कार करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ···कि वह चाहते थे कि यह कानून वापिस ले लिया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इससे इन्कार करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने उन्हें स्थिति स्पष्ट करने का अवसर तो दे दिया है।

परन्तु उन्होंने यहां कुछ तर्क दिये। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि रेलवे में क्या हो रहा है। वास्तव में रेलवे में क्या हो रहा है ? मुझे मालूम है कि रेल कर्मचारियों ने पिछले वर्ष के अगस्त महीने में एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था और मैं यह भी जानता हूं कि रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड को अभी तक उन मांगों के बारे में रेल कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मिनट का समय भी नहीं मिल पाया है, यद्यपि मांग-पत्र दिये साढ़े बारह महीने से अधिक का समय हो गया है। क्या वह हमें इस बात से अधिक कुछ बतलाना चाहते हैं कि पिछले $12\frac{1}{2}$ महीने के समय से इनकी सरकार रेल कर्मचारियों के मजदूर संघों से बातचीत करने से इन्कार

करती आ रही है ? इस वर्ष के आरम्भ में लोको-कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई। उस समय आपके पास यह अध्यादेश तो नहीं था परन्तु आपने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का लाभ उठाया। परन्तु क्या आपको उस संघर्ष के कारण मालूम हैं ? क्या आपने इस सम्बन्ध में रेल मंत्री से कोई जानकारी प्राप्त की है ? क्या आपको, तथा क्या सरकार को मालूम है कि लोको-कर्मचारियों द्वारा एक भी मांग सरकार के समक्ष नहीं रखी गई थी ? लोको-कर्मचारियों ने केवल यही कहा कि आप कृपया उन करारों को क्रियान्वित कीजिये जोकि आपने हमारे साथ किये हुए है। हमें न इससे अधिक कुछ चाहिये और न इससे कम ही। क्या इसी को दृष्टिगत रखते हुये आपने वक्तव्य दिया था ?

डाक-तार विभाग के बारे में आपने स्वयं अपनी बात का खंडन किया है। आपने कहा कि संचार मंत्री होने के नाते आपके नीचे कार्य करने वाले 8½ लाख लोग हैं, जबकि एन० एफ० पी० टी० ई० के पास, जिसने हड़ताल बैलट किया था, एक लाख कुछ हजार व्यक्ति ही हैं। क्या आपको एक लाख तथा कुछ हजार लोगों से डर लगता है जबकि आपके पास 8 लाख से भी अधिक लोग हैं। आप इसे तर्क के रूप में प्रस्तुत करके स्वयं अपनी बात को काट रहे हैं। आपको यह तो मालूम ही है कि डाक-तार विभाग में क्या हो रहा है; इस कानून को न्यायोचित ठहराने के लिए श्री स्टीफन द्वारा भी विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता।

कल गृह मंत्री महोदय ने अपने ही ढंग से इसके बारे विचार व्यक्त किये। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी गंभीर विषय को मनोरंजक चर्चा का विषय बना देने की उनमें अपार क्षमता है। वास्तव में कल के "हिंदुस्तान टाइम्ज" में गृह मंत्री के कार्य-निष्पादन के तरीके पर टिप्पणी की गई है और उसे मैं उद्धृत करता हूं :—

'इस प्रकार के विवादास्पद विधेयक पर चर्चा करते समय कभी-कभी श्री जैल सिंह···"

परन्तु यह तो उनका विशेषाधिकार है। हम उनके इस रवैये पर शिकायत नहीं कर सकते कि किसी भी गंभीर मामले को साधारण मामला बनाकर, जब जो चाहें उसके बारे में कह सकते हैं। परन्तु कल उन्होंने जो इस विधेयक की जो वकालत की, —एक ऐसे विधेयक की जो कि मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी तथा लोकतंत्र विरोधी है,—तब उनके तर्क जम नहीं पा रहे थे। श्री जैल सिंह ने कुछ बहुत ही मनोरंजक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मजदूरों का कल्याण करना है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उनके शब्द कोष के अनुसार 'कल्याण' शब्द का अर्थ क्या होता है ? हमें यह तो मालूम है कि भारत सरकार इससे क्या तात्पर्य समझती है। मेरे पास श्रम मंत्रालय का प्रतिवेदन है, जिसके अनुसार मजदूरों के कल्याण का सम्बन्ध उनकी मनोरजक सम्बन्धी सुविधाओं, अस्पातालों तथा अन्य ऐसे लाभों से है, जोकि उन्हें उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस विधेयक का सम्बन्ध मजदूरों के कल्याण से कैसे हो सकता है ? इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक से मजदूरों का शोषण रोकने में सहायता मिलेगी और यह उनके लिए क्रांतिकारी साबित होगा। परन्तु इससे उनका शोषण रोकने में कैसे सहातया मिलेगी और वह भी किस के द्वारा ? मेरे पास मजदूर आंकड़ों को दर्शाने वाली एक पुस्तिका है जिसे इस वर्ष के आरम्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। हमारे

यहां सांविधिक न्यूनतम मजूरी निश्चित है जो कि मजदूरों को मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि श्रम मंत्री अभी भी यहां बैठे हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि उनमें से कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि आंध्र-प्रदेश में न्यूनतम सांविधिक मंजूरी 2.50 रुपये प्रतिदिन की है॥

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : नहीं, यह 5 रुपये है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह आप ही के तो आंकड़े हैं। आपको चीनी सम्बन्धी सभी मामलों पर बोलने की अधिक दक्षता प्राप्त है परन्तु न्यूनतम मंजूरी के बारे में नहीं है। यह भारत सरकार के ही आंकड़े हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह पुराना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह 1981 का है ।

बिहार में 1.75 रुपये, हिमाचल में 2.00 रुपये तथा महाराष्ट्र में 97 पैसे ही न्यूनतम मंजूरी दी जाती है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं इन्टरप्ट नहीं कर रहा हूं परन्तु महाराष्ट्र में दण्डवते जी को मालूम है, उनसे पूछिये 10 रुपये से कम नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह श्री अन्तुले द्वारा प्रकाशित हो रही है ?

सभापति महोदय : यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक में है और इसका सम्बन्ध 1981 के संस्करण से है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गृह मंत्री ने किस प्रकार के शोषण को समाप्त करने का संकेत दिया है ? क्या न्यूनतम मंजूरी विधान के अन्तर्गत किये जाने वाले शोषण या आये दिन जो शोषण हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, उस शोषण से। जब एशिया खेलों से सम्बद्ध निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मामला उठाया गया तो श्रम मंत्री को खड़े होकर यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि उनका शोषण किया जा रहा है। यहां राजधानी में ही बन्धुआ मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और ऐसा पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है जिसके बारे पिछले वर्ष सदन के अन्दर तथा बाहर चर्चा हुई थी। शोषण क्या होता है ?

श्रीमान जी, इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि इस विधेयक के माध्यम से अमीर लोगों पर प्रतिबंध लग जायेगा जिससे कि वह मजदूरों का 'खून' न पी सकें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह किसने कहा था ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसा गृह मंत्री ने कहा था। कल की चर्चा में यह बात कही गई है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अन्ततः उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि अमीर मजदूरों का खून न पियें। परन्तु शेष के बारे में इसमें प्रतिबंध लगाया गया है जिससे

कि अमीर लोग गरीबों का खून न चूसते रहें। इसे केवल इन्होंने स्वीकार किया है और कुछ नहीं। परन्तु शेष के बारे में इस विधेयक में अमीर आदमियों पर जानबूझ कर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कि वह मजदूरों का खून न चुसता रहे ? इस विधेयक में कौन सा ऐसा प्रावधान है, जो गरीबों के विरुद्ध हो ? यदि मन्त्री महोदय का कहना है कि इसके अन्तर्गत विधेयक के वह उपबन्ध आते हैं, जिनका सम्बन्ध ताला बन्दियों तथा जबरन छुट्टी करने से है···

सभापति महोदय : सम्भवतः उनका यही मतलब था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तब मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारे गृह मंत्री के पास आश्चर्यजनक कल्पनाशक्ति है जो हमारी कल्पना से परे की बात है।

हमारे गृह मंत्री ने कुछ वक्तव्य दिए हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और जिनका जवाब देने की जरूरत है। वह यही कहते रहे कि तथाकथित मजदूर नेताओं ने श्रमिकों को उत्तेजित किया, उन्होंने श्रमिकों के पक्ष में भाषण दिए, पर प्रबन्धकों के साथ रात्रि भोज किया।

मुझे विश्वास है, गृह मंत्री इस बात से भलीभांति परिचित होंगे परन्तु उन्हें श्रमिकों की रोजी-रोटी और इस देश में उनके अधिकारों से संबंधित लोगों पर इसे नहीं थोपना चाहिए। यदि इस प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक संघ नेता हैं तो निश्चय ही यह विधेयक उनके लिए नहीं है। यह विधेयक उस श्रमिक संघ नेतृत्व के लिए है जो श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है और जब मजदूरों को उनके अधिकार देने से इन्कार किया जाता है तभी वे कार्यवाही करते हैं। अभी-अभी हमने यहां श्री स्टीफन की बात सुनी, जिसमें उन्होंने रेलवे हड़ताल का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने यहां हुए प्रत्येक आन्दोलन का उल्लेख किया। वह सब रात्रि भोज से संबंधित नहीं था; वह सब श्रमिकों के अधिकारों, श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित था। उन्होंने कहा, "इस प्रकार के तत्वों को नियंत्रित करने के लिए यदि विधेयक मे श्रमिकों को उत्तेजित किए जाने सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं किया जाता है तो फिर उन्हें नियन्त्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है ?" दूसरे शब्दों में गृह मंत्री ने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि यह विधेयक श्रमिक संघ नेतृत्व के विरुद्ध है; यह विधेयक एक निश्चित स्तर के श्रमिकों के विरुद्ध है, और खास तौर से यह श्रमिक संघ नेतृत्व के विरुद्ध है। वह अपनी उत्तेजना से इस कठोर सच्चाई को नहीं छिपा सकते।

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि इस कानून में तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के सम्बन्ध में भी उपबन्ध है। यहां पर उन्होंने एक और मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि यह ठीक था कि अध्यादेश में तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं था। फिर माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा की गई आलोचना के उत्तर में, संकल्प पेश करते समय वह कहते रहे; "इसे विधेयक में शामिल करने का श्रेय प्रधान मंत्री को जाता है।" निःसन्देह। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने पिछले 20 महीनों में ऐसा क्या किया जिसका श्रेय प्रधान मन्त्री को नहीं जाता। सत्ताधारी पक्ष से कोई भी हमें यह बता सकता है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उनमें साहस नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अन्तुले के मामले तक मैं उन्हें इंदिरा प्रतिमा प्रतिष्ठान का नाम लाना पड़ा। ऐसा कोई काम है जिसका श्रेय उन्हें नहीं जाता है ? मैं नहीं समझता मुझे आपको इतनी ऊस पहुंचानी चाहिए। परन्तु, अन्यथा, मुझे विश्वास है कि आप सब यह स्वीकार करेंगे कि आप सबके यहां होने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। मुझे विश्वास है कि आपमें से कोई भी इससे इंकार नहीं करेगा। मुझे विश्वास है आप सबको इसका बहुत गर्व है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : हमें अपने नेता पर गर्व है। हम आपकी तरह ताश के पत्ते नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे बहुत खुशी है कि आपको अपने नेतृत्व पर गर्व है।

प्रो० मधु दडवते : यह उन्होंने केवल रिकार्ड कराने के लिए कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जो कुछ आपने कहा है कृपया उसकी पुष्टि कीजिए।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्री दंडवते, व्यंग न करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : एक मंत्री है, बाकी सब आप संत्री हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे इस तथ्य का पता है कि उन्हें अपने नेता के कारण यहां पर होने का गर्व है। मुझे इस तथ्य का भी पता है कि उन्हें अपने नेता पर भी बहुत गर्व है। परन्तु मैं केवल यह कह रहा हूं कि आलोचना की प्रतिक्रिया में गृह मंत्री ने कहा कि तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी के संबंध में इस उपबन्ध को शामिल करने का श्रेय प्रधान मंत्री को जाता है। अतः मेरा मुद्दा यह है :—इस अध्यादेश को लाने, इसे 26 जुलाई को राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षरार्थ देने के लिए इस विधेयक का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है ? इसका श्रेय किसको है ?

एक बार फिर, गृह मंत्री ने, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, न्यायतः अपनी उमंग में, अपनी सरकार की खिल्ली उड़वाई है। इसके बाद प्रधान मंत्री निवास के सामने स्वयं उनके दल ने इस अध्यादेश के समर्थन में एक प्रदर्शन किया, "नेता का अभिनन्दन" प्रदर्शन। किसी ने कहा, "यह एक विधेयक है, जो निःसन्देह बहुत अच्छा है, चूंकि यह आपकी ओर से आया है इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं. परन्तु आप नियोजकों को भूल गए"। जिस पर सर्वज्ञ नेता ने कहा, "आप गलत हैं, इसमें नियोजक भी सम्मिलित हैं; यह तालाबन्दी के सम्बन्ध में है; यह अस्थायी छटनी के सम्बन्ध में है।" अन्त में जब यह पता लगा कि ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था, और नेता ने एक और अविवेकपूर्ण कथन जारी कर दिया है तो वे बड़ी अनिच्छा से ये दो छोटे-छोटे खंड लाए हैं। और फिर अन्त में आपने यह निर्णय लिया कि इस कानून के लागू होने पर यदि उन कर्मचारियों में से किसी को इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाएगा तो आप उसे छह महीने की अवधि के लिए जेल भेज सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है, तो वह छः माह के लिए जेल जाता है। जो व्यक्ति हड़ताल का नेतृत्व करेगा और जो इन हड़ताली कर्मचारियों को एक कप चाय भी पिलायेगा उसे भी इस कानून के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया जायेगा। एक नियोजक जो 1,000 या 5,000 या 1 ,000 कर्मचारियों को

तालाबन्दी करके नौकरी से निकाल देता है–ऐसा कभी नहीं हुआ, परन्तु हो सकता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। आपके पास राष्ट्रीय वस्त्र निगम है। आज राष्ट्रीय वस्त्र निगम में दो लाख कर्मचारी हैं। क्या गृह मंत्री को पता है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन प्रत्येक मिल का उस समय अधिग्रहण किया गया जब उसे नियोजकों द्वारा बन्द कर दिया गया था ? क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि प्रत्येक मिल मालिक जिसकी मिल बन्द हो गई है उसने अन्ततः अपने मिल को राष्ट्रीय वस्त्र निगम में परिवर्तित करा लिया। वह अब भी एक उद्योगपति इस पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठा है। उसे किसी बात की मनाही नहीं है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? पूरे देश में आज तक कितनी फैक्टरियां बन्द हो चुकी हैं ? आज कितनी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हैं ? पहले सत्र के दौरान हमने डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी के अधिग्रहण के सम्बन्ध में एक कानून पास किया था। यह एक वर्ष तक बन्द रही। यह एक डालमिया एकक है। डालमिया की कोई समस्या नहीं है, डालमिया फल-फूल रहे हैं, डालमिया अन्य किसी औद्योगिक घराने की तरह उन्नति कर रहे हैं। परन्तु डालमिया दादरी को बन्द कर दिया गया था। जब तक सरकार मिल का अधिग्रहण करती और सारे घाटे को पूरा करती तब तक एक हजार मजदूर बेरोजगार हो गये थे। अब उन्होंने गरीब कर्मचारियों को एक बार पुनः रोजगार दे दिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अब इसका श्रेय किसको जाना चाहिए ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम श्रेय के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इस देश में नियोजकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है; नियोजकों के साथ कैसा व्यवहार होता है।

महोदय, मैं अपने माननीय साथी, जो बम्बई उत्तर से हैं, द्वारा इस विधेयक का विरोध करते समय विवेकपूर्ण तरीके से दिये गए तर्कों पर नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं आज सरकार से निश्चय ही यह पूछूंगा : आपकी नीति का आधार क्या है, आप क्या करना चाहते हैं ? मैं पूरी गम्भीरता के साथ यह प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे उनसे बहुत गम्भीर उत्तर की अपेक्षा है। मेरे पास यहां पर छठी पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज है। यह प्रधान मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया है और मुझे आशा है कि वे इस दस्तावेज को नकारेंगे नहीं जैसा कि उन्होंने अन्य दस्तावेजों को नकारा था। मैं इस दस्तावेज पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैं सरकार की श्रम नीति पर एक बहुत ही आधारभूत प्रश्न उठाता हूं। इस दस्तावेज के पृष्ठ 102 पर श्रम और श्रम कल्याण सम्बन्धी अध्याय 24 में, पूरे अध्याय में, श्रम और श्रम कल्याण नीतियों की बात कही गई है। अध्याय का आरम्भ इस प्रकार किया गया है : -

> "श्रम नीति हमारे संविधान में निर्धारित राजनीति के निदेशक सिद्धान्तों में दिए गए दर्शन और विषय पर आधारित है। इस नीति का परिस्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ति एवं योजनाबद्ध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं के अनुकूल विकास किया गया है। यह त्रिपक्षीय विचार विमर्श के फलस्वरूप तैयार की गयी है

जिसमें श्रमिक वर्ग नियोजक और संस्कारों के प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर भाग लेते हैं···"

श्री स्टीफन ने और कल गृह मन्त्री महोदय ने समाज के हितों की बात की थी । ऐसा लगता है कि वे निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि समाज के हित के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि इस देश में प्रत्येक हड़ताल पर पाबन्दी लगाने वाले या उसे अवैध घोषित करने वाले इस विधेयक को लाया जाए । श्री स्टीफन जब यह कहने का प्रयत्न कर रहे थे कि यह औद्योगिक संबंध विधेयक से बिल्कुल भिन्न है तो निस्सन्देह यह उनका गलत था । यह समस्त प्रक्रिया का अभिप्राय कुछ मामलों में हड़ताल को रोकने के लिए तथा पूर्ण पाबन्दी लगाना है । वे तो केवल शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । औद्योगिक विधेयक ने विशिष्ट उद्योगों का ही उल्लेख किया था । उनका कहना है कि इस आवश्यक सेवा क्षेत्र में हम निश्चित समयावधि के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से बातचीत, मध्यस्थता चाहते हैं । उन्होंने साठ दिन की अवधि के बारे में एक विवाद ही खड़ा किया । परन्तु विधेयक में साठ दिन के अन्तर्गत कहा गया है । इसमें तो यहां तक प्रावधान किया गया है कि जो नियोक्ता बातचीत करने से इन्कार करता है, जो बातचीत करने वाले अभिकर्त्ता को मान्यता प्रदान करने से इन्कार करता है उसे एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाए । किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए इस मामले में आप व्यापक शक्ति अर्जित कर रहे हैं । हमें कुतर्क का सहारा लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या यह कह-कर हमें गुमराह नहीं करना चाहिये कि आपने हुई उद्योगों को आवश्यक सेवा के अन्तर्गत ले लिया है ।

खण्ड 2 (XVI) "संघ के कार्यकलाप के संबंध में कोई सेवा, जो पूर्ववर्ती उपखण्डों में से किसी में विनिर्दिष्ट सेवा नहीं है ।"

आवश्यक क्या है ? 'संघ के कार्यों से सम्बद्ध कोई सेवा'—सचिवालय में सेवारत कर्मचारी—नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक । 'संघ की कोई सेवा यहां स्पष्ट नहीं की गई है । ऐसा लगता है कि जिसको आप चाहें आवश्यक सेवा घोषित कर सकते हैं । आप हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं ? क्यों कामगारों को बेवकूफ बना रहे हैं ? इस सदन में क्यों गलत तर्क दे रहे हैं और क्यों इस सदन को धोखा दे रहे हैं ?

अगले खण्ड को देखिए (सत्रह)

"ऐसी कोई अन्य सेवा जो ऐसे विषयों से संबंधित है जिसके बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है और जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार यह राय होने पर कि उसमें हड़ताल का...बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ..।"

तकनीकी रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि संसद को उन कामगारों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है जो कि दिल्ली शहर में चाय की दुकानों पर काम करते हैं । मुझे विश्वास है कि संसद को सभी केन्द्र शासित प्रदेशों की नाईयों की दुकानों के बारे में कानून बनाने का अधिकार

है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने स्वयं संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त, उस अधिकार से इन्कार नहीं किया है । अतः यदि दूसरे शब्दों में कहें तो यदि कनाट प्लेस की किसी चाय की दुकान में काम करने वालों की कोई बहुत ही उचित शिकायत है और वे हड़ताल कर बैठते हैं तो आप यहां उनको भी यह कहने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं कि उनकी हड़ताल को इस अधिनियम शरारत-पूर्ण अधिकार क्षेत्र में लिया जा सकता है और इस हड़ताल पर रोक लगाई जा सकती है ।

अत: आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं ? आप कहते तो यह हैं कि इसके अधीन केवल आवश्यक सेवाओं को रखा गया है ? आप आवश्यक सेवाओं को एक निश्चित तथा विशेष परिभाषा देना चाहते हैं और उसके बाद इसे श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के निकट रखना चाहते हैं ।

जहां तक आवश्यक सेवाओं का भी सम्बन्ध है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि इस प्रकार के विधान के अभाव में, इस प्रकार हड़तालों पर पावन्दी न लगाने से आप किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकते हैं ? स्टीफन महोदय ने हमें यही बताया है और आपकी सरकार से भी हमें यही जान पड़ता है । यदि यही स्थिति है तो इस दस्तावेज का क्या होगा ? क्या हमें इसे रद्दी में बेचना होगा ? क्या इस दस्तावेज की यही स्थिति है ? बाद में, इसी सप्ताह सभा इस पर विचार करेगी । अब मैं यहां एक पैराग्राफ—पैरा 24-22 पृष्ठ 404 पढ़कर सुनाता हूं :—

> "इस बात पर भी बल दिया जाता है कि यदि पंच वर्षीय योजना के दौरान किए गये भारी निवेशों से अपेक्षित परिणाम निकलते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण उपायों को लम्बे समय तक विलम्बित नहीं किया जा सकता है । उदाहरणस्वरूप, विद्युत, ऊर्जा, कोयले और इस्पात तथा परिवहन समेत प्रमुख क्षेत्र को यथासम्भव अधिकतम सीमा तक, औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति की अनिश्चितताओं से अलग करने की आवश्यकता है । यदि उपयुक्त सलाहकार तन्त्र एवं शिकायत प्रक्रियाओं को विकसित करके उनको प्रभावी बना लिया जाता है तो हड़तालें और तालाबन्दियां इन उद्योगों में अनावश्यक हो सकती हैं । अन्य क्षेत्रों में भी हड़तालों और तालाबन्दियों को अन्तिम अवस्था में ही काम में लाया जाना चाहिये ।"

अर्थात् इस दस्तावेज में यह बात स्वीकार की गई है कि एक आवश्यक क्षेत्र है और हमें एक ऐसा तन्त्र विकसित करना चाहिए जो हड़तालों को उन क्षेत्रों में अनावश्यक बना दे । श्री रवीन्द्र वर्मा भी सरकार में रहकर और विपक्ष में रहकर बिल्कुल ठीक इसी बात की वकालत करते रहे हैं । इस विधान के क्षेत्र और समग्र महत्व पर हमारी असहमति हो सकती है । परन्तु उन्होंने स्पष्टत: बिल्कुल यही कहा था । अपने योजना दस्तावेज में भी आपने बिल्कुल यही बात कही है कि आप इस सभा में उस पर पूरी गंभीरता से विचार करना चाहते हैं ।

अब आप एक ऐसा विधान लेकर आए हैं जिसमें आप स्वीकार करते हैं, बहस में हस्तक्षेप करते हुए आपकी सरकार के एक सदस्य स्वीकार करते हैं कि जहां तक अनिवार्य

सेवाओं का सम्बन्ध है, औद्योगिक सबंधों से आपको कुछ लेना-देना नहीं है और आवश्यक सेवाएं अब दण्ड-विधियों का मामला बन गई हैं। चाहे आवश्यक सेवा हो या गैर-आवश्यक सेवा हो कोई भी व्यक्ति खुशी के लिए तो हड़ताल नहीं करता है। हड़ताल देश में इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि यहां समस्याएं हैं। मजदूर समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका अभी तक उचित समाधान नहीं निकाला गया है। यहां पर हमें एकता की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने मजदूरों/कामगारों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करनी चाहिये।

गत कुछ मास से तिहाड़ जेल के बारे में, समाचार पत्रों में बड़े समाचार छपे है। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय तिहाड़ जेल के कैदियों की भोजन-तालिका सभा-पटल पर रखें। मेरे पास महाराष्ट्र की सभी जेलों की भोजन-तालिका है—सरकारी राजपत्र है। यदि इससे उन लोगों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है जो आज इस कानून की वकालत कर रहे हैं और हमें यह बता रहे हैं कि यह कामगारों की समस्याओं का हल है तो इस भोजन-तालिका को पढ़कर सुना देता हूं। औद्योगिक सम्बन्धों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इससे उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी और इस दस्तावेज में जिसकी रूपरेखा दी गई है वह यह दर्शन और नीति भी नहीं है और दण्ड-कानूनों से ही कामगारों की समस्याओं से निपटा जायेगा।

यह है नवीनतम भोजन-तालिका। मैं उस तालिका को पढ़कर सुनाता हूं जिससे श्रमिक वर्ग को परेशान करने वाली समस्याओं के आकार और गंभीरता को सही परिपेक्ष्य में उचित ढंग से समझा जा सके। मैं पढ़कर सुनाता हूं :—

> "महाराष्ट्र की जेल में एक कैदी को प्रतिदिन 30 ग्राम कंजी, 540 ग्राम अनाज मिलता है, सप्ताह में तीन बार 270 ग्राम चावल, 115 ग्राम दाल, 260 ग्राम सब्जियां, 15 ग्राम खाने का तेल, 20 ग्राम नमक, 9 ग्राम मसाले, 5 ग्राम इमली, 55 ग्राम प्याज और सप्ताह में एक बार 85 ग्राम गुड़, 30 ग्राम वनस्पति घी, 30 ग्राम चने का आटा तथा खाने पकाने के लिए 680 ग्राम इंधन मिलता है।"

मैं चाहूंगा कि कोई सदस्य यह हिसाब रुपयों-पैसों में करके देखें कि कितना बैठता है। यह प्रतिदिन 5 रुपये पड़ता है। यदि गृह मंत्री महोदय से तिहाड़ जेल की भोजन-तालिका सभा-पटल पर रखने के लिए कहा जाए तो यह प्रतिदिन 6 रुपये का खर्च पड़ता है। इस देश की जेलों के लिए प्रतिदिन प्रत्येक कैदी के लिए 6 रुपये खुराक निर्धारित की हुई है। मैंने चीनी, चाय या दूध की एक भी बूंद के बारे में नहीं पढ़कर सुनाया है। किसी कैदी की मोटे तौर पर यह खुराक है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं नहीं जानता कि श्री जार्ज फर्नान्डीस कितनी देर बोलेंगे। उन्हें कितना समय दिया गया है ? जैसा सुझाव दिया गया है उसके अनुरूप ही समय लिया जाना चाहिये। *(व्यवधान)*

मुझे पूछने का पूरा अधिकार है। जब श्री स्टीफन बोल रहे थे, आपने उनसे पूछा था। मुझे पूछने का अधिकार है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अभी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यदि आप इसे 5 रुपये ही रखें तो जैसा कि मैं कह चुका हूं दिल्ली में यह प्रति कैदी 6/- रुपये पड़ता है। एक कैदी की खुराक 150/- रुपये प्रति मास बैठती है। इसमें कपड़ों, मकान किराया, बिजली, पानी और कार्य-स्थल से लाने ले जाने का किराया-भाड़ा सम्मिलित नहीं है। इसमें औषधियों, मनोरंजन और बच्चों की शिक्षा का खर्च सम्मिलित नहीं है। यह खुराक उन्हें मिलती है। आप इस देश की जेल में प्रति कैदी को प्रति मास 150/- रुपये देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनुसार तथा आपके श्रम मन्त्रालय के दस्तावेजों के अनुसार और आपके अपने योजनाकारों के दस्तावेजों के अनुसार एक औसत परिवार में पांच वयस्क इकाइयां होती हैं। अतः जो खुराक दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात तथा तमिलनाडु और प्रत्येक राज्य के जेलों में कैदियों को उपलब्ध है। उसके अनुसार पांच वयस्क इकाईयों से 150/- रुपये गुणा करके आप इस देश के लोगों को तो उपलब्ध कराइये। इस प्रकार की मामूली सी खुराक देने के लिए आपको प्रति मास 750/- रुपये चाहियें। इसमें मकान किराया, कपड़े-लत्ते, बच्चों की शिक्षा, कुछ मनोरंजन, बीमारी, परिवहन की लागत को भी जोड़ दीजिए और फिर आप स्वयं देख लेंगे कि एक कामगार को कितना धन चाहिए और आप उसे क्या दे रहे हैं। अब आप इस विधि की ही बात लीजिए और हमें बताइये कि इसका औद्योगिक सम्बन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नियोक्ता और कर्मचारी से सम्बद्ध नहीं है। यह तो एक दण्ड-कानून है और हमें इससे दण्ड के रूप में ही निपटना होगा। मन्त्रीवर स्टीफन महोदय 800,000 व्यक्तियों की संख्या पर गर्व कर रहे थे। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उनके कर्मचारियों को भी उन पर गर्व है। उनमें से 250,000 कर्मचारियों को जिन्हें विभागेतर कर्मचारी समझा जाता है, प्रति मास 125/- रुपये मिलते हैं। अन्य और सभी कर्मचारी भी हैं। उन्हें क्या मिलता है ? आप उन्हें अप्रैल में देय मंहगाई भत्ता तक नहीं दे सके हैं। आज मैं आपको एक हड़ताल का नोटिस देने वाला हूं यद्यपि इस कानून में इस प्रकार की सूचना भेजने की बात नहीं कही गई है। मैं आज ही इस आशय का एक नोटिस देने वाला हूं कि हम हड़ताल करेंगे। हम हड़ताल का प्रबंध करेंगे। गृह मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमको मंहगाई भत्ता देंगे और कब देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमको हमारा बढ़ा हुआ वेतन देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप विभागेतर कर्मचारियों को विभागीय बनायेंगे। क्या आप हमको वह न्यूनतम खुराक देंगे जो कि इस देश के कैदियों को उपलब्ध है। कपड़ों के लिए, मकान भत्ते तथा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है; परन्तु कम से कम क्या आप हमें कम से कम सही भोजन देंगे जो कि आज उपलब्ध है।

अतः मैं जानता हूं कि यह अपील करने का उचित समय है—मैं 'अन्तःकरण' शब्द का प्रयोग नहीं करता, अन्तुले के बाद मैं यह गलती नहीं करूंगा—क्या इसमें कोई अच्छी बात बाकी है तथा क्या स्थिति की गम्भीरता को समझने की क्षमता है ? मेरे साथी श्री वाजपेयी कह रहे थे कि हम कुछ ऐसी दिशाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो कि इस देश से सम्बन्धित व्यक्तियों के दिमागों में कम्पन उत्पन्न कर रहे हैं। और यदि आपका एक मात्र उत्तर यही है तो मैं कहूंगा "हमने आपके साथ 1975 और 1976 में चुनाव लड़ा।" और यदि आप इसी प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि हम आपसे 1981 और 1982 में जब कभी इसकी

आवश्यकता पड़ेगी फिर उसी तरीके से लड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंगल भारतीय) : सभापति महोदय न तो मैं अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज से स्पर्धा करना चाहता हूं और न ही मैं उनके साथ बहस के दौरान प्राप्त की गयी सारी सूचनाओं का प्रयोग करना चाहता हूं। परन्तु उनके अलंकृत अंकगणित पर मुझे थोड़ी हँसी आती है। उनके अनुसार, इस देश के किसी भी श्रमिक को, देश में किसी भी परिवार को इतने हजार रुपयों से कम नहीं मिलने चाहिये—मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने उसका हिसाब कैसे लगाया है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि :— एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रति माह आप कितना वेतन देते हैं ? उन्हें मुश्किल से 2000/- प्रति माह हाथ में मिलते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लगभग 3,000 रु० मिलते हैं। यद्यपि मैं बहुत व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं फिर भी मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस से यह पूछना चाहता हूं कि वे इतने वर्षों तक 200 रु० प्रति माह पर कैसे निर्वाह करते रहे ? (व्यवधान) यह हाल ही की बात है। जैसा कि मैंने कहा मैं उस सब का प्रयोग नहीं करना चाहता जो मैंने उनके साथ जिरह में मालूम किया परन्तु इस पर मैं कुछ आश्चर्य तथा उनके जैसा आधुनिकतम व्यक्ति अब तक भी 200 रु० प्रति माह पर कैसे रहा ? मैंने उनसे पूछा "आपने खाया कहां ?" और उन्होंने कहा "मैंने अपने कार्यालय में अपनी मेज पर खाया", मैंने उनसे पूछा "आप कहां सोये ?" और उन्होंने कहा "अपनी कार्यालय की मेज पर" और जिस व्यक्ति ने मुझे लगाया था उन्होंने उनकी तेज काम प्रवृत्ति के विषय में उचित आदर के साथ बताया था। मैंने आगे जिरह नहीं की अथवा उनसे यह नही पूछा कि उन्होंने अपनी काम-प्रवृत्ति का प्रयोग कहां किया; मैंने आगे पूछना नहीं चाहा (व्यवधान) और यहीं पर रुक गया।

एक माननीय सदस्य : यह उचित नहीं है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : हां।

इस प्रकार के भड़कीले तर्क हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जायेंगे। इस विधेयक में इसकी विस्तार की दृष्टि से गल्तियां हैं, मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी—मैं उनसे अधिक उनके पिता जी को जानता हूं– ने कहा है—"इस विधेयक को देखिये; बिना वारन्ट के गिरफ्तारी; छः महीने की जेल"। मैं नहीं समझता कि उन्हें फौजदारी कानून के विषय में अधिक जानकारी है। अन्यथा उनको यह पता होता कि फौजदारी कानून के अन्तर्गत कोई भी अपराध जिसके लिए दो वर्ष की सजा हो सकती है व उसमें संक्षिप्त विचारण हो सकता है···

एक माननीय सदस्य : यह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है परन्तु दूसरी शक्ति तो प्राप्त है। उनके तर्क देने का अर्थ यह है कि उन लोगों को छः महीने तक की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उनको दो वर्ष तक की सजा दी जानी चाहिए ताकि उनके सम्बन्ध में वारन्ट की प्रक्रिया की जा सके। उनका कहने का तात्पर्य यही था···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जावदपुर) : फौजदारी वकील स्वयं अपराधी बन जाते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरे मित्र भी किसी यूनियन के नेता की महानता की बराबरी करने की चेष्टा कर रहे थे। (व्यवधान) मैं किसी पर प्रहार नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उत्तर दे रहा हूं।

श्री स्टीफन कुछ आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में बोल रहे थे। उनको पारिभाषित किया गया है – डाक-तार, रेल, हवाई अड्डे इत्यादि। परन्तु जो बातें छूट गयी हैं वह ये हैं कि ये केवल आवश्यक ही नहीं–श्री स्टीफन 'समाज के लिए आवश्यक' को रेखांकित करते गये। मैं उस स्थिति के संदर्भ में बोल रहा हूं जो कि देश के सामने है। इन सेवाओं में से बहुत सी सेवायें न केवल समाज के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम कौन से विषय पर बोल रहे हैं। हमें ज्ञात है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का तीन चौथाई भाग सरकारी क्षेत्र में आता है। हमें यह भी ज्ञात है कि सरकारी क्षेत्र में जो कि संगठित क्षेत्र के तीन चौथाई भाग का प्रतिनिधित्व करता है, असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों से अधिक अच्छा वेतन मिलता है। फिर भी हम देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। यह सरकारी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में बरबादी फैलाने के लिए एक न्योता है। किसी ने इसका उल्लेख भी किया है।··· (व्यवधान)

मैं यह कहना भूल गया हूं कि आपको अभी सीखना है–अभी भी बहुत अधिक।

मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि श्री एच० के० एल० भगत ने ही इस तथ्य का उल्लेख किया था कि बहुत से सरकारी उपक्रमों ने 77 दिन की हड़ताल की है। उन्होंने इनका नाम नहीं लिया है। हिन्दुस्तान ओटोमोटिक्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत इलैक्ट्रोनिक्स आदि सभी गम्भीर रूप से सुरक्षा उत्पादन में लगे हुए हैं। 77 दिन तक और 125,000 आदमियों ने हड़ताल की और देश को 200 करोड़ रु० का नुकसान··· (व्यवधान) मुझे खेद है मैंने सारांश में जो कुछ कहा है वह शायद मेरे साथी से कहीं अच्छा था। वे किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? जैसा कि मैंने इसको समझा है···(व्यवधान) मैं अपनी फाइलों को अपने मित्र की अपेक्षा अधिक दिनों तक रखता हूं। वे भारत हैवी इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से समता करने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने इसको ऐसे ही समझा है। महोदय, यह बी० एच० ई० एल० न केवल उच्च वेतन वाला द्वीप है बल्कि अत्यधिक उच्च वेतन वाला उपक्रम है ··

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे किस आधार पर प्राप्त कर रहे हैं? यह एक समझौते के आधार पर था।

श्री फ्रैंक एन्थनी : महोदय, क्या हम यह चलती फिरती टिप्पणी करते रहेंगे? महोदय, वे बी० एच० ई० एल०, अत्यधिक उच्च वेतन देने वाला उपक्रम से समता करने के लिए कह रहे थे। और मेरे मित्र क्या कर रहे हैं? वे इस अत्यधिक उच्च वेतन वाले उपक्रम के श्रमिकों का पक्ष ले रहे हैं। जीवन बीमा निगम को ही लीजिए। मैंने उनके विषय में दूसरा लेख पढ़ा है। उनके सहायक भारत सरकार के संयुक्त सचिवों से भी अधिक वेतन ले रहे हैं। इस पर भी वे बार-बार हड़ताल करना चाहते हैं और किसी ने कहा है और मैं भी समझता हूं कि श्री स्टीफन ने आंकड़े पढ़े हैं और उन्होंने बताया है कि कितनी हिंसा हो रही है क्योंकि

अधिकतर संघों के नेता या तो बेरोजगार लोग हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सकता और उनकी जीविका केवल लोगों को गुमराह करने की ही है। मुझे याद है कि जब तक कोयला खानों को सरकार ने नहीं लिया था तब तक कई कोयला खान मालिकों से मिला था। मैंने उनसे पूछा था कि आप प्रबन्ध कैसे कर रहे हैं वे प्रबन्धक थे। उन्होंने कहा हमें कोई मुश्किल नहीं है अधिकतर युनियन नेताओं को हम कारें देते हैं। हम उनको सभी प्रकार के भत्ते देते हैं और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं। अतः हमें कोई कठिनाई नहीं है। महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सरलता से खरीदा जा सकता है। और वे एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं और उनका एक मात्र कार्य प्रत्येक आन्दोलन में कूद पड़ना है।

पूर्वी कोयला क्षेत्रों में क्या हुआ। मेरे पास दिनांक 31-7-81 के स्टेट्स मैन की कतरन है। क्योंकि श्रमिकों को अपने अधिकारियों को पीटने के लिए प्रोत्साहित किया गया था अतः 10 कोयला खानों को बन्द करना पड़ा। और हानि कितनी हुई ? 3500 टन सबसे अच्छे कोयले की प्रतिदिन हानि हुई क्योंकि इन यूनियन नेताओं ने श्रमिकों को अपने अधिकारियों को पीटने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे इस प्रकार के काम कर रहे हैं। आज हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए ··(व्यवधान) इस प्रकार के छुद्र साजिशों से मैं चुप नहीं होने वाला हूं। उनके नेता ने भी यही कहा था कि आप देखिए 1974 में क्या हुआ था और 1975 में क्या हुआ था। 1975 में जो हुआ वह आपने देखा। आपको निकाल बाहर किया गया। और इसी प्रकार आपको दुबारा बाहर निकाल बाहर किया गया···(व्यवधान) श्री चटर्जी मेरे–दर्जे का प्रतिनिधि बनने के लिए आपको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। मैं एक पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं एक पूरे समुदाय का नेतृत्व करता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : वह ससद के पूर्णकालिक सदस्य हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं जो कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है···(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे इसका भी उत्तर देना है ?···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको फालतू की बातों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उनको यहां की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : महोदय, मैं उनके नेता का जिक्र कर रहा था···

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 349 की ओर आकर्षित करता हूं। इन माननीय सदस्य को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जब सदन में भाषण दिया जा रहा हो तो किसी सदस्य को बीच में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य को जो एक वरिष्ठ सदस्य तथा सभापति भी हैं ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एंथनी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। श्री पुजारी, जब श्री चटर्जी वहां बैठे होते हैं तो एक संसद सदस्य होते हैं। जब वे यहां होते हैं तभी वे सभापति होते हैं।

आप एक संसद सदस्य हैं और आपको सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार उपलब्ध हैं।

श्री एंथनी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं यह कह रहा था कि उनके दल के एक बड़े नेता ने यह कहा है कि जो आपने 1975 में किया उसका आपको 1977 में दंड भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बात के लिये कोई तर्क नहीं दिया। 1979 में क्या हुआ ? उन्हीं लोगों के हाथ में पुनः सत्ता आ गई। और जो आलोचना की गई हैं यह उनमें से एक है; मैं यही बात गृह मंत्री महोदय के विरुद्ध कहने वाला हूं। उन्हें पुनः सत्ता इसलिये दी गई क्योंकि जनता ने यह माना कि $2\frac{1}{2}$ अथवा $2\frac{3}{4}$ वर्ष की अवधि के दौरान सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी अतः उन्हें एक सशक्त और स्थायी सरकार की आवश्यकता थी इसलिये ही कांग्रेस (इ०) पार्टी के हाथों में पुनः सत्ता सौंपी गई।

इसका कारण यह भी था कि इस सरकार ने आपात स्थिति के दौरान उत्पादन में वृद्धि की और पहले से कहीं अधिक अनुशासन और कानून और व्यवस्था की स्थापना की; इसीलिये इस सरकार को पुनः सत्ता सौंपी गई। आज की परिस्थितियां क्या हैं ? हम इस विधेयक पर शून्य में बहस नहीं कर सकते; यह एक अस्थायी उपाय है। आज क्या हो रहा है ? आज इस देश को पाकिस्तान से आक्रमण का खतरा बना हुआ है, मेरा विश्वास है कि यह आक्रमण शीघ्र ही होगा क्योंकि रीगन प्रशासन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है और इस समय एक सिद्धान्तहीन और क्रूर सैनिक प्रशासक के अधीन होने के कारण पाकिस्तान हम पर आक्रमण करेगा और अमरीकी हथियारों का प्रयोग हमारे विरुद्ध करेंगे। आज हम इस खतरे की सम्भावना का सामना कर रहे हैं।

इस संदर्भ में क्या हमें सरकारी उपक्रमों से, जिनकी सेवाएं इस देश की रक्षा के लिये अनिवार्य हैं, कहना चाहिये कि उन्हें हड़ताल करने का अधिकार दिया जाये ? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकता। जैसा कि श्री स्टीफन ने कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई व्यापक प्रतिबन्ध नहीं है तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें आवश्यक सेवाओं के क्षेत्र का पता लगाना होगा। किन्तु श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा कही गई बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने खंड 2(XV) तथा 2(XVII) के केवल कुछ अंशों को पढ़ा है और कहा है हम चाय वालों को भी आवश्यक सेवाओं में जोड़ दें। यह सही नहीं है। आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में शर्त यह है कि वह सेवा राष्ट्र तथा उसकी जनता के लिये आवश्यक हो। चाय वितरण को राष्ट्र के जीवन में आवश्यक सेवा नहीं माना जा सकता। अतः मैं यह कह रहा था कि आपको आवश्यक सेवाओं को निश्चित करके उनमें हड़तालों पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था। इस समय हड़तालों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब स्थिति यह है कि जब सरकार इस बात की घोषणा करती है कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना लोकहित में है, तभी हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगता है। मेरे मित्र किस बात के लिये तर्क दे रहे हैं ? पाकिस्तान से सम्भावित खतरे के सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम मुद्रा स्फीति का भी सामना कर रहे हैं जिससे सरकार की स्थिति नाजुक हो जाती है। मुद्रा स्फीति केवल इसी देश में नहीं है यह समूचे विश्व में बनी हुई है। दुर्भाग्यवश, दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र कुछ भी कहें सरकार ने उस आर्थिक समस्या को नियन्त्रण में लाने का

प्रयास किया है जिसे भूतपूर्व सरकार ने उत्पन्न किया था। आपने अर्थ-व्यवस्था में आधारभूत ढांचे में आये सुधार को नोटिस किया होगा। इस सम्बन्ध में मेरे पास ताजा आंकड़े हैं। ऊर्जा उत्पादन में 17% की वृद्धि हुई है और 1140 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है—इस्पात के उत्पादन की तो भरमार है, लोग इस बात को भूल जाते हैं।

मैं मुद्रा स्फीति की बात भी करने वाला हूं, इसने सभी की कमर तोड़ दी है, इसका प्रभाव न केवल आम आदमी और श्रमिक वर्ग पर पड़ा है अपितु मध्य, उच्च मध्य और उच्च वर्गों पर भी पड़ा है। मुद्रा-स्फीति में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण तेल तथा तेल उत्पादों के मूल्यों में हुई बार-बार वृद्धि है। मुद्रा स्फीति में 40 प्रतिशत वृद्धि का कारण तेल तथा तेल उत्पादों में बार-बार होने वाली मूल्य वृद्धि है।

महोदय, मैं लन्दन की एक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख पढ़ रहा था जिसमें एक अर्थ-शास्त्री ने कहा है कि भारत ने तेल, डीजल आदि के उपभोक्ताओं पर पर्याप्त मूल्यभार नहीं डाला है। मैं इस बात से भले ही सहमत न होऊं किन्तु कम से कम सरकार को मूल्य-वृद्धि इसलिये करनी पड़ी क्योंकि हम तेल की खोज के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं? मुझे आशा है कि अगले पांच वर्षों में हम तेल में लगभग आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी स्पष्ट है। पाकिस्तान से आक्रमण होने का खतरा है। मुद्रा स्फीति की जटिल समस्या का सामना कैसे करना होगा? इसके लिये हमें मांग के अनुसार उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। उनके पास दूसरा विकल्प क्या है? मैंने यह कहा है कि लोक हित में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात् सरकार ने काफी नरमी बरती है। उन्होंने कहा है कि दंड सम्बन्धी उपबन्ध, श्री चटर्जी ने जिन्हें गिरफ्तारी उपबन्ध कहा है, लागू होंगे। अब आप देखें कि गैर कांग्रेस सरकार की 2½ वर्ष की अवधि के दौरान क्या हुआ? इस अवधि के दौरान मानव दिवसों की अन्धाधुन्ध हानि हुई। मेरा विचार है कि श्री भगत ने इसका उल्लेख करने का प्रयास किया है। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। 1979 में 440 लाख मानव दिवसों की हानि हुई, क्योंकि उस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी क्योंकि उस समय लगभग पागल सरकार देश को चला रही थी जिसके परिणामस्वरूप 440 लाख मानव दिवसों की हानि हुई।

महोदय, मैंने एक प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्री का लेख पढ़ा है जिसमें उसने कहा है कि यदि आप जनता सरकार की अवधि के दौरान जबकि शासन नाम की कोई चीज नहीं थी, उत्पन्न असंयमी स्तर पर नियन्त्रण पा सकें तो आप अपने उत्पादन में 500 से 600 करोड़ की वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यदि आप ऊर्जा, डीजल और इस्पात में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकें तो आप अपने उत्पादन में आगे 2000 से 3000 करोड़ की वृद्धि कर सकते हैं और सरकार बिल्कुल यही करने का प्रयास कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण पूरा करें।

श्री फ्रैंक एन्थनी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी कई बातें कहनी हैं। मैं रेलवे की सबसे पुरानी राष्ट्रीय यूनियन का अध्यक्ष था और मैंने हमेशा उनके हितों का समर्थन किया है। देश में उन्हें सबसे अच्छा वेतन मिलता है। किन्तु एक क्षण के लिये भी मेरा सुझाव यह नहीं है कि आप

उनसे मिलें नहीं अथवा समझौता न करें और उनका उचित देय उन्हें नहीं दें। लोकोमेन को अभी हाल में दी गई सुविधाओं का मैंने सबसे पहले स्वागत किया है।

महोदय, अभी हाल में एक हड़ताल हुई जिसका आह्वान लोकोमेनों की एक गैर-कानूनी यूनियन ने किया था। मुझे खुशी है कि सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। किन्तु मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आपने 3000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मैं स्वयं यह कहना चाहता हूं कि नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों के मामलों पर विचार करें। किन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने लूट-पाट और हिंसात्मक कार्यवाहियों में हिस्सा लिया है उन्हें नौकरी में वापस नहीं लिया जाना चाहिये। कांग्रेस (इ०) सरकार के विरुद्ध मेरी यह शिकायत है कि सरकार ने उन हड़ताली लोगों को भी नौकरी पर वापस ले लिया है जोकि अराजकतावादी थे और जिनका उद्देश्य हड़ताल के दौरान सरकार और देश को अपंग बनाना था। मैं 1974 की हड़ताल का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री फ्रैंक एंथनी : अब मैं हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आप हड़तालों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं, इसके साथ शर्त है। आप आवश्यक सेवाओं में लोकहित में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। देश जिन परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा है उसमें ऐसा करना सरकार का पहला कर्त्तव्य है। किन्तु सरकार के विरुद्ध मेरी शिकायत यह है और मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय मेरी बात को सुनें। आप आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में तीव्र गति से बढ़ने वाली मुद्रा स्फीति के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मैं यह नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र यह बात उन तक पहुंचायेंगे अथवा नहीं। नागरिक पूर्ति मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? यदि वे मेरी बात सुन रहे हों तो मैं यह चाहता हूं कि वे उसका उत्तर दें। आप आवश्यक वस्तुओं की तीव्रता से बढ़ती कीमतों पर नियन्त्रण पाने के लिये क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे है? वास्तव में हर रोज आप वेतन के मूल्य में कमी करते जा रहे हैं। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि "आप बड़े व्यस्त रहते हैं और आपको केवल मामलों की पैरवी करने में ही रुचि रहती है। किन्तु यह लोग रोज मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं।" प्रत्येक व्यक्ति मांस नहीं खा सकता। मेरा तो कुत्ता भी मांस खाता है। अतः मुझे दो सप्ताहों में एक किलो मांस के 20 रुपये देने पड़ते हैं। मछली के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है उसका दाम 18 रुपये से बढ़कर 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। आम आदमी सब्जी का सेवन करते हैं भिंडी जैसी सब्जी का मूल्य 8 अथवा 7 रुपये प्रति किलो है; टमाटर का मूल्य 8 रुपये प्रति किलो है; दाल—गरीब से गरीब भी दाल रोटी खा लेता था अब दाल 7 रुपये किलो है और जब मेरे नौकर—सौभाग्य से मेरी पत्नी उन्हें 10 अथवा 12 रुपये दे सकती हैं जाकर कहते हैं कि गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि आप 7 रुपये किलो चीनी खरीद सकते हैं, उत्तर यह होता है कि गृह मंत्री महोदय से जाकर चीनी खरीदिये। मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं। अब आप क्या कर रहे हैं? हमने अभी हाल में आपको आवश्यक वस्तुओं के बारे में नजरबन्द करने का अधिकार दिया? आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, बस यह पूछ रहा हूं कि आपने क्यों कुछ

नहीं किया ? आपातस्थिति के दौरान आपने उन लोगों को नजरबन्द किया था । अब भी आपके पास वही अधिकार है । जैसा कि मैंने अभी हाल में कहा है कि यदि आप दिल्ली के हजारों निर्वाचकों को और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नजरबन्द रखें तो आप पायेंगे कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एक ही रात में कम हो जायेंगे । आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह अपंग हो गई लती है । आप इस सम्बन्ध में कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं ? यह मेरी सबसे बड़ी शिकायत है । मुझे थोक सूचकांक मूल्यों के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं है क्योंकि इससे जनता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है और इस बेतहाशा वृद्धि से जनता पर प्रभाव पड़ता है । (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि किसी ने यह कहा है कि आपने हड़ताल करने के मौलिक अधिकार को छीन लिया है । मेरे विचार से श्री चटर्जी ने यह बात नहीं कही होगी क्योंकि वे संवैधानिक कानून के बारे में थोड़ा-बहुत जानते हैं । जहां तक हड़ताल करने के बारे में मौलिक अधिकार का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है, "हां आपको अनुच्छेद 19(क) और (ख) के अन्तर्गत प्रदर्शन करने का अधिकार है ।" किन्तु निश्चय ही आपको हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । हड़ताल करने का कहीं कोई मौलिक अधिकार नहीं है । वे लोग अधिक पढ़ते लिखते नहीं हैं अतः उन्हें सही जानकारी नहीं है; वे केवल जोश का प्रदर्शन करते हैं । वास्तव में उन्होंने स्वयं अपने श्रमिकों को नुकसान पहुंचाया है । मैं उनमें से एक हूं जो मौलिक अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को निकाल देने के विरुद्ध थे । प्रत्येक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में सम्पत्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिये । आज अपने सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल दिया है । कल यदि वामपंथी सरकार आती है तो यदि आपकी कोई बचत है तो वे उसे भी हड़प जायेंगी । हो सकता है कि मेरे पास आपसे कुछ अधिक हो, वे उसे छीन लेंगे । वे पेंशन को भी छीन लेंगे । वे मजदूरी को आधा कर देंगे, क्योंकि संविधान में मजदूरी, बचत और वेतन को, जिसके संबंध में मेरे मित्र इतना अधिक बोल रहे हैं, कोई संरक्षण नहीं दिया गया है । इसी प्रकार सम्पत्ति को भी मूलभूत अधिकारों में से निकालने पर वे अवश्य ही बहुत कुछ बोलें होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सभी धाराओं के सभी मुद्दों को लिया है ।

श्री फ्रंक एन्थनी : मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं । जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, आजकल के मजदूर संघवाद में मजदूर यूनियन नेताओं में प्रतिस्पर्द्धा है । इस प्रतिस्पर्द्धा के कारण उग्र मांगें रखी जा रही हैं । मजदूर संघवाद में न केवल अव्यवस्था है बल्कि अराजकता भी है । कुछ मजदूर यूनियन नेता ऐसे भी हैं जो मूलतः अराजकतावादी हैं, जो सरकार को अपंग बना सकने की अपनी क्षमता की शेखी बघारते हैं । वे यदि सरकार को पंगु बनाते हैं तो यह देश को पंगु बनाना होगा और यदि देश पंगु बनता है तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पंगु हो जाएगी । और यदि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पंगु हुई तो इससे देश नष्ट हो जाएगा ।

सदस्यों की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री ए० यू० आजमी की गिरफ्तारी के बारे में एक घोषणा करनी है।

मुझे सभा को सूचित करना है कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष, लोक सभा के नाम दिनांक 14 सितम्बर, 1981 का एक वायरलैस संदेश प्राप्त हुआ है :–

"श्री ए० यू० आजमी, संसद सदस्य को पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत जौनपुर में 14 सितम्बर, 1981 को 12-30 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया है और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत उसी दिन 13-40 म० प० पर डिस्ट्रिक्ट जेल, जौनपुर में भेज दिया गया है।"

मुझे श्री बी० डी० सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में एक और घोषणा भी करनी है।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि सुपरिन्टेन्डैंट, सैन्ट्रल जेल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष, लोक सभा के नाम दिनांक 14 सितम्बर, 1981 का एक वायरलैस संदेश प्राप्त हुआ है :—

"श्री बी० डी० सिंह संसद सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 14 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किया गया है और सैन्ट्रल जेल में रखा गया है।"

———

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को ज्ञात है कि आज लगभग 11-40 बजे म० पू० एक दर्शक ने, जिसने अपना नाम दूधेश्वर राय, पिता का नाम श्री ब्रह्म देव, बताया था, दर्शक दीर्घा से सदन में कुछ कागजात फैंके और नारे लगाए। वाच एंड वार्ड अधिकारी ने उसे तुरन्त हिरासत में लिया और पूछताछ की। दर्शक ने एक बयान दिया है और अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त किया है।

मैं यह घटना सभा के ध्यान में लाता हूं ताकि वह जो कार्यवाही उचित समझे करे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : आज मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के कुछ सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। उसकी सूचना सभा को नहीं दी गई है। यह इस सभा के विशेषाधिकार का हनन है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले इस मद को पूरा करने दीजिए।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वह सदन संकल्प करता है कि वह व्यक्ति जिसने अपना नाम दूधेश्वर राय, और अपने पिता का नाम श्री ब्रह्म देव, बताया है और जिसने आज लगभग 11-40 बजे म० पू० पर दर्शक गैलरी से कुछ कागजात फैंके और नारे लगाए और जिसे वाच एंड वार्ड आफिसर ने तुरन्त हिरासत में लिया, उसने एक घोर अपराध किया है और वह सदन के अवमान के लिए दोषी है।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसे प्रवेश-पत्र किसने दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह हम बाद में देखेंगे। प्रश्न यह है :—

"कि यह सदन संकल्प करता है कि वह व्यक्ति जिसने अपना नाम दूधेश्वर राय, और अपने पिता का नाम श्री ब्रह्म देव, बताया है और जिसने आज लगभग 11-40 बजे म० पू० पर दर्शक गैलरी में कुछ कागजात फैंके और नारे लगाए और जिसे वाच एंड वार्ड आफिसर ने तुरन्त हिरासत में लिया, उसने एक घोर अपराध किया है और वह इस सदन के अवमान के लिए दोषी है।"

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आवश्यक सेवा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत तथा आवश्यक सेवा विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं किसी अन्य सदस्य से बोलने के लिए कहूं मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री को उत्तर देने के लिए 4 बजे म. प. बुलाना चाहता हूं। तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी अपने द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

तत्पश्चात् सांविधिक संकल्प, विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधनों तथा विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाएगा।

मैं अब श्री इद्रजीत गुप्त को बोलने के लिए बुलाता हूं। मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया है कि उनकी आज विपक्ष के साथ बैठक भी है। (व्यवधान) अब श्री इद्रजीत गुप्त। मैं आप सबको बुलाऊंगा। आप सबको समय दिया गया है। हम आपको अनुमति देंगे। अब आपके दलों के केवल नेता बोल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समय के आवंटन में कुछ सन्तुलन होना चाहिए। श्री स्टीफन ने लगभग एक घंटा ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : वह समय कांग्रेस (आई) को आवंटित किया गया था। जब हमने आरम्भ किया उस पार्टी के लिए एक घंटा 37 मिनट थे। वे उसी समय में से बोले थे। उन्होंने आपका समय नहीं लिया। (व्यवधान) आपकी पार्टी को छः मिनट का समय मिला है। प्रत्येक पार्टी को समय दिया जाता है। यह क्रिया विधि है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहाट) पुरःस्थापना के समय मैंने जो कुछ कहा था मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उनमें से कई मुद्दे अन्य भाषाणों में आ गए हैं। मैं उन प्रश्नों के बारे में चिन्तित हूं जो अधर में लटके हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है। मैं उन्हें पुनः उठाने के लिए तैयार हूं परन्तु मुझे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उनका कोई उत्तर दिया जाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा या तटस्थ। सरकार उन प्रश्नों से बड़ी सावधानी और सतर्कता से बच रही है और इसी कारण इस सरकार के इरादों पर सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। मैं उसी साधारण से प्रश्न से आरम्भ करता हूं जो मैंने पहले पूछा था। मुझे हैरानी है कि किसी ने उसका उत्तर देने का कष्ट भी नहीं किया। उनके दिल में इस सदन के प्रति कैसा सम्मान है, मैं नहीं जानता।

गृह मंत्रालय ने "अध्यक्ष के निदेश 19 (ख) के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके अनुसार आवश्यक सेवा विधेयक पहले क्यों पुरःस्थापित नहीं किया गया इसके कारणों संबंधी ज्ञापन" शीर्षक के अन्तर्गत एक दस्तावेज परिचालित किया था। मैंने इसका उल्लेख पुरःस्थापित करने के समय किया था कि विलम्ब का कारण यह था कि इस विधेयक के साथ-साथ श्रमिकों की सही शिकायतों को दूर करने के प्रश्न के संबंध में सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाने वाली नीति सम्बन्धी विवरण को भी अन्तिम रूप दिया जाना था। सच्चे प्रयासों के बावजूद विधेयक और नीति सम्बन्धी विवरण को 7 सितम्बर से पूर्व अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इससे कोई भी व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अब 7 सितम्बर तक विधेयक और वायदे अनुसार यह नीति सम्बन्धी विवरण पूरा कर लिया गया है। मैंने उस दिन पूछा कि वह नीति सम्बन्धी विवरण कहां है? निस्सन्देह, यह विधेयक नहीं है। इसे कोई कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सरकार इससे अगले दिन मुकर सकती है। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का मानदण्ड है कि लोक सभा अध्यक्ष को संबोधित प्रलेख परिचालित किया जाता है जिसमें विलम्ब का मुख्य कारण यह दिया जाता है और अब हमारे सम्मुख यह विधेयक रख दिया गया है। वह नीति सम्बन्धी विवरण कहां है क्योंकि इसमें कहा गया है कि "श्रमिकों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के प्रश्न पर नीति सम्बन्धी विवरण"। अतः अब यह विचार किया जाता है कि श्रमिकों की वास्तविक शिकायतें मौजूद हैं और मौजूद हो सकती हैं और यह भी स्वीकार किया जाता है कि उन शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में कोई नीति अवश्य होनी चाहिए। अब गृह मंत्री को बिलकुल बिना सोचे समझे इस प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार नहीं करना चाहिए।

और मैं नहीं चाहता कि वे अब फाइल लाकर इस सभा को दिखा दें। यह कहां था? वह परिचालित क्यों नहीं किया गया है? यह अब तक सदस्यों के पास क्यों नहीं पहुंचा? यह एक असाधारण चीज थी। इसका कोई उत्तर नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने जनता पार्टी की सरकार द्वारा रखे गए विधेयक के उन उपबन्धों पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है जिनमें श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के तंत्र का भी प्रावधान था। निस्संदेह, हमने उस विधेयक का भी कभी समर्थन नहीं किया था, क्योंकि हमारे मत में उसमें भी कई बुरी बातें थीं। परन्तु इसमें एक असाधारण चीज है। कोई भी किसी को यह बताने को तैयार नहीं कि वे शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं। फिर भी मैं इस वक्त इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि जब उन्होंने निष्ठापूर्वक सभा और अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि वे नीति सम्बन्धी विवरण तैयार करने में व्यस्त हैं और आपको इसी कारण विलम्ब हो गया है और अब बिल्कुल मौन रखकर क्षमा याचना या खेद या स्पष्टीकरण का एक भी शब्द कहे बिना नीति सम्बन्धी विवरण नहीं रखा है। मैं सोचता हूं कि सभा का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। दूसरे, मैं नहीं जानता कि श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी नीति विवरण ज्ञानी जी के मंत्रालय में तैयार हो सकता है। वह सम्भवतः कठिन है। वह कहीं और तैयार किया जाता होगा। इन दोनों को समन्वित नहीं किया जा सका होगा।

डाक दण्ड सम्बन्धी विधेयक है। दूसरा विधेयक कार्मिकों की शिकायतों से सम्बन्धित है। मै जानना चाहता हूं कि आप इन दोनों में कैसे तालमेल बनाएंगे?

श्रीमान, मैं उन एक-दो-एक बातों को लेना चाहता हूं जिनका दूसरे पक्ष के सदस्यों की ओर से उल्लेख किया गया था। मंत्री महोदय ने कहा कि यदि हम इस पक्ष के सदस्य कार्मिकों के हितों के प्रति ईमानदार हैं तो हम सबको मिलकर एक संघ बनाना चाहिए। कार्मिकों को विभाजित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें उत्तेजित करके विभिन्न संगठनों में अशान्ति फैलाना सरल है। उन्होंने कहा कि यदि आप सच्चे हैं तो आपको केवल संघ बनाने की बात मान लेनी चाहिए। इन बातों के बारे में मेरा उत्तर यह है कि वह इस देश के श्रमिक संगठन आंदोलन के इतिहास का कुछ अध्ययन करें। श्री स्टीफन ने इसका भिन्न प्रकार से उल्लेख किया है। उनका कहना है कि 1947 तक इस देश में केवल एक श्रमिक संगठन था। केवल एक ही। उसका नाम अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस था तथा विभिन्न राजनीतिक विचार-धारा वाले व्यक्ति केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन यानि ए० आई० टी० यू० सी० के अन्तर्गत कार्य करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस संगठन को किसने छिन्न-भिन्न करने की चेष्टा की, उस संगठन को किसने विभाजित किया तथा बहुत से अलग-अलग संगठन बनाये, जिनकी कि ले आज निन्दा कर रहे हैं? 1947 में जब ये लोग पहली बार सत्ता में आये तो उन्होंने पहली कार्यवाही यह की कि सरदार बल्लभ भाई पटेल तथा श्री गुलजारी लाल नन्दा के नेतृत्व वाली (ए० आई० टी० यू० सी०) में सम्मिलित सभी कांग्रेसजनों को उससे अपना नाता तोड़ने और विशुद्ध राजनीतिक आधार पर पृथक संगठन बनाने को कहा गया। आज जो हालात हैं हम उनकी निन्दा करते हैं। सभी श्रमिक संगठन जिसकी निंदा करेंगे। आज बहुत से अलग-अलग संगठन बन गए हैं। इससे कार्मिक वर्ग को शक्ति नहीं मिलती अपितु इससे उनकी शक्ति का ह्रास होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है और मैं चाहता हूं कि वह

दिन फिर आये कि हम एक हो सकें। परन्तु यह विभाजन किसने शुरू किया ? अपने दिल पर हाथ रखकर सही स्थिति सभा को बतायें।

फिर मेरे मित्र श्री भगत ने शायद कल एक तर्कयुक्त तथा प्रभावी भाषण दिया था। स्पष्टतः वह इस विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्न न थे। उन्होंने कहा कि कम से कम प्रबन्ध में कार्मिकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कार्मिक यह अनुभव कर सके कि उनकी भी कुछ वचनबद्धता है। काफी समय से प्रबन्ध में कार्मिकों के प्रतिनिधित्व की बात चल रही है, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मैंने श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित दर्जनों सम्मेलनों में भाग लिया जिनमें हमें बताया गया था कि प्रबन्ध में कार्मिकों की भागीदारी शुरू की जा रही है। आपकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री भगत ने भी आज शिकायत की थी कि इस बारे में कुछ नहीं किया गया। आप केवल डण्डे का प्रयोग कर रहे हैं। आपको और कुछ नहीं सूझता। आप कहते हैं कि साम्यवादी देशों में हड़ताल का अधिकार क्यों नहीं है ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि साम्यवादी देशों में हड़ताल पर कोई रोक नहीं है।

पोलैंड में कार्मिक छः महीने से हड़ताल पर थे। न तो उन पर दबाव डाला गया और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके लिए किसी को भी दण्ड नहीं दिया गया। और हमारे यहां अभी कुछ दिन पूर्व श्री वेंकटरामन मूल्यों की स्थिति पर बोल रहे थे। श्री वेंकटरामन ने कहा था···(व्यवधान) आपने पोलैंड का मामला उठाया है अतः मुझे पहले उसके साथ निपटना है ··

कुछ ही दिन पूर्व मूल्य स्थिति के वाद-विवाद का उत्तर देते समय श्री वेंकटरामन ने बताया, "मुद्रा स्फीति केवल भारत में ही विशेष रूप से नहीं है अपितु यह विश्व के सभी देशों में व्याप्त है।" फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं," कुछ देश ऐसे हैं जिनमें बाजारों पर नियंत्रण होता है, वहां पर कोई मुद्रास्फीति नहीं है।" मुख्य बात यही है। जहां पर भिन्न प्रणाली जारी है वहां पर कोई मुद्रास्फीति नहीं है, कोई चोर-बाजारी नहीं है, कोई वायदा बाजार नहीं है। इसलिए लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। श्री शंकरानन्द सहित जो कि मेरे साथ ऐसे दो देशों को गये थे, सैंकड़ों लोगों ने उन देशों की यात्रा की है। वह इसे भली प्रकार जानते हैं। फैक्ट्रियों में तालाबन्दी करने तथा कर्मचारियों को पदच्युत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसी प्रणाली में जहां कि एक भी कर्मचारी को प्रबन्धकों द्वारा बिना श्रमिक संगठन के अनुमोदन के पदच्युत नहीं किया जाता वहां हड़तालें किस लिए होंगीं ? जब तक संगठन स्वीकार नहीं करता किसी भी कार्मिक को हटाया नहीं जा सकता। वहां की प्रणाली भिन्न है। हमारे यहां वह प्रणाली नहीं है। बात यह है कि वहां पर हड़तालों के लिए कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कभी-कभी भूल से ऐसा हो जाता है जैसा कि पोलैंड में हुआ। पोलैंड की सरकार तथा नेतृत्व ने भारी भूलें कीं। इसे इन्होंने स्वीकार किया है। ये बातें प्रकट हो चुकी हैं तथा इन पर चर्चा की जा चुकी है। उसके परिणामस्वरूप वहां पर कुछ अशान्ति रही थी। श्री स्टीफन ने हमें चुनौती दी थी कि उस पर हमारा क्या रवैया है। मैं अपना रवैया बता रहा हूं। हम समझते हैं कि सरकार तथा पार्टी की भूलों के कारण कार्मिकों की वास्तविक शिकायतें हैं, उन्होंने

विरोध के मार्ग को अपनाया जिसमें हड़ताल भी सम्मिलित है। परन्तु आज कठिनाई यह है कि बहुत सी रियायतों के बाद, बहुत से समझौतों के बाद कुछ अन्य व्यक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गये हैं तथा वे उसे भिन्न दिशा में ले जा रहे हैं। इसका कार्मिकों की मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स्टीफन ने कहा कि जहां तक अनिवार्य सेवाओं का संबंध है समाज के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। परन्तु यह कभी भी कहा जा सकता है। यह पहले भी कहा जा सकता था। जिस प्रश्न का आज उत्तर नहीं दिया जा रहा है वह यह है कि इस समय यानि संसद की बैठक होने से तीन सप्ताह पूर्व सहसा ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई कि आपको आवश्यक सेवाओं को हड़तालों से बचाने की आवश्यकता पड़ गई? क्या अध्यादेश जारी होने से पूर्व आपको इसकी चिंता नहीं थी तथा सहसा आपको यह बात सूझी और आप यह अध्यादेश लाए जैसा कि मैंने उस दिन उद्धृत किया था उद्देश्यों और कारणों का कथन इन शब्दों के साथ शुरू होता है :—

> "कुछ ऐसी अशांत प्रवृत्तियां हैं जो अनिवार्य सेवाओं को बनाये रखने पर प्रभाव डाल सकती हैं।"

मैंने उन प्रवृत्तियों की परिभाषित करने की मांग की थी। कृपया हमें बतायें कि वे क्या हैं। परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मैं देखता हूं कि इसका अन्य सदस्यों द्वारा भी उल्लेख किया गया है—शिमला श्रमिक ब्यूरो, जो कि श्रम मंत्रालय के अधीन है—द्वारा दिए गये आंकड़ों के अनुसार आपने यह कार्यवाही उस समय की जब हड़तालें कम हो रही थीं। 1979 तथा 1980 के आंकड़ों से पता चलता है कि 1979 में 438.4 लाख श्रमिक दिवसों की हानि हुई जबकि 1980 में केवल 129·1 लाख जन दिवसों की हानि हुई। यदि आप आंकड़ों की प्रवृत्ति को देखें तो 1979 में हड़तालों से श्रमिक दिवसों की हानि 82% थी, जोकि 1980 में 54% रह गई। परन्तु तालाबंदी से श्रमिक दिवसों की हानि जो 1979 में 18% थी, 1980 में 54% हो गई। अतः कुल श्रमिक दिवसों की हानि में कमी आई, परन्तु तालाबंदी के मामलों में भारी वृद्धि हुई। हड़तालों में काफी कमी हुई। क्या उसी अशांतिपूर्ण प्रवृत्ति के कारण आपका यह अध्यादेश तथा विधेयक लाना पड़ा? कृपया स्पष्ट करें। हम लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। आपकी कार्यवाही में कुछ तर्क होना चाहिए? तर्क क्या है? इससे मुझे वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ कि उस पक्ष की ओर से दिये गये भाषणों में, विशेषतः गृह मंत्री, श्री स्टीफन तथा मेरे श्रेष्ठ मित्र श्री एन्थनी—जिनको कम से कम इस मामले में मैं उस पक्ष का ही समझता हूं—इनमें से किसी ने प्रसंगवश भी तालाबंदी का उल्लेख नहीं किया। यद्यपि शिमला ब्यूरो द्वारा तैयार आंकड़ों से पता चलता है कि तालाबंदी से अधिक श्रम-दिनों की हानि हुई है और हड़तालों से कम आप हमेशा कार्मिकों, कार्मिकों द्वारा हड़ताल, गैर-जिम्मेदार श्रमिक संगठन, गैर-जिम्मेदार तथा अराजकतावादी श्रमिक नेताओं की बात करते हैं। श्री एन्थनी ने श्रम-दिनों की हानि के बारे में काफी कुछ कहा है। परन्तु ऐसी कार्यवाही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध आप वैसा रोष क्यों नहीं दर्शाते। क्योंकि वे आपके वर्ग के भाई हैं। आप वास्तव में उनके विरूद्ध इसका उपयोग नहीं करना चाहते यह केवल बहानेबाजी है। हम सभी जानते हैं कि यह कैसे हुआ? यह बात मूल अध्या-

देश में भी यह नहीं था। क्योंकि प्रधान मंत्री ने अध्यादेश को बिना पढ़े खुले रूप में वक्तव्य देकर भारी भूल की थी, जिससे आपकी स्थिति सो चनीय हो गई और बाद में आपने यह संशोधन रखा। परन्तु हृदय से आप इसे नहीं चाहते। ज्ञानी जी 1½ वर्ष तक सीमेंट फैक्टरी बंद रखने के लिए डालमिया से नाराज नहीं हैं। उनका कहना है कि यह आवश्यक वस्तु नहीं है तथा यदि डालमिया फैक्टरी बंद रखता है तो इससे उत्पादन की हानि नहीं होती। यदि कार्मिक हड़ताल करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। आप से यही उम्मीद की जाती है; इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यदि वह इससे भिन्न बात करते हैं तो उससे मुझे आश्चर्य होगा।

मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। कपड़ा मिलों को ही लीजिए जोकि जनता के लिए कपड़े का निर्माण करती हैं। पश्चिम बंगाल में एक कपड़ा मिल है जिसका नाम मोहिनी टेक्सटाइल मिल है जोकि पश्चिम बंगाल में सबसे पुरानी मिल है। यह दो वर्ष से बंद पड़ी है। कपड़े का उत्पादन नहीं हो रहा है। कार्मिक भूखे मर रहे हैं। इन दो वर्षों में कुछ कार्मिक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। एक कार्मिक ने आत्म हत्या करली है क्योंकि वह अपने बच्चों का निर्वाह नहीं कर सका। किन्तु आपको इनकी चिन्ता नहीं है।

मैंने इसका पिछले दिन भी जिक्र किया था। कृपया बताइए कि आपने तालाबंदी को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया। आप उत्पादन के अस्तव्यस्त होने तथा उत्पादन के बन्द होने के बारे में बहुत चिंतित हैं। तालाबन्दी के बारे में आप एक भी शब्द शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। इस समय भारत में 22000 कारखाने हैं जोकि बंद पड़े हैं तथा उन्हें रुग्ण घोषित किया गया है। 22000 एकक में अधिकतर लघु उद्योग हैं। केवल 384 बड़े कारखाने हैं जोकि बड़े व्यापार गृहों के हैं। परन्तु इन बंद पड़े एककों पर 2000 करोड़ रुपए के सरकारी धन का दो-तिहाई 384 बड़े एककों पर लगा हुआ है। इन 384 एककों पर जो 2000 रुपए का दो-तिहाई लगा हुआ है तथा जिन्हें उनके नियोजकों ने बन्द कर रखा है उसे देखते हुए किसी न किसी तरह से फिर से चालू किया जाये। परन्तु इन लोगों के बारे में विधेयक के दंड सम्बन्धी भाग की क्या स्थिति है? क्या होगा? और कुछ बोल कर फायदा है? क्या होगा बताइये। क्या लाभ है? उस दिन मैंने आई० एल० ओ० के बारे में पूछा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब देते ही नहीं हैं। आई० एल० ओ० एक चीज है। वहां जेनेवा में बैठती है। बहुत अच्छी अच्छी सिफारिशें देती है, रिकोमेंडेशंज निकालती है, कनवैंशंज निकालती हैं...

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उसको भी ध्यान में रखते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी सरकार भी जेनेवा में जाकर दस्तखत करके आती है, आपके लोग भी दस्तखत करके आते हैं...

श्री जैल सिंह : मैम्बर हैं, जानता हूं। ध्यान में रखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यान में रखते हैं लेकिन काम उलटा करते हैं।

मेरे मित्र श्री एन्थनी ने दुबारा घिसी-पिटी बात, विशेषत: उच्च वेतन वर्ग के व्यक्तिपों के बारे में, कही है। इस सम्बन्ध में सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सभी बातों

के होते हुए 1970-71 से 1979-79 के दौरान वेतनों से मजदूरी का शेयर कम हुआ है तथा वी वेतन भोगी वर्ग की आय बढ़ती गई है। यद्यपि उसमें उच्च वेतन वर्ग तथा निम्न वेतन व सम्मिलित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कम मजदूरी वाले वर्गों के लिए सरकार क्य कर रही है। जब भी हम इन लोगों जैसे पान-बीड़ी वालों, होटल वालों को संगठित कर का यत्न करते हैं—और जो उच्च आय वर्ग में नहीं आते हैं—ताकि यह लोग कम से कम न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष कर सकें —जैसे कि अभी कुछ ही दिन पूर्व एशियाई खेल निर्माण कार्य में लगे कार्मिकों का मामला मैंने सभा में उठाया था—आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं। आप उनके लिए दिखाने की सहानुभूति क्यों व्यक्त कर रहे हैं ? उनका जीवन स्तर सुधारने में आपकी रुचि नहीं है। परन्तु जब कुछ व्यक्ति संगठन की शक्ति के बल पर कुछ ऊंचे उठ जाते हैं तब आप कहते हैं कि ये उच्च आय वर्ग के लोग हैं जिन्हें हड़ताल का कोई हक नहीं है।

जीवन बीमा निगम की चर्चा की गई। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी ऊंचे वेतन नहीं मांग रहे थे। सरकार ने उनके विरुद्ध बहुत ज्यादती की तथा उच्चतम न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध निर्णय लिया था। श्री फ्रैंक एन्थनी विधि वेत्ता हैं तथा वह जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का इस मामले में निर्णय क्या था ? सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत करार को अपनी ओर से समाप्त कर दिया था। या तो नया समझौता किया जाना चाहिए था अथवा कानून बनाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का मत था कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अत्यन्त गलत है तथा सरकार को समझौते के अनुसार बोनस देते रहना चाहिए था। यदि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी सरकार द्वारा एकतर्फा करार भंग किये जाने के विरुद्ध अथवा आन्दोलन कर रहे थे तो इसमें बुराई क्या थी। वे एक सिद्धान्त के लिए संघर्ष कर रहे थे, धन के लिए नहीं। और यदि उस सिद्धान्त की रक्षा नहीं की जा सकती तो करार का कोई भी महत्व नहीं है। वही बात बंगलौर में हुई।

मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि सरकार को स्पष्ट रूप से तथा पूरे अधिकार से बताना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5800 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने में उनकी चिन्ता का देश में तथा कथित श्रमिक अनुशासन लादने के गलत प्रयत्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली अथवा नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक उत्तर-दक्षिण सम्मेलन हुआ था जिसे 'आरूशा' कहते हैं। 'आरूशा' सम्मेलन द्वारा परिचालित एक पत्र में कहा गया है—

"निधि की नीतियों से स्थिरीकरण उपलब्ध करना अपेक्षित है—अर्थात् उनसे उम्मीद की जाती है कि वे स्थिरीकरण के लिए धन देंगें"—

वास्तव में इससे स्थिरता समाप्त हुई है तथा लोकतंत्रीय प्रक्रिया में बाधा पड़ी है। "आरूशा" सम्मेलन के पत्रों से यह एक उद्धरण है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि जब एक

बार आप बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय कोशों पर निर्भर करने लग जाते हैं जिन पर कि पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण है जो कि आपके वास्तविक मित्र नहीं हैं तथा जो चाहेंगे कि तीसरे विश्व के विकासशील देशों के विरुद्ध नयी साम्राज्यवादी चालें तो चली जायें वे आपकी श्रमिक व्यवस्था, निर्यात नीति, सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी नीति, राज-सहायता के मामले को प्रभावित करेंगे तथा इन बहुत सी बातों में वे ऋण देने से पूर्व ऋण लेने वाले देशों पर पहले से शर्तें लाद देंगे जिन्हें ऋण लेने वाले देशों को मानना पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि समाचार पत्रों में यह प्रतिदिन इस बारे में आता है तथा इनका खण्डन नहीं किया जाता। मैं कह नहीं सकता कि क्या उन्होंने ऐसे विधेयक की मांग की है। शायद वे ऐसे निर्भम रूप में कार्य नहीं करते। परन्तु हमारे शासक अत्यन्त चिंतित एवं उत्सुक हैं तथा वे ऋणदाताओं पर अपनी विश्वासनीयता सिद्ध करना चाहते हैं तथा उन्हें बताते हैं कि इस देश में 'आपका धन सुरक्षित रहेगा, तथा हम कार्मिकों के हड़ताल करने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते, विश्वास रखिए, आपका धन सुरक्षित रहेगा तथा उसकी यथा समय अदायगी कर दी जायेगी।' परमात्मा ही जानता है कि कैसे अदायगी की जायेगी, मैं तो नहीं जानता, उन्हें हमें यह बताना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अन्ततः यह स्थिति केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के कारण ही नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के कारण वे इस विधेयक को ला रहे हैं। वे भली प्रकार जानते हैं कि उन नीतियों के कारण मूल्य और बढ़ेंगे। श्री वेंकटरामन ने यह बात स्वीकार की है। मूल्य बहुत अधिक बढ़ेंगे, वे उन पर नियन्त्रण नहीं कर पायेंगे क्योंकि उन पर नियन्त्रण करने का उनका इरादा नहीं है। और जितने ही मूल्य बढ़ेंगें उतने ही लोगों को कष्ट उठाने पड़ेंगे, उतनी ही अधिक अशान्ति, आंदोलन तथा शायद हड़तालें भी होंगी क्योंकि वे महंगाई भत्ते के एक भाग को जमा करना चाहते तथा वेतन-जाम करना चाहते हैं, इसलिए वे पहले से तय की गई कार्यवाही करना चाहते थे। जन-आन्दोलन शुरू होने से पूर्व वे इस प्रकार के विधेयक द्वारा लोगों को शान्त करना चाहते हैं। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसीलिए उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है। उन्हें इसे पारित करने दें। वे इस धोखे में न रहें कि वे इन तरीकों से लोगों को दबा पायेंगे। वे मात्र अधिक मुसीबत मोल ले रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा 'आप अपने को इन शक्तियों से मुक्त करना चाहते हैं, परन्तु कोई भी कदम उठाने से पहले सामान्य बुद्धि का उपयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वे बिना कारण हड़ताल नहीं करते। यदि उन्हें हड़ताल करने पर विवश किया जाता है, तो ऐसे विधेयक उन्हें हड़ताल करने से रोक नहीं सकते।

समाप्त करने से पूर्व मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि वह नीति संबन्धी वक्तव्य कहां पर है, जिसके बारे में सभा में परिचालित पत्रों में वचन दिया गया है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा श्री चटर्जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मंत्री महोदय को 4.15 पर उत्तर देना है। परन्तु सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों को अभी बोलना है। श्री सी० टी० दंडपाणि, श्री ए० के० राय, श्री त्रिदिब चौधरी, श्री चित्त बसु, श्री चन्द्रजीत यादव ने अभी बोलना है। इन सभी माननीय सदस्यों ने अभी बोलना है, और उन सभी को अनुमति दी जायेगी, परन्तु मैं उम्मीद ··

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमान्, मुझे भी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपका नाम उसमें है। श्री हरिकेश बहादुर ने भी बोलना है। मुझे मंत्री महोदय को निर्धारित समय पर बुलाना है अतः आप सभी अपने भाषणों को अत्यन्त संक्षिप्त रखें।

अब मैं श्री दंडपाणि को बुलाता हूं। उनकी पार्टी के लिए 7-8 मिनट निर्धारित किये गये है, मुझे उम्मीद है कि वह इससे अधिक समय नहीं लेंगे। कम से कम उन्हें मेरा कुछ सम्मान तो करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या उस ओर से मंत्री महोदय के अलावा भी किसी सदस्य ने बोलना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने कृपा पूर्वक अन्य सभी नामों को वापिस ले लिया है। श्री सोमनाथ चटर्जी, वास्तव में 20 सदस्यों ने बोलना है। अभी केवल दो सदस्य बोले हैं। उन्होंने शेष सभी के नाम वापिस ले लिए हैं। इसलिए कृपया आप भी सहयोग दें क्योंकि इस विधेयक को हमें 7 बजे तक राज्य सभा को भेजना है।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लानी) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने, जो मजदूर संघ के नेता भी हैं, इस विधेयक के लिये मूल्यवान अंशदान किया है। किन्तु, जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था, तो मुझे बड़ा भ्रम हो गया था। ऐसा उस समय हुआ जब कुछ सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति और नीतियों को स्पष्ट कर रहे थे। उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस सरकार पर यह आरोप लगाकर दोषारोपण कर रहे थे कि डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को बढ़े हुये वेतन नहीं दिये गये हैं। वे इन सभी वर्षों में 80 रुपये से 130 रुपये तक वेतन मिलता रहा है। वह पूछ रहे थे :—आप इन वर्षों के दौरान क्या कर रहे थे। वास्तव में मैं उनके तर्क से भ्रम में पड़ गया था क्योंकि वह स्वयं संचार, अर्थात डाकतार के मंत्री थे। उन्हें विभागेतर कर्मचारियों के वेतन तथा मजूरी बढ़ानी चाहिये थी, किन्तु मैं नहीं जानता कि किस लिये वह चुप रहे और उनकी जेल में भोजन चार्ट के बारे में बहुत ही रुचि थी। न केवल महाराष्ट्र प्रत्युत सभी जेलों में यही होता है। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा। बेशक सभी बंदियों को अच्छा भोजन दिया जाना चाहिये।

मांग पत्र के बारे में जब वे सत्तारूढ़ थे, तो वे श्रमिक वर्ग के बारे में भूल गये थे। जब वे सत्ता में नहीं होते हैं, तभी वे श्रमिक वर्ग के बारे में सब कुछ कहते रहते हैं।

मुझे एक दिलचस्प समाचार अथवा घटना का पता चला है। एक मजदूर संघ नेता एक मजदूर संघ का अध्यक्ष था। उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उन्होंने इसे प्रबन्धकों को भेज दिया। प्रबन्धकों ने कहा—"हम इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते।" एक दिन मजदूर संघ के उसी नेता को उस प्रबन्धक मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। कर्मचारी इतने प्रसन्न हुये कि वे अपनी सभी मांगों को स्वीकार करा सकते हैं क्योंकि मांग पत्र उस व्यक्ति द्वारा पहले तैयार किया गया था जिसके हाथ में अब सब कुछ था। कर्मचारी अपने प्रबन्धक मंडल के उस अध्यक्ष के पास गये जो पहले उनके संघ का अध्यक्ष था। उन्होंने वही मांग पत्र पेश कर दिया। तब उस व्यक्ति ने, जो मजदूर संघ का अध्यक्ष रहा था, कहा —"मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता"। "क्यों" कर्मचारियों ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया "जब मैं एक मजदूर संघ नेता था, तो मैं कोई मांग पत्र तैयार कर सकता था। मैं किन्हीं मामलों को उठा सकता था। किन्तु जब मैं सत्ता में हूं, तो मैं ये सभी बातें नहीं कर सकता।" कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी।

एक अन्य दिलचस्प कहानी है कि एक मंत्री मिली जुली सरकार में मंत्री थे। उन्होंने परिवहन कम्पनी के 42 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया। कुछ समय के पश्चात स्वयं मंत्री भी मंत्री नहीं रहे। वह सत्ता में नहीं रहे। वह मंत्री कर्मचारियों के पास गये। उस मंत्री ने आंदोलन का नेतृत्व किया और भूख हड़ताल की। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके द्वारा बरखास्त किये गये कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिये। न केवल कर्मचारियों की ही, प्रत्युत मजदूर संघ की भी अवश्य ही कोई आचार संहिता होनी चाहिये।

तमिलनाडु सरकार इसी प्रकार का कानून, जिसमें तालाबंदी और जबरन छुट्टी शामिल नहीं थीं, लाई थी। वह कानून उस समय लाया गया था जब परिवहन कर्मचारियों ने मद्रास में हड़ताल की हुई थी। सभी विरोधी पक्ष के नेताओं, तथा कथित श्रमिक वर्ग के नेताओं, राजनीतिक दलों ने विरोध नहीं किया।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह बात सही नहीं है। कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था।

श्री सी० टी० दंडपाणि : उन्होंने सभा के अन्दर विरोध नहीं किया है।

श्री चित्त बसु : उन्होंने सभा के अन्दर विरोध किया था और वह अध्यादेश समाप्त हो गया।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह मांग की गई थी कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाये। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। कुछ राजनैतिक दल इस विधेयक संबंधी विरोध रैली में शामिल नहीं हुये थे। यही यहां के कुछ राजनीतिक दलों का चरित्र है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।

जहां तक मेरे द्रुमक दल का सम्बन्ध है, हम इस श्रम नीति के बारे में बहुत ही स्पष्ट हैं। द्रुमक संघ तमिलनाडु के बड़े संघों में से एक है। जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है,

हमारा संघ एक मुख्य संघ है। नेवेली में भी जहां 11,500 कर्मचारियों में से 8,556 कर्मचारियों का सम्बन्ध द्रुमक से है। हमारी श्रम नीति और हमारा दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है। हमारे श्रमिक संघ ने एक संकल्प पारित किया था जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"द्रुमक श्रमिक संघ ने 1981 के आवश्यक सेवा अध्यादेश के गुण-दोषों पर अच्छी प्रकार विचार किया है। हमारा श्रमिक संघ किसी मामले के गुण-दोषों पर विचार करने के बाद ही इसका समर्थन करता है। यह बताया गया है कि इस अध्यादेश का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बनाये रखना तथा आम आदमी के उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाता है। यह भी बताया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के हेतु ही सरकार को इस प्रकार के विधान को लाने की आवश्यकता पड़ी। भारत की प्रधान मंत्री ने श्रमिक वर्ग को आश्वासन दिया है कि जबरी छुट्टियों तथा तालाबंदियों को गैरकानूनी घोषित किया जायेगा। उक्त तथ्यों को देखते हुये द्रुमक श्रमिक संघ का यह विश्वास है कि सरकार का मजदूर संघ की उचित गतिविधियों का दमन करने तथा श्रमिक वर्ग के अधिकारों का हनन करने का कोई इरादा नहीं है।

इस बीच द्रुमक सरकार से अनुरोध करती है कि वह निम्न असंगतियों को दूर करे जो श्रमिक वर्ग के बीच अशांति पैदा करती हैं :—

1. कर्मचारियों का गैर कानूनी निलम्बन अथवा बरखास्तगी;
2. बातचीत किए बिना कर्मचारियों की मांग की अस्वीकृति;
3. उचित कारणों के बिना छंटनी;
4. समझौते के बिना मध्यस्थता; और
5. प्रबंधकीय स्टाफ का प्रतिशोधात्मक रवैया।

अतः केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो और हम केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु किसी प्रकार के न्यायाधिकरण की स्थापना करे।"

यह हमारा संकल्प है और यही द्रुमक दल की नीति है। जहां तक द्रुमक का सम्बन्ध है, हम श्रमिक वर्ग में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। किन्तु इसके साथ ही हम इस देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में भी समान रूप से रुचि रखते हैं। इसलिए हमने इस संकल्प को पारित किया है।

इसी प्रकार मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने राज्य सरकार को कुछ निदेश दिये हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूंगा।

सुझाव ये हैं : —

"श्रम विभागों के समझौते तथा निर्णय तंत्र को सक्रिय बनाया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों की सभी मांगों, शिकायतों और विवादों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जा सके और इन बातों को आंदोलन के कारक बनने से रोका जा सके।

प्रबन्धकों से कहा जाए कि वे कर्मचारियों की उचित मांगों की ओर अधिक ध्यान दें।

जब तक कोई अपराध नहीं किया जाता या शान्ति के भंग होने की आशंका न हो, तब तक कानून और व्यवस्था से सम्बद्ध अधिकारियोंको श्रमिक-प्रबधक विवादों में अन्तर्ग्रस्त होने से बचना चाहिये। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिये कि जिलाधिकारी विवादों में किसी एक दल का पक्ष ले रहे हैं।"

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को यही निदेश दिये गये हैं। इन निदेशों और इस नीति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सरकार श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध नहीं है। हमारे मित्रों ने यहां कहा है कि सरकार श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध है। वह श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध नहीं है।

महोदय, आप तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। बी० एण्ड सी० मिल्स को बन्द कर दिया गया। लगभग 30,000 कर्मचारी उसमें थे। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जहां तक तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है जब कभी भी कोई कारखाना संकटग्रस्त हो जाता है, तो राज्य सरकार कार्यवाही करती है, उसे अपने हाथ में ले लेती है और उस कारखाने को चलाती है और कर्मचारियों को नौकरियां दे देती है। मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मोहिनी मिल्स का उल्लेख किया है। यदि यह तमिलनाडु में होती तो हमने इसे द्रमुक शासन के दौरान ले लिया होता। वहां 13 संकट ग्रस्त मिलें थीं। इनको द्रमुक सरकार द्वारा ले लिया गया था। जब कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये थे, तो द्रमुक सरकार प्रत्येक कर्मचारी को 200 रुपया प्रति मास दे रही थी। बी० एण्ड सी० मिल्स को हाल में बन्द किया गया है। महोदय, आपने पहले पहल स्वयं ही यह कहा था कि इस मिल को केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिये। विशेषकर कि श्री प्रणव मुकर्जी और श्री आर० वेंकटरामन···

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह मिल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : आखिरकार प्रधान मंत्री ने भी इस मामले पर विचार किया और उन्होंने इस मिल को खोलने के लिये 13 करोड़ रुपये की राशि का नियतन करने का आदेश दिया। अब सभी 13,000 कर्मचारियों को नौकरी दे दी गयी है। अतः, मैं यह नहीं कह सकता कि यह सरकार श्रमिक वर्ग के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपने भाषण को समाप्त कीजिये।

श्री सी० टी० दंडपाणि : अन्य बातें भी यहां कहीं गयीं हैं। ये बातें न केवल श्रमजीवी वर्ग के बारे में हैं। ये अन्य बातों के बारे में हैं, ये वित्तीय संकट, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सरकार पर दबाव तथा कर्मचारियों के अधिकार को छीन लेने के बारे में हैं। किन्तु मुझे यह

कहने में खेद हो रहा है कि यही बातें हैं जिससे अनेक प्रकार के आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं। किन्तु केवल आर्थिक संकट ही इस विधेयक को लाने के लिये कारण नहीं हैं। कारण उद्योग में उत्पादन को सुधारने तथा किसी प्रकार का अनुशासन लाना है। हमारे मित्रों ने कहा है···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : 'बिन्नी' का क्या हुआ ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : बिन्नी मिल्स को खोल दिया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे क्यों बन्द किया गया था ? कर्मचारियों का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आपने कहा है कि दो वर्षों से इसे खोला नहीं गया है। हमने कहा है कि 6 महीने के अन्दर हमने इसे खोल दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके व्यक्तिगत के हस्तक्षेप के कारण आपने अपनी सद्भावना का उपयोग किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी दलों के लिये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह नहीं कहते कि मिल को हमारे प्रयासों से खोला जाना चाहिये। हम कहते हैं कि कर्मचारी जीवित रहना चाहते हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह हड़ताल के साथ-साथ जबरन छुट्टी तथा तालाबन्दी से भी निपटता है। अतः, मैं यह नहीं कहता कि इस मामले में सरकार द्वारा कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जैसाकि मैंने कहा हैं कि कर्मचारियों का ध्यान रखा जाना चाहिये। बेशक इस मामले में सरकारों के बीच उनकी कुछ न कुछ पहुंच है। मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में एक समाचार देखा है। वहां एक दल में ही विभिन्न मत हैं। पश्चिम बंगाल सरकार कहती है कि वह इस विधेयक का विरोध कर रही है। मैंने एक समाचार पढ़ा है कि यदि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल राज्य में आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अध्यादेश को केन्द्र सरकार के संगठनों पर लागू करती है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

एक माननीय सदस्य : हमें इसका अधिकार नहीं है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : इसका अर्थ क्या हुआ ? यदि केन्द्र सरकार के उपक्रमों में अध्यादेश को लागू करती है, तो राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। (व्यवधान) परन्तु कानून और व्यवस्था की समस्या तो राज्य सरकारों की होती है। इससे निपटने का अधिकार उन्हीं को होता है। यह बात श्रम मंत्री श्री कृष्णा पंडा घोष द्वारा कही गई थी। इस मामले के बारे में श्रमिक वर्ग के नेताओं में भी कुछ मतभेद है। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि इस समय इसका विरोध किया जाना चाहिये। आर्थिक परिस्थितयों और विश्व व्याप्त अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ही सरकार ने यह विधेयक लाना आवश्यक समझा है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण संक्षिप्त तथा मधुर हो जोकि केवल पांच मिनट में समाप्त हो जाये।

एक माननीय सदस्य : श्री दण्डपाणि को 12 मिनट का समय दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, श्री ए० के० राय, श्री त्रिदिब चौधरी, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री चित्र बसु अन्तिम वक्तव्य होंगे—प्रत्येक को पांच-पांच मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान जी, मैं कटु भाषण तो नहीं देना चाहता परन्तु विषम कुछ ऐसा है कि कटु भाषण ही देना पड़ेगा ।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन करने तथा विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे कि गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह विधेयक काला विधेयक है ।

माननीय श्री दण्डपाणि द्वारा जब भाषण दिया जा रहा था तो उस समय मुझे ऐसा लगा मानो शासक दल का एक सदस्य इस ओर आकर भाषण दे रहा है। कई बार जब इस ओर के कुछ सदस्य भाषण देते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि न तो वह शासक दल के ही सदस्य हैं और न ही विरोधी दल के इसलिए, कई बार तो मैं यह महसूस करता हूं कि मैं आपसे यह अनुरोध करूं कि आप सदन में ही एक अन्य ऐसा स्थान बनायें जहां कि इस प्रकार के विचारों वाले तीसरे पक्ष के लोगों को स्थान दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो वह नारे लगायेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बहुत ही कठोर विधान है और इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। हमारे मन में इस बात के बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि अन्ततः इस विधेयक का उपयोग श्रमिक वर्ग के विरुद्ध बहुत कठोर ढंग से किया जायेगा, क्योंकि कांग्रेस दल की सरकार अनेक अवसरों पर यह प्रदर्शित कर चुकी है कि वह श्रमिक वर्ग के पूर्ण रूप से खिलाफ है, वह उनका दमन करना चाहती है, वह उनके न्यायोचित तथा उचित आंदोलन को कुचल देना चाहती है और उन्होंने ऐसा किया भी है। मैं यह कह सकता हूं कि उनमें श्रमिक वर्ग के खिलाफ बुरी भावना है और वह सदा ही उनके साथ टकराव करने के लिये तैयार हैं। इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि इस सरकार का विधेयक को लाने का इरादा ठीक नहीं है। निश्चय ही इससे दमन होगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके अनेक उदाहरण हैं। सरकार ने एक बार श्रमिकों को बोनस दिया था परन्तु आपात स्थिति के दौरान उसे वापिस ले लिया गया। मैं जनता सरकार का धन्यवाद करते हुए उसे बधाई देना चाहता हूं कि उसने सत्ता में आने के बाद उनका यह अधिकार बहाल कर दिया···

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : मैं सोच रहा था कि हम अच्छा वाद-विवाद सुनने के बाद घर जायेंगे परन्तु यह कैसा अरुचिकर सा है ।

श्री हरिकेश बहादुर : श्री जगदीश टाइटलर तो एक विशिष्ट प्रकार का ही वाद-विवाद सुनना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कुछ समय तक आप एक ही संगठन में थे।

श्री हरिकेश बहादुर : परन्तु, जब मुझे यह लगा कि उनकी रुचि भिन्न है तो मैं उनसे अलग हो गया (व्यवधान)।

जिस समय इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था उसी समय मैंने कहा था कि यह विधेयक असंवैधानिक है और अब भी मेरी धारणा यही है कि यह विधेयक असंवैधानिक है। सरकार सदन के समक्ष यह विधेयक लाई है और इसलिये उसकी वकालत भी करना चाहती है। वह किसी प्रकार का तर्क समझने के लिये तैयार नहीं है। तथ्य तो यही है कि यह मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है क्योंकि मूलभूत सिद्धांतों के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं उनके अनुसार हर नागरिक को संघ बनाने का अधिकार है। यदि कोई संघ या संगठन बनाया जाता है तो उसका कोई कर्तव्य भी होगा, जब श्रमिक वर्ग कोई संघ बनाता है तो उसका कर्तव्य है कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करे। यदि वे अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यदि आज की सरकार उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है तो वे फिर तो निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। और यदि वे आंदोलन कर भी रहे हैं तो वे कोई अपराध तो कर नहीं रहे हैं। परन्तु इस कानून के अनुसार यह सरकार उनकी गतिविधियों को किसी भी क्षण रोक सकती है जो कि स्वयं मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतः यह विधेयक उन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है जिनकी गारंटी इस देश के नागरिकों को दी गई है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रावधान है जो कि रेल अधिनियम में 14 (2) के नाम से है जिसके अनुसार सरकार के पास विपुल शक्ति होती है। वे किसी भी समय किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकते हैं और वैसा ही वे कर रहे हैं। वे पहले से ही अनेक कर्मचारियों को निकाल चुके हैं। आपात स्थिति के दौरान भी उन्होंने अनेकों लोगों को हटाया था और जब जनता सरकार आई तो उन्होंने उन सब कर्मचारियों को नौकरी पर वापस ले लिया।···

श्री सोमनाथ चटर्जी। महोदय, ऐसे बहुत से मामले हैं जहां 14(2) को कदाशय से लागू किया गया था और मैं आपको उनके निर्णय दिखा सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यदि अधिकारीगण किसी कर्मकार विशेष से संतुष्ट नहीं हैं और यदि उनकी कुछ शिकायतें हैं तो वे तुरन्त उस कर्मकार की सेवाएं समाप्त कर देते हैं। यह सब हमने देखा है। ऐसे बहुत से मामले हैं। उनको ऐसा करने का अधिकार है परन्तु फिर भी वे इस प्रकार का क्रूर विधान लाना चाहते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यह सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण में रुचि नहीं रखती है। रेलवे कर्मचारियों को ही लीजिए। वे सरकार के पास अपनी मांगें लेकर आते रहे हैं। वे 12 मास से आन्दोलन चला रहे हैं और प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वे अपनी मांगों की सूची पहले ही दे चुके हैं। परन्तु यह सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती है। वे तो उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए श्रमिक संघ के नेताओं का

सम्मेलन तक नहीं बुला रहे हैं। माननीय गृह मन्त्री महोदय कहते हैं कि यदि कर्मकार लोग केवल एक बैज ही लगा लें तो केवल उस बैज को देखकर ही सरकार निश्चित रूप से उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करेगी। परन्तु सच्चाई यह है कि जब वे हड़ताल भी करते हैं तो उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती है और सदैव उनको दबाया जाता है। बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का इस सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया जो चार मास से भी अधिक समय से आन्दोलन चलाते आ रहे थे। यही बात हमने 1974 में भी देखी थी जबकि रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। वे अपना मांग पत्र तो पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे। उनका कहना था कि यदि ये समस्याएं नहीं हल की गईं तो वे हड़ताल कर देंगे। इस सरकार ने उनकी यह बात नहीं मानी और अन्ततः वे हड़ताल कर बैठे। उनमें से बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, बहुत से कर्मचारियों को जेल भेजा गया और बहुत से लोगों को उनके घर से निकाल बाहर किया गया। ये सभी अपराध किए गये थे। फिर श्रमिक-वर्ग यह कैसे विश्वास कर सकता है कि यह सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगी। समस्त श्रमिक वर्ग और इस देश के सभी लोग इस सरकार में अपना विश्वास खो बैठे हैं। किसी का इस सरकार में कोई विश्वास नहीं है।

गृह मंत्री महोदय का कहना है कि औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हो रहा है और इसके फलस्वरूप श्रम के घण्टों की कम हानि हो रही है। फिर भी मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि कौन सी चीज उन्हें इस विधान को लाने के लिए बाध्य कर रही है। इस प्रकार तो वे अपने ही वक्तव्य के विपरीत कर रहे हैं। अब तालाबन्दियों और छटनियों की ही बात लीजिए क्योंकि जो प्रावधान किए जा रहे हैं और जो उपाय किए जा रहे हैं उनसे तो तालाबन्दियां और छटनियां रुक नहीं सकतीं और अन्ततः यह सरकार उन पूंजीपतियों को ही सहायता पहुंचाने जा रही है जो कि श्रमिक वर्ग का रक्त चूस रहे हैं। यह सरकार तो सदैव पूंजीपतियों, मिल मालिकों और बड़े-बड़े नियोजकों के हितों की रक्षा करती रही है क्योंकि उन्हें उनसे अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग वे विभिन्न चुनावों में करते हैं जिसमें उप चुनाव भी सम्मिलित हैं जैसा कि हाल ही में गढ़वाल में हुआ है।

मिलों को बन्द करने के बारे में माननीय सदस्य श्री गुप्ता ने ठीक ही कहा है कि सरकार आखिर मिलों को बन्द किये जाने की बात क्यों नहीं सोचती है। सरकार उनके बारे में कतई नहीं सोचेगी क्योंकि उससे उन लोगों के हितों को आघात लगेगा जो कि कांग्रेस (इ) पार्टी और इस सरकार के हितों को साध रहे हैं और वे लोग हैं पूंजीपति तथा यह सरकार पूंजीपतियों के मार्ग में आना नहीं चाहती है। वे तो सदैव अपने ही हितों की रक्षा करना चाहते हैं।

श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने की जहां तक बात है, इस प्रकार के सिद्धान्त का तो यह सरकार ढोल पीटती है और अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी उन्होंने यह बात कही है कि श्रमिकों को भी प्रबन्ध में भाग लेने दिया जायेगा।

परन्तु इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद, वह सब कुछ भुला दिया जो उन्होंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था और जो उन्होंने जनता तथा राष्ट्र के समक्ष वकालत की थी। वे

सदैव ही उन बातों को भूल जाते हैं। वे कभी भी कामगारों, श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने की परवाह नहीं करते हैं। यदि मंत्री महोदय और यह सरकार ईमानदारी से श्रमिकों के कल्याण में रुचि रखते हैं तो, कम से कम उन्हें प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर तो दिया जाना चाहिये। श्रमिकों को आप जो यह अवसर नहीं दे रहे हैं उसके पीछे क्या कारण हैं ? मंत्री महोदय को यह बात सभा के समक्ष स्पष्ट करनी चाहिये। मैं केवल एक बात जानना चाहूंगा। श्री स्टीफन का कहना है कि समाज के हित की रक्षा होनी चाहिये। क्या उनकी समाज के हितों की सुरक्षा करने में रुचि है ? माननीय सदस्य श्री एन्थनी ने गृह मंत्री महोदय से पूछा है कि वे उन काला-बाजारियों, जमाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि आवश्यक वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ाते चले आ रहे हैं। आप उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? वह सरकार के समर्थक हैं परन्तु फिर भी वह इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि ये ही तो वे असली लोग हैं जो इस सरकार, इस दल का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप श्रमिक-वर्ग के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही न करें। आप उनको तंग करने का प्रयत्न न करें तथा उन्हें कुचलने का प्रयास न करें। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दमनकारी कार्यवाही न की जाए। आपको तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये जो कि वास्तव में इस राष्ट्र के शत्रु हैं।

अतः, महोदय मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं एक बार फिर गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कम से कम इस समय तो वे इस विधेयक को वापिस ले लें।

सभापति महोदय : श्री ए० के० राय। अब प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय मिलेगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। समय पर आपके राशन लगाने से केवल मुझे ही लाभ होगा।

मैं सरकार के बारे में चिन्तित हूं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही की आवश्यकता का क्या औचित्य है। मंत्री महोदय ने यहां खुले शब्दों में कहा था कि यह दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही आवश्यक है। कुछ सीमा तक उन्हें ऐसा करने के लिए अनिच्छा से बाध्य किया गया था। वह इसका कोई कारण या आधार बताने अथवा स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे हैं। क्या यह वारंट या यह कदम हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुछ अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों को रोकने के लिए बनाई गई है ? कामगारों को प्रबन्ध में हाथ बटाना होता है। अब मैं तो यही कहूंगा कि सरकार भी किसी व्यवस्था के अधीन है। यह बड़ी खतरनाक बात है। हम मौलिक अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धान्तों को प्राथमिकता देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नये निर्देशक सिद्धान्तों को हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। गृह मंत्री को उत्तर देते समय इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।

यह विधेयक सरकार की शक्ति का नहीं किन्तु उसकी कमजोरी का प्रतीक है। यह सरकार बहुमत में है, यह चाहे आकाश में राज्य करे, चाहे समुद्र में या चाहे अन्तरिक्ष में राज्य करे। इसका सर्वत्र शासन है। फिर भी आपको इस व्यापक दाण्डिक कार्यवाही की क्यों आवश्यकता है। आपको हड़तालों पर रोक लगाने के लिए इसकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। औषधियों की तरह यह दाण्डिक कार्यवाही भी निरापदता उत्पन्न करती है। जितनी ही अधिक खुराकें होंगी उतनी अधिक सशक्ततापूर्ण या गहन निरापदता होगी। इस सरकार ने दाण्डिक कार्यवाही से शुरूआत की—व्यापारियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही, किसानों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही मजदूरों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही। क्या लोग सरकार में आस्था खो बैठे हैं यह तो एक बात है, परन्तु इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि यह सरकार लोगों में आस्था खो बैठी है। आतंक का वातावरण बना रखा है। जब कभी भी इस सभा का सत्र आरम्भ होता है, हमें उनके द्वारा जारी किये गये कुछ आवश्यक अध्यादेशों को दुर्भाग्यवश अधिनियमित करना पड़ता है। परन्तु हमने यह कभी भी नहीं देखा है कि विधेयक की 50 प्रतिशत की सक्षम विषय-वस्तु को अध्यादेश को प्रख्यापित करते समय भुला दिया जाता है। तालाबन्दी और छटनी का क्या हुआ। भूल गये! दुर्घटनावश इसका भी अन्तःक्षेपण करना होगा। यह कोई मामूली उपबन्ध नहीं है? सरकार यह दावा करती है कि यह दो टांगों पर खडी है—एक है मजदूरों का समर्थन और दूसरा प्रबन्धकों का समर्थन। उनका कहना है कि वे दोनों से ही समान दूरी पर हैं। परन्तु प्रारम्भ में एक टाँग थी ही नहीं। समस्त अध्यादेश एक ही टाँग पर खड़ा था। मैं नहीं जानता कि कैसे। क्या यह कोई नवीन परिपाटी है। यह एक ऐसी बात है जिसका स्पष्टीकरण श्री जैलसिंह को देना चाहिए कि किस प्रकार कोई विधेयक या विधि—एक अत्यन्त ही महत्वपूर्व विधि—जिससे कि दो बातों को लेकर चलने की आशा की जाती है, केवल एक को ही लेकर आरम्भ हुई और बाकी को भूल गये। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और चूंकि ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यह विधेयक क्यों आवश्यक था और क्यों इसे भुला दिया गया?

महोदय साथ ही श्रम-दिवसों की हानि को भी देखिए। जब कभी यह सरकार सत्ता में आई है तालाबन्दी और काम बन्द होने के कारण श्रम-दिवसों की हानि और अधिक हुई। 1976 में—आपातस्थिति के स्वर्णकाल में—आप देखेंगे कि हड़तालों के कारण 22 प्रतिशत श्रम-दिवसों का ह्रास हुआ और तालाबन्दियों से 78 प्रतिशत का। इसके बाद जब यह सरकार फिर गत वर्ष सत्ता में आई तो इसका प्रतिशत 46 हो गया और इस बार इसे 50 प्रतिशत से ऊपर होने की आशा है। अतः महोदय, मूल अध्यादेश में वह लक्षण को जो 50 प्रतिशत से अधिक श्रम-दिवसों के ह्रास के कारण है, भुला दिया गया।

महोदय, यदि कोई सरकार सामान्य रूप से अपनी नीतियों से हटकर विपदा को बुलावा देती है तो विपक्ष को कुछ नहीं कहना है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम आपकी पतन-यात्रा में आपकी मंगल कामना करते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी चिन्ता यह है कि उनकी गति इतनी तीव्र होती जा रही है, जिसका हमें पूर्वानुमान नहीं था। यही तो

मुसीबत है। हम चाहते हैं कि वे कम से कम कुछ और समय तक रहें जिससे वे स्वयं को पूर्ण रूप से नंगा कर सकें और लोग वह भूल फिर न करें जो उन्होंने 1980 में की थी । वे जितना हम चाहते हैं उससे भी अधिक तीव्र गति से चल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने इस विधेयक का विरोध किया है अन्यथा इस विधेयक का विरोध करने का कोई इरादा नहीं है । मैं तो इस विधेयक का समर्थन करने वाला था परन्तु हमें विरोध करने के लिए बाध्य किया गया है क्योंकि वे तीव्र गति से चले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए । मैं वहां पर आपको रवीन्द्र नाथ टैगोर की एक छोटी-सी कविता "**डिस्कवरी आफ शू**" के विषय में बताऊंगा, जो मुझे अभी याद आई है। एक राजा था जिसके पास इनकी तरह का ही एक योग्य मंत्रिमंडल था। राजा ने निर्णय किया कि उस राज्य में, जिसमें ऐसा योग्य मंत्रिमंडल था, धूल नहीं होनी चाहिए, जो पैरों को गन्दा करती है। तब एक विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि आप एक लाख झाड़ू खरीद लें । उन्होंने ऐसा ही किया और वहां की सारी धूल को साफ कर दिया। फिर यह हुआ कि सारी धूल पूरे वायुमंडल में मिल गई और समस्त हवा में धूल-ही धूल फैल गई। फिर दूसरे विशेषज्ञ ने सलाह दी कि पृथ्वी की पूरी सतह पर पानी छिड़का जाए और ऐसा ही किया गया। फिर यह हुआ कि वहां पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया और कोई भी चल नहीं सकता था। तब राजा ने सुझाव दिया कि आप पूरी पृथ्वी को चमड़े से क्यों नहीं ढंक देते। जब वे पूरी पृथ्वी को ढंकने के लिए चमड़ा एकत्र करने लगे तो एक साधारण व्यक्ति ने सुझाव दिया श्रीमान, "आप पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढंकने के बजाय अपने पैरों को ही चमड़े से क्यों नहीं ढंक लेते ?" और फिर उसी दिन जूते का आविष्कार हुआ । इसी प्रकार मैं श्री जैल सिंह को सलाह देना चाहता हूं। वह कानून बना रहे हैं और कामगारों, किसानों, विद्यार्थियों, सभी को जेल में भेज रहे हैं; "आप स्वयं को तथा पूरे मंत्रीमंडल को ही जेल में क्यों नहीं भेज देते ?" इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : इस चर्चा के अन्त में और मुझे दिए गए समय के अन्दर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं····· ।

सभापति महोदय : आप बात कहें एक, दो, तीन ।

श्री त्रिदिब चौधरी : जी हां, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा । जिस ढंग से इस अध्यादेश को स्वीकृत किया गया है उसके कारण मैं इस विधेयक के प्रति अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। अध्यादेश स्वीकृत किया गया और अब उसे लगभग भद्दे साधारण तरीके से नियमित कानून के रूप में सांविधि पुस्तक में रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि यह दांडिक विधि है और इसका समूचा उद्देश्य आवश्यक सेवाओं में हड़तालों को रोकने, तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी के द्वारा उत्पादन में पड़ने वाली बाधा को दूर करने के लिए शक्ति प्राप्त करना है।

मुझे केवल एक तथ्य का उल्लेख करना है। मैंने उस ढंग का उल्लेख किया है जिसमें अध्यादेश को स्वीकृत दी गई है। महोदय हर व्यक्ति जानता है कि तालाबन्दी और जबरी छुट्टी

को विधेयक में बाद में सोचकर शामिल किया गया है। (व्यवधान) मिल या फैक्टरी के बन्द होने की घटना को शामिल नहीं किया गया है/लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 के अन्तर्गत अपेक्षित, आवश्यक सेवाएं अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाने के लिए कारण बताने वाले वक्तव्य में यह कहा गया है कि हाल ही में श्रमिक वर्ग तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अशान्ति की प्रवृत्ति पाई गई है/अभी हाल ही में हुए अनेक आन्दोलनों से श्रमिक वर्ग में गम्भीर घटनाओं के होने की सम्भावना का संकेत मिला है जिसके कारण सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस विधेयक में श्रमिक वर्ग पर और संबंधित श्रमिकों द्वारा आवश्यक सेवाओं में हड़ताल की सम्भाव्यता पर ही पूरा बल दिया गया है। अभी तक उन्होंने तालाबन्दी, जबरी छुट्टी तथा मिल बन्द करने के सम्बन्ध में अपने इरादों को स्पष्ट नहीं किया है।

अतः इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को दबाना तथा उनके हड़ताल करने के अधिकार को छीनना है। जैसाकि मैंने इस विधेयक का पुरःस्थापना की स्थिति में ही विरोध किया था, मैं पुनः इस विधेयक पर अपना जोरदार विरोध प्रकट करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक पर विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रस्तावकर्त्ता ने स्वयं ही सभा के समक्ष कुछ तथ्य रख दिये हैं, जिनमें काफी समय लगा है, जिससे कि सभा को विश्वास हो कि यह विधेयक और पहले वाला अध्यादेश सर्वथा अनुचित थे और इस तरह की आशंका उठाने का आधार भी था। अध्यादेश और विधेयक इस देश में श्रमिक वर्ग की सुरक्षा के लिए हैं। उस समय जबकि श्रमजीवी वर्ग वास्तव में ही अपना सहयोग दे रहा था, तब सभी लोगों ने सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि को कष्टकारक माना। इसका कोई भी सबूत नहीं है। वास्तव में सबूत विपरीत है। सरकार को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की पीठ में छुरा भोकने की क्या आवश्यकता थी। दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते के विरुद्ध काम करने की क्या आवश्यकता थी और आखिरकार श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए कौन आगे आया ? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार पूरी तरह गलती पर थी और उनका कदम दमनकारी था और वे अपने वचन से पीछे हट रहे थे। आज श्रमिक वर्ग के मन में और इस देश के लोगों के मन में एक आशंका है कि सरकार वास्तव में एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है।

गृह मंत्री ने एक विचित्र तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि यह अध्यादेश जारी न होता तो एक बड़ी हड़ताल हो जाती और देश में अशांति फैल जाती। उनका विचार यह है। सच कहा जाए तो यह उपचारात्मक उपाय नहीं है, यह तो दमनकारी उपाय है। अन्यथा सरकार को यह सलाह दी जाती कि श्रमिक वर्ग के विरुद्ध ऐसा कदम न उठाया जाये। सौभाग्य की बात है कि इस देश में श्रमिक वर्ग को बहुत ही गंभीर भूमिका निभानी होती है। वे देश की आर्थिक प्रगति में भी हिस्सा ले रहे हैं। वे जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। वे सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, वे निजी क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा रहे

हैं, वे हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अतः सत्ताधारी दल के लिए श्रमिक वर्ग को पूर्णतः उपेक्षित करना तथा कामगार वर्ग विरोधी होना कठिन कार्य है। इस प्रकार के उपाय उपचारात्मक उपाय सिद्ध नहीं होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि क्या सरकार इस अन्तिम स्थिति में भी इस विधेयक को वापस लेकर अपनी वास्तव में सद्भावना प्रकट करेगी। यदि फिर भी वे इस विधेयक को पारित करने तथा इसे कानून बनाने पर जोर देंगे तो उन्हें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि पूंजीपतियों को इस विधेयक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूं ? जैसे ही अध्यादेश जारी हुआ था, उस समय क्या प्रतिक्रिया थी ? इस देश में पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों ने इस अध्यादेश का स्वागत किया था। परन्तु सत्ताधारी दल से संबंधित मजदूर संघों सहित काम गार वर्ग ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया था। यह प्रतिक्रिया थी। उत्पादन कम होने के लिए मुख्यतः उद्योगपति और पूंजीपति ही उत्तरदायी हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा तथ्य पेश कर रहे थे जिनको कोई इन्कार नहीं कर सकता है—आपातकाल के दौरान भी 76% कार्य दिवस तालाबन्दी के कारण बेकार हो गये थे। इसके लिए कौन उत्तरदायी थे ? श्रमिक वर्ग नहीं। वे तो सहयोग दे रहे थे। परिस्थिति का लाभ किसने उठाया था ? देश के पूंजीपतियों और शोषणकर्त्ता वर्ग ने ही। अतः मुझे आशंका है. कि उद्योगपति जो मूलतः श्रमिक वर्ग के विरोधी होते हैं, और पूंजीपति जो सरकार के नेक इरादों को बेकार कर देते हैं, इससे लाभ उठाएंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सच कहा जाए तो, आज बढ़ते हुए मूल्यों के कारण अत्यन्त कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है। आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। अब लोग बढ़ते हुए मूल्यों, मुद्रा-स्फीति और बढ़ती हुई बेरोजगारी के भार से परेशान हो रहे हैं। जब मैंने बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध 48 घंटे का अनशन किया था, उस समय प्रधान मंत्री को लिखे मेरे पत्र का उत्तर मुझे आज मिला है। सम्भवतः उन्होंने योजना मंत्री को इसकी जांच करने का निदेश दिया हो। उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा और वह मुझे आज मिला है। उन्होंने कहा है कि जब छठी पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तो देश में 120 लाख बेरोजगार हैं। उन्हें भय है कि योजना के दौरान इसमें 38 लाख बेरोजगार और जुड़ जाएंगे और वे इसके लिये कुछ उपाय कर रहे हैं। वे कुछ हद तक रोजगार देने में सफल होंगे। फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत गड़बड़ी करने वाला कारण यह है कि लाखों शिक्षित नवयुवक बेरोजगार फिरते हैं और उनका कोई भी भविष्य नहीं है। सरकार असफल हो गई है। स्थिति यह है। अतः ठोस उपाय करने चाहिएं।

किसी भी यूरोपीय देश में चले जाइए। मैं किसी समाजवादी देश की बात नहीं कर रहा हूं। पूंजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत भी इटली, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, नार्वे या हालैंड चले जाइए। वे बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी प्रतिपूर्ति तथा भत्ते देने के लिए उपाय कर रहे हैं। वे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन में, जहां 15 लाख युवक बेरोजगार हैं, उन्होंने सरकार को हिला कर रख दिया है। सरकार वास्तव में कांप रही है और कोई कदम उठाने की सोच रही है। अतः मैं कहता हूं कि इस तरह के दमनकारी तथा

भड़काने वाले उपाय करने के बजाय सरकार को बढ़ते हुए मूल्यों और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिएं।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि गृह मंत्री ने एक गम्भीर वक्तव्य दिया है कि यदि कुछ शिकायतें हैं, तो यह काफी है कि कामगार अपना क्रोध व्यक्त करें, और काले बिल्ले लगा लें; और फिर वे इसकी जांच करेंगे। परन्तु इसके लिए कोई परम्परा तो कायम करनी होगी। इस प्रकार के उपाय करने से तो आप कामगारों में अपने विश्वास की कमी का ही प्रकटीकरण कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। कामगार वर्ग में विश्वास रखिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ बैठिए और कोई अच्छी परम्परा कायम करने का प्रयास कीजिए।

अब सभी स्तरों पर प्रबन्ध व्यवस्था में कामगारों की भागीदारी के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं पुनः इसकी मांग कर रहा हूं। पिछली कांग्रेस सरकार ने एक निर्णय लिया था कि सभी स्तरों पर कामगारों को भागीदारी के सिद्धांत को कार्यान्वित किया जाएगा। वह अच्छा निर्णय था। परन्तु इसे भुला दिया गया। अतः इस प्रकार के उपाय करने की बजाय सरकार को सभी स्तरों पर कामगारों को भागीदारिता को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में—व्यापक रूप से कार्यान्वित करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो मुझे विश्वास है कि उत्पादन बढ़ाने तथा औद्योगिक शांति स्थापित करने का सरकार का इरादा पूरा हो सकेगा। अन्ततोगत्त्वार मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे इस प्रकार के उत्तेजक उपाय करने की बजाए प्रबंध व्यवस्था में कामगारों की भागीदारिता और उन एजेंसियों, शक्तियों, से जो ऐसे उपायों का लाभ उठा रहे हैं, से प्रभावशाली ढंग से निबटने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहियें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के प्रस्ताव कासमर्थन करता हूं और माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मुझे खुशी है कि श्री स्टीफन सभा में उपस्थित हैं। आज सुबह वह यह कहते हुए एक भावपूर्ण भाषण दे रहे थे कि उनका दल और सरकार कामगारों के हड़ताल करने के मूलभूत अधिकार का समर्थन करती रही है। मैं उन्हें उनके 6 सितम्बर, के मदुरै में दिए गए वक्तव्य की याद दिलाता हूं। इसके अनुसार :—

> "केन्द्रीय संचार मंत्री ने आज कहा कि हड़ताल या सामूहिक सौदेबाजी के रूप में अन्य आंदोलनों के लिए डाक-तार विभाग में कोई स्थान नहीं है और श्रमिकों के किसी भी आंदोलन को सहन नहीं किया जाएगा।"

वह कहते हैं, डाक-तार विभाग में सामूहिक सौदेबाजी को स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है और उनकी सरकार तथा उनके द्वारा भी आंदोलन को सहन नहीं किया जाएगा। निस्सन्देह, वह यहां आकर सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं कि उनका दल और सरकार कामगारों के हड़ताल करने के मूल अधिकार का समर्थन करती है। इस प्रकार तो वह सम्पूर्ण देश को धोखा देना चाहते हैं।

इस प्रकार के विधेयक की प्रेरणा देने वाले लोग कौन थे ? मेरे पास श्री नवल टाटा का एक वक्तव्य भी है। श्री टाटा ने कहा है :—

"दुर्भाग्यवश, देश में मजदूर संघवाद ने व्यापक हिंसा का सहारा लेकर भयावह रूप धारण कर लिया है।"

जहां तक हिंसा का संबंध है, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। जहां तक हड़ताल का प्रश्न है, आपने भी इस पर विचार किया है। फिर श्री नवल टाटा कहते हैं कि मजदूर संघवाद केवल आतंकवाद है। परन्तु यहां पर मैं देखता हूं कि गृह मंत्री श्री जैल सिंह उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और श्री स्टीफन भी श्री नवल टाटा की भावनाएं और उनकी ही कही हुई बातें दुहरा रहे हैं और स्वयं श्री नवल टाटा से भी अधिक जोरशोर से बोल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे खुशी है कि आपने उनको यह बात याद दिला दी। आइये देखें कि आगे श्री टाटा क्या कहते हैं। वह कहते हैं :—

"श्री टाटा ने सभी उद्योगपतियों, नियोजक संगठनों तथा जनता के उत्तरदायी वर्गों का आह्वान किया कि भारत की अर्थ व्यवस्था को, जोकि हानिकर व गैर-जिम्मेदार मजदूर संघवाद के द्वारा विघटित और नष्ट की जा रही है, कायम रखने और मजबूत बनाने के प्रयत्न में प्रधान मंत्री का नैतिक समर्थन करें।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनको श्रम मंत्री बना दीजिए।

श्री चित्त बसु : उनको यहां पर श्रम मंत्री का कार्य करने के लिए क्यों नहीं लाया गया ? श्री नवल टाटा और बिरला ने राष्ट्रपति पद्धति की सरकार का सुझाव दिया है क्योंकि उस पद्धति की सरकार में ही उन्हें बिना चुनाव लड़े सीट मिल सकती है। अतः मैं समझता हूं कि वही कार्य किया जा रहा है। श्री नवल टाटा, श्री सी० एम० स्टीफन, श्री जैल सिंह...(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री चित्त बसु ?

श्री चित्त बसु : नहीं, नहीं, मैं उनमें नहीं हूं। वे सब गठबन्धन में हैं क्योंकि वे अन्ततः देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं।

विधेयक पर आते हुए मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। यह विधेयक अत्यन्त हानिकर है। मुझे पांच-सात बातें कहनी हैं; जैसाकि मैंने पहले कहा श्री स्टीफन, श्री जैल सिंह... *(व्यवधान)*...यह विधेयक श्रमिकों के सामूहिक सौदाबाजी के अधिकार पर मोर्चाबद्ध भारी प्रहार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हमारे श्रमिक वर्ग ने बड़ी मेहनत करके बहुत ही सावधानी से जो औद्योगिक सम्बन्ध बनाये हैं उन्हें विखंडित करने के लिए यह दुर्विचारित व बेतुका प्रहार है। इस विधेयक के द्वारा श्रमिकों को पूर्ण रूपेण निहत्था करने का प्रयास किया गया

है । इसके विपरीत नियोजक, बड़े 2 एकाधिकारी औद्योगिक गृह और अन्तर्राष्ट्रीय निकाय भी उनका शोषण करते हैं ।

सभापति महोदय : दो बातें समाप्त हुईं; अब तीसरी पर आइये ।

श्री चित्त बसु : यह विधेयक न्याय-निर्णयन के सिद्धान्त को तथा मेल मिलाप या समझौते के सिद्धान्त को, जोकि वह मूल नीति है, जिस पर औद्योगिक सम्बन्धों का भवन बनाया गया है, पूर्ण रूप से निष्प्रभावी कर देता है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि औद्योगिक संबंध इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आते । यह पुलिस विधेयक है । श्री जैल सिंह ने यह कहा है और श्री स्टीफन ने, श्री चटर्जी द्वारा उठाई गयी इस बात को कि यह एक पुलिस विधेयक है, समझाया है और आपने इसकी परिपुष्टि की है ।

सभापति महोदय : अब चौथी बात पर आइये ।

श्री चित्त बसु : वे औद्योगिक सम्बन्ध के विषय में बात करते हैं और श्री सी० एम० स्टीफन या किसी अन्य के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि यहां पर संयुक्त मेल मिलाप या समझौते के लिये परामर्शदाता तंत्र तो है ही ।

सभापति महोदय : आपने कहा था कि आप चार बातें कहना चाहते हैं ? तीन बातें आप कह चुके हैं; अब चौथी पर आइये ।

श्री चित्त बसु : मैं अभी आ रहा हूं, दो मिनट और । वे कहते हैं कि संयुक्त परामर्शदाता तंत्र समझौता कराती है । मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ सहमत होंगे और बहुत से अन्य संसद सदस्य भी मेरे साथ सहमत होंगे कि जहां तक मुझे ज्ञात है, संयुक्त परामर्शदाता तंत्र संयुक्त सौदेबाजी का स्थानापन्न नहीं हो सकता । यह नहीं हो सकता, मैं समझता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे ?

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक के द्वारा कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रत्यायोजित करने का प्रयास किया गया है । मैं कारण बता सकता हूं । मैं जानता हूं कि आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं । यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा स्थापित श्रमिकों के प्रक्रियात्मक ढांचे को नष्ट करता है और उनको अपना बचाव करने के न्यायोचित अवसर से वंचित करता है; यद्यपि चोरबाजारी करने वाले, असामाजिक तत्व तथा आर्थिक अपराधी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे हैं । अंतिम बात उद्योग के बन्द करने से सम्बन्धित है । यह एक महत्वपूर्ण बात है जिससे उत्पादन की हानि होती है । इस विधेयक में इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं है । उच्चतम न्यालालय ने एक निर्णय दिया है कि किसी भी कार्य-व्यापार केन्द्र को बन्द करने का नियोजक का मूलभूत अधिकार है । परन्तु इसके मुकाबले श्रमिकों का क्या अधिकार है ? अतः यह पक्षपातपूर्ण है और पूंजीवादियों, एकाधिकारियों और उन लोगों के, जो इस देश का शोषण कर रहे हैं, हितों की सहायता करने के लिए बनाया गया है । यह विधेयक श्रमिक वर्ग विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी तथा क्रूर है । अतः सभा को श्री जैल सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अस्वीकृत करना चाहिए ।

गृह मंत्री (जैल सिंह) : सत्कार योग्य चेयरमैन साहब, इस महत्वपूर्ण बिल पर जिसका लगाव मजदूर से भी है, कारखानेदार से भी है और सोसायटी के सब वर्गों से है, इस पर आनरेबल मेंबर साहेबान ने दिल खोल कर विचार रखे हैं, मुझे इस बात की खुशी है । मैं उन सब का मशकूर हूं ।

मैं यकीन रखता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान के मजदूरों के चेहरों पर रौनक नहीं आती, तब तक हिन्दुस्तान के चेहरे पर रौनक नहीं आ सकती । इस बात को ध्यान में रखते हुए मेंबर साहेबान ने इतनी दिलचस्पी ली है, वह जायज है और लेनी चाहिए थी ।

मेरे पास चेयरमैन साहब आपने वक्त रहने नहीं दिया । चार बजे मुझे कहा था, पांच बजने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इस मामले में ज्यादा वक्त आपका न लूं ।

एक बात जो श्री इंद्रजीत गुप्ता ने कही थी कि मैंने एक स्टेटमेंट देने का वादा किया था और उसके लिए जब मैंने बिल इंट्रोड्यूज करने के लिए इजाजत मांगी उस वक्त मैं वह स्टेटमेंट करना चाहता था, मगर स्पीकर साहब ने कहा था कि रूल के मुताबिक आप नहीं कर सकते । उसके बाद मिस्टर चटर्जी ने अपना रेजल्यूशन मूव किया । अगर रेजल्यूशन मूव न हुआ होता, तब भी एक समय था कि मैं स्टेटमेंट पढ़ देता, मगर उन्होंने ऐसा सवाल पैदा कर दिया कि अगर उनका कोई जिक्र न किया तो आनरेबल मेंबर का अदब नहीं रहता था । इसलिए उनके सत्कार के लिए मैंने कुछ बातें कह दीं । स्टेटमेंट में जो बातें हैं, वे मैंने कुछ कह दी हैं, कुछ आनरेबल मिनिस्टर स्टीफन साहब ने कह दीं, कुछ सुखाड़िया जी ने कह दीं और कुछ हमारे विरोधियों ने भी कह दीं । इसलिए स्टेटमेंट पढ़ने में मैं वक्त खर्च नहीं करता और इसको टेबल पर रख देता हूं । जिसका दिल करे वह इसको पढ़ सकता है, इसलिए मैं वक्त खर्च नहीं करता । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसमें क्या है ?

श्री जैल सिंह : अभी पढ़ दूं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, पढ़ दीजिए ।

श्री जैल सिंह : ठीक है मैं पढ़ देता हूं । हम तो चटर्जी साहब की हर बात मानते हैं, वे नहीं मानते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्ता का तात्पर्य कुछ ऐसा था जिसमें सरकार की नीति का विवरण निहित माना जा सकता है ।

श्री जैल सिंह : दिस इज पालिसी, आपको डाउट नहीं करना चाहिए ।

आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1981 सरकार के द्वारा इसलिए प्रकाशित किया गया था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, सरकार के अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ अशान्ति की प्रवृत्ति हो गयी थी। विद्यमान स्थिति में मुद्रा स्फीति को रोकने और उत्पादन का पहिया चालू रखने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने ही होंगे। कुछ ऐसी सेवाओं को जो जनसामान्य के जीवन पर प्रभाव डालती हैं बिना किसी अड़चन के बनाये रखना है। (व्यवधान) आप चिन्ता न कीजिए। मैं जानता हूं आपको। आप खानदानी लायर हैं। आप बड़े घर में पैदा हुए हैं। मैं एक मजदूर घर में पैदा हुआ हूं। हम लोगों ने चेहरों को पढ़ा है। हमने झोपड़ियों में जाकर देखा है। आप किताबें पढ़ते हैं, मैं जानता हूं। मजदूरों की क्या हालत है, देश की क्या हालत है, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, खेती-बाड़ी कैसे चलेगी, इसका हमको प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपने किताबें पढ़ी हैं (व्यवधान) चटर्जी साहब खुद इतने लायक हैं, इतने दूरंदेश हैं, इतने एजुकेटिड हैं, इतने अक्लमन्द हैं, इतने स्मीनेट लायर हैं कि उनको इनकी सहायता की जरूरत नहीं है। ये उनकी सहायता के लिए क्यों उठते हैं। वह खुद अपने आपको डिफैंड कर सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि यह प्वाइन्ट तकरीबन आ चुका है। लेकिन मैं आपकी डिमांड पर इसको पढ़ रहा हूं। इसके साथ ही साथ सरकार इस तरफ भी पूर्ण रूप से जागरूक हैं कि इन आवश्यक सेवाओं में श्रमिकों की उचित शिकायतों पर तुरन्त और पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अत: सरकार अपने इस इरादे को पुन: दोहराना चाहती है कि आवश्यक सेवाओं में जहां हड़तालों, तालाबन्दियों और जबरन छुट्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा वहां यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मेलमिलाप या समझौते और न्यायनिर्णयन के लिए वर्तमान औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र पूरी तरह कार्य करता रहे ताकि उसे भेजे गये झगड़ों को यथा सम्भव 90 दिन के अन्दर-अन्दर तय कर दिया जाये।

इस प्रकार की आवश्यक सेवाओं में, जो कि अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित किये जा सकते हैं, तीन प्रकार के कर्मचारी होते हैं—सरकारी कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी। हालांकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आने वाली समझौता और न्यायनिर्णयन प्रक्रियायें सभी प्रकार के औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होती हैं, फिर भी, यदि ऐसे विवाद हैं तो उनको, समझौते और न्याय-निर्णयन के लिए भेजने से पहले इन झगड़ों का निपटान करने के लिए असांविधिक प्रबन्ध भी किये गये हैं। सरकारी सेवाओं में विवादों का निपटान करने के लिए संयुक्त परामर्शदाता तंत्र है; रेलवे तथा डाक व तार विभागों में 'स्थायी समझौता वार्ता तंत्र' है तथा वित्त मंत्रालय में, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों की जांच करने और शीघ्र सरकार के आदेश प्राप्त करने के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो की केन्द्रीकृत एजेन्सी है। इन सभी प्रबन्धों का जहां आवश्यक समझा जायेगा वहां सशक्त बनाकर अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जायेगा ताकि उनके अन्तर्गत आने वाली श्रमिकों की सच्ची शिकायतें एक निश्चित समयावधि में दूर की जा सकें।

यह आन्सर नहीं था, आन्सर अब आएगा या तो पहले आया था। यह तो हमारा

ालिसी स्टेटमेंट था, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कदम उठाएंगे। आप जरा गौर से इसको देखिए। आप किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए यहां नहीं आए, आप एक ऐक्ट को बनाने में सहायता कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी से लेकर श्री समर मुकर्जी, श्री भगत जी, श्री चिरंजी लाल शर्मा जी, श्री रवीन्द्र वर्मा जी, श्री सुखाड़िया जी, वाजपेयी जी, जार्ज फर्नान्डिस, फ्रैंक एन्थानी, इन्द्रजीत गुप्त, दण्डपाणि जी, हरिकेश बहादुर जी, ए० के० राय, त्रिदिव चौधरी, चन्द्रजीत यादव और चित्त बसु जी, चटर्जी से लेकर चित्त बसु तक 17 मेम्बर साहबान ने इसकी व्याख्या की और इसका खुलासा किया। विस्तारपूर्वक एलैबोरेट के वही ख्याल बताए गए जो आईनी प्वाइंट हैं उसके सम्बन्ध में तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यह आर्डिनेंस जारी होने के बाद सुप्रीम-कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि यह किसी के हक को नहीं छीनता। यह बुनयादी हकों में तो आता ही नहीं, लेकिन दूसरे राइट्स को भी नहीं छीनता और यह वैलिड है। इसलिए मैं समझता हूं कि चटर्जी और उनके जैसे जितने भी लोग हैं उनके विचारों के हर पहलू को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, हर आर्टिकल को वहां कोट किया गया था जिन्हें यहां कोट किया गया और सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानेंगे ही क्योंकि आपका दावा है कि हम से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की इज्जत आप करते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं और कुछ कहता नहीं।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके जो नेता हैं, मैं उनका बहुत अदब करता हूं···

एक माननीय सदस्य : सबसे बड़ी पार्टी अपोजीशन की।

श्री जैल सिंह : यह क्या बताने की जरूरत है ?···(व्यवधान)···उन्होंने स्पष्ट बात की, हेराफेरी की बात नहीं की। वह कहते हैं कि यह आर्डिनेंस या बिल आपकी सरकार को खत्म कर देगा और हम आएंगे। मैंने उस वक्त कहा था बैठे-बैठे कि फिर आप खुश हो जाएं। उन्होंने कहा था कि मैं खुश हूं। मैंने कहा कि फिर आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं ? एक बात उन्होंने और कही कि यह बिल हमको एक कर देगा, हम सब एक हो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई बुजुर्ग आदमी हैं, इनकी बात पर ऐतबार करना भी गुनाह है लेकिन एतबार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एतबार कैसे आए ? प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। श्री चटर्जी ने बड़ा प्वाइंट लिया था कि जनता पार्टी को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हम इससे डेमोक्रेसी को बचाएंगे। और जनता पार्टी की डेमोक्रेसी क्या थी ? जनता पार्टी की कम से कम डेमोक्रेसी तो थी। जिसका जी चाह रहा, जिसका जी नहीं चाहा, वह चला गया। (व्यवधान)

जहं दर आवत जात हो, हटके नाहीं कोय,
सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होय।

जहां आने-जाने में कोई रुकावट नहीं है, उसको क्यों छोड़ते हैं ? उस वक्त गलती की। अगर आप दोबारा आस रखते हैं, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह बिल तो क्या, और

भी कई बिल आ जाएं, तो भी आप इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हो जाएं, तो भगवान् की बड़ी कृपा हो जाए। मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि होम मिनिस्टर की पार्लियामेंट में बहुत बार पेश होना पड़ता है। स्पीकर साहब भी खुश रहेंगे और मेम्बर भी शान्ति से सुन सकेंगे। अब तो इतने लीडर हैं कि अगर एक लीडर कोई बात कहता है, तो दूसरा लीडर सोचता है कि मैं क्यों खामोश रहूं, लोग कहेंगे कि तुम क्यों खामोश रहे, इसलिए उसको भी बोलना पड़ता है।

श्री चन्द्रजीत यादव की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। पहले उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं, फिर कह दिया श्री चटर्जी को। एक दिन तो उन्होंने हमारी सपोर्ट करनी ही है, तो आज क्यों नहीं कर देते? श्री इन्द्रजीत यादव बहुत दूर-अंदेश और बहुत सुलझे हुए पालिटीशन हैं। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं। उन्होंने बड़ी दिलेरी का कदम उठाया कि जहां उनके विचारों की कोई कद्र नहीं, वहां रहने की क्या जरूरत है। आज उनकी एक सेपेरेट पार्टी है। आज वह हमको कुछ अच्छी बातें भी बता गए, जिनके लिए मैं उनका मशकूर हूं। उन्होंने कहा कि मैंनेजमेंट में वर्कर्ज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यह सुझाव बहुत अच्छा है। हम इस पर गौर करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : पंद्रह साल से गौर हो रहा है!

श्री जैल सिंह : उन्होंने कहा कि 12 मिलीयन बेरोजगार हैं। मैं हैरान था कि श्री चन्द्रजीत यादव जैसा समझदार आदमी बात उन लोगों की कर रहा है, जिनको एम्पलायमेंट मिली हुई है। वह अनएम्पलायड लोगों की बात तो नहीं करते। झगड़ा तो इस बात का है। वह उन लोगों की वकालत करते हैं, जो एम्पलायड हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, बच्चों को एजूकेशन मिलती है, घर बने हुए हैं। और गवर्नमेंट के एम्पलाई?—जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई उनको चोट लगा दे, तो दो मुकदमे बनते हैं कि आपने गवर्नमेंट के एम्पलाई को क्यों छेड़ा, आपका क्या हक है। अगर एक आम आदमी को चोट लगे, तो एक मुकदमा बनता है। आप वकालत किनकी करते हैं और बात किन की करते हैं। खैर, हम बिल इसीलिए ला रहे हैं कि पैदावार बढ़े और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत यादव तो मुझे ऐसे ही याद आ गए, उनकी बात तो आखिर में आयेगी। श्री समर मुकर्जी ने, जो बुजुर्ग हैं, कहा है कि हम एक हो जाएंगे। भगवान् करे कि श्री वाजपेयी श्री समर मुकर्जी को नेता मान लें, या श्री मुकर्जी श्री वाजपेयी को नेता मान लें। मैं धार्मिक आदमी हूं। मैं उस दिन एक यज्ञ करवाऊंगा और एक अखंड पाठ करवाऊंगा। श्री मुकर्जी भारतीय जनता पार्टी की आइडियालोजी को नहीं अपना सकेंगे और भारतीय जनता वाले कम्युनिस्ट नहीं बनेंगे। यह बिल आपको कैसे जोड़ सकता है?

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : आपने जोड़ दिया है।

श्री जैल सिंह : अगर जोड़ दिया है, तो बड़ा अच्छा हुआ। दुनिया में जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले तो बहुत होते हैं। तब तो हमारा मशकूर होना चाहिए। मगर एक बात याद रखें :—

नजर आते हैं इकरार में इन्कार के पहलू,
मुहब्बत इस जमाने में सियासत होती जाती है।

जो इन्कार है, वह पहले है और इकरार बाद में है। (व्यवधान) जब किसी का मिलाप हो, तो तंगदिल आदमी तो दो आदमियों को हंसते हुए नहीं देख सकता। हमें तो खुशी होती है कि दोनों मुस्कराएं, हंसें, उनका मेल-मिलाप हो जाए। हमें यह बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे इस यत्न के बावजूद भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, आप शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त से भी न मिल सकें। पार्टियां चली जाती हैं, ये बुनियादी बातें चलती रहती हैं। इसमें क्या अफसोस की बात है। बिल आते रहेंगे, आप कहते भी रहेंगे, आप लड़ते भी रहेंगे।

उन्होंने एक और बात कही कि आप इस बिल के साथ चले जायेंगे, तो परमात्मा आपको लम्बी उम्र दे और आपको शक्ति दे···

श्री समर मुखर्जी : जो रास्ता दिया है, वह जाने का रास्ता है।

श्री जैल सिंह : रास्ता दिखाते हैं, हम उसी रास्ते पर पहले ही चढ़े हुए हैं। आप तो खुश हैं इस बात से यह रास्ता भी हमारा चलेगा, गाड़ी भी चलती रहेगी और कारवां भी चलता रहेगा, भगवान आपको उम्र दे, आप यहीं रहें···(व्यवधान)···आप खड़े होकर बोलिए···(व्यवधान)··· माफ करना···(व्यवधान)···चेयरमैन साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। क्या करूं, क्या बताऊं और क्या न कहूं। आजकल किसी के साथ आप प्यार भी करें, मोहब्बत और उपकार करें, अदब करें, तो उसकी कोई कदर नहीं करता है। मैंने कल घोष जी का बड़ा ही अदब किया। कल वाली एक मीटिंग में आए थे, उन्होंने अच्छे सुझाव दिए, कुछ माने और कुछ नहीं माने। यह तो डेमोक्रेसी का जेवर है, अलंकार है। इसके बगैर गुजारा नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी की यह खूबी है कि किसी की बात को मानो और किसी की बात को न मानो। लेकिन जो बात नहीं मानते हैं, वह अलहदा हो जायें। भगत जी ने बड़ा कुछ कहा, उन्होंने मेरी सहायता की, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे रवीन्द्र वर्मा जी बहुत सुलझे हुए और एक्स-मिनिस्टर भी रहे हैं, लेबर मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने हमको बहुत सी बातें बताई हैं। उनको हमने अपने दिमाग में नोट कर लिया है ··(व्यवधान)···

सभापति महोदय : ज्ञानी जी ठीक कह रहे हैं। इसीलिए तो नाम उनका ज्ञानी है। नोट नहीं करेंगे तो ज्ञानी कैसे होंगे। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : उन्होंने कहा था कि आर्डिनेंस जारी करने की क्या जरूरत थी। आप यह बात दो-तीन बार कह चुके हैं और भी दोस्त कहते हैं कि आर्डिनेंस जारी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझे पर्सनली भी कहा था कि आप सादे आदमी हैं, लेकिन कभी-कभी क्रनिंग भी हो जाते हैं। उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ याद कराता हूं। मैं आपकी इस बात का ख्याल रखूंगा कि सादगी को रखूं और क्रनिंग न बनूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं।

एक और बड़ी कही गई कि यह आर्डिनेंस आई० एम० एफ० के दबाव पर आया है और इसका समर्थन हमारे इन्द्रजीत गुप्ता जी ने भी कर दिया। इन्द्रजीत गुप्ता जी बहुत ही सुलझे हुए

मार्क्सवादी, लैनिनवादी और काम्यूनिस्ट पार्टी के मजबूत एक नेता हैं और काम्यूनिज्म को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप गलती करते हैं, इन्टरनेशनल आर्गेनिजेशन के इशारों पर अमल करते हैं, उससे नुकसान होगा और दूसरी सांस में उन्होंने कहा कि आई० एल० ओ० के मेम्बर होते हुए भी भारत वाले उसका ध्यान नहीं रखते हैं यह भी इन्टरनेशनल है और वह भी इन्टरनेशनल है—आई० एम० एफ० और आई० एल० ओ०···(व्यवधान)···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जैल सिंह : आपका शुक्रिया, तशरीफ रखिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कम से कम कुछ ऐसा कहें जो आसानी से समझा जा सके।

श्री जैल सिंह : चेअरमैन साहब, उनका कहना यह था कि जो आई० एल० ओ० है उसकी डायरेक्शन तो लिया करो, लेकिन आई० एम० एफ० जिससे हमको पैसा मिलता है, उसकी मत मानो···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप उसकी मानेंगे ?

श्री जैल सिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्त को मालूम होगा कि इण्डिया उसका मेम्बर है, उससे जो मौनिटरी सहायता ली गई है वह हमारा हक है, डवेलपिंग कन्ट्रीज के लिये यह प्रावीजन किया गया है जो हम वहां से ले रहे हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं मान रहे हैं, बल्कि वहां अपनी राय भी देते हैं। अगर कोई मेम्बर यह कहे कि पार्लियामेंट में कोई फैसला हुआ वह गलत है, उसको नहीं मानेंगे तो न मानिये। आई० एल० ओ० में हमारा डेलीगेशन जाता है, उनकी मीटिंग्ज में हिस्सा लेता है, उनके फैसलेजात को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उनके फैसले ऐसे नहीं होते हैं कि हर कन्ट्री में वैसा ही कर दिया जाय। मैं आपसे पूछता हूं—क्या हम अपने मजदूर को उतनी तनख्वाह देंगे जो यू० एस० ए० में मिलती है ?

दूसरी बात—उन्होंने यह कही कि वहां का सिस्टम आफ गवर्नमेंट अलग है और यहां का सिस्टम आफ गवर्नमेंट अलग है। यह एक बहुत अच्छी बात है, एजूकेटिव बात है। पहले सिस्टम को समझ लें, तब आगे चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं—आप कौन से सिस्टम को पसन्द करते हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह मैं आपको बाद में बतलाऊंगा।

श्री जैल सिंह : बहुत अच्छा होता, आप हाउस में बतला देते कि आप हिन्दुस्तान में क्या सिस्टम चाहते हैं ? जो हमारा सिस्टम आफ गवर्नमेंट है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन आप बतलाइये आपको कौन सी डेमोक्रेसी पसन्द है, इस मुल्क के लिये रशियन डेमोक्रेसी ठीक है या चाइनीज डेमोक्रेसी ठीक है ? दुनिया में कुछ दूसरे सोशलिस्ट कन्ट्रीज भी हैं, उनके यहां भी डेमोक्रेसी हैं, उनके तर्जे हुकूमत को आप क्यों नहीं प्रचारते। इक दिन भी आपने नहीं कहा कि कांस्टीचूशन में तबदीली लाओ···इस तरह से मुल्क का सुधार होगा···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत बार कहा है।

श्री जैल सिंह : तब फिर उस पर अमल कीजिये। हमारे कांस्टीचूशन के प्रीएम्बल में लिखा है कि यह मुल्क "सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सैकुलर रिपब्लिक" है। जब इसमें सोशलिस्ट लफज है तो फिर इस सोशलिस्ट गवर्नमेंट को आप सोशलिज्म की बातें क्यों नहीं बतलाते, बजाय इसके आप छोटी-छोटी बातों में लड़ रहे हैं। आप हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखलाते हैं, लेकिन जहां से आपने सीखा है —जरा सोचिये···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लन्दन से।

श्री जैल सिंह : हम तो हिन्दुस्तान के जो महापुरुष थे उनकी थ्योरी को मानने वाले हैं। हम गरीबों के साथ हैं। हम समझते हैं– समाजवाद न्याय करा सकता है, इसमें लोगों को न्याय मिलता है, इसमें मुनाफाखोरी की जगह नहीं होती है, वर्किंग क्लास को इसमें सम्मान मिलता है, सब बांट कर खाते हैं।

आपका समाजवाद कहता है कि जरूरत से ज्यादा हो तो बांट दो, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के महापुरुषों का समाजवाद यह नहीं कहता, वह कहता है —जितना भी है, बांट कर खाओ, अगर थोड़ा है तो थोड़ा बांट कर खाओ। हम उन आदर्शों पर चल रहे हैं। हम भी सोशलिस्ट हैं और आप भी सोशलिस्ट हैं···

एक माननीय सदस्य : बिरला, टाटा कितना बांट रहे हैं।

श्री जैल सिंह : बिरला-टाटा की बात पर भी आने वाला हूं, लेकिन बाटा का नाम आप नहीं लेते, गोयनका का नाम नहीं लेते ? चित्त बसु जी ने हमको मिला दिया —स्टीफन साहब को, मुझको नवल टाटा के साथ, लेकिन उन्होंने बाटा का नाम नहीं लिया, न बिरला का नाम लिया और न गोयनका का नाम लिया, जितने बिग-हाउसेज हैं सबका नाम लेना चाहिये था। मैं वह पोलिटीशियन नहीं हूं कि एक बिग-हाउस के साथ प्यार करता रहूं और दूसरे के खिलाफ रहूं। हम तो थ्योरेटिकली अमीर आदमी की जो अमीरी है उसको इजाजत नहीं देना चाहते हैं कि वह गरीब और वर्किंग क्लास का खून चूसता रहे और अपनी कमाई बढ़ाता रहे। हम उसको रोकना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी हो।

मैं इन्द्रजीत गुप्ता जी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जैसे कोई शकोशुब्हे की बात हो। वह पक्के कम्यूनिस्ट हैं, लेकिन कम्यूनिज्म का काम नहीं कर रहे हैं। समर मुखर्जी साहब जो हैं वे सी० पी० एम० में हैं, आप सी० पी० आई० में हैं और अब एक आल इन्डिया सी० पी० आई० बन गई है और इसके अलावा एक सी० पी० एम० (एल०) है। हम सबको वाच करते हैं, सबको ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों का ख्याल रखते हैं। हमारा जो यह डेवलपिंग कन्ट्री है उसके रास्ते में सोशलिज्म आ जाए, उसको हम अपना लें और यह देश तरक्की करे, ऐसा हम चाहते हैं लेकिन मैं क्या करूं जब समर मुखर्जी साहब यह सर्टीफिकेट देते हैं कि यह देश फासिज्म की तरफ चल रहा है। समर मुखर्जी और आप, दोनों को मैं बड़े अदब से कहता हूं कि आप हमें अच्छी तरह से समझ लें। आपके ख्याल में हम फासिस्ट हो गये लेकिन मेरा ख्याल

है कि न आप कम्यूनिज्म को मानते हैं और न सोशलिज्म को मानते हैं, आप किसी इज्म को नहीं मानते बल्कि सिर्फ अराजकतावादी हैं और अराजकतावाद जो है, वह कैपीटलिज्म से भी खतरनाक है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा क्योंकि आप बहुत समझदार हैं लेकिन जितनी छोटी बुद्धि मेरी है, उससे मैं यह कहना चाहता हूं कि एक रास्ते पर चलिये, राईट हो जाइए या लेफ्ट-हो जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बीच में जाएं ?

श्री जैल सिंह : बीच में चलो क्योंकि डबल सड़कें भी होती हैं मगर जो किसी तरफ न हो, जिगजेग हो, उसका आप ध्यान रखें क्योंकि उसमें काफी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आप भी कोई रास्ता अपनाइए, हमने तो अपना रास्ता बनाया हुआ है और सोच-समझ कर अपनाया है और यह बिल इसलिए नहीं ला रहे हैं कि हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपका यह ख्याल है कि हम कमजोर हुए हैं, हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम कन्ट्रोल कर सकते हैं और करेंगे, आयन्दा के लिए रास्ता साफ है, आपको परमात्मा जिंदा रखे और आप यहां बैठ कर देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं।

मैं चाहता था कि वर्मा जी की बातों पर अपने विचार रखता लेकिन समय कम है और चेयरमैन साहब सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर सुनी, कुछ कमरे में बैठ कर सुनी और कुछ यहां बैठ कर सुनी और उसके बाद स्टीफन साहब जो यहां पर बोले, उन्होंने उनकी सब बातों का जवाब दे दिया होगा लेकिन एक दो बातें जो वाजपेयी जी ने बतलाईं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

एक बात तो उन्होंने यह कही कि जब मैं पंजाब गया था, तो रास्ते में देखा कि फसलें बरबाद हो रही हैं पानी के बगैर। वाजपेयी जी, यही तो कारण है, यही तो वजह है, जिससे हमें ऐसा बिल यहां लाना पड़ा है। फसलें बरबाद हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ? वर्मा जी, उनसे बात फिर कर लेना, हमसे भी बात करो, प्यार किया तो डरना क्या। मैं वाजपेयी जी से बड़े अदब से कहता हूं कि सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री को भी बिजली की कमी होने के कारण धक्का लगा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मजदूरों की वजह से नहीं।

श्री जैल सिंह : पंजाब में 4 लाख के ऊपर ट्यूबवेल्स हैं और आपने पंजाब में देखा कि वहां फसलें सूख रही हैं। अगर बिजली पूरी मिलती हो, तो वह फसल कुछ बचाई जा सकती है। जो बिजली अब मिलती है और आपके कहने से अगर वहां पर हड़ताल करवा दी गई, तो वह भी चली जाएगी। बिजली वाले भी अगर हड़ताल करते हैं, तो हम जो एसेंशियल सर्विस कहते हैं, वे ऐसी बातों के लिए ही कहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : बिल के ऊपर बोलिये ?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आप बिल पर बहुत कुछ बोल चुके हैं, इसलिए जल्दी खत्म कीजिए ।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, अब मैं समाप्त करता हुआ मूल बातें जो हैं । उनके बारे में कहना चाहता हूं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैंने यह बता दिया है कि यह बिल लेबर के अधिकारों पर डाका नहीं है जो यह कहा गया कि हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, हम तानाशाही की तरफ नहीं जा रहे हैं । यह भी मैंने बता दिया है । अथोरेटेरियन की बात की गयी, इसके बारे में यह समझो कि यह लफ्ज अथोरिटी से निकला है । कुछ भी हो उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं । मैं तो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हूं और सरकार में हूं । सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए नहीं है । हमारे बीच में आप किस लिए बैठे हैं, आपको हमारी खामियां बतानी चाहिएं । अगर हम गलती करते हैं तो हम जागरूक रहेंगे और अपनी गलती को ठीक करेंगे । मैं तो भगत कबीर जी के उपदेश को मानता हूं :—

निंदो निंदो मोको लोक निंदा
निंदा जनकी खरी प्यारी,
निंदा बाद निंदा महतारी
निंदा करा सो हमारा मीत
निंदना माहे हमारा चीत । (व्यवधान)

हम घबराते नहीं है । अब ये कहते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कर दो । यह तो ब्रजभाषा में है और अगर इसका ट्रांसलेशन मैं करूंगा तो बेल खटक जाएगी और एक मिनिस्टर के लिए बेल का खटकना अच्छा नहीं है ।

हम से ये कहते हैं कि हम लोगों की आखों में धूल डालते हैं । मैं हिन्दुस्तान के लोगों के आगे यह बात रखूंगा कि बताओ भई आपकी आंखों में धूल कौन डालता है, हम डालते हैं या ये डालते हैं । हमसे कहते हैं कि हम टाटा, बिरला की हिमायत में व्याख्या करते हैं । अब आप मुझे बताओ कि क्या टाटा और बिरला रेलवेज में हैं, क्या वे बिजली में हैं, क्या वे डाक तार या टेलीफोन में हैं ? कहां हैं ये टाटा और बिरला (व्यवधान)

फिर हमारे आनरेबल मेम्बर साहेबान कहते हैं कि लोक आऊट और ले आफ को तो मिला लिया, क्लोजर को क्यों नहीं बीच में रखा ? मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम तो रखना चाहते थे लेकिन उसमें अदालत की रुकावट आ गयी । पहले यह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में था मगर जब यह अदालत में चेलेंज हुआ तो उन्होंने इस क्लाज को स्ट्रक डाऊन कर दिया । इसलिए हम इसको इसमें नहीं रख सके । वरना हरेक बात जो मजदूर के हक में है वह हमने इसमें रखी है ।

मेरे पास आपकी बातों का जवाब बहुत है लेकिन मुझे अहसास है और आपको भी अहसास है और पार्लियामेंट्री अफेअर्स मिनिस्टर भी मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, इसको भी मैं समझता हूं इसलिए जल्दी ही अपनी बात को समाप्त करता हूं।

मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमने स्ट्राइक बैन नहीं की, खास-खास हालतों में स्ट्राइक को बेन करने के अधिकार लिये हैं। हमने जुलूस और जलसे करने बंद नहीं किये हैं, हमने स्लोगन लगाना बेन नहीं किया है। हरेक चीज के लिए छूट्टी है। लेकिन साथ ही इस बात की गारन्टी दी है कि हम ऐसे हालात नहीं बनने देंगे जिनमें कि उनको हड़ताल करनी पड़े। फिर मुझे शक नहीं कि कोई हमको इस बिल से डुबो देगा। समर मुखर्जी यह हमको नहीं डुबोयेगा, बल्कि एक तबका है, यह वह तबका है जिसका काम है इन्स्टीगेट करना। यह उसको डुबोयेगा। जहां भी कोई मिल गया, उसका काम उसको इन्स्टीगेट करने का है। ये इन्स्टीगेट करके चल देते हैं, फिर चाहे मजदूर जाने या खेत का जमींदार जाने, उनमें लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई मरे, ये तो पीछे चले जाते हैं। ये एक्सप्लोइटर हैं। ऐसे लोगों को सोसायटी और पार्टी से बाहर करो, इनका कोई फायदा नहीं है। सोसायटी या पार्टी को कोई फायदा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बड़ी दूरन्देशी की बात कही। मैं उससे इत्तिफाक करता हूं। उन्होंने दोष लगाया कि यह हमारा कुसूर है। उन्होंने सरदार पटेल का भी नाम लिया। मेरे ख्याल से सरदार पटेल ने जो काम किया होगा वह देश के भले के लिए ही किया होगा। अब कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़कर देख लेंगे कि कब "इंटक" बनी और कब "एटक" बनी। (व्यवधान)

मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने यह बात खुलकर कही कि मजदूरों को आपस में लड़ाते हैं, मजदूरों का नुक्सान करते हैं, इस बात से उन्होंने इत्तफाक किया, लेकिन यह बात उन्होंने नहीं कही कि भई हम मजदूर का भला चाहते हैं, अगर तुम जिद करते हो तो तुम अपनी बनाओ, हम अपनी तोड़ देते हैं। (व्यवधान)

यह बात उन्होंने नहीं कही। एक अस्पताल में एक माता का बेटा चुराया गया और दूसरी औरत ले गई। झगड़ा बढ़ा, एक कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी कहती थी मेरा बेटा है। अदालत कैसे फैसला करे। तब एक बात कही गई कि इस बच्चे का दोनों औरतें दावा करती हैं, इसलिए इस बच्चे को आधा-आधा काट दो और दोनों में बांट दो। जब बच्चे को काटने लगे तो जो असल मां थी, उसने कहा कि मत काटो, बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं—बच्चा आपका है, क्योंकि दूसरी औरत को तरस नहीं आया, वह असल मां थी ही नहीं। इसी प्रकार आपको क्या है, मजदूर कटें, मरें, क्योंकि आप तो मजदूरों के हैं ही नहीं, लेकिन हम तो मजदूर के लिए हैं और मजदूर की हिमायत करते हैं, चाहे हमारा नुक्सान हो जाए, बुरा हो हम मजदूर का भला करेंगे। इसलिए आप जरा सोचिए। आल पार्टी मीटिंग बुलाइए, मुझे भी जाए, लेकिन बुला लीजिए और उसमें हम फैसला कर लेते हैं कि हरएक यूनिट में एक ही यूनियन हो, तो फिर आप कोई चिंता न कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना मजदूर संघ बनाने दीजिए, सोशलिस्टों को अपना बनाने दीजिए, चन्द्रजीत यादव को अपना बनाने दीजिये, जनता पार्टी चन्द्रशेखर को अपना बनाने दीजिये, शायद चन्द्रशेखर यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन बन सकते

हैं, क्योंकि वाजपेयी को तो किसी ने नहीं मानना और समर मुकर्जी को भी किसी ने नहीं मानना, वे माने जा सकते हैं, क्योंकि भले और नेक आदमी हैं, पहले भी वे माने गए हैं शायद वे ही आ जाएं, फिर इन्द्रजीत गुप्ता तो समझदार आदमी हैं टेबल पर बैठकर सुलझा सकते हैं, इसमें लड़ने-भिड़ने की क्या जरूरत है ?

डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की व्याख्या करते हुए, जवाब देते हुए मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूं । मेरी ये प्रार्थना है कि आनेस्टी से जिन बातों पर आप विलीव करते हैं, वे बातें आप कहें और हिन्दुस्तान के संविधान के मुताबिक आपका कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो लागू नहीं होता । आप कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो को पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं । हम तो उसको मानते नहीं, हम तो आजाद हैं । हमारा इज्म क्या है, हमारा तो नेहरूइज्म है, हम तो उसी पर चलते हैं, लेकिन आपका इज्म क्या है, अगर कम्युनिज्म है तो कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो को मानो, अगर कोई और है तो और बात है, लेकिन मैंने जो बात कही, वैसा इज्म न बनाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नुक्सान हो जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी । मैं समझता हूं कि आपका उत्तर मंत्री महोदय के उत्तर की भांति लम्बा नहीं होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं ओछेपन में उनकी मैं बराबरी नहीं करना चाहता ।

महोदय, इस सभा में अपने 10 वर्षों के अनुभव में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है जैसाकि आज देखा है कि ऐसे विषय पर, जिससे इस देश के लाखों व्यक्ति क्षुब्ध हैं, महत्वपूर्ण वाद विवाद का उत्तर भारत सरकार के गृह मंत्री इस ढंग दे रहे हैं । इसका उत्तर सारहीन और ओछे ढंग से दिया गया है । इसमें गम्भीरता से कुछ भी नहीं कहा गया है तथा हमने जो बातें कही हैं उनमें से किसी एक का भी उत्तर नहीं दिया गया है । हम यहां शब्दाडम्बर की बात नहीं कर रहे हैं । हम इस देश के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं... (व्यवधान)

जिस ढंग से इसका उत्तर दिया गया है, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि अधिकारों में एक पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की जाये जिससे इस देश के लोग यह महसूस कर सकें कि हो क्या रहा हैं । मैं समझता हूं कि इस देश में हम अधोगति को पहुंच गए हैं ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान मत डालिये । श्री चटर्जी, आप उनकी बातों का उत्तर न दें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने व्यक्तिगत आक्षेप कभी नहीं किया है । उन्होंने मेरी बात नहीं समझी है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

श्री आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये लोग भी हंस रहे थे उस समय । (इंटरप्शंज)

श्री जैल सिंह : किसी भी मेम्बर को किसी मेम्बर को क्रिटिसाइज करने की इजाजत नहीं हो सकती है । खयालों के खिलाफ कह दें, मैं आपके और आप मेरे खयालों के खिलाफ

कह दें, कनविंस न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपका नाम बहुत अदब से लेता रहा हूं। लेकिन आप मेरी जात पर हमला करने लगें तो मैं आपको यह नहीं करने दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने मेरी बात नहीं समझी है। मैं कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विषय पर बोल रहा हूं। हम पर आरोप किसने लगाया ? मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया है। यदि वह समझते नहीं तो वह व्यवधान न डालें।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत, शांत। उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के सभी पक्षों से ऐसी ही आशा करता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अतः हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

मतभेद अवश्य होंगे। मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने विचार व्यक्त करें। हम जानते हैं कि यह विधेयक पास होगा। हम जो भी बातें कहें, कम से कम हम यह आशा तो कर सकते हैं कि आप उन्हें सुनें, चाहे वे आपको पसंद हों या न हों। आप उन्हें सुनने की कोशिश करें। मैं यही आशा करता हूं जिससे इस समय भी हम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकें। मुझे दो बातें कहनी हैं। यह अध्यादेश सभा की बैठक शुरू होने से 3 सप्ताह पूर्व क्यों जारी किया गया ? अध्यादेश जारी किया गया जो एक प्रकार से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी कही हुई बात का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तथ्य यह है कि अध्यादेश की धारा 3 के अनुसार कोई आदेश जारी नहीं किया गया। गृह मंत्री ने बताया कि इससे इस बात का पता चला है कि सरकार दण्डात्मक रवैया नहीं अपनाती है। इसका अर्थ यह है कि अभी तक किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिर कार्यवाही के लिए तत्काल आवश्यकता की बात कहां है ? इसका कारण कठोर कदम उठाने के लिए भय पैदा करना हो सकता है। आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि वे हड़ताल भी करते हैं तो आप उनके प्रति दण्डात्मक रवैया नहीं अपनायेंगे। जब हड़ताल के अधिकार की बात आती है, तो यहां डंडा की बात आती है।

एक माननीय सदस्य : इसमें गलत बात क्या है ?

सोमनाथ चटर्जी : अतः इस अध्यादेश का वास्तविक उद्देश्य यह है, किसीतत्काल कार्यवाही के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है,—भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसमें यह उल्लेख है कि केवल जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है. कोई कार्यवाही नहीं की गयी है परन्तु देश में भय की यह भावना

पैदा की गई है कि इस देश में आम कर्मचारी तथा श्रमिक लोग मेरी दया पर हो । यदि आप विरोध करने की आवाज उठाते हैं, यदि आप कोई मांग करते हैं, यदि आप नियोक्ताओं के मार्ग में बाधा डालते हैं अथवा यदि आप श्री स्टीफन के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में आज के नियोक्ताओं के मार्ग में बाधा डालते हैं तो यह सरकार आपको माफ नहीं करेगी। आपको विरोध व्यक्त नहीं करने दिया जायेगा । इस देश की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, इस देश की आम जनता पर चाहे जितना बोझ हो, लोगों के मन में इस बारे में चाहे जो संदेह हो कि इस सरकार के सही मनसूबे क्या हैं आपको मौन रहकर कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी, आप विरोध की आवाज नहीं उठा सकते । इसलिए लोगों के मन में भय पैदा करने की बात है ।

महोदय, सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है । यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था अथवा देश की सुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो वह इसका उदारता के साथ प्रयोग कर सकती है । आप हमें बतायें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने समाज विरोधी लोगों की गिरफ्तारी की गयी है । हम इस जानकारी के बारे में पूछते आ रहे हैं और उसका उत्तर यह दिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद किए गए लोगों का ब्योरा हमारे पास नहीं है । महोदय, इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है कि अध्यादेश जारी क्यों किया गया है—जब हम ऐसा कहते हैं तो हम प्रेसीडेंट या राष्ट्रपति जी पर कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं—और उनके पद का उपयोग संविधान के विरुद्ध इस अध्यादेश को जारी करने के लिए किस प्रकार किया गया है । उन्हें जगह जगह हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है । कोई स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या थी ? श्री भगत ने कम से कम एक बात कही कि सरकार का वैध कारणों से की गई हड़ताल पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है, मैंने उनकी अनुमति से उस समय उन्हें टोका । क्या इस विधान में कोई अपवाद है ? क्या सरकारी पक्ष से किसी सदस्य ने ऐसा कहा ? मुख्य प्रवक्ता माननीय गृह मंत्री उस समय नाराज हो गए जब मैंने उन्हें पुलिस मंत्री कहा, क्योंकि वह समझ नहीं सके । अब मुझे यह नहीं मालूम कि माननीय संचार मंत्री ने किस नियत से इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : संसद सदस्य के नाते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के नाते नहीं । इस सभा के माननीय सदस्य के रूप में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । अनेक हड़तालों को उच्चतम न्यायालय ने उचित ठहराया है । जब यह कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देता है तो उच्चतम न्यायालय बुरा है परन्तु जब इसी उच्चतम न्यायालय ने धारक बांड के पक्ष में निर्णय दिया तो यह अच्छा हो गया । यदि इस अध्यादेश का अनुमोदन किया जाये तो उच्चतम न्यायालय बहुत अच्छा है, परन्तु इसी उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि कुछ हड़तालें उचित हैं । कर्मचारियों की हड़ताल सही थी । कतिपय मामले हुए हैं । 'ग्रीन्ज काटन' मामले जैसे कतिपय मामलों में मुझे संघ की

ओर से उपस्थित होने का मौका मिला । वहां क्या कहा गया ? उसका कहना है कि जिस हड़ताल में वेतन की कटौती हो वह हड़ताल वैध है । नियोक्ता को कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन देना पड़ेगा । अब इस वर्तमान विधेयक में इसके लिए क्या संरक्षण दिया गया है ? इसमें इसके लिए किसी संरक्षण की व्यवस्था नहीं है । क्या वे कोई ऐसी हड़ताल नहीं कर सकते जो उचित हो, सदाशय से हो, जिसके लिए कर्मचारी विवश हो ? नहीं, श्री भगत समझते हैं कि वैध हड़तालें इस विधान से बाहर होंगी, आदि । मुझे आशा है कि वह इसे वैध मानेंगे । मेरी समझ में श्री टाइटलर भी ऐसा ही मानेंगे । उन्होंने यह कहा कि देश में आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयोजन से, उत्पादन बढ़ाने के लिए यह विधेयक आवश्यक है । इस तरह की आम बातें हम उस तरफ बैठे सदस्यों के भाषणों में पाते हैं—कि अत्यधिक आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए यह विधेयक आवश्यक है जो श्री स्टीफन के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है । माननीय गृह मंत्री इसका श्रेय लेते हैं । इसने दण्डात्मक रवैया नहीं अपनाया है क्योंकि इसने इसे लागू नहीं किया है । अतः इस विधेयक के औचित्य पर उनकी बात का सार यह है कि अधिकाधिक उत्पादन करके आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा । हमने सरकारी अभिलेखों से आंकड़े दिए हैं । हम इन अभिलेखों को पढ़ते नहीं हैं । मैंने कम से कम आंकड़े दिए हैं । शुरू में मैंने यह कहा था कि मैं सदस्यों पर आंकड़ों का बोझ नहीं डालना चाहता । मैंने कतिपय न्यूनतम आंकड़े दिये हैं । मैं गृह मंत्री को, जो पंजाब में आपात स्थिति के कार्यों में व्यस्त रहे, 1976 की स्थिति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं परन्तु श्री स्टीफन यहां थे । 1976 में आपातकाल में तालाबन्दी में 78% कार्य-दिवसों की क्षति हुई थी । तब आपने क्या किया ? 1979 में एक बार यह घट कर 18% रह गयी थी । और ज्योंही बिड़ला और टाटा के हितैषी सत्ता में आए यह प्रतिशत बढ़ कर 46 प्रतिशत हो गया । वे तालाबन्दी की बात विधेयक में, अध्यादेश में शामिल करना भूल गए । हम जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वे 1971 से 1980 तक के हैं । 1980 में एक करोड़ तीस लाख मानव दिवसों का नुकसान हुआ । यह 82 प्रतिशत से घट कर 54 प्रतिशत रह गया । तालाबन्दी के मामले 18 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिषत हो गए । अब आप हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाकर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । हड़तालों की संख्या पहले ही घट चुकी है । फिर इस विधेयक को लाने का क्या औचित्य है ? आप देश की आर्थिक दशा को कैसे सुधारना चाहते हैं ? क्या 26 जुलाई 1981 को इस अध्यादेश को जारी करने के बाद देश में किसी भी वस्तु की कीमत घटी है ? नहीं घटी है । फिर इसका उपयोग कैसे किया गया । यह विधेयक वस्तुतः किन कारणों से लाया गया है उसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय पार्श्विक टिप्पणी न करें, समय नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री सुखाड़िया ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रेलों में उत्पादन बढ़ाने, रक्षा प्रयोजनों आदि के लिए यह अध्यादेश जरूरी है । यह स्थिति पैदा कैसे हुई । श्री स्टीफन डाक-तार कर्मचारियों पर गुस्सा कर रहे थे । चाहे अध्यादेश जारी हो या न हो उनकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं । उन्होंने इस अध्यादेश को लाने का एक कारण यह दिया है कि डाक-तार और रेल विभागों में कुछ गड़बड़ चल रही है । पर आप वहां हड़ताल पर रोक नहीं लगा रहे हैं । आप केवल आतंक फैलाना चाहते हैं । उन्होंने दलील दी कि यह एक दाण्डिक उपाय है

इसलिए इसे गृह मंत्री ने पेश किया है। आप देश के श्रमिक वर्ग को अपराधी वर्ग में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसीलिए यह अध्यादेश लाया गया है। पर जमाखोरों, कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों के लिए कोई दण्ड-विधान नहीं है। अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित किया गया। उसके अन्तर्गत कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितनों पर मुकदमे चलाए गए और जेल भेजा गया ? संक्षिप्त विचारण व्यवस्था मुनाफाखोरों और कालाबाजारियों के लिए भी की गई है पर उसका पालन कभी नहीं होता। यह है इस सरकार का चरित्र। उसकी असली मंशा सबको मालूम है। देश के लोग इनकी चाल समझ गए हैं। श्री स्टीफन ने कहा है कि यह एक आदेश है और केवल छः मास के लिए लागू रहेगा। ये कर्मचारियों की नौकरी छीनने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हैं। ये उन्हें और उनके समर्थकों को जेल भी भेजना चाहते हैं। उन्होंने इसे एक सरल स्वभाव सरकार के सरल कानून की संज्ञा दी है। पर आज स्थिति क्या है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। आम आदमी पर अधिक बोझ पड़ रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। पर देश की आर्थिक दशा को न सुधार कर दमनकारी उपाय लाए जा रहे हैं। श्री स्टीफन इसे सरल कानून कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल छः महीने के लिए है। पर एक सप्ताह या एक दिन के बाद ही आप इसे पुनः लागू कर सकते हैं। हम आंसुका का अनुभव कर चुके हैं। उसकी अवधि समाप्त होते ही नजरबन्दियों को रिहा किया, पर फिर तुरन्त बाद उन्हें फिर से बन्दी बना लिया गया। मैं आपातकाल से पहले की बात कर रहा हूं। आप छः मास के बाद इसे दुबारा लागू कर सकते हैं। इसके बारे में कोई रुकावट नहीं है। फिर यह कहने से क्या फायदा कि यह केवल छः मास के लिए है।

इसमें व्यवस्था है कि लोक हित के मामलों और आवश्यक सेवाओं के विषय में उनके पास फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। वे किसी भी सेवा को लोक हित का मामला मान सकते हैं और उसे आवश्यक सेवा का करार दे सकते हैं। जिन सेवाओं से केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है वह उन सभी को आवश्यक सेवा मान सकती है। उसका कहना है कि फैसला करना हमारा अधिकार है और हम कोई मांग नहीं उठाने देंगे। मैं नहीं कह सकता कि जब श्री स्टीफन इंटक के नेता थे तब वे श्रमिकों से केवल मजाक या आतंक के लिए ही हड़ताल करवाते थे। हो सकता है कि एक या दो मामलों में हमारे हड़ताल आयोजकों के साथ मतभेद हो। पर कितने मामलों में श्रमिकों ने केवल मजाक या आतंकित करने के लिए हड़ताल की ?

समझौता-व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कल हमने श्री रवीन्द्र वर्मा का बहुत ही प्रभावशाली भाषण सुना। उन्होंने सरकार को अच्छी तरह नंगा कर दिया। समझौता-व्यवस्था का क्या होगा ? शिकायतों को दूर करने की क्या प्रक्रिया होगी ? उन्होंने कहा कि आज मध्यस्थ के स्थान पर पुलिस लायी जा रही है। क्या किया जाए ?

श्री सी० एम० स्टीफन : इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम विद्यमान है। आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे कि आपने कुछ भी नहीं सुना।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद। आप कहते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम मौजूद

है। मुझे इसकी याद दिलाने के लिए मैं आपका आभारी हूं। पर आपके विधेयक के खंड 12 में कहा गया है···

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या कहा गया है ? यदि दोनों में विरोधाभास है तो इसे माना जाएगा। यह आवश्यक है क्योंकि यदि अधिनियम में छः सप्ताह की सजा की व्यवस्था है और इस विधेयक में 12 सप्ताह की तो इस विधेयक का उपबन्ध माना जाएगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी इस व्यवस्था से सरकार की मंशा का भण्डाफोड़ होता है। यदि भाषा स्पष्ट है (व्यवधान)। न्यायाधीश श्री स्टीफन की व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखेगा। खंड 12 में कहा गया है :

> "इस अधिनियम और उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उपबन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।"

श्री सी० एम० स्टीफन : यह सही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस विधेयक का देश के किसी अन्य कानून के ऊपर अभिभूतकारी प्रभाव होगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या देश में कोई ऐसा कानून है जिसमें "इस बात के होते हुए भी" उपबन्ध न हो। यह सभी कानूनों में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : गृह मंत्री ने यह नहीं कहा कि वे मध्यस्थ व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह बात हर वक्तव्य में कही गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बात सरकारी नीति के तौर पर नहीं कही गई है कि ऐसा आदेश जारी करने की बात तभी सोची जाएगी जब बातचीत से समझौता करने के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। इसके विपरीत नीति-विषयक कथन का जिक्र किया गया है। विधेयक को परिचालित करने सम्बन्धी समयावधि को कम करने के बारे में ज्ञापन में कहा गया है कि हम इस बात के लिए एक नीति परक वक्तव्य तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गृह मंत्री ने जो कुछ पढ़कर सुनाया हमने उसे सुना। कौन सी व्यवस्था का इसके लिए सुझाव दिया गया है ? अनिवार्य पंचाट या अनिवार्य मध्यस्था या नियोजक और कर्मचारियों के बीच के मतभेदों को कम करने के प्रयास के विषय में तथा कथित नीतिपरक कथन में क्या सुझाव दिया गया है ?

श्री स्टीफन सरकारी क्षेत्र की एक बंगलौर यूनिट के अध्यक्ष के रूप में समझौते के भागीदार थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप इसे दुबारा क्यों उठा रहे हैं। हम इस पर कई अन्य मौकों पर चर्चा कर चुके हैं। वे समझौते को समाप्त करना चाहते थे। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। यह रहेगा। व्याख्याएं भिन्न-भिन्न रही हैं। हमने इसे पंचनिर्णय के लिए सौंपने की बात कही। हम उनकी शर्तें मानने को तैयार नहीं थे। कुछ शर्तें रखी गईं। उन्होंने उन्हें मान लिया। कुछ विकल्प दिए गए। हमने जो विकल्प पहले रखे थे वे उनसे सहमत हो गए। आप बार-बार बंगलौर का मामला क्यों उठा रहे हैं। उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल उन्हें याद दिला रहा था कि जिस समझौते को मनवाया जा रहा था वे उसमें भागीदार थे और श्रमिकों और कर्मचारियों ने आंदोलन किया क्योंकि वे चाहते थे कि समझौते का पालन हो। एक श्रमिक और मजदूर नेता के रूप में आप उसके भागीदार थे। आप बंगलौर गए। वहां आपने क्या भूमिका निभाई मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आप नाहक ही उत्तेजित हो रहे हैं।

हमें हिंसक आंदोलनों की बात कही जा रही है। (व्यवधान) किसी भी अवस्था में विशेषकर हमारी उम्र में इतना उत्तेजित होना हानिकर है। माननीय मंत्री श्री स्टीफन ने हिंसक आंदोलनों का जिक्र किया। हमारे पास 1977 से 1980 तक के हिंसक आंदोलनों के आंकड़े हैं। इनकी संख्या घट कर 542 हो गई है। 1978 में इनकी संख्या 840 थी और 1981 में 170 है। ऐसा कौनसा उद्योग या फैक्टरी है जो हिंसक आंदोलनों के कारण ठप्प हो गई है ?

जैसा मैंने कहा हम उन निश्चित कारणों को जानना चाहते हैं जिनको देखते हुए यह अध्यादेश, यह विधेयक लाया गया है। गृह मंत्री के बयान के बारे में इस ओर के सदस्यों ने कुछ बातें कहीं। मैं उन पर नहीं जाऊंगा। आज और कल भी गृह मंत्री ने अपने उन दिनों का जिक्र किया जब वे एक मजदूर थे, हल चलाते थे। उन्होंने कहा कि मैं उस वर्ग से नहीं आया हूं। पर आज उनके हाथ में हल की बजाय तलवार है। मैं उनके अनुसार उस परिवार से हूं जिसने इस प्रकार की समस्याओं को नहीं देखा है। पर मुझे गर्व है कि देश के करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों का मुझे समर्थन और विश्वास प्राप्त है। यही अन्तर है आज।

फिर यह तर्क दिया गया है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है। पर यह वास्तविक कारण नहीं है। सरकारी क्षेत्र में भी इस सरकार के मार्गदर्शन में तथा इस सरकार के नियंत्रण में कई मामलों में वे इस प्रकार का वर्ताव कर रहे हैं जो कि टाटा और बिरला के उपक्रमों से भी बुरा है।

तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया जा रहा है ? वे कहते हैं कि प्रधान मंत्री की महानता के कारण इसे शामिल किया है किंतु यह नहीं बताया गया है कि 26, 27 अथवा 28 जुलाई को उनकी यह धारणा कैसे थी कि तालाबन्दी और जबरी छुट्टियां शामिल की गई थीं। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि गृह मंत्री को कब इस विधेयक के वास्तविक अधिकार क्षेत्र के बारे में मालूम हुआ।

यहां रुग्ण मिलों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। उन रुग्ण उपक्रमों के बारे में क्या हो रहा है जिनका श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उल्लेख किया है। हम बार-बार इस सरकार से निवेदन करते आये हैं तथा उनसे कहते आ रहे हैं कि वह हमें कुव्यवस्था, निधि के गबन तथा निधि को दूसरे कामों में लगाने के कारण हुई रुग्णता के बारे में बतायें जिसके लिए मजदूर जिम्मेदार नहीं हैं तथा यह भी बतायें कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ? आपकी नीति क्या है ? इस बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है। स्वयं उनके वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी ने पिछले दिन कलकत्ता में कहा था कि भारत में स्थिति यह है कि जब कोई उद्योग रुग्ण होता है तो इसका स्वामी उद्योगपति अधिकाधिक स्वस्थ होता है। यह श्री प्रणव मुखर्जी ने स्वीकार किया है जिसे हम बड़ी देर से कहते आ रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या कोई व्यवस्था की गई है ? क्या आपने उन रुग्ण मिलों को खोलने की व्यवस्था की है ? क्या आपने उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए व्यवस्था की है जो कुप्रबन्ध की अपराधिक गतिविधियों के दोषी हैं ? इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तथा इस बारे में कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। अतः उनके हाथों लोक हित सुरक्षित नहीं है। लोक हित के सिद्धांत तथा लोक हित क्या है यह स्वयं निश्चय करने का जो अधिकार वे लेना चाहते हैं वह उनके हाथों सुरक्षित नहीं है।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने उच्चतम न्यायाधीशों का उल्लेख किया है। उन्होंने न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया है। उन्हें इस बात का बहुत खेद है कि न्यायाधीशों को 2000 रुपये की निबल धनराशि वेतन के रूप में मिलती है और उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक अच्छा वेतन क्यों मिलना चाहिए ? उन्होंने कहा कि जनता सरकार निष्क्रिय सरकार थी। हमने जनता सरकार की कई बातों के लिए आलोचना की। हमने श्री रवीन्द्र वर्मा की भी औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाने के लिए आलोचना की थी। उनके विरुद्ध आंदोलन और प्रदर्शन हुए थे। किंतु श्री एन्थनी की जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। निष्क्रियता के बारे में वास्तविक शिकायत का कारण यह था कि दो वर्ष तक वह यहां नहीं आ सके, उन्होंने कहा कि मजदूरों पर अधिक प्रतिबन्ध लगने चाहिए। इस सभा के सदस्य ने जो यह कहा है हम इसकी निन्दा करते हैं।

महोदय, माननीय गृह मंत्री तथा संचार मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। देश में यही धारणा है तथा लोगों के दिमाग में यही संदेह है और इस

सन्देह को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है और इस देश के लोगों को विश्वास में लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है कि इस ऋण को लेने का क्या आधार है। यह केवल राजनीतिक शिकायत नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है और अपनी आशंका व्यक्त की है। तथा जनसाधारण ने भी अपनी आशंका व्यक्त की है। समा पत्रों में तथा आर्थिक पत्रिकाओं में यह आशंका व्यक्त की गई है किंतु इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। अतः हमें अपने निष्कर्ष निकालने का हक है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तथा हम जानते हैं कि इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं सकता है तथा यही कारण है कि कोई उत्तर नहीं है। अतः माननीय गृह मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीयश्रम संगठन की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समता करने का विचार किया है। यही केवल एक बात है जो मैंने सुनी है। और कुछ भी नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के रूप में हम ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः केवल यही उत्तर है। उन्होंन कहा है कि इसका उपयोग पंजाब में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जायेगा। अतः मैं समझता हूं कि हमने जो मुद्दे उठाये हैं उनमें से किसी का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इस विधेययक श्रम विरोधी का श्रमिक-वर्ग विरोधी जन विरोधी, तथा राष्ट्र-विरोधी होने का भंडाफोड़ हो गया है। हम इस विधेयक के प्रत्येक शब्द, अल्प-विराम एवं अर्ध-विराम का विरोध करते हैं। अतः इम सभा को और बाहर लोगों को इसे अस्वीकृत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव में संशोधन हैं। क्या कोब संशोधन वापस ले रहा है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : प्रत्येक शब्द तथा प्रत्येक इन्च पर लड़ाई लड़नी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। मशीन कुछ खराबी के कारण मशीन सदस्यों की डिविजन संख्या 373 से 374 तक मत रिकार्ड नहीं करेगी।

अब प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 जुलाई, 1981 को प्रख्यापित आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० : 6

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री मोतीभाई. आर.
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन श्री सैयद
महालगो, श्री आर० के०
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शमन्ना, श्री टी० आर०

शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेबियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री फरसराम
भार्टिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले श्री आर० आर०
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनाबारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी० एन०

गधावी, श्री भैरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतू भाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
नामांगो, श्री गिरिधर
गौंडर,श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री भार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तरॉव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नागरगाल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नोखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर०
पार्थसारथी, श्री पी०
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुलय्या, श्री दारूर
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतियेन्द्र, श्री एम० एस० के०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेलवाराजू, श्री एन०
सेन, श्री ए० के०
सेठी, श्री अर्जुन
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शाक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिव शंकर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन०
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 69

विपक्ष में : 216

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्री अजित बाग

विपक्ष में : श्री रामायण राय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव में संशोधन लेते हैं। क्या मैं विचार किये जाने के प्रस्ताव में सभी संशोधनों को एक साथ ले लूं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर 30 नवम्बर, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 7 6.29 म. प

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
वर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजल
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री मोतीभाई, आर०
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इंद्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाठा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द

राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू मन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमलालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिंधु
भोले, डा० आर० आर०
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौ० श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनावारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फ़ैलीरो, श्री एडुआर्डो
गाडगिल, श्री वी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गायकवावाड, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी श्री, राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेदा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
खां, श्री जल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मालिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन श्री
मीणा, श्री राजकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नन्दी येल्लैया
नारायण, श्री के० एस०
नेहरु, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री वेशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर०
पार्थसारथी, श्री पी०
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शांतुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री बसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुलरुया, श्री दारुर
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्ताई
राममूर्ति श्री, के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
रावत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.

सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेन, श्री ए. के.
सेठी, श्री अर्जुन
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिगडा, श्री डी. बी.
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव. श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिका अनवर, श्री
तैयब हुसन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाउसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी आर० एन०
टायलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर,
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 59

विपक्ष में : 210

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री नाथूराम मिर्धा, सूरज भान, चतुर्भुज, ई० के० इम्बचीबाबा, सत्यसाधन चक्रवर्ती और अजित बाग

विपक्ष में : सर्वश्री एम० नागेश्वर राव, दलबीर सिंह, केदार भूषण, रामायण राय, अनन्त रामुलु भल्लु और ए० सेनापति गौंडर ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव में पेश किये गये संशोधन संख्या 2 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं :—

"कि विधेयक पर 22 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० 8 6.35 म० प०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
ब्रजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनावारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी० एन०
गघावी, श्री भैरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० सेनापति
गौड़ा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जाफर शारीफ, श्री सी०के०
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.

नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेहरु, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, एस. एन.
पुलय्या, श्री दारूर
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम· सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.

सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेन, श्री ए. के.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यबार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती किशोरी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसेन, श्री
ठाकुर श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाउसाहिब
तिवारी श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री कमला पति
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकट सुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती उषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 59

विपक्ष में : 214

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग।

विपक्ष में : सर्वश्री राव वीरेन्द्र सिंह, रामायण राय और उदयसिंह राव गायकवाड़।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर श्री वासुदेव आचार्य द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 3 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर 18 नवम्बर, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

(3)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० 9 6.4.2 म० प०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव	हसदा, श्री मतिलाल
बालन, श्री ए० के०	होरो, श्री एन० ई०
बालानन्दन, श्री ई०	इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
बर्मन, श्री पलाश	जटिया, श्री सत्यनारायण
बसु, श्री चित्त	झा, श्री भोगेन्द्र
भट्टाचार्य, श्री सुशील	कोडियन, श्री पी० के०
विश्वास, श्री अजय	लारेंस, श्री एम० एम०
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन	मधुकर, श्री कमला मिश्र
चटर्जी, श्री सोमनाथ	महाटा, श्री चित्त
चतुर्भुज, श्री	मैत्रा, श्री सुनील
चौधरी, श्री त्रिदिव	मण्डल, श्री मुकुन्द
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	मण्डल, श्री सनत कुमार
दास, श्री रेणुपद	मसुदल हुसैन, श्री सैयद
घोष, श्री नीरेन	महालगी, श्री आर० के०
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा	मिश्र, श्री सत्यगोपाल
गिरि, श्री सुधीर	मोदक, श्री विजय
गोपालन, श्रीमती सुशीला	मोहम्मद इस्माल, श्री
गुप्त, श्री इन्द्रजीत	मुखर्जी, श्रीमती गीता
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र	मुखर्जी, श्री समर
हन्नान मोल्लाह, श्री	पाल, प्रो० रूप चन्द
हरिकेश बहादुर, श्री	पगलेकर, श्री बापूसाहिब

पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामायण
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगन भाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
मूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनाबारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गंधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतू भाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयरभूषण, श्री
खां, श्री जल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
भारे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नोखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी०
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुलय्या, श्री दारूर
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एस० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेलवाराजू, श्री एन०
सेन, श्री ए० के०
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी० सी०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंवर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टाईटलर, श्री जगदीश
वेराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 63
विपक्ष में : 214

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग ।
विपक्ष में : श्री रामायण राय और राम कुमार मीना ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव में श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 4 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (4)

सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० 10 6.44 म० प०

पक्ष में

बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री, सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणु पद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र

महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महालमी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रूप चन्द
पल्लेक्कर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामायण
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह

महमद, श्री कमालुद्दीन
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री धर्मदास
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपा सिंधु
भोले, श्री आर. आर.
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा. श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए. वी. ए. गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गायकवाड़, श्री आर. पी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गौंडर, श्री ए. सेनापति
जदेजा, श्री दौलतसिंहजी
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि,
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के.
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पुलटया, श्री दारूर
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भौला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट

संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेन, श्री ए. के.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरेट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री कमलापति
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाथ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बसर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 60
विपक्ष में : 199

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, मुकुन्द मंडल, बासुदेव आचार्य और अजित बाग ।

विपक्ष में : सर्वश्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी, धर्मदास शास्त्री, रामायण राय, मेरावदन के० गधावी और प्रो० सत्यदेव सिंह ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा पेश किये गये संशोधन को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर 9 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (282)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० 11 6·47 म० प०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री ई. के.
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोड़ियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
पवलेकर, श्री बापूसाहिब

पाटिल, श्री ए. टी.
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानयडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नवी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भगत, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
वीरेन्द्र सिंह, राव
व्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़ श्री आर. पी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगों, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौजगिन, श्री एन.
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैंयूर भूषण, श्री
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के.
मलिक श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेहरू श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
हार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुलय्या,, श्री दारूर
कादरी श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी. वेंकट
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेन, श्री ए. के.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनलाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती उषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
बाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाषचन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 62
विपक्ष में : 209

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्व श्री ए. के. राय और अजित बाग

विपक्ष में : सर्व श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी, रामायण राय और राम नारायण त्रिपाठी

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री त्रिदिव चौधरी द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 283 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर 23 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये ।" (283)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन सं० 12 6·53 म० प०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नवी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास विहारी
भगवान देव, आचार्य
भगत, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
वीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. बी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान

दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनाबारासु, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री आर. पी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लक्कप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के.
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थसारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारूर
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 62

विपक्ष में : 208

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्री ए. के. राय और श्री अजित बाग।

विपक्ष में : सर्वश्री जैल सिंह, नवल किशोर शर्मा और रामायण राय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आर. के. महालगी के संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर 15 नवम्बर, 1981 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।" (346)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत–विभाग संख्या 13 18.59 बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसेन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रूप चन्द

परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दयाराम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरजभान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पियूष
उन्नीकृष्ण, के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एन.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नवी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बखे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. बी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिल, श्री एन.
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधवी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़ श्री आर. पी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोंडर, श्री ए सेनापति
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेदा, श्री दौलत सिंह जी
जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धिचन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमलनाथ
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोशलराम, श्री के. टी.
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मक्वाना, नरसिंह
मालन्ना, श्री के.
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुमैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर श्री डी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उराव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री वेशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थसारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. वी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारूर
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राघाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नर्रासिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नन्दकिशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डी. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाउसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया श्री पी.
वर्मा, श्रीमती उषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल, सिंह श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:—

पक्ष में : 62

विपक्ष में : 207

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, चित्त बसु और अजित बाग।

विपक्ष में : सर्वश्री रामायण सय और उमाकांत मिश्र।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० पी० उन्नीकृष्णन का संशोधन संख्या 347 सभा में मतदान के लिये रखता हूं। दीर्घायें खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1981 तक भारत में सभी रजिस्ट्रीकृत कार्मिक संघों की राय तथा लोक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (347)।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० : 14 19.05 बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
रियान, श्री बाजू बन

राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेबियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा श्री रास विहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भक्त, श्री मनोरंजन
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०

ईरा अनाबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी० एन०
गधावी, श्री भैरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतू भाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० सेनापति
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लक्कप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नारायण, श्री के० एस०

नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर०
पार्थासारथी, श्री पी०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारूर
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती सयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेलवाराजू, श्री एन०
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी श्री, पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शाक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०

शर्मा श्री चिरंजी लाल	तैयब हुसैन, श्री
शर्मा, श्री कालीचरण	ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
शर्मा, श्री नन्द किशोर	थोरट, श्री भाऊसाहिब
शर्मा, श्री नवल किशोर	तिवारी, श्री नारायण दत्त
शर्मा, श्री प्रताप भानु	त्रिपाठी, श्री राम नारायण
शास्त्री, श्री धर्मदास	टाईटलर, श्री जगदीश
शिव शंकर, श्री पी०	वर्मा, श्री जय राम
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	वेंकटरामन, श्री आर०
सिदनाल, श्री एस० बी०	वेंकटसुब्बया, श्री पी०
सिंह, डा० बी० एन०	वर्मा, श्रीमती ऊषा
सिंह देव, श्री के० पी०	वीरभद्र सिंह, श्री
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी	व्यास, श्री गिरधारी लाल
सोरन, श्री हरिहर	बाघ, डा० प्रताप
स्पैरो, श्री आर० एस०	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
स्टीफन, श्री सी० एम०	यादव, श्री राम सिंह
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल	यादव, श्री सुभाष चन्द्र
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत	यूसफ, श्री मोहम्मद
सुन्दर सिंह, श्री	जैल सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० ए०	जैनल बशर, श्री
तारिक अनवर, श्री	

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 58

विपक्ष में : 199

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

नेनिम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में :— सर्वश्री ए. के. राय; ए. के. बालानन्द और अजित बाग ।

विपक्ष में :— सर्वश्री वी. एस. विजयराघवन, जुल्फिकार अली खां, रामायण राय और आचार्य भगवान देव ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए. के. राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 349 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कुछ आवश्यक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाए रखने का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रमिला दण्डवते,
(2) श्रीमती सुशीला गोपालन,
(3) श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर,
(4) श्री एन. ई. होरो,
(5) श्री चित्त महाटा,
(6) श्री विजय मोदक,
(7) श्री अमर राय प्रधान,
(8) श्री अजित कुमार साहा,
(9) श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा,
(10) ज्ञानी जैल सिंह, और
(11) श्री ए. के. राय।

और उसे 31 दिसम्बर, 1981 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

(349)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 15

19.19 बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभना
गिरि, श्रीसुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
इम्बीचीबावा, श्री. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो. अजित कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रूप चन्द
फुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राउन, श्री के. ए.
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यायद, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिंधु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री आर. पी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री

लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अन्नत रामुलु
मीणा, श्री राम कुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
गहन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री वी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, श्री वेशवराव
परकार, श्री हीरालाल आर.
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिराम राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
पुलय्या, श्री दारुर
रहीम, श्री ए. ए.
राजामल्लू, श्री के.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.

रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी श्री. जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मनन्द
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेवस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शर्मा श्री चिरंजीलाल
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिंहा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसेन, श्री
ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह
थोरट, श्री भाउसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टाईटलर, श्री जगदीश
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 58
विपक्ष में : 195

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया : –

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, सुनील मैत्रा, ए० के० बालन, आर० पी० बास और अजित बाग ।

विपक्ष में : सर्वश्री रामायण राय, एन० कुदन्तई रामलिंगम और नाथूराम शाक्यवार ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ आवश्यक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाए रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या 16 19.17 बजे

पक्ष में

अहमद, श्री कमलालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिंधु
भोले, आर० आर०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
जदेदा, श्री दौलतसिंह जी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री जल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मालिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा० महीपत राय एम०
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नारायण, श्री के० एस०
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, श्री वेशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर०
पार्थासारथी, श्री पी०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री वालासाहिब विखे
पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री-विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुलय्या, श्री दारूर
रहीम, श्री ए० ए०
राजामल्लू, श्री के०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के०
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एन० नागेश्वर
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दीराई
सेलवाराजू, श्री एन.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्यवार, श्री नाथूराम
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव. श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी.

स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिका अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
थोरट, श्री भाउसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टायलर, श्री जगदीश
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यादव, सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्र सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुत्तेमवार, श्री विलास
पाल, प्रो० रूप चन्द
पण्डेकर, श्री बापूसाहिब
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
†शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 192

विपक्ष में : 62

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†गलती से विपक्ष में मतदान किया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया।

पक्ष में : सर्वश्री बी० शंकरानन्द, ब्रजमोहन महन्ती, सेत हेम्ब्रम, रामायण राय, भेरावदन के० गधावी, अशोक गहलोत, आर० मुथु कुमारन, मनफूल सिंह चौधरी, श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी और प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत।

विपक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय और अजित बाग।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। इसमें कुछ एक-जैसे संशोधन हैं। ऐसे मामलों में यदि पहला संशोधन पेश किया जाये तो शेष एक ही जैसे संशोधन को पेश किया हुआ नहीं माना जायेगा। अब मैं खंड 2 के संशोधनों को लेता हूं।

खण्ड 2 से 14 और 1

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमश: पंक्ति 5 से 43 और 1 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से वे सेवाएं अभिप्रेत हैं जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किया गया है," (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 और विधेयक में जहां कहीं वे आए हों,—

"आवश्यक सेवा" **के स्थान पर**

"सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे सभी लोगों से पूछना है। मुझे खंड 2 के लिए सभी सदस्यों से पूछना है। श्री चित्त बसु जी, मैंने आपसे बोलने के लिए नहीं कहा। मैंने आपसे केवल यही पूछा है कि क्या आप अपने संशोधन रख रहे हैं। अब संशोधन संख्या 23 श्री एम० रामन्ना राय।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25 से 27 का लोप कर दिया जाए। (23)

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 से 30 के **स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए**—

"(viii) किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी अनुभाग में कोई सेवा जो संविधान की सप्तम् अनुसूची की सूची 1 की परिधि के अधीन आती है।" (52)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(क) "आवश्यक सेवा" से युद्ध के समय रक्षा से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है।' (66)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22,—

"या" के पश्चात् "युक्तियुक्त आधार पर" अन्तःस्थापित किया जाये। (67)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 और 24,—

"और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,—" का लोप कर दिया जाये। (68)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25 से 30 का लोप कर दिया जाये। (69)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 3 से 43 और 1 से 44 का का लोप किया जाए। (112)

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 9-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(xvi) संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई सेवा;"। (120)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25 और 26,—

"अतिकालिक" का लोप किया जाए। (121)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28, —

"ऐसा कोई अन्य आचरण" का लोप किया जाए। (122)

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 23,—

"अभिप्रेत है" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"यदि ऐसे कार्य बन्द करना या ऐसी इन्कारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्यथा उचित नहीं है"। (134)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 37 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"के आगामी सत्र के प्रारम्भ के प्रथम दिन रखी जायेगी और ऐसी अधिसूचना

केवल तब प्रवृत्त होगी जब कि संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा प्रत्येक सदन के सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से उसका अनुमोदन कर दिया जाता है।" (137)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 6 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"संघ के सशस्त्र बलों से सम्बन्धित या प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कोई सेवा, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की गई है;"। (144)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 6-11 का लोप किया जाए। (199)

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,—

"सेवा" के पश्चात् "केवल आपात की उद्घोषणा की अवधि के दौरान;" अन्तःस्थापित किया जाये। (200)

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 17-21 का लोप किया जाये। (201)

पृष्ठ 2-3,—

क्रमशः पंक्ति 28-43 और 1-2 का लोप किया जाए। (202)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"किसी" से पूर्व "रक्षा से सम्बन्धित" अन्तःस्थापित किया जाए। (203)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 6-10 का लोप किया जाए। (204)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 11-18 का लोप किया जाए। (205)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25-33 का लोप किया जाए। (207)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

(ख) "हड़ताल" से किसी नियोजक अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा आर्थिक और राजनैतिक आक्रमण को देखते हुए काम बन्द करने का कर्मकारों का मूल अधिकार अभिप्रेत है।" (221)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 26, —

"वहां" के पश्चात्

"बिना कारण" अन्तःस्थापित किया जाए। (236)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 से 30,—

निम्नलिखित का लोप किया जाए,—

"और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,—

(i) जहां अतिकालिक कार्य किसी आवश्यक सेवा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वहां अतिकालिक कार्य करने से इन्कार करना,

(ii) ऐसा कोई अन्य आचरण, जिसके परिणामस्वरूप किसी आवश्यक सेवा में काम का बन्द हो जाना या उसकी गति पर्याप्त रूप में मंद हो जाना संभाव्य है या हो जाती है"। (286)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,—

"से" के पश्चात् "निम्नलिखित सेवाओं का नियोजक या प्रबन्ध" अन्तःस्थापित किया जाये। (296)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20,—

"मिलकर" के पश्चात् "बिना किसी आधार के" अन्तःस्थापित किया जाये। (297)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"वहां" के पश्चात् "बिना कोई कारण बताए" अन्तःस्थापित किया जाये। (298)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28,—

"कोई अन्य आचरण" के स्थान पर "अन्य आचरण नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाये। (299)

श्री चित्त महाटा (पुरुलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : --

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 और 24,—

"और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है"

का लोप किया जाये । (319)

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मैं संशोधन संख्या 326 नहीं रख रहा हूं ।

श्री के० पी० उन्नीकृणन् (बडागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(क) "लोकोपयोगी सेवा" से 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन परिभाषित रूप में उपयोगी सेवा अभिप्रेत है" । (331)

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक) मैं प्रस्ताव करता हूं : —

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

"(xviii) किसी विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्था, महाविद्यालय या विद्यालय कोई सेवा;

(xix) होटलों, अतिथिगृहों तथा समरूप ऐसे स्थानों में जहां अधिकतर विदेशी पर्यटक ठहरते हैं, कोई सेवा;

(xx) ढाबों और भोजनालयों में, जहां लोग भोजन करते हैं, कोई सेवा;

(xxi) भारतीय खाद्य निगम में, जहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी स्टोरों और राशन की दुकानों के लिए खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं, कोई सेवा;" । (345)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

पृष्ठ 2, और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) "आवश्यक सेवा" से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 की प्रथम सूची और धारा 2 (ढ) के अधीन सूचीबद्ध हैं।" (350)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

'(ख) "हड़ताल, तालाबन्दी और "कामबन्दी" शब्दों तथा अन्य शब्दों और पदों के जो धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।' (351)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमश: पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'(क) "आवश्यक सेवा" से लोक जीवन की वे सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो समुदाय के प्रसामान्य कार्य के लिये आवश्यक हैं किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत नहीं आती है;' (380)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'(ख) "हडताल" से किसी आवश्यक सेवा या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किसी ऐसे कार्य में नियोजित रहने के दौरान व्यक्तियों के निकाय द्वारा कार्य बन्द कर दिया जाना अभिप्रेत है; (381)

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, और 3,—

क्रमश: पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'(क) "आवश्यक सेवाओं" से अभिप्रेत हैं—

1. अस्पतालों के कार्यकरण से सीधे सम्बन्धित सभी सेवाएं;
2. अग्नि शमन सेवा-संचालन सेवाएं;
3. पेय जल प्रदाय-संचालन सेवाएं;
4. दुग्ध प्रदाय संचालन सेवाएं;
5. खाद्य और आपूर्ति विभाग की राशन की दुकानें;
6. औषध विक्रेता तथा केमिस्ट स्टोर्स;' (407)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(ख) "हड़ताल से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य बन्द कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं, कार्य करते रहने से या नियोजन प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना अभिप्रेत है। (408)

पृष्ठ 3 और 4,—

क्रमशः पंक्ति 34 से 44 और पंक्ति 1 से 5 का लोप कर दिया जाए। (409)

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 432 नहीं रख रहा हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 20,—

"मिलकर" के पश्चात् सामूहिक सौदेबाजी का कोई अन्य तरीका अपनाए बिना अन्तःस्थापित किया जाए। (438)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 34-44 का लोप किया जाए। (441)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

'का प्रबन्ध'। (484)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आप अन्य प्रक्रम पर बोल चुके हैं। आप सभी सदस्यों को सहयोग देना चाहिए।

श्री चित्त बसु : इस मामले पर मैं अवश्य बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संशोधन को पढ़ दें। इतना ही पर्याप्त है।

श्री चित्त बसु : मेरे संशोधन का संबंध खंड 2 से है जोकि परिभाषा के बारे में है। मैं समझता हूं कि आवश्यक सेवाओं की परिभाषा में व्यापक क्षेत्र आ जाता है। उस परिभाषा के अधीन सभी उद्योगों को इस विधेयक के कुचक्र में लाया जा सकता है। वास्तव में पूरे कार्मिक वर्ग की हड़ताल को इस विधेयक के उपबंधों की परिधि में लाया जा सकता है और अवैध घोषित किया जा सकता है। समयोपरि कार्य करने से इन्कार करना भी हड़ताल की परिभाषा के अन्तर्गत लिया गया है। इससे भी अधिक खतरनाक एक बात है। कोई भी अन्य संविदा जिससे किसी अनिवार्य सेवा का अधिकांश कार्य ठप्प होने अथवा उसके कमी आने की संभावना होती है। इसमें

अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन सभी सेवाएं आ जाती हैं। इसमें हड़ताल की परिभाषा भी आ जाती है। हड़ताल की परिभाषा बहुत व्यापक हैं। समयोपरि कार्य करने से इनकार करना भी हड़ताल की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाता है। इतना ही नहीं, किसी कार्मिक का ऐसा व्यवहार जिससे उत्पादन में किसी भी प्रश्न से कमी होती हैं, हड़ताल माना गया है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य व्यापक क्षेत्र में हड़तालों, को अवैध घोषित करना है। किसी भी कार्मिक कोहड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा। परिभाषा का यही मुख्य उद्देश्य है। यह व्यापक परिभाषा है। मंत्री महोदय श्री स्टीफन ने बताया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम अभी भी लागू रहेगा। मैं समझता हूं कि आप इससे भी असहमत नहीं हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी आवश्यक सेवाओं की परिभाषा दी गई है। परन्तु वह शब्द सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं है सार्वजनिक उपयोगग की सेवाओं का अर्थ और क्षेत्र—मुख्यतः और अधिकांशतः आवश्यक सेवा से संबंधित है। श्री सुखाड़िया ने भी यह कहकर कि औद्योगिक विवाद अधिनियम इस विधेयक के पारित होने पर भी लागू रहेगा, आपनी बाकपटुता दिखाई है। मैं चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम अधिक प्रभावी रूप से लागू रहे। औद्योगिक विवाद अधिनियम में सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं की जो परिभाषा दी गई है वह लगभग आवश्यक सेवाओं की परिभाषा के समान है।

मेरा पहला संशोधन यह है कि 'आवश्यक सेवाओं' शब्दों के स्थान पर "सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं" प्रतिस्थापित किया जाये। मैंने कोई नयी बात नहीं कही है।

> "सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए लम्बी परिभाषा देने की बजाये मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं की परिभाषा ही "आवश्यक सेवाओं" की परिभाषा मानी जाये। मैं समझता हूं कि श्री सुखाड़िया इससे असहमत नहीं होंगे। श्री सुखाड़िया को तथा मंत्री महोदय को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। इस परिभाषा को औद्योगिक विवाद अधिनियम में स्वीकार किया गया है और आप भी कहते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू रहे, तो आप इसे मान क्यों नहीं लेते ?"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। हर कोई इसे समझ सकता है।

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं कि सभा औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के प्रतिन्याय करेगी तथा प्रतिष्ठापित औद्धोगिक सम्बन्धों को समाप्त नहीं होने देगी। मैं समझता हूं कि एक श्रमिक नेता तो होने के नाते आप मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत से संशोधन हैं। निस्सन्देह खण्ड 2 में एक समान संशोधन हैं। मैं उन सभी सदस्यों से अपने संशोधनों पर संक्षेप में बोलने को कहूंगा। फिर मंत्री महोदय उत्तर देंगे और उसके पहचात् हम सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये लेंगे, क्योंकि अन्यथा इसे पूरा करना संभव नहीं होगा। आप कृपया सहयोग दे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : : आपके निवेदन को ध्यान में रखते हुए हम गंभीरतापूर्वक और सहानुभुति पूर्वक विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामायण राय ।

श्री रामायण राय (देवरिया) मेरा संशोधन ··· ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना संशोधन पढ़ दें । यदि सदस्य उसे न समझ पायें तब ही आप बोलें ।

श्री रामायण राय : मेरा संशोधन विधेयक के खण्ड 2 पृष्ठ 3 की पंक्ति 25 से 27 का लोप करने के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा संशोधन है । मैं इसे भली प्रकार समझता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया गला न घोटिये, हम आपसे सहयोग करेंगे ।

श्री रामायण राय : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"जहां अतिकालिक कार्य किसी आवश्यक सेवा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वहां अतिकालिक कार्य करने से इनकार करना ।"

इस समय हम जानते हैं कि जब कार्मिक दिन भर का नियमित काम कर लेने के बाद अतिरिक्त समय में काम करता है, तब उसे समयोपरि कार्य कहते हैं। मान लीजिए 8 अथवा 7 घंटे काम करने के बाद कोई कार्मिक बीमार हो जाता है तब उसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिये । मैं समझ सकता हूं कि यदि कोई कार्मिक बिना किसी उचित कारण के काम करने से इनकार करता है तब उसे काम करने के लिये बाध्य किया जा सकता है । परन्तु इसके कुछ अपवाद तो होने ही चाहिए । इस विधेयक में कार्मिक के लिए किसी अपवाद की कोई गुंजाइश नहीं है । यदि वह बीमार है, मरने के करीब है तो भी उसे काम करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध को निकाल दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 52, श्री मुकुन्द मंडल ।

श्री मुकुन्द मण्डल : औद्योगिक सम्बन्ध मूलतः राज्य का निषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन क्या है ?

श्री मुकुन्द मंडल :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 28-30

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(viii) किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी अनुभाग में कोई सेवा जो संविधान की सप्तम् अनुसूची की सूची 1 की परिधि के अधीन आती है।" (52)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सरल संशोधन है यह अत्यन्त साधारण है और हर कोई इसे भली प्रकार समझता है।

श्री मुकुन्द मंडल : औद्योगिक सम्बन्ध मूलतः राज्य का विषय है तथा जान बूझकर सरकार राज्य के विषय में हस्ताक्षेप कर रही है। संविधान की सातवीं अनुसूची में 'उद्योग' राज्य सूची में दिखाया गया है तथा जो उद्योग केन्द्रीय सरकार की परिधि में आते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 246 में इस प्रकार बताये गये हैं कि संघ सूची में वे उद्योग सम्मिलित होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा प्रतिरक्षा के लिए तथा युद्ध को चलाने के लिए आवश्यक घोषित करती है।

प्रथम सूची की प्रवष्टि 52 में वे उद्योग आते हैं जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित के लिए उन पर संघ का नियंत्रण आवश्यक है। परन्तु जहां इस···मैं समाप्त कर रहा हूं। इस विधेयक में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का उल्लेख किया गया है। इसमें औद्योगिक प्रशिष्ठानों का उल्लेख हुआ है :

"औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ हैं किसी अनुसूचित उद्योग से सम्बन्धित कोई प्रतिष्ठान, जो किसी व्यक्ति, और सरकार सहित किसी अधिकरण द्वारा एक अथवा अधिक फैक्टरियों में चल रहा है।"

फिर आगे कहा गया है -

"अनुसूचित उद्योग का अर्थ है प्रथम अनुसूचि में दिया गया कोई भी उद्योग।"

यदि आप पहली अनुसूची को देखें तो उसमें जिन उद्योगों का उल्लेख किया गया है वे हैं :

धातु कार्मिक उद्योग।

ईंधन, प्राइम मूवर्स (मोटर), बिजली उपकरण, अर्थ मूविंग मशीनरी, घरेलू उपकरण, रबड़ का सामान, चमड़ा, शीशा, टिम्बर उत्पाद आदि आदि। ये सभी उद्योग केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं आते। इस नये विधेयक द्वारा सरकार इन सभी उद्योगों को अपने क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करना चाहती है। इस प्रकार जान बूझकर वे राज्यों के अधिकारों में हस्ताक्षेप करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है तथा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, मैंने अपने संशोधन, में कहा है :

पृष्ठ 1 से 3, पंक्ति क्रमश: 2 से 24 1-450 तथा 1 से 9 के स्थान पर युद्ध के समय भारत की प्रतिरक्षा से संबंद्ध कोई उद्योग'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

इस विधेयक में प्रत्येक सेवा को आवश्यक सेवा पारिभाषित किया गया है । 'आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत हड़तालों पर रोक प्रत्येक उद्योग में हड़ताल पर रोक लगाना है । इसीलिए मेरा साधारण सा संशोधन है कि 'अनिवार्य सेवा' का अर्थ होना चाहिए युद्ध के समय भारत की सुरक्षा से संबद्ध कोई भी सेवा । केवल युद्ध के समय सरकार ऐसा कानून पारित कर सकती है । अन्यथा यह अधिकार अनावश्यक है तथा कार्मिक वर्ग के अधिकारों पर आघात है । मुझे आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

खंड 2(आठ) में कहा गया है कि :

''आवश्यक सेवा का अर्थ किसी अनुसूचित उद्योग से सम्बन्धित किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी अनुभाग में किसी सेवा आदि से है ।''

स्पष्टीकरण में कहा गया है – इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए "औद्योगिक उपक्रम" और "अनुसूचित उद्योग'' पदों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 के खण्ड (घ) और खण्ड (झ) में हैं ।''

खण्ड 2 में इस्पात, कोयला, रेल एयरलाइंस, डाक तथा तार विभाग आदि का भी नाम लिया गया है । आप जानते हैं कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, 1951 प्रथम अनुसूची में ये सभी उद्योग आ गये ।

1. धातु उद्योग—

(क) लौह, लोहा तथा इस्पात धातु आदि ।

(ख) अलौह ।

2. कीमती धातु आदि ।

3. ईंधन ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका उत्तर कौन देगा ? गृह मंत्री उपस्थित नहीं हैं । राज्य मंत्री भी नहीं हैं ।

सभापति महोदय : श्री स्टीफन उत्तर देंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह विधेयक के प्रभारी मंत्री नहीं हैं ।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय आ गए हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्य मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। इस विभाग में वे राज्य मन्त्री हैं।

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि वह बाथरूम में भी न जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन दोनों को एक साथ नहीं जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे मिल कर काम कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर :

3. वायलर तथा स्टीम जनरेटिंग प्लांट।

4. प्राइम मूवर्स (मोटर) बिजली के उपकरणों को छोड़कर।

5. बिजली उपकरण।

6. दूर-संचार।

7. परिवहन।

8. औद्योगिक मशीनरी इसके अन्तर्गत सब कुछ आ जाता है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी, मैंने तीन अमेण्डमेंट्स संख्या 120, 121 तथा 122 प्रस्तुत किये हैं। अमेंडमेंट्स संख्या 120 में मैंने प्रस्तावित किया है कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय—

यूनियन के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई कार्य जिस रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है, वह व्यावहारिक नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि उन शब्दों को हटा देना चाहिए। इसका विचारणीय पहलू यह है कि अगर कोई ओवर-टाइम करना न चाहे, जितना हमारा काम करने के लिए समय निर्धारित है, काम के समय के बाद काम करना—यह उसकी मजदूरी नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि ओवर टाइम करने के बाद उस को 'ओवर टाइम' का पैसा मिलता होगा, किन्तु पैसा ही सब कुछ नहीं है। उसके स्वास्थ्य का पारिवारिक स्थिति का, उसकी सुविधा को भी दृष्टि में रखना चाहिये, इसीलिये मैंने संशोधन दिया है ताकि उसको व्यावहारिक बनाया जा सके।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री सत्यनारायण (जटिया) : अभी तो मैंने अपने पहले संशोधन के बारे में कहा है जिसमें सरकार के प्रावधान में एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने का प्रयास किया गया है, जो अमानवीय है। मेरे दूसरे संशोधन में "अतिकालिक" शब्द का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है तथा तीसरे संशोधन में "ऐसा कोई अन्य आचरण" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है।अन्य आचरण की इसमें कोई 'डेफिनीशन' नहीं है, इसको 'डिफाइन' किया जाना

चाहिए। ऐसा कौन सा आचरण होगा जो आपकी दृष्टि में विरोध करने वाला होगा। इसलिए इस अन्य आचरण शब्द का यहां रहना ठीक नहीं है।

मैं चाहता हू कि खण्ड 2 का अधिकांश भाग, खण्ड 2 के प्रारम्भ से लेकर पृष्ठ 2, पंक्ति 3 से पृष्ठ 3 के अन्त तक का लोप कर दिया जाये। हम समझते हैं कि आवश्यक सेवा विधेयक कार्मिक वर्ग विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी है। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है। यदि कोई कार्मिक समयोपरि कार्य करने से इंकार करता है, यदि एकक में विद्युत की उचित व्यवस्था नहीं है, अथवा उत्पादन पर्याप्त नहीं होता, तब सरकार अथवा नियोक्ता कार्मिकों को दोष दे सकते हैं कि वे उत्पादन में बाधा डाल रहे हैं। अतः उन्हें अनिवार्य सेवा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : अपने संशोधन संख्या 133 में मैंने सुझाव रखा है कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13 "चार वर्ष" के स्थान पर "चार मास" प्रतिस्थापित किया जाये, क्योंकि चार वर्ष बहुत लम्बी अवधि है। मेरा सुझाव है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक घृणित और तानाशाही है। यह जन विरोधी तथा कार्मिक वर्ग विरोधी है। अतः मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मेरा पहला संशोधन पृष्ठ 1, पंक्ति 12 "चार वर्ष" के स्थान पर "चार मास" प्रतिस्थापित किया जाये, क्योंकि यह अवधि बहुत लम्बी है।

मेरा दूसरा संशोधन पृष्ठ 3, पंक्ति 23 में 'अभिप्रेत है' के पश्चात् तथा "और" के बीच "यदि इस प्रकार कार्य बन्द किया जाना या कार्य करने से इन्कार करना मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में अन्यथा उचित नहीं है।" जोड़ा जाए।
तीसरे संशोधन द्वारा मैं पृष्ठ 3, पंक्ति 23-24 में "और 317 के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है" का लोप करना चाहता हूं।

मेरा अगला संशोधन पृष्ठ 3 पर पंक्ति 25 से 30 को निकालने के बारे में है, क्योंकि उससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता।

मेरा अन्तिम संशोधन यह है कि पृष्ठ 3, में पंक्ति 38 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

> "तभी प्रवृत होगी यदि उसका संसद के प्रत्येक सदन द्वारा प्रत्येक सदन के सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है।"

श्री ए० के० राय (बालपुर) : श्रीमान्, हमने संशोधनों की सूचना दी है इस उम्मीद के साथ कि मंत्री महोदय से कुछ संगत उत्तर प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि सदस्य क्या कहना चाहते हैं।

सभापति महोदय : दो मंत्री यहां पर उपस्थित हैं।

श्री ए० के० राय : परन्तु वे सुन नहीं रहे हैं अथवा कही गई बातों को नोट नहीं कर रहे हैं। तब वे उठायी गई बात का उत्तर कैसे दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक खण्ड 2 का प्रश्न है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड है, जिसके अन्तर्गत परिभाषा दी गई है कि "अनिवार्य सेवा" से क्या अभिप्राय होगा, हम अपना निवेदन कर चुके हैं। इसका क्षेत्र इतना अधिक है कि कोई भी सेवा जिसका संबन्ध केन्द्रीय सरकार से है अथवा संघ सूची से है अथवा जिसका संसद से कोई संबंध है, किसी को भी छोड़ा नहीं गया हो; सभी ऐसी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। इसलिए यह निर्बाध शक्ति है। श्रीसुखाड़िया समस्याओं की अथवा संभावित समस्याओं अथवा जिन समस्याओं की आशंका है, रक्षा-मंत्रालय को उनकी चर्चा कर रहे थे। हमने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि रक्षा अथवा संघ की सशस्त्र सेनाओं अथवा कोई भी अन्य सेवा जिसका युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण से संबन्ध हो,को ही परिभाषा के अन्तर्गत लाया जाये। आप इससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि आप अधिक से अधिक शक्तियां चाहते हैं; आप अधिक शक्तियों के बिना कायम नहीं रह सकते। केवल उसके संबंध में उसे प्राप्त कर लीजिये। हमें आप अपनी सदाशयता का परीक्षण करने दीजिये।

महोदय, जब कभी भी इस देश में वास्तविक आपातकाल होता है, 1975 की तरह झूठा आपातकाल नहीं। इस सभा ने सर्वसम्मति से आपात काल की उद्घोषणाओं का समर्थन किया है। श्री सुखाड़िया मुख्य मंत्री के रूप में इसे जान सकते हैं अथवा उन्हें उस समय तक राज्यपाल बना दिया गया था, मुझे यह याद नहीं है। इस सभा ने सर्वसम्मति से उद्घोषणाओं को पारित किया था और मुझे याद है कि इस आसन पर बैठे ढिल्लों साहब ने कहा था कि उन्हें इस सभा का अध्यक्ष होने का गर्व है जिसने गम्भीर आपात काल के दिनों में आपात काल की उद्घोषणा को सर्वसम्मति से दिया, सराहा था और समर्थन किया था और उस दिन भी भारतीय रक्षा अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इस देश के श्रमिकों ने प्रधान मन्त्री के रक्षा कोष में रक्त दान किया था। उन्होंने अपना रक्त बेचा। उन्होंने न केवल रक्त ही बहाया था, बल्कि पसीना भी बहाया था। उन्होंने वास्तव में अधिक उत्पादन के प्रयोजन से रक्त का दान किया था जिसे बेचकर धन में परिवर्तन करके भारतीय रक्षा कोष में दान कर दिया गया था। इस देश के श्रमिक वर्ग की यही परम्परा है। जब भी देश के वास्तविक हित को खतरा पैदा हुआ है तो यह वर्ग कभी भी पीछे नहीं रहा है और इसके बदले में आप यह दे रहे हैं। अत: हम यह सुझाव दे रहे हैं कि हड़तालों, आन्दोलनों, अभियानों आदि-आदि पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे उपबन्ध होने ही नहीं चाहिये क्योंकि इनके फलस्वरूप किसी भी बहाने से उन्हें जेल में डाला जा सकेगा कोई प्रबन्धक यह कहेगा, 'काम बन्द हुआ है' तब उन्हें जेल में भेजा जा सकता है। अत:, हमें उनकी सदाशयता का परीक्षण करना चाहिये।

दूसरा संशोधन भी महत्वपूर्ण है और इसलिये में एक मिनट लूंग।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री भगत मुझे प्रसन्नता है कि वह इस समय यहां हैं, ने कहा कि उचित कारणों से भी हड़ताल की जा सकती है। यदि उचित कारण से हड़ताल हो तो उच्चतम

न्यायालय ने कहा है कि उचित कारण के लिये हड़ताल की जा सकती है जिसके लिये यदि कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वे अपना वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हैं और नियोजकों को वेतन में कटौती लागू करने का अधिकार नहीं है। अतः, मैं यह कह रहा हूं कि जब उचित हड़ताल होती है, तो आप इसे गैरकानूनी घोषित नहीं कर सकते। आप उचित हड़ताल पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। अतः, यदि सरकार वास्तव में इस विधेयक के उचित कार्यान्वयन के बारे में ईमानदार है तो मेरा अनुरोध है कि इन दो संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये। कृपया ऐसे काले कानून को लागू न कीजिये जिसके लिये आपका विरोध हो सकता है। आप उन लोगों की प्रतिक्रिया को जान सकते हैं जो इसके द्वारा प्रभावित होने वाले हैं। अतः हम यह कह रहे हैं कि औचित्यपूर्ण हड़ताल पर इसे लागू मत कीजिये। यदि इस बारे में आप स्वयं निर्णय करना चाहते हैं, तो आप औचित्य का निर्णय करने के बारे में एक तंत्र बनाइये, इसे संघीय रक्षा संबंधी मामलों अथवा सशस्त्र सेनाओं पर भी लागू कीजिये, हमें आपत्ति नहीं है।

दूसरी बात यह है कि धारा 2 के अन्तर्गत पारित कोई आदेश, जो अत्यावश्यक सेवा की परिभाषा के विस्तार के संबंध में हो, तब तक कानून नहीं बनना चाहिये जब तक संसद इसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर देती। आपका बहुमत है, आप इसे पास करा सकते हैं। कम से कम संसद को अत्यावश्यक सेवा की परिभाषा के इस प्रकार के विस्तार के गुण दोषों पर चर्चा करने का अवसर तो मिलेगा। अतः ये में संशोधन हैं। इन संशोधनों के द्वारा सरकार की सदाशयता का परीक्षण हो रहा है और मुझे आशा है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि अपने संशोधन संख्या 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 और 207 संशोधनों के बारे में बोल सकते हैं।

श्री सुधीर गिरि (कन्दई) : महोदय, मेरे संशोधनों को मुद्रित कर दिया गया है और मेरे विचार में मंत्री महोदय ने उन्हें पढ़ लिया होगा।

महोदय, हमारे देश में आजकल समय सामान्य है। जहां तक मुझे याद है हमारे देश की प्रधान मंत्री तथा अन्य मन्त्रियों ने सार्वजनिक सभाओं में कुछ घोषणायें की हैं। उन्होंने कहा है कि पददलित लोगों के सामाजिक दर्जे को बदलना है। समाजवाद को लाने के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामी राष्ट्र होता है। यदि सरकार अपनी घोषणा के प्रति ईमानदार है, तो मेरे विचार में उसे श्रमजीवी वर्ग को सामाजिक परिवर्तन लाने तथा अपने सामाजिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करने देना चाहिए।

विश्व में किसी भी राष्ट्र में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां सामाजिक व्यवस्था में श्रमजीवी वर्ग द्वारा संघर्ष किये बिना परिवर्तन आया हो यदि सरकार ईमानदार है, तो उन्हें सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक दर्जे में परिवर्तन लाने के लिए श्रमजीवी वर्ग के लोगों को संघर्ष करते रहना चाहिए।

मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत उद्घोषित आपातकाल के दौरान केवल रक्षा सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि श्रमजीवी वर्ग के लोग राष्ट्र के लिये खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं। वे राष्ट्र के लिये भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। सरकार को श्रमजीवी वर्ग के लोगों द्वारा संघर्ष पर रोक लगाने के लिये विधेयक पेश नहीं करना चाहिए ? इस विचार को दृष्टिगत रख कर मैंने इन संशोधनों को पेश किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : विधेयक में हड़ताल की विस्तृत परिभाषा दी गयी है। मैं यह कह कर इसका संशोधन करना चाहता हूं :—

पृष्ठ 3, —

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

'(ख) "हड़ताल" से किसी नियोजनक अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा आर्थिक और राजनैतिक आक्रमण को देखते हुए काम बन्द करने का कर्मकारों का मूल अधिकार अभिप्रेत है।' (221)

मैं विश्वास करता हूं और प्रत्येक सभ्य व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए कि देश श्रमिकों के श्रम से बनता है। गृह मंत्री के घर का निर्माण भी श्रमिकों के श्रम द्वारा किया गया है। विज्ञान के छात्र के रूप में हम जानते हैं कि बन्दर से मनुष्य बनने के विकास क्रम में श्रम ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। मनुष्य होने के नाते हम श्रमिकों पर आक्रमण को सहन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते जो आदिम अवस्था में रह सकते हैं और श्रमिकों पर चोट करने का साहस कर सकते हैं।

किसी भी सभ्य राष्ट्र को ऐसा कोई विधान नहीं बनाना चाहिए जिससे श्रमिकों को इसके उचित अधिकार से वंचित किया जा सके। हमें सभी तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए। वे हड़ताल क्यों करते हैं ? वे ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें क्षति पहुंचती है। कुछ दिन पूर्व हमने भारत के एक प्रमुख समाचार पत्र में पढ़ा था कि हमारे उद्योग में रुग्णता आ गई है।

भारयीय औद्योगिक वित्त निगम के यह प्रबन्धक, श्री जी० एन० डावर ने भारतीय रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए बड़ी औद्योगिक एककों में रुग्णता के लिए कारण बताये हैं। यह समाचार 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक 30 अगस्त में छपा था। 350 से भी अधिक एकक रुग्ण हैं। 52 प्रतिशत बड़े एकक कुप्रबन्ध' जिनमें धन को दूसरे कार्यों में व्यय करने सहित प्रबन्धकों की त्रुटियां, आपसी लड़ाई, विपणन नीति के अभाव शामिल हैं, के कारण संकटग्रस्त हैं। 14 प्रतिशत बड़े एकक प्रारम्भिक दोषपूर्ण योजना के कारण तथा केवल 2 प्रतिशत श्रम अशांति के कारण रुग्ण हैं।

किन व्यक्तियों को क्षति पहुंच रही है। जन सामान्य को क्षति पहुंच रही है। श्रमिकों को क्षति पहुंच रही है। आप कार्यदिवसों के नष्ट होने की बात करते हैं। इस संबन्ध में कोई

राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं बनाया गया है कि कितने लोग बेकार हैं 5 करोड़ से अधिक लोग बेकार हैं। आज 60,000 छात्रों ने सभी के लिए नौकरियों की मांग करते हुए संसद की ओर मार्च किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में ईमानदार है। 5 करोड़ बेकार का अर्थ है 5 करोड़ कार्यदिवस प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए कौन दोषी है ? इसके लिए यह सरकार उत्तरदायी है। वह केवल श्रमजीवी वर्ग पर आक्रमण करना चाहती है। इसी कारण से मैंने अपना संशोधन पेश किया है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्वीकार करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : मेरा संशोधन बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि 'कार्य से इंकार करना' शब्दों के स्थान पर "बिना कारण" शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाये। कार्य करने से इंकार करने का कोई कारण हो सकता है। एक कर्मकार बीमार हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है। यदि कोई कारण हो, तो उसे कार्य करने का अधिकार है। अत:, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सरल संशोधन को स्वीकार करें।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : मेरा संशोधन निम्नलिखित शब्दों के लोप करने के बारे में है :—

"(एक) जहां अतिकालिक कार्य किसी आवश्यक सेवा को बनाये रखने को लिए आवश्यक है, वहां अतिकालिक कार्य करने से इन्कार करना;

(दो) ऐसा कोई अन्य आचरण, जिसके परिणामस्वरूप किसी आवश्यक सेवा में काम का बन्द हो जाना या उसकी गति पर्याप्त रूप में मंद हो जाना संभाव्य है या हो जाती है।"

आवश्यक सेवा कौन सी हैं और कौनसी नहीं है इस संबन्ध में अलग-अलग राय है। आपने खण्ड 2 में कहीं भी यह नहीं बताया है कि "आवश्यक सेवा" द्वारा आपका अभिप्राय किस प्रकार के कार्य से है।

मान लीजिए कि कोई एक श्रमिक बीमार है। उसको क्या स्थिति होगी ? श्री गनी खान चौधरी इसका उत्तर देंगे।

सभापति महोदय :—जी हां, वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : गृह मंत्री कहां हैं ? इस संशोधन का उत्तर मंत्री महोदय को देना चाहिये। मंत्री बिल्कुल ही गम्भीर नहीं हैं। यदि यही हाल रहा तो सभा की कार्यवाही चल नहीं पायेगी। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह ली है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें।

सभापति महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र अब बोलेंगे ।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मैंने बहुत सारे संशोधन रखे हैं । मैं तीन बातों के बारे में जोर देना चाहूंगा ।

पहली बात यह है कि कर्मचारी उचित कारणों से अतिकालिक कार्य करने से इन्कार करते हैं । किसी कर्मकार के लिए कार्य से इन्कार करने के उचित कारण हो सकते हैं । उसकी माता अथवा बच्चे बीमार हो सकते हैं । उसमें मानवीय कारण भी हो सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि उचित कारणों का, जिनके आधार पर एक कर्मकार अतिकालिक कार्य करने से इन्कार कर सकता है, यह उल्लेख किया जाना चाहिए और इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि अनेक बार अत्यावश्यक सेवाओं में नियोजक या प्रबन्धक का कुप्रबन्ध हो सकता है । यहां मैं किसी अत्यावश्यक सेवा को उचित रूप से बनाये रखने हेतु प्रबन्धकों अथवा नियोजकों के प्रति की जानी वाली कार्यवाही को भी शामिल करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : श्री चित्त महाटा अब बोलेंगे ।

श्री चित्त महाटा (पुरुलिया) : मैं आप से संशोधन पर विचार करने के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि जब किसी कर्मचार को घर पर कोई आवश्यक कार्य करना होता है और उसके परिवार में कष्ट अथवा दूसरी बीमारी आदि होती है उसे अतिकालिक कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए । अतः मैं आप से अपने संशोधन पर विचार करने और इस भाग को निकाल देने की प्रार्थना करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री के० पी० अन्नीकृष्णन उपस्थित नहीं है । श्री भीकू राम जैन उपस्थित नहीं हैं । श्री रवीन्द्र वर्मा अब बोलेंगे ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता यह बिलकुल स्पष्ट बात है कि इस विधेयक में हड़ताल की परिभाषा को और व्यापक बना दिया गया है । सर्वसम्मत मानदंडों के न होने के कारण यह स्पष्ट है कि इस खंड के उपबन्धों का उपयोग करके एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है जिसमें कोई भी अर्थ लगाया जा सकता है किसी भी बात को उत्पादन को कम करने वाला अथवा बाधा डालने वाला कहा जा सकता है । और दण्डों के साथ संबंधित अन्य खंडों के साथ-साथ इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि मात्र संदेह हो जाने पर कि कुछ ऐसा किया गया है अथवा नहीं किया गया है जिससे उत्पादन में बाधा पड़ सकती है, कर्मकारों को इस विधेयक के अधीन दंड का शिकार बनाया जा सकता है । अतः, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं अपने द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री ए० के० राय : मेरे दो संशोधनों का उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम और वर्तमान विधान के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने का है । नवम्बर, 1980 में ही जीवन बीमा निगम के मामले

में निर्णय देते समय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक मौलिक अधिनियम है, कोई अन्य अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम अथवा कोई अन्य अधिनियम अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम की अवहेलना नहीं कर सकता है। यहां उन्होंने यह किया है कि जल्दी में इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय इसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया है। वह औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन कर सकते थे अथवा एक पंक्ति के विधेयक में वह यह कह सकते थे कि 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को एतद् द्वारा निरसन कर दिया गया है' उससे औद्योगिक विवाद अधिनियम समाप्त हो गया होता। किन्तु उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम और असम अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखना अधिनियम को बनाये रखा है और उन्होंने इस विधेयक को भी पुरःस्थापित किया है। यही कारण है कि मैंने सुझाव दिया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली लोकोपकारी सेवा के अंश को निकाल दिया जाना चाहिये और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत आने वाली उन सेवाओं को, उनमें से भी, केवल आवश्यक अंश को रखा जाना चाहिये ताकि इसके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि क्या 'हड़ताल' की परिभाषा में किसी भी कल्पना द्वारा अथवा किसी नियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अतिकालिक कार्य के लिए विवश किया जा सकता है। 'अतिकालिक' शब्द का ही अर्थ यह है कि इसे व्यक्ति की सुविधा पर छोड़ दिया जाये कि वह इसे करे अथवा न करे। जब तक आपके यहां कोई आपात स्थिति न हो, तब तक आप किसी व्यक्ति को अतिकालिक कार्य के लिए विवश नहीं कर सकते। यह कानून केवल आपात स्थिति के लिए ही नहीं है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि 'हड़ताल' शब्द पूरी तरह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार होना चाहिये। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली अत्यावश्यक सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये। तभी इसका अधिकार क्षेत्र बहुत स्पष्ट होगा।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : महोदय मेरे संशोधन 407, 408 और 409 हैं। मैं इन पर लम्बा भाषण नहीं दूंगा।

दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र बराबर यह कहते रहे हैं कि जबसे उनकी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से उत्पादन में वृद्धि हो गई है। उत्पादन में किसने वृद्धि की है ? क्या मंत्री महोदय ने या सदस्यों ने उत्पादन में वृद्धि की है ? नहीं। उत्पादन में वृद्धि तो इस देश के श्रमिक वर्ग ने की है और इसके बदले में आप उनको यह सब दे रहे हैं ? श्रमिक वर्ग के साथ शत्रुवत व्यवहार किया जाता है और वे उनको दण्डित करने का विधान बना रहे हैं। क्या यह कार्यवाही ठीक है ? मैं कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूं। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि इस देश के श्रमिकों ने उत्पादन में वृद्धि की है और उसके बदले में यह सरकार उनको दण्डित कर रही है। यह गलत बात है।

जहां तक आवश्यक सेवाओं की बात है, हम यह जानते हैं कि यह एक ऐसी सेवा है जो कि अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार विश्व की हर वस्तु को

आवश्यक बनाया जा सकता है—मन्त्री महोदय या कोई भी जिसे आवश्यक समझें । कोई उपयुक्त या निश्चित परिभाषा नहीं की गई है । स्टीफन महोदय आवश्यक सेवाओं के बारे में बड़े वाक्पटु बन रहे थे । मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ आवश्यक है उसे ही आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया जाए । मेरे संशोधन का अभिप्राय उन सेवाओं को सीमित करना है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरा सुझाव स्वीकार करें ।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा): सभापति महोदय, सरकार जिन सेवाओं में स्ट्राइक पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, उनकी एक लम्बी सूची क्लाज 2 में दी गई है । लेकिन इस लम्बी सूची के बाद एक जेनरेल क्लाज जोड़ दी गई है. जिसके अनुसार कोई ऐसी सेवा नहीं है, जो इस कानून के अन्तर्गत नहीं आती है । इससे सरकार की नीयत स्पष्ट है कि वह स्ट्राइक्स पर टोटल बैन लगाना चाहती है, चाहे मजदूर किसी भी सेवा में काम करते हों । इस मजदूर विरोधी प्रावधान को हटा देने के लिए मैंने यह संशोधन रखा है ।

सरकारी पक्ष की ओर से श्री स्टीफन और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे मजदूरों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं कि वे अपनी समस्याओं के बारे में एजीटेट कर सकें । जैसे, खुद होम मिनिस्टर ने कहा कि मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर एजीटेट करने के लिए बैज लगा सकते हैं। इस क्लाज में हड़ताल की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अगर मजदूर कलेक्टिव बारगेनिंग के सब मैथड्ज अख्तियार करने के बाद भी हड़ताल करेंगे, तब भी वह हड़ताल इस कानून के अन्तर्गत आ जायेगी । मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि अगर मजदूरों द्वारा बैज लगाने, डिमांस्ट्रेशन करने, नेगोशिएशन्ज करने और सरकार को अपनी मांगों पर सोचने तथा विचारने का मौका देने के बाद भी—इन सब मैथड्ज को एडाप्ट करने के बाद भी—सरकार नहीं मानती है, और मजदूरों के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है, उन पर हड़ताल थोप दी जाती है और वे हड़ताल करते हैं, तब उस हड़ताल पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए ।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मेरा संशोधन परिभाषा और समयोपरि भत्ते से सम्बन्धित है । स्टीफन महोदय बता रहे थे···

सभापति महोदय : आप अपने संशोधन के बारे में बोलिए ।

श्री अजय विश्वास : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1980 में निर्णय लिया था कि सरकारी कर्मचारियों को भी हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होगा । भारत सरकार भी उस निर्णय में सहभागी है परन्तु यहां भारत में आने के पश्चात्···

सभापति महोदय : भूतकाल को भूल जाइये । आपका संशोधन क्या है ?

श्री अजय विश्वास : वे पूछ रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे । महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हम सत्ता में हैं । पश्चिम-बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी हड़ताल करने के श्रमिक-संघीय अधिकार दे दिए हैं । त्रिपुरा सरकार ने भी हड़ताल करने के श्रमिक-संघ अधिकार सरकारी कर्मचारियों को

दे दिए हैं। अतः हम लोकतन्त्र को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। महोदय, हम श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। आप तो श्रमिकों के हितों को वास्तव में कम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये संशोधन प्रस्तुत किए थे।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री जैल सिंह : सभापति महोदय, मैं सब कुछ कह चुका हूं। मैं प्रशंसक हूं उन मेम्बरों का जिन्होंने इस बिल पर अपना ध्यान दिया, अपने विचार रखे और उनके अमेंडमेंट्स को भी मैंने पढ़ा। जो बोले हैं उनको गौर से मैंने सुना भी। लेकिन ये अमेंडमेंट्स मंजूर करने के काबिल नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन अमेंडमेंट्स को वे वापस ले लें। जिस सिद्धांत के लिए, जिस निशाने के लिए यह बिल बनाया गया है उसके साथ ये मेल नहीं खाते हैं। इसलिए वापस ले लें तो मेहरबानी है।

सभापति महोदय : यदि आप सहमत हों तो, क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ रखूं?

श्री ए० के० राय : नहीं, नहीं। कम से कम मेरे संशोधन संख्या 380 और 381 को तो अलग से प्रस्तुत करें।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं। दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है : —

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए –

'(क) "आवश्यक सेवा" से लोक जीवन की सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो समुदाय के प्रसामान्य कार्य के लिए आवश्यक हैं किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत नहीं आती हैं;' (380)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'(ख) "हड़ताल" से किसी आवश्यक सेवा या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किसी ऐसे कार्य में नियोजित रहने के दौरान व्यक्तियों के निकाय द्वारा कार्य बन्द कर दिया जाना अभिप्रेत है;' (381)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

20.26 बजे

मत-विभाजन संख्या 17

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
इम्बीचीबावा, ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
समीनुद्दीन, श्री
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा. कृपासिंधु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनाबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोडा, श्री डी. एम. पुत्ते
हेम्ब्रम, श्री सेत
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
अमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.

कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महेन्द्र प्रसाद, श्री
सलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेहरु, श्री अरुण कुमार
नीखरा, श्री रामेश्वर
उराव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजामल्लू, श्री के.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के.
रण वीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी. वेंकट
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सावन्त, श्री टी. एम.
सेलवाराजू, श्री एन.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिवशंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसेन, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईलर, श्री जगदीश
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
रिजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राघ सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत–विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 57

विपक्ष में : 165

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

* (1) निम्नांकित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, के० ए० राजन, अजित बाग।

विपक्ष में : सर्वश्री दारूर पुल्लया, रामायण राय, जी० एस० रेड्डी, गुफरान आजम और प्रो० सत्यदेवसिंह।

(2) इस मत—विभाजन का परिणाम संशोधन संख्या 380 और 381 पर अलग-अलग लागू होता है।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 2 के सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं। दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25 से 27 का लोप कर दिया जाए। (23)

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 28 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(viii) किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी अनुभाग में कोई सेवा जो संविधान की सप्तम् अनुसूची की सूची I की परिधि के अधीन आती है।" (52)

पृष्ठ 2 और 3, —

क्रमश: पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(क) "आवश्यक सेवा" से युद्ध के समय रक्षा से सम्बन्धित कोई सेवा अभिप्रेत है।' (66)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22, —

"या" के पश्चात् "युक्तियुक्त आधार पर" अन्त:स्थापित किया जाए। (67)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 और 24,—

"और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,—"का लोप कर दिया जाए। (68)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25 से 30 का लोप कर दिया जाए। (69)

पृष्ठ 2 और 3, —

क्रमश: पंक्ति 3 से 43 और 1 से 44 का लोप किया जाये। (112)

पृष्ठ 3,—,

पंक्ति 9-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(xvi) संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई सेवा;"। (120)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25 और 26,—

"अतिकालिक" का लोप किया जाए। (121)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28,—

"ऐसा कोई अन्य आचरण" का लोप किया जाये। (122)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23,—

"अभिप्रेत है" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"यदि ऐसे कार्य बन्द करना या ऐसी इंकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्यथा उचित नहीं है।" (134)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 37 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"के अगामी सत्र के प्रारम्भ के प्रथम दिन रखी जायेगी और ऐसी अधिसूचना केवल तब प्रवृत होगी जब कि संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा प्रत्येक सदन के सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से उसका अनुमोदन कर दिया जाता है।" (137)

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 6 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

"संघ के सशस्त्र बलो से सम्बन्धित या प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कोई सेवा, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की गई है;"। (144)

पृष्ठ 2, -

पंक्ति 6-11 का लोप किया जाये। (199)

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,—

"सेवा", के पश्चात् "केवल आपात की उद्घोषणा की अविधि के दौरान;" अन्तःस्थापति किया जाए। (200)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 17-21 का लोप किया जाए। (201)

पृष्ठ 2-3,—

क्रमशः पंक्ति 28-43 और 1-2 का लोप किया जाए। (202)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"किसी" से पूर्व "रक्षा से सम्बन्धित" अन्तःस्थापित किया जाए। (203)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 6-10 का लोप किया जाए। (204)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 11-18 का लोप किया जाए। (205)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25-33 का लोप किया जाए— (207)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ख) "हड़ताल" से किसी नियोजक अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा आर्थिक और राजनैतिक आक्रमण को देखते हुए काम बन्द करने का कर्मचारी का मूल अधिकार अभिप्रेत है। (221)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"वहां" के पश्चात्

"बिना कारण" अन्तःस्थापित किया जाए। (236)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 से 30,—

निम्नलिखित का लोप किया जाए —

"और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,—

(i) जहां अतिकालिक कार्य किसी आवश्यक सेवा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, वहां अतिकालिक कार्य करने से इन्कार करना;

(ii) ऐसा कोई अन्य आचरण, जिसके परिणाम स्वरूप किसी आवश्यक सेवा में काम का बन्द हो जाना या उसकी गति पर्याप्त रूप में मंद हो जाना संभाव्य है या हो जाती है।" (246)

पृष्ठ 2 पंक्ति 5,—

"से" के पश्चात् "निम्नलिखित सेवाओं का नियोजक या प्रबन्ध" अन्त स्थापित किया जाये। (296)

पृष्ठ 3 पंक्ति 20, —

"मिलकर" के पश्चात "बिना किसी आधार के" अन्तःस्थापित किया जाये। (297)

पृष्ठ 3 पंक्ति 26,—

"वहां" के पश्चात "बिना कोई कारण बताए" अन्तःस्थापित किया जाये। (298)

पृष्ठ 3 पंक्ति 28, —

"कोई अन्य आचरण" के स्थान पर "अन्य आचरण नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाये। (299)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 और 24,—

"और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है" का लोप किया जाये। (319)

श्री जमीलुर्रहमान : मैं संशोधन संख्या 326 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(क) "लोकोपयोगी सेवा" से 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन परिभाषित रूप में उपयोगी सेवा अभिप्रेत है।" (331)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए —

"(xviii) किसी विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्था, महाविद्यालय या विद्यालय में कोई सेवा;

(xix) होटलों, अतिथिगृहों तथा समरूप ऐसे स्थानों में, जहां अधिकतर विदेशी पर्यटक ठहरते हैं, कोई सेवा;

(xx) ढाबों और भोजनालयों में, जहां लोग भोजन करते हैं, कोई सेवा;

(xxi) भारतीय खाद्य निगम में, जहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी स्टोरों और राशन की दुकानों के लिए खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं, कोई सेवा;"। (345)

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(क) "आवश्यक सेवा" से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की प्रथम सूची और धारा 2(ढ) के अधीन सूचीबद्ध हैं।' (350)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

'(ख) "हड़ताल, तालाबन्दी" और "कामबन्दी" शब्दों तथा अन्य शब्दों और पदों के जो धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।' (351)

पृष्ठ 2, और 3,—

क्रमशः पंक्ति 5 से 43 और 1 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(क) "आवश्यक सेवाओं" से अभिप्रेत हैं—

1. अस्पतालों के कार्यकरण से सीधे सम्बन्धित सभी सेवाएं;
2. अग्नि शमन सेवा-संचालन सेवाएं;
3. पेय जल प्रदाय-संचालन सेवाएं;
4. दुग्ध प्रदाय संचालन सेवाएं;
5. खाद्य और आपूर्ति विभाग की राशन की दुकानें;
6. औषध विक्रेता तथा केमिस्ट स्टोर्स;' (407)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 से 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

(ख) "हड़ताल से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य बन्द कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं, कार्य करते रहने से या नियोजन प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना अभिप्रेत है। (408)

पृष्ठ 3 और 4,—

क्रमशः पंक्ति 34 से 44 और पंक्ति 1 से 5 का लोप कर दिया जाए। (409)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20,—

"मिलकर" के पश्चात् "सामूहिक सौदेबाजी का कोई अन्य तरीका अपनाये बिना" अन्तःस्थापित किया जाए। (438)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 34-44 का लोप किया जाए। (441)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"वग प्रबन्ध"। (484)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० 18

20.3 3बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
वालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हान्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
ममुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०

राजदा, श्री रतन सिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू, श्री एम०
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बुजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड़ा, श्री डी० एम० पुत्ते
हेम्ब्रम, श्री सेत
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
खां, श्री जल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेहरु, श्री अरुण कुमार
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारूर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजामल्लू, श्री के.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के.
रणबीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम· सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वायपा
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सावन्त, श्री टी. एम.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.	वर्मा, श्री जय राम
स्टीफन, श्री सी. एम.	वेंकट सुब्बया, श्री पी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल	विजयराघवन, श्री वी. एस.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त	वीरभद्र सिंह, श्री
सुन्दर सिंह, श्री	व्यास, श्री गिरधारी लाल
स्वामी, श्री के. ए.	वाघ, डा० प्रताप
तारिक अनवर, श्री	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
तैयब हुसेन, श्री	यादव, श्री राम सिंह
तिवारी श्री नारायण दत्त	यूसफ, श्री मोहम्मद
टाईटलर, श्री जगदीश	जैल सिंह, श्री
वैराले, श्री मधुसूदन	जैनल बशर, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 59

विपक्ष में : 173

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"छह मास" के स्थान पर

"एक मास" प्रतिस्थापित किया जाए । (11)

*निम्नांकित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री ए० के० राय और अजित बाग ।

विपक्ष में : श्री एन० सेलवाराजू, श्री रामायण राय और प्रो० सत्यदेव सिंह ।

(2) इस मतविभाजन का परिणाम संशोधन खण्ड 2 के संशोधन संख्या 380 और 381 को छोड़कर सभी संशोधनों पर अलग-अलग लागू होता है ।

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"छह मास" के स्थान पर

"एक दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"छह मास" के स्थान पर "एक दिन"

प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"छह मास" के स्थान पर "एक दिन"

प्रतिस्थापिय किया जाए। (29)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6 और 7,—

"ऐसा करना लोक हित में" के स्थान पर "किसी अन्य देश के साथ युद्ध के दौरान ऐसा करना" प्रतिस्थापित किया जाए। (70)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,

"छह मास" के स्थान पर "छह दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (71)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"छह मास" के स्थान पर "छह दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (72)

श्री रूप चन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 7 से 9,—

"आदेश द्वारा, ऐसी किसी भी आवश्यक सेवा में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, हड़तालों को प्रतिसिद्ध कर सकेगी" के स्थान पर "अपील कर सकेगी कि ऐसी किसी भी आवश्यक सेवा में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, हड़ताल न की जाए" प्रतिस्थापित किया जाए। (89)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, —

पंक्ति 10-17 का लोप किया जाए। (113)

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 23,—

"पूर्व या" का लोप किया जाए। (123)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"यदि" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध तथा राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे," । (149)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"आदेश" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किए जाए —

"राजपत्र में उसके प्रकाशन के एक सप्ताह पश्चात् प्रवृत्त होगा और" । (150)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"छह मास" के स्थान पर "दो सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (151)

पृष्ठ 4, पंक्ति 18,—

"पर" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"और उसके प्रवृत्त होने के पश्चात" । (152)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 22 से 24 का लोप किया जाए। (153)

श्री सुधीर कुमार गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"यदि" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा के दौरान।" (208)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आदेश में विनिर्दिष्ट आवश्यक सेवा बनाए रखने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कर्मकारों के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकेगी।" (222)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 19 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) किसी नियोजक को ऐसी स्थिति पैदा नहीं करने दी जाएगी जिससे कर्मकार हड़ताल पर जाएं या हड़ताल पर रहें;" (223)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 22 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"ऐसी सेवा में किसी नियोजक द्वारा आदेश के जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् आरम्भ की गई कोई स्थिति दण्डनीय होगी।" (224)

श्री रेणुपद दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"सरकार का" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा—

"उन कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जायेगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।" (255)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"आदेश" के पश्चात् "उसके राजपत्र में प्रकाशित होने के एक सप्ताह पश्चात् प्रवृत्त होगा" अन्तःस्थापित किया जाए। (256)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"छह मास" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (302)

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6, —

"सरकार का" के पश्चात् निष्पक्ष रूप से अन्तःस्थापित किया जाए। (336)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 10 से 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया आदेश प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी में उसे लाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा।" (337)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 14-16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का निष्पक्ष रूप से समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह उस आदेश को, कैसे ही आदेश द्वारा पन्द्रह दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिये।" (339)

श्री रबीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु ऐसा साधारण या विशेष आदेश जारी करने से पूर्व सरकार ऐसे किसी औद्योगिक विवाद को जो किसी आवश्यक सेवा में उद्भूत हुआ या जिसके उद्भूत होने की आशंका हो किसी बोर्ड, न्यायालय या न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करेगी जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के दूसरे परन्तुक में उपबन्धित है और विवाद की सुलह या माध्यस्तम को उस अवधि के भीतर जो बोर्ड, न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसा विवाद निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो पूरा करने के लिए समुचित अनुदेश देगी ।" (352)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"3. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी आवश्यक सेवा में हड़ताल का परिवर्जन करना आवश्यक है, तो वह एक विशेष आदेश द्वारा मामले को पहले सुलह के जरिये हड़ताल कारित करने वाली समस्याओं के उचित रूप में हल किये जाने के लिए एक उच्च स्तरीय सुलह तंत्र को निर्देशित करेगी जिसके असफल होने पर एक पखवाड़े के भीतर अनिवार्य मध्यस्थता के जरिये हल किये जाने के लिए निर्देशित करेगी ।" (382)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 10 से 12 का लोप कर दिया जाए । (383)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 13 से 17 का लोप कर दिया जाए । (384)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 22 से 24 के स्थान पर

निम्नलिखित तिस्थापित किया जाए —

"(ख) ऐसी किसी सेवा में सुलह या मध्यस्थता की अवधि के दौरान घोषित कोई हड़ताल अवैध होगी ।" (385)

श्री ई० बालानन्दन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, --

खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"3. कुछ नियोजनों में हड़ताल का प्रतिषेध करने की शक्ति होगी जैसा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 में वर्णित है।" (410)

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 7,—

"साधारण या" का लोप कर दिया जाए। (415)

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,—

"हड़ताल को" के पश्चात् उसे प्रतिषिद्ध करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् जोड़ा जाए। (416)

पृष्ठ 4, पंक्ति 15,—

"वह" के पश्चात् "उसके कारण अभिलिखित करने के पश्चात्" अन्तःस्थापित किया जाए। (417)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"छह मास" के स्थान पर "सात दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (419)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 7,—

"तो वह" के पश्चात् "संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत की पूर्व मंजूरी से" अन्तःस्थापित किया जाए। (442)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"यदि हड़ताल सामुहिक सौदेबाजी का कोई अन्य तरीका अपनाये बिना की गई है।" (443)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10-12,—

"ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी में उसे लाने के लिए, सर्वाधिक ठीक समझे।"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"इसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए इसके प्रवृत्तन क्षेत्र की सब प्रादेशिक भाषाओं के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।" (444)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12, —

"छह मास" के स्थान पर "पच्चीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (445)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"छह मास" के स्थान पर "पच्चीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (446)

पृष्ठ 4, पंक्ति 21, —

"रहेगा" के पश्चात्, "यदि वह अवैध है" अन्तःस्थापित किया जाए । (447)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22, —

"पूर्व या पश्चात्" के स्थान पर "पश्चात् सामूहिक सौदेबाजी का कोई अन्य तरीका अपनाये बिना" अन्तःस्थापित किया जाए । (448)

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"सरकार का" के पश्चात् "ऐसे कारणों से, जो न्यायोचित साबित हो गये हैं और लेखबद्ध तथा राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं," अन्तःस्थापित किया जाए । (476)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 13 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश केवल एक मास तक प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके स्पष्टीकरण बताते हुये वैसे ही आदेश द्वारा एक मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी ।" (477)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"आदेश" के पश्चात् "राजपत्र में प्रकाशन के दस दिन की अवधि के पश्चात् प्रवर्तन में आयेगा और" अन्तःस्थापित किया जाए । (478)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 5,—

"यदि" के पश्चात् "गुप्त मतदान द्वारा कर्मकारों की राय लेने के पश्चात्" अन्तःस्थापित किया जाये । (487)

श्री चित्त बसु : महोदय, खण्ड 3 सरकार को विशेष आदेश या अधिसूचना द्वारा हड़ताल पर पाबन्दी लगाने की शक्ति प्रदान करता है। संशोधनों में एक संशोधन यह है कि कोई सामान्य आदेश नहीं होना चाहिए। किसी विशिष्ट संगठन में विशिष्ट अवधि या विशिष्ट परिस्थिति में हड़ताल होने की दशा में यह सामान्य आदेश अस्पष्ट होगा। इसलिए प्रत्येक आदेश विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। अधिसूचना सामान्य प्रकार की होनी चाहिए।

फिर एक लोक हित का प्रश्न भी है। विधेयक में कहीं भी लोक हित की निश्चित परिभाषा करने वाला कोई उपबन्ध नहीं है। सरकार यह क्यों सोचती है कि लोक हित में हड़ताल को गैर-कानूनी करार दिया जाना चाहिए ? ऐसा कोई संकेत नहीं है कि लोक हित का अर्थ क्या है। इसलिए मेरा संशोधन है कि जहां भी ऐसी अधिसूचना या आदेश दिए जाते हैं उसके कारण भी बताये जाने चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा छह महीने की अवधि के विषय में है। सरकार छह महीने के लिए हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार प्राप्त करना चाहती है। मैं सुझाव देता हूं कि इस अवधि को घटा कर दो महीने कर दिया जाना चाहिए। यदि इसे बढ़ाया जाना है तो इसे केवल एक महीने और बढ़ाया जाए। उसके लिए भी करण अभिलिखित किये जाएं।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा संशोधन नं० 28 और 29 धारा 3 में हैं। हड़ताल पर बंदिश लगाने का आदेश छः महीने तक लागू रहेगा, इस विधेयक में यह बात कही गई है और अगर सरकार आवश्यक समझे, तो छः महीने और इसको लागू करेगी। कहने का मतलब यह है कि मजदूरों पर कितनी भी मुसीबत आती रहे, आप उनको परेशान करते रहें, फिर भी वे आवाज नहीं उठा सकते। अगर ये आवाज उठाते हैं और आप सुनेंगे नहीं, तो अन्त में लड़ने के लिए अगर वे हड़ताल करना चाहे, तो नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : आप टाइम बता दीजिए कि कितना रखना चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि छः महीने तक यह आदेश लागू रहेगा, इसके पीछे तर्क क्या है, छः महीने से कम क्यों नहीं है। छः महीने के पीछे क्या सैक्टीटी है कि छः महीने ही रहे और फिर आगे छः महीने ही बढ़ाना, इसके पीछे मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है, तर्क नहीं है। तो मैंने कहा है कि इसको आप एक दिन क्यों नहीं रखते। अगर बढ़ाने की जरूरत है, तो एक दिन के लिए क्यों नहीं बढ़ाते। आपको तर्क देना होगा कि छः महीने क्यों रखना चाहते हैं, हड़ताल पर बंदिश छः महीने के लिए क्यों लगाना चाहते हैं। मेरा एमेंडमेंट यह है कि इसको एक-एक दिन कर दिया जाए।

श्री सुनील मैत्रा : मैंने खण्ड 3 में एक संशोधन पेश किया है, जिसके अनुसार :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6 और 7,—

"ऐसा करना लोक हित में" के स्थान पर "किसी अन्य देश के साथ युद्ध के दौरान ऐसा करना" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 2 की तरह ही इसके लिए भी वही कारण हैं। फिर पृष्ठ 4, पंक्ति तेरह में मैंने कहा है कि छह मास के स्थान पर इसे 'छह दिन' किया जाना चाहिए। येही मेरे संशोधन हैं।

सभापति महोदय : प्रो० रूप चन्द पाल बोलना नहीं चाहते हैं। अब श्री हाल्दर।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : खण्ड 3 के लिए मेरा संशोधन संख्या 113 है, यह पृष्ठ 4 पर है। मैं चाहता हूं कि पंक्ति 10 से 17 का लोप कर दिया जाए। आपको पता है कि हड़ताल करना कामगारों का मूल और मौलिक अधिकार है। इस खण्ड के द्वारा सरकार उन कामगारों से, जिनकी सेवाओं को आवश्यक घोषित किया जाएगा हड़ताल करने का मूल और मौलिक अधिकार छीन लेना चाहती है। इस खण्ड के द्वारा सरकार कामगारों और कर्मचारियों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों का सा व्यवहार करना चाहती है। माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि वह कामगारों के कल्याण के लिए यह विधेयक लाए हैं। मैं नहीं समझता कि कामगारों से मूल और मौलिक अधिकार छीन लेने से उनका कल्याण हो सकेगा। अतः उनके इस तर्क से वे कामगारों को खुश और उनके सन्देह को दूर नहीं कर सकेंगे। अतः, मैं माननीय गृहमंत्री से अपने संशोधन स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट मैंने दिया है, यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाएगा, अब वह समाधान कब होगा, सपने में होगा, जागते में होगा। कब समाधान हो जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। कहना नहीं होगा कि इस बिल में ऐसी हड़ताल जिसके लिए पर्याप्त समय पहले नोटिस दिये जा चुके होंगे ऐसी हड़ताल को भी अवैध कराने की बात कहीं गयी है जो कि एक दम श्रमिक कानून के विपरीत है। इसमे तो ऐसा लगता है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का खड़ा हो तब भी मेरा। यह तो आन्दोलन को कुचलने वाला एक कदम है और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का जो मेरा अमेंडमेंट है उसको मान लिया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कारण बताने के समबन्ध में संशोधन दिया है। उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों ने भी यही कहा था; प्रायः यह भी सबको पता है कि कारण देना निरंकुश कार्यवाही पर नियंत्रण लगाना है। आप इससे भलीभांति परिचित हैं। चूंकि इतने व्यापक अधिकार दिए गए हैं इसलिए मैं केवल यही कह रहा हूं कि कारण दिए जाएं ताकि पता लग सके कि आपने यह आदेश क्यों पास किया और हमें इसे कम से कम यथार्थ रूप में परखने का मौका दें और हम इसे परख सकें। (व्यवधान) अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। संचार मंत्री लोगों के साथ सम्पर्क न कर शैतानों के साथ सम्पर्क बना रहे हैं सभी शैतानी कार्य तथा विचार हैं···

संचार मंत्री श्री सी० एम० स्टीफन : आप भी उन में से हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह चाहते हैं कि कोई भी कारण न दिया जाए क्योंकि लोगों को न्यायालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे समाप्त कीजिए। श्री स्टीफन के अनुसार अब यह समाप्त कर देने योग्य चीज है। अब दूसरी बात यह है कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो गई है।

हमारे गृह मंत्री सख्ती करने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं और आदेश जारी किए जा चुके हैं। मैं कहता हूं कि यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। आपने यह देखने के लिए लोगों को एक सप्ताह का समय दिया था कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। उनकी इच्छानुसार यदि वे पक्ष में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं—चाहे क्रूर कानून हो - तो उन्हें लोगों को जेल नहीं भेजना पड़ेगा। तीसरे, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद यह कार्य रूप में लागू हो जाएगा। इसलिये दो संशोधन हैं। कोई भी व्यक्ति, जो वास्तविक स्थिति को छिपाना नहीं चाहता है, वह कारण बताए जाने पर आपत्ति नहीं करेगा और यह निरंकुशता पर एक नियंत्रण है जिससे आपने सहमति व्यक्त की है। दूसरा संशोधन यह है कि आप यह देखने के लिए लोगों को एक सप्ताह का समय देते हैं कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आप ये क्रूर अधिकार, बरखास्तगी, जेल, संक्षिप्त मुकद्दमा आदि के अधिकार क्यों लेते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से श्री स्टीफन का मार्गदर्शन प्राप्त न करने का अनुरोध करता हूं। वह आपको सदा ही गलत राह पर ले जाएंगे। कृपया अपना दिमाग लगाइए और इस पर विचार कीजिए। वह सदा ही आपको गलत राह पर ले जाते हैं।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) मैं खण्ड 3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन, कार्यकारी द्वारा, स्थिति के औचित्य को समझने और संतुष्ट होने पर हड़ताल पर रोक लगाने विशेष आदेश के माध्यम से हड़तालों पर रोक लगाने के प्रावधानों का विरोध करता हूं। इसीलिए ऐसा गैर-कानूनी कानून बनाया जा रहा है। अवधि जितनी कम होगी वह श्रमिक वर्ग और लोगों के लिए उतनी ही अधिक हितकर होगी। मैंने यह संशोधन दिया है कि सन्तुष्टि किन्हीं कारणों पर आधारित होनी चाहिए और उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि : हड़तालों पर रोक लगाने के कारण नहीं बताए गए हैं। यदि सरकार विशाल जन साधारण के हित में काम कर रही होती तो मैंने यह संशोधन न दिया होता। यह सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शह पर काम कर रही है, जमीनदारों की शह पर काम कर रही है और बड़े-बड़े घरानों की शह पर काम कर रही है। अतः मैं कहता हूं कि सरकार को हड़तालों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। यह रोक केवल आपातकाल के दौरान ही लगाई जानी चाहिए। इसीलिए मैं यह संशोधन लाया हूं।

सभापति महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी। आप भी चाहते हैं कि कारण बताए जाएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : खण्ड में यह उल्लेख किया गया है, 'ऐसी किसी भी·· हड़तालों के प्रतिषिद्धि कर सकेगी।" मैं इसे

> "आदेश में विनिर्दिष्ट आवश्यक सेवा बनाए रखने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कर्मकारों के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकेगी।"

के द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहता हूं।

फिर पृष्ठ 4 पर,—

> मैं "ऐसी किसी आवश्यक सेवा में, जिसके संबंध में वह आदेश है, नियोजित कोई व्यक्ति न तो हड़ताल पर जाएगा और न हड़ताल पर रहेगा।" 'के स्थान पर,

"किसी नियोजक को ऐसी स्थिति पैदा नहीं करने दी जाएगी जिससे कर्मकार हड़ताल पर जाएं या हड़ताल पर रहें।"

प्रतिस्थापित करना चाहता हूं। अब केन्द्रीय सरकार एक एकाधिकारी घराना बन गई है और वे कामगारों को पड़ताल पर जाने के लिए विवश करती हैं। यह गलत है कि इस देश में कामगारों को हड़ताल पर जाने के लिए विवश किया जाता है।

सभापति महोदय : श्री रेणु पद दास। सं० 253-254।

श्री रेणुपद दास : मैं चाहता हूं कि क्योंकि श्रमिक वर्ग ने हड़ताल करने का अधिकार हासिल किया है, इसलिए हड़ताल कभी भी गैर कानूनी नहीं हो सकती। इसलिए, मैं पृष्ठ 4 पर उपकारा (1) में पंक्ति 28 से 29 का इस विधेयक से लोप करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : खण्ड 3 इस विधेयक के जटिल खण्डों में से एक है। यह खण्ड सरकार को हड़ताल पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करता है। मेरा संशोधन यह है कि :

"ऐसा साधारण या विशेष आदेश जारी करने से पूर्व सरकार ऐसे किसी औद्योगिक विवाद को जो किसी आवश्यक सेवा में उद्भूत हुआ या जिसके उद्भूत होने की आशंका हो किसी बोर्ड, न्यायालय या न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करेगी जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के दूसरे परन्तुक में उपबन्धित है और विवाद की सुलह या माध्यस्तम को उस अवधि के भीतर जो बोर्ड, न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसा विवाद निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो पूरा करने के लिए समुचित अनुदेश देगी।"

अब, यह सरकार के इरादों की गूढ़ परीक्षा है। यदि सरकार, सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत और अधिकार के अपने कथन के प्रति ईमानदार है, यदि वह शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक समझौता तंत्र को बनाए रखने के लिए वास्तव में चिन्तित है—और गृह मंत्री तथा हस्तक्षेप करने वाले मंत्री, संचार मंत्री, दोनों ने कहा है कि तंत्र को बनाए रखने का उनका इरादा है, तो सरकार को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिससे उनके कथन के प्रति ईमानदारी सिद्ध हो सके। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान।

श्री अमर राय प्रधान : यह इस कठोर विधेयक का महत्वपूर्ण भाग है। यदि सरकार लोक हित में सन्तुष्ट है—आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार में लोक हित क्या है, यह एक अस्पष्ट शब्द है। चूंकि 'लोक हित' के संबंध में परिभाषा में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक वर्ष के स्थान पर छह मास का ऐसा प्रावधान होना चाहिए। कुछ घण्टे पूर्व श्री स्टीफन कामगारों की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि वह इसे छह मास

ही रखेंगे । परन्तु आप इसे यहां एक वर्ष बना रहे हैं । अतः अपने संशोधन द्वारा मैं इसे छह मास करना चाहता हूं । मेरे संशोधन पृष्ठ 4 पर संख्या 364 और 365 है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 365 संशोधन संख्या 12 जैसा ही है ।

श्री ए० के० राय : मैंने गृह मंत्री की सहायता करने के लिए यह विशिष्ट संशोधन दिया है । उत्तर देते समय उन्होंने कहा था : हड़ताल के बजाए अपनी छाती पर एक विल्ला लगा लो कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कि यह बात हमारी नहीं मानी गई । हम सुनेंगे और सुनने के बाद अविट्रेशन के लिए भेज देंगे । कैंसीलियेशन की बात हुई तो वह भी करेंगे, उनको इन्कार नहीं करेंगे । यही बात मैंने संशोधन के रूप में रखी है और मैंने कहा है :

> "यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी आवश्यक सेवा में हड़ताल का परिवर्जन करना आवश्यक है, तो वह एक विशेष आदेश द्वारा मामले को पहले सुलह के जरिये हड़ताल कारित करने वाली समस्याओं के उचित रूप में हल किये जाने के लिये एक उच्च स्तरीय सुलह तंत्र को निर्देशित करेगी जिसके असफल होने पर एक पखवाड़े के भीतर अनिवार्य मध्यस्थता के जरिये हल किये जाने के लिये निर्देशित करेगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय : आपने गृह मंत्री का भाषण सुनने से पहले यह संशोधन दिया था ।

श्री ए० के० राय : मुझे पता था वह क्या चाहते हैं । इसीलिए मैंने गृह मंत्री की सहायता करने के लिए यह संशोधन रखा है । समझौते या मध्यस्थता के बिना निपटाए यदि हड़ताल आरम्भ हो जाती है तो, यह गैर कानूनी होगी । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : मेरा संशोधन संख्या 410 है । भाषण देते समय श्री स्टीफन ने कहा था कि कामगारों के इस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वह औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रयोग करेंगे । अतः मैं अपने संशोधन के माध्यम से केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि कुछ सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार उसी तरह का होगा जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 में उल्लिखित है । यह इस पर मूल अधिनियम है और इसका आश्रय लिया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने इस खण्ड के अन्तर्गत किसी हड़ताल पर, यदि वह सन्तुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा पाबन्दी लगाने के व्यापक अधिकार प्राप्त कर लिए है । इसलिए, मैंने अपना संशोधन दिया है कि छह मास के लिए लागू रहने के बजाय आदेश सात दिन के लिए लागू रहेंगे । यही मेरा संशोधन है ।

श्री विजय कुमार यादव : (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है और सरकार की जो नीयत इस विधेयक को पेश करने की रही है उसको देखते हुए सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है या समीचीन है तो ऐसी हालत में वह हड़ताल प्रतिसिद्ध कर सकती है। तो इस तरह से बैनिंग का अधिकार मेरे विचार से सरकार को नहीं दिया जाना चाहिये। और यह अधिकार पार्लियामेंट को देना चाहिये वह समझें कि ऐसी स्थिति है कि नहीं। और इसलिये मैंने संशोधन दिया है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इस पर विचार किया जाय कि ऐसी परिस्थिति है कि नहीं। और जब तक दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति न दें तब तक स्वीकृति न मानी जाये। मैंने पहले भी कहा है कि जनरल हड़ताल की बात करके, क्योंकि सरकार ने जो जवाब दिया है, वह सरकार यह चाहती है, उसकी यह मंशा है जैसा कि वह कहते हैं, हालांकि वह मंशा नहीं है, कि वह कुछ अधिकार मजदूरों को देना चाहती है अपने सवालों को एजीटेट करने के लिये। इसलिये। हड़ताल अगर वगैर कलैक्टिव बार्गेनिंग, दूसरे उपायों का इस्तेमाल किये बगैर हो तब यह लागू होना चाहिये और अगर मजदूर पहले सभी तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद हड़ताल पर मजदूर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह उस पर लागू नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, इस सिलसिले में यह कहा गया है कि सरकार जो मुनासिब समझे इसके प्रचार करने का रास्ता अपनाये। मैंने कहा है कि जो कंसर्न्ड लोग हैं और जहां यह सवाल है, और जिस इलाके में इसका असर पड़ेगा, वहां पर जो प्रादेशिक भाषा के अखबार निकलते हैं, कम से कम उनमें से एक-एक अखबार में इसका जरूर शाया किया जाये और साथ ही साथ 6 महीने तक यह लागू रहने की बात कहा गयी है तो इतना डिक्टेटोरियल आदेश को, उसको इतने दिनों तक लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि छः महीना के स्थान पर पच्चीस दिन किया जाए।

श्री सुबोध सेन (जलपाई गुड़ी) : मैंने उन्हें केवल कारण बताने के लिए ही नहीं कहा है अपितु मैंने कहा है कि कारण औचित्य पूर्ण होने चाहिए। मेरे अनुभव की बात है कि नजरबन्दी के दौरान मनमाने कारण बना लिए जाते हैं। मैंने देखा है कि कांग्रेस सरकार ने इस आधार पर आरोप पत्र जारी किए हैं कि स्वतन्त्रता से पूर्व अमुक व्यक्ति ने अमुक हिंसा का काम किया है। उन्होंने इसे उस व्यक्ति को नजरवन्द करने का कारण मान लिया। अतः कारण उचित होने चाहिए, निरंकुश नहीं।

हड़ताल की आपकी परिभाषा में ऐसे कर्मकारों की कोई भी संख्या आ जाती है जो उन्हें सौंपे गए कार्य को करने से इन्कार करते हैं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक त्रुटिपूर्ण इंजन है और वहां पर एक क्षतिग्रस्त पुलिया है। उस विशिष्ट अवधि में 20 लोको कर्मचारियों का एक समूह उस इंजन को चलाने से इंकार कर देता है। अतः वह दण्डनीय कार्य में आ जाएगा, क्या ऐसा होना चाहिए। इसलिए, मैं कहता हूं कि कारण उचित होने चाहिए।

मैंने अपने संशोधन संख्या 477 का उल्लेख करते समय कहा था कि जब अवधि बढ़ाई जानी हो तो उसके लिए नए कारण होने चाहिए, जिनकी रूप रेखा तैयार करनी होगी। छह मास की जगह मैंने एक मास कहा है।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मेरा संशोधन है "यदि केन्द्रीय सरकार गुप्त मतदान द्वारा कामगारों का मत लेने के बाद सन्तुष्ट हो जाती है।" मेरे दूसरे और तीसरे संशोधन में कहा गया है कि आदेश छह मास के बजाय एक दिन के लिए लागू होगा और इसकी अवधि एक दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे नजरबन्दी का अनुभव है। मैं सरकार का रवैया जानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्रावधान औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए मैंने संशोधन दिया है।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यह पार्लियामेंटरी सिस्टम बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि पहले दिन जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ ...(व्यवधान)... मैं आपकी अमेंडमेंट का जवाब दे रहा हूं।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : महोदय, मैंने अपना संशोधन पेश किया है। मैं उस पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन किसी अन्य संशोधन से मिलता-जुलता हुआ होगा। इसीलिए आपको नहीं बुलाया गया। अन्य सभी ने संशोधन पेश किए हैं और उन पर बोल भी चुके हैं। इसीलिए मैंने मन्त्री महोदय को बुलाया है।

श्री एम० एम० लारेंस : विधेयक का खण्ड 3(1) इस प्रकार है :-

> "यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी किसी भी आवश्यक सेवा में जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, हड़तालों को प्रतिसिद्ध कर सकेगी।"

"यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है" शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह बहुत अस्पष्ट है; सरकार को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं। फिर यह आत्मनिष्ठ समाधान है। मेरा संशोधन सुझाव देता है कि इसे वास्तविक समाधान होना चाहिए। मैं अपने संशोधन पर पुरजोर बल देता हूं और मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मेम्बर साहेबान का बहुत मश्कूर हूं जो यह अमेंडमेंट लाये हैं। वह चाहते हैं कि उनको मंजूर कर लिया जाये। मेरे पास 507 अमैंडमैंट्स हैं और अगर मैं चाहूं भी कि कोई अमैंडमैंट मंजूर कर लूं तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरे मेंबर नाराज होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि दो दिन इस बिल का बहुत विरोध होता रहा और इसको काला भी कहा गया, भयानक भी कहा गया, मजदूरों का दुश्मन भी कहा गया, कोई शब्द ऐसा नहीं जो इसके खिलाफ नहीं कहा गया हो। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि यह

बिल न काला है न खराब है और न मजदूरों के खिलाफ है, ये लोग यह चाहते हैं कि इसमें अमैंडमैंट हो जाये।

इतनी बात से पता चलता है कि मेंबर साहेबान को यह प्रेरणा हुई कि यह बिल तो जरूरी है, लेकिन इसकी एक लाइन काट दो, एक डाल दो, इतनी ही बात इनकी रह गई है। मैं आनरेबल मेंबर साहेबान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी दिलचस्पी ली है इस बिल में सुधार के लिये, इतना कंसल्टेशन किया है, थौरोली कंसल्टेशन के बाद यह बिल पास होगा। मैं सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करता हूं, छोटी सी बात रह गई है, बाकी आप मान गये हैं, मैं आपकी अमैंडमैंट किसी को परवान नहीं कर सकता, इसलिये मजबूर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री ए० के० राय : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या 382 को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय द्वारा पेश किए गए खंड संख्या 3 में संशोधन करने के लिए संशोधन संख्या 382 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 6 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"3. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी आवश्यक सेवा में हड़ताल का परिवर्जन करना आवश्यक है, तो वह एक विशेष आदेश द्वारा मामले को पहले सुलह के जरिये हड़ताल कारित करने वाली समस्याओं के उचित रूप में हल किये जाने के लिये एक उच्च स्तरीय सुलह तंत्र को निर्देशित करेगी जिसके असफल होने पर एक पखवाड़े के भीतर अनिवार्य मध्यस्थता के जरिये हल किये जाने के लिये निर्देशित करेगी।" (19)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 19

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगन भाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास विहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
मूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनाबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कंयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना

कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महाजन, श्री वाई० एस०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री राजकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नारायण, श्री के० एस०
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारूर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजामल्लू, श्री के०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एस० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सेन, श्री सुबोध
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री वी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शिव शंवर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस० वी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सोरन, श्री शिबु
सुन्दरराजन, श्री एन०
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री रामसिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 54

विपक्ष में : 175

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 में अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, श्री ए० के० बालन, आर० के० महालगी और अजित बाग ।

विपक्ष में : श्री के० टी० कौसलराम ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

21.16 बजे

मत-विभाजन सं०-20

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नवी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपा सिंधु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बुजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा. श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए. वी. ए. गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते.
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि,
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
*लारेंस, श्री एम. एम.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महाजन श्री वाई. एस.
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमयार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेताम श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारूर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप

*गलती से पक्ष में मतदान किया

रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतियेन्द्रन, श्री एम. एस. के.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरेट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बसर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
†चौधरी श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
†गुलशेर अहमद, श्री
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री ई. के.
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
†मोहिते श्री, यशवन्तराव
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
†सेठी, श्री पी. सी.
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतदान का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 165
विपक्ष में : 56

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 लेते हैं।

†गलती से विपक्ष में मतदान किया

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री कार्तिक उरांव, के. राजामल्लू, नवल किशोर शर्मा, एम. राम गोपाल रेड्डी, सेत हेम्ब्रम, वृद्धि चन्द्र जैन, प्रकाश चन्द सेठी, गुलशेर अहमद, यशवन्त राव मोहिते, मनफूल सिंह चौधरी और प्रो. सत्यदेव सिंह।

विपक्ष में : सर्वश्री ए. के. राय, आर. के. महालगी, अजित बाग, एम. एम. लारेंस और श्रीमती गीता मुखर्जी।

खण्ड 4

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31-32,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" **का लोप किया जाये ।** (13)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" **का लोप किया जाए ।** (31)

श्री मुकुन्द मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31 और 32, —

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" **के स्थान पर**
"जिसके अन्तर्गत जुर्माना भी है" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (54)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" **के स्थान पर**
"जिसके अन्तर्गत जुर्माना भी है" **प्रनिस्थापित किया जाए ।** (55)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31 और 32, —

"अनुशासनिक कार्यवाही के लिए (जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है)" **के स्थान पर**
"भार्त्सना का" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (73)

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 26, —

"अवैध है" **का लोप किया जाए** (90)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 28-30 **का लोप किया जाये ।** (114)

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"बशर्ते वह पर्याप्त तथ्यों, प्रमाण और विधि नियम द्वारा साबित हो जाता है ।" (124)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 25,—

"जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है" का लोप किया जाये। (154)

पृष्ठ, 4, पंक्ति 31-32,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर "पदच्युति को छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाये। (156)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर "पदच्युति को छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाये। (157)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 4, पंक्ति 27,—

"करेगा" के पश्चात् "या" का लोप किया जाये। (209)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 26 से 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) जो कर्मकारों को हड़ताल प्रारम्भ करने के लिए मजबूर करेगा; या" (225)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 29 से 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"जो अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा;" (226)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 33 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"अन्तर्गत पदच्युति भी है" दायी होगा जो ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए लागू है।" (228)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31 और 32,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर

"पदच्युति के सिवाय" प्रतिस्थापित किया जाए। (239)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर

"पदच्युति के सिवाय" प्रतिस्थापित किया जाये। (240)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 26,—

"जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है;" का लोप कर दिया जाए। (260)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 35,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये —

"बशर्ते कि देश में कार्यरत किसी राष्ट्रीय श्रम अधिकरण में यह सिद्ध हो जाये।" (386)

श्री बिजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31-32,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर "जिसके अन्तर्गत पदच्युति नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाये। (450)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर "जिसके अन्तर्गत पदच्युति नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाये। (451)

श्री सुबोध सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31 और 32,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर "पदच्युति को छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाये। (479)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" के स्थान पर "पदच्युति को छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाये। (480)

श्री चित्त बसु : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहती है और यदि कर्मचारी ऐसी हड़ताल में भाग लेते हैं, जो अवैध घोषित की जाती है, तो उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है और दण्ड दिया जा सकता है। इतना ही नहीं। इस विधेयक में एक उपबन्ध है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपनी ही प्रक्रिया है। उसे निलम्बित किया जा सकता है, उस पर जुर्माना हो सकता है, उसे जेल भेजा जा सकता है और इसमें असाधारण रूप से "जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" की व्यवस्था की गयी है। अर्थात् कर्मचारी को पदच्युति किया जा सकता है। मैं समझता हूं आप मुझसे सहमत होंगे कि यह एक असाधारण उपबन्ध है।

यह उपबन्ध असाधारण, कठोर, अमानवीय, तथा बर्बरता पूर्ण है और इसलिये यह हानिकर उपबन्ध संविधि पुस्तक में नहीं होना चाहिए। यह बताने के लिए कि सरकार कम से कम सभ्यतापूर्ण आचरण करती है, उसे संविधि पुस्तक में "जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है" का उपबन्ध नहीं रखना चाहिए। कम से कम "जिसके अन्तर्गत पदच्युति है" शब्द हटा दिए जाने चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, धारा 4 में जहां हड़तालों में भाग लेने के कारण कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की चर्चा है, अभी जब ज्ञानी जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनको मजदूरों से बहुत हमदर्दी है। उनकी हमदर्दी का सबूत यह है कि अगर कोई मजदूर हड़ताल में शामिल हो जायगा तो वह उसके खिलाफ मामूली सजा नहीं देंगे, बल्कि बिलकुल डिस्पिसल, यानी उसको एक दम नौकरी से निकाल बाहर किया जायगा ताकि उसके बालबच्चे भूखे मरें। अगर उनकी ऐसी हमदर्दी मजदूरों के प्रति है तो ऐसी हमदर्दी से दूर रहना चाहिये।

अगर आप कार्यवाही ही करना चाहते हैं तो थोड़ा रहमदिल होना चाहिये था। लेकिन लगता है कि आपके दिल में रहम की कोई जगह ही नहीं है। अगर जगह होती तो कम से कम इस किस्म की बात नहीं करते। मेरा यह कहना है कि किसी भी जनतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार के लिये "डिस्पिसल" लफ्ज वाजिब नहीं है, बिलकुल नामुनासिब है और असभ्य भी कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी···

श्री जैल सिंह : बाकी सब ठीक है न?

श्री रामावतार शास्त्री : आप डिस्पिसल शब्द निकालने की बात मान लीजिये, उसके बाद पूछिये कि बाकी सही है या नहीं। आप सजा देना चाहते हैं, तो हल्की सजा दे सकते हैं, सस्पेण्ड कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं। डिस्पिसल को मैं बड़ा असभ्य तरीका मानता हूं। किसी भी जनतान्त्रिक सरकार के लिये यह शर्म की और क्षोभ की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकुन्द मण्डल।

श्री मुकुन्द मण्डल : विधेयक खण्ड 4 का उद्देश्य कर्मचारियों के हड़ताल करने के मूल अधिकार को छीनना है। इसमें यह कहा गया है कि "ऐसी कोई हड़ताल जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारंभ करेगा अथवा ऐसी हड़ताल पर जाएगा या रहेगा या उसमें अन्यथा भाग लेगा; या

(ख) ऐसी किसी हड़ताल को प्रारंभ करने के लिए या ऐसी हड़ताल पर जाने के लिये या उसमें रहने के लिये या उसमें अन्यथा भाग लेने के लिए अन्य व्यक्तियों को उकसायेगा या उद्दीप्त करेगा, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही के लिए (जिसके अन्तर्गत पदच्युप्ति भी है") दायी होगा।" में "पदच्युति" शब्द का विरोध कर रहा हूं। यदि कर्मचारी को कोई खतरा है और यदि वह सरकार से अपनी मांगें पूरी करने के लिए कहता है तो उसकी मांगें पूरी करने के बजाय सरकार को कर्मचारियों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। पहले तो कर्मचारियों को संरक्षण

दिया जाना चाहिए क्योंकि इस समय बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है । कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है । संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत मूल अधिकारों को आपातस्थिति के दौरान निलंबित किया जा सकता है । यह आपातस्थिति का समय नहीं है हालांकि यह बिना घोषित आपातस्थिति है । अतः माननीय गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह "पदच्युति" शब्द हटा दें और बेहतर तो यह है कि इसके स्थान पर "जिसके अन्तर्गत जुर्माना भी" शब्द रखे जायें । यह मेरा एक साधारण सा संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा ।

श्री सुनील मैत्रा : हड़ताल में शामिल होने के लिए कर्मचारी को पदच्युति का यह विशेष उपबन्ध असंगत, नृशंस, निरर्थक, बर्बरतापूर्ण, अमानवीय और भद्दा है और यह केवल सत्तारूढ़ दल का दृष्टिकोण है । अतः मैं चाहता हूं कि "पदच्युति" शब्द का लोप किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रूप चन्द पाल ।

प्रो० रूप चन्द पाल : कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार सत्तारूढ़ दल की भेंट नहीं थी । अतः हड़ताल होगी । जब भी अन्याय होगा कर्मचारी हड़ताल करेंगे । कर्मचारी उत्पादन करते हैं और विकास सम्बन्धी कार्य करते हैं । परन्तु इस विधेयक में, विशेष रूप से "पदच्युति" के इस खण्ड से सरकार देश में विकास की भावना को समाप्त करने का प्रयास कर रही है । यदि सरकार उन्हें पदच्युत करेगी तो यह राष्ट्र विरोधी कदम होगा । अतः मैं अपना संशोधन पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : खण्ड 4 में सरकार को हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की शक्ति प्रदान की गई है । सरकार हड़ताल अवैध घोषित करेगी और फिर वह कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी, उनको गिरफ्तार करेगी और दंड देगी । आप डाक कर्मचारियों के एक भूतपूर्व नेता रहे हैं । अब आप उपाध्यक्ष हैं । मुझे याद है कि 1946 में ब्रिटिश शासन काल में अविभक्त बंगाल में बंगाल के एक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में निरंतर चलने वाली हड़ताल का आयोजन किया था । डाक कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में यह ऐतिहासिक सामान्य हड़ताल बंगाल में 29 जुलाई, 1947 को हुई थी···

उपाध्यक्ष महोदय : उसका इस संशोधन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इसका संशोधन से बहुत सम्बन्ध है । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया और उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया । हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हैसियत से 1946 में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन काल में डाक कर्मचारियों की उस हड़ताल का समर्थन किया और इसके समर्थन में लोगों को संगठित किया । यह विधान तो ब्रिटिश शासन काल में जो हुआ था उससे भी अधिक खराब है । अतः मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से भी अधिक बुरा बर्ताव न करें ।

श्री सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा 4 है, इसमें मेरा संशोधन नं० 124 यह है कि पृष्ठ 4 की पंक्ति 30 के अन्त में "बशर्ते वह पर्याप्त तथ्यों, प्रमाण और विधि द्वारा साबित हो जाता है" जोड़ा जाए।

किसी भी आदमी पर यह आरोप लगा कर कि क्योंकि तुम हड़ताल में 'प्रोवोक' करने के लिए शामिल थे, इस आधार पर उस पर जो भी जुल्म हो सकता है, वह किया जाएगा और वह सारा नियम और कानून के अन्दर होगा। मेरा कहना यह है कि यह ठीक नहीं है और इससे उस आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि :

"तुम जुल्म भी करोगे, तो चर्चे न होंगे,

कोई आह भी भर लेगा, तो हो जाएगा बदनाम।

यह सारी बात जो है, यह न्यायसंगत नहीं है और इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि विधेयक में मुद्रण संबंधी गलती है और हमने इसकी शुद्धि के लिए एक संशोधन पेश किया है। मेरी समझ में 'जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है' एक गलती है जिसे शुद्ध किया जाना चाहिए। सरकार इतनी कठोर नहीं हो सकती कि एक दिन की हड़ताल के लिए मुझे पदच्युति का पात्र मानेगी। मेरा तो आपके अनुभव पर विश्वास है। डाक तार की हड़ताल में भाग लेने से आपको क्या हुआ था। आपके नेतृत्व में डाक तार कर्मचारियों ने जो बड़ा संघर्ष किया था उसके लिए आपको जेल भेजा गया था। आपकी नौकरी खत्म हो गई थी। तीन वर्ष के लिए आप जेल गए और आप नौकरी पर वापस नहीं आ सके...

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री स्टीफन की अध्यक्षता में उसी परम्परा का अब पालन किया जा रहा है, वही रवैया अपनाया जा रहा है। इसलिए महोदय, अध्यक्षपीठ से आप कम से कम कुछ कहिए। आपने अपनी अन्तात्मा बेची नहीं है।...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : डाक तार की क्षति से संसद को लाभ हो गया है। वह यहां आ गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसद को लाभ हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप सभी कर्मचारियों को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो यह कर्मकारों की संसद हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे यह अद्भुत उद्देश्य था। आप सभी हड़ताल कर्मचारियों को यहां लाना चाहते हैं।

अतः महोदय, मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय को इस मुद्रण संबंधी गलती को शुद्ध करना चाहिए और उन्हें इस संबंध में उस उपबंध को निकाल देना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि : खण्ड 4 में मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। वह यह है कि यदि हड़ताल जारी रहेगी तो संबंधित कर्मचारी को दंड दिया जाएगा। परन्तु खण्ड में यह व्यवस्था है कि हड़तालो कर्मचारी को दी गई मदद भी दंड योग्य होगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने वकीलों से सलाह लेने का मौका दिया जाता है। अतः यदि कोई हड़तालो कर्मचारी अपने समर्थक से सलाह लेना चाहता है तो उसे दंड दिया जाएगा। इसी कारण इस खण्ड को हटाने के लिए मैं यह संशोधन लाया हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब यह अध्यादेश आया था तब मैंने सोचा था कि सरकार को कुछ सद्‌बुद्धि आ गई है परन्तु मैंने समझा कि अब से सरकार लोगों को आवश्यक वस्तुओं के सप्लाई के लिए वचनबद्ध है। हम यह मांग करते आ रहे हैं कि लोगों को 14 आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जानी चाहिए और इन वस्तुओं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है परन्तु हुआ यह है कि जो लोग इन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको आघात पहुंचाया गया है। अतः हम विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते। संशोधन का मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार को सोचना चाहिए कि कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए विवश क्यों किया जाता है और उसे उस कारण का पता लगाना चाहिए और नियोक्ता या संबंधित अधिकारी को दंड देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए विवश किया है। इसीलिए मैंने संशोधन दिया है।

श्री ए० के० राय : समूचा खण्ड इस गलत धारणा पर आधारित है कि कर्मचारियों की हिंसात्मक गतिविधियां ही अधिकांश हड़तालों के लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यदि आप श्रम आंकड़ों संबंधी 'पाकेट बुक' को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1977-78 में 31.2 और 28.7 प्रतिशत विवाद वेतन और भत्तों के कारण हुए और 15.2 तथा 9.9% बोनस के कारण। 23.0 और 24.2 प्रतिशत विवाद कार्मिक और छंटनी संबंधी थे और केवल 8.8 तथा 10 प्रतिशत विवाद अनुशासनहीनता और हिंसा के कारण हुए। इसीलिए बिना आरोप-पत्र, जांच और संक्षेपतः पदच्युति के बिना इस पदच्युति की बात मजदूर संघ आंदोलन में पहले कभी नहीं हुई। परन्तु जब मुख्य कारण कर्मचारियों की अनुशासनहीनता नहीं है परन्तु कुछ और है तब आपको ऐसा करने के लिए अधिक विचार करना चाहिए था। इसी कारण मैं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का उपबन्ध लाया हूं। अवैध हड़ताल में भाग लेने वाले का मामला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जो इस समय है, को सौंप दिया जाये। धनबाद में यह है, जबलपुर में भी है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सक्रिय बनाइये और यह मामला उनके पास भेजें तथा कुछ समयावधि निर्धारित करें। मैंने यही संशोधन पेश किया है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विजय कुमार यादव : डिसमिसल की जो बात इसमें कही गई है उसे हटाने के सिलसिले में मेरा संशोधन है। इसके जरिये मैं चेतावनी ही देना चाहता हूं। मजदूरों की डिसमिसल निश्चित रूप से रंग लाएगी और खुद होम मिनिस्टर को डिसमिस होना पड़ेगा और साथ ही साथ इस सरकार को डिसमिस होना पड़ेगा।

श्री सुबोध सेन : आपने यह देखा होगा कि इस सभा के कुछ सदस्यों ने एक विधेयक पेश करने की कोशिश की थी जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार प्रदान करे। अब हमारे देश में आम सहमति यह है कि पदच्युति किया जाना हत्या के समान बुरा है। क्या हमें उन्हें पदच्युति की सजा देनी चाहिए। अतः मैंने कहा है कि पदच्युति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

श्री जैल सिंह : इन एमैंडमैंट्स पर मैम्बर साहिब ने जो विचार दिए हैं मैं उनका बहुत मशकूर हूं और जो मेहनत उन्होंने की है, उसकी प्रशंसा करता हूं। एमेंडमैंट्स बहुत रीजनेबल हैं लेकिन एक्सैप्टेबल नहीं है। आपको मालूम है कि कल जब यह बिल आया था तो मैम्बर साहिबान और चटर्जी साहब तथा दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे "एण्ड इट"। अब समय बदला है तो कहते हैं "मेड इट"। ढाई घंटे बाद, बारह बजे के बाद कहेंगे "रिकोमैंड इट"। यही मेरी आशा है। इसलिए इन एमेंडमैंट्स की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूगा।

सभी संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

अब दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 21 (21)

9.45 म० प०

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानयडू, श्री एस. आर. ए. एस.
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नवी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
वार, श्रीमती गुरविन्दर कौर
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. वी.
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ए. वी. ए. गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगों, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
गुलशेर अहमद, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
कैंयूर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महाजन, वाई. एस.
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के.
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, प्रो० अजित कुमार
मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्तो, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुलय्या,, श्री दारूर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजामल्लू, श्री के.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के०
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट

समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनलाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो० के. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
बाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री, सोमनाथ
चौधरी, श्री मोतीभाई, आर.
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दास, श्री रेणु पद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो. रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा. श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 179

विपक्ष में : 56

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री जैल सिंह, सेत हेम्ब्रम और रामायण राय ।

विपक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग ।

सदस्यों की दोषसिद्धि

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 5 पर विचार करने से पहले मुझे एक या दो सूचनाएं सभा को देनी हैं।

मुझे सभा को सूचित करना है कि सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का लोक सभा के अध्यक्ष ने नाम दिनांक 14 सितम्बर, 1981 का निम्नलिखित तेतार संदेश आज प्राप्त हुआ है :

"श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, सदस्य लोक सभा पर सब डिविजल मजिस्ट्रेट अदालत, जसराना में मेरे सम्मुख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अन्तर्गत न्यायालय की अवमानना के आरोप में मुकदमा चलाया गया। 14-9-1981 को मैंने उन्हें न्यायालय की अवमानना करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अन्तर्गत दोषी पाया और उन पर 200 रुपये जुर्माना किया। चूंकि जुर्माना नहीं दिया गया इसलिए श्री रघुनाथ सिंह वर्मा को छः दिन की अवधि (19-9-1981 तक) के लिए जेल भेज दिया गया और इस समय उन्हें जिला जेल, मैनपुरी में रखा गया है।"

सदस्यों की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के अध्यक्ष के नाम दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के निम्नलिखित तार आज प्राप्त हुए हैं :

(एक) जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर, धर्मापुरी का दिनांक 15 सितम्बर, 1981 का तार

"श्री के० अर्जुनन्, संसद सदस्य को निवारक उपायों के अधीन तमिलनाडु में चार क्रास रोड धर्मापुरी पर 15-9-1981 को 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे बीस द्रमुक स्वयंसेवकों के साथ धर्मापुरी कलक्टरी पर धरना देने वाले थे। दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन अपराध संख्या 646/81 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। उन्हें सेन्ट्रल जेल सलेम में रखा जा रहा है।"

(दो) पुलिस निरीक्षक, कानून और व्यवस्था, सलेमनगर का दिनांक 15 सितम्बर, 1981 का तार

"श्री सी. प्लानीअप्पन्, संसद सदस्य और श्री एम० कण्डास्वामी, संसद् सदस्य को विनयमित आदेश का उल्लघंन करके एक जलूस निकालने का प्रयास करने के कारण ओल्ड मार्किट स्ट्रीट फोर्ट, सलेमनगर पर 15-9-1981 को 10.15 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। उन्हें रिमांड पर रखा जा रहा है।"

आवश्यक सेवा विधेयक—जारी

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 5 पर संशोधन पेश किए जाएंगे।

श्री चित्त वसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 35,—

"छह मास" के स्थान पर "सात दिन" प्रतिस्थापित किया जाय। (14)

पृष्ठ 4, पंक्ति 39,—

"एक हजार" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए (15)

श्री रामावतार (शास्त्री) :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"छह माम" के स्थान पर "एक दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (32)

पृष्ठ 4, पंक्ति 39,—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर "एक रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए (33)

पृष्ठ 4, पंक्ति 40,—

"या दोनों से" का लोप किया जाए। (34)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 38 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"अन्यथा भाग लेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक दिन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस पैसे तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" (74)

प्रो० रूप चन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"अवैध है" का लोप किया जाए। (93)

पृष्ठ 4, पंक्ति 39 से 41,—

"कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या, या दोनों से" का लोप किया जाए। (94)

पृष्ठ 4, पंक्ति 40-41, —

"या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से," के स्थान पर "10 पैसे के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए। (95)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 39-40, —

"जिस की अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर

"दण्डनीय नहीं होगा तथा केवल पांच रुपये के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए। (115)

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 37 और 38,—

"या उसमें अन्यथा भाग लेगा" का लोप किया जाए। (125)

श्री वासुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"छह मास" के स्थान पर "एक सप्ताह"
प्रतिस्थापि किया जाए। (138)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 33-37,—

"जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है" का लोप किया जाए। (158)

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 38 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"अन्यथा भाग लेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक दिन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो केवल एक रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (191)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38-39,—

"कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या" का लोप किया जाए। (211)

पृष्ठ 4, पंक्ति 39-40,—

"या दोनों से" का लोप किया जाए।

(212)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"5. यदि कोई व्यक्ति कर्मकारों को हड़ताल प्रारम्भ करने के लिए मजबूर करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"

(229)

श्री हन्नान मोहल्लाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"छह मास" के स्थान पर "छह दिन"
प्रतिस्थापित किया जाए।

(241)

श्री समर मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"छह मास" के स्थान पर "एक दिन"
प्रतिस्थापित किया जाए।

(265)

श्री एम० एम० लारेंस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 38 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—
"अन्यथा भाग लेगा, तो वह एक सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।"

(342)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38 से 40,—

"कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"
के स्थान पर

"कारावास से या जुर्माने से दण्डनीय होगा जैसाकि विस्तृत अधिकारिता वाले राष्ट्रीय श्रम न्यायाधिकरण, जिसे मामला निर्दिष्ट किया जायेगा, विनिश्चय करेगा।" प्रतिस्थापित किया जाए।

(347)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 39-41,—

"कारावास से, जिस की अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से" के स्थान पर "जुर्माने से, जो पचास रुपये तक हो सकेगा," प्रतिस्थापित किया जाए। (452)

श्री एम० एम० लारेंस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 39 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापति किया जाए—

"अन्यथा भाग लेगा, तो वह दण्डनीय नहीं होगा और केवल दो रुपए के जुर्माने का दायी हो सकेगा।" (502)

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं। श्री चित्त बसु जी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। अब आप केवल अपना संशोधन पढ़कर सुनाएं। समय नहीं है। कृपया सहयोग करें।

श्री चित्त बसु : इस खण्ड का सम्बन्ध गैर-कानूनी हड़तालों के विषय में दण्ड देने से है। इसमें 6 मास की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों दण्ड के रूप में रखे गए हैं। यह उनके साथ अमानवीय व्यवहार है। अब भी आप दण्ड कम कर सकते हैं। सजा सात दिन की और जुर्माना केवल दस रुपए होना चाहिए। सजा और जुर्माना दोनों नहीं होने चाहिए। यही मेरा निवेदन है। आशा है कि मंत्री जी इन संशोधनों को मान लेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 5 में गैरकानूनी हड़ताल में भाग लेने वालों को छः महीने की सजा या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजायें देने की व्यवस्था है। मैं अपने संशोधन 32, 33 और 34 के द्वारा चाहता हूं कि छः महीने की सजा को कम करके एक दिन कर दिया जाए, एक हजार रुपये के जुर्माने को कम करके एक रुपया कर दिया जाए और या दोनों को हटा दिया जाए, अर्थात् या तो एक दिन की सजा हो या एक रुपये का जुर्माना हो, दोनों न हों। गृह मंत्री जी को मजदूरों की मुहब्बत में इन साधारण संशोधनों को मान लेना चाहिए।

श्री सुनीलमैत्रा : महोदय, कोई भी कर्मचारी केवल विनोद के लिए हड़ताल नहीं करता। वह तभी हड़ताल का सहारा लेता है जब उसके पर्याप्त कारण हों। जब वह हड़ताल पर होता है तो भूखों मरता है। उसे दण्ड दिए जाने की जो व्यवस्था की जा रही है वह अमानुषिक है। इसलिए मैंने अपने संशोधन में छः माह की सजा को एक दिन करने का सुझाव दिया है.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : छः घण्टे के लिए।

श्री सुनील मैत्रा : जुर्माना 1000 रु० की बजाय केवल दस पैसे होना चाहिए। आशा है मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रूप चन्द पाल : यह सरकार हड़तालों पर रोक लगाने पर तुली हुई है। इस देश के मजदूर भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब भी आवश्यक होगा वे हड़ताल करेंगे। यदिसरकार और श्रमिकों के बीच इस तरह का टकराव जारी रहता है तो देश को नुकसान होगा अर्थ व्यवस्था को हानि होगी। अब जब सरकार विधेयक वापस लेने को तैयार नहीं है तो मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि सजा सम्बन्धी उपबन्ध को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। यही मेरा अनुरोध है। फिर जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता। 10 पैसे का साधारण जुर्माना ही पर्याप्त है। यही मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है और आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने के विरुद्ध हूं। मेरे संशोधन संख्या 115 में कहा गया है कि सजा नहीं दी जाएगी और केवल रुपये जुर्माना होगा। मैंने 100 रुपये जुर्माना करने का जुर्माना और सजा दोनों का उपबन्ध करने की बात कही है। मेरा यह संशोधन बहुत ही तर्कसंगत है। मैं गृह मन्त्री जी से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में कहा गया है "या उसमें अन्यथा भाग लेगा"। यदि किसी अधिकारी को किसी भी आदमी से कोई नाराजगी हो, तो वह उसको फसाने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकता है। इस संभावना को समाप्त करने के लिए मेरा संशोधन है कि इन शब्दों को निकाल दिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) खण्ड 5 में कहा गया है कि किसी अवैध हड़ताल में भाग लेने पर उसे छः मास की सजा होगी। मेरा संशोसन इसे कम करके एक सप्ताह करने का है। जुर्माना और सजा दोनों दण्ड नहीं दिए जाने चाहिए। एक ही दण्ड होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है कि मैंने जो संशोधन रखा है वह काफी गम्भीर प्राप्त न होता हो। कोई भी सोच सकता है कि जब हम 1000 रुपये जुर्माने की जगह 10 रुपये और छः मास की सजा के स्थान पर एक दिन का कारावास की व्यवस्था कर रहे हैं तो शायद हम इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। हम इसके द्वारा विधेयक के प्रति अपनी खिलाफत प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आग से खेल रहे हैं और मैं इस सभा के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि गृह मन्त्री मेरे संशोधन पर विचार करें और विधान को तर्क संगत रूप दें।

श्री सुशील मट्टाचार्य : मैं खण्ड 5 में व्यवस्थित कठोर दाण्डिक उपाय के खिलाफ हूं। मेरा संशोधन है कि सजा छः मास की बजाय एक दिन और जुर्माना 1,000 की बजाय 1 रुपया होना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि : मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि यह खण्ड अमानवीय एवं अनैतिक है। कर्मचारी को आप जुर्माना भी करेंगे और सजा भी करेंगे। अगर उसे जेल की गई तो उसके परिवार के सदस्य भूखे मरेंगे। मैंने इसीलिए यह संशोधन रखा है। आप सजा वाले उपबन्ध को वापस ले लें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विधेयक में कर्मकारों पर औद्योगिक विकास और देश की प्रगति में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया गया है और उसे सजा देने की व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यह उसका दोष नहीं है। कर्मकार हमारे समाज के लिए दौलत पैदा करते हैं। सरकार को यह याद रखना चाहिए कि नार्थ ब्लाक और राजघाट का निर्माण मजदूर वर्ग ने ही किया है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने अपने संशोधन संख्या 241 के माध्यम से सजा की अवधि और जुर्माने की रकम कम करने का प्रस्ताव किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी अपने संशोधन संख्या 265 पर नहीं बोलना चाहते। अब श्री लारेंस अपने संशोधन संख्या 342 और 502 पर बोलेंगे।

श्री एम० एम० लारेंस : हमारे देश में कर्मकारों के पास केवल श्रमिक अधिकार हैं। वे उत्पादकों को उत्पाद और उपज बढ़ाने में मदद करते हैं। नियोजक उनके श्रम को खरीदता है और अपने उत्पाद के रूप में बेचता है इस तरह काफी लाभ कमाता है और धन इकट्ठा करता है। श्रमिक वर्ग केवल सामूहिक सौदेबाजी से ही मजदूरी में बढ़ोतरी, भत्ते, बोनस आदि जैसे लाभ प्राप्त कर सकता है। इस विधेयक को पास करके सरकार शोषक के हित में श्रमिकों का यह अधिकार छीन रही है। इस सरकार को इस देश के श्रमिक वर्ग में विश्वास नहीं है। इस विधेयक से श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार के इस रवैये का पता चलता है। यही वर्ग देश से साम्राज्यवादी सत्ता की जड़ें उखाड़ने और देश की स्वाधीनता की कड़ाई में आगे रहा। सरकार स्वाधीनता संग्राम की भावना के विरुद्ध जा रही है। वह उन शहीदों का अनादर कर रही है जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यह सरकार कामगारों को हथकड़ियां पहनाने और उन्हें जेल भेजने का प्रयास कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में हथकड़ी का कहीं भी जिक्र नहीं है।

श्री एम० एम० लारेंस : महोदय, यह उसमें निहित है। वे केवल सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। यदि नियोजक चाहे, वह सरकार है अथवा गैर-सरकारी नियोजक हो और वह उसकी वेतन वृद्धि, बोनस अथवा भत्तों की उचित मांगों को सौदेबाजी से स्वीकार नहीं करता है तो उसे हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए। इसकी अनुमति देने की बजाय सरकार संघर्ष करने वाले मजदूरों को जेल जाने का अधिकार देना चाहती है। यह अमानवीय, बर्बर तथा अलोकतांत्रिक है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। मेरा संशोधन दन्ड के जेल से सम्बन्धित भाग को निकाल देगा। मेरी गृह मंत्री से पुरजोर अपील है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री ए० के० राय : चूंकि सरकारी तंत्र का प्रभावी न होना तथा उसकी सुस्ती विशेषरूप से समाधान करने वाला तंत्र काम बन्द होने के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार है, हमें कर्मकारों के विरुद्ध दण्ड उपबन्धों को निश्चित करने में अधिक सावधान होना चाहिए। केन्द्रीय श्रम विभाग में 1976 में 1691 विवाद थे। इनमें से 1000 असफल रहे। कोई समझौता नहीं हुआ। केवल एक

को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। अतः यह रिकार्ड है। मेरा कहना है कि कारावास आदि जैसे उपबन्धों को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अथवा किसी उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इसे विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जा सके।

श्री विजय कुमार यादव : मैंने दो अमेडमेंट्स दिए हैं। एक की चर्चा तो और लोगों ने की है। दूसरा मैंने यह दिया है — इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई हड़ताल जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, या ऐसी हड़ताल पर जाएगा या रहेगा या उसमें अन्यथा भाग लेगा—यह जो अन्यथा भाग लेगा इसमें दिया गया है, इसके पीछे सरकार की बदनीयती है और इसके जरिए वह मजदूरों को जो संगठित करने वाले हैं, उसको नेतृत्व प्रदान करने वाले ट्रेड यूनियन लीडर्स है ऐसे लोगों पर कार्यवाही करना चाहती है, इसलिए मैंने दिया है कि इस को हटा दिया जाए और मैं समझता हूं कि इसको मानने में मंत्री जी को कोई एतराज नहीं होगा।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेम्बर साहबान कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी अमेडमेंट पेश की और अब और की, आइन्दा भी कुछ करेंगे, उनकी मेहनत की मैं प्रशंसा करता हूं। मैंने बहुत ध्यान से उनको सुना और मैं अपने पास वह सारे अमेडमेंटस रखे हुए हूं। अगर जरूरत पड़ी तो किसी समय प्रयोग में लाऊंगा और उन अमेडमेंटस को ले आऊंगा। अभी तो यह बिल जो है ऐक्ट बनकर आएगा और उस पर फिर अमल होगा। मेरी यह प्रार्थना है मेम्बर साहबान से, वे यह चाहते हैं कि मजदूरों को राइट हो और हर कारखाने में स्ट्राइक हो, हम चाहते हैं कि मजदूरों और हमारे देश का फ्यूचर ब्राइट हो, इसलिए मैं इनकी बात नहीं मान सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 5 में पेश किये गये अन्य सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा में रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० 22 10·11 म० प०

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन	आजाद, श्री गुलाम नबी
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.	बैठा, श्री डूमर लाल
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद	बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.	बालेश्वर राम, श्री
अराकल, श्री जेवियर	बन्सी लाल, श्री
आजाद, श्री भागवत झा	बरोट, श्री मगनभाई

वरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भगत, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
ग्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. बी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री यशन्तराव
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
दैव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री बृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एन. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के.
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोती लाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थसारथी, श्री पी.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुलय्या, श्री दारूर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस.टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एम.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री शिबु

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनलबशर, श्री

विपक्ष में

बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ	मुखर्जी, श्री समर
चौधरी, श्री मोतीभाई आर.	मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
चौधरी, श्री त्रिदिव	पाल, प्रो. रूप चन्द
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	परूळेकर, श्री बापूसाहिब
दास, श्री रेणुपद	पाठक, श्री आनन्द
घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा	राय, श्री एम. रामन्ना
गिरि, श्री सुधीर	राजन, श्री के. ए.
गोपालन, श्रीमती सुशीला	राजदा, श्री रतनसिंह
गुप्त, श्री इन्द्रजीत	†राममूर्ति श्री, के.
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र	रियान, श्री बाजू बन
हन्नान मोल्लाह, श्री	राय, डा. सरदीश
हसदा, श्री मतिलाल	राय प्रधान, श्री अमर
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.	साहा, श्री अजित कुमार
जटिया, श्री सत्यनारायण	साहा, श्री गदाधर
कोडियन, श्री पी. के.	सेन, श्री सुबोध
लारेंस, श्री एम. एम.	शास्त्री, श्री रामावतार
महाटा, श्री चित्त	शेजवलकर, श्री एन. के.
मण्डल, श्री मुकुन्द	सूरज भान, श्री
मण्डल, श्री सनत कुमार	सूर्य नारायण सिंह, श्री
महालगी, श्री आर. के.	तिरकी, श्री पियूष
मिश्र, श्री सत्यगोपाल	उन्नीकृष्ण, के. पी.
मोदक, श्री विजय	वर्मा, श्री रवीन्द्र
मोहम्मद इस्माल, श्री	यादव, श्री विजय कुमार
मुखर्जी, श्रीमती गीता	जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 179

विपक्ष में : 56

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मेरा अध्यक्षपीठ से आपसे एक नम्र निवेदन है। जैसा कि मैं सरकार से समझ पाया हूं सभी संशोधनों का अभिप्राय बहुत ही सही है। यहां तक कि हमारे गृह मंत्री ने भी कहा है कि संशोधन बिल्कुल उचित है किन्तु वे उन्हें स्वीकार नहीं हैं। अतः संशोधन का अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम को लागू करने में सरकार को बहुत

†गलती से "विपक्ष में के लिए मत दान किया।"

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री सेत हेम्ब्रम, शान्ताराम पोटदुखे, रामायण राय और के० राममूर्ति।

विपक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, नोरेन घोष, सुनील मैत्रा और अजित बाग।

सावधानी बरतनी चाहिए। अतः उन्होंने संशोधनों का अभिप्राय समझ लिया है। मेरा विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने संशोधनों का आग्रह न करें और स्वयं भी विपक्ष का होते हुए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। सरकार ने संशोधनों का अभिप्राय समझ लिया है गृह, मंत्री जी क्या ऐसा नहीं है ? गृह मंत्री इसे समझ गये हैं। अब 10 बज चुके हैं। अतः क्या आप कृपया सहयोग करेंगे ?

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप हम से कह रहे हैं ·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह निवेदन एक घंटे बाद करूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "एक मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

श्री मुकुन्द मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर

"दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (58)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार रुपए" के स्थान पर

"दो रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए। (59)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "न्यायालय के उठने" प्रतिस्थापित किया जाए। (75)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार रुपए" के स्थान पर "पांच पैसे" प्रतिस्थापित किया जाए। (76)

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या" का लोप कर दिया जाए। (96)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5—

"जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर "5 पैसे के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए। (97)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4-5,—

"जिस की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर "दण्डनीय नहीं होगा किन्तु पांच रुपये का जुर्माना प्रभारित किया जा सकेगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (116)

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करेगा का लोप किया जाए। (126)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"6. यदि कोई व्यक्ति जानते हुये अनुचित हड़ताल को प्रोत्साहित करेगा तो वह जुर्माने से, जो दस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (161)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4, —

"वर्ष" के स्थान पर "सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (162)

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"वह कारावास से, जिसकी अवधि एक दिन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो केवल एक रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (192)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, —

खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"6 यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को कर्मकारों पर आक्रमण करने के लिए उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा जिससे उत्पादन में विघ्न पड़े तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" (447)

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर

"एक दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (244)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार" के स्थान पर

"पच्चीस" प्रतिस्थापित किया जाए । (245)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : (तामलुक) मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार" के स्थान पर "एक रुपये"

प्रतिस्थापित किया जाए । (307)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"या दोनों से" का लोप किया जाये । (308)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5,—

"कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।"

के स्थान पर

"कारावास या जुर्माने से दण्डनीय होगा जैसाकि राष्ट्रीय श्रम न्यायाधिकरण, जिसे यह मामला निर्दिष्ट किया जाएगा, निश्चय करेगा ।"

प्रतिस्थापित किया जाए । (388)

श्री विजय कुमार मादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4-5,

"कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से" के स्थान पर "जुर्माने से, जो इक्कीस रुपये तक हो सकेगा," प्रतिस्थापित किया जाए । (454)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार" के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए । (492)

श्री एम० एम० लारेंस : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"वह कारावास से दण्डनीय नहीं होगा किन्तु उसे दो रुपये जुर्माना किया जा सकेगा।" (503)

श्री उपाध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्षपीठ से एक और निवेदन कर रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये हैं वे केवल अपने संशोधन पढ़ेंगे। मैं किसी प्रकार के भाषण की अनुमति नहीं दूंगा। मैं श्री चित्त बसु से, जो मेरे एक अच्छे मित्र हैं, निवेदन कर रहा हूं।

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं आपको भूख लगी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है कि आप सबको भूख लगी है।

श्री चित्त बसु : मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी से मालूम हुआ है कि आप भी इन नियमों से पीड़ित रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप असम्बद्ध बातों को इसमें क्यों लाते हैं ?

श्री चित्त बसु : मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सरकार संगठित श्रमिक आन्दोलन को कुचलना चाहती है। आप इस खण्ड की शब्दावलि को देखिए। "कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को उकसायेगा या उद्दीप्त करेगा....." । क्या आपने उकसाया है ? क्या आपने उद्दीप्त किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सब कुछ भूल गया हूं।

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं आपने उद्दीप्त नहीं किया है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए अन्तिम हथियार के रूप में हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकार को आप बना रहना चाहते थे। किन्तु सरकार का पूरा जोर इस देश में संगठित मजदूर संघ आन्दोलन को कमजोर बनाने तथा नष्ट करने पर है। अतः हड़ताल को समाप्त करने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए तथा मजदूरों के श्रमिक संघ अधिकारों को समाप्त करने के लिए उन्होंने मजदूर संघ नेताओं को दण्ड देने का प्रस्ताव किया है। सजा एक वर्ष के कारावास की है। यदि कोई मजदूर हड़ताल करता है तो उसके लिए छः महीने की कारावास की सजा है। यदि आप उन्हें हड़ताल के लिए उद्दीप्त करते हैं तो आपको एक वर्ष के कारावास की सजा मिलेगी। यदि आप अथवा मैं या कोई संसद सदस्य तमिलनाडु जाता है और कुछ मजदूरों को हड़ताल पर पाता है और वे आपके आस आते हैं और आपके समर्थन के लिए कहते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा ? इस खंड के अनुसार आप भी गिरफ्तार होंगे और आपको एक वर्ष का कारावास होगा तथा 2000 रुपये का जुर्माना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी हैं।

श्री चित्त बसु : जी हां, मैं भी उसी श्रेणी में हूं। मेरी कौन सी गल्ती है जिसके लिए मैं जेल जाऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के लिए जेल जाना पदोन्नति का अवसर है।

श्री चित्त बसु : मैंने एक सीधा सादा संशोधन पेश किया है। मैंने कहा है कि कारावास एक महीने का होना चाहिए और जुर्माना 10 रुपये होना चाहिए जो मजदूर की पहुंच के अन्तर्गत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह खालिस्तान मुद्रा में मान्य होगा।

श्री मुकुन्द मंडल : यह खण्ड संघ तथा यूनियन बनाने के मूलभूत अधिकार के विरुद्ध है। उकसाने अथवा उद्दीप्त करने के लिए दंड 2000 रुपये का जुर्माना तथा एक वर्ष का कारावास है। मेरा संशोधन यह है कि कारावास केवल दो दिन का तथा जुर्माना 2 रुपये होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब एक रुपये या दो रुपये की बात करते हैं तो वे इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्हें उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से आचरण करना चाहिए।

श्री मुकुन्द मंडल : इस खंड का अभिप्राय राजनीतिक विरोधियों तथा मजदूर संघ कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निडर होकर यह क्यों नहीं कहते कि आप जुर्माना नहीं चाहते हैं ? जब आप दस पैसे कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आप जुर्माना सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : आपने कहा है कि विपक्ष को दायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आप इस सरकार से दायित्वपूर्ण व्यवहार की आशा नहीं कर सकते क्योंकि वे इस प्रकार का विधेयक लाये हैं। आपका "उकसाने" शब्द का अर्थ क्या है ? "उद्दीप्त करने" शब्द का अर्थ क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा, कृपया आप मुझे ही सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा, कृपया आप अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करें। मैं आपसे इस बात का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहें। श्री सुनील मैत्रा, आप उनकी ओर क्यों देख रहे हैं ? आप मेरी ओर देखें। अब शान्ति हो गई है, आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में बातें न करें । कृपया शान्त, शान्त । आप सभी लोग अपना सहयोग दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहें, शान्त रहें मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, कृपया आप स्वयं को थकाएं नहीं, आपको भी तो बोलना है । कृपया शान्त रहें । आप सभी लोग बैठ जायें । अब श्री मैत्रा अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री सुनील मैत्रा : उद्दीपन अथवा उकसाने से उनका अर्थ हड़ताल का समर्थन करना है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है ।

श्री सुनील मैत्रा : इसका अर्थ यह है कि यदि मैं हड़ताल का समर्थन करूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शेष सदस्यों की टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की गई हैं ।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय । मैंने यह पहले ही कह दिया है कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी भाषण अथवा चर्चा कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी । यह एक सामान्य नियम है । अब आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । आपका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जायेगा ।

श्री सुनील मैत्रा : अभी आप यह कहेंगे कि मेरा भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । आप यह बात बार-बार कह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा, आप मुझसे यह प्रश्न मत पूछिये । मनुष्य हमेशा खुश नहीं रहता । कोई भी भाषण अथवा चर्चा अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी । अध्यक्ष महोदय का यह एक सामान्य विनिर्णय है ।

श्री सुनील मैत्रा : खंड 6 में 'उकसाने' अथवा "उद्दीप्त करने" से उनका अभिप्राय हड़ताल का समर्थन करने से है । यदि मैं हड़ताल का समर्थन करता हूं तो मुझे छः मास का कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने का दंड भुगतना होगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे सम्बोधित करें ।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : अत: इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन यह है कि एक वर्ष के कारावास के स्थान पर इसे 'न्यायालय के उठने तक' कर दिया जाये और जुर्माना 2000 रुपये के स्थान पर 5 पैसे कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूप चन्द पाल ।

प्रो० रूप चन्द पाल : महोदय, यह सरकार उपनिवेशवादी सत्ता की तरह व्यवहार कर रही है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें ।

प्रो० रूप चन्द पाल : वह दमन का प्रयास कर रहे···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना संशोधन पेश करें ।

प्रो० रूप चन्द पाल : महोदय, यह बड़ा खतरनाक और हानिकर खंड है । इसके प्रयोग से वे यह प्रयास करेंगे···

एक माननीय सदस्य : वह किसी संशोधन के बारे में अथवा किसी अन्य बात के बारे में बोल रहे हैं ?

प्रो० रूप चन्द पाल : जी हां, संशोधन पर बोल रहा हूं । क्या आपने इस संशोधन को पढ़ा है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । मेरी अनुमति के बिना दी गई किसी की भी टिप्पणी कार्यवाही-वृतान्त में शामिल न की जाये । (व्यवधान)

प्रो० रूप चन्द पाल : इस उपबन्ध को राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जायेगा और उनके विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया जायेगा जो उनका समर्थन नहीं करेंगे । हम इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर हैं और जो वह करने जा रहे हैं, उसे भी हम बड़ी गम्भीरता से लेते हैं । अत: मैंने अपने संशोधन के माध्यम से जनता के कष्टों को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि इस संशोधन को माध्यम से कारावास तथा जुर्माने के उपबंध को समाप्त करने का प्रयास किया गया है और उसे कम कर 5 पैसे किया गया है ।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सभापति महोदय, मेरा संशोधन संख्या 116 खंड 6 के लिए है । मैं चाहता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 4-5, —

"जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से दो जो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।" **के स्थान पर** "दण्डनीय नहीं होगा किन्तु पांच रुपये का जुर्माना प्रभारित किया जा सकेगा।" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

यहां "उकसाने के लिये शास्ति" लिखा है। मेरे सहयोगी ने अभी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हड़ताल का समर्थन करेगा तो सरकार यह कहेगी कि वह हड़ताल करने के लिए उकसा रहा है। महोदय, वास्तव में इसका खंड 6 में समावेश नहीं किया जाना चाहिये था। अतः मेरा संशोधन बड़ा सीधा और तर्कसंगत है और मैं किसी प्रकार के दण्ड के विरुद्ध हूं चाहे वह कारावास का दण्ड हो अथवा 1000 रुपये के जुर्माने का दण्ड। जैसा कि मैंने अपने संशोधन में उल्लेख किया है, पांच रुपये जुर्माना काफी होना चाहिए। मेरा विचार है कि आप माननीय मंत्री जी को सलाह देंगे कि वह मेरा तर्कसंगत संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री सत्य नारायण जटिया : सभापति जी, धारा 6 में ये शब्द हैं—

"या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करेगा"

यह शब्द इसमें से निकाल दिये जायें। अगर इनको रखा गया तो किसी भी व्यक्ति या नागरिक को संशय के आधार पर परेशान करने की उसमें काफी गुंजाइश है। यह ठीक बात नहीं होगी। यह प्रजातंत्र के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए मेरा कहना यह है कि इस सारी बात को रखने के पीछे दुराशयपूर्ण उद्देश्य भी हो सकता है और इसी संशय को हटाने के लिए इन शब्दों को हटा दिया जाये।

श्री अजय विश्वास : मेरा संशोधन सरल है। यदि कोई हड़ताल पर जाता है और उसकी मां उसको खाना खिलाती है, तब उसकी मां को गिरफ्तार किया जायेगा।

सभापति महोदय : आप हमें बतायें कि आपको क्या चाहिये ? (व्यवधान)

श्री अजय विश्वास : उनके पिता को गिरफ्तार किया जायेगा और उन पर जुर्माना किया जायेगा। यह जंगल का कानून है। अतः मेरा संशोधन यह है कि जुर्माना एक रुपया हो और कारावास एक दिन का हो।

श्री सुशील भट्टाचार्य : इसमें एक अन्य दंड संबंधी उपबंध है। इसे भी मजदूर संघ के नेताओं, विशेषकर राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जायेगा। इसीलिये मैंने इस खण्ड का विरोध किया है। मैंने यह सुझाव दिया है कि एक वर्ष के स्थान पर इसे एक दिन कर दिया जाये तथा 2000 रुपये जुर्माने के स्थान पर केवल 1 रुपया जुर्माना कर दिया जाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि वे इस प्रकार का उपबन्ध कैसे ला सकते हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : यह मजदूर नेताओं पर सीधा प्रहार है (व्यवधान) इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जायेगा। न केवल हमारे ही देश में

सभापति महोदय : आप दंड की व्यवस्था चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : न केवल हमारे अपने ही देश में बल्कि समूचे विश्व में मजदूर संघ नेताओं का सभी वर्गों द्वारा सम्मान किया जाता है..(व्यवधान) श्री आजाद और श्री वेंकटसुब्बया इसकी परवाह नहीं करते। मैंने अपना संशोधन दंड में कमी करने के लिये दिया है, क्योंकि इस काले विधेयक का यह विशेष खंड मजदूर नेताओं तथा राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयुक्त होगा।

श्री ए० के० राय : इस विधेयक का यह बर्बर खंड मजदूर संघों के विरुद्ध है। इस खंड का क्षेत्र बडा व्यापक है। 'उकसाना' और 'उद्दीपन' शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह ऐसी शब्दावली है जिसका किसी भी कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। अत: इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कोई हड़ताल के लिये 'उकसा' अथवा 'उद्दीप्त' कर रहा है और यह 'उकसाना' अथवा 'उद्दीपन' कितना किया गया है। इसलिये इस संशोधन में मैंने यह सुझाव दिया है कि मामले को किसी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय को प्रेषित किया जाये ताकि वे उसकी जांच कर सकें और इस विधेयक के अन्तर्गत उसका सही मूल्यांकन कर सकें। यही मेरा निवेदन है।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा इस कानून का इस्तेमाल अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ किया जायेगा। इसलिए मैंने सजा को घटाने के लिए यह संशोधन रखा है।

श्री एम० एम० लारेंस : सभापति महोदय, जो इतिहास से सबक सीखना चाहते हैं वे मुझसे सहमत होंगे कि विश्व में कोई भी सरकार श्रमिकों तथा उन लोगों को, जिन्होंने श्रमिकों का उनकी मांगों के लिये समर्थन किया है, दंड देकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। हिटलर, मुसोलिनी, फ्रांको, सालाजार तथा अन्य तानाशाह, जिन्होंने अनेक फासिस्टवादी कानून बनाये थे, मिट गये और इतिहास में उनका नामोनिशां नहीं मिलता। उन्हें इतिहास की कूड़े की टोकरी में फेंक दिया गया। उसी प्रकार एक दिन ऐसा आयेगा जबकि लोग उन लोगों को, जो इस प्रकार के पाशविक कानून को बना रहे हैं, उखाड़ फेंकेंगे। इसलिये आप दंड संबंधी खंड को हटा दीजिये और जुर्माना केवल 2 रुपये कर दीजिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : गृह मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भलीभांति विचार करने के बाद यह पाया गया है कि इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 6 के लिये दिये गये सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन सं० 23 22.46 म० प०

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
आप्पानायडू, श्री एस. आर. ए. एन.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
वालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरखे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. बी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिल, श्री एन.
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधवी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए. सेनापति

गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेदा, श्री दौलत सिंह जी
जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धिचन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैंयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मक्वाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो. नारायण चन्द्र
पारधी, श्री वेशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शांतुभाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.

पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी. राघाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्दकिशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त

टाईटलर, श्री जगदीश
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटसुब्बया श्री पी.
वीरभद्र सिह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल, सिंह श्री
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीद
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर

सेन, श्री सुबोध	तिरकी, श्री पीयूष
शास्त्री, श्री रामावतार	उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
शेजवलकर, श्री एन० के०	वर्मा, श्री रवीन्द्र
सूरज भान, श्री	†विजयराघवन, श्री वी. एस.
सूर्य नारायण सिंह, श्री	यादव, श्री विजय कुमार
†स्वामी, श्री के. ए.	जायनल अबेदिन, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्याधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:—

पक्ष में : 172

विपक्ष में : 58

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 8,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "एक दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (18)

पृष्ठ 5, पंक्ति 9,—

"दो हजार" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाये। (19)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं : –

पृष्ठ 5, पंक्ति 9,—

"दो हजार रुपए" के स्थान पर "एक रुपया" प्रतिस्थापित किया जाये। (36)

---

*गलती से विपक्ष में मतदा किया।

**गलती से विपक्ष में मतदान किया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री डी. एल. बैठा, सेत हेम्ब्रम, रामायण राय, पी. वी. जी. राजू, वी. एस. विजयराघवन और के. ए. स्वामी।

विपक्ष में : सर्वश्री ए. के. राय और अजित बाग।

पृष्ठ 5, पंक्ति 9,—

"या दोनों से," का लोप किया जाये । (37)

श्री मुकुन्द मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 9, –

"दो हजार रुपये" के स्थान पर

"दो रुपए" प्रतिस्थापित किया जाये । (61)

श्री सुनील मैत्रा : में प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 8,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "न्यायालय के उठने" प्रतिस्थापित्त किया जाये । (77)

पृष्ठ 5, पक्ति 9,—

"दो हजार रुपये" के स्थान पर "पांच पैसे" प्रतिस्थापित किया जाये । (78)

प्रो० रूप चन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 8 और 9, -

"कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या" का लोप किया जाए । (98)

पृष्ठ 5, पंक्ति 9,—

"जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर "5 पैसे के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए । (99)

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 8-9,—

"जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।" के स्थान पर "दंडनीय नहीं होगा किन्तु पांच रुपये का जुर्माना प्रभारित किया जा सकेगा ।" प्रतिस्थापित किया जाये । (117)

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5 पंक्ति 8,—

"करेगा" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"जिसके लिए कानून के अधीन ग्राह्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है ।" (127)

श्री अजय विश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5,—

खण्ड 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

"यदि कोई व्यक्ति अनुचित हड़ताल वित्तपोषित करेगा तो वह दस रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।" (164)

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थाति किया जाये :—

"या प्रदाय करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक दिन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।" (193)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,—

"ऐसी हड़ताल" के स्थान पर

"कर्मकार विरोधी ऐसे क्रियाकलापों"

प्रतिस्थापित किया जाए। (231)

श्री समर मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"7. कोई व्यक्ति जो अनुचित हड़ताल को वित्त घोषित करता है, दस रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।" (270)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 8 और 9,—

"कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा" के स्थान पर

"कारावास से भिन्न किसी दंड से दंडनीय होगा जैसा कि राष्ट्रीय श्रम न्यायाधिकरण, जिसे वह मामला निर्दिष्ट किया जायेगा, विनिश्चय करेगा"

प्रतिस्थापित किया जाए : (389)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 8-9,—

"कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर "एक रुपये के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए। (455)

श्री चित्त बसु : विधेयक का खण्ड 7 और भी अधिक घातक है। इसमें कहा गया है "यदि कोई व्यक्ति हड़ताल को, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, जानते हुए उसे अग्रसर करने में या उसके समर्थन में धन व्यय या प्रदान करेगा" तो वह किसी प्रकार दण्डनीय होगा। मैं आपसे इस तथ्य पर विचार करने की प्रार्थना करूंगा। ऐसे कई परिवार हैं, जिनमें हमारी अपनी माताएं और बहनें भी सम्मिलित हैं, जो हड़ताली मजदूरों को, जब वे शहर का चक्कर लगाते हैं, भोजन आदि दान स्वरूप देती हैं। इस कानून की घातकता इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में मजदूर हड़ताल पर हैं और सरकार ने उसे हड़ताल से गैर-कानूनी करार दिया है। अब यदि हमारी माताएं या बहनें घर से बाहर आकर हड़ताली मजदूरों को भोजन का एक टुकड़ा दे देती हैं तब उस माता या बहन को पुलिस तंग करेगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा और एक साल तक जेल में रहना पड़ेगा। उसे दो हजार रुपए के जुर्माने के रूप में भी देना होगा। यही इसका जटिल पहलू है। अतः मैं सम्पूर्ण सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का घातक उपाय हमारी सभ्यता, मूल्यों, संस्कृति तथा परम्पराओं के विरुद्ध है। मैं एक लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। मैं सभा के सदस्यों को केवल यह स्मरण कराना चाहता हूं कि उनके अपने परिवार के सदस्य, उनकी अपनी माताएं, उनकी अपनी बहिनें दयालु और उदार हैं और वे हड़ताली मजदूरों को प्रायः दान देने के लिए बाहर आती हैं। कम से कम उन्हें अपनी पत्नियों, माताओं और बहिनों के हित में इस प्रकार का घातक कानून नहीं बनाना चाहिए।

इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि अगर आप उनको दण्डित करना ही चाहते हैं तो यह दंड एक दिन का कारावास होना चाहिए और अगर जुर्माना करना जरूरी है तो यह दस रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सातवीं धारा बहुत ही खतरनाक और घृणित धारा है। हम लोग जो ट्रेड यूनियन के बीच काम करते हैं वे जानते हैं कि जब हड़ताल होती है तो हम लोगों को बाजारों में, शहरों में जा करके पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और कोई भी किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, सब लोग हमदर्दी से पैसा देते हैं। अलग-अलग यूनियनें भी पैसा भेजती हैं ताकि हड़तालियों की मदद हो सके, उनके बाल-बच्चे भूखे नहीं मरें, उनको कुछ मदद मिल सके। तो ऐसा करने वालों को भी यह सरकार सजा देना चाहती है जिसकी व्यवस्था इस धारा में की गई है।

इस बात को स्मरण करते हुए अंग्रेजी राज के जमाने की बात याद आती है। जब हम लोग अंग्रेजों से लड़ते थे तो उस आन्दोलन के समर्थक नाना रूप में हमारे सामने आते थे, आर्थिक सहायता देते थे, गल्ले से सहायता करते थे, मुठिया उगाहा जाता था। बहुत सारे माननीय सदस्यों

को मालूम होगा। तो मुठिया उगाहने वालों को भी अंग्रेजी सरकार अपने दमन का शिकार बनाती थी। इसी अर्थ में मैंने कहा कि यह जो कांग्रेस की सरकार है जो बहुत दम भरती है जनतंत्र में विश्वास रखने का और जो गरीबों की हितैषी बनती है यह उसी रास्ते को अपना रही है। तो जिस रास्ते पर उनको जाना पड़ा उसी रास्ते से आपको भी जाना पड़ सकता है अगर आपने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया। यह क्या बात है कि कोई एक रुपया, दो रुपया, दस रु० दे दे तो उसको जेल में डालेंगे अलग और उस पर जुर्माना अलग करेंगे। इसलिए मैं इसको बहुत खतरनाक धारा समझता हूं। हड़ताल करने वालों की बात तो मैं समझता हूं और मेरे जैसे हड़ताल के जो समर्थक हैं उनकी बात भी समझ सकता हूं लेकिन जो बेचारे सहानुभूति में आकर मदद करें हड़तालियों की उनको भी आप सजा देंगे और जेल भेजेंगे, यह बात ठीक समझ में नहीं आती।

यह ठीक वही बात है कि अंग्रेजों के रास्ते पर चलिए, अंग्रेजों की तरह दमन चक्र चलाइये। मैं इस धारा का बहुत जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। मेरा संशोधन है कि एक दिन, एक रुपया किया जाए, उससे ज्यादा न किया जाये।

श्री मुकुन्द मण्डल : मेरी समझ में नहीं आया·····

सभापति महोदय : आप नहीं जानते कि आपका संशोधन क्या है ?

श्री मुकुन्द मण्डल : मेरा संशोधन यह है कि 2000 रुपये के जुर्माने की जगह 2 रुपये जुर्माना रखा जाना चाहिए। जब कोई मजदूर हड़ताल करता है तो उसे छह महीने के कारावास का दण्ड भोगना होगा और 1000 रुपया जुर्माना देना होगा। परन्तु यदि कोई मजदूर की या उसके परिवार की मदद करता है या सहायता करता है तो उसे और भी अधिक दण्ड दिया जायेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

सभापति महोदय : इसीलिए आप इसे छः महीने से कम करके एक दिन और जुर्माना रखना चाहते हैं ?

श्री मुकुन्द मण्डल : एक दिन और एक रुपया।

श्री सुनील मैत्रा : दो वर्ष पहले लाला भरत राम और चरत राम के जय इंजीनियरिंग वर्क्स के कर्मचारियों ने हड़ताल की और यह हड़ताल 8 महीने चलती रही। और इन तमाम 8 महीनों के दौरान आस-पास के इलाकों के लोगों ने चावल और धन दान किया और मजदूरों को भोजन खिलाया। उन्होने क्विन्टलों में चावल दिया। इस प्रकार मजदूरों ने संघर्ष किया। इस विधेयक के इस उपबंध के परिणामस्वरूप पैसों को तो छोड़िए चावल दान करने वाले ऐसे लाखों लोगों को जेल जाना पड़ेगा। यह अत्याचारपूर्ण है और किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि अगर आपको उन्हें दण्डित करना भी है तो उन्हें आप अदालत उठने तक का दण्ड दीजिए और पांच पैसे जुर्माना कीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरा संशोधन इस प्रकार है ;

पृष्ठ 4,

पंक्ति 39-40 के स्थान पर

"दण्डनीय नहीं होगा तथा केवल पांच रुपये के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए।

आप समझ सकते हैं कि हड़ताल के दौरान लाखों लोग, जिनमें आप भी सम्मिलित हैं हड़ताल के समर्थन में दान करते हैं। आप जानते हैं मुझे लाखों लोगों की चिन्ता है जिनमें आप भी सम्मिलित हैं। आप मध्य प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और इस समय आप पीठासीन हैं। आप एक विद्वान वकील भी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटवाजी है और आपके कुछ साथी शिकायत करते हैं कि आपने हड़ताल के लिए दान दिया है। तब आप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जुर्माना किया जाएगा। अब तक सभी लोगों ने, जिनमें आप भी सम्मिलित हैं, और मैंने भी दण्ड का विरोध किया है। मैंने यह कहा है कि इस पर पाँच रुपये का दण्ड होना चाहिए। मैं कारावास या भारी जुर्माने जैसे दण्ड के विरुद्ध हूं। मेरा संशोधन वैध है और मैं इस सरकार को सचेत करना चाहता हू। अंग्रेज साम्राज्यवादियों के पद चिन्हों पर मत चलिए। आपको उनके परिणाम का पता है। आप प्रजातन्त्र के रक्षक होने का ढोंग करते हैं। परन्तु आपके तरीके अधिनायकवादी हैं। मैं केवल उन बातों को दोहराऊंगा जो मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने कही हैं। आप फासिस्टवाद की ओर बढ़ रहे हैं और सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग इसका एक स्वर से विरोध करेगा और इस कठोर और खतरनाक विधेयक तथा इस खण्ड का विरोध करने के लिए अन्त तक लड़ेगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति महोदय, क्लाज 7 के अन्तर्गत उस के आखिर में यह जोड़ दिया जाय—

जिसके लिए कानून के अधीन ग्राह्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।"

बिना साक्ष्य के किसी को सजा देना न्याय संगत नहीं है। आप, सभापति जी, विधिवेत्ता हैं, विधि के ज्ञाता हैं। इसलिए बिना किसी बात के, बिना किसी प्रणाम के, किसी की सनक में आकर कोई किसी को दण्डित कर दे—यह कानून-सम्मत बात नहीं होगी। इस तरह का प्रावधान इस कानून में हो जाने से किसी को अपनी बात कहने के लिए कोई स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी और उसको जेल में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिये जो कानून लाया जा रहा है वह आतंकवादी है, किसी को डरा-धमका कर उसका मन बेचने वाली बात होगी। इसलिए मेरा संशोधन इसमें जोड़ दिया जाय।

श्री अजय विश्वास : महोदय, हड़ताल करने वाले मजदूर संकट में हैं। यदि हड़ताल लम्बे समय तक चलती है तो उन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः जुर्माने और कारावास वाला खण्ड एक बर्बर खण्ड है। जुर्माना दस रुपये और कारावास एक दिन होना चाहिए।

श्री सुशील भट्टाचार्य : सभापति महोदय, हड़ताल के समर्थकों के विरुद्ध यह एक कड़ा दाण्डिक उपाय है । यदि आप हड़ताल करने वाले को दस पैसे देते हैं या आप उसे एक कप चाय पिलाते हैं तो हड़ताल का समर्थन करने के लिए आपको उकसाने वाला समझा जाएगा। इसके लिए आपको एक साल का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि कारावास एक दिन का होना चाहिए और जुर्माना 2000 रुपए की बजाए एक रुपया होना चाहिए ।

धन्यवाद ।

श्री ए० के० राय : महोदय, हड़ताली मजदूरों को चन्दा देने से कारावास तक का दण्ड हो सकता है । यह अत्याचारपूर्ण है । इससे भी बढ़कर, इस मामले को बहुत ही सावधानीपूर्वक लेना चाहिए । हड़ताल वैध है या अवैध, यह निर्णय सरकार या अधिकोरियों द्वारा नहीं किया जाएगा । वर्तमान कानून के अनुसार इसका निर्णय एक न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है । जहां तक यह निर्धारित करने का प्रश्न है, कि दण्ड कितना दिया जाऐ या यह अपराध है या नहीं इसका फैसला करने के लिए इसे न्यायाधिकरण के पास भेजा जाएगा जो यह निर्णय करेगा कि हड़ताल वैध या अवैध । इसका अधिकार किसी भी कार्यकारिणी को नहीं दिया जा सकता । विशेष रूप से जब इस प्रकार का मामला हो तो मामले को न्यायाधिकरण के पास भेजा जाना चाहिए ताकि वह दण्ड और कारावास की अवधि निर्धारित कर सके ।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति जी, मैंने इसमें कारावास की सजा समाप्त करने और जुर्माने की रकम घटाकर एक रुपया करने का सुझाव दिया है । तर्क पहले दिए जा चुके हैं । उन्हीं तर्कों के आधार पर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे खेद है कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री ए० के० राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रस्तुत किए गए सभी संशोधन का उत्तर देना मंत्री महोदय के लिए आवश्यक नहीं है । उन्हें कम से कम कुछ संशोधनों का उत्तर अवश्य देना चाहिए । जब हम सहयोग दे रहे हैं तो उन्हें भी सहयोग देना चाहिए । अन्यथा हम भी इस प्रकार के विधेयक के जल्दी पास होने के रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगे ।

सभापति महोदय : मैं अब खंड 7 के सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब में खंड 7 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, पहले दीर्घाएं खाली करा दी जाएं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं···। दीर्घाएं खाली हो गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 24 23·90 म. प-

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
दलवीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव श्री, संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी. एन.
गधवी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर

गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अन्नत रामुलु
मीणा, श्री राम कुमार
मेहता, डा० महिपतराय एम०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
गहन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरबिन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री बीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.

पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राउत. श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री शिबू
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन. श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरट, श्री भाउसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुजफ्फर हुसैन श्री सैयद
पाल, प्रो. रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 172
विपक्ष में : 53

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया।

पक्ष में : श्री रामायण राय।

विपक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग।

नया खण्ड 7—क

श्री ई० बालानन्दन : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, —

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"7क-धारा 4 से 7 में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों के अर्थ वही होंगे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 26 से 28 में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।" (411)

सभापति महोदय : वह बोलना नहीं चाहते हैं। मैं अब उनकी संशोधन संख्या 411 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"7-क. धारा 4 से 7 में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों के अर्थ वही होंगे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 26 से 28 में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।" (411)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 25 23.12 म. प.

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण

झा, श्री भोगेन्द्र
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
*मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
पल्लेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
समीनुद्दीन, श्री
सेन, श्री सुबोध
सेजवलकर, श्री एन० के०
सूर्य नारायण सिंह, श्री
यादव, श्री विजय कुमार
*जैलसिंह, श्री
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमलालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपासिंधु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह, राव
बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यवती
चव्हाण, श्री एस० पी०

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गधवी, श्री भेशवदन के०
गायकवाड, श्री राव उदयसिंह
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जेन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्णा, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा० महीपत राय एम०
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री रमनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री ब्रजमोहन
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, श्री अरविन्द
नौखरा, श्री रामेश्वर

उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पारधी, श्री वेशकराव
पार्थसारथी, श्री पी०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० वी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के०
रणजीत सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
संगमा, श्री पी. ए.
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरादन्द, श्री बी०
शनमुखम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
*शास्त्री, श्री रामावतार
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त	वेंकटसुब्बया, श्री पी.
स्वामी, श्री के. ए.	विजयराघवन, श्री वी. एस.
तारिक अनवर, श्री	वीरभद्र सिंह, श्री
तैयब हुसैन, श्री	व्यास, श्री गिरधारी लाल
तिवारी, प्रो० के० के०	वाघ, डा. प्रताप
तिवारी, श्री नारायण दत्त	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
टाईटलर, श्री जगदीश	यादव, श्री राम सिंह
वैराले, श्री मधुसूदन	यूसफ, श्री मोहम्मद
वर्मा, श्री जय राम	जैनल बशर, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 49
विपक्ष में : 160

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 8

श्री एम० रामन्ना राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,—

"छह मास" के स्थान पर
"छह वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (24)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

पृष्ठ 5, पंक्ति 17 और 18,—

"केवल छह मास तक प्रवत्त रहेगा" के स्थान पर
"तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक स्थापन काम करते रहें" प्रतिस्थापित किया जाए। (38)

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री ए. के. राय, श्री अजित बाग और श्री रामावतार शास्त्री।

विपक्ष में : श्री जनार्दन पुजारी, श्री सुन्दर सिंह, श्री केयूर भूषण, श्री रामायण राय, श्री गुलाम नबी आजाद, आचार्य भगवान देव, श्री जैल सिंह और श्री उमाकान्त मिश्र।

पृष्ठ 5, पंक्ति 18 से 20,—

"किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो वह उस आदेश को वैसे ही आदेश द्वारा छह मास से अनधिक किसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी" का लोप किया जाए। (39)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक" के स्थान पर "पच्चीस" प्रतिस्थापित किया जाए। (40)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"या" के स्थान पर "और" प्रतिस्थापित किया जाये। (41)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,—

"छह मास" के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (42)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"या दोनों से", का लोप किया जाए। (43)

श्री मुकुन्द मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 13,—

"तालाबन्दी" के स्थान पर

"तालाबन्दी तथा उन स्थापनों की बन्दी" प्रतिस्थापित किया जाए। (62)

पृष्ठ 5, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर

"छह वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (63)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक हजार रुपए" के स्थान पर "तीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाये। (80)

प्रो० रूप चन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक हजार" के स्थान पर "बीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। (101)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,—

"छह मास" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (165)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5 पंक्ति 30,—

"एक हजार" के स्थान पर "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाए । (213)

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक हजार" के स्थान पर
"दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये । (247)

श्री अमर राय प्रधान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक हजार" के स्थान पर "एक लाख" प्रतिस्थापित किया जाये । (248)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 10 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"8 (1) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी आवश्यक सेवा से संबंधित किसी स्थापना में तालाबन्दी सर्वथा निषिद्ध होगी ।" (312)

श्री चित्त महाटा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक हजार" के स्थान पर "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाये । (322)

श्री आर० के० महालगी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 13,—

"तालाबंदी" के पश्चात् "या बंदी" अन्तःस्थापित किया जाए । (366)

पृष्ठ 5, पंक्ति 23,—

"तालाबंदी" के पश्चात् "या बंदी" अन्तःस्थापित किया जाये । (367)

पृष्ठ 5, पंक्ति 26, —

"तालाबन्दी" के पश्चात् "या बन्दी" अन्तःस्थापित किया जाये । (368)

पृष्ठ 5, पंक्ति 27, —

"तालाबन्दी" के पश्चात् "या बन्दी" अन्तःस्थापित किया जाये । (369)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 13,—

"तालाबन्दी" के पश्चात् "और बन्दी" अन्तःस्थापित किया जाये। (373)

पृष्ठ 5, पंक्ति 23,—

"करेगा" के पश्चात् "या किसी बन्दी की घोषणा नहीं करेगा" अन्तःस्थापित किया जाये। (374)

पृष्ठ 5, पंक्ति 26,—

"तालाबन्दी" के पश्चात् "या बन्दी" अन्तःस्थापित किया जाये। (375)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 13,—

"तालाबन्दी" के पश्चात् "या बन्दी" अन्तःस्थापित किया जाए। (390)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,—

"लेगा, तो" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"सार्वजनिक विचारण में जिसे पन्द्रह दिन के भीतर समाप्त किया जायेगा"। (394)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 17-20 का लोप किया जाये। (457)

पृष्ठ 5, पंक्ति 28-29,—

"तालाबन्दी को जो इस धारा के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, उसे जारी रखेगा" के स्थान पर "तालाबन्दी या बंदी जो इस धारा के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, उसे जारी रखेगा, उसके लिए उकसायेगा, या उद्दीप्त करेगा या वित्त घोषित करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (460)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"एक हजार" के स्थान पर "चालीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए। (462)

श्री अजय विश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (493)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"छह मास" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (505)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"छह मास" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (506)

सभापति महोदय : अब ये संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं। श्री रामन्ना राय संक्षेप में बोलें।

श्री एम० रामन्ना राय : महोदय, मेरा संशोधन यह है कि छः महीने के बजाय छः वर्ष होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है, तो छः महीने की सजा है अब इसके साथ ही साथ यदि नियोक्ता गलती पर है तो उसको केवल उतनी ही सजा नहीं दी जानी चाहिए। उसको छः वर्ष की जेल की सजा दी जानी चाहिए। मेरा यह संशोधन है।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, धारा 8 में जितने भी हमारे संशोधन हैं सब की पेश हुए करते मैं एक, दो बात कहना चाहता हूं इसमें तालाबन्दी पर छः महीने की रोक लगाने की बात कही गई है, और यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने की अवधि की और बढ़ा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि फर्ज कीजिये 6 महीने की और अवधि बढ़ा दी लेकिन कारखारा चालू है उसके बाद भी। तो मेरा कहना है कि 6 महीने की जगह पर उसमें यह लगायें कि जब तक वह कारखाना चालू रहेगा तब तक उसमें किसी प्रकार की तालाबन्दी नहीं होगी। कोई भी कारखाना आप मान लीजिये। अभी आप एक साल तक तालाबन्दी को रोक रहे हैं, मेरा कहना है कि तालाबन्दी पर बराबर के लिये पाबन्दी लगायें, यानी जब तक वह कारखाना काम करता रहे। अगर किसी वजह से कारखाना बन्द हो जाय वह अलग बात है। लेकिन जब तक चलता रहे तब तक तालाबन्दी करने का अधिकार उसे नहीं रहेगा। आप 6 महीने को और बढ़ायें, 6 महीने का करना चाहते हैं 1 साल तक मेरा कहना है कि जब तक वह कारखाना चले 2 साल, 10 साल तो उस कारखानेदार को तालाबन्दी करने का अधिकार नहीं होगा।

दूसरी बात है आपने सजा की व्यवस्था इसमें की है। जो इस तरह की तालाबन्दी करेंगे उनको 6 महीने आपने कहा है। मेरा कहना है कि उनको 2 साल की सजा कीजिये। पूंजीपतियों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है ? कहिये मजदूरों की बात और काम कीजिये पूंजीपतियों का। तो इसलिये उनको कम से कम 2 साल की सजा कीजिये और 1,000 रु० जुर्माना की जगह पर 25,000 रु० जुर्माना कीजिये, सख्ती कीजिये ताकि मजदूरों के जीवन के साथ जो सरमायेदार या आपके लोग खिलवाड़ करते हैं वह बन्द हो। अभी मैं बताऊं, रेल मंत्री जी यहां मौजूद हैं, रेल में जो बेचारे निर्माण का काम करते हैं उनको जब चाहते हैं आप निकाल देते हैं। तो इस तरह की बातों में सजा भी बढ़ा दीजिये और तालाबन्दी करने की भी इजाजत नहीं दीजिये।

श्री मुकुन्द मंडल : महोदय, इस खण्ड में 'बन्द करना' सम्मिलित नहीं किया गया। केवल तालेबन्दी को ही सम्मिलित किया गया है। इसीलिये मैंने इस खण्ड में एक संशोधन का सुझाव दिया था कि इसमें 'बन्द' करने को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये क्योंकि बन्द करने के कारण उत्पाद में बाधा पड़ती है। सरकार ने जान बूझकर मालिकों की कार्यप्रणाली को छोड़ दिया है। बन्द करने को विधेयक की सीमा क्षेत्र से बाहर रखकर सरकार प्रबन्धक की मदद कर रही है। क्योंकि यह विधेयक 'बन्द करने' के प्रश्न पर चुप है अतः इन इकाइयों के मालिक इनका लाभ उठायेंगे। हजारों इकाइयां बन्द पड़ी हैं परन्तु इस सरकार ने इन औद्योगिक मालिकों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया है। मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में···

सभापति महोदय : कृपया अब इसका उल्लेख मत कीजिए।

श्री मुकुन्द मण्डल : इन उद्योगपतियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी गतिविधियों के कारण उत्पादन में बाधा पड़ रही है। इसमें 6 महीने की सजा का उल्लेख है मैंने इस खण्ड में 6 वर्ष की सजा का उपबन्ध करने का संशोधन दिया है।

श्री सुनील मैत्रा : इस खण्ड से यह पता चलता है कि यह सरकार कितनी लोकतांत्रित है। इसमें नियोक्ता तथा कर्मचारियों को एक समान मान रहा है मानों वे दोनों समाज में एक समान समझे जाते हों। अतः यदि कानून का उल्लंघन किया जायेगा तो कर्मचारी को छः महीने के लिये जेल जाना पड़ेगा और नियोक्ता को भी उतनी ही सजा भुगतनी पड़ेगी वस्तुतः नियोक्ता श्रमिकों का खून चूस रहे हैं। पर सरकार ने उसे छूट दे दी है। मेरा संशोधन यह है कि छः महीने की बजाय यह छः वर्ष होनी चाहिये और 1,000 रुपये जुर्माने के बजाय 30,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिये।

प्रो० रूप चन्द पाल : इस पक्ष की ओर से बहुत कुछ कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे उत्पादन को उन नियोजकों की वजह से सर्वाधिक नुकसान होता है जो तालाबन्दी और जबरन छुट्टी करते हैं। अतः मेरा संशोधन यह है कि उन नियोजकों के मामले में जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उत्पादन को रोक रहे हैं अधिक सख्त सजा होनी चाहिये। अतः मेरे संशोधन में जेल की अवधि को छः महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष तथा जुर्माने की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का प्रयास किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं दो कारणों से खण्ड 8 में संशोधन करने के लिये कह रहा हूं। एक—माननीय गृह मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरम्भ में यह खण्ड अध्यादेश में नहीं था—जैसा कि आप जानते हैं और अब इसे केवल प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व के कारण इसमें जोड़ा गया है। अतः मेरा तात्पर्य यह है कि इसको पृथक रूप से लेना चाहिये। वह सर्वोच्च नेता हैं उनके सुझाव के कारण ही यह किया गया है। अतः गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित छः महीने की सजा प्रधानमंत्री द्वारा सुझाये गये उपबन्ध पर लागू नहीं हो सकेगी। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम से कम एक वर्ष की अवधि निश्चित की जानी चाहिये और जुर्माने को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाना चाहिये। दूसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालाबन्दी अपराध का हथियार है जबकि हड़ताल सुरक्षात्मक उपाय है। यह मानी हुई बात है वह इससे इनकार नहीं कर सकते। अतः जो व्यक्ति तालाबन्दी और जबरन छुट्टी की घोषणा करके मजदूरों को आघात पहुंचाने का अपराध कर रहा है उसके साथ कमजोर वर्ग के उस व्यक्ति, जो कि नियोजक के आघात से बचने के लिये हड़ताल को एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में प्रयोग में लाता है, नहीं समझा जा सकता। अतः आप उनको एक समान कैसे मान सकते हैं। श्रम मंत्री भी यहां पर उपस्थित है वह भी माननीय गृह मंत्री से चर्चा कर सकते हैं। अतः यदि ये दोनों भिन्न आधार पर खड़े हैं और समाज के भिन्न वर्ग में आते हैं तो जहां तक सजा और जुर्माने का सम्बन्ध है उन्हें एक समान नहीं माना जाना चाहिये।

श्री सुधीर गिरि : मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो कहा है उसके आधार पर मैंने प्रस्ताव किया है कि नियोजकों पर 1,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये का जुर्माना किया जाना चाहिये।

श्री हन्नान मोल्लाह : वास्तविक व्यक्ति, जो उत्पादन में बाधा डाल रहे हैं नियोजक हैं। अतः उन्हें दस वर्ष की सजा दी जानी चाहिये।

श्री अमर राय प्रधान : माननीय गृह मंत्री जनता का मित्त होने का दम्भ करते हैं। यहां तक कि उन्होंने नियोजक और कर्मचारी को एक ही धरातल पर रखा है, उनके अनुसार क्या यह समाजवाद है। मेरा संशोधन यह है कि छः महीने के स्थान पर छः वर्ष की सजा होनी चाहिये तथा जुर्माना 1,000 रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये का होना चाहिये।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : साधारण श्रमिकों की अपेक्षा नियोजक अधिक हानिकारक हैं। अतः मैंने राष्ट्रीय हित में सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

श्री चित्त महाटा (पुरुलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सजा 6 महीने से बढ़ाकर 6 वर्ष और जुर्माना 1,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये किया जाये।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मेरा संशोधन अपने आप ही बहुत स्पष्ट है अतः मुझे उसमें कुछ नहीं जोड़ना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खण्ड 8 में मेरे संशोधन में न केवल तालेबन्दी तथा जबरन छुट्टी, बल्कि कारखाने बन्द करने को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। आज पहले हुए वाद-विवाद में माननीय मंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसको मैं बिल्कुल नहीं समझ सका कि उन्होंने बन्द करने को भी सम्मिलित करना पसंद किया मैं चाहता हूं कि वह इसे और स्पष्ट करें कि इससे उनका क्या अर्थ है, क्योंकि खण्ड 8 में कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है तो वह सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा तालाबन्दी पर रोक लगा सकती है। वहां पर मैं "तालाबन्दी व बन्द करने पर रोक लगा सकती है" जोड़ना चाहता हूं आखिरकार, हम उन आवश्यक सेवाओं के विषय में बात कर रहे हैं जिनको परिभाषित किया गया है और विधेयक में कहा गया है कि यह कुछ आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिए है। मैं नहीं समझता कि बन्द करने को इससे बाहर क्यों रखा गया। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। देश में भारी संख्या में इकाईयों को बन्द किया जा रहा है। अतः बन्द करना भी विधेयक की योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री ए० के० राय।

श्री ए० के० राय : सभापति महोदय, मैं भी चाहता हूं कि बन्द करना इस खण्ड के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये और जैसा कि आप जानते हैं बहुत से सदस्यों ने पहले भी कहा है कि सक्षम कारखानों को इस प्रकार से जानबूझ कर बन्द करने से रुग्ण उद्योगों की समस्या पैदा हो रही है। हमारे क्षेत्र में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 'कुमार डिभी इंजीनियरिंग वर्क्स'

में नियोजक की शरारत की वजह से 3,500 व्यक्ति भूखों मर रहे हैं। ऐसे नियोजकों को सजा दी जानी चाहिए। सजा देना अधिक महत्वपूर्ण है और इससे भी ज्यादा इस पर सरकारी नियन्त्रण होना चाहिए। अभियुक्तों को सामाजिक और सार्वजनिक रूप से सजा दी जानी चाहिए। ऐसे नियोजकों पर सरकारी नियन्त्रण होना चाहिए और ऐसा उपबन्ध इस विधेयक में किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु : जो मैं चाहता हूं वह बहुत ही सीधी सी बात है। सरकार तालाबन्दी को प्रतिषेद्ध करना चाहती है। उन्होंने दूसरी कठिनाइयां भी देखी हैं जिनके कारण उत्पादन को हानि हुई है। ऐसा कारखानों को बन्द करने के कारण हुआ है। मैं समझता हूं कि आप मुझे आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देंगे परन्तु उत्पादन में कारखानों के बन्द करने के कारण भारी नुकसान हुआ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसको सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री चित्त बसु : मैं भी चाहता हूं। कारखानों के बन्द करने के कारण भारी नुकसान हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि उद्योग एक व्यापारिक इकाई है तो यह उसका मूल अधिकार है। इसी प्रकार श्रमिकों को अपना बचाव करने के लिए हड़ताल का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? यहां पर सरकार नियोजकों के साथ है। इससे नियोजक के कारखाने बन्द करने के मूल अधिकार का प्रश्न उठता है जिससे कि उत्पादन की हानि होती है तथा बेरोजगारी बढ़ती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूर्ण अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है।

श्री चित्त बसु : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिषेद्ध करते समय इसको इससे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सजा और जुर्माने की मात्रा के बारे में क्या है?

श्री चित्त बसु : हां मैं सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने मेरी सलाह मान ली है।

श्री चित्त बसु : मैंने श्री चटर्जी के संशोधन को मान लिया है।

सभापति महोदय : श्री आनन्द पाठक।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैंने सुझाव दिया है कि "छः महीने के स्थान पर" छः वर्ष शब्द रखे जाने चाहिए तथा '1000 रु० के जुर्माने को' '25 रुपये के जुर्माने' में परिवर्तित किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि नियोजकों के विरुद्ध ये सभी दण्ड उपबन्ध बहुत ही ढीले

हैं। हमारे अनुभव में, 'बागान श्रमिक अधिनियम' भविष्य निधि अधिनियम तथा अन्य-अधिनियमों से सम्बन्धित मुकदमों में वे बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। और वे कानून के उपबन्धों का पालन नहीं करते और ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं उन पर तीन या चार सौ रुपये का जुर्माना किया जाता है और वे उसको देकर बाहर आ जाते हैं और वे सरकार के पास श्रमिकों के भविष्य निधि का भाग जमा करने की परवाह नहीं करते। हमें ज्ञात हुआ है कि वे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और दंड से बच रहे हैं।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति महोदय, वैसे तो मेरे इसमें कई अमेंडमेंट्स हैं लेकिन बन्दी सम्बन्धी अमेंडमेंट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर कर दी है इसलिए मैं अपने दूसरे अमेंडमेंट के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा और दूसरे सरकारी पक्ष के लोगों ने कहा कि लाक आउट और ले आफ से उत्पादन को नुकसान हुआ है लेकिन इसके बाद भी इस क्लाज की सीमा केवल 6 मास तक बनाई गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 महीने के बाद कारखानेदारों को ले आफ और लाक आउट करने की छूट रहेगी। इस तरह की छूट उनको नहीं मिलनी चाहिए। इसी आशय का मैंने एक अमेंडमेंट दिया है।

सजा के बारे में मेरा भी सुझाव यह है कि सेशन्स ट्रायल के अपराध के अन्दर कारखानेदारों को लाना चाहिए और इसमें जो सजा है उसको 6 साल किया जाना चाहिए और 1 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 40 हजार किया जाना चाहिए जो कि यह भी कम है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए।

श्री अजय विश्वास : महोदय, मेरा संशोधन 492 से 494 और 495 तक है। जब एक नियोजक तालाबन्दी करता है तो श्रमिकों को बड़ी कठिनाई होती है। तालाबन्दी की घोषणा करके नियोजक ही श्रमिकों की मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है।

सभापति महोदय : आपने कितनी सजा और जुर्माने का सुझाव दिया है ?

श्री अजय विश्वास : अपने संशोधन के माध्यम से मैंने सजा को छः महीने से पांच वर्ष तक और जुर्माने को एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक बढ़ाने का प्रयास किया है।

श्री भोगेन्द्र झा : इस सभा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब कि सारा का सारा विरोधी दल एक मत से इस विधेयक का विरोध कर रहा है। ये सभी संशोधन कार्यकारी तथा सरकार को अधिक शक्ति देना चाहते हैं परन्तु सरकार उन शक्तियों को लेने की इच्छुक प्रतीत नहीं होती। आप कानून के सामने समानता के सिद्धान्त का सुझाव देने में बहुत ही दयालु हैं। खंड 6 तथा 7 में हड़ताल के लिए उकसाने की सजा एक वर्ष और जुर्माना दो हजार रुपये है। अवैध हड़तालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना है परन्तु तालाबन्दी के लिए केवल छः महीने की सजा है मैं समझता हूं कि सरकार कानून के सामने समानता के सिद्धान्त को ध्यान में रखेगी और कम से कम इस सजा को एक वर्ष तक बढ़ायेगी। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात जिसमें मेरे संशोधन का संबंध है, आदेश की अवधि के

बारे में है से ही सम्बन्धित है। उपखंड 3 में यह सुझाव दिया गया है कि अधिसूचना छः महीने तक ही रहेगी और इसका केवल अगले छः महीने तक ही नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके बाद नियोजक तालेबन्दी की घोषणा करने और इसे लागू करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यह खंड बहुत ही अनिश्चित और निरुत्साही है और ऐसा लगता है जैसे इसको अनिच्छा से लाया गया है यह समर्थकारी खंड है और इसमें कहा गया है :—

"यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा तालाबन्दी ..." इत्यादि को प्रतिसिद्ध कर सकेगी।"

ऐसी स्थिति में, मैं सुझाव देता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए और आदेश की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए।

श्री जैल सिंह : सभापति महोदय, मैं आनरेबल मेम्बरों के धीरज और साहस की प्रशंसा करता हूं। वह जानते भी हैं कि कोई बात बनेगी नहीं, बिल तो पास हो ही जायेगा, फिर भी इतने आशावान बने हुए हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है।

अमेंडमेंट्स जितने आए हैं उसमें एक ही प्वाइंट पर इनका एक मत नहीं है। कोई चार हजार कहता है कोई पांच हजार कहता है, कोई चालीस हजार कहता है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप जिसको चाहिए मान लीजिए।

श्री जैल सिंह : श्री रामावतार जी मेरा ख्याल था कि वह रामावतार की बात करेंगे, लेकिन वह रावणावतार की बात कर रहे हैं। रात के बारह बजे हैं, वह अभी भी जिद में पड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि उन लोगों ने बिल पर बड़ी दिलचस्पी ली लेकिन उनके जो संशोधन हैं उनको मैं परवान नहीं कर सकता।

श्रीमती गीता मुखर्जी (हावड़ा) : क्या गृह मंत्री को मालूम है कि वह कौन से खंड का उत्तर दे रहे हैं? अभी 12 भी नहीं बजे और यह हालत है।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 8 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए पेश करूंगा।

संशोधन प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

सदस्यों की गिरफतारी

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष लोक सभा के नाम 15 सितम्बर 1981 को निम्न तार प्राप्त हुए :

(एक) **पुलिस अधीक्षक, चिंगलपट, पश्चिम जिला, कांचीपुरम, तमिलनाडु का तार**

"द्रमुक पार्टी के सभी कलेक्टरी के सामने राज्य भर में किये जाने वाले आज 15-9-1981 के प्रस्तावित धरने के संबंध में श्री टी० नागरतनम, संसद सदस्य को पुलिस अधिनियम की धारा 30(2) और दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7(1) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147/188 के अन्तर्गत शिवकांची पुलिस थाना अपराध संख्या 596/81 के अनुसार आज 15-9-1981 को 09.30 बजे कांचीपुरम, चिंगलपट, पश्चिम जिला में गिरफ्तार किया गया। उन्हें रिमांड पर रखा जा रहा है।"

(दो) **पुलिस आयुक्त एग्मोर मद्रास का तार**

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि डा० बी० कुलनदाइवेलू संसद सदस्य को 130 अन्य व्यक्तियों के साथ नगर में लागू विनियमन आदेश का उल्लंघन करके शफीम चन्द रोड़, मद्रास पर श्री लंका के उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देने के लिये एक जलूस निकालने के कारण सैकिण्ड स्ट्रीट, पलापुरम, मद्रास 86 पर आज (15-9-1981) लगभग 10.00 बजे 41 मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम और 7(1)-क दंड विधि संशोधन अधिनियम के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 143/336/427 के अन्तर्गत अपराध संख्या 513/81 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें रिमाण्ड के लिये भेज दिया गया है।"

आवश्यक सेवा विधेयक, 1981—जारी

खंड 9

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"छह मास" **के स्थान पर**

"छह वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (25)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 35,—

"(बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न)" **को लोप किया जाए।** (45)

पृष्ठ 5, पंक्ति 41 और 42,—

"केवल छह मास तक प्रवृत्त रहेगा" के स्थान पर "तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक स्थापन काम करते रहें" प्रतिस्थापित किया जाए। (46)

पृष्ठ 5, पंक्ति 34, —

"शक्ति की कमी या प्राकृतिक विपत्ति से भिन्न" का लोप किया जाए। (44)

पृष्ठ 5, और 6, पंक्ति क्रमशः 41 तथा 1 और 2,—

"किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह इस आदेश को, वैसे ही आदेश द्वारा, छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी" का लोप किया जाए। (47)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 4 से 10 तक के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापिय किया जाए —

"(क) ऐसे किसी स्थापन का नियोजक जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश लागू होगा, किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे स्थापन की नामावली में है, कामबन्दी नहीं करेगा या कामबन्दी को चालू नहीं रहने देगा और इस प्रकार कामबन्दी को चालू रहने देना अवैध होगा।" (48)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर

"दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (49)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"या" के स्थान पर

"और" प्रतिस्थापित किया जाये। (50)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17-18,—

"एक हजार रुपए" के स्थान पर

"पचीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए। (51)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 34,—

"से भिन्न" के स्थान पर "सहित" प्रतिस्थापित किया जाए। (81)

पृष्ठ 6, पंक्ति 5,—

"से भिन्न" के स्थान पर "सहित" प्रतिस्थापित किया जाए । (82)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए । (83)

पृष्ठ 6 पंक्ति 17-18,—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर

"बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए । (84)

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 35, --

"(बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न)" के स्थान पर

"(जिसके अन्तर्गत बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार भी है)" प्रतिस्थापित किया जाए । (128)

पृष्ठ, 6, पंक्ति 5,—

"(बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न)" के स्थान पर

"(जिसके अन्तर्गत बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार भी है)" प्रतिस्थापित किया जाए । (129)

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर "दस वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए । (139)

पृष्ठ 6 पंक्ति 17-18,—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए । (140)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए । (168)

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 29 से 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"अन्यथा भाग लेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।"

(194)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 33, —

"द्वारा" के पश्चात् "तथ्यों पर आधारित" अन्तःस्थापित किया जाए। (214)

पृष्ठ 6, पंक्ति 6,—

"काम बन्दी" के पश्चात् "तथ्यों पर आधारित" अन्तःस्थापित किया जाए। (215)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17-18,—

"एक हजार" के स्थान पर "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाए। (216)

श्री अमर राय प्रधान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 18, —

"एक हजार" के स्थान पर "एक लाख" प्रतिस्थापित किया जाए। (290)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 34,—

"से भिन्न" के स्थान पर "के आधार को भी ध्यान में रख कर" प्रतिस्थापित किया जाए।

(395)

पृष्ठ 5, पंक्ति 35,—

"(बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न)" के स्थान पर "(जिसमें बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार भी हैं)" प्रतिस्थापित किया जाए। (396)

पृष्ठ 6, पंक्ति 6 से 10 :—

"जब तक ऐसी कामबन्दी शक्ति की कमी या आकस्मिक विपत्ति के कारण न हो, कामबन्दी नहीं करेगा, या कामबन्दी को चालू नहीं रहने देगा, और इस प्रकार कामबन्दी या कामबन्दी को चालू रहने देना जब तक कि ऐसी कामबन्दी या उसका चालू रहना शक्ति की कमी या आकस्मिक विपत्ति के कारण न हो, अवैध होगा" के स्थान पर "और कोई कामबन्दी या कामबन्दी को चालू रहने देना अवैध होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(398)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(6) कोई व्यक्ति या संगठन जो नियोजक को तालाबन्दी, बन्दी और कामबन्दी घोषित करने के लिए उकसाता है या उद्दीप्त करता है या नियोजक को वित्तीय रूप से मदद देता है, उसी सार्वजनिक विचारण में, जिसे एक पखवाड़े के भीतर पूरा किया जायेगा, पांच वर्ष के कारावास से और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।" (399)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5-6, —

क्रमशः पंक्ति 41-42 और 1-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश सदा के लिए प्रवृत्त रहेगा।" (465)

पृष्ठ 6, पंक्ति 5, —

"(बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न)" का लोप किया जाये। (466)

पृष्ठ 6, पंक्ति 6-7,—

"जब तक कि ऐसी कामबन्दी शक्ति की कमी या आकस्मिक विपत्ति के कारण न हो," लोप किया जाये। (467)

पृष्ठ 6, पंक्ति 8-10,—

"जब तक कि ऐसी कामबन्दी या उसका चालू रहना शक्ति की कमी या आकस्मिक विपत्ति के कारण न हो," का लोप किया जाए। (468)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17-18, —

"एक हजार" के स्थान पर "चालिस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए। (470)

श्री अजय विश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 34 से 36,—

"शक्ति की कमी या प्राकृतिक विपत्ति से भिन्न किसी आधार पर किसी ऐसे कर्मकार द्वारा, (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) जिसका नाम आदेश में विनिर्दिष्ट आवश्यक सेवा से सम्बन्धित किसी स्थापना की नामावली में है," का लोप किया जाए। (496)

पृष्ठ 5, पंक्ति 41,—

"छह मास" के स्थान पर, "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (497)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 5 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"लागू होगा, किसी कर्मकार की कामबन्दी नहीं करेगा, या कामबन्दी को चालू नहीं रहने देगा;" (498)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 17 और 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और पांच हजार रुपए के जुर्माने से, दंडनीय होगा।" (507)

श्री एम० रामन्ना राय : मेरे संशोधन संख्या 25 में "छह महीने के स्थान पर "छह वर्ष" प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामावतार शास्त्री : धारा 9 के अन्तर्गत कामबन्दी या ले आफ पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। जो स्थायी मजदूर हैं उनका तो ले आफ नहीं होगा लेकिन जो बदली यानी सबस्टीट्यूट और आकस्मिक यानी कैजुअल मजदूर हैं उनका ले आफ हो सकता है। यह बात समझ में नहीं आयी है वे बेचारे और भी कमजोर हैं और वर्षों तक काम करने के बाद भी उनको नियमित नहीं किया जाता है। मेरे संशोधन को मान लेने का यह अर्थ होगा कि इनका भी ले आफ नहीं हो सकेगा।

आगे अगर ऐसा करते हैं तो सजा को बढ़ाया जाय, यह मेरा संशोधन है, मेरा ख्याल है सरकार इसको मान ही लेगी।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, इस खंड का पहला प्रावधान यह है कि नियोजक एक बदली कर्मगार या नैमित्तिक कर्मगार को जबरी छुट्टी कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है इसीलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। 'बदली कर्मगार या आकस्मिक कर्मगार" से भिन्न के स्थान पर "(जिसमें बदली कर्मगार या आकस्मिक कर्मगार भी हैं)" होना चाहिए।

'नियोजक द्वारा कानून के उल्लंघन करने के संबंध में मेरा वही तर्क है जो कि पूर्व खण्ड में है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरा संशोधन यह है कि बदली कर्मगारों और आकस्मिक कर्मगारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। आकस्मिक और बदली काम करने वाले जो हैं उन लोगों को तो बराबर काम भी नहीं मिलता है, उनकी आर्थिक विपन्नता होती है। सरकार कहती है कि वह मजदूरों की हिमायती है। गृह मंत्री जी कह रहे थे कि वे उनकी दशा को जानते हैं। ऐसे ज्ञानी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये कि इनको निकाला जा सके। उनका भला करने की बात होनी चाहिये।

सरकार को गम बहुत है लेकिन आराम के साथ।

भले ही पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं प्रतिष्ठान के नाम पर ऐसा कहते हुए मैं यही आग्रह करूंगा कि मेरे संशोधन को मान लिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्या : महोदय मेरा संशोधन काम बंदी के विषय में है "छह: महीने" के स्थान पर "दस वर्ष" और "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दस हजार रुपये" का संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपने केवल एक संशोधन के विषय में बोलूंगा, जिसका मैं आग्रह कर रहा हूं और वह बदली कर्मकार या कर्मकार के संबंध में है। मैं जानता हूं कि इसकी लगभग औद्योगिक विवाद अधिनियम से नकल की गयी है। परन्तु अन्य मामलों में उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम की उपेक्षा की है।

महोदय, वर्षों से कर्मकारों को आकस्मिक आधार पर रखा जाता है। वे इसके लिए आम तरीका अपनाते हैं कि वे 14 दिन के बाद एक या दो दिन के लिए हटा देते हैं और फिर दोबारा नियुक्त कर देते हैं और इसी तरह से यह चलता रहता है। और तिवारी जी को इसके विषय में मालूम है।

अत: जब आप औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुरूप कानून बना रहे हैं तो फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम के उन खंडों तथा प्रावधानों को क्यों अपना रहे हैं जो श्रमिकों के विरुद्ध हैं ? इसीलिए मेरा कहना है कि खंड 9 से कोष्ठक में रखे गये शब्दों को हटा दिया जाए।

यद्यपि दूसरे संशोधनों के विषय में मैं बोलना नहीं चाहता फिर भी मैं अपने संशोधनो का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री सुशील भट्टाचार्या : मैंने यह संशोधन इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि विधेयक को लाते समय उन्होंने श्रमिकों को भी प्रबन्ध के समान ही माना है। प्रबंधों के लिए कोई कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए था। उन्होंने उनकी सजा को कम कर दिया है और उनके लिए श्रमिकों के बराबर ही सजा का प्रावधान किया गया है। मेरा संशोधन यह है कि प्रबंध के लिए पांच वर्ष की सजा होनी चाहिए और 10,000 रु० का जुर्माना होना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि : इस खंड के अन्तर्गत ऐसा उपबन्ध किया गया है जिससे नियोजक ऊर्जा अभाव को मुद्दा बना कर जबरन छुट्टी पर लगाये गये प्रतिबंध की परिधि से बच सकें। यह आधार नियोजकों द्वारा श्रमिकों को परेशान करने और उनके लिए मुसीबत पैदा करने के लिए बहाने के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। और हो सकता है कि यह आधार वास्तविक न हो। नियोजक कार्यकारी अधिकारी के समाधान के लिए यह बहाना प्रस्तुत कर सकता है। अत: मैं इस बात पर बल देता हूं कि ऊर्जा के अभाव का आधार श्रमिकों द्वारा अधिप्रमाणित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

यह जुर्माना 1,000 रु० के बजाय 50,000 रु० होना चाहिए :

श्री अमर राय प्रधान : यदि माननीय मंत्री वास्तव में श्रमिक वर्ग के हितैषी हैं तो उन्हें मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए कि जबरन छुट्टी के अपराध में नियोजकों को जेल में बन्द किया जाए, छ: वर्ष की सजा तथा एक लाख रु० का जुर्माना होना चाहिए।

श्री ए. के. राय : खण्ड 9 को इस प्रकार से रखा गया है कि सभी बेईमान नियोजक बिल्कुल भी न पकड़े जा सकें। सभी बेईमान नियोजक अपने कर्मचारियों को बदली और अस्थायी रूप में रखते हैं। वे बहुत ही कम कर्मचारियों को स्थायी बनाते हैं। विधान में इस प्रकार की गुंजाइस रखी गई है कि वे कानून के सीमा क्षेत्र से बच निकलें। प्राकृतिक प्रकोप, ऊर्जा अभाव तथा इस प्रकार की अन्य सभी बातें शामिल की गई हैं ताकि नियोजक बहाने बना सकें। इसी कारण इनको विधेयक में रखा गया है। गृह मंत्री को ऐसी सभी कमियों को दूर करना चाहिए जिनकी बेईमान नियोजक फायदा उठा सकते हैं।

हड़तालों के लिए भी सजा है तथा उन मजदूर संघ नेताओं के लिए भी जो हड़तालों के लिए प्रेरित और उत्तेजित करते हैं परन्तु उन संगठनों और नियोजकों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो दूसरे नियोजकों को भड़काते तथा प्रेरित करते हैं। इसीलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 18 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(6) कोई व्यक्ति या संगठन जो नियोजक को तालाबन्दी, बन्दी और कामबन्दी घोषित करने के लिए उकसाता है या उद्दीप्त करता है या नियोजक को वित्तीय रूप से मदद देता है, उसी सार्वजनिक विचारण में, जिसे एक पखवाड़े के भीतर पूरा किया जायेगा, पांच वर्ष के कारावास से और पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।" (399)

यह मेरा छोटा सा संशोधन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अब रात के बारह बज गये हैं। और अब अर्द्ध रात्रि है यानि मंगलवार, 15 सितम्बर समाप्त हो चुका है और अब बुधवार, 16 सितम्बर प्रारम्भ हो गया है।

हमारे नियमों के अनुसार, आज की कार्य सूची के अनुसार जोकि पहले ही परिचालित की जा चुकी है, सभा का कार्य 11 बजे म० पू० से प्रारम्भ होना है। यह 11 बजे म० पू० से पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सकता और 15 सितम्बर का कार्य समाप्त नहीं किया जा सका। अतः यह बाकी कार्य अगले दिन के लिए रखा जाना चाहिए। यह हमारी सामान्य प्रक्रिया है। परन्तु किसी भी हालत में आज की कार्य सूची के अनुसार जोकि हमें पहले ही परिचालित की जा चुकी है आज का कार्य 11 बजे से पहले प्रारम्भ नहीं हो सकता। अतः अब मैं आपसे सभा को स्थगित करने का निवेदन करता हूं और बाकी कार्य 11 बजे के बाद प्रश्नकाल की समाप्ति पर ही किया जाना है जैसाकि नियम है। अब हम किसी भी नियम के अन्तर्गत जारी नहीं रख सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत अभी भी आप जारी रख सकते हैं।

श्री बापूसाहिब पारूलेकर (रत्नगिरि) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 31(1) के अन्तर्गत है जिसमें कहा गया है :

"कि महासचिव प्रत्येक दिन के लिए एक कार्य सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध की जायेगी ।"

15 सितम्बर के लिए कार्य सूची की एक प्रति हमें उपलब्ध करायी गयी है और 16 सितम्बर की भी एक अनन्तिम कार्य सूची हमें उपलब्ध करायी गयी है । उसमें कहा गया है कि कार्य 11 बजे म० पू० से शुरू होगा ऐसी प्रथा रही है कि जब कभी कोई कार्य बाकी रह जाता है तो उसको अगले दिन लिया जाता है । अतः नियम 31(1) के साथ पठित हमें दी गयी दो कार्य सूचियों के अनुसार हम कार्यवाही जारी नहीं रख सकते । और यदि हम इसको जारी रखते हैं और विधेयक को पारित कर देते हैं तो वह गैर-कानूनी होगा और विधेयक उचित नहीं होगा । अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करे । मैंने यह सलाह दी हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इस विशेष आधार पर ही इस विधेयक को अवैध करार न दे दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं और सभा चलती रहेगी । सभा को स्थगित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । सभा बैठी रहेगी । । (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया हमें इसका स्पष्टीकरण दें कि आप हमें आज 11 बजे म. पू. से पहले किस नियम के अन्तर्गत बिठा सकतें हैं । कार्यवाही केवल 11 बजे म० पू० से ही प्रारम्भ हो सकती हैं ।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं । यह सदन सर्वोच्च है । यह सदन निर्णय कर सकता है कि कब और कितने समय तक इसे कार्य करना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे समाप्त करने दीजिए ? हम 11 बजे से अब तक कार्य कर रहे हैं । यह सदन निर्णय कर सकता है कि हमें 12 बजे के बाद भी कार्य करना है या नहीं । यह पहली बात है ।

दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा कोई नियम है भी जिसमें यह कहा गया है कि हमें कार्य नहीं करना चाहिए और यदि कोई ऐसा कानून है जो हमें कार्य करने से रोकता है, वह नियम भी इस सदन के द्वारा निलम्बित किया जा सकता है । जहां तक 16 सितम्बर के कार्य का सम्बन्ध है वह 16 तारीख को 11 बजे शुरू हो जायेगा ।

प्रक्रिया के अनुसार इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं । अब मैं सदन का मत जानना चाहूंगा कि, सदन बैठना चाहता है या नहीं । (व्यवधान) यह सदन सर्वोच्च है । सभा बैठेगी । सभा 12 बजे के बाद भी बैठेगी । अब मैं श्री विजय कुमार यादव को बुलाता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप बैठना चाहते हैं तो इस ओर से किसी को इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन की भावना के अनुसार काम करता हूं ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा तब तक बैठी रहेगी जब तक आवश्यक सेवा विधेयक 1981 पारित नहीं हो जाता ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक सेवा विधेयक, 1981 के पारित होने तक सभा की बैठक जारी रहे ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या 26 0.11 म०पू०

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन	भारद्वाज, श्री परसराम
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.	भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद	भोई, डा. कृपासिंधु
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.	भूरिया, श्री दिलीप सिंह
अराकल, श्री जेबियर	बीरेन्द्र सिंह, राव
आजाद, श्री भागवत झा	बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
आजाद, श्री गुलाम नबी	बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री डूमर लाल	चक्रधारी सिंह, श्री
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी	चन्द्रशेखर, श्री
*बालन, श्री ए. के.	चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
बालेश्वर राम, श्री	चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
बन्सी लाल, श्री	चौधरी, श्री मनफूल सिंह
बरोट, श्री मगनभाई	चव्हाण, श्री एस. बी.
बरवे, श्री जे. सी.	चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
भगवान देव, आचार्य	दलबीर सिंह, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनाबारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भैरावदन
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेजा श्री, दौलतसिंह
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
अमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
माबुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री बिलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक

पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थसारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के.
रण वीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिवशंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरथ
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिंहा, श्रीमती किशोरी
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराजन, श्री एन.
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.

सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसेन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरट, श्री माऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईलर, श्री जगदीश
बंराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालानन्दन, श्री ई.
बसु, श्री चित्त
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हसदा, श्री मतिलाल
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रुप चन्द
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय प्रधान, श्री अमर

शास्त्री, श्री रामावतार	तिरकी, श्री पीयूष
शेजवलकर, श्री एन. के.	उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
सूरज भान, श्री	वर्मा, श्री रवीन्द्र
सूर्य नारायण सिंह, श्री	यादव, श्री विजय कुमार

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम† इस प्रकार है:—

पक्ष में : 168

विपक्ष में : 36

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और सभा की बैठक जारी रहेगी । (व्यवधान)*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार यादव । मैं किसी और को अनुमति नहीं दूंगा । कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)* श्री विजय कुमार यादव । अपने मित्रों को बैठने के लिए कहिए । आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं । आगे माइक के नजदीक आ कर बोलिए ।

श्री सुबोध सेन : यह एक अनियमित प्रस्ताव है । आप यह कैसे कह सकते हैं कि विधेयक पारित हो जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदा ही नियमित प्रस्तावों को ही अनुमति देता हूं । मैंने कभी भी अनियमित प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ···(व्यवधान) कृपया अपने साथी को बोलने दीजिए। श्री विजय कुमार यादव । ·· मुझे बहुत खेद है कि ज्ञानवान व्यक्ति, अनुभवी सांसद इस तरह भी व्यवहार करते हैं । ···आप कृपया श्री यादव को बोलने दीजिए ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मुझे खेद है कि आप नियमों से हट रहे हैं। मुझे आपके द्वारा किसी नियमित प्रस्ताव को पारित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

---

†निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में :— सर्वश्री ए. ए. रहीम, वी० के० नायर, गुलशेर अहमद, रामायण राय, हरिनाथ मिश्र और पी० वी० जी० राजू ।

विपक्ष में : सर्वश्री ए. के. राय, बापूसाहिब परुलेकर, जायनल अबेदिन, सैयद मसूदल हुसैन, ई. के. इम्बीचीबाबा, विजय मोदक, पी. के. कोडियन, अजय विश्वास, गदाधर साहा, एम० एम० लारेंस, एम० रामन्ना राय, पलाश बर्मन, आनन्द पाठक, सुशील भट्टाचार्य, हन्नान मोल्लाह, अजित बाग, ए० के० बालन और डा० सरदीश राय ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री विजय कुमार यादव : मैंने इन संशोधनों में कई बातों का जिक्र किया है। ··· (व्यवधान)···मेरे सभी पवाइंट्स कवर हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय बिश्वास। (व्यवधान) जब संशोधन पेश किए जाते हैं तो व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता है।···(व्यवधान) मैं व्यवस्था के इस प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बिश्वास।·· क्या आप बोलेंगे या मैं अगले वक्ता को बुलाऊं ?···

श्री भोगेन्द्र झा। ··· आप भी नहीं बोलेंगे ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है—कि प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को रद्द करता हूं।
अब मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंठ 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नए खंड 9-क के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"9-क यदि कोई नियोजक उस राज्य की सरकार की अनुमति के बिना, जिसमें वह स्थापना स्थित है, प्राकृतिक विपत्ति से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी आवश्यक सेवा संबंधी किसी स्थापना को बन्द करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या एक लाख रुपये के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।" (291)

श्री सत्य गोपाल मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"कुछ स्थापनाओं में बन्दी का प्रतिषेध करने की शक्ति :

9-क (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट आवश्यक सेवा से संबधित किसी स्थापना में बन्दी का प्रतिशेध कर सकेगी ;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी में उसे लाने के लिए सर्वाधिक ठीक समझे ;

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश केवल छह मास तक प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो वह उस आदेश को, वैसे ही आदेश द्वारा, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगी;

(4) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर, —

(क) ऐसे किसी स्थान की जिसके संबन्ध में यह आदेश है, नियोजक कोई बन्दी नहीं करेगा ;

(ख) यदि ऐसे किसी स्थापन के, जिसके सम्बन्ध में वह आदेश है, नियोजक ने ऐसे आदेश के जारी किये जाने के पूर्व या पश्चात् कोई बन्दी घोषित या आरम्भ की है, तो वह अवैध होगी ;

(5) यदि किसी स्थापन का नियोजक ऐसी कोई बन्दी जो इस धारा के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, उसे जारी रखेगा या उसे आगे बढ़ाने में अन्यथा भाग लेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" (317)

रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :—

"9 (क) (1) ऐसे किसी स्थापन का नियोजक जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश लागू होगा किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे स्थापन की नामावली में है, छंटनी नहीं करेगा या छंटनी जारी नहीं रखेगा तथा ऐसी कोई छंटनी या उसका जारी रखना अवैध होगा।

(2) ऐसा कर्मकार, जिसकी छंटनी उपधारा (1) के अधीनअ वैध है, उस समय प्रवृत विधि के अधीन सभी फायदों के लिए हकदार होगा मानो उसकी छंटनी नहीं की गई है।

(3) किसी स्थान के सम्बन्ध में ऐसा नियोजक, जो किसी कर्मकार की छंटनी करता है या छंटनी जारी रखता है, यदि ऐसी छंटनी करना या छंटनी जारी रखना इस धारा के अधीन अवैध है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (377)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पृष्ठ 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"9-क. कोई नियोजक, जो तालाबन्दी, बन्दी और कामबन्दी आरम्भ करता है, कर्मचारियों की पदच्युत, निलम्बन, स्थानांतरण, या छंटनी करता है जो अवैध है या ऐसा करनेमें अन्य नियोजकों की सहायता करता है या उन्हें उद्दीप्त करता है, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत उसके स्वामित्व को समाप्त करना भी है जिसका ठीक-ठीक अर्थ उसके कार्यों से उत्पन्न होने वाली औद्योगिक अशान्ति को रोकने के लिए उसके समुत्थान का बिना प्रतिकर राष्ट्रीयकरण करना होगा।" (433)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या आप बोल रहे हैं ? (व्यवधान) सोमनाथ चटर्जी के कथन के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जयेगा।

श्री रामावतार शास्त्री, मैं आपको भी बुलाऊंगा। (व्यवधान) ·· मैं उत्तेजित नहीं हूं। मैं कभी भी उत्तेजित नहीं होता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मेरे विचार से आप अपने उन दिनों को भूल गये हैं जब आपके मजदूर संघों से सम्बन्ध थे कृपया आप मेरा संशोधन देखिए। कम से कम आपके माध्यम से सदन को मेरे इस संशोधन के पाठ के बारे में जानकारी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसे पढ़ दीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

'यदि कोई नियोजक, उस राज्य की सरकार की अनुमति के बिना, जिसमें वह स्थापन स्थित है, प्राकृतिक विपत्ति से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी आवश्यक सेवा संबंधी किसी स्थापन को बन्द करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या एक लाख रुपये जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।"

महोदय, गृह मन्त्री महोदय, जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, ने इस बात का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया है। श्री स्टीफन अब सदन में उपस्थित नहीं हैं हालांकि इस समय विधेयक पर

खंडवार तथा संशोधनों पर बहस हो रही है। उन्होंने यहां आना उचित नहीं समझा। मुझे याद आया कि वे कहते हैं कि वे मुझे जेल में डाल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जबसे वे संचार मंत्री हैं उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अब लोगों को जेल भेजेंगे। महोदय, किसी स्थापन को बन्द करना बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वे जानबूझ कर की गई अपनी भूलों, गबनों और पैसे को दूसरे कामों में लगाने और अन्य गलत कामों से स्वयं लाभ उठाते हैं। वे कारखाने को बन्द कर देते हैं और चले जाते हैं। कम्पनी रुग्ण हो जाती है; कर्मचारियों को रोजगार के अभाव में सड़कों पर भटकना पड़ता है; भुखमरी का सामना करना पड़ता है। उनमें से अनेक तो आत्म-हत्या कर लेते हैं। उनमें से अधिकांश फेरी लगाने लगते हैं अथवा दैनिक मजदूरों की तरह कार्य करने को बाध्य होते हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोचता है इस प्रकार के अनेक मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं। (व्यवधान) आप आम आदमी की मुसीबतों के बारे में नहीं सोच सकते यही आपकी कठिनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति महोदय, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस समय सभापति नहीं हूं। मैं आम आदमी की हितरक्षा का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद दिलाया था कि बिन्नी मिल और मोहिनी मिल अथवा हिन्दुस्तान पिल्किंगटन और कुमार धूबी को कैसे बन्द किया गया था। क्या किसी ने इन्हें बन्द करने के कारण बताये हैं? अब आप बुद्धिमानी का रवैया अपना रहे हैं। वे तालाबन्दी और छंटनी को नहीं रोकेंगे। स्थापन को बन्द करने के पीछे उद्देश्य यह रहता है कि अन्य कामों पर खर्च किये गये पैसे अथवा गबनों को कानूनी रूप दिया जाये। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जब हमने इस बात को उठाया है तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रमिक संघ के नेता होने के कारण आप स्थापनों की बन्दी को श्रमिक वर्ग की जीत क्यों नहीं मानते अध्यादेश में यह आया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसा नहीं है आपकी इस गलत धारणा के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह आपकी गलतफहमी है। इसमें स्थापना बन्दी को शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : बन्दी नहीं, तालाबन्दी शामिल की गई है।

सोमनाथ चटर्जी : यह हमें मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसे श्रमिक वर्ग की जीत के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें जीत की कोई बात नहीं है। जीत क्या है? हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितने समाज विरोधी तत्वों को जेल भेजा गया? कितने छात्रों, अध्यापकों और श्रमिक वर्ग के आंदोलनकारियों को नजरबन्द किया

गया ? हो सकता है आप अस्थायी रूप से बहुमत में हों। आप इस बात का अनुभव भी कर रहे होंगे मैं जोरदार शब्दों में अपने संशोधन पर विचार करने का आग्रह करता हूं। यदि सरकार के दिल में जरा-सा भी ख्याल है कि वे श्रमिकों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उन्हें इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, श्री वेंकट सुब्बया को 12 बजे से पहले ही प्रस्ताव पेश करना चाहिए था। 12 बजे के बाद वे प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं जबकि सभा प्रायः समाप्तवत हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने संशोधन को पेश करें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं केवल यह चाहता हूं कि स्थापन बन्दी का भी तालाबन्दी और छंटनी के साथ-साथ उपबन्ध किया जाए। यह एक सीधा और सरल संशोधन है और मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्वीकार कर लें और देश के हितों की रक्षा करें।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन छंटनी को रोकने वाला है। ऐसा संशोधन मैंने क्यों पेश किया, मुझे थोड़ा निवेदन करने दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने संशोधन को पढ़ता हूं—

पृष्ठ 6—

पंक्ति 18 के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जाय :—

9 (क) (1) ऐसे किसी स्थापन का नियोजक जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश लागू होगा किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे स्थापन की नामावली में है, छंटनी नहीं करेगा या छंटनी जारी नहीं रखेगा तथा ऐसी कोई छंटनी या उसका जारी रखना अवैध होगा।

(2) ऐसा कर्मकार, जिसकी छंटनी उपधारा (1) के अधीन अवैध है, उस समय प्रवृत्त विधि के अधीन सभी फायदों के लिए हकदार होगा मानों उसकी छंटनी नहीं की गई है।

(3) किसी स्थापन के सम्बन्ध में ऐसा नियोजक, जो किसी कर्मकार की छंटनी करता है या छंटनी जारी रखता है, यदि ऐसी छंटनी जारी रखना इस धारा के अधीन अवैध है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। (357)

यह सवाल पूरे हिन्दुस्तान में बहुत व्यापक है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से मजदूरों की बिना किसी कारण के छंटनी कर दी जाती है और उनको भूखा मरने के लिए सड़कों पर फेंक दिया जाता है। मैं इस सिलसिले में रेलवे का उदाहरण देना चाहता हूं—रेलवे में लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको आप जब चाहते हैं नौकरी से निकाल देते हैं और नयों को ले आते हैं। रेलवे एक सार्वजनिक संस्थान है, कोई व्यक्तिगत या निजी पूंजीपति का संस्थान नहीं है। आपने

पिछले साल बड़े पैमाने पर एन० ई० रेलवे में निर्माण मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने आवाज बुलन्द की तो 55 मजदूरों को नौकरी से भी निकाल दिया और आज तक उनको नहीं रखा गया। मेरा निवेदन है कि यह संशोधन बहुत आवश्यक है तथा इस कानून में रहना चाहिये ताकि छंटनी न सरकारी कारखाने कर सकें और न निजी कारखाने कर सकें।

श्री ए० के० राय : महोदय, दो बातों के बारे में विधेयक में कुछ असंगतियां हैं। एक तो यह है कि यदि श्रमिक गैर-कानूनी हड़ताल पर जाते हैं तो अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है किन्तु गैर-कानूनी तालाबन्दी होती है तो मालिकों के विरुद्ध किसी अनुशासी कार्यवाही की व्यवस्था नहीं की गई है। महोदय, इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि कर्मकारों की तरह मालिकों से भी उनके कारखानों के स्वामित्व को छीन लिया जाना चाहिए। इसका अर्थ उनके कारखाने का राष्ट्रीयकरण करना अथवा बिना मुआवजा दिये उसका अधिग्रहरण करना होगा। दूसरी असंगत बात यह है कि यदि कोई कर्मकार किसी दूसरे कर्मकार को हड़ताल पर जाने के लिए वित्तीय सहायता देता है अथवा उसे हड़ताल पर जाने के लिए उकसाता है तो उस कर्मकार को और अधिक दंड दिया जायेगा। किन्तु यदि कोई नियोजक अथवा संगठन किसी नियोजक को गैर कानूनी तालेबन्दी के लिए उकसाता है तो उसके लिये किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गई है। मेरा यह कहना है कि उनके लिये भी दंड की व्यवस्था की जाये। आप भली प्रकार जानते हैं कि नियोजकों की भी अपनी यूनियनें बनी हुई हैं। आज पूंजीवादियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल कर्मकारों और मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल से अधिक महत्वपूर्ण और कारागर होती है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे इन दो उपबन्धों को मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकार किया जाये। मैं अपना संशोधन पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है ··

उपाध्यक्ष महदोय : नहीं, आप उसे मत पढ़ें। इसका परिचालन हो गया था। उसे सभी ने पढ़ लिया।

श्री ए० के० राय : क्या आपने स्वयं उसे पढ़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, सभी ने पढ़ लिया है। इसे परिचालित किया गया था। क्या मैं इन सब संशोधनों को विधेयक से नये खंड अर्थात् खण्ड 9 (क) को जोड़ने के लिये सभा में मतदान के लिये रखूं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा संशोधन भिन्न है। मैं अन्य सदस्यों के संशोधनों के बारे में नहीं जानता, किन्तु यह भिन्न है और मैं चाहता हूं कि इसे अलग से सभा में मतदान के लिये रखा जाये।

श्री ए० के० राय : क्या मन्त्री महोदय उत्तर देंगे अथवा आप उत्तर देंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रहें। आप सभी बैठ जाइये। वे अब इसका उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया उन्हें सुनें। (व्यवधान) आप चाहते हैं कि वे इनका उत्तर दें और अब आप उनको सुन नहीं रहे हैं, कृपया आप उन्हें सुनें।

श्री जैन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेम्बर साहबान ने अपने संशोधन भी सुनाये और उन पर अपने विचार भी प्रकट किये। मैंने उनको पूरे ध्यान से सुना। मुझे इस बात का भी ख्याल है कि पहले हमारी लेडी-मेम्बर गीता मुखर्जी ने कहा था कि मैंने संशोधनों का उत्तर नहीं दिया। चूंकि समय की कमी है और उनके विचार बहुत कीमती हैं, आपके जो संशोधन हैं वे सत्कार के पात्र हैं, मगर स्वीकार करने के पात्र नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें मन्जूर नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक में एक नया खंड अर्थात् खंड 9 (क) जोड़ने के लिए श्री सोमनाथ चटर्जी के संशोधन संख्या 291 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 6 —

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"५-क (नया) यदि कोई नियोजक, उस राज्य की सरकार की अनुमति के बिना, जिसमें वह स्थापन स्थित है, प्राकृतिक विपत्ति से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी आवश्यक सेवा सम्बन्धी किसी स्थापन को बन्द करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या एक लाख जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।" (291)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ। (27)

मत-विभाजन संख्या : 27 0.37 स० पू०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्री श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला

गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
ममुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतन सिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडु प्रसादराव श्री एम०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्द लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० पी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनावारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधांवी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गौड़ा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, श्री डा० महिपतराय एम०

मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुन्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री रामस्वरूप
राममूर्ति श्री, के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.

सेवस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चेरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसेन, श्री
तिवारी श्री प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाईसाहब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकट सुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 57

विपक्ष में : 169

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग।

विपक्ष में : श्री रामायण राय और श्री पी० नामग्याल।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब मैं नये खंड 9-क को विधेयक में जोड़ने के लिये अन्य सभी संशोधनों को संयुक्त रूप से सभा में मतदान के लिये रखूं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 317 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"कुछ स्थापनाओं में बंदी का प्रतिषेध करने की शक्ति

"9-क (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समाधीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट आवश्यक सेवा से संबंधित किसी स्थापना में बंदी का प्रतिषेध कर सकेगी;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी में उसे लाने के लिए सर्वाधिक ठीक समझे;

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश केवल छह मास तक प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो वह उस आदेश को, वैसे ही आदेश द्वारा, छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी;

(4) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किये जाने पर,—

(क) ऐसे किसी स्थापन की जिसके संबंध में यह आदेश है, नियोजक कोई बन्दी नहीं करेगा;

(ख) यदि ऐसे किसी स्थापन के, जिसके संबंध में वह आदेश है, नियोजक ने ऐसे आदेश के जारी किये जाने के पूर्व या पश्चात् कोई बंदी घोषित या आरम्भ की है, तो वह अवैध होगी;

(5) यदि किसी स्थापन का नियोजक ऐसी कोई बंदी जो इस धारा के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, उसे जारी रखेगा या उसे आगे बढ़ाने में अन्यथा भाग लेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास

तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।" (317)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : विपक्ष में मत देने वाले अधिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी घोषणा कर दी है। आपने इस विषय को उस समय नहीं उठाया। मैं घोषणा कर चुका हूं।

अब मैं एक नया खंड जोड़ने के लिये श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 357 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"9 (क) (1) ऐसे किसी स्थापन का नियोजक जिसके संबंध में ऐसा आदेश लागू होगा किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे स्थापन की नामावली में है, छंटनी नहीं करेगा या छंटनी जारी नहीं रखेगा तथा ऐसी कोई छंटनी या उसका जारी रखना अवैध होगा।

(2) ऐसा कर्मकार, जिसकी छंटनी उपधारा (1) के अधीन अवैध है, उस समय प्रवृत विधि के अधीन सभी फायदों के लिए हकदार होगा मानों उसकी छंटनी नहीं की गई है।

(3) किसी स्थापन के संबंध में ऐसा नियोजक, जो किसी कर्मकार की छंटनी करता है या छंटनी जारी रखता है, यदि ऐसी छंटनी करना या छंटनी जारी रखना इस धारा के अधीन अवैध है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (357)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० 28 0.44 म० पू०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक श्री आनन्द
*पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
राथ, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बंसी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपा सिंधु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा. श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
ईरा अनावारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधांवी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलत सिंहजी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि,
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मक्वाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते श्री, यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमयार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्मिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी

राउत, श्री भौला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बसर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 58

विपक्ष में : 163

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री ए. के. राय और अजित बाग ।

विपक्ष में : सर्वश्री कालीचरण शर्मा, दलबीर सिंह, धर्मदास शास्त्री, रामायण राय, हरिनाथ मिश्र, तारिक अनवर और एस. बी. पी. पट्टाभिरामा राव ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री ए० के० राय द्वारा पेश किये गए संशोधन संख्या 433 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6,—

पृष्ठ 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"9-क. कोई नियोजक, जो तालाबन्दी और कामबन्दी आरम्भ करता है, कर्मचारियों की पदच्युति, निलम्बन, स्थानांतरण, या छंटनी करता है जो अवैध है या ऐसा करने में अन्य नियोजकों की सहायता करता है या उन्हें उद्दीप्त करता है, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत उसके स्वामित्व को समाप्त करना भी है जिसका ठीक-ठीक अर्थ उसके कार्यों से उत्पन्न होने वाली औद्योगिक अशांति को रोकने के लिए उसके समुत्थान का बिना प्रतिकर राष्ट्रीयकरण करना होगा ।" (433)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन सं० 29 0·5 म० पू०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव	गिरि, श्री सुधीर
बालानन्दन, श्री ई०	गोपालन, श्रीमती सुशीला
बर्मन, श्री पलाश	गुप्त, श्री इन्द्रजीत
बसु, श्री चित्त	हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
भट्टाचार्य, श्री सुशील	हन्नान मोल्लाह, श्री
विश्वास, श्री अजय	हसदा, श्री मतिलाल
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन	इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
चटर्जी, श्री सोमनाथ	जटिया, श्री सत्यनारायण
चौधरी, श्री त्रिदिव	झा, श्री भोगेन्द्र
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	कोडियन, श्री पी. के.
दास, श्री रेणुपद	लारेंस, श्री एम० एम०
घोष, श्री नीरेन	महाटा, श्री चित्त
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा	मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेबियर
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगन भाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एम० बी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
ईरा अनाबारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधांवी, श्री भेरावदन
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्रीं ए. सेनापति
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन श्री, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैंयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लक्कप्पा, श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री राजकुमार
मेहता, डा० महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०

नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी०
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एस० एस० संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.
सेवस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंवर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री, विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर

स्पैरो, श्री आर० एस०	वैराले, श्री मधुसूदन
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०	वर्मा, श्री जय राम
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल	वेंकट रामन, श्री आर०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त	विजयराघवन, श्री वी० एस०
सुन्दर सिंह, श्री	वीरभद्र सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० ए०	व्यास, श्री गिरधारी लाल
तारिक अनवर, श्री	वाघ, डा० प्रताप
तैयब हुसैन, श्री	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
तिवारी, प्रो० के० के०	यादव, श्री रामसिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब	यूसफ, श्री मोहम्मद
तिवारी, श्री नारायण दत्त	जैल सिंह, श्री
टाईटलर, श्री जगदीश	जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 53

विपक्ष में : 168

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड संख्या 10 को लेते हैं। श्री चित्त बसु। मेरे विचार में आप उठने में असमर्थ हैं। क्या आप थके हुए हैं ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 21,—

"बिना वारंट" का लोप किया जाए। (20)

पृष्ठ 6, पंक्ति 20-21,—

"जिसके विरुद्ध युक्ति-युक्त रूप से यह संदेह हो कि उसने" के स्थान पर "जिसने" प्रतिस्थापित किया जाए। (21)

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, ए० के० बालन और अजित बाग।

विपक्ष में : सर्वश्री अरविन्द नेताम, रामायण राय, गुलाम नबी आजाद।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"कोई पुलिस अधिकारी" के स्थान पर "पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 21,—

"बिना वारन्ट" के स्थान पर "वारन्ट जारी किए जाने पर" प्रतिस्थापित किया जाए। (64)

प्रो० रूप चन्द्र पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"कोई" से पूर्व "पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न" अन्तःस्थापित किया जाए। (104)

पृष्ठ 6, पंक्ति 21,—

"बिना वारन्ट" का लोप किया जाए। (105)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 से 22,—

"कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्ति-युक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिमान्य आधार के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा।" (118)

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6 पंक्ति 21,—

"बिनर वारन्ट" के स्थान पर "वारन्ट सहित" प्रतिस्थापित किया जाए। (130)

श्री वसुदेव आचार्य (बंकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"कोई" से पूर्व "अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न" अन्तःस्थापित किया जाये। (141)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"इस अधिनियम के अधीन अपराध असंज्ञेय होगा"। (170

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 20 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस बात के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, इस मामले में अधिकारित रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये वारन्ट से ही गिरफ्तार कर सकेगा।" (171)

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 2o से 22, —

"किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्ति युक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये वारन्ट के अधीन ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रथम दृष्टया दोषी हो।" (197)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 22, —

"कर सकेगा" के स्थान पर "नहीं करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (217)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 से 22,—

"किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्ति-युक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकेगा" के स्थान पर "किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रथम दृष्ट्या दोषी है, केवल ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी उस मामले में अधिकारिता हो, जारी किए गए वारन्ट के अधीन गिरफ्तार कर सकेगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (277)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"अधिकारी" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए।

"पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति का न हो।" (292)

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्ति-युक्त रूप से यह संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकेगा।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"इस अधिनियम के अधीन कोई पुलिस अधिकारी विशिष्ट शिकायतों पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और उसे तुरन्त किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।" (318)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"पुलिस अधिकारी" के पश्चात्, "जो जिला पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है" अन्तःस्थापित किया जाए। (332)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"10. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का समुचित सरकार द्वारा की गई शिकायत अथवा उसके प्राधिकार के अधीन के सिवाय संज्ञेय नहीं करेगा।" (355)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"अधिकारी" के पश्चात

"जो उप पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है" अन्तःस्थापित किया जाए। (377)

पृष्ठ 6, पंक्ति 21,—

"बिना वारन्ट" का लोप कर दिया जाए। (378)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 22,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"जैसा कि धारा 8 और धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट है।" (400)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ, 6, पंक्ति 20-21,—

"जिसके विरुद्ध युक्ति-युक्त रूप से यह संदेह हो कि उसने" **के स्थान पर** "जिसने" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (472)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"कोई" **से पूर्व** "उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का" **अन्तःस्थापित किया जाये।** (500)

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 और 22,—

"किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसके इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकेगा।" **के स्थान पर**

"किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट आरोपों पर वारन्ट पर गिरफ्तार कर सकेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को तुरन्त किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।"

प्रतिस्थापित किया जाये। (501)

श्री चित्त बसु : खण्ड 10, यदि आप मुझे पुनः नरम शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति दें तो मैं यही कहूंगा कि यह घातक है। आप जानते हैं कि मुकदमा चलाने या गिरफ्तार करने के लिए एक क्रिया विधि की व्यवस्था है। यहां सरकार बिना वारन्ट जारी किए किसी को भी गिरफ्तार करने की अत्यधिक शक्ति प्राप्त करना चाहती है। कोई भी पुलिस वाला जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकता है। यह केवल साक्ष्य के आधार पर नहीं अपितु केवल सन्देह के आधार पर कोई भी पुलिस का सिपाही किसी को भी बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि पुलिस को अत्यधिक शक्ति दी जाये। मेरे विचार में आप मुझ से सहमत हैं कि पहले भी बहुत अधिक शक्ति का प्रत्यायोजन होता रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि "बिना वारन्ट" और शब्द "जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसने" शब्दों का लोप किया जाये।

श्री एम० रामन्ना राय : इस विधेयक में 'पुलिस अधिकारी' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारन्ट के गिरफ्तारी कर सकता है। मैंने

अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी भी पुलिस को यह शक्ति न दी जाये। अन्यथा एक साधारण सिपाही से लेकर पुलिस महानिरीक्षक तक कोई भी अधिकारी बिना वारन्ट के गिरफ्तारी कर सकेगा और यह बहुत ही गलत होगा। अतः मैं यह संशोधन रखता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न कीजिए। (व्यवधान)*

श्री मुकुन्द मण्डल : खण्ड 9 पारित नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9 पारित हो चुका है।

श्री मुकुन्द मंडल : खण्ड 10 द्वारा बिना वारन्ट गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। यदि वारन्ट जारी नहीं किए जाते तो गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों का पता नहीं चलेगा। खण्ड में यह भी उपबन्ध किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को भी केवल सन्देह के कारण गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए मेरा संशोधन यह है कि "बिना वारन्ट" के स्थान पर "वारन्ट जारी किये जाने पर" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें, ताकि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण पता चल सकें।

प्रो० रूप चन्द पाल : इसी सभा में हमने पुलिस के कार्यों की अनेक बार चर्चा की है जिसकी प्रवृत्ति और पृष्ठभूमि साम्राज्यवादी है तथा जन-विरोधी है। मेरा संशोधन है कि "किसी पुलिस अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "जो पुलिस अधीक्षक पद से छोटा न हो" शब्द जोड़े जायें।

हम अपने आपको सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। एक हत्यारे को भी अपने बचाव का अवसर दिया जाता है। परन्तु एक कार्मिक को, जोकि न्याय संगत उद्देश्यों के लिए कुछ कार्य करता है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार करके दंड दे दिया जाता है। अब भी गृह मंत्री के पास अवसर है कि वह इसे वापस लें तथा मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरा सशोधन यह हैं कि "अधिनियम के अन्तर्गत" शब्दों के बाद "वैध आधार के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। यह सरकार लोकतंत्र की विनाशक तथा हत्या करने वाली है। केन्द्र में कांग्रेस (आई) सरकार ने लोकतत्र के झंडे को धूल में मिला दिया है। विपक्ष के हम लोगों, विशेषतः वामपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र के झंडे को धूली से ऊपर उठा लिया है तथा उसे अपने हाथों में उठाये हुए घूम रहे हैं। हम तब तक लोकतंत्र के झंडे उठाये रहेंगे जब तक हम उसे लाल किले पर फहरा नहीं देते। मेरा निवेदन है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या न करे। मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करके लोकतंत्र की रक्षा करें। आप कतई लोकतंत्री नहीं हैं।

श्री सत्यनाराण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन नम्बर 131 में "बिना वारन्ट" के स्थान पर "वारन्ट सहित" किया जाय, यह कहा है। बिना वारंट के कोई भी किसी को सोते में जागते में, खुशी या गमी के मौके पर गिरफ्त में ले ले, उसे गिरफ्तार कर ले यह कोई

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उचित बात नहीं होगी। इसलिए इस बात की गम्भीरता को समझना चाहिए। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी मौके पर किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर ले यह बहुत ही जुल्म और ज्यादती होगी। इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम उसने क्या अपराध किया है इसकी सूचना दिए बिना कोई भी किसी को गिरफ्तार न करे, यह मेरा अमेंडमेंट है।

श्री अजय विश्वास : यह अत्यन्त गम्भीर बात है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी कार्मिक को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है। इसे सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। मेरा संशोधन है किसी भी व्यक्ति को क्षेत्राधिकार रखने वाले मेजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किये गये वारन्ट पर ही गिरफ्तार किया जाये, तथा यह कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के ही विरुद्ध की जाये जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रथम दृश्य अपराध किया हो।

श्री वसुदेव आचार्य : खण्ड दस में पुलिस को अधिक शक्तियां दी गई हैं। कोई भी पुलिस का सिपाही किसी भी कार्मिक को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है। मेरा संशोधन है कि केवल वही पुलिस अधिकारी जिसकी पदवी पुलिस अधीक्षक से कम न हो, किसी कार्मिक को गिरफ्तार कर सके। 'बिना वारन्ट' शब्दों को निकाल दिया जाये।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : यह उपबन्ध अधिक दमनकारी है। हड़ताल में भाग लेने वाले, उसमें सहायता देने वाले, उसका समर्थन करने वाले को केवल सन्देह होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इस अधिनियम में हड़ताल में भाग लेना दण्डनीय अपराध बताया गया है। हड़ताल करने का अधिकार वैध तथा मूलभूत अधिकार है। इस उपबन्ध को दण्डनीय नहीं माना जाना चाहिए तथा संबद्ध व्यक्तियों पर मुकदमा साधारण अदालतों में ही चलाया जाये तथा मुकदमे की कार्यवाही संक्षेप में की जाये।

श्री सुधीर गिरि : अब पुलिस अधिकारियों को असीमित शक्तियां दी गई हैं। हमारा अनुभव हमें बताता है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया था। अतः किसी भी पुलिस अधिकारी को इतनी असीम शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें।

दूसरी बात यह है कि पुलिस अधिकारियों को बिना वारन्ट किसी को गिरफ्तार करने के अधिकार दिये गये हैं। अतः गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण नहीं बताये जायेंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अनुदेश दिया जाता है, तो पुलिस को उसे गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को कारण अवश्य बताने चाहिएं।

श्री अमर राय प्रधान : यद्यपि मुझे अपने संशोधन को स्वीकार किये जाने की कोई आशा नहीं है, तथापि मैं अपना कर्त्तव्य निभाना चाहता हूं। मेरा पुलिस के बारे में अनुभव अत्यन्त दुःखद रहा है। विधेयक की शब्दावली के अनुसार पुलिस का कोई भी सिपाही केवल मात्र सन्देह होने पर किसी भी कार्मिक को गिरफ्तार कर सकता है तथा यह उपबन्ध घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस भयानक कार्यवाही को रोकने के लिए मेरे संशोधन को, अर्थात् "पुलिस अधिकारी"

के स्थान पर "कोई पुलिस अधिकारी, जिसका पद पुलिस अधीक्षक के पद से छोटा न हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें, स्वीकार कर लिया जाये।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : किसी भी पुलिस अधिकारी को इतनी अधिक शक्ति न दी जाये कि वह किसी भी कार्मिक को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सके। इस तरह का कानून सभ्य समाज में नहीं, जंगल में ही चल सकता है। यह गिरफ्तारी मात्र सन्देह पर की जा सकती है। इसे इस रूप में पारित नहीं होने दिया जाये।

श्री ए० के० राय : इस देश की प्रथा है कि पुलिस नियोक्ता के प्रति अधिक नम्र तथा कार्मिकों के प्रति सदैव अधिक कठोर रहती है। इसलिए मैं पुलिस अधिकारियों को अधिक शक्ति देने का विरोध करता हूं, चाहे उक्त अधिकारी निरीक्षक हो अथवा अधीक्षक हो, मैं इस पर महत्व नहीं देता। परन्तु मेरा कहना यह है कि इस शक्ति का उपयोग ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध ही किया जाये जिन पर खण्ड 8 और 9 के अधीन अपराध करने का युक्तिसंगत सन्देह हो। इस शक्ति का उपयोग केवल खण्ड 8 और 9 में उल्लिखित अपराधों के मामले में ही किया जाये। इसका उपयोग केवल इन दो खण्डों में उल्लिखित अपराधों से संबद्ध व्यक्तियों के मामले में ही किया जाये। अतः मेरा संशोधन आसानी से माना जा सकता है।

श्री बिजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी यही संशोधन दिया है कि यह जो रीजनेबल सस्पिशन के आधार पर गिरफ्तार करने की बात की गई है और गिरफ्तार करने का भी अधिकार पुलिस को बिना वारंट के दिया गया है और रीजन भी उसी से उम्मीद की जाती है जो आज तक अनरीजनेबल ही रहा है। यह जो दो पावर दी जा रही हैं इसका सिवाय मिसयूज के और कोई बात नहीं होगी। इसलिए यह जो संदेह पर गिरफ्तार करने की बात कही गई है इसको ओमिट करने का अमेंडमेंट मैंने दिया है।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेम्बर साहबान ने बहुत अमूल्य विचार दिए और मैंने उनको बहुत गौर से सुना और विचारा भी, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि इस बिल की कोई चमक दमक नहीं रहेगी अगर इन पुरजों को उसमें डाल दिया जाय। ये गाड़ी खराब कर देंगे क्योंकि ये उसमें फिट इन नहीं करते। इसलिए मैं उनको परवान नहीं कर सकता।

एक आनरेबिल मेम्बर तो बहुत गुस्से में आ गये। मैंने एक दफा पहले भी प्रार्थना की थी और आज भी करता हूं— गुस्सा और अकल का एक ही खाना होता है, अकल रहे तो गुस्सा नहीं आता गुस्सा आ जाये तो अकल नहीं रहती। वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हमको कहा गवर्नमेन्ट डेमोक्रेसी की घातक नहीं है, डेमोक्रेसी के सुनहरे उसूलों का खत्म करने वाले लोगों की घातक है। इसलिये आपको यह बात ध्यान में रख कर आगे से बात करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 10 पर सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 30

1.15 म० पू०

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री, सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणु पद
घोष, श्री नीरेन
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा. श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
घोटे, श्री जाम्बुबंत
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतू भाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगों, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
*हसदा, श्री मतिलाल
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैंयूर भूषण, श्री

*गलती से 'विपक्ष में' के लिए मतदान किया।

किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोती लाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के०

रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो० के. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
बाघ, डा. प्रताप
चासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतदान का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 54
विपक्ष में : 167

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

1. *निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया ।

पक्ष में : सर्वश्री ए० के० राय, ए० के० बालन, अजित बाग और मतिलाल हासदा ।

विपक्ष में : श्री रामायण राय ।

2. खंड 10 पर मत-विभाजन का परिणाम सभी संशोधनों पर लागू है ।

मत-विभाजन सं० 31 1.21 म० पू०

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा. कृपा सिंधु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा. श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर, सिंह श्री

पक्ष में

दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
घोटे, श्री जाम्बुबंत
ईरा अनावारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधांवी, श्री भैरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गोडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेजा, श्री दौलत सिंहजी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि,
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पटेल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री रामस्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता

राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओवुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
स्पैंरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तिवारी श्री प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाईसाहब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकट सुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील

विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल , प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राउत श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 162
विपक्ष में : 56

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया:—

पक्ष में : सर्वश्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर), रामायण राय, हरिहर सोरन।
विपक्ष में : श्री ए. के. राय, श्री अजित बेग ।

खण्ड 11

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"संक्षिप्त शब्द" का **लोप किया जाये।** (22)

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32,—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**—

"दोषसिद्धि पर अभियुक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध अगले उच्चतर न्यायालय में अपील करने का हकदार होगा और अपील करने पर दोषसिद्धि आदेश निलम्बित हो जाएगा।" (27)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24 से 28,—

"इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का कोई ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध ऐसे विचारण की यावत्शक्य लागू होंगे" **के स्थान पर** "इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय करेगा" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (86)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 29 से 32 **का लोप किया जाए।** (87)

प्रो० रूप चन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 25-28,—

"कोई ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध ऐसे विचारण को यावत्शक्य लागू होंगे" के स्थान पर "कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (108)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"संक्षिप्त विचारण" **के स्थान पर** "समन मामले के रूप में विचारण" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (172)

पृष्ठ 6, पंक्ति 26 से 28,—

"और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध ऐसे विचारण को यावत्शक्य लागू होंगे" का लोप कर दिया जाये। (173)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 23-28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जायेगा।" (218)

श्री अमर राय प्रधान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 28,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त अगले उच्च न्यायालयों को दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करने का हकदार होगा तथा अपील किये जाने पर दोषसिद्धि का आदेश निलम्बित रहेगा।" (293)

श्री इन्द्रजीय गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 28—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और दोषसिद्धि पर अभियुक्त ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध अगले उच्चत्तर न्यायालय को अपील करने का हकदार होगा।" (379)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"अधिनियम" के पश्चात्

"की धारा 8 और 9"

अन्तःस्थापित किया जाए। (401)

श्री ई० बालानन्दन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 23 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"11. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम वर्ग के किसी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्धों के अधीन करेगा।" (402)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 29,—

"संक्षिप्त" का लोप कर दिया जाए। (474)

श्री चित्त बसु : उपाध्यक्ष महोदय, घातक विधेयक प्रस्तुत किए जाने का यह दूसरा अवसर है। यह विशिष्ट खंड उस प्रतिक्रिया ढांचे से हमारे देश के कामगारों को वंचित करता है जो अन्य नागरिकों को उपलब्ध हैं।

यहां पर यह कहा गया है कि एक कामगार पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जायेगा और आपराधिक दंड संहिता में लिखित अन्य सभी प्रक्रियाओं पर विचारण नहीं किया आएगा। जैसा कि आप जानते हैं अन्य समाज विरोधी तत्व मुनाफाखोर, चोरबाजारी करने वाले आदि भी हैं। (व्यवधान) वे समाज विरोधी तत्व, आर्थिक अपराधी भी प्रक्रिया संबंधी लाभों का लाभ उठाते हैं। परन्तु कामगारों के मामले में, आप उन्हें इस अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं और आप कामगारों को अपना बचाव करने के अधिकार से भी इनकार कर रहे हैं। उन्हें बचाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए, यह बहुत ही घातक उपबन्ध है और मैं चाहता हूं कि "संक्षिप्त" शब्द का लोप कर दिया जाए।

श्री रामायण राय : यह एक ऐसा कानून है जो किसी को भी नजरबन्द कर सकता है और इसी कारण मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इस कानून के उपबन्धों के अनुसार एक पुलिस सिपाही भी किसी भी व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है, अब मुकदमा भी संक्षिप्त मुकदमा है। मेरा निवेदन है कि यदि एक पुलिस सिपाही बिना बारंट के गिरफ्तार करता है और संक्षिप्त मुकदमें का मतलब अपराधी को अपने बचाव का समुचित और आवश्यक अवसर नहीं देना है, तो कम से कम उसे अपील करने के अधिकार का उपबन्ध तो होना ही चाहिए। अतः मेरा संशोधन है "दोषसिद्धि होने पर अभियुक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध अगले उच्चत्तर न्यायालय में अपील करने का हकदार होगा और अपील करने पर दोषसिद्धि आदेश निलम्बित हो जाएगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा अनुपस्थित हैं। श्री रूप चन्द पाल।

श्री रूप चन्द पाल : संक्षिप्त मुकदमा तानाशाही का सबसे विकृत रूप है। एक स्वतंत्र देश में उस तरफ सभी निर्वाचित सदस्य, मंत्रीगण, स्वयं गृह मंत्री संविधान के प्रति शपथ से आबद्ध हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराता है। (व्यवधान) यह संक्षिप्त मुकदमा हिटलर और मुसोलिनी की याद ताजा कराता है। अतः मेरी गृह मंत्री से इस स्थिति में भी यह अपील है कि "संक्षिप्त रूप से" कृपया मेरे संशोधन को अस्वीकार न करें और संक्षिप्त मुकदमे के उपबन्ध को हटाने के लिए मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इसमें 'संक्षिप्त' मुकदमा का उपबन्ध है। इसका मतलब है कि कोई बारंट नहीं। अर्थात् कोई वकील नहीं कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। यह फासिस्टवादी

तरीका है। (व्यवधान) अतः इसके विरोध में कामगार लोग, किसान और सभी लोकतांत्रिक लोग अन्त तक संघर्ष करेंगे और इस सरकार को भारतीय महासागर में फेंक देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं चूंकि हम देखते हैं कि रौलेट अधिनियम के बाद, स्वतंत्र भारत में भी, इस प्रकार के उपबन्ध हमारी सांविधिक पुस्तक में शामिल किए जा रहे हैं। इस देश की सांविधिक पुस्तक को दूषित किया जा रहा है। घृणित कानून तैयार करने के लिए इस संसद का उपयोग किया जा रहा है, जिसके बारे में राष्ट्रपिता—जिनकी विशेष अवसरों पर ही उनके ऊपर याद की जाती है।

रौलेट एक्ट जैसे हानिकर विधान के विरुद्ध वह लड़े थे, देश लड़ा था और वही रौलेट एक्ट उन्हें प्रेरणा दे रहा है और उन्होंने उसे इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया है। अतः मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं—वह अब जाग गये हैं—वह इस पर विचार करें। कम से कम इसे सम्मान का मामला बनाइये और न्यूनतम अवसर प्रदान कीजिए। सन्देह के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार के बाद संक्षिप्त विचारण होगा, जो कि निष्पक्ष विचारण और अभियोजन के ढोंग की समाप्ति के सिवाय कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है कि विधि मन्त्री महोदय परिवर्तन हेतु कुछ कानूनी सलाह, उचित कानूनी सलाह देंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पाया है कि जो कुछ मैंने कहा है आप उससे प्रभावित हैं। कृपया, अपना प्रभाव दिखाइये और उन पर जोर डालिये कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सुधीर गिरि : मैं संक्षिप्त विचारण के बिल्कुल विरुद्ध हूं, क्योंकि हम लोकतन्त्र चाहते हैं और लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए हम कठिन संघर्ष करते रहे हैं विद्यमान कानून के उपबन्धों के अधीन हर किसी को सुनवाई का कम से कम अवसर तो दिया ही जाना चाहिए। आखिरकार इस असाधारण उपबन्ध को क्यों बनाया जा रहा है? मैं इसका विरोध करता हूं और अपना विरोध प्रकट करने के लिए मैं यह संशोधन लेकर आया हूं।

श्री अमर राय प्रधान : यदि मैं गृह मन्त्री महोदय से कहूं कि वे फासिस्ट हैं तो वह क्रोध में आ जायेंगे। परन्तु इस विधेयक में संक्षिप्त विचारण का जो उपबन्ध सम्मिलित किया गया है वह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। यह तो केवल जंगल के शासन के लिए ही उपयुक्त है। जैसा कि विदेश मंत्री महोदय जानते हैं और जैसा कि गृह मंत्री महोदय भी जानते हैं, बंगला देश में 30 वर्ग मील में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन्हें भारतीय क्षेत्र कहा जाता है, यहां पर एक लाख लोग जंगल के शासन के अधीन जीवन-यापन कर रहे हैं; यदि संक्षिप्त विचारण वहां पर हो तो इस बात की सम्भावना भी है और यह बात समझ में भी आती है। परन्तु यहां जब हम लोकतन्त्र की बात कर रहे हैं तो यहां इसको लागू करना उचित नहीं है। अतः, इस अन्तिम क्षण में भी, मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें, अर्थात्,

पृष्ठ 6, पंक्ति 28,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ जाये—

"दोषसिद्धि पर अभियुक्त दोषसिद्ध के विरुद्ध अगले उच्चतर न्यायालय में अपील करने का हकदार होगा और अपील करने पर दोषसिद्धि आदेश निलम्बित हो जाएगा।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यदि मन्त्री महोदय का ध्यान पहले नहीं दिलाया गया है तो मैं उनका ध्यान कल समाचार-पत्रों में छपे उस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं और बड़ा ही विचित्र संयोग है कि एक ऐसा ही कानून अभी-अभी अक्षिण-अफ्रीका में भी सभी जगह लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत अवैध हड़ताल करने वाले लोगों को सन्देह में बिना वारन्ट गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके बाद उन पर सक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। श्री बोथा का शासन भी इस प्रकार का कानून लेकर आया है और कल आपने पढ़ा होगा कि इसके विरोध-स्वरूप दक्षिण-अफ्रीका के सभी मजदूर संघ मिलकर एक हो गये हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि यदि दक्षिण-अफ्रीका जैसे रंग भेद वाले शासन की उच्च संगत में बैठना चाहते हैं और इस बड़े लोक तन्त्र में इसी प्रकार का विधान लाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है कि वे ऐसा करें। परन्तु मेरे विचार से श्री बोथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अन्तर जानते हैं। परन्तु उस सब के बावजूद वे ऐसा करेंगे, ये बातें करेंगे। परन्तु ऐसी उन्नत संगति में जाने से पूर्व उन्हें दो बार सोचना चाहिये।

श्री ए० के० राय : संक्षिप्त विचारण का तो मैं बुरा नहीं मानता हूं। मुझे इस बात की चिन्ता है कि इसका प्रयोग किसके विरुद्ध किया जायेगा। अतः मैंने एक बड़ा ही सरलसा संशोधन प्रस्तुत किया है कि सक्षिप्त विचारण का प्रयोग विधेयक के खण्ड 8 और 9 के अधीन रखे गये अपराधों के विरुद्ध ही किया जाये। केवल उन्हीं अपराधों और विचारणों को जो कि खण्ड संख्या 8 और 9 दोनों में सम्मिलित हैं क्योंकि—महोदय, आपका क्या अनुभव था ? मुझे बताया गया था कि आप एक अच्छे वकील हैं।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो अभी भी हैं।

श्री ए० के० राय : मेरे विचार से अच्छा अभिवक्ता होने के नाते आप जानते हैं कि इस देश में किसी कर्मकार के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 और 110 भी उतनी ही अच्छी है जितना कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाये। धनी लोगों और नियोक्ताओं के लिए यद्यपि गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया जाता है तथापि वे जानते हैं कि किस प्रकार अग्रिम जमानत कराई जाए और किस प्रकार कानून के सभी उपबन्धों से बचा जाए। उनके लिए तो एक मात्र उपचार सक्षिप्त विचारण, सार्वजनिक विचारण और तुरन्त विचारण हैं। यह केवल उन नियोक्ताओं तक ही सीमित होना चाहिए जो अवैध तालाबन्दी, उद्योगों की बन्दी, छंटनी, पदच्युति आदि के दोषी पाये जाएं। यही मेरा संशोधन है।

श्री ई० बालानन्दन : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस खण्ड में संक्षिप्त विचारण की ही बात कही गई है। किसका संक्षिप्त विचारण ?

संक्षिप्त विचारण उन लोगों का जो देश को संपत्ति का उत्पादन करते हैं ? अतः इस खण्ड से बहुसंख्यक श्रमिक प्रभावित होंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया है तथा मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं भी समरी ट्रायल का विरोध कर रहा हूं और यह कह रहा हूं कि इसको खत्म किया जाये। समरी-ट्रायल में जो कुछ दिया गया है, उसमें अपने को डिफैन्ड करने का वाजिब तरीके से मौका नहीं मिलता है। हमारे कानून के अन्दर हर ऐसे व्यक्ति को जिस पर कोई इल्जाम लगाया जाता है, कानून के अन्दर उसको लड़ने का अधिकार होता है। इस प्रावीजन में उसका अपहरण किया गया है, इसकी वजह से इसका मैं विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि इसको हटाया जाये।

श्री जैल सिंह : सभापति महोदय, आनरेबल मेम्बर साहेबान ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि समरी ट्रायल में कुछ लोगों से बेइन्साफी हो सकती है। इन बातों को मैंने बड़े गौर से सुना और विचारा और मैं यह महसूस करता हूं कि···

एक माननीय सदस्य : अफ्रीका वाली बात···

श्रीजैल सिंह : अफ्रीका वाली बात भी इन्द्रजीत गुप्त जी ने बड़े अच्छे ढंग से सुनाई है, उसको भी ध्यान में रखा है।

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आनरेबल मेम्बरों के सुझाव हम फेंक नहीं देंगे। इस बिल के बनने के बाद, एक्ट बनने के बाद इसके रूल्स भी बनेंगे। अगर रूल्स में ऐसे काबू न पाया जाये कि ज्यादा समरी ट्रायल का खतरा है, जब प्रैक्टिकल डिफीकल्टी आएगी और प्रैक्टिस में हम महसूस करेंगे कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उस पर दोबारा गौर कर लेंगे। मगर मैं आज आपके सुझावों को इस बिल में शामिल नहीं कर सकता।

आनरेबल मेम्बर ने कहा कि उन्हें हिटलर और मसोलिनी की याद आ गई है। मैं कहता हूं कि वे महापुरुषों को याद किया करें, वे हिटलर और मसोलिनी की याद क्यों करते हैं। यह ऐसा वक्त नहीं है।

चटर्जी साहब हम पर बड़े महरबान हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि जवाब नहीं मिला। इसका कोई इलाज नहीं होता है। संसार में जो सोया हो, उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागता हुआ सो जाए, उसको कौन जगा सकता है ? अगर वह जान-बूझ कर अपनी अक्ल, दिमाग और चतुरता से यह स्टेटमेंट दे दें कि हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। केले के वृक्ष में पत्ते ही पत्ते होते हैं, बीच में कुछ नहीं निकलता है। कुछ बड़े अच्छे एडवोकेट होते हैं, उनकी भी यही बात होती है। जैसे केले के वृक्ष में पात पात में पात, वैसे ही श्री चटर्जी की बात बात में बात—उसमें से निकलता कुछ नहीं है। एक ही बात को हेरा-फेरी करके दूसरे लफ्जों में फिर कह देते हैं।

आनरेबल मेम्बर ने इसको रौलट एक्ट कहा। बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने इतने समय आजाद रहने के बाद उसको याद किया। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई है। वह कानून तो विदेशियों ने हिन्दुस्तान को गुलाम रखने के लिए बनाया था। हम यह कानून हिन्दुस्तान की उन्नति, तरक्की और बेहतरी के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए लाये हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें को-आपरेशन दें।

एक मेम्बर साहब ने कहा कि यह कानून हम को पकड़ने के लिए बनाया गया है। वे ऐसा क्यों सोचते हैं? वे लोगों को इन्स्टीगेट न करें, हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे। अगर उनका इरादा है कि कोई न कोई दंगा खड़ा करना ही है, तो फिर वे इसमें आ ही जायेंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी के साथ बेइन्साफी न हो।

यह भी कहा गया है कि यह सरकार इमर्जेन्सी की तरफ जा रही है। इमर्जेन्सी की तरफ जाने की क्या जरूरत है? हम वह गलती नहीं करेंगे कि आपको जेलों में रख कर खाना खिलाएं, देख-भाल करें और पहरा दें। आप जहां चाहें घूमते रहें। हां, आप जरूर यह चाहते हैं। आप दक्षिण अफ्रीका के कानून की बात करते हैं। आपका यह इरादा हो सकता है कि हम मजदूरों को भड़काएंगे, उन्हें हमारे खिलाफ करेंगे। इसीलिए आपने हमारे विचारों पर कम ध्यान दिया है। लेकिन यह तो जनता की कचहरी में जाएगा। हम जनता के भेजे हुए नुमाइन्दे हैं। यह महान् हाउस है, इसका बड़ा आदर और सम्मान है। मुल्क के लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके बारे में फैसला करेंगे। (व्यवधान) आपका ख्याल है कि आपकी कैनवैसिंग का हम पर असर हुआ है। उसी तरह मेरा ख्याल है कि मेरी कैनवैसिंग का आप पर असर हुआ है। आप इतनी बहादुरी के साथ बोल रहे हैं। इस तरह बार-बार डिफीट खाना बड़ी हिम्मत की बात है, नहीं तो आदमी घबरा जाता है। मैं आपकी दिलेरी की दाद देता हूं। मुहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। आपको इस बिल के साथ मुहब्बत हो गई है। इसीलिए आप इसकी हर एक क्लाज को, एक-एक लाइन को, बड़े प्यार से देख रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमने जो मामला उटाया है उसे बनाये जाने वाले नियमों के समय ध्यान में रखा जायेगा।

लेकिन नियमों को बनाने का उपबन्ध कहां किया गया है? इस विधेयक में नियमों को बनाने की बात नहीं कही गई है। फिर आप इस सब में सुधार कैसे कर सकते हैं? अतः उन्हें फिर से या तो मकवाना महोदय ने अथवा शिवशंकर महोदय ने गुमराह कर दिया है। रूल का यहां इसमें कोई प्रावीजन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए।

श्री जैल सिंह : चटर्जी जी, मैं तो आपकी पहले ही प्रशंसा कर चुका हूं। आप की बात बात में बात है, हम तो पहले ही मानते हैं। लेकिन आपने जरा गौर से देखा होगा, मैंने दो बातें कही थीं कि हम रूल्स भी इसके बनाएंगे उस वक्त भी ध्यान रखेंगे और अगर रूल्स के मुताबिक हम इस खतरे को दूर नहीं कर सके तो प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रैक्टिकल देखने के बाद अगर बहुत खतरा होगा तो उस पर दोबारा विचार कर लेंगे। आपके जो विचार हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 11 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, पहले दीर्घाएं खाली होनी चाहियें ।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं । मैं खण्ड 11 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

(खण्ड 11 के सभी संशोधन पेश किए गए)

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

संक्षिप्त का लोप किया जाये— (22)

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"दोषसिद्धि पर अभियुक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध अगले उच्चतर न्यायालय में अपील करने का हकदार होगा और अपील करने पर दोषसिद्धि आदेश निलंबित हो जाएगा ।" (27)

पृष्ठ 6, पंक्ति 24, से 28—

"इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का कोई ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबंध ऐसे विचारण की यावत्शक्य लागू होंगे ।" **के स्थान पर** "इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय करेगा ।" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (86)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 29 से 32 का **लोप कर दिया जाए** । (87)

पृष्ठ 6, पंक्ति 25 से 28,—

"कोई ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध ऐसे विचारण को यावत्शक्य लागू होंगे ।" **के स्थान पर** "कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा" **प्रतिस्थापित किया जाय** । (108)

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"संक्षिप्त विचारण" के स्थान पर "समन मामले के रूप में विचारण" प्रतिस्थापित किया जाए। (172)

पृष्ठ 6, पंक्ति 26 से 28,—

"और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध ऐसे विचारण को यावत्शक्य लागू होंगे" का लोप कर किया जाए। (173)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 23-28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जायेगा।" (218)

पृष्ठ 6, पंक्ति 28,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"दोषसिद्धि पर अभियुक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध अगले उच्चतर न्यायालय में अपील करने का हकदार होगा और अपील करने पर दोषसिद्धि आदेश निलम्बित हो जाएगा।" (293)

पृष्ठ 6, पंक्ति 28,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और दोषसिद्धि पर अभियुक्त ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध अगले उच्चतर न्यायालय को अपील करने का हकदार होगा।" (379)

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"अधिनियम" के पश्चात

"की धारा 8 और 9"

अन्तःस्थापित किया जाए। (16)

पृष्ठ 6—

पंक्ति 23 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"11. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम वर्ग के किसी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्धों के अधीन करेगा।" (412)

पृष्ठ 6, पंक्ति 29,—

"संक्षिप्त" का लोप किया जाये। (474)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

01·50 बजे

मत-विभाजन सं० 32

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो. रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम. रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पियूष
उन्नीकृष्ण, के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायड़, श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा. कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. बी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
धोटे, श्री जाम्बुवंत
ईरा अनाबारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री जीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए. सेनापति
गौजगिन, श्री एन,
गोडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम

महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोती लाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
निहाल सिंह, श्री
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
पार्थसारथी, श्री पी.
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस.टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल

सावधानी बरतनी चाहिए। अतः उन्होंने संशोधनों का अभिप्राय समझ लिया है। मेरा विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने संशोधनों का आग्रह न करें और स्वयं भी विपक्ष का होते हुए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। सरकार ने संशोधनों का अभिप्राय समझ लिया है गृह, मंत्री जी क्या ऐसा नहीं है ? गृह मंत्री इसे समझ गये हैं। अब 10 बज चुके हैं। अतः क्या आप कृपया सहयोग करेंगे ?

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप हम से कह रहे हैं ·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह निवेदन एक घंटे बाद करूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "एक मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

श्री मुकुन्द मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर

"दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (58)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार रुपए" के स्थान पर

"दो रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए। (59)

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "न्यायालय के उठने" प्रतिस्थापित किया जाए। (75)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"दो हजार रुपए" के स्थान पर "पांच पैसे" प्रतिस्थापित किया जाए। (76)

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या" का लोप कर दिया जाए। (96)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5—

"जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर "5 पैसे के जुर्माने से" प्रतिस्थापित किया जाए। (97)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4-5,—

"जिस की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर "दण्डनीय नहीं होगा किन्तु पांच रुपये का जुर्माना प्रभारित किया जा सकेगा।" प्रतिस्थापित किया जाए। (116)

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करेगा का लोप किया जाए। (126)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"6. यदि कोई व्यक्ति जानते हुये अनुचित हड़ताल को प्रोत्साहित करेगा तो वह जुर्माने से, जो दस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (161)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4, —

"वर्ष" के स्थान पर "सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (162)

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"वह कारावास से, जिसकी अवधि एक दिन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो केवल एक रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।" (192)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, —

खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"6 यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को कर्मकारों पर आक्रमण करने के लिए उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा जिससे उत्पादन में विघ्न पड़े तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" (447)

माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मक्वाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.
मुथु कुमारन, श्री आर.
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री बी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
निहाल सिंह, श्री
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री वेशवराव
पार्थसारथी, श्री पी.
पटेल, श्री शांतुभाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.

रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
स्वामी, श्री के. ए.
तिवारी, प्रो. के. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा. प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल, सिंह श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद

घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्वीचीबावा, श्री ई० के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 156

विपक्ष में : 55

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री रामायण राय और श्री तारिक अनवर।

विपक्ष में : सर्वश्री ए. के. राय, मुकुन्द मण्डल और अजित बाग।

खण्ड 12

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 12 को लेते हैं। अब खण्ड 12 के संशोधन प्रस्तुत किये जाएं।

श्री रूप चन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 35,—

"से असंगत" के स्थान पर "के संगत" प्रतिस्थापित किया जाए। (110)

पृष्ठ 6, पंक्ति 35,—

"होते हुए भी" के स्थान पर "होने पर ही" प्रतिस्थापित किया जाए। (111)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 39,—

"अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी" के स्थान पर "केवल संगत होने पर ही" प्रतिस्थापित किया जाए। (132)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 34,—

"में या उस समय" के स्थान पर "भिन्न तत्समय" प्रतिस्थापित किया जाए। (175)

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

"खण्ड 12" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"12. इस अधिनियम की कोई बात या तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश विधिमान्य नहीं होगा यदि वहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों से असंगत है।" (356)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 34 और 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"के उपबन्ध प्रभावी होंगे बशर्ते कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार हो"। (402)

श्री ई० बालानन्दन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

खण्ड 12 के स्थान पर निम्नलिखिय प्रतिस्थापित किया जाये—

"12. इस अधिनियम के और उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उपबन्ध उस समय-प्रवृत्त देश की विधि के अनुसार प्रभावी होंगे।" (413)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 35,—

"किसी बात से असंगत होने पर भी" के स्थान पर "किसी बात के संगत होने पर ही" प्रतिस्थापित किया जाये । (475)

सभापति महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

प्रो० रूप चन्द पाल : (हुगली) महोदय, निःसन्देह विपक्ष के एक निष्ठावान सदस्यों को छोड़कर इस तरफ के विपक्ष के माननीय सदस्य रोष और आवेश से बोले । अब अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं कुछ समय पहले ऐसा सुनने में आया था कि इस विधेयक के संबध में मंत्रिमंडल में, सत्ताधारी दल में मतभेद था । आप इससे इंकार कर सकते हैं, मैं नहीं जानता । आपको इससे इंकार करने की स्वतंत्रता है । जो कुछ आप इस समय राज्यों में कर रहे हैं, उससे कहीं अच्छा इस प्रकार का मतभेद है । माननीय मंत्री श्री स्टीफन ने कहा था कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समाप्त नहीं कर रहे हैं । मैं अपने संशोधन पर आ रहा हूं । मेरा संशोधन यह है कि जहां पर "अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी" लिखा है, मैं चाहता हूं कि इसमें से 'असंगत' का लोप किया जाए और इसके स्थान पर "केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से संगत होने पर ही" प्रतिस्थापित किया जाए । मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री स्वीकार करेंगे ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी, धारा 12 के सम्बन्ध में मेरा 132वें नम्बर का संशोधन है । इसमें कहा गया है—

"अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी" के स्थान पर "केवल संगत होने पर ही" प्रतिस्थापति किया जाए ।

इसका मतलब यह है श्रम के जितने कानून बने हुए हैं उन सारी बातों से यदि कोई बात मेल न खाए, उन सारे नियमों का पालन न करे, उनको ताक में रखने के बावजूद भी यह कानून प्रभावी हो, इसलिए मेरा कहना है कि हमारे यहां जो श्रम का दर्जा है, मेहनतकश का दर्जा है, उसको नीचे आंका जा रहा है । हमारे श्रम मंत्री जी शायद ऐसी बात प्रकट करने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि यह मजदूरों के हितों के खिलाफ है इसलिए इन सारी बातों को न्याय संगत होने पर ही शामिल किया जाय ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अपने संशोधन की जोरदार पुष्टि करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा नहीं बोल रहे हैं । श्री ए० के० राय ।

श्री ए० के० राय (धनवाद) : औद्योगिक विवाव अधिनियम मूल अधिनियम है । और हाल में नवम्बर, 1980 में जीवन बीमा निगम के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था कि जीवन बीमा निगम अधिनियम भी इस पर अधिभावी नहीं हो सकता है । इसीलिए मैं कहता हूं

कि ऐसे अस्थायी कानून के औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे भूल कानून पर अधिभावी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि :—

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।"

के स्थान पर

"के उपबन्ध प्रभावी होंगे बशर्ते कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार हो।"

प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री ई० बालानन्दन : मैं विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह गृह मंत्री से मेरे संशोधन स्वीकार करने का अनुरोध करें।

सभापति महोदय : श्री विजय कुमार यादव नहीं बोल रहे हैं। अब मैं खण्ड 12 के सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : आप मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए क्यों नहीं कहते ?

सभापति महोदय : अब मैं कह रहा हूं। वह उत्तर देना नहीं चाहते हैं। मैं इसे पुनः रखता हूं। अब मैं खण्ड 12 के सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 34 02·07 बजे

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन	बालेश्वर राम, श्री
अनुरागी, श्री गरेदिल प्रसाद	बरोट, श्री मगनभाई
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.	बरवे, श्री जे० सी०
अराकल, श्री जेवियर	भगवान देव, आचार्य
आजाद, श्री भागवत झा	भक्त, श्री मनोरंजन
आजाद, श्री गुलाम नबी	भोई, डा० कृपासिन्धु
आजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी	भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
दलवीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
देव श्री, संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
धोटे, श्री जाम्बुवंत
ईरा अनावारासु, श्री
गाडगिल, श्री वी. एन.
गधवी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौंडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस. एम.
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के,
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अन्नत रामुलु
मीणा, श्री राम कुमार
मेहता, डा० महिपतराय एम०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस.

मुथु कुमारन, श्री आर.
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी. के.
नायर, श्री वी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नेताम, श्री अरविन्द
निहाल सिंह, श्री
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनंद
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राउत. श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री वी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शिव शंकर, श्री पी.
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के. पी.

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी	टाईटलर, श्री जगदीश
सोरन, श्री हरिहर	वैराले, श्री मधुसूदन
स्पैरो, श्री आर. एस.	वर्मा, श्री जय राम
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.	वेंकटसुब्बया, श्री पी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल	विजयराघवन, श्री वी. एस.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त	वीरभद्र सिंह, श्री
स्वामी, श्री के. ए.	व्यास, श्री गिरधारी लाल
तारिक अनवर, श्री	वाघ, डा. प्रताप
तिवारी, प्रो. के. के.	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
थोरट, श्री भाऊसाहिब	यूसफ, श्री मोहम्मद
तिवारी, श्री नारायण दत्त	जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री वसुदेव	गोपालन, श्रीमती सुशीला
बालन, श्री ए. के.	हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
बालानन्दन, श्री ई.	हन्नान मोल्लाह, श्री
बर्मन, श्री पलाश	हसदा, श्री मतिलाल
बसु, श्री चित्त	इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
भट्टाचार्य, श्री सुशील	जटिया, श्री सत्यनारायण
विश्वास, श्री अजय	कोडियन, श्री पी. के.
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन	लारेंस, श्री एम. एम.
*चक्रधारी सिंह, श्री	महाटा, श्री चित्त
चटर्जी, श्री सोमनाथ	मैत्रा, श्री सुनील
चौधरी, श्री त्रिदिव	मण्डल, श्री मुकुन्द
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	मण्डल, श्री सनत कुमार
दास, श्री रेणुपद	ससुदल हुसैन, श्री सैयद
घोष, श्री नीरेन	महालगी, श्री आर. के.
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा	मिश्र, श्री सत्यगोपाल
गिरि, श्री सुधीर	मोदक, श्री विजय

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

मोहम्मद इस्माल, श्री	राय प्रधान, श्री अमर
मुखर्जी, श्रीमती गीता	साहा, श्री अजित कुमार
मुखर्जी, श्री समर	साहा, श्री गदाधर
पाल, प्रो. रूप चन्द	सेन, श्री सुबोध
परूलेकर, श्री बापूसाहिब	शास्त्री, श्री रामावतार
पाठक, श्री आनन्द	सूरज भान, श्री
राय, श्री एम. रामन्ना	सूर्य नारायण सिंह, श्री
राजन, श्री के. ए.	तिरकी, श्री पीयूष
राजदा, श्री रतनसिंह	वर्मा, श्री रवीन्द्र
रियान, श्री बाजू बन	यादव, श्री विजय कुमार
राय, डा. सरदीश	जायनल अबेदिन, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 152

विपक्ष में : 54

पक्ष में मतदान करने वाले विजयी हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13—(1980 के अधिनियम 41 का संशोधन)।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 13 लेंगे। इस पर श्री ए० के० राय द्वारा पेश किया गया केवल एक संशोधन संख्या 403 है।

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6 और 7,—

खण्ड 13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** –

"13. आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 एतद-द्वारा निरसित किया जाता है।" (403)

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री धर्मदास शास्त्री, रामायण राय, विलास मुत्तेमवार और चक्रधारी सिंह।

विपक्ष में : श्री ए. के. राय और श्री अजित बाग।

महोदय, भ्रांतिपूर्ण अधिकार क्षेत्र रखकर उसमें अनेक कानून बनाना ठीक बात नहीं है। मेरा संशोधन स्वीकारना है। बहुत साधारण। मैं इसे पढ़ रहा हूं।

"13. आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।"

मेरा यही संशोधन है। मेरा मतलब है कि इस सभा ने पिछले वर्ष दुर्भाग्यवश असम अधिनियम बनाया गया परन्तु अधिनियम से असम में किसी आवश्यक सेवा या किसी बात का रख-रखाव नहीं हो सका। हम असम को भारत नहीं बना सके, अब हम भारत को असम बनाने जा रहे हैं और इसीलिए हम अब इस अधिनियम को बना रहे हैं। अतः जब एक बार हमने यह निर्णय कर लिया है कि हम समान अधिनियमों द्वारा पूरे देश को वैसा बनाने जा रहे हैं तो उस अधिनियम को भी बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब हम इस अधिनियम को आवश्यक सेवा अधिनियम कह रहे हैं तो असम अधिनियम, 1980 का निरसन कर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जैल सिंह : जी नहीं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 403 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 35 2.15 म.पू.

पक्ष में

अहमद, श्री कमलालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा० कृपासिंधु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, सी० टी०
घोटे, श्री जाम्बुबंत
ईरा अनावारासु, श्री
गाडगिल, श्री वी० एन०
गधांवी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जेन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री भोगेन्द्र
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्णा, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा० महीपत राय एम०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास

नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, श्री वेशवराव
पार्थासारथी, श्री पी०
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी०वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेठी, श्री अर्जुन
शंकरादन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिंह, देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी.

सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
स्वामी, श्री के. ए.
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
चालन, श्री ए० के०
चालानन्दन, श्री ई०
चर्मन, श्री पलाश
चसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री मोसनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
चाघ, डा. प्रताप
चासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैलसिंह, श्री

विपक्ष में

हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द

परूलेकर, श्री बापूसाहिब	सेन, श्री सुबोध
पाठक, श्री आनन्द	शास्त्री, श्री रामावतार
राय, श्री एम० रामन्ना	सेजवलकर, श्री एन० के०
राजन, श्री के० ए०	सूर्य नारायण सिंह, श्री
राजदा, श्री रतनसिंह	तिरकी, श्री पीयूष
रियान, श्री बाजू बन	उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
राय, डा० सरदीश	वर्मा, श्री रवीन्द्र
राय प्रधान, श्री अमर	यादव, श्री विजय कुमार
साहा, श्री अजित कुमार	जायनल अबेदिन, श्री
साहा, श्री गदाधर	

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 153

विपक्ष में : 55

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 37 और 38 का **लोप किया जाए।** (404)

न केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा वर्तमान अधिनियम में ही अन्तर है, अपितु अध्यादेश तथा इस विधेयक में भी अन्तर है। खण्ड 14 का उपखण्ड (2) इस इकार है :

"ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।"

जब अधिनियम तथा अध्यादेश में ही अन्तर है तो अध्यादेश के अन्तर्गत की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई कैसे समझी जाएगी ? इसीलिए मैं कहता हूं कि इस उप खण्ड (2) का लोप किया जाना चाहिए।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान के भाग लिया:—

पक्ष में : श्री रामायण राय।

विपक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग।

सभापति महोदय : आप श्री सोमनाथ चटर्जी से पूछिए। वह वकील हैं और वह आपको बताएंगे।

श्री ए० के० राय : श्री चटर्जी को आपकी सहायता के लिए क्यों आना चाहिए ? मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं या गृह मन्त्री मुझे बताएं। यदि कोई कामगार तथा कथित हड़ताल में पकड़ा जाता है तो उसे दण्ड दिया जाएगा। परन्तु यदि कोई नियोजक अवैध तालाबंदी के लिए पकड़ा जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यह जटिलता है। इसीलिए आप इस बात को विधेयक में सम्मिलित करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उप-खण्ड (2) को हटा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय द्वारा पेश किए गए खण्ड 14 के संशोधन संख्या 404 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय। प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 36 2.24 म. पू.

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू श्री एस. आर. ए. एस.
अराकल, श्री जेबियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा. कृपासिंधु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. वी.
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.

देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी. टी.
घोटे, श्री जाम्बुवंत
ईरा अनाबारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भैरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतू भाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गोडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा० महिपतराय एम०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, श्री अरविंद
नीखरा, श्री रामेश्वर
पांडे, श्री केदार

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी.
पटेल, श्री शांतुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन.
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजू, श्री पी. वी. जी.
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति श्री, के.
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती सयोगिता
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्डी, श्री के. ओबुल
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वायपा
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सावन्त, श्री टी. एम.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी०
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो के. के.

थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
बाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ई. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई. के.
जटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चंद

परूलेकर, श्री बापूसाहिब	सेन, श्री सुबोध
पाठक, श्री आनन्द	शास्त्री, श्री रामावतार
राय, श्री एम. रामन्ना	शेजवलकर, श्री एन. के.
राउत, श्री के. ए.	सूर्य नारायण सिंह, श्री
राजना, श्री रतनसिंह	तिरकी, श्री पीयूष
रियान, श्री बाजू बन	उन्नीकृष्ण, श्री के. पी.
राय, डा. सरदीश	वर्मा, श्री रवीन्द्र
राय, प्रधान श्री अमर	यादव, श्री विजय कुमार
साहा, श्री अजित कुमार	जायनल अबेदिन, श्री
साहा, श्री गदाधर	

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 154

विपक्ष में : 55

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"आवश्यक" के स्थान पर

"सार्वजनिक उपयोगिता" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 1, पंक्ति 9,—

"तुरन्त" के स्थान पर

"भूतलक्षी रूप से उन तारीखों से जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा," प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"चार वर्ष" के स्थान पर

"एक मास" प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री कार्तिक उरांव और श्री रामायण राय।

विपक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"चार वर्ष" के स्थान पर "चार मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (133)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 और 2, क्रमशः पंक्ति 12-15 और 1-2,—

"उन बातों के सम्बन्ध में प्रभावी रहने के सिवाय, प्रभावहीन हो जाएगा, जो इस अधिनियम के ऐसे प्रवर्तन में न रह जाने के पूर्व की गई या करने से लोप की गई तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस अधिनियम के
1897 का 10 ऐसे प्रवर्तन में न रह जाने पर ऐसे लागू होगी मानो यह तब किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित किया गया हो।"

के स्थान पर

"प्रभावहीन हो जाएगा"

प्रतिस्थापित किया जाये। (143)

श्री सुधीर गिरि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"26 जुलाई, 1981 को" के स्थान पर "उस दिन से, जिस दिन संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाए," **प्रतिस्थापित किया जाये।** (198)

श्री अमरसिंह राय प्रधान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 8 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"परन्तु यह और कि यह उस राज्य को लागू नहीं होगा, जिसका विधान मंडल एक संकल्प पारित करके इसे स्वीकार नहीं करता है।" (285)

श्री ई० बालानन्दन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, और 2,—

क्रमशः पंक्ति 11 से 15 और 1 और 2 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(4) यह उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होती है चार वर्ष के अवसान पर प्रभावहीन हो जाएगा।" (406)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, --

पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(3) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के साथ-साथ इसके उपबन्ध 28 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।" (430)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

'चार वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (431)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 9-10,—

"की धारा 8 और धारा 9 तुरन्त प्रवृत्त होगी और शेष" के स्थान पर "के सभी" प्रतिस्थापित किया जाये। (434)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—

"चार वर्ष" के स्थान पर "साठ दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (435)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12-13, —

"जिसको" के पश्चात् "यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों के न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता और इस पर" अन्तःस्थापित किया जाए। (436)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री चित्त बसु : खण्ड। (4) इस प्रकार है :

"यह उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होती है, चार वर्ष के अवसान पर, यह उन बातों के संबंध में प्रभावी रहने के सिवाय, प्रभावहीन हो जायेगा···"

यहां मैं चाहता हूं कि "चार वर्ष" के स्थान "एक मास" किया जाए। इसका कारण आपको भली-भांति ज्ञात है। आप कारण जानते हैं कि मैं इस कानून के लिए समय को सीमित क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि यह नृशंस है, यह घातक है, यह मजदूर विरोधी है, यह कामगार वर्ग विरोधी है, यह राष्ट्र विरोधी है, यह आत्म समर्पण की तरह है तथा यह जंगल का कानून है। इसलिए इसे सीमित किया जाना चाहिए। हम इसे कुछ समय तक सहन कर सकते हैं। चूंकि श्री जैल सिंह ने इसे सभा के समक्ष लाने में काफी कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए हम इसे एक मास के लिए अनुमति दे सकते हैं।

महोदय, यहां पर तालाबन्दी और अस्थायी छटनी का प्रश्न उठता है। विधेयक की इस विशिष्ट धारा में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 8 और 9 तत्काल लागू होगी। 'तत्काल' का अर्थ उस तारीख से है जिस तारीख को विधेयक पुरःस्थापित हुआ था। परन्तु जैसा कि अब तक हमने समझा है, पिछले वर्षों में तालाबन्दी तथा अस्थायी छंटनी के कारण उत्पादन में अत्यधिक हानि हुई है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, तालाबन्दी की दर 18 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अतः, जैसा कि विधेयक में कहा गया है यदि इसे तत्काल लागू किया जाता है तो जिन फैक्टरियों में तालाबन्दी हो चुकी है, वे इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं अएंगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और इसके क्रियान्वयन की तारीख सरकार द्वारा असाधारण राजपत्र में अधिसूचित की जानी चाहिए और इसके लिए वे मुझसे सलाह ले सकते हैं और हम उस तारीख को निर्धारित कर सकते हैं जिससे तालाबन्दी और अस्थायी छंटनी को अवैध घोषित किया जाए। इसीलिए मैंने अपने संशोधन पेश किए हैं।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, यह विधेयक इस समय आगामी चार वर्षों तक प्रभावी रहेगा। अर्थात्, यह समझते हुए कि यह विधेयक शुक्रवार तक पारित हो जाएगा और यह समझते हुए कि अगले सोमवार तक इसे राष्ट्रपति की सम्मति मिल जाएगी, अर्थात्, यह विधेयक सितम्बर 1985 तक लागू रहेगा। अर्थात्, ऐसे कानून की विरूपता के साथ वे आगामी सरकार को सत्तारूढ़ नहीं होने देंगे। मुझे समझ जाना चाहिए कि इस विधेयक का कार्यान्वयन उनके शासन काल के साथ ही समाप्त होगा। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः मैं इस चार वर्ष की शब्दावली का विरोध करता हूं, परन्तु चूंकि आपने कुछ शब्द दिए हैं, इसके कार्यान्वयन का कुछ समय दिया है, यह अच्छा होगा कि इसे चार मास से अधिक की अनुमति न दी जाए। अतः मेरा संशोधन चार मास के लिए है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि आप भी अपने संशोधन का समर्थन करते हैं?

श्री सुधीर गिरि : महोदय, भारत के लोग शान्तिप्रिय हैं, वे शान्ति से रहना चाहते हैं और वे देश के भरण-पोषण के लिए फसलें उगाना चाहते हैं।

महोदय, सरकार द्वारा यह विधेयक लोगों की इच्छाओं का दमन करने के लिए लाया गया है। मैं चाहता हूं कि खण्ड 8 और 9 के अतिरिक्त इस विधेयक के शेष प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आपात काल की घोषणा वाले दिन से लागू हों और खण्ड 8 और 9 तत्काल लागू हो जाए। इसीलिए मैं यह संशोधन लाया हूं।

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी चर्चा के बाद उद्देश्य स्पष्ट हो गया है। आप मुझसे सहमत होंगे कि इस विधेयक में समझौते, अधिनिर्णय या पंच फैसले के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल एक ही उद्देश्य है। वह क्या है? वह है लाठी, गोली, जुर्माना और जेल आदि सभी चीजें और ये सभी राज्य सूची के विषय हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में मैं, पंक्ति 8 के पश्चात्,—

"परन्तु यह और कि यह उस राज्य को लागू नहीं होगा, जिसका विधान मंडल एक संकल्प पारित करके इसे स्वीकार नहीं करता है।"

अन्त स्थापित करना चाहता हूं।

केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में मैं 'स्टेटसमेन' को उद्धृत करना चाहता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है। यह वामपन्थियों का दृष्टिकोण नहीं है। 'स्टेटसमेन' आज या कल का नहीं अपितु जुलाई, 1980 का है।

"यहां यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि भारत का संविधान स्वरूप संघात्मक और विषय-वस्तु की दृष्टि से एकात्मक है। इस ढांचे में वित्तीय और अन्य सभी महत्वपूर्ण शक्तियां केन्द्र के पास केन्द्रित हैं। परिणामस्वरूप राज्यों के कर्त्तव्य और दायित्व तो हैं परन्तु उन्हें समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। संविधान निर्माताओं ने, जो थोड़ी-बहुत शक्तियां प्रदान की थी वे पिछले 30 वर्षों में निदेशों, संसदीय अधिनियमों, संविधान में परिवर्तन आदि द्वारा छीन ली गई हैं। 'शक्तिशाली केन्द्र' का तर्क देकर केन्द्र ने एक सुनियोजित ढग से राज्य को कमजोर बना दिया है और इस प्रकार संघात्मक ढांचे के सिद्धान्त को क्षति पहुचाई है।"

अतः भारत के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करने की कृपा करें।

पृष्ठ 1, -

पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि यह उस राज्य को लागू नहीं होगा, जिसका विधान मंडल एक संकल्प पारित करके इसे स्वीकार नहीं करता है।" (285)

इसे राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। यदि राज्य विधान मडल बहुमत से ये इच्छा व्यक्त करता है तो यह संबंधित राज्य पर लागू होगा अन्यथा नहीं।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुर) : मैं अपने संशोधनों की पुष्टि करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरे दो संशोधन हैं। वे अहानिकर और बहुत छोटे हैं। एक की संख्या 431 है।

पृष्ठ 1, पंक्ति 12, —

"चार वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (431)

मेरा मुद्दा यह है कि सिद्धान्त रूप से यह सरकार 3½ वर्ष चलेगी। न केवल मध्यावधि चुनाव की आशंका ही है अपितु इसकी निश्चित संभावना है। अतः जो सरकार सिद्धान्त रूप से 3½ वर्ष चलने वाली है उसे केवल एक वर्ष के लिए अधिनियम पारित करना चाहिए।

इसके अलावा, मैं अपना एक तर्क दोहराना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाते समय श्री जैल सिंह ने सभा को बताया था कि हम इसे 20 वर्षों के लिए चाहते हैं। हम पहले दस वर्षों के लिए बढ़ाएंगे और इसका परिणाम देखने के पश्चात् हम इसकी अवधि और दस वर्षों के लिए बढाएगे। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि उन्हें एक वर्ष के लिए इसे पारित करना चाहिए और फिर परिणाम देखकर इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। वे इसे चार वर्षों के लिए पारित नहीं कर सकते जब कि इस सरकार की सिद्धान्त रूप से $3\frac{1}{2}$ वर्ष चलने की संभावना है।

दूसरा मुद्दा है उन पर जुर्माना और हम पर जुर्माना। उनके पास सभी कुछ है। इस अध्यादेश के लिए उन्होंने कहा कि धारा 8 और 9 तत्काल लागू होगी और शेष उपबन्ध 26 जुलाई, 1981 से लागू होंगे।

आपने, संभवतः देखा होगा कि श्रीमती गांधी द्वारा तालाबन्दी पर रोक की घोषणा करने के तत्काल बाद सेन्चुरी रेयन ने नोटिस जारी कर दिया मजदूरी में वृद्धि करने के लिए जब मजदूरों ने औद्योगिक विवाद उठाया तो प्रधान मंत्री द्वारा अधिनियम में तालाबन्दी को सम्मिलित करने के सुझाव के दो दिन बाद ही उन्होंने तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

सरकार ऐसे कानून बनाने में सक्षम है जिनकी पूर्व-व्याप्ति हो। कानून एकदम से प्रवृत हो सकते थे। आपातकाल में चुनाव कानून में पूर्व-प्रभावी संशोधन किए गए थे। अतः मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह विधेयक पूर्व-प्रभावी ढंग से प्रवृत्त होना चाहिए और इसके सभी उपबन्ध 28 जुलाई से प्रवृत्त हों।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मेरा भी यही ख्याल है कि जब मजदूरों के खिलाफ लागू करने की बात कही जाती है तो 26 जुलाई से लागू होगा, लेकिन जहां कारखानेदारों की बात आती है वहां इस कानून के पास होने के बाद लागू करने की बात कहते हैं। इस तरह का जो भेद है इसको दूर किया जाना चाहिए और दोनों को एक ही तारीख से लागू किया जाना चाहिये, जब से यह आर्डिनेन्स निकाला गया है।

4 वर्षों के स्थान पर मैंने 60 दिन रखा है। मैं चाहता हूं कि 60 दिन रखा जाय। इसके अलावा जो मेरे प्वाइन्ट्स हैं, वे कवर हो चुके हैं, इसलिये मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 1 के सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सख्या : 37 2·45 स० पू०

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेबियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नवी
बालेश्वर राम, श्री
बरोट, श्री मगन भाई
बरवे, श्री जे० सी०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एम० बी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
धोटे, श्री जाम्बुवंत
ईरा, मोहन श्री
गाडगिल, श्री वी० एन०
गधांवी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्रीं ए. सेनापति
गोडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन श्री, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कंवर भूषण, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुवंर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०

माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मीणा, श्री राजकुमार
मेहता, डा० महिपतराय एम.
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोरे, श्री रामकृष्ण
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगेयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
नगीना राय, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
पार्थासारथी, श्री पी०
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी. एम.
सेवस्तियन, श्री एस. ए. दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी०
शुक्ल, श्री, विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री बी०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
तिवारी, श्री नारायण दत्त
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकट सुब्बया, श्री पी०
विजयराघवन, श्री बी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी श्रीमती विभा

गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 153

विपक्ष में : 57

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री ए० सी० दास और श्री रामायण राय।

विपक्ष में : श्री ए० के० राय और श्री अजित बाग।

बृहत नाम

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1,—

कि विधेयक के बृहत नाम में

"आवश्यक" के स्थान पर

"सार्वजनिक उपयोगिता" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री चित्त बसु द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 5 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : तृतीय वाचन।

नौ माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं जो 43 की तुलना में कम हैं। अतः प्रत्येक सदस्य 3 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा। श्री नीरेन घोष।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : कृपया मुझे सुनिये और व्यवधान मत डालिए। यह गृह मंत्रालय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे मंत्रिमण्डल के मृत शिशु रूपी विधेयक को उठाने और सभा के समक्ष रखने का कार्य करना पड़ा। उन्हें यह गन्दा काम क्यों सौंपा गया है। मेरे विचार में स्वयं श्रीमती गांधी को इस विधेयक का संचालन करना चाहिए था। भारत जैसे देश में सरकार उन्मत्त होने पर ही ऐसा विधेयक ला सकती है। इससे दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हो सकता है। अतः ज्योंहि यह अध्यादेश जारी किया गया, लाखों लोग सरकार से और दूर हो गये। यह सच है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात को शीघ्र ही महसूस किया और उन्होंने सन्तुलन लाने के लिये एक चलाकी की. एक भद्दी चलाकी की क्योंकि उन्होंने पहली बार खुले रूप से यह कहा कि तालाबन्दी तथा छंटनी दोनों पर प्रतिषेध लगाया जायेगा। उच्चतम न्यायालय चाहे कुछ भी कहे,

बन्दी पर वे कभी भी प्रतिषेध नहीं लगा सकते क्योंकि उनके आका, एकाधिकारी, बिरला और टाटा उन्हें सत्ता से उठाकर फेंक देंगे ।

मैं इस मंच के माध्यम से विश्व श्रमिक महासंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों से अपील करता हूं कि वे खुले रूप से इस विधेयक की निन्दा करें । भारत के श्रमिक वर्ग के लिये कम से कम वे यह तो कर सकते हैं । भारत कोई छोटा देश नहीं है, यह एक विशाल देश है । जब भारत में इस प्रकार की बात हो रही है तो यदि वे उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे तो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करने के दोषी होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, यह तीसरा वाचन है । तीसरे वाचन में, आप केवल यही कह सकते है कि आप पक्ष में हैं अथवा विपक्ष में ।

श्री नीरेन घोष : मैंने अभी अपने पूरे विचार व्यक्त नहीं किये हैं । मैं आधा घन्टा नहीं, कुछ ही मिनट के लिये बोलूंगा ।

इस विधेयक से निष्क्रिय और सुसुप्त श्रमिक वर्ग में राजनीतिक चेतना आई है । अतः इससे हमें यह लाभ ही हुआ है । हमने इस सभा में इस विधेयक का अपने तरीके से विरोध किया है । हमने अपने तरीके से ही संशोधन दिये हैं । किंतु श्रमिक वर्ग और जनता अपने ढंग से इसमें संशोधन करेगी; वे इसका अपने ही ढंग से विरोध करेंगे । उन्होंने ऐसा करना आरम्भ भी कर दिया है । पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार के श्रमिक वर्ग ने तथा सभी लोगों ने काम बन्द कर दिया है और इसका विरोध किया है । यह भारत के श्रमिकों और अन्य सभी लोगों के लिये इस बात का संकेत है अर्थात् एक आह्वान है कि अधिक से अधिक राज्यों में हड़ताल करने के लिये, तथा अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिये तैयार रहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामवतार शास्त्री । आप एक आम भाषण नहीं दे सकते । इस विधेयक का अब तीसरा वाचन चल रहा है । क्या मैं सम्बद्ध नियम पढ़ूं ?

श्री नीरेन घोष : कृपया आप व्यवधान न डालें ।

श्रमिक जान गये हैं कि उनके असली दुश्मन कौन हैं, इस विधेयक के समर्थक कौन हैं—इस विधेयक के समर्थक एकाधिकारी, बहुराष्ट्रीय, आई० एम० एफ० आदि हैं, इस बात को वे जान गये हैं और यह एक अच्छी बात है । अब यह स्पष्ट हो गया है । अतः हमारे विरोधी कौन हैं ? अब अधिक से अधिक श्रमिक इस बात को जान जायेंगे और उनकी आंखें खुल जायेंगी कि यह सरकार ही उनकी असली दुश्मन है । यह एक बहुत अच्छी बात है । आप ही उनमें चेतना जगा रहे हैं और उनकी आंखें खोल रहे हैं । आप अपने ही ढंग से एक नकारात्मक स्वरूप बन गये है । अब इतिहास कहता है कि हमारे विरोधी भारी भूलें कर रहे हैं । यह सरकार की सबसे बड़ी भूल है और इससे, हमें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है । आज श्रमिक वर्ग ऐसी स्थिति में है कि उसे अधिक से अधिक अपनी शक्ति का अहसास हो रहा है और हुआ है । अब उनमें इतनी अधिक चेतना आ गई है कि वे मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं और उन्हें अब यह पता लग रहा है

कि यह एक प्रतिक्रियावादी सरकार है जो प्रगति और विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रही है·····।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण पूरा करें। मैं और अनुमति नहीं दे सकता।

श्री नीरेन घोष : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें। आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। आपको अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करना चाहिये।

श्री नीरेन घोष : मैं अपना भाषण एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। उनके भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

श्री नीरेन घोष : *

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करना चाहिये; तीसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा की अनुमति नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न करें....मैं आप से अनुरोध कर रहा था। मैं सभा की कार्यवाही का संचालन कैसे कर सकता हूं ? श्री घोष, जो भी कहें उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। श्री शास्त्री जी, कृपया आप खड़े हों और अपने विचार व्यक्त करें।

श्री नीरेन घोष : *

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इस मजदूर विरोधी काले कानून का अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध करता हूं। इस बिल के जरिये सरकार ने हिन्दुस्तान के मजदूरों के ऊपर, उनके आंदोलन के ऊपर जोरदार और जबर्दस्त चोट की है। इस विधेयक के द्वारा सरकार ने प्रजातांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है। भले ही आप अपने पाशविक बहुमत के बल पर इस बिल को पारित करवा लें लेकिन बाहर जनता के बीच में लाखों, करोड़ों मजदूरों के बीच में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप सचमुच में समझते हैं कि जनता आपके साथ है; मजदूर आपके साथ हैं तो क्यों नहीं आपने उनकी राय ली ? चूंकि नहीं ली इसलिए साबित होता है कि आप मजदूरों से डरते हैं और मजदूरों ने फैसला कर लिया है कि आप जो भी जुल्म उन पर कर लें, जुल्म बहुत दिन चलता नहीं, सितम बहुत दिन तक चलता नहीं है। मजदूर तैयारी कर रहे हैं इस बिल की होली जलाने के लिए। इसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में डालने के लिये। इसका सबूत आपको 23 नवम्बर, 1981 को मिलेगा। तो जनता का विशाल ज्वार भाटा की तरह आंदोलन उठने वाला है। और उठ चुका है देश में जिसकी मिसाल आपको बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मिल चुकी है और दूसरे राज्यों में भी मिल रही है। तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आखिरी समय में भी बुद्धि से काम लीजिये, दुर्बुद्धि से काम न लीजिये। हम लोग जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या कहते थे ? "सर फरोशी की तमन्ना अब

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।" यही गाना गाते हुए हिन्दुस्तान के मजदूर मैदाने जंग में आपका मुकाबला करेंगे।

आपने धारा 8 और 9 के जरिये लोक आउट, तालाबन्दी पर रोक लगाने की बात कही है, ले ऑफ पर रोक लगाने की बात कही है। अगर आप सचमुच में इन दोनों बातों को अमल में लाना चाहते हैं तो मैं आपका ध्यान बिहार काटन मिल्स लिमिटेड, फुलवारी शरीफ की ओर ले जाना चाहता हूं जो 24 जुलाई से बंद है, वहां लोक आउट है। और अभी हाल में प्रदीप लैम्प वर्क्स, पटना सिटी में लोक आउट किया गया है, सरकार का लाखों रु० उन पर बकाया है। आपका फायदा होने वाला है। इन दो छोटे कारखानों के मालिकों के हाथों में हथकड़ी डालते हैं कि नहीं, इस बिल से आपकी मंशा का पता चल जायेगा। तो अगर आप सचमुच में इस विधेयक को लागू करना चाहते हैं तो दोनो कारखानों को जल्दी खुलवाइये। अगर नहीं खुलवा सकते हैं तो उनको पटना जेल में बन्द करके रखिये। इन शब्दों के साथ मैं फिर जोरदार शब्दों में इस विधेयक का विरोध करता हूं और आपको चुनौती देता हूं कि मजदूर रहेंगे या आप रहेंगे इसका फैसला हो जायेगा।

श्री सुनील मैत्रा : इस विधेयक के पास हो जाने के पश्चात् स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। इस सत्र और अगले सत्र की अवधि के दौरान सरकार मंहगाई-भत्ते को जब्त करने के लिये एक अन्य अध्यादेश लाने वाली है। सरकारी उद्यम ब्यूरो ने एक परिपत्र का प्रारूप तैयार भी कर लिया है जिसे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को भेजा जायेगा कि वे वेतन वृद्धि के बारे में बात-चीत भी आरम्भ न करें।

जुलाई के महीने में ही श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1960 के आधार वर्ष के आधार पर 8 अंकों की वृद्धि हुई है। यह अखिल भारतीय औसत है। यदि कोई देश में हुए आर्थिक विकास को देखे विशेष रूप से आर्थिक, वित्तीय तथा मुद्रा सबधी क्षेत्रों में देखे तो वह निश्चित रूप से कह सकता है कि अगस्त के महीने में मूल्य 10 सूचकांक में और 12 अंकों के बीच अवश्य ही वृद्धि होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ओर तो मूल्य सूचकांक में वृद्धि होगी और दूसरी ओर आप कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से भी वंचित करना चाहते हैं। मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करके आप आम आदमी का जीना दुर्भर कर रहे हैं। आज स्थिति इस प्रका की बन रही है कि जीवन और मृत्यु में अन्तर ही समाप्त होता जा रहा है। और श्रमिक वर्ग के पास बचे हड़ताल करने के विकल्प को भी आप यह विधेयक पास कर समाप्त करने जा रहे हैं। महोदय, जब जनता को यह विश्वास हो जायेगा कि अब जिन्दा रहने का कोई विकल्प नहीं है तब आप उस बात को याद रखे जो मैंने इस विधेयक के पुर:स्थापन के समय कही थी। मैंने उस समय बिल्ली की कहानी कही थी। क्या आपने बिल्ली देखी है? यह अत्यन्त भीरु और पालतू जीव है। किन्तु आप उसे एक कमरे में बन्द कर दें और दरवाजे और खिड़कियां बन्द कर दें और बिल्ली को पीटना आरम्भ कर दें तब आपको पता चलेगा कि बिल्ली गले पर छलांग लगा कर आपको फाड़ कर रख देगी। आप आग से खेल रहे हैं। आज यह शांति-प्रिय श्रमिक वर्ग बिल्लियों की भांति है, आप

उसे शेर मत बनाइये और यदि वे शेर बन गये तब उसके लिये आपको स्वय को ही दोष देना पड़ेगा किसी और को नहीं ।

श्री नगीना राय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एसेन्शियल सर्विसेज बिल सदन के सामने आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज देश की जो हालत है, वह सबको मालूम है । आज भारत की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस भरोसे के साथ गद्दी पर बिठाया है कि फिर से अमन होगा, शांति होगी, इस देश में उत्पादन बढ़ेगा, इन्फलेशन नहीं होगा ।

जो आज उत्पादन में बाधा करते हैं, उनसे निबटने के लिये यह बिल आवश्यक है । जो आज देहातों में अनुचित तौर पर जाने देना नहीं चाहते हैं, आज सरकार को बड़ी फर्म, मजबूती के साथ उनसे डील करना होगा ।

न कसीदे से चलती है, न दोहे से चलती है ।
कारे सल्तनत तो, लोहे से चलती है ।।

इनके साथ आयरन हैंड से डील करके देश में एसेन्शियल सर्विसेज को कायम करना होगा । भारत की जनता आज इन्दिरा जी की ओर ताक रही है, उन्हें रोटी चाहिये, बिजली और पानी चाहिये । जो हिम्मत करके यह लोग कहते हैं, यह मैदान में चलकर जनता के बीच में कहेंगे कि तुम्हें यह चीजें देंगे ?

(व्यवधान)

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, तुलसीदास जी ने कहा था—

जो नहीं दंड देउ खल तोरा ।
भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा ।।

जब तक यह दंडित नहीं होंगे, इनके काले कारनामे सामने नहीं आयेंगे, ये मजदूरों के पसीने की कमाई खाते हैं, उनके टुकड़ों को ये हड़पते हैं, इससे देश का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । इसलिये धिक्कार है कि ये मजदूरों का पैसा खाते हैं, अब इनकी दलाली बन्द होने वाली है, इससे ये घबड़ाये हुए हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, पांसे फेंके जा चुके हैं । हम जानते हैं कि इस विधेयक की स्थिति क्या होगी । इस सभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत है, यह विधेयक पास हो जायेगा । किन्तु मैंने यह आशा की थी कि सत्तारूढ़ दल कम से कम विवेक से काम लेगा । किन्तु मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वे संसद से इस विधेयक को पास करने की जल्दी में क्यों है । माननीय गृह मंत्री जैल सिंह ने कहा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने अथवा उसे बनाये रखने के लिये इस विधेयक की आवश्यकता है । मैं देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने अथवा उसे बनाये रखने के पक्ष में हूं । किन्तु मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि न तो हमारी योजना सम्बन्धी दस्तावेज में और न ही हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारी

आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण यह है कि हमारा श्रमिक वर्ग अपना सहयोग देने में असफल रहा ? छठी योजना और आर्थिक सर्वेक्षण मे यह कहा गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कुछ बुराइयों तथा आधारभूत कमियों तथा अन्य कारणों से बिगड़ी हुई है । किन्तु कहीं पर भी इसका दोष श्रमिक वर्ग को नहीं दिया गया कि उन्होंने सहयोग नहीं दिया अथवा अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया । किन्तु दुर्भाग्य से यहां हम देख रहे हैं कि हमारी सत्तारूढ़ पार्टी तथा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जितनी भी सरकारें आईं वे देश से गरीबी, अशिक्षा और अन्य बुराइयों को मिटाने में असफल रहीं हैं । उस असफलता को श्रमिक वर्ग को दोष देकर छुपाया जा रहा है और श्रमिक वर्ग को सभी बुराईयों के लिये उत्तरदायी ठहराया जा रहा है । आर्थिक संकट जितना बढ़ता जायेगा उतना ही अधिक वे श्रमिक वर्ग को दोष देंगे । वास्तव में ये बडी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम यह चाहते हैं कि हमें यह बताया जाये कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है । वे केवल आत्मपरक मूल्यांकन के आधार पर चल रहे हैं तथ्यों के आधार पर नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने बहुमत से वे इस विधेयक को पास कर सकेंगे । किन्तु क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? यदि आप वास्तव में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य बुराईयों को दूर करना चाहते है तो क्या आप यह सोचते हैं कि श्रमिक वर्गों पर शासन कर आप काम करवा सकते हैं ? आपको इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा । मैं डा० राधाकृष्णन जैसे आपके दल के महान नेताओं के भाषणों से उद्धृत कर सकता हूं; उस प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ ने कहा था कि लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि आप इकट्ठे बैठें, सोचें-विचारें और निर्णय लें । किन्तु आप श्रमिक वर्ग के साथ बैठ कर बातचीत नहीं करते । आप उन पर प्रहार करते हैं । पाप उन्हें बातचीत करने और निणय लेने के लिये आमन्त्रित नहीं करते हैं। गृह मंत्री महोदय, श्री जैल सिंह गरीब लोगों की चर्चा कर रहे थे । उन्होने सरकारी-क्षेत्र के लोगों के बारे में बात की और कहा कि उन्हें पर्याप्त मिल रहा है । आप उन बेरोजगार लोगों की बात क्यों नहीं सोचते जो कि गरीबी – रेखा से नीचे हैं । वह रोजगार में लगे लोगों की बात करते हैं, ठोक है । जहां तक बेरोजगार लोगों की बात है आप उनके पास जाकर कहते हैं, 'प्रसन्न रहिये कि आप कम से कम आप रह तो रहे हैं, हम तो उनके लिए कार्य कर रहे हैं जो कि अभी पैदा ही नहीं हुए हैं ।' और फिर उस पर आप परिवार नियोजन की बात करते हैं । आपका समग्र कार्यक्रम परिवार नियोजन के सिवाय कुछ भी तो नहीं है । यदि आप श्रमिक वर्ग और बेरोजगार लोगों की सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं तो आप समस्याओं को हल करने में असफल रहेंगे । हमारे यहां तो ये पद-दलित और बेरोजगार लोग हैं । आप धनी लोगों और बड़े जमीदारों और उद्योगपतियों के पास क्यों नहीं जाते हैं और उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि कम से कम आप अपने धन का कुछ भाग दलितों के लिए खर्च कीजिए ?

अन्त में मैं यह कहूंगा कि गृह मंत्री महोदय यह कह रहे थे कि उनका जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ और उन्होंने स्वयं परिश्रम किया है । साधारण कृषक परिवार की बात को मैं मानता हूं, और इस बात से खुश हूं, परन्तु उन्होंने श्री सोमनाथ चटर्जी पर यह दोष लगाया है कि उनका सम्बन्ध एक सम्पन्न घराने से है और उनसे पूछा कि आप ये सब बातें कैसे समझ

सकते हैं और इसलिए आप गरीब लोगों के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उनमें मतभेद हैं। मैं यह भी मानता हूं कि उनमें कुछ समानताएं भी हैं। आप दोनों ने ही धोखा दिया है। श्री जैल सिंह महोदय ने तो स्वयं अपने वर्ग को धोखा दिया है और श्री सोमनाथ जटर्जी ने अपने वर्ग को। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं, उन विशेषणों के साथ नहीं जिनका यहां प्रयोग किया जा चुका है यद्यपि मैं उनका स्वागत करती हूं, परन्तु मैं तो एक अतिरिक्त विशेषण के साथ अर्थात् सत्ताधारी दल द्वारा श्रमिक वर्ग को भारी धोखे देने वाला काला अधिनियम इस विधेयक का विरोध करती हूं। मैं ऐसा क्यों करती हूं ? मैं आज प्रातः और पिछले कुछ दिनों के वाद-विवाद को याद कर सकती हूं। शासक दल ने किस चीज का दावा किया है ? उन्होंने दावा किया है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि बुनियादी सुविधाओं संबंधी कठिनाइयां हल की जा रही हैं। उत्पादन में किसके द्वारा वृद्धि होती है ? क्या यह वृद्धि ज्ञानी जैल सिंह द्वारा होती है या मजदूरों द्वारा, क्या यह वृद्धि श्री स्टीफन द्वारा होती है या मजदूरों द्वारा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भी स्टीफन के बावजूद काम कर रहे हैं।

श्री गीता मुखर्जी : यदि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या मजदूरों को, जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की है, यही पुरस्कार दिया गया है ? या आपके दावे मिथ्या हैं और इसी कारण इस विधेयक को रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में लाया जा रहा है ? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। मैं कोई मजदूर संघ का नेता नहीं हूं। परन्तु संसद् में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में मुझे काफी अनुभव हुआ है। पिछले वर्ष मैंने सार्वजनिक क्षेत्र की मद्रास उर्वरक कम्पनी का दौरा किया था। माननीय मंत्री श्री सेठी ने आज ही इस कम्पनी का बड़े शानदार शब्दों में उल्लेख किया है। कम्पनी द्वारा हमें दिये गये एक छपे हुए प्रलेख में मैंने देखा कि एक वर्ष में कार्यदिवसों की क्षति उससे पिछले वर्ष हुई क्षति से अधिक थी। परन्तु जहां तक उत्पादन का संबंध है, मैंने देखा कि जिस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक कार्यदिवसों की क्षति हुई थी उस वर्ष उत्पादन भी अधिक हुआ था। मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णा मेरी बात से सहमत होंगे। इसके कारण के बारे में मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रबन्धकों ने बताया कि कर्मकारों की लम्बे अरसे से चली आ रही शिकायतों को दूर कर दिया गया था इसलिए वे लोग प्रसन्न थे और हड़ताल के पश्चात् हुए समझौते के पश्चात् उन्होंने काफी अधिक उत्पादन किया। इस सम्बन्ध में यह अनुभव हुआ है। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि आप कर्मकारों को डरा धमका कर उनसे हमेशा अधिक उत्पादन नहीं करा सकते, जब उनकी बेइज्जती की जाये, जब उन्हें चोट पहुंचाई जाये और भुखमरी का सामना करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाये तो उनसे अधिक उत्पादन की आशा नहीं रखी जा सकती। उन्हें उत्पीड़न का डर दिखाकर उनसे अधिक उत्पादन नहीं करवाया जा सकता। सत्तारूढ़ दल के समर्थक इस बात को समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ज्ञानी दारा सिंह कहां हैं ? वह मुझे यहां उपस्थित दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन मंत्री महोदय में इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वह सभा में व्यक्त

किये जा रहे विचारों को सुनने के लिए यहां उपस्थित रहें। वह शायद कोई मधुर स्वपन देख रहे थे तभी तो अचानक वे उठ खड़े हुए और गीता बाली का नाम लिया जो युवा दिनों में उनकी प्रिय कलाकार रही होगी। हो सकता है उन्होंने स्वय को शम्मी कपूर समझा होगा। वरना मैं तो एक सामान्य-सी प्रौढ़ महिला हूं। अतः यह तो निश्चित है कि उस समय वह मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। अब मैं इस सन्दर्भ में अलनासकर की एक कहानी सुनाना चाहती हूं। आपने यह कहानी सुनी होगी। अलनासकर ने अपन एक मधुर स्वपन में सोचा कि वह अपनी पत्नी को कैसे मारेंगे और किस तरह से जीत जायेंगे। जब वह स्वपन देख रहे थे तो वह सोच रहे थे कि वह अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, किन्तु उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि उस समय वह अपने मिट्टी के बर्तनों पर प्रहार कर रहे थे जो कि उनकी एक मात्र सम्पत्ति थी। जब वे स्वपन से जागे तो उन्होंने पाया कि बर्तन टूट चुके थे।

मैं यह कहना चाहती हूं कि इस विधेयक को लाकर माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं को ज्ञानी दारा सिंह सिद्ध कर दिया है जो कि इस प्रकार से श्रमिक वर्ग से लड़ाई कर रहे हैं। मैं यह कहती हूं अलनासकर के स्वपन की तरह वह भी सब तहस नहस कर देंगे।

श्रमिक वर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। वे आपको दिखा देंगे कि दिवा स्वपन से कोई सहायता नहीं मिलेगी। यदि किसी उचित उद्देश्य के लिए हड़ताल के लिए उकसाना अपराध है तो मैं इस अपराध को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार करूंगी और ऐसा अपराध करके गर्व का अनुभव करूंगी। यदि हड़ताल करने वाले क्षुधापीड़ित कर्मकारों की एक महिला द्वारा सहायता करना अपराध है तो मैं कहती हूं कि हमारा सम्पूर्ण महिला वर्ग इस अपराध को करने के लिए आगे आ जाएगा। वे गरीबों की सहायता करने की भारतीय परम्परा को नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं कहती हूं कि न मजदूर वर्ग की और न ही किसानों की उपेक्षा की जा सकती है।

अभी समय है। यदि वह चाहें तो इन अवश्यंभावी बातों को देख सकते हैं और अत्यधिक देर के बावजूद इसे छोड़ सकते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक सेवा विधेयक लाते हुए हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त होने से बचाना है और राष्ट्र की भलाई, जन-कल्याण के लिए, अनुशासन लाने के लिए वह इस विधेयक को लाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जन-कल्याण का विषय श्रम कल्याण से सम्बन्धित नहीं है ? क्या श्रमिकों का अहित करके वह कौन सा जन-कल्याण करना चाहते हैं यह वह बताना पसन्द करेंगे ? फिर इसमें आगे कहा गया है कि हड़ताल अवैध घोषित करना ही नहीं, अपितु, ओवर-टाइम को भी करने के लिए किसी भी श्रमिक अथवा कर्मचारी को बाध्य किया जायेगा। क्या हम फिर गुलामी के दिनों में जा रहे है ? हिन्दुस्तान को आजाद हुए कितने साल हुए ? उन सालों से पीछे हिन्दुस्तान की जनता जाना मंजूर करेगी क्या ? मैं ज्ञानी जैल सिंह से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के निर्णय जो उन्होंने लिए हैं, हो सकता है कि अभी वह हुकूमत

में हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जनता के हकूक के साथ कोई खिलवाड़ वह करें और इसलिए श्रमिकों के साथ, मेहनतकशों के साथ, जो रोज मेहनत मशक्कत करके अपनी जिन्दगी का गुजारा करते हैं उनके साथ खिलवाड़ की इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यह जो कानून वह लाए हैं, मेरा कहना है कि अभी तक बहुत से कानून वह लाए हैं, लेकिन आप विधेयकों और कानून से क्या हिन्दुस्तान को सुधार सकते हैं? आप अनेक विधेयक लाये हैं लेकिन उन अनेक कानूनों को बनाने का प्रभाव जो हुआ है वह सारे देश को पता है। जो-जो कानून आप लाए हैं उसके बिलकुल विपरीत प्रभाव उसका पड़ा है। आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे, भ्रष्टाचार और बढ़ा है। आप ब्लैक मनी को खत्म करना चाहते थे, वह ब्लैक मनी बढ़ी है। आप पूंजीपतियों को समाप्त करना चाहते थे, पूंजीपति बढ़े हैं और गरीब और गरीब होते गए हैं। इसलिए इन्सानों के हक और हकूक के साथ किए गए इस अन्याय और अत्याचार का सबक सिखाने के लिए आगे आने वाला समय तैयार होगा। यह काला कानून जो मजदूरों के लिए लाया गया है उसके लिए मजदूर यह कह रहे हैं कि —

"ओ ए हुनरगर हुनर आजमाए।
तो तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं॥"

इसलिए यह जो काला कानून है इस सारे काले कानून का विरोध करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं, ज्ञानी जी कहते हैं कि हम तो बड़ी भलाई के लिए यह करना चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वह जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिस पर वह जाना नहीं चाहते हैं फिर उस रास्ते को बनाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यह है कि इरादे कहीं न कहीं नापाक हैं, कहीं न कहीं बात ठीक नहीं है और ऐसा लगता है कि जो वह सारी पुरानी बातें हैं उस सारे इतिहास को दोहराने के लिए आप तत्पर हैं। अगर आप उसको दोहराना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह सारा काला कानून ऐसी तानाशाही हुकूमत के जनाजे पर लगने वाली आखीरी कील की तरह होगा जो हिन्दुस्तान की जनता को और मेहनतकशों को बेबस और मजबूर बना देना चाहता है इतना कहकर मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान : मैं इस काले विधेयक का विरोध करता हूं। आगे कहने से पहले मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा प्रकाशित 'जलियांवाला बागअ र्द्धशताब्दी' की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं इसका कुछ भाग सभा की सूचनार्थ पढ़ना चाहूंगा। इसमें निम्न बातें कही गयी हैं :—

"भारत ने विश्वयुद्ध (1914-18) में ब्रिटेन की तन, मन, धन से सहायता की इस सहायता के लिए पुरस्कारस्वरूप और सम्बद्ध युद्ध उद्देश्यों में आत्मनिश्चय पर बल देते सहित के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों और घोषणाओं पर विश्वास करते हुए भारत की जनता तथा नेता अपनी सरकार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा होने की आशा कर रहे थे। आपात स्थिति समाप्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा था कि घृणित "भारत सुरक्षा अधिनियम" अब संविधि पुस्तक से हटा दिया जायेगा परन्तु हुआ क्या कि उससे भी ज्यादा दमनकारी और घृणित अधिनियम संविधि पुस्तक में लाया गया।"

यह 'रोलट अधिनियम' है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों के विरुद्ध प्रारम्भ किया गया था। मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे सहमत होंगे कि यह आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 इस रोलट एक्ट की प्रतिकृति है।

जनता ने 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस (इ) के पक्ष में अपना मत दान किया था और कांग्रेस (इ) द्वारा जो कि सत्तारूढ़ दल है उसी प्रकार से इस अधिनियम को लाया गया है जैसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा "रोलट एक्ट" लाया गया था।

मैं इस क्रूर काले श्रमिक विरोधी जन विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी अधिनियम का विरोध करता हूं। आप स्वप्न लोक में हो, अब आप सत्तारूढ़ हो अब आप जन सामान्य के विषय में नहीं सोचते।

आप, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की 3 किश्तों को जब्त करने जा रहे हो॥ इन बातों को रोकने हेतु ही आप इस विधेयक को लाये हैं; परन्तु जनता, श्रमिक वर्ग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

सभा में तो अपने बहुमत के आधार पर आप विधेयक को पारित कर देंगे, परन्तु बाहर वे इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करेंगे। अतः, मैं फिर इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबिल मेम्बर साहबान ने वही बातें कही हैं जो वे पहले कह चुके थे, लेकिन इतना फर्क जरूर था कि नीरेन घोष साहब के बाद बड़े जोश में सभी लोग बोले हैं, ऊंची आवाज में बोले हैं, अपनी ओरेटरी का राब भी दिखा रहे हैं और चेलेन्ज भी दे रहे हैं कि हम मैदाने-जंग में देखेंगे, जनता हमारे साथ आयेगी। नीरेन घोष साहब यह भी कहते हैं कि मैं मजदूरों से अपील करता हूं कि वह उठें। इसका मतलब है कि इन्स्टीगेटर आप ही हैं, आप मजदूरों से क्यों अपील करते हैं—आप खुद आइये और देखिये आप खुद अवाम के साथ कहां तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते (व्यवधान)·· इसका निबटारा जनता करेगी कि कौन गरीबों का हिमायती है और कौन दूसरों का हिमायती है। आज भी हिंदुस्तान में 48 फीसदी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनके पास·· (व्यवधान)·· क्या कुर्सी में कांटे लगे हुए हैं जो बार-बार उठते हैं? मैंने आपका बड़ा अदब किया, सत्कार किया और उसके बदले हम ने सुन लिया जो कुछ आपने कहा। अब सब्र कीजिये और मेरी बात को सुनिये।···(व्यवधान)··· आप बैठ जाइये, क्यों बोलते हैं? पब्लिक में जाकर जोर लगा लेना। आपकी इस दफा भी 6 तकरीरें हो चुकी हैं। 6 तकरीरें सुनने के बाद भी मैं मीठी जुबान में कह रहा हूं, फिर भी आप बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत इनको कहना चाहता हूं—आप अपने एटीचूड को बदलिये। आर्गेनाइज्ड सेक्टर में जिनको खाने के लिये नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है उनके लिये कुछ करना चाहिये, मैं इस बात को मानता हूं। उनकी डिमाण्ड्स माननी चाहिये, उनको हक मिलना चाहिये, लेकिन एक ही बात अगर जरूरत पड़े तो उनको कहना चाहिये कि आप काम नहीं छोड़ सकते हैं। इससे ज्यादा इस बिल में कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यह

देखना होगा कि आप किन की मदद कर रहे हैं—जिनके पास रोटी है, कपड़ा है उनकी मदद कर रहे हैं या उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो जमीन पर सोते हैं, आसमान की छत है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बीमारी के लिये दवा नहीं मिलती है, एजूकेशन के साधन नहीं हैं। वे लोग जो असलियत में गरीब हैं—उनके लिये आपने कभी आवाज नहीं उठाई।···(व्यवधान)···

मुझे हैरानी होती है जब मेरे सत्कार योग्य मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त भी इस असलियत को भूल गये थे। श्रीमान जी, ये भूल गये थे, इन्हों। लेंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर के लिये कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन हमने उनको मकान दिये, बाण्डेड लेबर को खत्म करने का हमने इन्तजाम किया, स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के लिये एजेन्सी मुकर्रर की गई - यह सब काम हमने 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में किये, जिसको इन्होंने भी माना। हम इनके मशकूर हैं, ये हमारे दोस्त रहे हैं जितनी देर जनता का राज नहीं हुआ। तब तक ये हमारे दोस्त रहे। हमारे पुराने दोस्त हैं। मुझे मालूम है अब भी जब जनता के सामने असली प्रोग्राम आयेगा, इन्कलाब का प्रोग्राम आयेगा, तो ये हमारा साथ देंगे। इन्कलाब कहां रहता है आर्गेनाइज्ड सैक्टर में नहीं रहता है, मुफलिसों के सियाह-खानों में, गरीबों की झोपड़ियों में जहां रोशनी नहीं है, जहां पूरा खाना नहीं मिलता, जहां आंसुओं के चिराग बहते हैं, जहां वे गरीब सुबह निकलते हैं अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाते क्योंकि वे सोये होते हैं, शाम को जिस वक्त लौटते हैं उस वक्त तक बच्चे सो जाते हैं, उनके पास कोई कमरा नहीं होता, डाक्टरी का कोई इन्तजाम नहीं होता, उनके पास रोजगार नहीं होता, उनकी तरफ भी हमको देखना पड़ेगा।···(व्यवधान)···

शरीक आदमी होकर बैठ कर क्यों बोलते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 34 वर्षों से राज कर रहे हैं। अब इन लोगों के लिये आपकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं? 34 वर्षों तक क्या किया?

श्री जैल सिंह : इन्द्रजीत जी, यह बात समर मुखर्जी साहब को कहने दीजिये, आप न कहिये। आप तो 1977 तक हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को मानते रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गरीबों का ठेका आपकी पार्टी ने ले रखा है?

श्री जैल सिंह : मैं अपने दोस्त का बड़ा आदर करता हूं। मैं इनकी मजबूरी को समझता हूं। वह चाहते हैं कि सी. पी. एम. इनका एतबार कर लें। इसलिए वह हमारे साथ नहीं हैं।

"मुफलिसों के सियाखानों में आंसुओं के चराग जलते हैं,
इन आंसुओं की झिलमिलाहट में सैकड़ों इनक्लाब पलते हैं।"

आपने इनक्लाब देखा नहीं है। हम लाकर दिखा देंगे। रामावतार शास्त्री जी बड़े जोर से बोले थे। उनकी छोटी सी जिन्दगी है। काफी बुजुर्ग हैं। मैं नहीं चाहता था कि वह इतने गुस्से में आएं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उनको तनदुरुस्ती से बैठने का मौका दे। मुझे

खुशी है वह बैठ गए। क्या धमकी उन्होंने दी है ? कहा कि देखिये हम क्या करके दिखलाते हैं ? तूफान उठाएंगे। कहां उठाएंगे ? जब लोगों को एजुकेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये सिर्फ राज लेने के लिए, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, रेलों में काम करने वाले, हवाई जहाजों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अपने सेल बनाना चाहते हैं तब पर्दा फाश हो जाएगा। इस तरफ से ये आना चाहते हैं। लोगों ने इनको वोट तो देना नहीं है। वे हिंदुस्तान में बरबादी का इनकलाब लाना चाहते हैं। हमारे दफ्तरों से आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, हर रोज सरकारी अफसरों के साथ मेलजोल आप बढ़ा रहे हैं, मेलजोल उनके साथ बनाए रखना चाहते हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं, हम सब जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि आप इनकलाब जनता के लिए नहीं लाना चाहते हैं बल्कि अपनी पार्टी के लिए लाना चाहते हैं, अव्वाम के लिए लाना नहीं चाहते हैं और इन सब बातों को हम जनता के पास लेकर जाएंगे। आपकी थ्यूरैटिकल बातें हैं। गरीबों के हिमायती कौन हैं ? ये तो गरीबों को धोखा देकर अमीरों की हिमायत करते हैं। तेजी के साथ उस सैक्शन में आए हैं जो मजदूरों की हड़ताल कराना चाहते हैं। ये मजदूरों के जलसे पसन्द नहीं करते हैं, जलूस पसन्द नहीं करते हैं, गेट मीटिंगों पर राजी नहीं होते हैं। इनको खुशी तब होती है जब मजदूर हड़ताल करें। हड़ताल करवा कर क्या आप मजदूरों का भला करते हैं ? हड़ताल आप इसलिए कराना चाहते हैं कि आप मालिकों के साथ मिल सकें और उनसे पैसा लें। हम बताएंगे आपको। आपको पता चलेगा (इन्टरप्शंज) उन्नीकृष्णन जो आपकी तो रायसे एमरजेंसी लगी थी। आप तो हमारे दोस्त थे। दोस्ती तोड़नी हो तो खूबसूरती के साथ तोड़नी चाहिये ताकि फिर भी एक आदमी दूसरे के काम आ सके।

चटर्जी साहब बड़े अच्छे लायर हैं। उन्होंने बहुत सुन्दर तरीके से अपना केस पेश किया है. दायरे में रह कर सभी बातें कही हैं। उनकी शिकायत थी कि हम उनको जवाब नहीं देते। आज मेरे दोस्तों ने उनकी बातों का जवाब दे दिया है। मैंने पहले रोज कहा था कि लड़ाई पोलिटिकल है। लड़ाई मजदूरों के लिए नहीं है। यह लड़ाई कांस्टीट्यूशनल नहीं है। यह लड़ाई राजनीतिक है। राजनीतिक मैदान आपके पांव के नीचे से बिखर रहा है, जा रहा है, आपके पांवों के नीचे से जमीन खिसक रही है। यह इनकलाबी बिल हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की पैदावार बढ़ेगी तो बढ़ती हुई पैदावार को गरीबों पर खर्च किया जाएगा, गरीबों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार देने पर खर्च किया जाएगा। बढ़ती हुई आमदनी से अमीरों को अमीर नहीं किया जाएगा। हम अमीरों के साथ नहीं हैं। उनकी हमने कभी हिमायत नहीं की है और न कर सकते हैं। जिन्दगी में कभी नहीं की है। आप लोग शायद अंग्रेजों के साथ लड़े हों। हमने जिन्दगी में अमीरों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ लड़ाई की है, लगातार पांच साल मैं जेल में रहा हूं। सिख राजा था। अस्सी प्रतिशत वहां सिख जनता थी। उस राजा के खिलाफ लडा हूं। जीत कर आया हूं। इन्द्रजीत गुप्त जी के साथी मेरे साथ थे। उनकी मदद से लड़ा हूं।

आज भी मैं कहता हूं कि पाखंड नहीं चलने दिया जाएगा हिंदुस्तान में। निपटारा आज होना है और पता लगाना है कि गरीबों का हिमायती कौन है ? कौन गरीबों का नाम लेता है

और जैसे मंदिर में बैठा पुजारी भगवान के नाम पर, मूर्ति के नाम पर दौलत इकट्ठी करने का यत्न करता है, उसी तरह से मजदूरों का नाम लेकर उनकी दौलत से कौन फायदा उठाता है, यह पता चल जाएगा। मजदूरों का लाउडस्पीकर, उसके हाथों का बना हुआ दफ्तर मजदूर का इश्तहार, मजदूर का स्टेज, उसकी दरियां, मुनादी मजदूर करें और सब कुछ हो जाने के बाद तकरीर इनकी हो जाए कि हड़ताल कर दो, ऐसा नहीं होता है दुनिया में ? इस चीज को चलने नहीं दिया जाएगा।

एक मैम्बर ने कहा कि रेलों में ऐसा कर दिया, एक्सीडेंट करवा दिए। क्या बड़ी अच्छी बात की, नेकी की बात की ? रेल बंद कर दो, हवाई जहाज बन्द कर दो, शिप्स बन्द कर दो, बिजली बन्द कर दो, पानी बन्द कर दो, कारखाने बन्द कर दो, क्या यह अच्छी बात है ? बहुत जोर से कहा गया कि त्रिपुरा ने, वैस्ट बंगाल ने, केरल ने दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है ? वहां की सरकारों ने तमाम ड्रामा रचा था और रच कर दिखा दिया है। ठीक है, उनको रचना चाहिये था। आपको तकरीर करने का मौका मिलना चाहिये था। मजदूर को भड़काने का मौका मिलना चाहिये था। अब निपटारा होगा मजदूर के साथ, गरीब के साथ कौन है और खाते पीते, सोते जागते, जिन्दगी के सारे सुख भोगने वाले लोगों के साथ कौन है। सब पता चल जाएगा। हिन्दुस्तान में अमीर मुट्ठी भर हैं, पांच परसेंट हैं और 95 परसेंट वर्किंग क्लास है। उसको रोजगार नहीं मिला है, रेलों में उनकी भरती नहीं हुई है, हवाई जहाजों में नहीं हुई है। बिजली का काम वे नहीं चलाते हैं, एटमिक शक्ति का काम नहीं करते हैं, पैट्रोलियम का काम नहीं करते हैं। उनको कोई मौका नहीं मिलता। उनके लिए हम को सोचना है। रामावतार शास्त्री जी, आपके और हमारे निशाने में फर्क है। आप उनके नाम पर लीडरी चमकाना चाहते हैं, हम उनका भला करेंगे। अमीर से दौलत छीन कर तरीके से, कानून से गरीबों को देंगे। यह हमारा निशाना है। इस निशाने की पूर्ति के लिए हम को ऐसे बिल की जरूरत थी।

मैं फिर प्रार्थना करता हूं। आज आप लड़ाई के मैदान में हैं। दुनिया में एक उसूल है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। मेरे बुजुर्ग नेता गौर करें। वह दिल के बड़े साफ हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई बात छिपाई नहीं है। कम से कम जो मजदूर के हिमायती हैं, उनको बुला कर आप बात कीजिये। उनके साथ बात करने के बाद हमारे साथ बैठ कर बात कीजिये। दो दिन, तीन दिन, चार दिन कीजिये। फिर कुछ ऐसे लोग बुला लें जो मजदूरों के दुश्मन न हों, जो सही बात समझते हों। उनके सामने बैठ जाइये और बात कर लीजिये। या फिर दूसरी बात कीजिये। ईमानदारी से कहिये कि यह जो सिस्टम आफ गवर्नमेंट है यह बदलना चाहिये, हिंदुस्तान का आईना बदलना चाहिये, वन पार्टी रूल होना चाहिये, कोई अखबार नहीं निकालना चाहिये, कोई कैंडीडेट अपने आप खड़ा न हो सके और जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज में है वैसे यहां भी कर दीजिये। क्या अभी आपने कहा है कि हिंदुस्तान में सोशलिस्टक डैमोक्रेसी चाहिये। आप हमेशा कहते हैं डैमोक्रेसी चाहिये। डैमोक्रेसी के जरिये तूफान खड़ा करके, बरबाद करके आप इनकलाब लाना चाहते हैं और फिर आप कहेंगे कि हम तो अमीर आदमी को मार कर वर्किंग क्लास के लिए यह सब कुछ करना चाहते हैं। हम जानते हैं किस बात का आपको इन्तजार है। वह चीज हम खुद ही ला देंगे। खुद

ही ला देंगे, आप जरा बैठ कर शांति में सोच लीजिये । रुका नहीं सकता, इन्कलाब तो आयेगा, रुक नहीं सकता । लेकिन आपके गेट पर नहीं आयेगा, आप दरवाजा खुला रखिये या न रखिये । हिंदुस्तान के लोग सेंटीमेंटल हैं, आप हिन्दुस्तान के सेंटीमेंट्स के खिलाफ लड़ते हैं, आपको सोचना चाहिये आपका बैरोमीटर कहां जा रहा है ? नीचे जाता है या ऊपर जाता है । और माननीय समर मुखर्जी जैसा दानिशमंद इन्सान, दूरन्देशी, समाजवाद को अच्छी तरह जानने वाला वह यह आशा रखता है कि लोकदल से उनकी एकता हो जायेगी, बी० जे० पी० से एकता हो जायगी ? ऐसा अगर आप कर लेंगे तो यह भी एक इन्कलाब होगा । आपने अपना लिया उन सिद्धांतों को जिनके खिलाफ जिन्दगी भर लड़ते रहे...

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आप जो काम करते हैं वही आपको खत्म करने का रास्ता तैयार करता है । इसलिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद । आपने हमको यूनाइट किया और पूरी रात हम यूनाइट होकर आपके खिलाफ लड़ते रहे । और यही फाइट की जमीन आप तैयार करते हैं । यही दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास डाडलेक्टिकली जिग जैग कोर्स में चलता है । 1977 में आपने तैयार किया रास्ता, हमने तैयार नहीं किया । और आज आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं । हम आपसे जंग नहीं करते । आपकी अनेडेमोक्रेटिक बात के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं और हम निकल जाते हैं ।...(व्यवधान)

(इस समय श्री समर मुखर्जी और अन्य माननीय सदस्य सभा से चले गये ।)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, यह मेरे दोस्त उसी बिल पर जिसकी कापियां उन्होंने फाड़ी हैं, उसकी एक एक क्लाज पर बोलते रहे, एक एक पर अमेंडमेंट देते रहे हैं, उसके सुधार के लिये पूरा यत्न करते रहे । फिर हमको दबा दिया आज की रात ही हमारा इन्कलाब आ जागया, हम बहुत इकट्ठा रहे हैं । यही इनकलाब लाओगे जो भाग जाते हो, हमारी बात भी सुनने के लिये तैयार नहीं ? मैंने तो कोई लाठी नहीं मारी । यह इन्कलाब जा रहा है, या आ रहा है । लेकिन वह इनकलाब कौन होगा ? यह खूनी इनकलाब लाना चाहते हैं, और हम खामोश इन्कलाब लाना चाहते हैं । हम आर्थिक इन्कलाब लाना चाहते हैं, यह पोलिटिकल इन्कलाब लाना चाहते हैं । पोलिटिकल इन्कलाब हम लाये । अंग्रेज को हमने निकाल दिया । कौन कहता है कि कांग्रेस ने नहीं निकाला ? पंडित जवाहर लाल नेहरू को प्रधान मंत्री किसी लिहाज से नहीं बनाया, बल्कि इसलिये प्रधान मंत्री बने कि उनके झंडे के नीचे हिंदुस्तान ने जंग जीती शांतमय ढंग से जीती । और आज दूसरी जंग लड़ रहे हैं आर्थिक तौर पर । यह आर्थिक क्रांति श्रीमती इन्दिरा गांधी के झंडे के नीचे आयेगी और कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती । इनको मैं नहीं निकालना चाहता । इन्कलाब की आमद की जब टनकार पड़ेगी तो कहीं पीछे न जायें । वह बेबुनियाद बातों पर जा रहे हैं । कम्यूनिस्ट पार्टी का नाम बदनाम कर दिया है हिंदुस्तान में । यह कम्युनिज्म नहीं है, यह है अपौर्चुनिज्म कि हर बात को डेमोक्रेसी का नाम दे दो । अपौर्चुनिज्म, कम्युनलिज्म, फासिटिज्म, रीजनलिज्म यह सारी बीमारियों को पैदा करने के लिये इन्टीगेट करते रहे । और इन सारी बीमारियों से, तमाम बीमारियों से हम हिंदुस्तान के अन्दर लड़ेंगे ।

हमारे मित्र है मजदूर, गवर्नमेंट ऐमप्लाईज । हम उनकी भलाई का ध्यान रखेंगे । लेकिन यह बात उसको भी समझायेंगे कि दोस्त आपको तो खाने को भी मिलता है, हमें उनकी तरफ ध्यान देने दो जो भूखे मरते हैं, जिनके आंसू वह रहे हैं । वह तो चले गये, मैं उनको सुनाने के लिये नहीं कहना चाहता, बल्कि रेकार्ड में रखना चाहता हूं पार्लियामेंट के । और जो बातें ललकार ललकार कर कह गये हैं उनको बताना चाहता हूं...ताकि जब कभी मौका आये तो यह देख सकें । यह हमारे ही बिल में है, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी ही कर सकती हैं जो इस बात के लिये सुबह से लेकर शाम तक यत्न करती हैं । हमारे हिन्दुस्तान के 68 करोड़ इन्सान हैं, उनकी दोनों आंखों के आंसुओं को हमें देखना होगा । वह कैसे पीछे जायेंगे ? जब तक 48 परसैंट आबादी जोकि गरीबी की रेखा के नीचे है, जिनको महीने में केवल 65 रुपये मिलते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना हैं ।

ये हजारों रुपया लेने वालों की वकालत करते हैं, उनके भी ये हमदर्द नहीं हैं, उनसे इनको को चन्दा मिलता है और बना बनाया दफ्तर मिल जाता है, इलेक्शन इनका हो जाता है । आप जानते हैं कि क्या होता है, ये हड़ताल क्यों नहीं बन्द करने देना चाहते । आपकी बात हमने बन्द नहीं की, सिर्फ ये हड़ताल करवाना चाहते हैं । ये सिर्फ कांग्रेस (आई) के लोग ही हैं जो दिन-रात इस बात को देखते हैं, गरीबों को देखकर तरस खाते हैं —

"इलाही, इनके हिस्से के गम भी मुझको अता कर दे,
इन मासूम आंखों में नमी देखी नहीं जाती ।"

मैंने कल भी इनको कहा था कि लेमिन का लिट्रेचर पढ़े, कार्ल-मार्क्स का पढ़ो, ख्रुश्चेव का पढ़ो । बड़ी खुशी से पढ़ लें, हमारा भी कई बातों से इत्तिफाक है, समाजवाद आना चाहिये । उससे गरीबों का भला होता है, मेहनतकश को दौलत मिलती है, काम मिलता है, मुनाफाखोरों को बुलाया जा सकता है । लेकिन यह बात मैं इनको भी कहता हूं कि याद रखें कि हिंदुस्तान में आपका कम्युनिज्म पनप नहीं सकता और आपके हाथों पनप नहीं सकता क्योंकि जो आपने मौकापरस्ती दिखाई है, जगह-जगह पर अपार्चुनिज्म दिखाया है, यहां के ये बड़े गरीबों के हिमायती हैं ? आज कहते हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, कहां गई थी इनकी जबान जब इसी हिंदुस्तान में हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक रेज्यूलूशन पेश किया और वह रेज्यूलूशन क्या था, डेमोक्रेसी के गले पर एक तलवार थी । क्या तलवार थी, आपको याद होगा ?

इसी सामने की सीट पर हिन्दुस्तान की एक्स-प्राइम मिनिस्टर जो उस समय इलैक्शन लड़ीं, इन तमाम पार्टियों ने बड़ी ताकत लगाई, लेकिन वह जीतकर आईं चिकमंगलूर से और जब यहां सैशन अटेंट करने आईं तो बर्दास्त नहीं कर सके । इन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, सिर्फ मेम्बरी से ही नहीं हटाया बल्कि इन्दिरा जी को जेल भिजवाया । किस इन्सान के आंसू गिरे, उस वक्त डेमोक्रेसी कत्ल हो रही थी ? यह हमारे कम्युनिस्ट भ्रा जो उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, जब जनता राज आया तो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी की राखी करते हैं । यह बहादुर डेमोक्रेसी की राखी अकेले क्यों नहीं करते ? कभी किसी के साथ शामिल हैं, कभी किसी के साथ ।

हमने, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह साबित किया कि कांग्रेस इनके खिलाफ थी, हमारे खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जनता वाले और जितने भी लोग थे सब ताकतें खिलाफ थीं लेकिन हिंदुस्तान के एवाम ने कहा कि आओ, इंदिरा जी, अपने देश को संभालो, इस देश को बचाओ। तो हमको, इन्दिरा जी को राज-करने की शक्ति दी, किसने ? हम नहीं मानते हैं कि इसको अमीरों ने दी है, गरीबों ने मजदूरों ने, किसानों, विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों ने दी है। गरीब आदमियों ने हिम्मत की और इन्दिरा जी के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर सौंपी और कहा कि आपको हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में हिंदुस्तान की इज्जत और सम्मान को बढ़ाना है, लोगों की शांति देनी है, लोगों की जिन्दगी और माल की रक्षा करनी है, लड़ाई-झगड़े और फिरकेदारी को झुकाना है। हमको संसार में यह साबित करना है कि हिंदुस्तान एक बड़ी कौम है। आज दुनियां में हम इतने बड़े हो गये हैं, हमारे विरोधी दल के भाइयों ने जो 3 साल में गिरा दिया था वह गिरावट भी हमने दूर करके यह साबित किया है कि दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला हिंदुस्तान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता और जो हिंदुस्तान चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। यह ताकत हमको मिली है, इसलिये उस ताकत का हम नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे।

मेरा ख्याल है कि श्री समर मुखर्जी गुस्से में चले गए हैं और जाकर सोचेंगे। अगर वह मेरी बात मान लें, तो दुनियां की कचहरी में वे भी जाएं और हम भी जाएं। हम सरकारी तौर पर नहीं जाएंगे। अगर गरीब आदमी ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ बाजू खड़ा किया, तब वह हमारे साथ आ जाएं। अगर वह उनके साथ बाजू खड़ा कर दें, तो हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। वह कहते हैं कि मजदूरों से पूछ लो, ए. आई. टी. यू. सी. से पूछ लो। फिर कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से पूछ लो, वह अवाम की राय है। आज दुनियां में एक ऐसा हाकिम भी है, जो कहता है कि अल्लाह ने कह दिया है कि फांसी दे दो और वह रोजाना दो ढाई सौ आदमियों को फांसी दे देता है।

उसी तरह ये लोग कहते हैं कि अवाम ने कहा है कि इसको मार दो, यह अदालत ठीक नहीं है, पीपल्ज कोर्ट होनी चाहिए। वही तय करते हैं कि ये पीपल हैं और ये पीपल नहीं हैं। मैं मानता हूं कि इस बिल के बाद वे एक तूफान खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फैसला हो जाएगा कि गरीबों का कौन हिमायती है और अमीरों के साथ कौन जुड़ा है, एसप्लायट कौन करता है और सच्चाई के साथ गरीबों के साथ कौन है ?

उन्होंने चेलेंज किया, हर तकरीर में चेलेंज किया कि हम आपका मुकाबला करेंगे। हम तो उनको मारते-पीटते नहीं। ये नौजवान कभी बोलते हैं, तो हम उन्हें खामोश करवाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों की इज्जत रखो, इन्हें कुछ न कहो। लेकिन ये बार-बार उठते थे, जैसे चेयर में कांटे लगे हुए हैं। फिर भी हम बर्दास्त करते हैं। क्या यह कोई मांगने का मौका था। उन्हें मीटिंग में हिस्सा लेना चाहिए था। सारी रात गुजार दी और फिर चलते बने। परमात्मा उनको जिन्दा रखे और वे फिजिकली जिन्दा रहें।

इन शब्दों के साथ मैं हाउस से अपील करता हूं कि यह जो बिल हम लाए हैं, इसको परवानगी दे दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा आज 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

———

3.58 म० पू० तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 16 सितम्बर, 1981/25 भाद्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।